Research Reinforcement

(A Peer Reviewed International Refereed Journal)

Patron

Shri Rajendra Prasad Gupta
RAS (Rtd.), Govt. of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Editor in Chief

Dr. Pankaj Gupta
Lecturer, Govt. P.G. College, Chimanpura, Shahpura, Jaipur (Raj.)

Editors

Dr. Sanjay Kedia
Asst. Principal, IIERD, Jaipur (Raj.)

Dr. Archana Bansal
Lecturer, Govt. S.S. School, Jaipur (Raj.)

Co-Editors

Dr. Shiv Kumar Mishra
Lecturer, Govt. P.G. College, Kota (Raj.)

Dr. Shikha Sharma
University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Ms. Deepshikha Parashar
Assistant Professor, The IIS University, Jaipur (Raj.)

Editorial Advisory Board

Prof. P.N. Shastry
Vice Chancellor, Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi

Prof. Kaushal Kishore Mishra
Banaras Hindu University, Varanasi (U.P.)

Prof. Miroljub Jevtic
University of Belgrade, Belgrade

Prof. Rajeev Gupta (Rtd.)
University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Prof. T. Srinivasu
RTM University, Nagpur (Maharashtra)

Prof. Ramanuja Devnathan
Rashtriya Sanskrit Sansthan, Jammu (J&K)

Prof. P.S. Bhatnagar (Rtd.)
University of Rajsthan, Jaipur (Raj.)

Prof. B.L. Fadia (Rtd.)
JNV University, Jodhpur (Raj.)

Dr. Vimal Prasad Agarwal
Ex-Chairman, RBSE, Ajmer (Raj.)

Prof. M. Pareek (Rtd.)
University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Dr. Inakshi Chaturvedi
University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Prof. S.K. Sharma
Chaudhary Charan Singh University, Meerut (U.P.)

Prof. K.G. Sharma
University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Prof. V. K. Agarwal
Director, NTTTI, Bhopal (M.P.)

Research Reinforcement

(A Bilingual & Half Yearly Refereed Journal of Multidisciplinary Research)

Editorial Board

Dr. Auronodaya Bajpai
Head, Dept. of Political Science
Agra College, Agra (U.P.)

Dr. Pradeep Parasher
Lecturer, Dept. of Chemistry
Govt. P.G. College, Jhalawar (Raj.)

Dr. Rashmi Jain
Associate Professor, Dept. of Sociology
University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Dr. Abhay Upadhyaya
Associate Professor, Dept. of ABST
University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Prof. Ghanshyam Lal Bairwa
Principal
R.R. College, Alwar (Raj.)

Dr. Jitendra Agarwal
Principal
Govt. S.S. College, Mahapura, Jaipur (Raj.)

Dr. R. C. Agarwal
Head, Dept. of Economics
Govt. B.S.R. Arts College, Alwar (Raj.)

Dr. S.P.S. Rathore
Head, Dept. of Botany
Govt. P.G. College, Kotputali, Jaipur (Raj.)

Dr. Neelam Upadhyaya
Deputy Director, Sarva Shiksha Abhiyan
Govt. of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Dr. Naveen Gautam
Lecturer, Dept. of Chemistry
Govt. P.G. College, Kotputali, Jaipur (Raj.)

Dr. Ashok Kumar Gupta
Lecturer, Dept. of Georaphy
Govt. B.S.R. Arts College, Alwar (Raj.)

Dr. Narendra Ishtawal
Lecturer, Dept. of Hindi
Govt. College, Jaipur (Raj.)

Dr. Yogendra Dixit
Lecturer, Political Science
Rashtriya Sanskrit Sansthan, Jammu (J & K)

Dr. Ravindra Tailor
Editor
Shodh Shree, Jaipur (Raj.)

Shakti Singh Shekhawat
Lecturer, Dept. of Political Science
Govt. P.G. College, Chimanpura, Jaipur (Raj.)

Virendra Sharma
Lecturer, Dept. of History
Govt. Girls P.G. College, Ajmer (Raj.)

Dr. Sitaram Choudhary
Lecturer, Dept. of Political Science
Govt. P.G. College, Chimanpura, Jaipur (Raj.)

Dr. Avdhesh Sharma
Lecturer, Dept. of Sanskrit
Govt. P.G. College, Chimanpura, Jaipur (Raj.)

Dr. Kapil Kumar Anand
Lecturer, Dept. of Political Science
S.S. Jain Subodh P.G. College, Jaipur (Raj.)

Dr. Mukesh Verma
Assistant Professor, Dept. of Political Science
University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Vandana Sachdeva
Assistant Professor, Dept. of Management Studies
The IIS University, Jaipur (Raj.)

Amit Gupta
Dept. of Political Science
University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Research Reinforcement

(A Peer Reviewed International Refereed Journal)

Contents

S.No.	Particulars	Page No.
1.	**Personal Geography: Geography For Everyone** Ram Kumar Panday	1
2.	**Learner's Attitude Towards Motivational Factors in Open and Distance Education in India** Dr. Bhanu Pratap Singh and Sher Singh	15
3.	**Peer Acceptance of Children with Special Educational Needs** Waseem Zahra	20
4.	**Hydrogeochemical Analysis and Evaluation of Ground Water Quality in Industrial Area of Jaipur Region** Robin Sarkar, Dr. M.K. Gupta and Dr. Pradeep Parashar	25
5.	**Role of Training in Development** Harshlika Khangarot	31
6.	**Political Communication in Indian Democracy: A conceptual analysis** Richa Yadav	37
7.	**Stem Cell Research and its Regulation in India** Pradeep Kumar	42
8.	**Democratic Decentralization and Constitutional Status of Panchayats** Suman Maurya	46
9.	**An Analytical Study on Child Welfare** Ms Kiran Raj	51
10.	**Environmental Planning and Co-ordination (A Study of Jaipur and Alwar Districts of Rajasthan State)** Dr. Madhuri Gupta	58
11.	**To Retrospect the Significant Inter-national Parameters for Quality Assessment in Higher Education System in Indian Scenario** Devika Chhachhiya, Dr. Manish Gupta and Dr. Amita Sharma	63
12.	**Geopolitical Importance of Sri Lanka and India in IOR: Post Cold War Era** Reena Ghosh	68

S.No.	Particulars	Page No.
13.	**Gendering Collective Bargaining: Working Women's Dilemma in a Developing World** Dr. Shikha Sharma	**72**
14.	**Environment Protection and the Personal Responsibility** Harish Kumar	**81**
15.	**Women's Right to Education** Suman Paliwal	**85**
16.	**'काला पहाड़' उपन्यास और मेवाती समाज : युगीन संदर्भ** डॉ. जगदीश गिरी	**89**
17.	**प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक परम्पराओं को सरंक्षित रखने में पुराणों का योगदान** डॉ. सुरेश कुमार	**95**
18.	**अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रवाद और दक्षेस** रूबी मीना	**99**
19.	**जयपुर रियासत की राजनीति में रनिवास की महिलाओं का हस्तक्षेप और उनका राज्य पर प्रभाव** श्रीमती सुनीता मीना	**104**
20.	**बस्सी तहसील जयपुर जिले में भूमि की उपलब्धता तथा भूमि उपयोग का भौगोलिक अध्ययन** राहुल मीना	**108**
21.	**राजकीय एवं निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों का संगठनात्मक वातावरण एवं प्राध्यापकों की व्यावसायिक प्रतिबद्धता का तुलनात्मक अध्ययन** डॉ. निरुपमा जैन	**114**
22.	**भारत और आसियान : लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट तक का सफर** चन्द्रकला शर्मा	**118**
23.	**समसामयिक वैश्विक सन्दर्भ में महात्मा गांधी के अहिंसा सिद्धान्त की प्रासंगिकता** गुरुदत्त स्वामी	**122**
24.	**दौसा जिले में भूमि उपयोग परिवर्तन एवं पर्यावरण का एक भौगोलिक अध्ययन** अभिषेक वशिष्ठ	**125**
25.	**तेलंगाना के निर्माण का घटनाक्रम** पूनम अग्रवाल	**129**
26.	**भारतीय दर्शन परम्परा में मोक्ष की अवधारणा** अपेक्षा मीणा	**133**
27.	**राजस्थान में बांग्लादेशी प्रवासियों की समस्या** डॉ. श्रवण कुमार सैनी	**137**

S.No.	Particulars	Page No.
28.	**राग खमाज** नीरा जैन	**140**
29.	**राजस्थान के संदर्भ में सिंचाई साधनों का महत्व** डॉ. मीनाक्षी शर्मा	**144**
30.	**निर्धनता रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) परिवारों का सशक्तीकरण : बाराँ जिले के विशेष संदर्भ में एक अनुभवमूलक अध्ययन** राकेश वर्मा	**149**
31.	**जनजाति विकास अवधारणा की दशा एवम् दिशाएँ** महेश कुमार मीणा	**155**
32.	**वृद्धावस्था एक समायोजन (एक अध्ययन)** डॉ. रीना चतुर्वेदी	**160**
33.	**भारत में महिलाओं के अधिकार** डॉ. अशोक कुमार छाछिया	**163**
34.	**डॉ. भीमराव अम्बेडकर का सामाजिक चिन्तन** मुकेश कुमार खोड़ा	**168**
35.	**वर्तमान में महिला एवं मानवाधिकार** डॉ. भरत लाल मीना	**172**
36.	**क्या हर्ष बौद्ध धर्म का अनुयायी था?** डॉ. देवाराम	**177**
37.	**संविधान निर्माण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका** अनीता गुप्ता	**181**
38.	**भारत एवं बांग्लादेश की निर्वाचकीय व्यवस्था : चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ** नवल किशोर	**185**
39.	**वर्तमान में सांस्कृतिक अवमूल्यन : दशा और दिशा** डॉ. संजय कुमार	**189**
40.	**भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था और उभरता आतंकवाद एक विश्लेषण** लालचन्द कुम्हार	**192**

Personal Geography: Geography For Everyone

Ram Kumar Panday

Professor

Tribhuvan University, Kirtipur, Kathmandu, Nepal

Abstract

Everybody needs basic knowledge of geography. The present concept paper deals primarily with the need-based geography for everyone. Lack of easy approach and negligence of general dealing are responsible factors in resulting poor level of geographical knowledge. Geography, utilized by different trades and agencies is listed into different categories. Geographic problems facing by the people and personnel of different sectors are described. Importance and necessities of geographic knowledge in personal use are highlighted. Major objectives and contents of general geographical knowledge are given under various groupings. Geography is divided into major types according to nature of users' groups. The personal need based geographic knowledge is found essential to be developed. Personal geography has been focused and stressed to facilitate a person to think things geographically. Basic strategies are found to develop the field of personal geography as a counter measure in creating geographic awareness and providing essential and useful aid of geographic knowledge in the wider range.

Keywords: *Personal Geography, Geographic Literacy, Mapability, Personal Atlas*

Introduction

Geography and history are two subjects like two eyes which cover knowledge of space and time. Although each subject has its own importance, geography as a parent discipline can provide wider knowledge than any other area of studies about the earth, the home of man. Geography is an essential subject to all. Everybody should have basics of geography. What type of knowledge geography can provide us is a big question to be answered? Realizing a need of geography in personal level the researcher has tried to accumulate information as much as possible from which one can find out essential parts to fulfill personal requirements of geographical knowledge.

When this researcher was in Tokyo, he found himself lacking geographical knowledge to operate real life. He has realized that everybody including geographer should not forget fundamentals of geographical knowledge. Everybody must have geographical knowledge which can help him personally. So realizing this researcher tried to explore the need based geography for people working in different sectors. This gave birth to a personal geography. After the study of Japanese newspaper and some basic books of geography, this researcher prepared paper to distribute abstract in a seminar organized by the Department of Geography, Kyushu University, Japan in April 6, 1993. After two years the concept paper has been revised and developed this as a case of personal need based geography. This concept paper of geography will help to seek needed geographical contents and help in guiding everybody's life in the personal level. This paper has tried to explore, explain and

expose experiences to general people whatever possible from the field of geography discipline.

Geographical Knowledge

Geography is directly related to our daily lives. There are behavioral and/or applied contents of everyday geography regarding essentiality and utility for everybody's everyday life. In fact, geography is a mixture discipline of science and social sciences. It covers all aspects of the physical and cultural features of the earth. It studies almost all about the earth. Geography is an endless subject related to distribution of living and non living things, weather and climate, air, water and land features, plant, animals and human activities. Men are observing the effects of weather on crops, climatic change and its impacts on migration of birds and animals, rise and set of sun and day and night to seasonal change in agricultural calendar. Geography studies where the things are located and their relationship with things around them. Other sciences focus basically on individual subject of a single discipline. But geography has covered different elements from various disciplines. As space-human studies, geography has wider vision of multiple angles to view the earth from different dimensions. Geography is more generalist and too much specific within enough room for useful contents to help man in life and activities.

Everybody's Geography

Geography is an ever ready subject to help man in adjusting, moderating and changing the landscape and environment of the surface of the earth. Geography as such is affecting directly and indirectly in the activities of man. Comprehensive concepts of geography as such have been subject of concern to all. Geographers have been identified into five fundamental themes (NGS, 1991: 18): Location: position on the earth's surface, Place: physical and human characteristics, Human/environment interactions: shaping the landscape, Movement: human interaction on the earth and Regions: how they form and change.

The definition of geography as such is changing from Greek's 'to write about the earth' to 'geography is what geographer's do'.

Following definitions help to know how wide and important is the field of geography.

A. 'Geography… is so comprehensive character that the ideally complete geographer has to know all about every science that has to do with the world, both of nature and of man.' (Richard Hartshorne, the Nature of Geography).

B. 'There is no problem in the world that is exclusive geographical; but there are few problems that are not in some way geographical' (Saul B. Cohen, Problems and Trends in American Geography).

C. 'Geography is concerned with the description and explanation of the aerial differentiation of the earth's surface' (David Harvey, Explanation in Geography)

D. 'The last thing I want to imply is that geographers can solve all the problems, for no one with the slightest sensitivity to the complexities of human environmental systems in space and time would make such a claim'. (Peter Gould, the Geographer at Work).

Geography comprises both physical and human aspects. So it can be viewed as physical science and social sciences, study of space and place, and a bridge among disciplines.

Geography for All

Geography is a long established an essential discipline based on exploration and explanation in organizing human knowledge. Geography was much more interesting and advantageous subject to the general people in the time of continental explorations and global adventures. Obviously, geography as viewed by more Greeks 'Geo+graphien' (the description of the earth) was much more popular and practical to the general people in the time of sailors and explorers. Geography was a discipline of everyone's concern

and much more integrated as a subject of holistic approach. According to Alexander von Humboldt (1769-1859) nature's parts can be brought into comprehensive unity. Geography, in fact, was in the line of bird's eye view knowledge of nature and culture. Everybody needs basics of geography. In fact, time (temporal) and space (spatial) studies are two eyes of man. Human knowledge of time and space helped to develop civilization. Everybody needs to know his environment. One needs to know at least local (home) geography. When he enters into the wider world he may need much more geographical information on regional and global. Geography is widening in dimensional direction. It is a dynamic discipline in covering earth studies and practical subject in helping human activities. It has extended various sub-branches after the mid of 20th century.

Geography in the modern world is heading towards the micro and/or integrated world of the complexities in both regional and systematic sectors. With the much more explosions of knowledge in the branches and sub-branches of geography there developed multi-dimensional aspects of studies (from academic geography to zoo geography). Geographies within the geography are in the trend of much compartmentalization. Obviously, explored the knowledge very deeply but become only partial in covering the broad field of geography. The bridging and unifying role of geography (between natural and social sciences) and flavor of integration is diminishing with the specialization of sub-branches and uncared treatment to the general geography. There are some of the basic and general geographic elements which can be very useful to each citizen of the earth. There are basically two types of geographical knowledge.

1. Geographical factors affecting all can be grouped into Global geography and
2. Geographical factors affecting local is the local geography.

There are four major levels of understanding of spatial situation which differs with the level of geographical knowledge.

The knowledge-understanding–level chart for personal acquisition of geography as a field of study:

Understanding of Spatial Situation

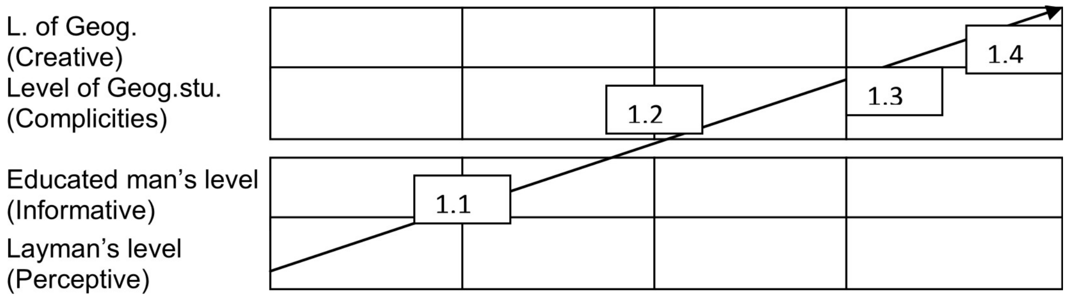

Basic knowledge Subject knowledge Specialization Expert's level

The level of spatial understanding depends upon the level of acquisition of the geographical knowledge. Higher the geographical knowledge, there is higher the understanding of the spatial situation. In fact, everybody has some base of geographical knowledge and understanding of spatial situation. Like in the situation of an individual in number one (1.1). The people interested in geographical knowledge can take the position of educated man's level with the study of more and more geography. Level of geography student is the third category which can acquire through the study of the field. The highest level is the expert's level and only geographer can achieve it (1.4). The professional level can be attended as a specialist and expert in generalist geography and specific studies of geography.

The paradigm suggests that the level of geographic understanding increases with the development of its background knowledge and characterization of attitudes towards the subject.

Branches and Sub-Branches

Geography, in fact, is not a unitary subject. It is multi-disciplinary field which connects almost every field of knowledge and develops new geography with geographic intercourse with other subject to produce hybrid of knowledge. This researcher has propagated Altitude Geography and Journalism Geography and within the country worked for administrative geography, religious geography and disaster geography. A model Bulb Change Model (BCM) in urban geography also developed for the first time in Nepal. To popularize basic geography a concept paper on Personal Geography has been forwarded as geography for all. There developed more than 200 fields of studies in geography. Following tree-cubes give some ideas how the geography is expanding in all directions and subjects.

Expansion of Geographical Knowledge

It is obvious that everybody understands basics of geography. The seasonal change and weather to soil, agricultural and human activities like phenomena have been guided by geographical knowledge. A man who visit new place encounters numerous new names and terminology of a place. The knowledge of such gazetteer is important to understand the basic geography of the place. For example in the Japanese terms 'shima' means island and 'kawa' means river and 'machi' means city. After familiarization of such terminology it will be easy to understand the place names such as Kagoshima. The both geographic vernacular and technical terminologies are important to understand the nature and culture of a country and\or a place. The journalist describes the things in the basis of map and place descriptions. The tourist guidebook to most of the writings is becoming an important source of geographic information. But many people have no idea that they know some geography and that can be a good base for the further development of the knowledge.

Geography, as a developing science, which has a power to change human behavior and landscape of the earth surface. It is leading amidst many subjects. Geography is developing so rapidly that our generation becomes able to visualize many changes within short period of time. Its dynamic and diverse nature always is becoming successful in fulfilling needs of nature and solving problems of the people. General people, although are using some of the concepts of geography in day-to-day life, the geographical field has not been assessed and organized contents systematically for the use of general people. Every educated people wants to gain at least some general knowledge of geographic domain, get help from the map and still they are not less interested to know about geographic elements (climate, soil, vegetation etc.), processes (run off, erosion etc.), and forces (earth's movement, volcano etc.), and new places, seasons, direction, distance and relations, spatial distribution and patterns of different geographic attributes. Cause and effects of nature is always becoming a field of interest to man in which geography shares much more parts to acquaint all.

Map and GIS became essential to both professionals and experts of various fields and scholar of different disciplines. Geography has not been used by different clients. Geography can support to promote both knowledge in professional fields and professions.

Branches and Beneficiaries of Geography

Geography has several branches which facilitate studies of various fields. Even the geography of communication has contributed to link journalism and geography. Natural and man-made hazards can be grouped as Disaster geography while religious realm can be covered by religious geography. The spatial linkage of events, phenomena, activities and action gives birth to a new geography. Historical geography studies history while Environmental geography covers environmental studies. Even the geography of communication has contributed to link journalism and geography. This gave birth to the journalism geography. Natural and man-made hazards can be grouped as Disaster

geography while religious realm can be covered by Religious geography. The spatial linkage of events, phenomena, activities and action give birth to a new geography. Geographical studies are basic to different disciplines. Geography has provided knowledge of diverse studies which no any subject of science and social sciences cooperate by combining different subjects like geography. As such from layman to the expert and scholar, geography can be a base for the support of specific fields of knowledge. A tourist without the city map and a planner without Geographic Information System (GIS) never can be successful. Similarly, environmental studies need the help of environmental geography. Any person who wants to know something about the earth must take knowledge from the field of geography. Climatology helps to understand weather condition in day to day life. Agricultural geography helps to know agriculture around the world. There are many branches of geography which helps to explore more on earth in most of the subject and needs of the man.

What are the basic practical and functional aspects of geography elements in geography? Are they used in life? Who are emphasizing its utility and uses? In the secondary school geography curriculum of Nepal much more information have been overcrowded rather than emphasizing elements, process and forces based concepts in its content structure. As such the geography curriculum lacks coverage of those types of composite and comprehensive knowledges and skills which are much useful for day-to-day life of the people. Which one is more useful to study much on glaciology, volcano or earthquake? Or is it useful to emphasize much on latitude and longitude studies on mathematical approach? Or no utility of studying altitude? Focusing an individual, not only in the formal education but also there seems some of the basic things to be selected to fulfill needs and facilitate activities in personal basis for the wise use of environment. As such personal need based geography can be a new sub-field of geography which can help to enrich people not to become geographer but to use the geography in supporting human activities.

There are areas of interest for different user's group- **Professionals**: mountaineers (altitude sickness etc.), traders (trade routes and centers), **Learners**: In any subject geography can be the base for those who link facts and figures on the surface of the earth, **Travelers**: Tourists, pilgrimages and city walker's basic geography is most before the entry of any parts of the earth, **Scholars**: for the research works geographical knowledge is essential. GIS can help to analyze any research area to link man and earth. Geography provides foundation knowledge to support sciences (both social and natural), **Writers**: Even travel writers, poets, lyricist novelist and journalist needs to clarify geographical facts before the publication of their articles and finalization of their creations.

Beneficiaries of Geography

Geography in the contemporary world has been a subject of interest from the academic scholars to the general travelers. The present status in the personal use of geography is found in different trades and agencies. Some of them are as following:

1. Geography in general knowledge (dictionary, encyclopedia, year book, book of records and facts, gazetteer, atlas, world time, geologic chart, weather chart etc.)
2. Geography in the media(news reports, photo features etc.) in newspaper magazine, radio, television. The presentation and reproduction of geography in popular press became important part of information in the modern media.
3. Geography in the advertisement (vocational information of shops, services, institutes and organization in maps, information booklets, sign boards etc.)
4. Geography in the travel and tourism (including traveler's and tourist guides- (with route map, mountaineering maps, information of sites and places, city maps, location maps, tour course as well as

ecotourism and pilgrims, exploration, excursion and voyage).

5. Geography in different subjects as an intellectual and interdisciplinary bridges (fundamentals of geography included in the curriculum of social studies, nature studies, environmental studies, population studies, political science (geopolitics), economics, sociology, history, language and linguistics (linguistic geography) international relations to biology, botany, and relations to geographical understanding for other disciplines. The significance of space and place in bridging geography and earth science, life science, social, behavioral sciences, arts and humanities., applied sciences (engineering , hydrology etc.) on the natural social and cultural aspects of local, regional and global space and place.
6. Geography in creative writing (spot lights, adventure, information, reports, poems, essays and articles.
7. Geography guide maps in museums, historic, religious place such as floor directory, palace guides map, museum and park guides.
8. Visual geography (art, landscapes, photography, information chart, campus map, post card, greeting cards, poster etc.)
9. Geographic Information System (GIS) to the academic personnel, driving as well as war fields.
10. Geography in trade, industry, construction work, politics and postal services.
11. Geography in development planning (national planning, district profile, village survey, house plan, urban plan, engineering.
12. Aesthetic interpretation and representation of geography (fine arts, fiction and non-fiction, drawing and paintings, poems, songs and stories, novel, travelogue etc.
13. Geography is used in photography, painting and drawing, literature, video and film, folk art, music like areas.
14. Geography in survey, tax and revenues (cadastral map)
15. Place and states of geography in international, national (governmental and non-governmental) regional and local institutional (vocational problems, distribution and spatial relations etc.). School mapping, institutional locations and interrelations, geographic effects and problem analysis and prognostication, help in decision making.
16. New areas: Kitchen geography, Administrative geography, Landscape geography, Disaster geography, Religious geography, War geography, Marketing geography, journalism geography etc.
17. Geography in classroom organization, geographic filing, kitchen and kitchen garden.

Geography in History

Geographical impact on the history of Nepal can be visualized clearly about the relations between geography and history. In making history, geography has affected in different countries in different manner. In the case of Nepal following points can be forwarded as geographical effects in the Nepalese history.

1. Hilly landscape and difficulty in accessibility became vital factors in affecting national integration and unity. Dispersed settlement, weather and climatic have affected in the historic warfare. In the isolation it is almost impossible to bring daily food from other areas. So people tried to cultivate around their home compound. Self-reliance is the only way to survive. So they have devoted time to develop farm fields nearby land and keep livestock at home. They have produced cottage crafts to meet requirement of their daily needs.
2. The hilly land and hiding place of forest help to upgrade guerrilla warfare. This helps to fight with big power. Gorkha living in the difficult geographic terrain are popular in brevity. British motivated to recruit them.
3. High Himalaya in the north is natural barriers. Rivers are creating obstacle. Dense forest in south and hot climate as well as wild animal created obstacles. Malaria like

tropical diseases becoming barrier. Even cold fog and mist has obstacle to conduct war in specific season and place.

4. The valley people were made facilities. They became luxurious. So became weak to fight with Gorilla like Gorkha. The lowland people hardly recruited in Gorkha regiment.
5. Before unification there were many isolated principalities. Due to lack of infrastructure all of them were weak internally. As such difficult to cooperate each other in the time of crisis like war.
6. The highly developed place like Kathmandu became center of attraction to out-siders all the time. They were feeling that Kathmandu as the best place to live in Nepal.
7. Kathmandu was the easiest place for the trade between India and Tibet. Kathmandu as such developed much. The valley is most fertile and healthy climatically to motivate people.
8. The life of the people and livelihood also affected by the geography. From food to dress and housing geography has affected much. The house in the hill is small to preserve heat while Tarai house is tall and airy. Geography has affected even house type and its orientation. To adjust geography, people of Nepal has different culture. The human activities also differ. The language religion and culture all affected from the location.
9. But science has modified in many aspects. Nepal lack sea but has water ways to connect Ocean from the sky and land route.Nepal as a land-locked country, played balanced diplomatic role with India and China. Nepal can work as a bridge to develop economic relations between India and China.

The main theme of this paper is geography for everyone. A personal fulfillment of geographical requirements and geographical strategies in solving personal geographic problems is the main thesis behind the creation of the new geography.

Geographic Problems

Tokyo, a most complex capital of this world challenges to the geographers in the field of place organization and use. Even the native people feel uneasy to use sub-ways and confused in the location of the things distributed along the various corners of the city. Sometime even highly educated Japanese people lose the location and get taxi to go nearest place of walking distance. It is not only due to the difficulties of language but also systems and types of train transportation developed in the city center. More detailed cadastral type of micro maps and geographic information are essential to explore crowded city like Tokyo. Although there are many types of information maps, sign boards etc. a comprehensive geographic treatment is lacking to explore the intended place for a particular house. During the last days of 1992 when this researcher entered Tokyo for the first time, found complications in locating places and identifying things. There was a huge crowd of men and movements like a human flood in the sub-ways. Finding direction is difficult due to chessboard houses and lanes. The big buildings and wide roads are almost similar looking to identify the objects and directions for the new comers. Pictorial atlas with micro area maps with description of the objects surrounding the place can be a good guide to the new visitors.

Complexities concerning dimensions of Tokyo have created interest of application in the use of geographical knowledge in such situation. Ultimately, a question came before me, whether geography can be utilized in the personal level or not? If yes in what extent? What type of concepts is more useful to an individual in solving day-to-day problems? And what type of geographic information is helpful in facilitation of the human life and activities? The answer of this question although seems simple i.e. 'reading geography' but it cannot be a good solution of the problems. Assessments of needs of various clients and categories are most difficult part to be solved. The selection of concepts according to needs is the fundamental issue for the geographer. To

support answer in this question this researcher resurveyed briefly the field of geography, its objectives and scope from the point of view of individual needs. A careful collection of geographic concepts can be a strategy in solving personal geographic problems.

Everybody's Geography

Geography is a nearest subject to man helping day-to-day life. In fact, everybody poses some geographic knowledge and everybody needs more geographic knowledge to facilitate the household to global problems facing personally by an individual man. Construction of geographic curriculum in this respect is always challenging.

Relations of geography with different fields of studies:

a) History, b) Political Science, c) Economics, d) Social Studies, e) Sociology, f) International Relation, g) Culture etc. have used geographic concepts directly to support their subjects.

Geography as such is a most important subject without which help other subjects can be completed in fulfilling knowledge. There are different geographic elements for everyday geography. Contents of direction, location, distance, height, and seasons all are important to survive man in this earth.

Man lives in a portion of the earth surface. He occupies land for his living and consumes property from his environment. He is related to different occupations and exchanges of services. Man tries to get maximum benefit from his property. Man accumulates and consumes resources as much as possible within the definite period of time and amount of cost. This indicates two types of consumption patterns:

a. Personal property like land, house, room and space which he consumes by personal will and capacity in general.
b. Community consumption like use of road, river, play-ground, park, forest, organization and services like sharing type of things.

The quality and extent of the given two private and public types of property consumptions depends on man's environment where he lives. How to improve production? How to maximize use of available resources? How to facilitate man in his activities? All depends upon the knowledge of space and time as well as its proper understanding and use. Man makes benefit out of his surroundings. Geography as a link science between natural and social domains can contribute various aspects of individual interests too.

Man faces problems in everyday life in the use of places and resources not only around his surroundings but also whenever he moves out and faces problem in identifying the new and unknown place. Walking in the unknown city and street is a difficult task for a man who is not familiar on that particular place. The corridor mapping of the houses (linear identification of each individual house) in each lane can solve the problems in much extent. Where is the rest house and where to have night stop in the mountain route during trekking time? This can be solved easily with the sketch maps of route and location of individual houses found along corridor. All needs some information to know spatial structure. Some guidance about the place will be essential to make a trip successful and happy. Few guidebooks included more detail (micro maps) and introduction of establishments. The marketing map helps to locate specific shops. The spot image or air photo help to relate the place and space object and distance as well as direction. The modern technology helping a lot. All these are related to geography. Familiarization and economization of space and resource use can be an important field of concern to all people.

Personal use of geography emerged in this barren field of individual interests and needs. Analysis of the use of geographic space for the fulfillment of the individual interest and needs is related to person, family, community, society, nation and whole world of mankind, indeed. Personal use of geography as such is related fundamentally with an individual man who lives in particular geographic environment. This helps in upgrading the society he lives. To indicate the geography of personal geographic problems the terminology

‘personal geography’ has been used afterwards in this paper.

Objectives and Contents of Geography for all

The personal geography aims to improve individual capacity of using environment. It will enable an individual to act and react for the benefit in life activities. And it helps to adjust more comfortably with the available resources in his environment. As such the concepts of the personal geography can be outlined as following:

1. Spatial location is a vital aspect in the study of geography. Study of location of place, property, organizations and selection of sites for different purposes and offers various choices. Spatial resource relations etc. can be very useful areas for an individual man working in different fields. nLocation of a place and things within the place is an important aspect for all. Maximum and easy use of the place (inside house to the community) and sharing resources, one needs knowledge of a location of the things. This is also applicable to traditional and modern uses of community land resources. Comparison between ancient and new space system gives some idea of a good and bad aspects of relations between household members. Utilization of home, space and resources is most vital thing in the life of an individual.

Similarly, buying land to construct a house and site plan must be chosen to an appropriate place. The orientation, materials and types of the house mostly have been based on the local climate, season and nature of weather. Where to buy land for the construction of a house? It seems simple but needs to apply geographic perspectives. In Nepal, the tradition of soil test (not in the laboratory, but depending in astrologer) is still a matter of people’s concern. Vastusastra, without the geographic base does not work to facilitate house atmosphere. Even engineering and architectural design do not work without the use of geographic knowledge in specific environment. Orientation for light, wind, road and local objects should planned geographically.

2. Resource utilization is one of the important aspects in personal geography. Geography can contribute in proper utilization of land and space and location resources. Harnessing spatial benefit (selling the things in the shortage and high priced areas) needs geographic survey. Land and other resources can be analyzed individually to maximize its production and use. Comparative benefit analysis is terminating a house into business shops, agricultural land into the horticultural land and directing trade to the high priced areas and crop change for the economic benefit are important aspects. The proper use of space inside home, farm field to outside world can be covered under resource utilization. A temporal evaluation of spatial change helps to assess property.

3. Mapability (Graphicacy) is an important as literacy for a man. Everyman has mental map and capacity to sketch a map. But language, interpretation and reproduction technique needs to be improved. There are some useful maps for the personal use. Some of them are: cadastral map and locality (land use and plan) maps, route maps (road, rail, walking , trekking and mountaineering maps), location maps (distribution of shops and organizations), marketing maps and shopping maps, zoo maps, area guide maps, physical and political maps of the country, continent and world).

Mapability is most essential factor to an individual man. Mental maps are helping man to lead different direction and places. Map is not a new thing to a man. But the development of cartography has invented many techniques regarding the map language and quality. The skill of the map can be increased. Map knowledge, reading ability, proper selection and uses are three important things. Each person has to learn basics of a map. Along with this map making (reproduction) through tracing and graphic method) is additional benefit. Although the development of a map seems mostly for the technical purposes. There are some general maps of a country which are much more popular and widely used. But there is wider scope of the maps which can be made in the basis of personal needs and objectives. Maps such as

marketing maps (map of bookshops, shopping centers, handicrafts, sightseeing spots etc., map of museums and shrines, zoo and park, map of offices , campuses., doctors, ecologist etc.), map of bus routes, stops and fares, map of contact persons (friends , relatives, scholars, technical hands etc.). Map of house hold uses has not come out so much in the market for the public use. Few have been developed in the tourist trade. The area guide maps in the newspaper are helping mass to know about a place and find locations.

There is a need of useful maps like tourist maps to the individual people. Although there are many such maps found in the different institutes and organizations. They are not in wider use and have not come like an atlas for everyone. The atlas of simple, useful and more detail work out of an area showing location, relief, transport networks, place of interest and shops of various categories distributed along the area can facilitate many problems of personal geography. The pictorial maps are very useful to a layman.

1. Primary geographic knowledge is a basic need of a man. There are two types of geographical knowledge: a) regional-aerial and b) physical-cultural.

In the former general knowledge of the earth, continent, near and neighboring countries, developed and under-developed countries and one's own country are most to find location and place.

In the later it covers soil, vegetation, water-bodies, flora (trees, fruits, herbs, flowers and fodders) and fauna (insects,birds and animals etc.), climate, seasons, weather (including forecast), crop colander, land-crafts and agriculture. House plan (nature, harmony and tradition) use of land and other resources. Population (ethnicity, social harmony and some basic knowledge of population geography), global environment and issues (ozone depletion, rise of sea level), deforestation, desertification, health hazards etc.), important places (time bound package tour) etc.

2. Movement and meeting is another part in which geographic knowledge is essential to a man. Location and distance, direction and relations, marketing, specific and specialization shops, visitor's frequencies and relational contacts can be viewed from the geographic knowledge.

3. Current issues, affairs and events affect each individual. World affairs, major events and issues (local, national, regional, global etc.) are important in affecting life of a literate man.

4. Geography of events is important to each citizen. From sports man to scholars, readers to tourist, the events of various natures affects in day to day life. What happening? And what will be its geographical effects? The question is the matter of every body's concern? Circumstance geography, in fact, covers political events and natural incidences. Both of them extend contents in countrywide basis. There are global issues (common problems such as ozone depletion, population explosion, soil erosion, deforestation and environmental problems etc.). Place and location of events on the surface of the earth, its development and effects as well as strategies and solutions are important aspects in analyzing issues. Location of the place of incidence, getting information on it (data and background), follow up (reading the news, and its development, relation, collection of various views) are some of the aspects to acquaint geography of events.

5. Spatial values differ place to place, with distance and its importance of location. Shifting personal property is an important aspect. A unit of land in the urban area is of high value. The value of a unit of land in the urban area can buy more area in the outer parts. Land-property can be increased through the shifting and selling of land in terms of distance. This distance change values.

6. Distance and connectivity: - Shortest distance saves the cost. Saving of time to walk from one place to another rose values. Utilization of such saved time and curtail of the price in the means of transportation both adds extra values.

Everybody occupies same space in the earth. We must have knowledge about our space. We must have knowledge about his space. He must have

skill on how to live in that space and he must have good attitude in its care and share. The space is geography and man must have geographic knowledge, skill and attitudes.

In brief, one must know about his surroundings. Knowledge of location (points, place, altitude and relative direction, distance and distributions), change of seasons (weather, climate and seasonal effects), land and soil, major rocks and minerals, vegetation and animals as well as birds and flowers (of different climatic condition such as tropical, temperate or alpine etc.), water bodies (river and lakes as well as ground water), people, houses and settlements, market and industries and also major countries and current events and historic incidences of the world all are important to a citizen. Its intensity increases from un-educated to educated man. In Nepal, most of the festivals have been guided by seasons. So map of festivals and its time can be drawn to join all such festivals. However, basic geographic knowledge facilitates to an individual in dimensional aspects. Geographic literacy is most fundamental aspects of education which helps man to adjust his own or outer environment. For the specialized person or specialist also in-depth geographical knowledge of related topics and/or concepts is necessary to enrich his/her respected fields. A botanist, a sociologist to a politician all have to gain basic geographic knowledges and skills. A driver, a gardener also need geographic guidance to develop their specialized geographic fields. A geographer can help to select contents for each individual's needs and interest. But personal geography should be dealt in a very soft, simple, easy and attractive manner so that everybody could use and get benefit as much as possible.

Best Use of Geography

Geography since the last quarter of 20th century is becoming too much technical, indeed. To make geography more useful, it should be worked as the helping hand to each individuals of the society. In fact, the geography can be viewed under three types. General geography (used by general people), Specific geography (used by different experts and Professional geography (used by geographer)

A man needs both of general and specific geographical knowledge. General geography is a part of general knowledge while special here covers the geographical knowledge needed to a particular area of specific studies. Such as geopolitics is the field of international relations and professional knowledge for geographers to gain professional heights. Personal geography as such should treat both general and specific aspects. There are many sub-branches in helping such professionals. For example political geography for politicians and commercial for traders help to grow their business. And in general, geographical information vary world to ward of a village or a town. There are many areas of studies in geography which can be very useful to man. But personal geography has limitation of uses. The uses of geography for a person can be three types:

(a) Immediately usable (mental mapping to weather condition)

(b) Occasionally usable (current events to travel time use)

(c) Long term use (gaining knowledge to promote professions)

The personal geography accumulates the contents from geography which is much more useful in connection to have basic knowledge of geography. Everybody should know about their food, wearing and shelter including their origin, development and importance. One must know about the surrounding of his homes, locality, region, nation, neighbors of the nation to the whole world as a human home of man. What type of food and clothing is suitable to particular season's and spot heights? What type of houses is comfortable in the definite climatic or weather condition? Wearing clothes with the help of thermometer and carrying umbrella according to weather forecast certainly provides comfort to a mass. What type of cold or hot food is suitable in the particular season? Where or which direction a house should be faced and what type of design and materials of house construction will be suitable in the particular place? What about heating and lighting system?

And what about the goods of daily uses? Are all of them available in their nearby market? Have you ever tried to make a list of goods and location maps of specialized shops? What about the school selection for your children? Have you ever thought about the location and distance of a school for your children? What about community interaction and commuting of office? Regarding distance, time and cost a person can benefit by mapping cost contour and price places like spot heights. What about the social status of security? Is the locality problematic? Do you know the exact location of governmental agencies that help in your problems? And do you know where to pay bills of telephone, electricity, drinking water and other agencies? One can find shortest street between two spots and reduce time and cost.

Many works can be facilitated with the help of geographical knowledge and skills. There are many professionals and agencies that are using geographical facts, figures, pictures and approaches knowingly or unknowingly in their works and programs:

1. Teachers of social studies, economist, sociologist, historians, population experts, environmentalists and ecologists etc.
2. Tourist guides, mountaineers, expeditions, trekkers, rafters, pilgrimage and pedestrians
3. Surveyor, researchers and explorers
4. Industrialists, traders, agriculturist, constr-uctors
5. Taxi drivers, hikers, bikers
6. Politicians, military man, diplomats and administrators
7. Writers, reporters, advertisers etc.
8. Artist, photographers, movie makers etc.
9. Planners, developers, policy makers and organizers, politicians and managers
10. Specialist, scholars and students

Along with all these aspects, an individual needs some geographical knowledge for the current events. An individual has been affected by global events. He has to contribute in a discussion and meeting with friends. He can be affected by the issues. So he as an able citizen should have knowledge about place where the incidence happened and its facts, figures and causes related to geography. After getting news he can consult the map and have general information from the geographical books (geographical position, physical and cultural descriptions etc.) about the place.

Similarly, everybody needs some knowledge about new place of interest. The place where you are visiting soon or on which you want to know more should be well known as early as possible. Before visiting any place map study and information gathering (including time differences if needed) are most vital things. How about the weather, season and climate? (rainy or sunny? Cool or hot?) Without knowing general information one cannot visit a particular place comfortably. The location of concerning (your contact office) institutes and organizations, the transportation network and specific place of interest to visit should be known.

The content of personal geography as such can be extended according to the capacity, interest and needs of an individual.

A teacher too should know his class room geography. Seat plan in the classroom, space and distance between teacher and student, black board and student's physical ability all are fundamental aspects in teaching–learning process. Interaction and capitulation differ with distance. The exchange and flow of ideas depends on the distance, shape and size of the class room too. So for the scientific class room structure (Hudman, 1972) the geographic concepts of region, interaction, relation, relative location, distance etc. can be utilized. Interaction decreases with the distance both by psychological and physical features (Panday, 1992).

An editor should know the sources and its areas of news. Which area has been more highlighted? A personal survey can be done with the distribution of news on space and analysis of their categories and spatial relations. A media man should care about the geography of a place of interest for not to report false picture like Mustang case of NHK.

A house wife can arrange kitchen by placing things near to facilitate it according to frequency of use.

In fact, basic geographic concepts can be utilized to make work more effective. As such personal geography is an essential study to become an able and efficient citizen as well as to develop professional career stronger.

Personal geography as such is geography of individual belongings and needs. It helps to a man living in a particular place to use environment efficiently. Personal geographic problems can be solved through basic geographical information and skills. Maps can help a lot. A profile of personal geographic maps can be created for household uses. For example location, cadastral and locality map (ward or higher units), shopping maps, shrines and ceremonies map. Map of contact person, relatives and offices etc. In future micro compact computer will facilitate to find out exact location and basic information of each point (Gazetteer map) with distance, direction, time and specific qualities.

Man and Geography

Geographical knowledge is exploding in developed countries. All have their own utility and importance. All have supported the human world. But still there lacks shortage in selecting useful functional contents even for the school curricula. Geography should be easy and useful to all. Easy to complex and known to unknown treatment certainly helps to guide an individual who needs different types of knowledge in geography. The 21^{st} century will be more challenging. Popularity and value of subject will depend upon benefit and uses of the contents. All these depend on consuming agencies and beneficiaries as well as stakeholders.

The immense development in the field of geography has helped man in many ways. But it has developed so much that even a geographer is getting lost. So professionalization and generalization of geography can be a good approach for the university and mass education curricula. A careful selection of contents is needed to make the geography more functional, practical and behavioral. A careful consideration is needed in developing personal geography for all and/or different types of professionals.

Geography is holistic sciences gave birth to innovation and revolution. It is becoming very hard to understand to set skills and use in the field one needs many facts to know. One must be able to use. Without the use of knowledge acquiring knowledge is useless. One should be able to apply acquired knowledge in the needed field. This is what education aimed behavioral change. While reading one should think how to use it. To find utility one has to follow some processes to make it clearer.

After reading a topic use it to

1. Know recognized-understand–internalization (facts and figures)
2. Accept-skill (organism-structure-composition)
3. Apply- use in behavior (benefit)

Collect and clarify concepts (geographic terminologies) and try to generalize by using it in day-to-day and take help to make decision in your problems with geographic knowledge. There are enumerable concepts which have linkages with life. The best way to use it is to ask 'which in what?'

For this

- List main points-clarify and organism (hierarchies, systematic) order
- Find composition (pattern, type etc.) relations and interactions.
- Develop models-numbering, mapping.
- Seek essence exemplifying, summarizing.

From layman to a leader of any field, geography can help as an important subject of day-to-day life. But there is a lack of wider range of geographical materials needed to persons working in different fields. A vigorous attempt as such in popularizing geography became a need to prepare bright citizen for 21^{st} century. Creation of awareness in geography is becoming the first task of all educated people in general and professional geographers in particular.

The development of media and communication system has been widening the knowledge of geography much than ever before. In the same time it has generated new needs of wider geographical knowledge to understand the world better. Still largest population lacks the basic geographical knowledge. The standard of thinking of mass illiteracy is not higher than that of Babylonian belief of flat earth and educated people's level than that of the scholars around 1,000 B.C. used to think. Still man does not know many essential things about his common home and community of his own surroundings. The National Geographic poll of 1988 in America exposed the level of geographical knowledge. Not only among the children but also adult working in the higher posts lack the basic knowledge of geography. In Nepal, when the researcher conducted map trainer's training (1990-91 under UNDP) to the National Planning officers, then found the lack of basic geographic language skills to read map. And many higher people still blames geography as a responsible factor for the underdevelopment of the country. This is due to the lack of proper geographic knowledge and understandings.

There are three types of needs for the personal geographic developmentNeed to grow general geographic knowledge (basics of geography).

(a) Need to standardize the existing geographic knowledge (revision of the geography facts and figures used by different professionals) and

(b) Based to daily need based geographic skills.

The earth is changing in every aspect. Each person has been affected someway or other by this change. The geographical problems of national and global became an essential part of knowledge to a man. Natural desertification to national disintegration problems are affecting to each person on the globe. Every good citizen has needed some idea on the change. The change has been related in most cases to geography and at least the geographical description is a part of the change. Simultaneously, many professionals have shown geographic concern to analyze studies in their respected fields. In addition, geographic travel kit (maps and facts of a place etc.) like things became everyman's utensils. This has made geography a field of prime concern.

Geography is not important as a subject but it covers the earth which is not only valuable but also essential to the global citizen. People do not need to know about geography but a person need to know many geographical concepts about the world. This ultimately, justifies the need of personal geography not only to gain knowledge of what, where and how but also to make a person think things geographically. In fact, geographical knowledge is an essential part of human civilization.

References

1. Agranat, V.F. & Pominov, V.F. (1988) *Origin and Chemical Evolution of the Earth*. Moscow: Mir Publishers.
2. Boardman, David. (1986) *Graphicacy and Geography Teaching.* London: Croom Helm.
3. Jones, David. *Teach Yourself Geography*. Great Britain: Hodder and Stoughton.
4. Lambert, David. (1987) *Planet Earth*: *A Piccolo fact book*. London.
5. VanCleave, Janice. (1995) *Geography for every kid*. Delhi: Pustak Mahal.

Learner's Attitude Towards Motivational Factors in Open and Distance Education in India

Dr. Bhanu Pratap Singh

Regional Director (I/C), IGNOU Regional Centre, Aligarh, (U.P.)

Sher Singh

Assistant Regional Director, IGNOU Regional Centre, Jaipur (Raj.)

Abstract

Open and Distance Education (ODE) is the most dynamic and vital mode of imparting education to all sections of the society. ODE has emerged as an important and vital approach in education in ensuring access of higher education to all people of India. Today it is the best and effective way of teaching-learning process and day-by-day every section of the society is taking interest to join and getting benefits. Open and Distance Education is based on the use of multi-media to teach and reach students. ODE adopts all available multi-media to impart education at a distance and has enhanced the reach of open universities and facilitated in extending the educational opportunities to rural and remote places. It increases the learners' concentration and helps the learners involve in the learning process. By using multi-media , IGNOU is attracting good numbers of people (male/female) and fulfilling their educational needs including of those hailing from backward society, irrespective of their caste, and creed. Therefore, IGNOU is playing a vital role in fulfilling the dreams of Society to provide quality education at the doorsteps of the learners.

Keywords: *Distance Education, Motivation, Learner, Open Education*

Introduction

"Education is universally recognized as an important investment in human capital. It contributes to socio-economic development by endowing individuals with the means to improving their health, skills, knowledge and capability for productive work. For society as a whole, education enriches the political and cultural life of the community and strengthens the community's ability to exploit technology for the social and economical developments. Because the benefits are so broad and pervasive, the development of education is a key concern everywhere". **-Tom and Minget (1982).**

Open and Distance Education system has the great success in Indian history and rooted a good way in all sphere of Indian history. Formally, the Delhi University has started the correspondence education in 1962. Now there are one National Open University, 14 State Open University and about 300 Dual Mode Institution of Open and Distance Education. Open and Distance Education has the great potential to cater the needs of the societies in present and future time as using the modern technologies of Information and Communication. More innovations and effective use of ICTs, ODL system has to reach to the equivalent of other ways of formal education now. Since the concept of education as investment is also steadily gaining ground, even the poorest countries are slowly turning their attention to the educational needs of their respective populations in order to survive and develop. Open and Distance Education has been viewed by many ways as a viable strategy to achieve the national educational goals quickly and at low costs. Open and Distance Education System has emerged as an important and vital

approach in education and promises to play an important role in ensuring access of higher education to all people. At present, there is 1300 Open and Distance Learning Institutions (ODLs) of different types and sizes located in 127 countries. The number of distance learners is approximately 100 million at the higher education level. It is expected to reach 120 million by 2025 A.D. (Dhanarajan 1996). Open and Distance Education is the most dynamic and vital mode of imparting education to all sections of the society. Today it is the best and effective way of teaching-learning process and day-by-day every section of the society is taking interest to join and getting benefits. The uniqueness of Open and Distance Education is the use of multi-media to teach and reach students in the Open and Distance Education. It has enhanced the reach of open universities and facilitated in extending the educational opportunities to rural and remote places. It increases the learners' concentration and helps the learners involve in the learning process.

Review of Related Literature

Villi, C. (2003): found in his problem on Study on Knowledge, Attitude Perception and Expectations (KAPE) of the Women Learners of Open University that Open University System is most important to enhance the educational achievement and skills. Interestingly quite a significant percentage found the open learning system to be a formal system of study, with not much difference vis-a-vis the conventional system. The study also stressed on that newspaper and friends emerge as the primary sources of information about Open University Programmes.

Murthy, C.R.K. (2004): Programmes for Professional Development in Distance Education: Perceptions and Views of International students revealed the Face-to-face counseling is extremely useful to the learners on various counts of academic and administrative activities of their programmes.

Ojo, D. O. and Olakulehin, F. K. (2006): Attitudes and Perceptions of Students to Open and Distance Learning in Nigeria find that most students held positive perceptions and attitudes towards ODL. The 120 students who responded to this survey indicated their interest in the unique features that make-up ODL institutions, such as open access, opportunity for flexible learning, provision of quality learning materials, the use of multi-media and ICTs, etc.

Tripathi, P. and Fauzdar, B. I. (2007): studied on Learner Perceptions of Continuous Assessment in the Bachelor Degree Programme of IGNOU and selected 1000 BDP learners enrolled in various programmes of the University, the findings of the study indicated that continuous assessment is the has a key role in ODL settings in promoting regular study and enhancing learning of distantly placed learners.

Gogoi, Manashee & Hazarika, Mukut (2009): find out the Awareness and Attitude of the College Students towards Open and Distance Learning. The findings of the study indicated that there are significant difference of the college students toward Open and Distance Learning and awareness of people and a healthy attitude can ensure the equity, access and quality in and through ODL system.

Objectives of the Study

1. To study motivational area-wise factors towards the Open and Distance Education of learners.
2. To study discipline-wise motivational factors towards the Open and Distance Education of learners.

Hypothesis of the Study

Based on the Objectives of the study the Null hypothesis are framed and given below:

(i) There is no difference in motivational factors towards the Open and Distance Education of area-wise (rural/urban) learners.

(ii) There is no difference in motivational factors towards the Open and Distance Education of discipline-wise (Science/Arts) learners.

Research Methodology

Sampling—Sampling is the selection of research sample for the research purpose.

In the present study random sampling method has been used. The sample of study has been consisting of learners registered at Study Centres under the jurisdiction of Indira Gandhi National Open University, Regional Centre, Jaipur, Rajasthan. due to time & resource constraints investigator has randomly chosen 350 students for study.

Tool—The self made questionnaire on General Information and Attitude of Learners towards motivational factors in Open and Distance Education containing 10 questions in total has been being developed. The Questionnaire was given to the students at the time of convocation and during the visit of students at Regional Centre, Jaipur, Rajasthan. The test items was based on rating scale of five point i.e. Strongly-agree, Agree, Disagree, Strongly -disagree, Neutral.

Statistical Technique Used—The following statistical techniques are used for analysis of data: Mean value, Standard Deviation (S.D) and 'T' value with graphical representation are used to as statistical techniques for analysis and interpretation.

Data Analysis and Interpretation

Analysis and interpretation of data dealt with analysis of the raw scores with the help of statistical techniques, organization of analyzed data in tabular form and discussion or interpretation of the result. In the present study an attempt has been made to present the findings of the study objective wise. For it validation of hypothesis has been presented, hypothesis wise, on the basis of it conclusion have been made and presented in the study.

Objective 1: To study motivational factors towards the Open and Distance Education of area-wise (rural/urban) learners. Based upon the above objective, the following hypothesis has been made to collect the data.

Hypothesis 1: There is no difference in motivational factors towards the Open and Distance Education of area-wise (rural/ urban) learners. Total 10 items related to the motivational factors to join Open and Distance Education for Higher Education. The data of Rural and urban learners in respect of Motivational factors which attracts the learners to enroll in Open and Distance Education has separated.

Based upon the above hypothesis, the data has been collected through a self made questionnaire and framed in the table and analyzed as given below:

Table 1: (Area- wise (rural/urban) learners Attitude towards motivational factors of Open and Distance Education)

S. No.	Gender	No. of learner	Mean	SD	T Value	Significance
1	**Rural**	153	37.47	6.72	1.66	*** No Significant
2	**Urban**	197	36.29	6.23		

(*Significance at the level 0.01, ** significance at the level 0.05, *** No Difference and Critical Value at the Significance level 0.01 is 2.58 and the Critical value at significance level 0.05 is 1.96)

A study of the above table shows that the mean values of rural & urban Learners attitude towards motivational factors of Open and Distance Education are 37.47 & 36.29, and SD Values is 6.72 & 6.23 respectively. On the basis of mean value of rural and urban Learners attitude towards motivational factors of Open and Distance Education, it is found that rural learners have more positive attitude in comparison to urban Learners towards motivational factors of Open and Distance Education, which is also shown in the Fig.3. The 't' value was found to be 1.66, which is not significant at 0.01 & 0.05 levels and hence the null hypothesis could be accepted. Thus, it can be concluded that there exists no significant difference between the rural & urban Learners as far as their attitude towards motivational factors of Open and Distance Education.

As per data, the rural learners are having more positive attitude towards motivational factors

of Open and Distance Education due to having more interest as first choice because of their parental/Agricultural jobs. Whereas the urban learner shows comparatively less positive attitude towards motivational factors of Open and Distance Education, because of their comparatively having more conventional options to get higher education.

Objective 2: To study discipline-wise motivational factors towards the Open and Distance Education of learners. Based upon the above objective, the following hypothesis has been made to collect the data.

Hypothesis 2: There is no difference in motivational factors towards the Open and Distance Education of discipline-wise (Science/Arts) learners. Total 10 items indicate the motivational factors to join Open and Distance Education for Higher Education. The data of Science/Arts stream learners in respect of Motivational factors which attract the learners to enroll in Open and Distance Education has separated. Based upon the above hypothesis, the data has been collected through a self made questionnaire and framed in the table and analyzed as given below:

Table 2: (Discipline-wise (Science/Arts) learners Attitude towards motivational factors of Open and Distance Education)

S. No.	Discipline	No. of learner	Mean	SD	T Value	Significance
1	**Science**	161	35.39	6.69	2.64	* and ** Significant at both 0.01 & 0.05 levels
2	**Arts**	189	37.21	6.17		

(*Significance at the level 0.01, ** significance at the level 0.05, *** No Difference and Critical Value at the Significance level 0.01 is 2.58 and the Critical value at significance level 0.05 is 1.96)

A study of the above table shows that the mean values of Science and Arts stream Learners attitude towards motivational factors of Open and Distance Education are 35.39 & 37.21, and SD Values is 6.69 & 6.17 respectively.

On the basis of mean value of Science and Arts stream Learners attitude towards motivational factors of Open and Distance Education, it is found that Arts stream learners have more positive attitude in comparison to Science stream Learners towards motivational factors of Open and Distance Education, which is also shown in the Fig.4.

The 't' value was found to be 2.64, which is significant at both 0.01 & 0.05 levels and hence the null hypothesis could be rejected. Thus, it can be concluded that there exists significant difference between the Science and Arts stream Learners as far as their attitude towards motivational factors of Open and Distance Education is concerned.

In the opinion of researcher, the Arts stream learners are having more positive attitude due to having more variety of courses and programmes through open and distance education. Whereas the Science stream learners have limited courses through open and distance education, therefore Science stream learners shows less positive attitude towards motivational factors of Open and Distance Education.

Conclusion

Through this painstaking Research Survey the Investigator has come to the conclusion that IGNOU is fulfilling the purpose of their establishment. In this study It is clearly shows that the rural learners are having more positive attitude towards motivational factors of Open and Distance Education due to having more interest as first choice because of their parental/Agricultural jobs. Whereas the urban learner shows comparatively less positive attitude towards motivational factors of Open and Distance Education because of their comparatively having more conventional options to get higher education. The Arts stream learners are having more positive attitude due to having more variety of courses and programmes through open and distance education. Whereas the Science stream learners have limited courses through open and distance education, therefore Science stream learners shows less positive

attitude towards motivational factors of Open and Distance Education. The IGNOU Study Centres are attracting good numbers of people (male/female) and fulfilling their educational needs including of those hailing from backward society, irrespective of their caste, and creed. Thus, we conclude that the IGNOU is playing a vital role in fulfilling the dreams of Society to provide quality education at the doorsteps of the learners by developing its distance education system. The following slogan for the Open Learning system is very pertinent to discuss here: Har Ghar IGNOU, Ghar Ghar IGNOU: ***Education at your doorsteps.*** Recent initiative of Government of India **"Beti Bachoo, Beti Padhao"** is very significant step for the development of the women education in the country.

References

1. Dhanarajan, G. (2013) *Perspectives on Open and Distance Learning- Open Educational Resources: An Asian Perspective*. ISBN 9781894975612.
2. C. Villi. (2003) Study on Knowledge, Attitude, Perception & Expectations (KAPE) of Women Learners of Open University. *IJOL*. No.12 (1), pp. 95-100. ISSN0971-2690.
3. Dikshit, Jyotsa, Gupta, Ashok, Bhusan, Shashi, Garg, Suresh, and Panda, Santosh. (2003). Learning attitude motivation, preferences of online learners. *IJOL*. 123, pp. 149-167. ISSN 0971-2690
4. Gogoi, Manashee, and Hazarika, Mukut. (2009) Awareness and Attitude of the College Students towards Open and Distance Learning. *Journal of all India Association for Educational Research*. 21 (2) December, pp. 61-65. ISSN-0970-9827.
5. Perris, Kirk, Zhang, Weiyuan, and Poon, Teresa. (2001) An Investigation of Distance Learners Preference for and Barriers to Online Learning in Hong Kong. *IJOL*. Vol. 2 pp. 139-149. ISSN 0971-2690.
6. Murthy, CRK. (2004) Programmes for Professional Development in Distance Education: Perception and View of International Students. *IJOL*. Vol. 13, March, pp. 283-291, ISSN 0971-2690.
7. Ojo David Olugbenga, and Olakulehin, Felix Kayode. (2006) Attitudes and Perceptions of Students to Open and Distance Learning in Nigeria. *The International Review of Research in Open and Distance Learning*. 7(1). ISSN: 1492-3831.
8. Tripathi, Pusplata, Bharat and Fozdar, Inder. (2007) Learner Perceptions of Continuous Assessment in the Bachelor Degree Programme (BDP) of IGNOU. *Indian Journal of Open Learning*. May, pp.113-128. ISSN: 0971-2690.
9. Panda, Santosh, and Mishra, Sanjaya. (2007) E-Learning in a Mega Open University: Faculty Attitude, Barriers and Motivators. *Educational Media International*. 44(4), pp.323-338.
10. IGNOU. *Common prospectus*. IGNOU, New Delhi.

Peer Acceptance of Children with Special Educational Needs

Waseem Zahra
Senior Research Scholar
Department of Education, University of Lucknow, Lucknow (U.P.)

Abstract

Children with special educational needs are usually less accepted, more rejected and more likely to be victims of bullying in comparison to their normally developing classmates. However, they are sometimes treated more favourably than classmates, more like friends than acquaintances. A child with special needs appears to shows emotional problems due to adjustment difficulties resulting from cognitive and conative problems. Sometimes kids face problems in expressing their feelings, controlling their emotions, and reading non-verbal cues, which can lead to difficulty in the classroom and with their peers. Students with undiscovered learning disabilities might exhibit undesirable behaviour for a variety of reasons. They might feel angry, sad, lonely, frustrated, or hopeless as a result of focusing on their disabilities. To understand the difficulties of students with special needs experience in their social participation in general classroom, this study examined factors causing problems in class adjustment of Children with special needs and role of teachers and parents in peer acceptance of such children.

Keywords: *Peer acceptance, special educational needs, interaction, inclusion*

Introduction

For a long time, it was believed that special school were best to educate students with special needs because of their specific knowledge and expertise[1] (Meijer, Pijl, & Hegarty, 1997). But recently, the inclusion of students with disabilities in general schools has become enshrined in education policy and practice. The declaration of the Salamanca Statement (UNESCO, 1994) and the UN Convention on the Rights of Persons with a Disability (CRPD, United Nations, 2006) both form an important basis for the start of inclusion policies across the world. The Salamanca Statement, Dakar Framework for Action and CRPD are based on several aspects which underline the importance of education for all, right to education, accessibility to general education for students with disabilities, and the acceptance of students with disabilities in general education and society.

Special Educational Needs (SEN)

A child has special educational needs (SEN) if he has learning disabilities that make it difficult for him to learn than most other children of about the same age. Special educational needs could mean that a child or young has:

- Learning difficulties - in acquiring basic skills in early years.
- Social, emotional or mental health difficulties - making friends or relating to adults or behaving properly in an early years setting, school or college
- Specific learning difficulties - with reading, writing, number work or understanding information
- Sensory or motor needs - such as hearing impairment, visual impairment or physical disabilities which might affect them in early years.
- Communication problems - in expressing their feelings or understanding what others are saying.

- A medical or health condition - which may slow down a child's progress or involves treatment that affects his education.

In India a learner with special educational needs (SEN) is defined variously in different documents. For example, a child with SEN in a District Primary Education Programme (DPEP) document is defined as a child with disability, namely, visual, hearing, locomotors, and intellectual (DPEP, 2001)[2]. A child with special needs appears to exhibit emotional problems due to adjustment difficulties resulting from academic failure. Lack of social skills found to exist at significantly high rates among children with learning disabilities. In general, social skill deficits include difficulties in interacting with people in an appropriate manner. E.g. lack of knowledge of how to greet people, how to make friends, and how to engage in playground games or a failure to use knowledge of such skills in these situations.

The development of social relationships with peers is one of the major aims of the early education. For children with disabilities (e.g. developmental delay, autism, mental retardation, emotional/behavioural disorder), acquiring the skills and knowledge necessary for interacting positively and successfully with peers is a challenge.

Peer Acceptance

Peer acceptance is the degree to which a child or adolescent is socially accepted by peers. It includes the level of peer popularity and the ease with which a child or adolescent can initiate and maintain satisfactory peer relationships[3].

Categories of Peer Acceptance

There are four categories of Peer Acceptance, which are as follows[4]:

• ***Popular Children:*** They are liked by most children and they do well academically and socially: -*Popular, prosocial- They* do well academically and socially, -*Popular, antisocial*- They have poor per-formance academically, typically athletic, often refuse adult authority.

• ***Rejected Children:*** They are disliked by most children. They tend to have low self-esteem: -*Rejected, aggressive*- They have aggressive behaviour, hyperactive and inattentive. -*Rejected, withdrawn*- passive socially awkward

• ***Controversial Children:*** They are liked by some and disliked by others. Typically prosocial, but friendships fluctuate based on behaviour.

• ***Rejected Children:*** They are neither really liked nor disliked by peers and tend to feel 'invisible'. They have social skills but do not necessarily interact and typically do well academically and emotionally.

Peer acceptance and healthy relationships with friends are important for children's social and emotional development. Peer acceptance and friendship provide a wide range of learning and development opportunities for children. These include companionship, recreation, building social skills, participating in group problem solving, and managing competition and conflict. They also allow for self-exploration, emotional growth, and moral and ethical development. Parents, teachers, and other adults are a good source of social support for children, but it is among other children that kids learn how to interact with each other.

Factors influencing peer acceptance

When examining peer acceptance among children, researchers usually look at two areas that are related to a child's psychological and social development. The first area is the child's social standing in the peer group as a whole and it is indicated by the child's level of social acceptance by other members in the group, usually classmates. The second area is the child's individual friendships, characterized by both the quantity and quality of these friendships. Although genes may be a factor in a child's social competence and level of peer acceptance, environmental factors are also extremely important. Some of the factors contributing to peer acceptance include:

- The quality of attachment between mother and child during infancy.
- During childhood, the quantity and quality of opportunities for interaction with different types of peers in different environments, such as in the family, at school, in play ground, in cultural activities, or in the neighbourhood.
- Parenting style like a highly nurturing but moderately controlling authoritative parenting style is associated with the

highest levels of social competence. By contrast, a low nurturing, highly controlling authoritarian parenting style is associated with children's aggressiveness, while the high nurturing but low-controlling permissive style is associated with failure to take responsibility for behaviour.)

- Regarding having friends, the academic benefits show up very early in a child's school career. Research suggests that those who start kindergarten from preschool with a friend in their class make a better adjustment to school than those who do not start with a friend. Furthermore, children who maintain their friendships as the school year progresses and children who make new friends make greater gains in school performance.
- Researches propose that the development of peer-related social competence should be a primary goal of early schooling and early childhood programs. For many young children with disabilities, practitioners need to develop individualized educational plans that include social competence goals.

Adjustment Difficulties in Children with special needs

Researches during the past two decades have demonstrated that children with Learning Disabilities (LD) face many psychosocial challenges and experience emotional and behavioural problems[5] (Sorensen et al., 2003). When young children with disabilities are placed in inclusive settings, teachers and parents report that many children do develop friendships with their typically developing peers. Yet, for those children with disabilities who are socially rejected by their peers, such friendships rarely develop. Kemp and Carter (2002) provided some insight into why students with LD may be experiencing lowered peer status and increased rates of loneliness and depression; they stated that isolation that students with LD experience may be due to some problematic development in their social skills. Thus, students with LD may be experiencing these social and emotional consequences because of their inability to socialize adequately[6] Peer social relations are based on children's competent participation in social interactions. Such peer-related social competence is often defined as children engaging in behaviours that meet the social goals of the child and that are appropriate for the social context. As a group, children with disabilities consistently perform less well socially than do typically developing peers. A consistent finding in the literature is that children with disabilities, when compared to typically developing children of similar ages, interact with peers less often and are less well accepted. Children with special needs experience a decline in approval by peers and a decline in peer status [7](Bakker, Denessen, Bosman, Krijger, & Bouts, 2007; Estell, et al., 2008; Reschly & Christenson, 2006). In one study, students with LD suffered from low peer status and were generally less accepted by their peers without LD (Wiener, 2004). Children learn to relate to peers by engaging in peer relationships. Some children have problems making friends or "fitting in." Sometimes such circumstances develop where a rejected child is given less opportunities by his peers to relate and thereby learn new skills. Lack of opportunity to participate normally in peer interaction is especially a problem for children who differ in some obvious way, either culturally, racially, or through some mental or physical disability. Parents and teachers should address issues of peer acceptance as early as possible in order to prevent loss of self-confidence and self-esteem.

Peer rejection in childhood often results in serious emotional crisis. Rejected children are frequently discontent with themselves and with their relationships with other children. Many of these children experience strong feelings of isolation and social rejection. Rejected children also report lower self-esteem and may be more depressed than other children. Peer rejection is also indicative of later life problems, such as dropping out of school, juvenile delinquency, and mental health problems. Dropping out of school seems to be a particularly frequent outcome. This is a striking situation: inclusion is promoted because it is assumed to be positive for students with special needs, but we know that for some of these students inclusion might result in negative outcomes (e.g., loneliness, rejection). It is of course unacceptable to just notice that students with special needs have a greater chance of being socially excluded than their typically developing peers, and do nothing about it. For this reason,

measures to change this situation should be taken. Teachers and parents play important role in social participation of students with special needs.

Role of a Teacher in developing peer supporting school climate

In addition to providing direct social skills training or counselling for the child with peer acceptance problems, teachers can create opportunities for non-threatening social interaction to occur. Though children should never be forced to play together since this can create the rejection, they can be encouraged to interact with one another. For example, a less sociable child may be encouraged to answer and ask questions to others. Older children should be provided opportunities to interact in smaller groups and in one-on-one situations, where it may be easier to try out new behaviours and make up for social mistakes. Shy or withdrawn children can be encouraged to develop outside interests that will place them in structured contact with others. In school, peer helping programs and collaborative learning provide opportunities for popular and less-popular children to work together. Ideally, collaboration should highlight the less-popular students' strengths, such as special interests and talents, rather than weaknesses. At any age, the small, positive changes in behaviour should be reinforced with attention and praise. Teachers can use Peer support strategy that involves placing students in pairs or in small groups to participate in learning activities that support academic instruction and social skills. This instructional approach does not require additional staff or extra funding. It is a research-based methodology that yields positive results related to student achievement and a sense of "belonging" over the course of time. Peer supports provide teachers with a learning tool to enhance instruction for students with and without disabilities[8].

The following are ways that peer supports can be used to meet the instructional and social needs of students with disabilities in the general education setting.

Create a positive climate for Inclusion: Provide opportunities for students to participate in non-competitively co curricular activities. Avoid unnecessary competition among students.

Conduct class meetings: The class meetings are designed to help the student in understanding perspectives of others. They are especially effective for resolving conflicts between students based on cultural and social differences.

Value clarification: Value clarification activities are part of the curriculum. It allows the students to examine their attitudes, interests, and feelings and learn how these values affect their behaviour.

Utilize peer mediation: Members of a student peer group can positively impact the behaviour of the students with special needs. Several schools have organized peer mediation programmes where students receive training in order to manage disputes involving the classmates.

Peer modelling*:* It provides the classroom teacher opportunities to use peers to assist with instruction, clarifying directions and give social reminders. It is an excellent way for peers to provide appropriate behavioural models of students who need to improve their social skills.

Support of parents in developing healthy peer relationship of children with special needs

Parents can help special children in developing healthy friendships. Some children with special needs make friends very easily while others may need an adult›s help in connecting with peers in their surroundings. One easy way to start encouraging peer interaction is to observe children who show an interest in each other or in similar activities. If a child with a special need exhibits interested in a peer, or another child is making attempts to connect with the child who has a special need, you can encourage and strengthen their budding friendship using the suggestions below.

- Allow children time alone together, both in the playground and at home.
- Organize the play area. Small, cozy spaces, such as a reading corner, encourage closeness. Toys, materials, and playground equipment that require two children promote working together and communication.
- Have multiples of some toys. Providing children with multiple versions of similar toys and materials encourages friends to perform the same action at the same time.
- Encourage playfulness. Within reason, allow noisy, silly, and active play among children. Some children with special needs have been relatively isolated and have never had the

opportunity to experience the closeness created by shared laughter.

- Set up play situations. Assign children who have shown an interest in each other or in similar activities to a small group. Set up an interesting activity for both children, and encourage them to engage in it.
- Reinforce positive behaviour. Encourage all children who are playing well together.
- Be an appropriate role model. Join the children in their play at. You might step in and play a supporting role in order to keep the interaction going, or explain a child's actions that the friend might not understand.
- Give the child with a special need a leadership role. Encourage that child to make decisions, lead a part of an activity, or distribute popular materials. Peers may be more likely to see that child as an interesting playmate if the child has a leadership role.
- Never force friendships between children of any age or ability. Do not insist that children who are not interested play together, or force children to continue at an activity if they are no longer engaged. Forcing friendships may actually create negative feelings instead of positive interactions.

Inclusive schools benefit all children. Friendship among normally developing children and children with special needs is not only possible but beneficial. With support and encouragement from adults, young children with and without disabilities can form connections that not only provide enjoyment but help promote their growth and development in multiple domains.

Conclusion

Peers play important roles in children's lives at very earlier stages in development than we might have imagined. Children who are comfortable with peers at an early age, and those who show prosocial behaviour, are having more chances to be accepted by their peers. Aggressive children are often rejected by their peers. The children who experience peer rejection at early developmental stage are at high risk of behavioural and emotional problems. Inversely, early friendships and positive relations with peer groups appear to protect children against later psychological problems. It is clear that healthy peer relationship is as important for children with disabilities as for normal children. Research suggests that the use of positive social skills with peers can results in development of healthy peer relationships, acceptance, and friendships. While many children develop these positive social skills naturally, some children do not. By teaching children appropriate social skills, providing them with willing and accepting peers with disabilities to use the skills with, and creating opportunities for children to practice these skills, we can improve all children's social behaviours, potentially for a lifetime.

References

1. Meijer, C. J. W., Pijl, S. J., and Hegarty, S. (1997) Introduction. In S. J. Pijl, C. J. W. Meijer, & S. Hegarty. (eds.). *Inclusive education: A global agenda*. London: Routledge.
2. DPEP (2001). *Towards Inclusive School in DPEP*. NOIDA: Ed.CIL.
3. Peer acceptance. (2016) Available from www.healthofchildren.com/P/Peer-Acceptance.html. [Accessed: 20th August 2016].
4. Developing confidence in youth athletes. (2016) Available from www.developing-confidence.weebly.com/4-categories-of-peer-acceptance.html. [Accessed: 3rd September, 2016].
5. Sorensen, L. G., Forbes, P. W., Bernstein, J. H., Weiler, M. D., Mitchell, W. M., and Waber, D. P. (2003) Psychological Adjustment over Two Year Period in Children Referred for Learning Problem: Risk, Resilience and Adaptation. *Learning Disabilities Research & Practice.* 18, pp.10-24.
6. Kemp, C., and Carter, M. (2002) The Social Skills and Social Status of Mainstreamed Students with Intellectual Disabilities. *Educational Psychology*. 22, pp. 391- 411.
7. Bakker, J. T. A., Denessen, E., Bosman, A. M. T., Krijger, E., and Bouts, L. (2007) Sociometric Status and Self-image of Children with Specific and General Learning Disabilities in Dutch General and Special Education Classes. *Learning Disability Quarterly*. 30, pp. 47- 62.
8. Peers supporting an inclusive school climate. (2016) Available from www.inclusiveschools.org/peers-supporting-an-inclusive-school-climate/. [Accessed: 11th August, 2016].

Hydrogeochemical Analysis and Evaluation of Ground Water Quality in Industrial Area of Jaipur Region

Robin Sarkar

Deptt. of Chemistry, S.G.V. University, Jaipur (Raj.)

Dr. M.K. Gupta

Deptt. of Chemistry, L.B.S. College, Jaipur (Raj.)

Dr. Pradeep Parashar

Deptt. of Chemistry, Govt. College, Jhalawar (Raj.)

Abstract

Ground water is a major source of drinking water in all urban and rural of India. Requirement of water has been rising in the urban agglomerates due to population explosion and growth in commercial activities along with social needs and comfort resulting in crumbling of existing systems of water supply and sanitation. In Jaipur urban agglomerate, surface water sources like Ramgarh Lake are generally empty and groundwater contributes over 95% of urban water supply. Present aerial dimension of the urban area lies between north latitudes 27° 18' and east Longitude: 95° 24' located almost in the centre of the district and cover an area about 470 km2 . The Jaipur urban area occupies in part of Sanganer ((45.5 %), Jhothwara (42.5 %) and Amer (12%) blocks of Jaipur district. With the increase in rate of urbanization, population of the city has also increased many folds i.e. about 16 times during the period 1931 – 2006. Old walled city area is the most populated part has mainly contributed high salinity and nitrate pollution in groundwater. Geomorphologically, the urban agglomerate is occupied by landforms including sandy-plains, hills and intermountain valley, pediments etc. Streamlet origination from Nahargarh namely Amanisha Nalla flows southerly up to Sanganer area where it take easterly flow direction. Surface water in extreme western part of the urban area flow in westerly direction and discharges through river. Quality of water for public health depends to a greater extent on the quality of drinking water be systematically collected. In general, ground water is clean and fresh. Due to industrial and agricultural activities the surface and ground water are subjected to frequent pollution. Geochemical studies of the under ground water in urban and rural areas in Jaipur of Rajasthan has been taken up to evaluate its suitability for domestic purpose. Ten ground water samples were collected from different places of Jaipur. The analysis were carried out for the parameters such as temperature, pH, dissolve oxygen, BOD, COD, total hardness, sodium, potassium, calcium, magnesium, chloride, fluoride, TS and TDS. The observation gives indication that fluoride and nitrate levels are unacceptable in drinking water sample.

Keywords: *Groundwater Quality, Hydro Geochemistry, Trace Metals, Health Infections*

Introduction

Jaipur city capital of Rajasthan and it is one of fastest growing cities in country & undergoing rapid industrialization. Jaipur city is also popular known as Pink City and is situated towards central part of the district. Jaipur is very much on the world tourist map, known for jams & jewellery and is also popular for Sanganer & Bagru prints. Water is vital for life, well-being, food security and socio-economic development of mankind. The quality of ground water depends on a large number of individual hydrological, physical, chemical and biological factors. Generally higher proportions of dissolved constituents are found

in ground water than in surface water because of greater interaction of ground water with various materials in geologic strata. The water used for drinking purpose should be free from any toxic elements, living and nonliving organism and excessive amount of minerals that may be hazardous to health. Some of the heavy metals are extremely essential to humans, for example, cobalt, copper etc. but large quantities of them may cause physiological disorders.

Water quality index is most effective tools that provide the composite influence of individual water quality parameter on the overall quality of water. In many developing countries, availability of water has become a critical and urgent problem and it is a matter of great concern to families and communities depending on non-public water supply system.(Okonko et al., 2008). Increase threat of pollution from urbanization, industrial development, agriculture and mining activities (Oluseyi et al, 2011). Major causes of aquatic pollution include the discharge of sewage, industrial and agricultural waste, organic and inorganic, mining, cement production, fertilizer and pesticides washed off the land by rain, spills of oil, radioactivity, atmospheric fall-out, acid and irrigation (Nwanjei et al., 2012). Damaging effects of dust fall is characterized by enriched toxic heavy metals such as Arsenic (As), Lead (Pb), Nickel (Ni), Chromium (Cr), Copper Cu, Zinc (Zn), Maganese (Mn) and Cadmium (Cd). (Adejumo et al., 1994; Schuhmacher et al., 2002). Wells are the main source of franking water and other domestic chores for inhabitants of the area surrounding the factory[1]. Analysis of water for physical, biological and chemical properties including trace element contents are very important for public health (Chinedu et al, 2011). Heavy metals is capable of changing salt content of water leading to serious disruption of aquatic communities and also decrease quality of water used for drinking. Human body is very sensitive to fluoride & it is essential for growth of teeth & bones (upto 1 ppm.). Water used for drinking purpose should be free any toxic elements living and nonliving organism and excessive amount of minerals that may be hazardous to health. Few of the heavy metals are extremely essential to the humans, like copper, cobalt etc., but large quantities of them may cause physiological disorder[2]. Recently heavy metals & pesticides is greater effect to their toxicity so they appears is a prime target in environmental research today. Population of Jaipur city is 3,548,512 and literacy rate in the city was 75.51% and the participation of the male was found to be 86.05% and female was 64.02%. Sex ratio is 909 females for every 1000 males. According to PHED, Jaipur the daily drinking water supply of Jaipur city is 330 mld, out of which 290 mld is used for domestic & remaining 40 mld is for industrial and non-domestic purposes. Actual demand is 150 lpcd and actual per capita supply is 149 lpcd. 98.2% of the supply is through ground sources and 1.8% through surface sources, 64.5% population is covered by sewerage system. The total number of hand pumps existing in city is 1777, out of which 1736 are operational. There are 48 overhead tanks of 40 mld capacity.

Material and Method

Water sample collected from different hand-pumps, tube-wells, tanks, ponds and house taps and from various sources at covering extensively populated area, commercial, industrial agricultural and residential colonies various depths according to the standard method of collecting sample at international level i.e. APHA procedure. Ten sampling points from the industrial area of Jaipur were analyzed during pre as well as post monsoon season. Water sample collected in good quality polyethylene which cleaned, dried and sterilized with bottles which 2.5 liter capacity. Sample was carried out without adding any preservative in rinsed bottles directly for avoiding any contamination and brought directly to the laboratory[3]. All water sample properly labeled as A,B,C,D,E,…. and record was prepared indicating the source of the sample, location, source and data of collection.

The sample collected were analyzed for major cations like Calcium (Ca^{2+}) and Magnesium (Mg^{2+}) by Titrimetry, Sodium (Na^{+}) and Potassium (K^{+}) by Flame photometer ;(ELICO-CL-220) (APHA[2]et al,

1985), anion Chloride (Cl^-), Carbonate ($CO3^{2-}$) and Bicarbonate ($HCO3^-$) by Trimetric, Sulphate ($SO4^{2-}$), PO4 and H_2SiO_4 by Spectrophotometer. Trace metal Fe, Pb, Ni, Br, I and Al. Fe was analyzed in Atomic Adsorption Spectrophotometer. Different physical parameter – pH, HC & TDS determined at the site with the help of digital portable water analyzer kit. The total hardness (TH) in ppm was determined by following Richard equation:

$$TH = 2.497\ Ca^{2+} + 4.115\ Mg^{2+}$$

All respective value result are compared with standard limit recommended by the Bureau of Indian Standard (BSI), Indian Council Of Medical Research (ICMR) and WHO[4].

Result and Discussion

All sample analyzed and compare the standard drinking water quality .

S. No.	Para-meters	WHO: 2003	BIS: 1999	ICMR: 1975
01.	TDS	600	2000	500
02.	pH	6.5-9.5	6.5-8.5	7.0-8.5
03.	Na^+	-	-	-
04.	K^+	-	-	-
05.	Ca^{2+}	100	200	200
06.	Mg^{2+}	150	100	200
07.	Cl^-	250	1000	200
08.	CO_3^-	-	-	-
09.	HCO_3^-	-	-	-
10.	SO_4^{2-}	250	400	200
11.	NO_3^-	50	100	50
12.	TH	500	600	600

Total Dissolved Solid (TDS)—Total dissolved solid in an important parameter for drinking water and water to be used for other purpose. Maximum permissible limit of TDS is 500 mg/L (ICMR). It is represented by the weight of residue left when a water sample has been evaporate to dryness. Beyond the prescribed limit, it imparts a peculiar taste to water and reduce its portability. TDS value varied from 239.60 to 1435 mg/L.

pH—All biological & chemical reaction are directly dependent upon the pH of water system. Lower pH value may cause tuberculation and corrosion while higher may cause incrustation, sediment deposit and difficulties in chlorination for disinfection of water pH value varied from 7.40 to 8.03.[5]

Sodium (Na^+)—High sodium value is not suitable for irrigation purpose due to sodium sensitivity of crops and plant. Its value varies from 20.67 to 200 mg/L.

Potassium (K^+)—It is an essential element for humans, plants and animals and derived chain mainly from vegetation and soil. The main water weathering of potash silicate minerals, use of potash fertilizers and use of surface water for irrigation. It is more abundant in sedimentary rocks and commonly present in feldspar, mica and other clay minerals. BIS has not included potassium in drinking water standard but Europeans Economic Community (EEC, 1980) has prescribed guideline for level of potassium in 10 mg/L in drinking water. Higher value content in ground water indicates of ground water pollution.

Calcium (Ca^{2+})—Desirable limit of calcium for drinking water is 100 mg/L (WHO), 200 mg/L (BIS:1999) AND 200 mg/L (ICMR:1975). Ground water of metropolitan city, the value of calcium range from 21 to 222 mg/L in pre-monsoon & 19 to 222 mg/L in post-monsoon season.

Magnesium (Mg^{2+})—Desirable limit of Magnesium for drinking water are 200 mg/L (BIS:1999). In ground water of Jaipur the value varies from 2.9 to 133 mg/L in pre while 8 to 117 mg/L in post-monsoon.

Chloride (Cl^-)—It is anions and trouble for irrigation water. Chloride contents water largely influenced by evaporation and precipitation. It is recommended that chloride content should not exceed 250 mg/L. Chloride value varies from 32.49 to 624.81 mg/L.[6-7]

Carbonate (CO_3^{2-}) and Bicarbonate (HCO_3^-)— Presence of carbonates and bicarbonates are the main cause of alkalinity in nature water. Bicarbonate represent the major form since they are formed in considerable amount from the

action of carbonates upon the basic materials in the soil. Carbonate value varies from 6-42 mg/L & Bicarbonate value varies from 6.10 to 503.25 mg/L.

Fluoride—It is important in human nutrition for development of bones. High concentration of fluoride in ground water may develop molting of teeth, skeletal flurosis, deformation in knee joint. Fluoride salts are commonly used in steel, aluminium, bricks and tiles industries. Fluoride value varied from 0.6 to 1.4 mg/L .[8]

Sulphate (SO_4^{2-})—Sulphate ion is one of the major anions occurring in natural water. Higher value of Sulphate may cause intestinal disorder. Sulphate in most of the samples was found to be lower than highest desirable level i.e. 200 mg/L. Sulphate value varied from 8.55 to 112.5 mg/L.

Nitrate (NO_3^-)—High concentration of nitrate in water, infants, less than six month old, are suffering from " methamoglobinemia" or "BLU BABY" disease. It is effecting plant nutrient and moderately toxic. Repeated heavy doses of nitrates on ingestion may also cause carcinogenic disease.[9] Nitrate value varied from 40 to 360 mg/L & maximum permissible limit is 50 mg/L (ICMR).

Alkalinity—Desirable limit for total alkalinity is 200 mg/L (ICMR). Value of water sample varies from 160 to 300 mg/L. In ground water, most of the alkalinity is due to carbonate and bicarbonates.

Total Hardness (TH)—Hardness is an important factor for determine the usability of water for domestic, drinking and may industrial supplies. TH value of water sample varies from 150 to 260 mg/L. The desirable limit for total hardness is 300 mg/L(ICMR). The hardness of water is due to the presence of alkaline earth such as calcium and magnesium. Higher value of hardness responsible for incrustation and scaling in pipelines.

Electrical Conductivity (EC)—EC of ground water is varies from 345 to 2550 microsiemens/cm (WHO, 2003).

Water Quality Evaluation for Irrigation Purpose

Quality of water is an important consideration in any appraisal of salinity or alkali conditions in an irrigated area. Good quality water has the potential to cause maximum yield under good soil and water management. Determine suitability of ground water for irrigation purpose as follows:

- Salinity
- Proportion of Sodium to other Cations (SAR)
- Residual Sodium Carbonate (RSC)
- Boron

Salinity—Ground water with highly salinity has limitations in its use for irrigation purpose. Salinity is highly related to total dissolved solid (TDS) and electrical conductivity (EC). High concentration of TDS and EC in irrigation water may increase the soil salinity, which affect the salt intake of the plant. Salt present in the water, affecting the growth of the plant directly, also affect the soil structure permeability and aeration, which indirectly affect the plant growth. Soil water passes into the plant through the root zone due to osmotic pressure. Dissolved solid content of the soil water in the root zone increase, it is difficult for the plant to overcome the osmotic pressure and plant root membrane are able to assimilate water and nutrients. Dissolved solid contents of the residual water in the root zone also has to be maintained within limits by proper leaching.[10-11]

Proportion of Sodium to other Cations (SAR)—High concentration in water to formation of saline soil and high sodium to development of an alkali soil. Sodium or alkali hazard in the use of water for irrigation is determined by the absolute and relative concentration of cations and is expressed in terms " Sodium Absorption Ratio " (SAR) . It is the proportion of sodium is high , the alkali hazard is high and conversely, if calcium and magnesium predominate, the hazard is less. There is a significant relationship between SAR value of irrigation water and the extent to which sodium is absorbed by the soil. If water used for irrigation is high in sodium and

low in calcium, the cations exchange complex may become saturated with sodium. This can destroy the soil structure. Method of evaluating the danger of high sodium water is the sodium adsorption ratio, SAR (Rishards, 1954):

$$SAR = \frac{Na^{+}}{\sqrt{\left(Ca^{2+} + Mg^{2+}\right)2}}$$

Sodium percentage is calculated as

$$Na\% = \frac{Na^{+} + K^{+}}{Ca^{2+} + Mg^{2+} + Na^{+} + K^{+}} \times 100$$

Lower SAR (2 to 10) indicate little danger from sodium; medium between 7 and 18, high between 11 and 26. Value of SAR in the ground water ranged from 0.44 during pre-monsoon and 0.42 to 3.17 during post-monsoon.

Residual Sodium Carbonate—Ground water containing high concentration of carbonate and bicarbonate ions tends to precipitate calcium and magnesium as carbonate. As the result, the relative proportion of sodium increases and gets fixed in the soil there by decreasing the soil permeability. Quality of bicarbonate and carbonate in excess of alkaline earth also influence the suitability of water for irrigation purpose. Excess is denoted by Residual Sodium Carbonate (RSC) and it determined as :-

$$RSC = (HCO_3^{-} + CO_3^{2-}) - (Ca^{2+} + Mg^{2+})$$

RSC exceeds 2.5 ppm, the water is generally unsuitable for irrigation and cause the soil structure to deteriote. If value less then 1.25 ppm indicate that the water is safe for irrigation.[12]

Boron—It is essential to the normal growth of all plants when concentration is very small and when exceed may cause injury. Boron is essential nutrient for plant growth, generally it becomes toxic beyond 2 mg/L in irrigation water. It does not affect the physical and chemical properties of the soil but high concentration affects the metabolic activity of the plant.[13]

Conclusion

The general taste of ground water is good and layman cannot determine the possible hazards of water quality. Rural and Urban area of Jaipur are growing very fast due to fast and rapid urbanization. Ground water bodies are being polluted by industrial effluents and municipal waste disposal. Ground water supply has registered high value of nitrate in the area where sewage system is not provided for last 20 – 30 years. Solid wastes from urban area are disposed off in scientifically located and designed site and structure for recycling and reuse. Liquid waste from the cloth printing and dying industry in Sanganer has to an increase in fluoride content in ground water. Bacteriological analysis of the sample indicates some of bacterial contamination. Inadequate maintenance of hand pump, improper sanitation and unhygienic conditions. Industries may adopt cleaner methods of production so as to minimize their waste generation and material energy waste.[14-15] Education and involvement of people in its management development, conservation, protection and augmentation projects will be prime request to protect resources against quality degradation and guarantee quality assurances. In irrigation sector sprinkler and drip system of irrigation should be promoted and made mandatory in phased manner, wherever feasible. Low water requirement crop needs to be promoted at suitable and markets should be developed accordingly. In domestic waste water for gardening, recharge and promotion economic use of water in bathing, cleaning, cooking, leakage from domestic taps, pipelines for water supply to urban areas be checked. In Industrial sector, treatment of industrial effluents so as to check pollution of fresh ground resources. Pesticide analysis indicate the presence of some chlorinated at certain location but their content was well within the permissible limits for drinking water at most of the location. The suitablity of ground water for irrigation purpose has been evaluated based on Salinity, Sodium Adsorption Ratio (SAR), Residual Sodium Carbonate (RSC) and boron content.

Sewerage disposal system should be developed in proper way. Effective solid waste disposal

mechanism needs to be properly developed. This can utilized for manufacturing biogas. Use of nitrate fertilizer for gardening should be banned. Promoting de-fluoridation devices like activated alumina in the affected areas. All the ground water abstraction structure for drinking including hand pumps with high nitrate and fluoride concentration should be marked by red paint so as avoid their utility by the common people for drinking purposes. Organizing Mass Awareness Programmes, electronic and press media have provide a meaningful ways and means to educate the masses for water conservation at grass root level. Central Ground Water Board, Jaipur has organized such programs at many places in Jaipur. Also awareness campaigning has for schools, colleges. Message of water conservation was also broadcast & telecast on Akashwani, Door Darshan.

References

1. Yisa, J. and Jimoh, T. (2010) Analytical Studies on Water Quality Index of River Landzu, Amer. *Journal of Applied Science.* 7, pp.453-458.
2. Sharma, S.K., Singh, V., and Chandel, C.P.S. (2004) Ground Water Pollution problem and Evaluation of Phyico-Chemical Properties of Ground Water. *Environment and Ecology*, 22(2), pp. 319-324.
3. APHA Standard Method for Examination of Water and Waste Water. (20^{th} ed) (1998) Washington. p.145.
4. BIS. (1993) *Drinking Water Standards* IS: 10500.
5. A. Sreenivason. (1967) FAO. *Fish Rep.* 44(3), p.101.
6. K. Vijayram, S.R. Vyasngi, S. Chitra and U. Asha. (1990) Poll. *Resp.* 9, p. 133.
7. H. Rai. (1979) *Archiv Fish Hydrobiol*. 75, p. 369.
8. ICMR. (1975) *Manual of Standards of Drinking Water Supply*. ICMR, New Delhi, 2^{nd} Special Report Serial No. 44.
9. Singh. V., and Chandel, C.P.S. (2003) Study of Nitrate Concentration of Industrial Waste Water and Ground Water. *Journal of the Indian Water Works Association*. 35(3), pp. 228-229.
10. Richard, L.A. (1954) Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils. *Agricultural handbook.* 60, p.160. Washington, DC: USDA.
11. U.S. Salinity Laboratory Staff. (1954) Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soil. *Handbook* 60. Washington, D.C: U. S. Department of Agriculture.
12. Singh, V., and Chandel, C.P.S. (2006) Analysis of Waste Water of Jaipur City for Agricultural Use. *Research Journal of Chemistry and Environment.* 10(1), pp. 30-33.
13. Eaton, F.M. (1950) Significance of Carbonates in Irrigation Water. *Soil Science*. 69, pp. 123-133.
14. Sharma, D.K., Jangir, J.P., Chandel, C.P.S., and Gupta, C.M. (1990) Studies in Quality of Water in and around Jaipur: Fluoride Levels of Drinking Water from Various Sources in Village around Jaipur. *Journal of the Indian Water Works Association*. 22(1), pp. 121-122.
15. Jangir, J.P., Sharma, A., Sengar, M.P.S., and Gupta, C.M. (1990) Studies in Quality of Water in and around Jaipur part-IV. *Indian Journal of Environmental Protection.* 10(7), pp. 515-17.

Role of Training in Development

Harshlika Khangarot

Research Scholar

Department of Political Science, University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Abstract

Training is required for any good developmental process which needs skills and expertise in the area. Training is needed for better performances in the work profile. It not only boosts the present performances but also prepares for future challenges of the job. The concept of training has acquired much more relevance in last 25 years and thus needs regular brush ups in training needs. The effects of training can be evaluated on the basis of Kirkpatrick model which has four level frameworks. There is need to evaluate the objectives for which training is imparted after the training is over. New age methods are required for the implementation of better training programmers for developing leadership qualities in trainees. The methods and techniques used for imparting training play a crucial role in long run development. Not only there is a need of efficient training programmes but also there is a need of good evaluation of the training regimes. It is essential to study that whether the task done has achieved its objective. It is only then we can assure development for organization and administrative set up. The methodology used for the research work is primarily based on secondary source viz., books, reports, journals, etc. Also, for primary source , the research scholar has personally attended few training programmes for observation. In a conclusion to the research done , it can be said that if conceived wisely in a scientific manner , it can provide for more professional and ethical standards which in turn will prove beneficial for the development

Keywords: *Training, Development, Objectives , Techniques*

Introduction

'Training', as the name suggests is something which gives an individual or group or organization a desired skilled proficiency required for accomplishment of the tasks assigned in a better manner of deliverance. Training is essential whether it is in private sector or public sector. Training helps in promoting, maintaining or enhancing the effectiveness in present working conditions and also prepares for future challenges of the job profile. It prepares for higher or bigger responsibilities and roles by an individual or organization. Also, the scope and role of training is increasing on country level and internationally. It is being observed that new developments in administration necessitate a well planned attention to the problem of training.

Training is needed to make bridge between old skills and new technologies. It is kind of hand shaking of traditionalism with modernity because it is not that all old things become irrelevant with modern times or all modern techniques are perfect, it is just , that, there is a need of proper inter mingling. With the coming in of the concept of welfare state and growing vigilance of the masses, a need arises in private as well as public sector to satisfy stake holders at higher level. The training or Human Resource Development is much more advanced and complicated than it was 30 years back. Many reasons are responsible

for it like globalization, more competition, advancements in technology, more aware masses, etc. The people who pay taxes or money for any service want a good satisfaction level in return, also, to compete with other states, it is mandatory to equip with best possible resources available. And the level of improvement which is possible in Human Resource is far ahead of other aspects of development. India, being the youngest country of the world, i.e., having highest numbers of youth in the world, falling under the age group of 15 to 35 provides ample opportunities of Human Resource Development which we can utilize till 2030 A.D. Therefore, a great need is there to have better skill development trainings in various spheres of administration. Also, not only the trainees need training but the trainers who impart training have to be well acquainted with latest knowledge of the field and skills required. This is important because it is not only an individual or group which is affected by a particular training effects but a larger section of society reaching to national and international levels. The role of training in administration largely depends on the techniques and methods followed for imparting it. Not all techniques are applicable to all levels and variety of fields. But a successful blend can be made of the training techniques for achieving the desired goal. And lastly, the most important aspect of training is evaluation of effectiveness of the training. Continuing qualitative assessment and reassessment of the training modules and regimes extremely necessary. Evaluation has to be in-built in the system to look into the problems and possible solutions to it for better performances and results. The training divisions in every organization has to be well equipped with advanced and skilled trainers, techniques and required training programmes with a proper and regular evaluation for required upgradation. Training has evolved as an essential branch of any administration and cannot be neglected for any reason as it plays an important role in deciding the present and future capabilities.

Meaning and Objectives of Training

Dale S. Beach defines training as 'the organized procedure by which people learn knowledge and/or skill for a definite purpose'. Training refers to the teaching and learning activities carried on for the primary purpose of helping members of an organization acquire and apply the knowledge, skills, abilities, and attitudes needed by a particular job and organization.

According to Edwin Flippo, 'training is the act of increasing the skills of an employee for doing a particular job'.

Training helps to promote, maintain or enhance the trainees' effectiveness in his work profile so that he or she can become capable of assuming higher responsibilities.

On the aims of training, Assheton Committee[1] has given following points:-

1. Training should endeavour to produce a civil servant whose precision and clarity in the transaction of business can be taken for granted.

2. The civil servant must be attuned to the tasks he will be called upon to perform in a changing world. The civil servant must continuously and boldly adjust its outlook and its methods to the new needs of new times.

3. The civil servant should not be allowed to fall into danger of becoming mechanized by machine. The recruit from the start should be made aware of the relation of his work to the service rendered by his department to the community. The capacity to see what he is doing in a wider setting will make the work not only more valuable to his department, but more stimulating to himself also. In addition, therefore, to purely vocational training directed to the proper performance of his day to day work, he should receive instructions on a broader basis as well as encouragement to persevere with his own educational development.

4. Even as regards vocational training, it is not sufficient to train solely for the job which lies immediately at hand. Training must be directed not only to enabling an individual to perform his current work more efficiently but also to fitting him for other duites, and, where appropriate, developing his capacity for higher work and greater responsibilities.

5. The training plans, to be successful, must pay substantial regard to staff morale to off set the dull monotomy of routine work. It is of utmost importance that every probationer should realize that he is entering the life of service, and that he should be a servant of the people and not their master. The civil servants should be given proper training in the methods of dealing with the members of the public.

Training and Development

Training for development surely means aspiring for excellence and better performance in the service. When the training is based on a set of shared values that meshes with the mission of the organization, there develops feelings and aspirations for excellence in work. There is a need for strategic orientation which means that combining internal work environment with the needs and demands of the external environment make a successful strategy. This strategic approach helps in quicker achievement of goals. The strategy not only means adding new aspects and approaches in training but also removing obsolete training techniques and eliminating misaligned goals. Identification is needed of which training is needed or not which is in implementation at the current moment. Training system does not end with imparting of training but it reaches the evaluation stage which is mandatory for a successful training regime. "The system can be based on Kirkpatrick model, a widely used, four level framework for measuring the effect of training, such as reaction, learning, application, and results. The model depicts identifiable phases of the training process that allow for suitable measures."[2]

Training Need

When there is gap between the expected and real level of performance, it is the point when need for training comes.Though, not all problems can be solved by training but yes to a good extent solutions can be brought in. Henry J.Duel has opined on it as, "It would be axiomatic that if you do not know where you are going, you are not likely to get where you want to be. Even more important is you won't know how to get there and moreover will be unable to tell when you have arrived."[3]

Thus, if training needs are identified in proper manner then surely desired goals can be reached by walking on the correct pathway. "Lack of identification exercise may invariably lead to unstructured training including wastage of scarce training resources and may pose problems like post training utilization."[4] Here role of trainers increases because it is they who decide the path to reach the desired goal and are also aware of the capabilities of trainees.

Training in Development Administration

Development Administration requires a special perception and involvement on the part of the trainees to ensure a smooth adaptation to a new climate of change .There is a great demand of emotional intelligence and decisive leadership in development administration and these can be attained only through proper training. A trainee should be made well trained in handling various chaotic situations with sensibility, diplomacy, maturity and rationality. Trainee has to learn the techniques of motivation. In the area of Development Administration, an analytical approach to problem- solving can be useful. The development administration has to take into consideration many things while moving towards its goal , some of them are policies, programmes ande people. There is a need of accountability , integrity and transparency in services for better developmental administration. The role of training in administration is to provide not only theoretical knowledge and practical skills but also required behavioural patterns and attitudes. The task of development consumes a lot of efforts and energy of the public servants , which many times lead to behavioural issues. Development means change but not all adapt to the changes in a very supportive way.

Training for Individual Development

Training for administration is though for bigger scale but it also helps in an individual's personal development. It enhances the qualities of deci-

sion making, pressure management, public management , responsibility,time management, behaviour with seniors, colleagues and juniors. The qualities upgraded can be clearly seen by others in these trained officers who develop these traits eventually. Also, such training build feelings of giving better performance in job and bring in new innovations. Civil servants are those who are given the responsibility of mass welfare for which it is essential for the civil servants while doing mass leading and mass protecting traits. It is because of these qualities that better administration comes in. Individual officers are the ones who provide leadership to a large group, therefore, it becomes mandatory for civil servants to develop qualities of leadership. Unless there is a good leadership, there can be no development in the system.

Multidimensional Aspects of Training

Any training which has to be imparted has to be conceptual and technique oriented with a sound programme base. Unless a training programme has a specific programme or direction , it is like a lost ship in the sea. As human behaviour is complex and variegated, the approach for training has to be inter-disciplinary mingled with various technique methods and aids. Training for administrative development is progressive only if it has a creative framework. Training changes its nature according to its need and situation. Training is not meant only for development of one aspect of any civil servant but all round development. Not only the knowledge of rules ,acts and procedures of administration are required for training but also various other aspects also need training like decision making power, mass handling , crisis management. These aspects are more important as it is in the times of crisis that a capability of a civil servant is judged.

Training Methods and Techniques

The role of training in administration depends on a large scale on the kinds of training methods and techniques used while imparting training in administration. All the techniques and methods are not equally applicable to all types of training, therefore, it is to be taken care that which methods and techniques are to be used in what training. Techniques are to either group oriented or individual oriented. Lecture Method is the most ancient training technique which is in prevalence even today. This is the most trusted and used method for imparting training. But, yes some innovations are always welcomed like combining with tutorials, group discussions and interactive. Concerning the new methods of training, audio- visual aids can be the best combination of lecture method. Audio-visual aids are today's world demand and innovation which provide better understanding, no doubt. Case studies, seminars, conferences and worshops can be really useful.

Training of Trainers

There is always a continuous need of keeping the trainers updated and skilled for the training they have been assigned to train. If a trainer who has the responsibility to train the administrators is not well trained then there is quite a possibility of legging behind in the achievement of the desired objective. We can explain it in this way that as along with the sportsperson, his coach is doing full hard work with dedication, so is required from the trainers of the administrative scenario. "Training of trainers will aim to familiarize them in the background of the contemporary administrative scenario with modern methods of training and help to improve their competence in imparting instruction and designing courses."[5]

Various and time to time training courses are held and must be held for trainers for brushing up their knowledge and skills for training. Exchange programmes help in better performances and therefore , better results.

Effective Training and Development Initiatives

To develop training initiative for effective results must be ensured of initiatives conducive to learning. While the designing of effective training initiatives is an integral part of implementing successful training but it becomes of less importance if the content of such efforts

appropriately corresponds to the organization's needs and goals. The training personnel have responsibilities in context of initial designing. To attain the level of competency, the responsibilities of training personnel are much broader than the traditional role of merely imparting knowledge. These levels of competencies can be achieved by identifying the kinds and levels of training schedules for high level performances , developing and maintaining structures, conditions and climates conducive to learning, generating and providing resources, providing individual assistance and feedback on various dimensions of the learners' performances, serving as role models and mentors by guiding the mastery of pivotal training skills and developing alternative but efficient learning processes that take into account individual learning styles , abilities and work and life circumstances.

In too many training and development situations training personnel have by and large been left to their own devices to determine not only the context to be covered in their courses, but also to determine how well learners are expected to master it. The kind of complex training modules required by today's administrative scenario cannot be developed through only one learning process. Training initiatives based only on one aspect will bring in only partial success. An active experimentation is an unavoidable in developmental initiatives of training. Optimally, the trainee and trainer join in a collaborative venture in which both aspire to a common objective of development and competency. There is also a requirement for a trainee to develop their own implementation plans after they go through training. Also, it depends on trainers to follow their innovative styles of training according to the needs and situations. It is not always necessary to go after theoretical aspects but should work more on innovations and results. This can be done only with a progressive approach.

Training for a Developed Leadership

Human knowledge and competencies have strategic importance in that they are counterpart to the core competencies of their administrative set up. A leadership development function is important for the development of the whole administrative set up. Age and maturity factors are viewed in the framework of individual work, career and life cycles for the matter of leadership. Recent research found that success and failure of an administrative set up is very much related to its leadership qualities. Leadership development contributes to the bottom line and no longer relies on its instrinsic values to demonstrate its real worth to the administrative structure. Increasingly, it has been transformed along with the changes affecting the organization. When there is transformation in the leadership training and qualities , an increment in accountability and integrity responsiveness. Leadership development is one of the many aspects of administrative structure were traditionally taken for granted as necessary and unmeasurable and were forced to respond to pressures to show their contribution in measurable terms. Brewington notes that it is the role of leadership development to make this connection as a part of the organization's commitment to its vision and thus to leadership development.

Training Evaluation

Evaluation of training programmes and modules is very important. The effectiveness of a training course is not necessarily linked with the popularity of a course due to many extraneous factors. Evaluation has to be an integral part of any training modules. It is always useful if the system of evaluation well organised, timely and long sighted. It is then only when desired objectives can be achieved. It is always a system having a quest for excellence and development in administration. But, yes, not all and fully the evaluative system can be relied completely on. Basically, the evaluation has two aims viz., assessing the training course and appraisal of the competence of the trainers as both form the integral part of the training module.

Donald L. Kirkpatrick, in his article on "Evaluation of Training"[6], mentions four categories of evaluation of training programmes: reaction, learning, behaviour and results. Certainly, all these parameters merit attention while organizing training programmes.

Conclusion

The training for development is an important aspect of the administrative structural-functional development.It is only training after which an administrator, a leader, a structure becomes capable for better implementation of administrative ethios and policies. It is essential to put a stress not only on training of trainees but also of the trainers. There is a need for proper implementation of training methods, techniques, aids and modules. Training is a key step or first step before entering the real working culture. Also, In- Service training is required from time to time for all those administrators in job , so that their skills are dusted and are also updated.

Training policies should be such that are in symphony with the current situations and can work for long term as well.

References

1. Report of the Asheton Committee on Training of Civil Servants. (1944) Cmd.6525, pp.10-11.
2. Murthy, S.K. (2011) *Training for Development*. New Delhi: Anmol Publications Pvt. Ltd.
3. Saxena, A.P. (1974) Identification of Training Needs: A Group Approach*. IJPA*. XX, p. 98
4. Chaturvedi, T.N. (1970) *Public Service and Modern Challenges, Need for Continuing Education*. Training Abstract 10. Department of Personnel, Training Division, New Delhi, p-30.
5. Dhariwal, Suneel., Parnami, K.K. (ed.) (2007) *Training, Civil Services & Personnel Administration*. Rawat Publications, Jaipur. p. 19.
6. Craig, R.L., and Bittel, L.R. (ed.) (1967) *Training and Development Handbook*. McGraw-Hill.

Political Communication in Indian Democracy: A conceptual analysis

Richa Yadav

Assistant Professor

Centre for Mass Communication, University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Abstract

Political communication can be defined as a communication which occurs in a political system for the dissemination of political messages among its various members. Politics is the central theme of such communication. In Indian democracy where party politics is dominant, political communication has different forms and functions. Development of media is the key determinant in changing the dimension of political communication in India. Earlier it was done in simple manner through public rallies, speeches, door-to-door campaigning and news articles but now it has changed in terms of content and practices. New media technology especially social media has changed it significantly. Now it is quick, invites more public participation and has less control over its content. Change in media ownership patterns has also affected the sanctity of political communication in India. Mission journalism has now become paid journalism. This paper discusses the various aspects of political communication in India and also highlights the role of different players of political communication with special reference to Indian democracy.

Keywords: *Public Opinion, Media, News Management, Communication Experts, Image Management*

Introduction

Our country, India is the world's largest democratic country and drafters of our constitution had wished for a vibrant democracy for free India. Even though India's freedom struggle was against the British, the leaders of our country were so impressed by the political system of Great Britain that they adopted the Westminster model of democracy. Over all these years since independence, India has maintained its democratic system in a very commendable manner.

The citizens of the country can use their power to vote and choose their representatives through elections. Effective Communication is one of the prerequisites for any successful democracy because it aids in creating socio-political awareness in the society. When this communication is done with political intentions, it is known as political communication. Various modes of political communication such as speeches, press conferences, news etc. are used by the government as well as the political parties to reach the mass audience

According to Axford et al. (2002) political communication is a deliberate communication among the members of a political system. Mostly, the content is political. It seems to be explicit but there are also hidden messages in it. It works within a political and social system that diffuses not only the political but social tenets as well. This way political communication can also play a significant role in more general processes of political socialization, the construction and maintenance of political culture and in political behaviour within a political system.

In Indian democracy, this communication plays a vital role in shaping public opinion especially

during the electoral suffrage. It is done for various objectives:

- To inform the public in the form of news via media
- To create awareness in the society through public service campaigns
- To influence the public during elections with the use of various techniques such as face-to-face (direct) communication, political advertising, image management or other communication strategies.

There are six main players in political communication system of Indian democracy. They intend to inform, influence and persuade the general public. At times they may also exert pressure on public opinion to fulfill their political objectives.

Government—Government may lay stress on issues of education, public welfare, health and safety. It may also be involved in certain public service campaigns which aim to bring political and social changes in attitudes and behavior of the citizens. For example it can orient the citizens to participate actively in voting during elections. Even the election commission is also indulged in such campaigns in India to re-direct the voters especially rural audience. It also teaches them the 'know-hows' of the electoral process.

Political Parties—Political parties need to communicate their political messages to the audience i.e. public. This communication goes to a higher level during elections. During election campaigns these parties discuss their manifestos. Their main objective is either to gain or retain the power of the State. They promote their policies, ideas as well as their future plans. Nowadays to achieve these objectives, the major political parties of India such as BJP & Congress are engaged in aggressive political advertising and image management strategies. In a way they are commissioning 360° approach of marketing to influence the decision making of the electorate.

Not just the political parties as a whole but even the political leaders are involved in many public relations and advertising activities to enhance their individual image in the public. It is because many a times in India people have voted for individual leaders rather than the party. The leader is the center of the party around which the overall power of the party revolves.

Media—In a democratic nation like India where there is a clear division between political actors and the media, the communication needs to be more democratic. Therefore, it is either conceptualized or facilitated by the media professionals such as reporters or journalists who work for media organisations . The journalists invite the political parties' spokesperson, experts and analysts to discuss the current issues of concern. They also bring in the voters to raise questions from these representatives. The general public opinion is also shown via media especially with the emergence of social media in the mainstream. This has given birth to participatory journalism.

Besides, the media in general has also been used by the political players for political advertising and promotion to promote their ideologies as well as to highlight their party's performance.

Media also plays a significant role in uncovering the various happenings of politics especially scams, corruption, defection, intentions of political groups etc. It brings into light the real picture of the politics and also depicts how an ongoing political system affects the common people of the country.

If the political participants such as government, political parties, public, or pressure groups have messages to convey then they need media to broadcast their messages. Television channels, newspapers, radio and new media provide the key channels of distribution of political messages.

Interest groups cum Pressure groups—Pressure groups are non-aligned with political party and they work for certain interests by influencing the public policy. They are part of the social system and stay out of the political arena. They do not participate directly in elections but play a powerful role in influencing the voting decision. They are inward- oriented and are

too secretive. They may also create platforms for social movements. They are known as pressure groups because they exert pressure on government to bring change in the public policy: At times they may even resort to illegal methods like strike, violence etc.

Likewise political parties, these interests cum pressure groups use political communication techniques to influence decision making and public opinion but with special reference to specific issues. The important of these interest cum pressure groups are trade unions, students' union, anomic groups, associations based on traditional & social structure (Rashtrita Swayam Sevak Sangh, Vishwa Hindu Parishad, Tribal Sangh of Assam etc) and groups made on the basis of ideology or social movements (Narmada Bachao Andolan, Chipko Movement etc).

In the Indian context especially Rajasthan some of the prominent of these groups are peasant based groups such as AIKS (All India Kissan Sabha also known as Akhil Bhartiya Kissan Sabha) which works for the cause of peasants all over India. These groups work for the welfare and causes of farmers. They raise issues such as water, electricity and sanitation. They organise 'marches', 'sabhas' and 'sammelans' to present their demands.

These pressure cum-interest groups use the tactics of lobbying, consultation, supporting candidates, parties, getting co-opted on to regulatory and other governance bodies and policy networks, using media direct protest action, civil disobedience. etc.

Public—The public is the target audience of political communication especially in democracies. It can be homogeneous or heterogeneous. In a participatory democracy like India public needs to be more active. Each member of the audience must contribute in shaping the public opinion. The audience may share same social and political traits. They can have common interests and media habits. Since they acquire common knowledge, they tend to develop similar beliefs, attitudes, values and behaviour patterns. They draw same interpretation from the same political communication. In India, they are the voters who hand over the power or take it away from a political party.

In India we have heterogeneous audience. It has been divided on the basis of caste, region, religion, class, language etc. Therefore, it becomes more challenging for the parties to impress & or influence the entire audience and to win its favour during the elections. Mere communication with them is not enough. They have to impress them through various techniques and strategies of advertising, branding and public relations.

Communication Experts (Advertising agencies PR firms/ consultants, Marketing and research firms)—There has been a general trend for an increased role of these professional communication experts such as marketing specialists, advertising experts and public relation gurus, in the political communication of our democracy. As mentioned earlier political parties and leaders are using these services for conveying better and more effective political messages especially during the election. The primary objective is to win votes by building party preference and shaping favourable perception. These PR consultants are also known as 'Spin doctors' because they present the facts in a twisted way which at times turns out to be a deception technique. Advertising agencies are experts in devising the best communication strategy for political parties. Marketing and research firms help in finding out the needs and voting behaviour of the voters. They study the psychology of the voters and design such an influential election campaign which directly hits the target audience i.e. electorate.

Response (People's Mandate)

The primary objective of political communication is to generate public opinion from the citizens in different ways. Election, referendums, initiatives and recall are some of the devices for gauging public opinion. In a participatory democracy like ours, elections are the most comprehensive expression of public opinion. It is not only an expression but people's verdict on political occupants. Referendum refers to the votes of the

citizens on a specific issue or policy. Initiative stands for initiating a referendum on a specified topic whereas recall election is a procedure that allows the voters to remove an elected official from his office through a direct vote. It is initiated when specified number of voters demands a referendum or sign a petition.

New media or social media has made the conduction of these opinion surveys more convenient. In fact it is also a powerful alternative media for the pressure groups to communicate and influence public opinion more effectively than before. It helps in shaping as well as crystallizing the public opinion with greater potential. Therefore, even the government, political parties & leaders are using it in the form of web portals, blogging etc.

But the idea of **'vox populi voxdei'** (the voice of the people is the voice of God) does not fall apt in the present context. It can be fabricated, manipulated due to the ignorance of citizens and their lack of political competence. There is no reliable method of extracting public opinion and it is fickle natured. Social media has made it more participative but it lacks control. Everyone is reporting and sharing due to which information clutter has been created. This is leading to a complex political communication system wherein keeping a watch on the cascade of information is very difficult. The quick, imbalanced and extreme reactions are having hasty effects on public opinion.

Though political communication is a continuous processbut elections are the most concentrated periods for this type of communication. This is the time when power, politics and communication draw the maximum attention of the audience. It is also known as election campaigning. During election campaigning political parties will communicate in the following two forms:-

Explicit form—This form of communication includes speeches, party rallies, press conferences, door-to-door campaigning, party postages, badges, caps, flags, distribution of party literature, manifestos, e-mails, telephone calls, mobile messaging, political advertising, party's political broad casts and web casts (websites, web press releases, portals, blogs etc.). It consists of the direct messages by the party or its leaders. They directly communicate the voters about their election agenda, manifesto, policies, plans etc. Television coverage of elections and free political party broadcasts allowed on television are also the part of direct communication.

Implicit form—This form of political communication uses negative publicity strategy which is not direct and carries hidden messages. It comprises of news management, party tactics, attack or mudslinging politics and even foul tricks (paid journalism and leaks). It is ambiguous as well as inexplicable because the aim of these techniques is to earn favour of the public at the expense of the opponents image tarnishing. This strategy believes in discussing more about the faults of the opposition party or leader than talking about its own achievements or mistakes. Nowadays, news management is one of the techniques adopted by the parties especially the one which is in power. This is where the agenda setting theory comes into the picture. News bulletins and reports are managed in such a way by the party and the media houses that support the party. They are focused on the issues which are either in favour of the party or against the opposition party. They also attempt to dominate the news coverage. This can also be termed as an "Offensive Politics" where attacking and mudslinging is the key communication strategy. For example during 15th Loksabha Elections (2009), BJP attacked the congress party leader Sonia Gandhi as a foreigner.

But now, there is a cross-over between these two forms of communication in politics. It is difficult to demarcate them with a neat line. For instance, a political advertisement is a tool of direct communication but it may also convey certain messages indirectly. In fact political promotion via social media is the new catchword in the process of political campaigning. The reason for this is a deep interconnection between political communication and popular media cultures.

For many, communication within the political system has developed in recent times and has become more significant with the advent of mass communication media. In the yesteryears, political communication was done in the form of public addresses, public meetings, news and articles in the newspapers. Political actors were always indulged in political communication to convey their messages of leadership and authority. **'Visual Esperanto'** i.e. power of visuals was exercised through political symbols, images, sculpture and architecture. Sculpture and architecture were used as a symbolic representation of power of political leaders. The development of new technologies in media has a profound effect on the political communication. McLuhan's popular phrase **'medium is the message'** establishes the relationship between the media and the technological advancement. New technologies have opened avenues for new channels of communication. This technological advancement in print, radio, television and new media has extended the scope for political communication. Image management has become the most important and critical task for the political parties. Image management in politics refers to the techniques used by advertising, PR agencies (hired by the political parties or politicians), parties and politicians to ensure the best presentation of their ideas and to maintain a great public image. BJP's political campaign for 2014 lok sabha elections unwraps the power of innovative and new media strategies. Traditional methods of communication have been replaced by the modern methods. Direct contact with the public has been substituted by wats app messages and sms of the political leaders and ministers as well. With the powerful growth of social media usage, there is a new shift in this political communication. Social media such as twitter , blogs and Facebook have envisaged a rampant growth in political marketing with minimum expenditure.

There is a proliferation of communications in terms of channels, content and different interfaces as mobile telecommunications, film, radio, television, video and digital media have created new opportunities for political communication. This has also changed the political economy of media. It discusses the relationship between the profit interests of the media owners, the nature of competition and the form and content of media. Media ownership by some corporate houses and politicians has led to reduction in the number of independent and critical sources of news production. The ethical and legal aspects of political communication also need to be critically analysed. It involves the media ,government , political parties and the set up in which they operate. They need to understand and abide by the rules and regulations of the state.

Thus, the issues of media ownership, organizational control and freedom of press need to be scrupulously addressed. Media organisations must realise the social and political significance of their role in the society. They need to be free and must adhere to truth and objectivity for safeguarding the public interests. Political players especially the government and political parties must adhere to the basic ethics of political communication. In the race of elections they should not deceive the public with wrong facts and figures and must not leave their moral grounds just for winning the electoral mandate.

References

1. Ahmad, M.F. (2012) *Electoral Politics in Federal India: Decentralized Democracy and Panchayati Raj.* New Delhi: Navyug Book International.
2. Axford, B., Browning, G.K., Huggins R. and Rosamond, B. (2002) *Politics: An Introduction (2nd ed.)*. Routledge.
3. Green, D. and Luehrmann, L.(2012) *Comparative Politics of the "Third World"-Linking Concept & Cases (3rd ed.)*. Viva Books.
4. Kashyap, S.C. (2012) *Our Political System*. New Delhi: National Book Trust.
5. Khanna, S.K. (1998) *Crisis of Indian Democracy.* New Delhi: Commonwealth Publishers.
6. McLuhan. (2001) *Understanding Media.* New York: Routledge Classics.
7. Vivian, J. (2011) *The Media of Mass Communication (10th ed.)*. New Delhi: PHI Learning Private Limited.

Stem Cell Research and its Regulation in India

Pradeep Kumar
Research Scholar
Department of Law, University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Abstract

Stem cell therapy is being billed as the next panacea for all ills. The immense potential that has been shown by stem cells in treatment of diseases traditionally considered "degenerative, incurable and irreversible" such as diabetes, heart disease, spinal cord injuries, Parkinson's, Alzheimer's disease has brought them into the spotlight. Research in human developmental biology has led to the discovery of human stem cells (precursor cells that can give rise to multiple tissue types), including embryonic stem (ES) cells, embryonic germ (EG) cells, and adult stem cells. Techniques have been developed for the in vitro culture of stem cells, providing opportunities for studying and understanding human embryology. As a result, scientists can now carry out experiments aimed at determining the mechanisms underlying the conversion of a single, undifferentiated cell, the fertilized egg, into the different cells comprising the organs and tissues of the human body. This paper discusses the legal regulation of stem cell research in India. The debate around stem cells as therapy includes several sociopolitical, cultural and ethical issues. In addition to the ethical issues that surround all clinical research there are additional facets added to stem cell research due to the use of human embryos, manipulations and modifications.

Keywords: *Stem Cell, Regulation, HESC, Gene Technology Act, 2000*

Introduction

Human embryonic stem cell (HESC) research has only recently begun in India. India is a developing country with the goal of achieving fully industrialised status in the year 2025 and biotechnology has been identified as an engine of economic growth for the country.

HESC research has significant medical importance offering the promise of cures for patients suffering from various diseases. As master cells, stem cells can give rise to wide range of cells and tissues. They are blank cells, or slates, that have yet to become specialised. Unlike fully mature cells, they have a variety of potential futures.[1]

Most debates on HESC research are conducted in western developed countries like United Kingdom (UK), United States of America (USA) and Australia. The majority of the texts on the subject are written in western countries with western perspectives. The policies, guidelines and law in these countries are also highly developed. However, elsewhere, especially in emerging economies including India, there is limited literature written on this area and this contributes to the challenge for this topic. Acknowledging the gap in the literature, the thesis investigates the extent of the research involving HESC in the country and examines if there is a regulatory lacuna in this area.

As HESC research raises issues of deep religious significance, it is especially controversial in a nation which is multi-racial, multi-cultural and multi-religious. Hindus is the main religion in with the majority of the population being Hindu.

There are also significant numbers of Christians, Buddhists, Jains and Sikhs in the country. Internationally, theologians and representatives for the various religious groups argue both in favour of and against HESC research. There is a lack of consensus about the moral status of the human embryo as well as the ethics and morality of research using embryos. The cultural and religious diversity of a society makes the task of reaching a consensus challenging.

The types of stem cells used in research are adult stem cells and HESCs. Stem cells from embryos are pluripotent, that is, they can grow into every tissue type in the body.[2] They could become any type of cell to form skin, bones, organs and other body parts. They could be used to create any number of cell types that people with injuries or disease in need of transplants might benefit from receiving. Whilst doctors can transplant tissues and organ cells, they are often limited by lack of organ donors. Potentially, stem cells will allow the growth of required tissue when it is needed.

Research utilising HESCs remains in early stages, making it uncertain whether stem cells derived from human embryos[3] will ultimately prove useful in curing diseases and spinal cord injuries. It is premature to decide which approaches will prove most useful and for which diseases. Due to the unsettled state of the science, stem cell research, both adult and embryonic, is being funded by public and private funding agencies around the world in order to make the potential of stem cells a reality. However, there are several important ethical issues with HESC research that have to be explored and addressed.

The Controversies of HESC Research in India

In many nations, including multi-religious India, HESC research has been, and is increasingly the subject of controversy, primarily because all extractions of HESCs involve the destruction of human embryos. The debate is discussed within various religious institutions and with people of different faiths. In laboratories, scientists have had to learn to reflect on the ethical and legal ramifications of their work. Despite the controversy, it is argued here that the promise of HESC research is probably sufficient justification to allow it to proceed, provided that it is governed by strict regulations and effective enforcement procedures. This synopsis will investigate options for regulating this controversial research and propose a best practice regulatory model for India.

The destruction of human embryos for the purposes of extracting HESCs presents an ethical and moral dilemma. Proponents of HESC research argue that it could lead to therapies for the patients in future. Opponents argue that the research has uncertain prospects and involves a process that destroys human lives. These two opposing positions reflect different views in respect to whose life matters more, whether the lives of patients or the lives of human embryos which are destroyed in the process of harvesting their stem cells for research. The argument raises questions about the obligation to heal patients, the respect and protection owed to nascent human lives, and the manipulation of human lives for the benefit of others.[4]

The moral debate includes whether it is morally and ethically wrong to first create and then destroy a human embryo, whether cloned or not, in order to harvest its cells, and the concern about the treatment of nascent human life, that is, treating the seeds of the next generation as mere raw material for satisfying current human needs. While it is important to seek and provide medical treatment for patients and the injured, it is also important to honor moral limits that respect all lives and that refuses to secure the good of human beings by sacrificing the lives of others.

These are difficult questions. The moral issue surrounding HESC research leaves the status of the embryo highly contested. It is unclear whether human embryos are legally and morally considered as human lives from the moment of conception or at some later stage of development.

Other ethical issues also arise from HESC research, particularly concerns about the exploitation of women and the risk that the therapeutic cloning research may lead to reproductive cloning.

This thesis takes the position that it is morally permissible to use early stage human embryos in research under strict regulation as that would not transgress moral boundaries.

These arguments focus broadly on whether the human embryo has meaningful interests and moral rights sufficient to justify the prohibition on HESC research.[5] This raises the question whether the early embryo in the first 14 days should be regarded as a human embryo or a collection of cells and therefore considered a pre-embryo. The destruction of the embryo, for the purposes of the extraction of stem cells from it, occurs around the fifth day after the first cleavage division. Questions are also raised as to whether the somatic cell nuclear transfer (SCNT) blastocyst, which does not involve egg and sperm fertilisation, should be regarded as a human embryo as there is no evidence that the blastocyst, if implanted in the body of a woman, can result in a live birth.[6]

These debates have been explored extensively in Australia but in India, the discussions are both less advanced and more diverse.

To Regulate HESC Research or Not?

While the aim is to explore appropriate models of regulation for the India government to adopt to regulate HESC research, a preliminary inquiry is whether it is essential or even desirable to regulate HESC research at all. It might be argued that in India, it is preferable to adopt minimum regulation or to leave the research as totally unregulated as this facilitates free, unfettered and uninhibited research for the scientific community in the country. However, there are persuasive insights offered by eminent people in favour of adopting regulation, as explored below. Michael Kirby makes a compelling argument in favour of regulation, particularly for contentious areas of research. He gives the example of human reproductive cloning where he asserts that for the law to say nothing about the reproductive cloning of human beings is to give green light to experiments in that technology. He further explains that nothing then exists to restrain [scientists] except for their own ethical principles, any institutional ethics clearance requirement, the availability of funding and their prospects of a market [and their religious convictions]‘. Thus where there is no regulation to prohibit or regulate an activity, scientists may decide to pursue controversial experiments out of simple interest and sheer curiosity. Kirby asserts that while proponents of technological innovation have often favoured containment of law and a libertarian approach to development of technology, yet most lawyers recognise that there are limits. He warns that the absence of regulation will mean that the society has effectively made a decision to permit the technological advances to occur without impediment. He stresses that limits must be clearly expressed and upheld in an effective way

Francis Fukuyama also argues that it is essential to regulate biotechnology.[7] He expresses concerns that unregulated biotechnology poses an insidious threat to society‘s way of life and compromises human dignity. He explains that:

> “the people in Brave New World may be healthy and happy, but they have ceased to be human beings. They no longer struggle, aspire, love, feel pain, make difficult choices, have families or do any of the things that we traditionally associate with being human. They no longer have the characteristics that give us human dignity.He adds there is a fear that, in the end, biotechnology will cause us in some way to lose our humanity, that is some essential quality that has always underpinned their sense of who we are and where we are going.”

Regulation of scientific research is not a new subject. In the context of biotechnology,100 nations are enacting specific regulatory instruments to regulate controversial areas of research. In Australia, for example, the *Gene Technology Act 2000* was passed to regulate research on genetically modified organisms (GMOs), the aim is to protect the health and safety of people and to protect the environment.

Legislation is not the only form of regulation. There is, for instance, soft law in the form of guidelines, an approach adopted for the

regulation of research in India examines whether India should move to the next level by introducing legislation to regulate HESC research in future. In Australia, the decision has already been taken to pass legislation to regulate research involving human embryos. This is primarily because legislation promotes certainty and clarifies what is permissible for scientists.

Therefore it is argued that in India, passing legislation to regulate HESC research will provide greater likelihood of clear parameters, scope and legal protections to scientists and ensures transparency and accountability as evident in the Australian regulatory regime.

In *Sherley v. Sebelius*[8], the U.S. Supreme Court held that it won't review a challenge to federal funding for embryonic stem cell research, putting to bed a controversy that once threatened to cut off support for such studies.

The court's refusal to consider an appeal in this case[9] ends a more than 3-year effort by the plaintiffs, two adult-stem-cell researchers, to stop NIH backing of the work, which holds the promise of treatments for a variety of diseases, but which depends on the destruction of days-old human embryos. As is typical practice, the court did not give reasons for declining to hear the case.

Regulatuion in India

The zeal exuded by the Government of India has led to the prompt identification of stem cells as a niche area requiring intense focus. Its translation in real-time is evidenced by its ever-increasing patronage in the form of grants towards infrastructure development and operational activities.

The Stem Cell Task Force (SCTF), constituted in 2003 was enthrusted with the responsibility of evaluating project proposals, pushing the formulation of protocols, monitoring and also for evaluating results.

There was a proposal for "stem cell priority fund" with possibilities of including ICMR, DST and DRDO.[10]

Conclusion

Realising the complicated ethical, social and legal issues involved in this field, ICMR took up the reins and laid down the "National Guidelines of Stem Cell Research and Therapy 2006". One of its salient features of the report is the classification of stem cell research under permissible, restricted and prohibited categories. The research pertaining to adult and umbilical cord blood stem cells would be classified as permissible. It would require approval from Institutional committee. However, embryonic stem cells research falls under restricted category. It can be carried out with the approval of Institutional Committees and National Apex Committee. Research pertaining to reproductive cloning, introducing animal embryos in human, etc. has been categorized as prohibited.

Refererences

1. Johnson, M.H., and Selwood, L. (1996) *Nomenclature of Early Development in Mammals' Reproduction, Fertility and Development.* Oxford: Blackwell Science Ltd. pp. 759-764.
2. Johnson, M.H., and Everitt, B.J. (2000) *Essential Reproduction,* 5th edition. Oxford:Blackwell Science Ltd.
3. Findlay, J.K. et al. (2007) Human Embryo: A Biological Definition. *Human Reproduction*. Vol. 22, pp. 905-911.
4. Green, R. (2007) *Can We Develop Ethically Universal Embryonic Stem-cell Lines?* Nature Publishing Group. Vol. 8, pp. 480-485.
5. NHMRC Embryo Research Licensing Committee. (2008) *Information Kit.*
6. Ibid.
7. https://philosophy.as.uky.edu/sites/default/files/Gene%20Regime%20%20Francis%20Fukuyama.pdf
8. 644 F.3d 388 (D.C. Cir. 2011)
9. Ibid.
10. http://annalsofneurosciences.org/journal/index.php/annal/article/viewArticle/241/895

Democratic Decentralization and Constitutional Status of Panchayats

Suman Maurya
Assistant Professor
Department of Political Science, University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Abstract

In Contemporary era " Development " has been viewed by social scientists as a fairly broad concept embracing all aspects of socio economic, political and cultural advancement of human beings that is 'total human development' such a view emphasises the need to consider people as the subject or the "creative agents "of development and stresses their need to be totally involved in the creation of a just and participatory society viewed from this angle the institutional form of democratic decentralization namely Panchayati Raj. Which is a participation system that emphasises people's participation in decision - making, formulation, implementation and evaluation of development efforts, attains a lot of importance. Panchayati Raj intititions are visualized as Local Self-Government Bodies which enable people to participate in the process of development and governance panchayats have been the backbone of the Indian villages since the beginning of the recorded history. Mahatma Gandhi in 1946 had aptly remarked that the Indian independence must begin at the bottom and every village ought to be a republic or panchayat having powers. Gandhiji's dream has been translate into reality with the introduction of the three tier. Panchayati raj system to enlist people participation in rural reconstruction in the 21st century village panchayats in India will be in the forefront of rural development towards this end. Panchayats are to be given more powers finance and training panchayats growth, Social development and facilitation good governance as well as sound micro- economic management.

Keywords: *Democracy, Panchayats, Decentralization*

Introduction

The word "democracy"is derived from the grass root "demos" meaning the people and "krato" meaning authority i.e in democracy all authority originates from the people. Decentralization means distribution of functions and powers from a centre authority to regional and local authorities democratic decentralization in the present context means that the government which ha derived its authority from the people redistribute it to some extent to the people for decision and action at the local level. this is popularly known as Panchayati raj in India. The policy of democratic decentralization envisages the establishment of elected and organically linked democratic bodies at the village blocks and districts levels. The instrument of all planning and developmental at activities to these bodies, transfer of adequate resources to these bodies to enable them to discharge duties.

Although the concept of participation gained importance in recent times, its origin can be traced to Aristotle, the Greek scholar analysing the city states for the arrangements that would mostly contribute to human happiness and good life, Aristotle was of the opinion that participating in the affairs of the state as a citizen was essential to the development and fulfilment of the human

personality at societal level, Aristotle found clear relationship between the extent of participation and the creation of the good life. according to him, the best state was one where there was broad participation with no class dominating others. Aristotle's analysis showed some relationship is complex because participation has economic, social and political dimensions.

Cohen and Uphoff describe democratic governance as people's involvement in decision- making process about what would be done and how, their involvement in implementing programmes and decisions by contributing various resources or cooperate in specific organizations or activities: these sharing in the benefits of development programmes : and their involvement in efforts to evaluate such programmes. taken together, these four kinds of involvement appear to encompass most of what would generally be referred to as participation in development activities.

Moulik has the opinion that "participation in development process implies stimulating individuals to take the initiative and mobilising people to work for overall societal development" In politics casting vote is said to be participation and in the organizational set-up membership and attending meetings actively or passively is taken as democratic governance. development is an integrated process. It cannot be achieved except through committed coordination between all the nation- building agencies on the one hand and the people as represented by their organisations and their institutions on the other. People's participation in the development process can come only through voluntary action. Voluntary action is an important vehicle of rural development the ultimate aim of all activity should be to help people to help themselves. This is the only way to secure people's participation and achieve improvement in the quality of life of the rural poor.

If people through their organisations at grass root level do not have any voice, development work gets concentrated in few hands who with the connivance of the officials will ride roughshod over the people and impose on them projects or programmes which may not have any relevance to their needs. This is when the snag lies, because imposition becomes counter-productive. In such a situation, people cannot be expected to participate. You can drag the horse to the water, but cannot make it drink, unless the horse itself is in need of water. This is the crux of the problem. One can be reasonably sure of democratic governance only when a project is based on their expressed needs. If a development programme is need- based, people will on their own volition, participate in implementing it because they know it is in their interest.

Democratic governance, responsive in the true sense of the terms, has to be conductive to the fulfilment of public needs and sensitive to public grievances. After independence, the focus of governance has shifted to build up 'the welfare state'. It the situation is analysed properly one comes to know that certain features of one comes to know that certain features of our administrative system have been inherited from our colonial past. The British legacy emphasized 'command, the feeling of the subjects' were not of much consequence. The ghost of the meeting of 1857 had always haunted the Britishers and they responded by establishing a highly centralized and unresponsive system of governance. The greatest thrust on administrative reform at the national level came with the appointment of the administrative reforms commission in 1966 which made a comprehensive study of administration and governance at all levels. The governance should be for the people and not people for the administration. The spirit is well reflected in the Indian constitution also. A comparative picture of the objective, accountability, methods and functions of governance during pre and post independence era may perhaps help to understand the concept of responsive and democratic governance.

S. No.		Before 1947	After 1947
A.	Main objective of the governance of administrative system.	To maintain British Rule.	Building up the welfare state
B.	Accountable to	British Masters/Imperial setup	1. Public 2. Constitution 3. Acts/Rules.
C.	Methods	Oppressive	Persuasive with constructive goals.
D.	Functions	Mainly regulatory	Both the regulatory and development but with greater emphasis on the later.

Constitutional Status of Panchayats

The 73rd constitution amendment Act widened the scope for democratic governance by enhancing and ensuring adequate representation of women, poor, and deprived sections of the society in all elected bodies. Mechanisms for the decentralization of administration and development works down to the village, block and district levels were created. Powers were vested in elected represent achieves enabling them to determine the needs and priorities, to initiate socio-economic development and to build a society based on democratic principles. The People were given an opportunity to enhance their capability and capacity to plan and execute development programmes, projects and schemes from below.

For democracy to be successful the grassroots organisations have to be strong and the local authorities have to response to the felt needs of the people. The citizens have to have faith in the efficacy and efficiency of the administrative system so that the distance between people and the government is reduced. The instruments of good governance have to be accessible to all rich or poor, literate or illiterate, man or women. It is here that local governments can play a crucial role in strengthening democracy and bringing about a responsive, accountable, effective and people friendly administration at the local level.

In India a number of rural development programmes have been launched during the last decades or so, they did not however produced expected results. As a result a large number of people still live below the poverty line. Development has not trickled down to the needy. Evidences suggest that rural development programmes often missed their mark because of institutional and administrative weakness at the grassroots level. The People's participation in the programmes and policies meant for them has been lacking. It was in this context that the establishment of three tier structure of the Panchayati Raj institutions as envisaged in 73rd amendment of the constitution of India was hailed as a great step forward. It's time that the Panchayati Raj institutions are geared up to play a pro-active role in ensuring development in the rural areas. Decentralization should be used as a strategy for transforming the rural communities into models of development and for correcting the urban rural imbalance.

The 73rd constitutional amendment Act, 1992 marked a new era in the democratic set up of our country as it created panchayati raj institutions (PRIS) of self- governance below the level of states in the federal set up. It is also a landmark in the decentralized development as it envisions people's participation in the process of planning, decision- making, implementation and delivery. These constitutional provisions provide for devolution of powers and responsibilities to different tiers of PRIS with respect to preparation of plans and programmes for economic development and social justice and their implementation in relation to 29 subject listed in eleventh schedule.

Gandhiji was of the view that the panchyats should also serve as a settlement body for local disputes. "That would ensure speedy justice without any expenditure. They would need neither the police nor the military Gandhiji's concept of panchayati raj was to make India a "union of village Republic's Gandhiji had spoken about seven social sins greatly affecting our society: politics without principles, wealth without character, pleasure without consciousness, science without humanity, worship without sacrifice.

The Challenge before the different stake holders is to make the PRI's true representatives of local self-government. A strong and vibrant gram sabha is the only bull work against corruption, embezzlement of founds and exclusion of the poor and marginalized for the decision-making process. Concerted efforts, therefore, are required to make gram sabhas the hub of all activities in our villages. Non government organisations (NGO's) voluntary organisations (VDS) have been involved in our country in the process of development for a long time. Initially they were largely operating in the field of social welfare, but in last decade they have been playing an active role in building up people's awareness and in providing support for development works and programmes. People's initiatives express themselves in several ways - NGO's citizen groups, pressure groups, self-help groups (SHG's), pani panchayats watershed associations village education committees are examples of some of the successful voluntary associations in order to address the rampant corruption prevailing in the society, the recently passed Right to information (RIT) Act. would be a useful tool in the hands of civil society gram sabha is the backbone of the panchayati raj system. It activates the rural governance system and enable democratic traditions and values to penetrate deep down the village there by strengthening the institutional mechanism of participatory development. The main function of the gram sabha is that of a "Watch Dog."Incidentally, it is also integral to the Gandhian concept of panchayati raj.

In accordance with the provisions of the constitution all state governments have provided for the institution of the gram sabha in their respective panchayati Raj acts in the new dispensation, the gram sabha has become a constitutional reality vested with specific powers and functions. As per article 243(B) gram sabha meas a body consisting of persons registered in the electoral rolls relating to a village comprised within the area of a panchayat. In the absence of the gram sabha, people's participation cannot be enlisted.

Rural development is important for India, likewise other goals such as nation building, economic growth and social progress and therefore, we need definite approaches and strategies to bring about new changes in development earlier, the development was identified with growth in gross national product or economic growth. But with conception changes in regard to socio-economic progress, it is viewed from a father different perspective. We must take into account economic growth along with socio-cultural and politico administrative context. In order to fulfil the felt needs of the rural weaker sections, efforts have been made through generation of economic opportunities and by providing batter welfare facilities. The development process is and action oriented governance system. The goal of the India freedom struggle was clear in this regard it was self rule "swaraj" only swaraj could make growth or development possible.

As Pandit Jawarlal Nehru observed "Panchayats should be given greater power for we want the villager to have a measure of real swaraj in his own village. He should have power and not have to refer everything to big officials. We do not want the officials to interfere too much in the life of the village. We want to build swaraj from the village up"

Gandhiji himself for instance held that "true democracy could not be worked by some men sitting at the top. It had to be worked from below by the people of every village"

References

1. Kaushik, Asha. (1996) *Pyramid and the Community: Gandhi's Alterative of Decentralization Democracy*. New Delhi: Deep & Deep. p. 86-94.
2. Rao, Dosagiri, and Subramanian, P.V.V. (2002) *Gram Sabha – Nerve Centre of Democracy*. Yojana, December. p .31.
3. John, M. Cohen., and Uphoff, Norman T. (1980) *Participation's Place in Rural Development Seeking Clarity through Specificity.* World Development. P. 213-236.
4. Verhage, Koenroad. (1980) How to Promote People's Participation in Rural Development through Local Organisation. *Review of International Cooperation.* p.1-28.
5. Parmeshwar, M.P. (1994). *Powerd Panchaytiraj.* Jaipur, BGS. p. 75.
6. Datt, Maheshwar, (1980) *Gandhi and Post Gandhi Panchayti Raj : A Comparative Study*. Gandhi Marg, November, p. 9-11.
7. Yadav, P. Ram. (1980) People's Participation: Focus on Mobilisation of the Rural Poor" In UNAPDI, *Local Level Planning , Alternative Strategy.* Concept Publishing Co. New Delhi.
8. Mishra, Suresh. (2005) Decentralised and Empowered Institutions of Local Governance : The Reforms Panchayats Must Undergo, In S.S Chahar (eds.) *Governance at Grassroots Level in India*. New Delhi: Kanishka Publishers. p.21-25
9. Jain, S.P. (1997) The Gram Sabha : Gate way to Grassroots Democracy. *Journal of Rural Development*. P. 563.
10. Moulik, T.K. (1978) *Techniques of Mobilising Rural People to support Rural Development Programme*. Kualalumpur. p. 60.

An Analytical Study on Child Welfare

Ms Kiran Raj
Research Scholar
Manipal University, Jaipur (Raj.)

Abstract

The children of today are the future of tomorrow; this powerful statement assumes special significance in our context as children (0-14 years) comprise one third of the total population in the country. Every child, on provision of a conducive and an enabling environment, may blossom into an ever fragrant flower, to shine in all spheres of life. This reminds us of the onerous responsibility that we have to mould and shape their present conditions in the best possible way. The journey in the life cycle of a child involves the critical components of child survival, child development and child protection. Child participation which envisages their active involvement and say in the entire process adds a new dimension. Child survival entails their basic right of being born in a safe and non-discriminatory environment and grows through the formative years of life in a healthy and dignified way. Adverse sex ratio at birth, high child mortality rates and the rapidly declining child sex ratio reflects the ensuing challenges. Reducing the level of malnutrition and micronutrient deficiency and increasing enrolment, retention, achievement and completion rates in education are the focus areas in child development. Safeguarding the children from violence, exploitation and abuse fall under child protection. Realising the deprived and vulnerable conditions of children, the law makers of the country have always accorded a privileged status to children. The number of rights and privileges given to the children in the Constitution of India, duly supported by legal protection, bears a testimony to this. On policy side, the Government of India is committed to promote the survival, protection, development and participation of children in a holistic manner and a series of measures cutting across the boundary of gender, caste, ethnicity or region have been initiated in the past several years to realize the all-inclusive growth devoid of exclusion and discrimination. However, even today, after six decades of independence and despite various initiatives both on the legal as well as policy and programme levels, the condition of children remains a cause of concern in the country.

Keywords: *Children, Welfare, Rights, Protection, Laws*

I believe the future of our world, which is the children, depends on every one of us. Each of us should take responsibility to make things better for each other.[1]

"Unless the tender plant is properly nourished, it has a little chance of growing into a strong and useful tree. Bright future of a nation cannot be seen, until its children have a bright future."[2]

Introduction

Children are my life.[3] This is perpetual truth that children are the future, supremely important asset, leaders of tomorrow, indispensable actors and mirror of their family, society and nation. So their nurture and solicitude are our responsibility. Ensuring the rights and wellbeing of children is the key to sustained development in a country and to peace and security in the world. In a

historical case ***Sheela Barse v. Secretary Children Aid Society and others***[4] the Hon'ble Apex Court observed that "if there be no proper growth of children of today, the future of the country will be in dark. It is the obligation of every generation to bring up children who will be citizens of tomorrow in a proper way. Today's children will be leaders of tomorrow who will hold the country's banner high and maintain the prestige of the nation."

"Children are not only future citizens but also the future of the earth. The Apex Court also opined that elders in general and parents and teachers in particular owe a special responsibility of taking care of the wellbeing and welfare of children. The world shall be a better place or worst place to live according to how we treat the children today. Education is an investment made by the nation in children for harvesting a future crop of responsible adults productive of a well-functioning society." Hence the child welfare assumes paramount importance for better tomorrow. That is why child welfare has captured the attention of society, state, social action group at national and international level for long.

To enable fathering of a valiant and vibrant man, the child must be groomed well in the formative years of his life. He must receive education, acquire knowledge of man and materials and blossom in such an atmosphere that on reaching age he is found to be a man with a mission.[5]

The Apex Court of India said that[6] "if there be no proper growth of children of today the future of the country will be in dark". The child by reason of physical and mental immaturity needs special safe guards, care and legal protection. It is also truth that everywhere in the world children are exploited through wage and quasi-wage employment due to lack of proper care, guardianship of their parents and negligent behaviour of the State. In India it has been estimated that 60-70 million children in age group of 5-14 work as child labourers. Most of these about 90% work in the rural areas. In urban areas the majority of children work in small factories, households, and shops. A number of them are also engaged in illegal activities. A large number of children are also worked in hazardous industries.

It may be that the aforesaid appeal lies at the back of the saying that "child is father of the man", to enable fathering of a valiant and vibrant man, the child must be groomed well in the formative years of his life. He must receive education; acquire knowledge of man and materials, and blossom in such an atmosphere that on reaching age, he is found to be a man with a mission, a man who matters so far as the society is concerned.[7] Children of the world are innocent, vulnerable and dependent. They are all curious, active and full of hope. Their life should be full of joy and peace, playing learning and growing. Their future should be shaped in harmony and co-operation. Their childhood should mature, as they broaden their perspective and gain new experience. Abandoning the children, excluding good foundation of life for them, is a crime against humanity. The children cannot wait till tomorrow; they grow every day; along with them grows their sense of awareness about the surroundings. Tomorrow is no answer; the goal of their present care, protection and rehabilitation is need of the hour.[8]

The main goal of this article is to find out as to what true meaning and nature of child welfare. The purpose of this article is to give a company statement on the prevalent law regarding social status of the children of the nation.

Who is Child

Defining what age a person is or ceases to be a child is a constant debate in the India. The Census of India considers children to be any person below the age of 14, as do most government programmes. Biologically childhood is the stage between infancy and adulthood. According to the UNCRC 'a child means every human being below the age of eighteen years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier'. This definition of child allows for individual countries to determine according to the own discretion the age limits of a child in their own laws.

Child Rights: A Gist

They are abandoned. They do not get a chance to step in a school. They are left to fend for themselves on the streets. They suffer from many forms of violence. They do not have access to even primary healthcare. They are subjected to cruel and inhumane treatments every day. They are children – innocent, young and beautiful – who are deprived of their rights.

In the history of human rights, the rights of children are the most ratified. The United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) defines basic rights of children covering multiple needs and issues. India endorsed it on December 11, 1992.

These rights encompass freedom of children and their civil rights, family environment, necessary healthcare and welfare, education, leisure and cultural activities and special protection measures. The UNCRC outlines the fundamental human rights that should be afforded to children in four broad classifications that suitably cover all civil, political, social, economic and cultural rights of every child. Following are a few rights in the immediate purview of Smile Foundation as well as India.

- **The Right to Education:** 50% of Indian children aged 6-18 do not go to school Dropout rates increase alarmingly in class III to V, its 50% for boys, 58% for girls.
- **The Right to Expression**: Every child has a right to express himself freely in whichever way he likes. Majority of children however are exploited by their elders and not allowed to express.
- **The Right to Information**: Every child has a right to know his basic rights and his position in the society. High incidence of illiteracy and ignorance among the deprived and underprivileged children prevents them from having access to information about them and their society.
- **The Right to Nutrition**: More than 50% of India's children are malnourished. While one in every five adolescent boys is malnourished, one in every two girls in India is undernourished.
- **The Right to Health & Care**: 58% of India's children below the age of 2 years are not fully vaccinated. And 24% of these children do not receive any form of vaccination. Over 60% of children in India are anaemic. 95 in every 1000 children born in India, do not see their fifth birthday. 70 in every 1000 children born in India, do not see their first birthday.
- **The Right to protection from Abuse**: There are approximately 2 million child commercial sex workers between the age of 5 and 15 years and about 3.3 million between 15 and 18 years. They form 40% of the total population of commercial sex workers in India. 500,000 children are forced into this trade every year.
- **The Right to protection from Exploitation**: 17 million children in India work as per official estimates. A study found that children were sent to work by **compulsion and not by choice**, mostly by parents, but with recruiter playing a crucial role in influencing decision. When working outside the family, children put in an average of 21 hours of labour per week. Poor and bonded families often "sell" their children to contractors who promise lucrative jobs in the cities and the children end up being employed in brothels, hotels and domestic work. Many run away and find a life on the streets.
- **The Right to protection from Neglect:** Every child has a right to lead a well-protected and secure life away from neglect. However, children working under exploitative and inhuman conditions get neglected badly.
- **The Right to Development**: Every child has the right to development that lets the child explore her/his full potential. Unfavourable living conditions of underprivileged children prevents them from growing in a free and uninhibited way.

- **The Right to Recreation:** Every child has a right to spend some time on recreational pursuits like sports, entertainment and hobbies to explore and develop. Majority of poor children in India do not get time to spend on recreational activities.
- **The Right to Name & Nationality:** Every child has a right to identify himself with a nation. A vast majority of underprivileged children in India are treated like commodities and exported to other countries as labour or prostitutes.
- **The Right to Survival**: Of the 12 million girls born in India, 3 million do not see their fifteenth birthday, and a million of them are unable to survive even their first birthday. Every sixth girl child's death is due to gender discrimination.

The Constitutional Spectrum of Child Welfare

The first step to fulfil the rights of children can be found in the Constitution of India. There are a number of articles that address various needs of children as outlined below. The articles are divided into two categories: Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy. Fundamental Rights are justifiable in a court of law and are negatives that prohibit the states from doing thing. The courts are bound to declare a law as invalid if it violates a fundamental right. Directive principles are positive suggestions for states, and are not justifiable in a court of law.

Fundamental Rights

- Article 14- The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of laws with in the territory of India.
- Article 15- The State shall not discriminate against any citizen. Nothing in this Article shall prevent the State from making any special provisions for women and children.
- Article 21-No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.
- Article 21 A-The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6-14 years in such manner as the State may, by law, determine.
- Article 23-Traffic in human beings and beggary and other forms of forced labour are prohibited and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with the law.
- Article 24-No child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment.
- The Constitution (86th Amendment) Act was notified on 13th December 2002, making free and compulsory education a Fundamental Right for all children in the age group of 6-14 years.

Directive Principles

- Article 39(e) and (f) provides that the State shall, in particular, direct its policy towards securing to "ensure that the health and strength of workers, men and women and the tender age of children are not abused" and "that the citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength" and that "the children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity" and that the childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment.
- Article 45- The State shall endeavour to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of six years.
- Article 47- The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties
- Article 243G read with Schedule 11 - provide for institutionalization of child care by seeking to entrust programmes of Women and Child Development to Panchayat (Item 25 of Schedule 11), apart from education (item 17), family welfare (item 25), health

and sanitation (item 23) and other items with a bearing on the welfare of children.

The Constitution of India which guarantees certain "Fundamental Rights" to all India citizen includes children. A comparative study of the Universal Declaration of Human Rights, the U.N. Convention on the Rights of Child and part III and IV of the Indian Constitution would show that the rights envisaged in the International Instrument, are adequately provided in our Constitution.

The Legislative Aspects

Child and child welfare both as a concept and in practice has deep historical roots in our country. The major welfare legislations pertaining to children may confine in the following manner: The Child Marriage (Restraint) Act, 1929,The Probation of Offenders Act, 1958. The Child Labour Prohibition and Regulation Act, 1986,The Juvenile Justice Act, 1986,The Children (Pledging of Labour) Act, 1933,Employment of Children Act, 1938 Factories Act, 1948, The Children (Pledging of Labour) Act, 1933. The Bidi and Cigar Workers (condition of Employment) Act, 1966, The Factories Act, 1948, The Mines Act, 1952, The Motor Transport Workers Act, 1961, The Child Labour (Prohibition and Regulation Act, 1986, The Plantations Labour Act, 1951, Minimum Wages Act, 1948.

The Judicial Dicta on Child Welfare

Apex court of India said that "If there be no proper growth of children of today, the future of the country will be in dark".

Many path-breaking judgments of the Supreme Court have done a great deal by expanding the human rights doctrine. ***M.C. Mehta v. State of T.N.,***[9] and ***M.C. Mehta v. State of T.N.,***[10] are two of such judgements which brought hope to child workers all over the country and relief to many of them. In the latter decision, the highest court of the land while pointing out that it is necessary to recognize, address and tackle the root causes of the problem and further acknowledge economic compulsions and need to make up for insufficient family income, directed that those employing the children in contravention of the Child Labour (Prohibition) and Regulation Act, 1986 must be asked to pay a compensation which would enable the creation of the "Child Rehabilitation-cum-Welfare Fund". While directing the State to implement existing Child Labour legislation, the apex Court also drew attention to the constitutional duties and obligations of the State in this regard and asked the State to see that an adult member of the family of the child who is employed in a factory or a mine or performing other hazardous work and is to be withdrawn in compliance of the directions of the Court, is given employment anywhere in lieu of the child within the limits of the economic capacity and development of the State. If implemented in right earnest with political will, this directive can provide the child labourer, at least to those employed in the nine sectors that have been identified as hazardous, with a new lease of life.

In 1992, the Supreme Court in the case of ***Mohini Jain v. State of Karnataka***[11] held that right to professional education is a fundamental right. This was followed by a series of cases field by private and state aided medical and engineering colleges seeking review of this decision. Obviously, their main source of income, capitation fees, were being threatened. The Supreme Court was constrained to constitute a special bench to hear the case of the private colleges. After four weeks of arguments, the apex court passed the judgment in ***Unni krishnan and others v. State of Andhra Pradesh and others.***[12] The most important questions that the court framed for consideration in this case was – Whether the Constitution of India guarantees a fundamental right to education to its citizens.

It was held that: "Right to education, understood in the context of Article 45 and 41 means (a) every child/citizen of this country has a right to free education until he completes 14 years, his right to free education until he completes the age of fourteen years and (b) after a child/citizen complete 14 years, his right to education is circumscribed by the limits of the economic capacity of the State and its development.

We must say that at least now the State should honour the command of Article 45. It must be made a reality – at least now. Indeed, the National Education Policy 1986 says that the promise of Article 45 will be redeemed before the end of this century. Be that as it may, we hold that a child (citizen) has a fundamental right to free education up to the age of 14 years.

Unnikrishnan[13] was followed in ***N. Kumbichekku Haji (Dead) by LRS. V. State of Kerala and others***[14] when the court in a case pertaining to question of providing up gradation of a school held that children have a fundamental right to education and therefore larger interest of young children should be taken into consideration in meeting the procedural cobweb and the technicalities should not subsume substance.

This was acknowledged again in ***State of Orissa v. Dipti Paul***[15] when the Court while deciding on the case salaries of teachers appreciated the importance of universalisation of primary education.

In **L. Muthukumar and another v. State of Tamil Nadu** and others, the Court held that there was a responsibility on the State to ensure that before teachers are allowed to teach innocent children, they must receive appropriate and adequate training in a recognized training institute satisfying the prescribed norms, other the standard of education and careers of children will be jeopardized. It further held that interest of individuals cannot be placed above or preferred to the larger public interest.

Associated Managements of Primary and Secondary Schools in Karnataka v. The State of Karnataka by its Secretary, Department of Education and Others.[16]

Constitution of India, Articles 19(1)(A)(G) Read With Article 21(A) - Freedom of The Children to Have Primary Education in a Language of Their Choice - HELD, Article 19(1)(a) declares that all citizens shall have the right to freedom of speech and expression. The medium of acquiring knowledge or information should be the choice of the person acquiring the knowledge. In what language the instructions are to be taken or imparted should be the choice of the student or the person imparting education. There cannot be any compulsion regarding the medium of instruction. If there is compulsion, then it would amount to the violation of a human right apart from the fundamental right to freedom of speech and expression - Medium of instruction is a species of right to information. Therefore, the right to medium of instruction of their choice is implicit in this freedom of speech and expression - When right to education is a fundamental right and in particular by Article 21-A, a fundamental right is conferred on all children of the age of six to fourteen years to have free and compulsory education, which is popularly known as "primary education"- FURTHER HELD, The State has been conferred power under the said Article to provide for free education in such a manner as the State may, by law, determine - If this Article 21-A is read with Article 19(1)(a) all children have the freedom to have primary education in a language of their choice as it is implicit in the right to freedom of speech and expression, the right to study or get instruction in a language of their choice.

Gopal Sharma Vs. State[17] This is an appeal against judgment dated 27th August 2004 and the Order on Sentence dated 3rd September 2004, whereby the appellant was convicted under Section 376 of IPC and was sentenced to undergo R.I. for 10 years and to pay fine of Rs. 20,000/- or to undergo S.I. for one year, in default. The normal sentence in a case where rape is committed on a child below 12 years of age, is not less than 10 years R.I. though in exceptional cases for special and adequate reasons" sentence of less than 10 years R.I. can also be awarded.

Conclusion

Here we concluded by summarizing the whole context. The preamble of Declaration of the Right of child lays that "the child, by reason of physical and mental immaturity, needs special safe-guards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth", and that "mankind owes to the child the best it has to give." Facilities shall be provided for special

treatment, education, rehabilitation and care of children. Existing laws should be amended so that in all legal disputes, whether between parents or institutions, the interests of children are given paramount consideration.In organising services for children, efforts would be directed to strengthen family ties so that full potentialities of growth of children are realised within the normal family, neighbourhood and community environment.

To quote **Justice PN Bhagwati**, Former Chief Justice of India:

*"**The child is a soul with a being, a nature and capacities of its own, who must be helped to find them, to grow into their maturity, into a fullness of physical and vital energy and the utmost breadth, depth and height of its emotional, intellectual and spiritual being; otherwise there cannot be a healthy growth of the nation.**"*

Now obviously children need special protection because of their tender age and physique, mental immaturity and incapacity to look after themselves. That is why there is growing realization in, every part of the globe, that children must be brought up in an atmosphere of love and affection and under the tender care and attention of parents so that they may be able to attain full emotional intellectual and spiritual stability and maturity and acquire self-confidence and self-respect and a balanced view of life with full appreciation and realization of the role which they have to play in the nation building process, without which the nation cannot develop and attain full prosperity, because a large segment of the society would then be left out of the development process.

References

1. *Gokce, 16, from Turkey*
2. Justice Subha Rao
3. Mahatma Gandhi.
4. 1987 (3) SCC 50.
5. *Rohit Sinhal & Others V/s Principal, Jawahar N. Vidhyalaya* 2003 (1) SCC 687.
6. *Sheela Barse v. Secretary Children Aid Society and Others,* 1987 (3) SCC 50.
7. *M.C. Mehta v. State of T.N.*, AIR 1997 SC 699, 701: 1996 (6) SCC 756: 1996(8) Supreme 450.
8. *Gaurav Jain v. Union of India*, AIR 1997 SC 3021, 3037-3038.
9. AIR 1991 SC 417.
10. AIR 1997 SC 669,711: 1997 AIR SCW 407: 1997(1) Supreme 207: 1996 (6) SCC 756.
11. 1992 (3) SCC 666.
12. 1993 (1) SCC.
13. Unnikrishnan v. State of AP (1993) 7 Sec. 618.
14. 1995 Supp (2) SCC 382.
15. 2000(10) SCC 413.
16. ILR 2008 KAR 2895, 2008(4) KAR LJ 593.
17. Crl. A. No. 615/2005 Decided On: 02.02.2010.

Environmental Planning and Co-ordination (A Study of Jaipur and Alwar Districts of Rajasthan State)

Dr. Madhuri Gupta

Lecturer, Political Science, Govt. Arts College, Dausa (Raj.)

Abstract

Scientific environmental planning is the basis for the success of effective environmental management. Planning makes goal of the organization more realisable, actionable and more concrete by giving direction to the efforts of managers, workers, NGO's, social organization and general public. Co-ordination among different environmental agencies are necessary to achieve better results. Planning work should be completed at top level but suggestions from grass root level should be included before the final approval. Co-ordination among different environmental agencies is the basic requirement for the success of environmental projects. Better involvement of Government agencies is necessary in planning and co-ordination of environmental projects.

Keywords: *Environment, Government Agencies, NGO's, Integrated Plans*

Introduction

The challenge of environmental management and regulation has been increasing continuously in a developing country like India. Over the years, legislation has evolved. With the enactment of the Environment (Protection) Act, 1986[1], the various rules and notifications, and the National Environment Policy, 2006[2], a credible legislative and policy base have been created but there are gaps and lacunae in the institutional mechanisms and implementation. Our environmental laws have been progressive but implementation by government agencies has left much to be desired. The institutional structures in their current form are inadequate for responding to the emerging environmental challenges.

Environment Planning

Scientific environmental planning is the basis for the success of effective environmental management. "Planning is the basic requirement for the organizing, directing, co-ordinating and controlling of any organized programme."[3] Similarly environmental planning is the essential requirement for the success of environmental projects. Planning is the foundation of most successful actions of environmental programmes. All activities of an environmental organization and its members are designed to achieve certain objectives. Planning makes these goals realisable, actionable and more concrete by giving direction to the efforts of managers, workers, NGO's[4], social organization and general public. Planning minimizes costs because of the emphasis laid on efficient operation and consistency. Planning co-ordinates the activities of the organization. Planning increases organizational effectiveness by placing responsibility more precisely. Planning process provides an excellent channel of communication among Government organizations, NGO's, social groups and general public. Environment Planning includes the identification of mitigation and compensation measures for all the identified significant impacts. It includes study of present status, planning for future, project appraisal[5] and review the results.

It also involves the physical planning including work programme, time schedule and budget estimates. Planning includes sensitivity analysis, risk analysis and social-cost benefit analysis. [6]

Environmental planning is the process of evaluating how social, political, economic and governing factors affect the natural environment when considering development. The goal of environmental planning is to come up with a win-win situation for society and the environment. With successful environmental planning, society wins by being able to use the area in productive ways, and the environment wins by being able to sustain itself for future generations.[7] Environmental problems are not purely scientific; some of the major problems deal with poor management and the inability to involve people in environmental decision making process. The tendency is for top management to view environmental management efforts as expensive and wasteful to an organization. So it is necessary to review environmental problems as they are affected by poor planning and management. [8]

Planning at Grass Root Level

Opinion has been taken regarding the assignment of planning work at top management or grass root level as indicated in Table No. 1. In this study, 60.17% opinion indicates that the planning work should be assigned to the top level of environment management but suggestions of grass root level should be included in it. 12.33% opinion shows that the planning work should be assigned to grass root level. Only 9.50% opinion shows that planning work should be completed at top level. It can be concluded that planning work should be completed at top level because technical experts are available at higher level of management. They can evaluate and redress the problem in the overall view but suggestions from grass root level should be included before the final approval. Pilot survey should be organized to obtain the views of the public.

Table 1: Opinion regarding environmental planning

District	Information	Total Score	Score Achieved	Score Achieved In % Age	Classification		
					Age Wise		
					<25	26-60	>60
Jaipur & Alwar	Planning work at top level	600	57	9.50	24	19	14
	Grass root planning should be imparted	600	74	12.33	30	22	22
	No need of planning	600	108	18.00	40	35	33
	Planning at top level with the suggestion from grass root level	600	361	60.17	271	63	27
	Grand Total		600	100.00	365	139	96

The collected data indicate that planning should be done at top level with the suggestions from the grass root level. To test the significance of data, **chi-square test**[9] has been applied as under:-

Null hypothesis (H_0)-1—There are no significant differences between observed and expected data.

Alternative hypothesis (H_1)—There are significant differences between observed and expected data.

Table 2: Chi-square Table

Observed Data (C)	Expected Data (E)	O-E	$(O-E)^2$	$(O-E)^2/E$
57	150	93	8649	57.66
74	150	76	5776	38.51
108	150	42	1764	11.76
361	150	11	121	00.81
600	**600**			**χ^2 =108.74**

Table value of χ^2 at 5% level of significant for 3 degree of freedom is 9.49. Calculated value of χ^2 is 108.74 which is much higher than the table value. Hence, there are significant differences between observed and expected data. Alternative hypothesis[10] is accepted and null hypothesis is rejected. Environmental planning should be completed at the top level of management with the active involvement of the grass root level. Opinion of NGO's and other social groups should be considered in the planning process.

Co-ordination among Different Environmental Agencies

To achieve the objectives of the environmental policy, co-ordination among different environmental agencies is required. Co-ordination is the set of human and structural mechanism designed to link the parts of the system. It is a continuous process whereby a manager develops an integrated pattern of group efforts in the pursuit of a common goal. It is a process of integrating the activities of different employers and units. Co-ordination is the essence of administration. It is the part of all administrative functions of planning, organizing, staffing, directing and control. Co-ordination is not executed by orders. It cannot be achieved by force. It requires mutual understanding, willingness to cooperate, clarity of roles, team spirit, integrated plans and free exchange of ideas. There is need of democratic co-ordination. Opinion has been taken from the public regarding the necessity of co-ordination in different environmental agencies. The collected data have been tested with the help of chi-square test given as under:

Table 3: Observed Data regarding Co-ordination among Different Environmental Agencies

Information	Effective in environ-mental protection	Not effective in environ-mental protection	Total
Co-ordination is necessary	349	101	450
Co-ordination is not necessary	131	19	150
Total	**480**	**120**	**600**

Null Hypothesis (H_0)

There is no significant difference between observed data and expected data.

Alternative Hypothesis (H_1)

There is a significant difference between observed data and expected data.

Table 4: Expected Data regarding Co-ordination among Different Environmental Agencies

Information	Effective in environ-mental protection	Not effective in environ-mental protection	Total
Co-ordination is necessary	360	90	450
Co-ordination is not necessary	120	30	150
Total	**480**	**120**	**600**

58.17% observed data regarding the co-ordination of different environmental agencies show that co-ordination among different environmental agencies is necessary. Co-ordination among these agencies will be helpful in environmental protection. Only 3.16% observed data indicated that co-ordination was not necessary and it did not effect the present environmental position. To test the significance of data, chi-square test has been applied as under:

Table 5: Chi-square Table

Observed Data (C)	Expected Data (E)	O-E	$(O-E)^2$	$(O-E)^2/E$
349	360	(-)11	121	0.34

Observed Data (C)	Expected Data (E)	O-E	$(O-E)^2$	$(O-E)^2/E$
121	90	31	961	10.68
131	120	11	121	1.01
19	30	(-)11	121	4.03
Total				χ^2 =16.06

Degree of freedom = (c-1) (r-1)

= (2-1) (2-)

= 1

Table value of χ^2 for 1 degree at 5% level of significance is 3.84. Calculates value of χ^2 is 16.06 which is higher than the table value. Hence null hypothesis is rejected and alternative hypothesis is accepted. It can be concluded that there is significant difference between observed and expected data.

General observation of the collected data indicates that co-ordination among different environmental agencies is necessary to protect environmental degradation. Opinion regarding co-ordination among different environmental agencies is given below:

Table 6: Opinion regarding position of co-ordination among environmental agencies

District	Information	Total Score	Score Achieved	Score Achieved In % Age	Classification		
					Age Wise		
					<25	26-60	>60
Jaipur & Alwar	Effective co-ordination	600	104	17.33	50	30	26
	No co-ordination at all	600	314	52.33	193	55	66
	Co-ordination only for selective programmes	600	148	24.67	75	40	33
	Do not know	600	34	5.67	20	6	8
	Grand Total		600	100.00	338	131	133

The present position of co-ordination among different environmental agencies is not good. As per table no. 6, 52.33% opinion indicated that there was no co-ordination among different environment agencies. Most of the environmental agencies and NGO's are working independently. 24.67% opinion shows that co-ordination among different environmental agencies is limited only in selective programmes. There planning and implementation are independent. Only 17.33% opinion shows that there is effective co-ordination among different environmental agencies to spread the equal benefit among different regions and different segments.

Review of Performance of Government Agencies

Most of the projects of environmental protection are implemented through Governmental agencies. General observation indicates that the performance level of these projects is not satisfactory. Cost effectiveness of these projects is very poor. These projects are not completed in time and results of these projects are below the satisfactory level. Opinion has been taken regarding reasons for poor performance of Government agencies in environmental area as indicated in Table No. 7. 38.46% aggregate opinion indicates lack of people's participation in these projects. Efforts to involve people for active participation are poor. Political involvement in implementation of these projects restricts involvement of the general public28.74% aggregate weightage has been assigned to lack of positive thinking among employees. Red-tapism, procedural delay and negative thinking are the reasons for delay in projects.

Table 7: Opinion regarding reasons for poor performance of Govt. agencies in environmental area

District	Information	Total Score	Score Achie-ved	Score Achieved In % Age	Classification		
					Age Wise		
					<25	26-60	>60
Jaipur & Alwar	Lack of people's partici-pation	2400	1899	38.46	748	719	432
	Lack of awareness among people	2400	1419	28.74	587	566	266
	Lack of effective agency at local level to redress public grievances	2400	1017	20.60	403	401	213
	Ineffective laws	2400	602	12.19	204	202	196
	Grand Total		4937	100.00	1942	1888	1107

20.60% aggregate weightage has been assigned to lack of effective agency at local level to redress the public grievances which are the cause of dissatisfaction among people at local level. 12.19% aggregate weightage has been assigned to corruption at implementation level which restricts to speed up the implementation process of the projects.

Conclusion

Environmental planning is the basic requirement for the success of any environmental project because planning make the goal more realisable, actionable and achievable. The results draw the conclusion that planners of top level management should associate with grass root level for desired success. Co-ordination among different environmental agencies are necessary to achieve better results. Presently performance of Government environmental arencies are poor. To achieve better results, co-ordination among Government agencies, private organizations, NGO's and general public are needed.

References

1. The Environment (Protection) Act, 1986. Available from www.envfor.nic.in
2. National Environment Policy, 2006. Available from www.moef.gov.in.
3. Chatterjee, Satya Saran. *An Introduction to Management*. The World Press Private Ltd., Calcutta.
4. Choudhary, D. Paul, *Voluntary Efforts in Social Welfare and Development*, New Delhi: Siddhartha Publishers.
5. Ezra, Soloman. *The Theory of Financial Management*. Columbia University Press.
6. Chawla, Krishna. *Social-Cost Benefit Analysis*. New Delhi: Mittal Publication.
7. http://study.com,environmental-planning-decision-making
8. Madu, Christian N. *Environmental Planning and Management*. New York: Pace University.
9. Westfall, Boyd, and Stasch. *Marketing Research: Text and Cases.* INC. Homewood, Illinois.
10. Gupta, S.C. and Gupta, Indra. Business Statistics. Himalaya Publishing House, New Delhi.

To Retrospect the Significant International Parameters for Quality Assessment in Higher Education System in Indian Scenario

Devika Chhachhiya

Research Scholar, IIS University, Jaipur (Raj.)

Dr. Manish Gupta

Project Director, OSD III, DST Govt. of Raj., (Raj.)

Dr. Amita Sharma

Asst. Professor, IIS University, Jaipur (Raj.)

Abstract

Higher education is an important key factor that directly affects social-economic progress of a country. Future Development of any country is highly influenced by the educational quality in higher level. Therefore, government should pay special attention on the quality of education given by the higher education organizations. Aim of the paper is to identify various quality models and significant parameters followed by them for the quality assessment of the education system around the world. The paper also describes a brief comparison between the various quality framework and models used worldwide with the NAAC quality model used in India. By the comparative analysis we have identified the common benchmarks used by international quality models and NAAC quality model. In this paper we have recognized the significant international parameters for quality assessment in higher education and also identified international parameters adapted by NAAC quality model. Finally paper revealed that NAAC Quality model provides an international quality benchmarks for higher Education.

Keywords: *Quality Assurance, Quality Models, NAAC, Higher Education, Accreditation, Assessment*

Introduction

Quality assurance is a vital aspect of higher education institutions in emergent countries. In developing countries, higher education system is portrayed by resource scarcity, increased competition and the growing complexity of knowledge. In such scenario quality assurance becomes a matter of critical concern. As in developing countries like India, private universities are rapidly growing with increase number of students; assessment of education quality becomes quite difficult but also essential. It is very important to assess and accredit the standard of education as well as the facilities provided by the education centers. In India there are several autonomous accreditation organizations working such as NAAC, AICTE, NCTE, MCI, INC, BCI, RCI, DEC, ICAR. These organizations aim to induce self-evaluation, sovereignty and innovations in Indian higher education system. They have versatile criteria for assessment, but still higher education quality in India is frail.

Survey report was generated by the most popular global university rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU) ranking, Times Higher Education Supplement (THES) World University Ranking and QS World University Ranking on 100 top universities worldwide. It is quite alarming situation that hardly any Indian university (except the IITs and the Indian Institutes of Science) falls in this ranking. The summary of such reports not only raise questions about the quality of Indian Higher Education System but also on their accreditation and quality assurance system. This research is a foundation step in finding the reasons for why Indian University fails in acquiring position in Top ranked universities worldwide. Since the quality assurance structure is the backbone

of any system and it should have strong and invulnerable formation. For this sake we need to study existing international quality assurance system and compare it with Indian system

This paper gives an overview about the quality assurance models used worldwide for the assessment and accreditation in higher education systems. The study aims to discover and compare the international benchmarks which are adopted by different accreditation organizations around the globe. These international benchmarks are compared with NAAC, which is one of the popular quality assurance models used in India. The National Assessment and Accreditation Council (NAAC) is an autonomous body established by the University Grants Commission (UGC) of India to assess and accredit institutions of higher education in the country .

In this paper Section 2 gives a brief history of the origin and development of quality assurance models and accreditation in the education system. Section 3 talks about popularly used international quality assurance models and their benchmarks around the world in detail. The NAAC quality assurance model is discussed in section 4. Section 5 consists of comparative analysis between NAAC and International Quality assurance models studied. Section 6 and 7 gives the conclusion and references respectively.

International Quality Assurance models

There are numerous internationally acceptable quality assurance models throughout the world. This section assay few of them in brief and also the quality benchmarks adopted by them

Quality assurance in UK higher education

The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) is an independent organization working for the standardization of universities and colleges at UK. Quality assurance is done by institutional audit and subject review. Institutional review cycle duration is of 6 years. The process of institutional audit is done in different phases first self evaluation report is generated by the institution then audit visit is done and finally audit team judgment is given which is categorized in three categories “broad confidence”, “limited confidence”, “no confidence”.

The quality benchmarks to access quality of universities and colleges has been divided in the following 11 sections: Postgraduate research programs, Faculty, Collaborative provision, Students with disabilities, External examining, Academic appeals and student complaints, Assessment of students, Programme approval, monitoring and review, Career education, information and guidance, Placement learning, and Student recruitment and admissions.

The quality assurance methodology of UK is relatively analogous to India in values however in practice the reporting method and the criteria details fluctuate significantly. Contextual atmosphere of quality assurance in both countries are also different.

The Council for Higher Education Accreditation (CHEA)

Quality assurance in USA is done by external quality monitoring technique. The Council for Higher Education Accreditation (CHEA) is a private, nonprofit national organization that coordinates accreditation activity in the United States The CHEA acknowledgment for accrediting institute is legal for 10 years with 5 years provisional report. Accreditation process is carried out in 5 phases self study, peer review, site visit, action by accrediting organization, ongoing external review.

The accreditation standards are broadly classified in 8 standards: Curricula, Faculty, Facilities, equipment and supplies, Fiscal and administrative capacity as appropriate to the specified scale of operations, Student support services, Recruiting and admissions practices, academic calendars, catalogs, publications, grading and advertising, Measures of program length and the objectives of the degrees or credentials offered, and Record of student complaints received by, or available to, the agency.

Method of accreditation in US is similar to NAAC with two dissimilarity there is no ranking or grading system either institution or program is accredited or not. There are several accreditation bodies which are recognized under CHEA.

Australian Universities Quality Agency (AUQA)

The Australian Universities Quality Agency (AUQA) is a self-regulating national agency initiated to certify quality assurance in Australian higher education. In 2000, it has been laid by the Ministerial Council on Education, Training and Youth Affairs (MCEETYA). Quality audits of self-accrediting institutions are based on a self-assessment and a site visit. Accreditation period of university is up to seven years.

The quality assurance standards to accredit institutions are classified in 8 sections: Provider standing, Financial viability and sustainability, Corporate and academic governance, Primacy of academic quality and integrity, Management and human resources, Responsibilities to students, and Physical and electronic resources and infrastructure.

Accreditation system in Australia is quite different from US, UK and Indian scenario. In Australia quality audit is performed by central agency AUQA. The reporting methodology adopted by the audit review incorporates commendable practices and areas of improvements. No grading system is present.

Japan University Accreditation Association

Japan University Accreditation Association (JUAA) is an independent institution which works on qualitative improvement of higher education institutions in Japan. Accreditation process is conducted in 4 phases self study, document analysis, site visit, result by accrediting organization. University is accredited in every 5 years and follows grading system (S, A, B, C).

The University Standards i.e. criteria for JUAA to accredit universities and guidelines for universities to maintain the quality are: Mission and Purpose, Education and Research Organization, Faculty and Faculty Organization, Educational Content, Methods, and Outcome, Enrollment, Student Support, Social Cooperation and Contribution, Administration and Finance, and Internal Quality Assurance.

National Assessment and Accreditation Council (NAAC)

It is a self-governing body found by the University Grants Commission (UGC) of India to evaluate and accredit higher education system of the country. National Policy in Education (1986) laid special emphasis on perpetuation the quality of higher education system.

NAAC has identified seven criteria to serve as the basis of its assessment procedures. Accreditation is done in three phase's self-study, NAAC peer team visit, and peer team decision. NAAC follows eight-point grading methodology A++, A+, A, B++, B+, B, C, D that came in to affect from 1st July 2016. There are 32 key aspects and each one is further split into the micro level quality pointers. Accreditation cycle of NAAC is of 5 years.

Criteria followed by NAAC to access quality of higher education system are shown: Curricular Aspects, Teaching-Learning and Evaluation, Research, Consultancy and Extension, Infrastructure and Learning Resources, Student Support and Progression, Governance, Leadership and Management, and Innovations and Best Practices .

Comparative Analysis (*Common Significant Benchmarks of the Quality Assurance Models in Higher Education System*)

By the above literature study we have identified the common benchmarks used by the quality assurance models in higher education system. The common benchmarks are: Academic Quality Vision and Mission, Education and Research Organization, Faculty and Faculty Organization, Student Support, Infrastructure, Social Co-operation And Collaborations, Academic Programs and Curricula, Administration and Finance, and Grievances.

Few of the uncommon benchmarks are student with disabilities, career education information and guidance, student assessment, program approval monitoring and review.

Comparative Study of All Quality Assurance Models and NAAC Quality Model

Table 1: comparative analysis of international quality assurance models with NAAC quality model

Quality Models / Quality benchmarks	Quality Assurance In UK Higher Education	Japan University Accreditation Association	The Council For Higher Education Accreditation (CHEA)	Australian Universities Quality Agency (AUQA)	National Assessment & Accreditation Council (NAAC)
Academic Quality Vision And Mission	Y	Y	Y	Y	Y
Education and Research Organization	Y	Y	Y	Y	Y
Faculty and Faculty Organization	Y	Y	Y	Y	Y
program approval monitoring and review	N	N	Y	Y	N
Organization and Governance	Y	Y	Y	Y	Y
Student Support	Y	Y	Y	Y	Y
Infrastructure	Y	Y	Y	Y	Y
Social Cooperation And collaborations	Y	Y	Y	Y	Y
Academic Programs and curricula	Y	Y	Y	Y	Y
Administration and Finance	Y	Y	Y	Y	Y
Grievances	Y	Y	Y	Y	Y
Student with disability	Y	N	N	N	Y

Table 1 shows a brief Comparative analysis between the quality benchmarks followed international Quality Assurance Models and NAAC Quality Model. In this table quality benchmarks represents the quality bench marks identified by the study of various quality models explained in section 3. By the analysis we will be able to find the bench marks which are common in all the models and also the uncommon ones. Motive of this comparative study is to discover whether NAAC follows international benchmarks or not. By this we can find out the answer of our question which was the basis of our study that Indian quality assurance system is of international standard.

Conclusion and Future Work

Motive of this paper was to find the answer of the question raised at the beginning of the paper that why the Indian University fails in acquiring position in Top ranked universities worldwide. To find the answer of the above question we have studied the quality benchmarks used by the international quality assurance models and organizations in detail and also the NAAC Quality assessment model for the Quality assurance adopted by Indian higher education system.

By the literature study and comparative analysis done in table 1 it has been found that the benchmarks adopted by NAAC for the quality assessment is based on the international benchmarks followed by various Quality assessment models discussed above. The NAAC process for appraisal and accreditation is similar to that followed by various Quality Assurance (QA) agencies across the globe.

As Indian higher education is growing rapidly there is a need of highly robust and analytical assessment mechanism. NAAC has been continuously fine-tuning its evaluation and certification methodologies with respect to regional and global changes in higher education scenario. This helps Indian higher education system to be adaptable to the international changes and wider acceptance of the assessment methodology adopted by them. However, quality Assessment and International ranking system are conspicuously different from each other. The purpose of NAAC is to ensure that the higher education institution assessed by it ensures the fulfillment of the minimum requirements to deliver quality education. It doesn't measure excellence.

On the other hand, International ranking systems are not bothered about the benchmarks. Their criteria to rank an institution is based on very few parameters such as international mix of faculty and students, research publications, grants generated from research among other criteria. This is the reason due to which we lack behind in the international ranking system some of the universities and institutions may outperform at teaching learning and experience benchmarks but lose on the international mix. To overcome such problem NAAC is constantly taking steps to empower higher education institutions by providing grants of Rs 75,000 for each IQAC to conduct seminars and workshops. So we can conclude that NAAC is an international quality assurance model which consist all the relevant quality indicators for the quality assessment in higher education system.. NAAC quality assurance system ensures international credibility of the programs offered in the universities, thus making our higher education systems competitive on the global market.

References

1. Bratean, D. and Dragan, M. (2013) A Conceptual Framework for the Implementation of Total Quality Management in Higher Education. *Managerial Challenges of the Contemporary Society*. p. 195-200.
2. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency Report (2012), *The European Higher Education Area in 2012*, published by EACEA P9 Eurydice.
3. Campell, C. and VanderWende, M. (2010) *International Initiatives and Trends in Quality Assurance for European Higher Education*. Exploratory Trend Report, Finland.
4. FINHEEC .(2010) Finnish Higher Education Evaluation Council. *Quality Manual*.
5. Garcia, Aracil, A. and Palomares, Montero, D. (2010) Examining Benchmark Indicator Systems for the Evaluation of Higher Education Institutions. *Higher Education* 0. p. 217-234.
6. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency Report. (2009) *Higher Education in Europe 2009: Developments of Bologna Process*, polished by EACEA P9 Eurydice.
7. European Association for Quality Assurance in Higher Education. (2009) Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education. ENQA Report on Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. Helsinki, Finland.
8. Nazih, S. & Alimazighi, Z. (2008) A decisional tool for quality improvement in higher education. *Information and Communication Technologies: From Theory to Applications, ICTTA 2008. 3rd International Conference on. IEEE.*
9. Federkeil, G. (2008) *Rankings and Quality Assurance in Higher Education*. Higher Education in Europe. 33(2), p. 219-231.
10. Bollaert, L. (2007) *Embedding Quality Culture in Higher Education.* A selection of Papers form the 1st European Forum for Quality Assurance, Brussels.
11. Abdullah, F. (2006) Measuring service quality in higher education. *Journal Quality Assurance in Education*. 24, p. 31 -47.
12. Guide Quality Assurance Agency for Higher Education (2005). ISBN 1 84482 140 4.
13. European Association for Quality Assurance in Higher Education, ENQA (2005). *Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area*. Helsinki, Finland.
14. ENQA Occasional Paper 5. (2003) *Quality procedures in European Higher Education*. The Danish Evaluation Institute, Helsinki.
15. Harvey, L., et al. (1993) *Defining Quality, Assessment and Evaluation in Higher Education*. Vol. 18, Issue 1.

Geopolitical Importance of Sri Lanka and India in IOR: Post Cold War Era

Reena Ghosh
Research Scholar
Pol. Science and Pub. Administration Department, Banasthali Vidhyapith, Tonk (Raj.)

Abstract

The changing dynamic of India – Sri Lankan foreign policy, since 1991 depicts the impacts of cold war termination and advent of liberal economic reforms on foreign policy dimension between two ambiguous neighbours. Same time Indo- Sri Lanka relations are affecting by the internal power oscillations as well the external power antagonism for establishing their respective influence. Geopolitical importance of Indian Ocean region also increases after cold war. Two-third of world's oil, export-import through IOR and 90 percent of China's oil import through this region. New cold war and strategic location of Indo-Lankan region gives a positive dimension to both neighbours for playing role in world politics. This paper deals with importance of India, Sri Lanka and IOR in post cold war era and analysis its impact and contribution in international relations.

Keywords: *IOR, India, Sri Lanka, Geopolitics, Post Cold War*

Introduction

"During the 18th and 19th century it was an important place as a naval port and had served the purpose of artificial harbour. It has the most spacious natural protected harbour in the central Indian Ocean area. On the East coast, Trinocomalee harbour run inland some thirteen kilometres and the anchorage is large enough to shelter the full fleet of any of world's great power. In air routes, it serves as a connecting point between continents. Its central position in Geopolitical Significance attributes to its future development as a strategic point for the super powers".[1] "At the focal points of sea and air routes, traversing the Indian Ocean, Sri Lanka is a Centre of attention, a magnet of risks. For military build-up, Sri Lanka is a necessary base for the super power's influence in the Indian Ocean region. Its existence as an independent country of great strategic worth has considerable liabilities towards its neighbours, specifically India, which broadly come under the overall strategic defence area in the IOR."[2]

Some basic reasons for importance

- Sri Lanka immediacy with the busiest international maritime lanes.
- Command post of key choke points in IOR.
- Trinocomalee, Colombo, Galle and Hambantota as natural harbours.
- Disclosure of natural gas and oil resource beds in the manner basin.

Indian Ocean , being the third largest Ocean on earth, accounts for 20% of total Oceanic water and extends over an area of 10,000 km from Southern tip of Africa to the Western coast of Australia. The major choke point includes; Babel Mandeb, Strait of Hormuz, Lombok Strait, Palk Strait and Malacca Strait. Indian Ocean encompasses the following eminent seas: 'Gulf of Aden, Andaman Sea, Arabian Sea, Bay of Bengal, Great Australian Bight, Gulf of Manner,

Mozambique Channel, Gulf of Oman, Persian Gulf, Red Sea and others. Indian Ocean is connected to Mediterranean Sea through Babel Mandeb, Red Sea and Suez Canal and to Pacific Ocean by Strait of Malacca. The IOR is 28 million square km area inhibited by 1/3rd of total world population and sequels as a host to significant international sea-trade routes linking Europe and America with Middle East, Africa and East Asia. IOR is the main sea-trade lane for petroleum from the Persian and Indonesia. Robert Kaplan says "account that the Indian Ocean Rim land from the Middle East to the pacific accounts for 50 percent of the container traffic and 70 percent of the traffic of petroleum product of the entire world". He continued to mention that India is an the verge of becoming third largest oil imported in the world, preceded by US and China, accounting for over 90 percent of oil transmit traffic in Indian Ocean. China is also on the same threshold as already its 85 percent of imported oil passes through Indian Ocean. Additionally, Indian Ocean is a rich source of marine products and minerals and at present shared 40 percent of the total offshore petroleum products in the world. Sri Lanka is an interest area of the trade, security and marine resources for the littoral countries as well as the supreme world powers of the time. "During colonial times, it served as a strategic resource for the establishment and maintenance of colonialism by European powers in South Asia and South East Asia. It was 19th century American navy officer and Geo- strategist Alfred Thayer Mahan, who for the first time elaborated the maritime dimension of Security and dominance. In his seminal work, 'the influence of Sea power upon history: 1660-1763, published in 1890, he enunciated the concept of Sea power which postulates that the countries with greater naval power will have greater worldwide impact and ability to exercise control over seas and territories".[3] The book depicts the role played by Sea power during 17th and 18th centuries and recognises the action to be pursued for becoming sea power through a powerful fleet. His argument stated that a command over sea combined with strong land force will offer crucial benefits to a particular nation over others. British royal navy was the sole authoritative operant in Indian Ocean from Vasco de Gama's sail to Indian offshore in 1948 to the end of WWII with little opposition from other colonial power. The strategic Indian Ocean dynamics have changed in post cold war period because of determined efforts put in by many new players to gain an upper hand in the IOR pertaining to their real interest or fear in the region. "While the US is still a Predominant position in Indo- Pacific, the new strategy may take, it prompt her to redesign her strategy may take, it underlined assumption would be to ensure that the emerging power also develop a stake in the emerging power also develop a stake in the maintenance of exiting global economic and political order in the region".[4]

India and IOR

India adopted liberalisation policy in 1991 with a now to assimilate its domestic economy with world economy thus making it one of the emerging economics on the global forum. The continous momentum of her development requires India to safeguard her overseas trade, investments and energy flows. This perquisite added new realm to India's strategic interest in IOR and redefined has traditional coastal security concerns. India is a developing economy and has a key stand in the present multipolar world matrices. The wish of being a continental power in IOR has made India to put efforts to occupy this centre stage place. "While for other countries the Indian Ocean is only one of the important Oceanic areas, for India it is a vital region. Her lifelines are concentrated in this area and her freedom is dependent on the freedom of this region.

- To ensure the safety and security of SLOC's trade and energy critical points in Indian Ocean.
- To safeguard the Indian mainland and her island (Andaman and Nicobar, Lakshadweep and Minicoy) against traditional and non-traditional security dangers.
- To guarantee sustainable exploration and harnessing of marine resources in IOR.

- To confine unnecessary external intervention in IOR.
- The present Indian naval security apprehensions are a matter of fear of China.

"In view of her economic interest Chinese presence and assertion in Indo-Pacific, India has also reoriented her maritime strategy to protect her strategic interest in the region. Among others, the three factors- India's Look East Policy leading to India's close engagement with Chinese neighbours in South East Asia, Chinese increasing forays in Indian Ocean and Indo-US closeness- have deep impact on India's evolving Indian maritime strategy, which became proactive since the middle of last decade".[5]

The three dimensions of Indian maritime strategy discussed as per Latesh Kapoor(2014) are as follows: first being 'enhanced capability and role of navy, the expanding economic and strategic worth of India made her to unwind the new maritime doctrine 2014 characterised by enhanced capabilities and role of Indian naval forces in IOR. As stated in current naval modernization plans. India will raise her fleet size to 160 by 2020. Moreover the new maritime doctrine demands for control over strategic choke points, islands and channels in Indian Ocean. Arabian Sea and Bay of Bengal include the legitimate areas from Gulf to Strait of Malacca also. On the western front India has positioned its ships around Gulf of Aden to restrict piracy and has established decisive relation with Vietnam and Singapore in East. Secondly one is 'Regional maritime collaboration'; Indian Ocean is the courtyard for Indian subcontinent and any hazard to IOC security will reflect the same on the security of India. Consequently, India has resorted to a regional cooperative meachism in IOR to ensure its maritime security interests. The formation of the Indian Ocean Rim Association of Regional Cooperation (IOR-ARC) and Bay of Bengal Initiative for Multi-Sect oral Technological and Economic Cooperation (BIMSTEC) witnessed India's instrumental role play in their in caption. The trilateral maritime security cooperation in 2011 by India, Sri Lanka and Maldives is others initiative for multilateral regional cooperation. Third dimensions are 'bilateral and multilateral maritime cooperation with other power'; India has adopted the foreign maritime collaboration strategy will powers like Japan, Australia and other nations which have vested interests in IOR. Apart from timely Indo-US Malabar joint naval exercise, both the notion have strived towards mutual inter-operational cooperation for instance, the naval security offered by India in Malacca Strait in 2002. Japan joined the Malabar exercise on the invitation by India in 2014 and Australia too may join in the times to come.

Sri Lanka- India and IOR

Indian Ocean has since ancient times been a distinct water area of the world and features several small islands in its centre. Sri Lanka one of the Indian Ocean islands, is well known for its geographical location on the way of accidental and oriental trade routes. The transportation in water was without any laws in old times but the need of legal norms was felt since late 16th century due to expanding exploration and imperialism in the region. The Palk bay is bounded by Tamil Nadu on its north and west coastline, by Pam ban island of India , Adam's bridge and Manner island of Sri Lanka in east and by the Jaffna peninsula of Sri Lanka on the northeast coastline. The Palk Bay, being 137 km long and 64- 137 km wide, connects the Bay of Bengal in north to Gulf of Manner in South. The Palk Strait restricts passage of foreign ships due to presence of shoals at its southern end and allows transportation between India and Sri Lanka only for fishing and movements of goods and people. Palk Strait is the source of livelihood since early times for tens of thousands of Sri Lankan and South Indian Fisher man.

Sri Lana's strategic maritime position as a power base of IOR has historical connects starting from the recognition made by Portuguese, later followed by Dutch and the British. The British masters utilised Sri Lanka not only for maritime purpose but also a security base to safeguard the neighbouring British- India. After independence Sri Lanka continues being treated strategically in the regional ecology.

The Indian interest in Sri Lanka drifted from geostrategic power balance to pragmatic security consideration in the Post- Cold war era. However, this economic and pragmatic security concerns demanded for a greater emphasis on Sri Lanka's peace during its conflictual times as any threat to Sri Lanka security will have a dismantling affect on Indian security too. Therefore, India has the peace, stability and security of Sri Lanka as its primary considerations. Moreover, the Indian Ocean maritime security between India and Sri Lanka plays a pivotal role in Indian policy making nonetheless, US and Chinese impact on Sri Lanka is a worrisome for Indian security interests and India tried to ward off the geo-strategic struggle away from its borders during cold- war. Indian policy makers saw the need of restricting US encroachment in Sri Lanka and success to persuade the island country to eliminate US's strategic presence through the ISLA, 1987. According to ISLA, Sri Lanka had to scrap the US contract of Trinocomalee oil storage facilities and remove the voice of America that served as the broadcasting centre of massages and intelligence reports by America to Soviet friendly territory. This agreement accomplished the Indian aim of warding off the American cold war to a safe distance from India's boarders. Apparently, many geo-strategic analysts have been seen a decline in Sri Lanka's strategic importance since the end of cold war era. The impact made by Sri Lanka's instability on India's stability attracted the Indian strategic concerns. An unstable Sri Lanka meant a threat to IOC stability in which India had huge vested economic interests. Sri Lanka is prestige to have a strategic location in Indian Ocean as the major international sea lanes flow through its southern coast.

References

1. Misra, Subnrasusekhar. (1986) *Security of Micro Small States in International Politics: A Case Study of Geopolitics and Sri Lanka.* New Delhi: JNU.
2. Ibid.
3. Kapoor, Latish. (2014) *Contemporary Geo-Politics of Indian Ocean: India, China and Other Power*. 23rd 1PSA conference Montreal, Canada.
4. Ibid.
5. Ibid.

Gendering Collective Bargaining: Working Women's Dilemma in a Developing World

Dr. Shikha Sharma
Post Doctoral Fellow
ICSSR, New Delhi

Abstract

The era of globalisation, Neo-liberalisation and free market has opened doorways for enormous opportunities and economic development. this has also resulted in the increasing number of women's participation in economic activities and their presence in labour market is significantly large. the changing market structure also brought along with itself bougeoing oppression, exploitation and marginalisation of women workers in public sphere. collective bargaining becomes necessary in these conditions. present paper concentrates on the need of mobilization of women workers and how the process of demands through collective bargaining outside and inside trade unions offers new challenges within their economic sphere.

Keywords: *Collective Bargaining, Working Women, Empowerment, Trade Unions*

Introduction

The processes of globalization and neo-liberalization has made sure that the economic interactions and trade relations within countries are strengthened for maximum profit attainment. Hong (1999) states that changing patterns of the international division of labour is making its impact on the international labour market and the bargaining power of trade unions are capable of turning societies into partner nations.For a developing country as India that enjoys significant international market hold, it becomes more imperative to look into the labour rights and standards that it sets for its working population. A considerable part of this working force is formed by women who are majorly employed in the informal sector of the economy.

In the matrix of the working hierarchy, mostly women are settled in the lower strata. The history and economy of working women has served them with more inhibitions than agencies. The issues and interests of working women and gender equality have long been associated with the concept of empowerment, laws, interventions and organizational policies. These interests are dealt by, safeguarded and also often exploited within and outside the public space of working women. The concept of collective bargaining or trade unions at workplace ensures that the welfare and benefits of the workers are attended. The process of collective bargaining is among the major tools of empowerment of working women that works as an advantage to provide a common platform to secure pay equity, sexual harassment, promotion, and training among others. The International Labour Organisation (ILO, 1997) defines five core labour standards: (a) the prohibition of slavery and compulsory labour, (b) the elimination of discrimination, (c) the prohibition of exploitative child labour, (d) freedom of association (the right of workers to form unions of their own choice and of employers to form employers' organization, (e) the right to collective bargaining (the right of unions and employers' organizations to negotiate work conditions on behalf of workers and employers, respectively.In June 1998, the International

Labour Conference adopted the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and it's Follow-up. (ILO Constitution, 1998). This ratification was an extension of ILO's Right to Organize and Collective Bargaining Convention No. 98, 1949, which guarantees the workers right and covers in its folds the necessity and right to organize and collective bargaining, which becomes the focus of present paper.

Edralin (2010) defines gender responsive bargaining as follows

Gender responsive collective bargaining can be characterized as (1) a process that involves both men and women workers representing their duly certified legitimate labour organization in the drafting, negotiation and administration of a written agreement with the employer; (2) based on certain principles and procedures that recognizes the rights and distinct roles of women and men workers in the work[place; (3) demands and counter-demands wherein each party tries to obtain for itself the best and most favourable terms and conditions; and (4) must respond to the particular needs of both men and women workers to improve the quality of their work life and protect their individual rights and their union. (pg 6.)

Studies reflect that women who have considerable representation in trade unions have greater pay advantage than non-unionized counterparts. The unionization of demands has also resulted in significant drop in the gender pay gap.

Collective bargaining is therefore not an explicitly exclusive tool towards equality at workplace but it definitely is a mechanism to give voice to the majority. Within this "majority", women workers fall with minor fractions. The issues that women workers face and need to be highlighted are those demands that include basic labour standards of liberty to association, right to collective bargaining and abolition of discrimination at work. These demands have received collective voices at global level with other related demand of reducing hours of work, equal wages, minimum age at work, conditions of work and basic needs standard for wages in place of the legally minimum set by different countries. (Ross, 1997; Cavanagh, 1997 and Bardhan, 2000).

The Issue

The report I Knew I Could Do This Work: Seven Strategies That Promote Women's Activism and Leadership in Unions was published in 2007 by Institute for Women's Policy Research. The researchers used the in-depth interviews to explore the experiences of women in the trade unions.

The present paper is an attempt to discourse the rights of the workers to association and collective bargain to put forth and safeguard their interest in the working world. Specifically, women workers economic interests are impeded by a large number of issues that surround them in their cultural-social life. The paper considers issues that put women workers in minority position and what and how the issues of inclusion is addressed? That is the struggle for inclusion.

What is the level of participation of women in the union activities? That is the struggle of the process and resistance.

What is the degree of discrimination in trade unions while their issues are put up in front of management? The frequencies at which their interests are handled? That is the struggle for identity

Where do the issues of women workers stand in the unions' agenda and how management tackles their issues? That is the struggle for Voice.

These concerns can be investigated within the purview of following variables that play decisive role in women workers occupational performance and more: Age, Educational attainment, Full-time/part-time job, Ethnicity/religion, Work-place size/ Number of employees,Industry.

Beginning the present papers' analysis, the author delves into the pace, seriousness and gravity of representation of women workers issues during collective bargaining.

The membership of union has been significantly taken into account in various studies across different disciplines. The rise in labour force has

been tremendous even though there has been a trend of falling membership of trade unions for the past three decades. Now less than 30 percent of workers are trade union members and among private sector this percentage is a slow as one in five workers (Pencavel, 2002; Metcalf, 1991, 2001). Trade union membership accounts for both men and women and with increased participation of women in public sphere, there is also rise in their oppression and discrimination which requires for their collective organization.

The inclusion of women in trade union activities is linked to access to the union. The concentration of women in lowest rungs of economic realm has resulted into the unequal access to collective bargaining at workplace. However, the inequality towards the access differs in its capacity and degree in respect to the kind of industry the women workers are associated with and working in. At the same time, the inequality to access is not exclusive to informal economy, not exclusive to developing world and does not remain confounded to traditionally culturally disadvantaged marginalized sections but can also hit same level of socio-economic groups. Thus, it can be carefully put forth that the access to trade unions in an economy is not limited to specific sections and work and can be found at all levels of economic functioning. Further, the difference between women workers with access to union and without can also be stated.

So what kind of women workers are kept away from the process of unionization. Firstly, women workers due to their poor economic status have been found to be concentrated in the lower rungs of the economic hierarchy. The very nature of informal economy makes it difficult for workers to organise, even more difficult for women workers to collect. The scattered, far off distances and unusual timings of work and different shifts make impossible for workers to unionise their interests.

Another challenge that appears is to voluntarily increase the participation of women into trade unions, whether they are being heard or not. This happens when the women workers are made aware of the administrative, management and union functioning of the workplace. The limited or low involvement of female workers is also because of their lack of knowledge about the hierarchical structure of the organization. They, therefore, quite simply forget, overlook and ignore the values of their rights and work. The work structure of workers at the lowest levels of work hierarchy is such that they often have to devote maximum hours to the work with very little or no time left with to involve themselves into the functioning of union. The inclusion challenge begins from here. With large number of organizations still working on traditional ways of labour relations the workers as well as the workplaces are excluded from the purview of collective bargaining with relations between the management, administration and labour being informal and personal and thus greater exclusion takes place. This exclusion is also compounded by the women worker's socio-economic realities and the lack in their number to sufficiently create bargaining power.Cornell and Hartmann (1998) in their study explain that women are not a homogeneous group. Their experiences differ, and are interpreted, often simultaneously, through lenses of race, ethnicity, class, age, sexuality, disability and so on. These with historical context and time and geographical location have implications for women's solidarity within their unions.On the part of trade unions, the resistance comes due to the confusion of temporary and permanent employees of the organization. Though, the reason appears naïve, but trade unions hesitate and normally ignore the agendas related to women workers pertaining to the dilemma of permanent or temporary workers, specifically in informal sectors. In case of informal women workers, as their economic status falls out of the ambit of illegal framework, the collective bargaining forums are found to be absent for women workers' cases especially for domestic and garment and household based workers. The informal women workers are also found to have multiple jobs with multiple workplaces which also makes their inclusion, recruiting and

formation of democratic structures difficult. Women workers come from economically weaker quarters facing extreme poverty and their ability to pay regular membership fees and dues of the union restricts them from participating fully. One such inhibitions arise for women workers with older age. It has been perceived by members of the union that old age women are not that active and serious about their interests therefore they are generally kept out of the compass of the trade unions and their working.

The lack of access to trade unions that is meted by resistance and inhibitions which melts once the women workers find themselves as members of some formal trade union, cooperative or other less traditional form of democratic workers' organization. Even after availing the membership, the participation of women workers in the regular functioning of trade unions remains limited or none. The reasons spread across socio-cultural to behavioural aspects of the life of working women. As already mentioned above, the temporary nature of informal work stops women to fully participate in the union activities. The majority of women workers, in temporary or permanent or formal or informal sector, still look after the household duties which makes it, if not impossible than difficult for them to invest time in union meetings. The complete participation is further hindered by lack of organization among women workers. Women workers themselves abstain from participating in meetings due to their residences in far flung areas, other women showing disinterest that prevents women from being organized and mobilized. The men outnumber women workers in trade unions that reduces confidence of women workers in their demands being entertained further shifting them towards the end of the bargaining process. A largely assumed instance is that the gathering of women into unions is dominantly non-economic and identity driven which forces men workers not to heed to the issues of women and the agenda of trade unions necessarily gains male hegemonic aspects.It has also been found that the political considerations of the union members also encourages the members to put women workers interest behind.

The problem of inclusion in trade unions is followed by the discrimination within the unions. The discrimination that women workers face is manifold. While there may be a broad agreement that women in numbers is good for union and also for women themselves but when it comes to agreeing on details, ways, means, interests and priorities, difference and diversion has been observed.Women workers face discrimination as early as they earn membership of the unions. The face discrimination simply because they are women. It is imperative to state that the discrimination is not always conscious and deliberate but results from the long standing beliefs, practices values, attitudes between men and women, within organizations and the labour standards too that lead to discriminatory situations.Race, ethnicity, class, religion and most importantly the legal status of the worker (in case they are migrants) also play deciding role in discriminatory attitudes within trade unions. This further categorize women within themselves, that is, they are divided within themselves on class, religion and ethnicity where they find inhibiting their own kind from saving and voicing their interests. In this way they are faced with double oppression, at work and while voicing their concerns. Qualitative researches have shown that during the union meetings women workers are put down, talked down to, harassed and made feel stupid. This further discourages women workers from attending and wholeheartedly participate in the functioning of union work.

Where the workers in general and male workers specifically find the political agenda the core of their fight, the other social and employment related interests take a backseat. Women workers only benefit in the context where general demands are forwarded to the management. These may include equal pay, equal and flexible working time, working conditions etc. The questions of crèche, separate toilet and facilities, lunch times, paid leaves are some issues that

are treated as gender specific and trade unions tilt towards operating on male norms.Equality in collective bargaining, therefore should not be addressed to specific areas only

The biased coverage of collective bargaining feeds through the priorities in bargaining. Collective bargaining agendas and programmes given real priority concerns of dominant groups-male, full time, native born workers (Hyman, 1994). The writing of agendas themselves are not gender neutral language. The discrimination only comes forth when who gets the access to rewards comes forward.Tackling of indirect (invisible) discrimination requires gender proofing of agreements as well as agenda creation, however, this practice is not common. Adding women to agendas encourages a focus on women's measures however at the same time it also leads to compartmentalisation of equality within bargaining. In other words, negotiations addressing an identified equality issues may be a part of, or run alongside, negotiations which are gender blind. Wuiame (1998) gives example of a case study conducted in Belgium where an agreement on job classification ran alongside some positive equality developments, but the issue of job equality in job classification was not addressed. Further, the paradigm of political interest start gaining preceding hold, and dominance of fundamental work rights, interests, and labour relations take a secondary or insignificant place further deepening the egalitarian concerns.

The question of representation and inclusion in the negotiations along with agreements and mutual decision is the most important one. The agreements are influenced by the representative members' attitudes and inclination towards the interests of working women in the concerned organization. Those in the temporary job are naturally ignored because of the impermanency of their stay with the work and precedence of the permanent employees' interests become prominent. The educational qualification of female workers in the union holds weightage as education makes them aware of their status and rights within a group. It is understood that the aware members of any collective interest are successful in asserting their position in the socio-economic structure. The less or no education for women has been a deterrent intheir occupying decision making advancements in the organization.The engineering, finance, transport, service industries and so have engaged the educated female workers but the domestic, construction, manufacturing and export oriented units which are largely informal in character and operation have employed females with less or no education. Their demands are thus overlooked, ignored and sometimes even not taken up both by the union as well as management. The success of union heeding to women workers' demands rest in front of the management committee where the number of settled disputes are generally in the favour of the larger group than specific section of the union. The inhibitions also falls in favour of men because of the lack of leadership positions held by women in trade unions. The unions where women workers find themselves holding influential assertive position in union is faced by male hostility and resistance that appears in the form of sexual harassment.Management are likely to resist to provisions that it finds adding to their cost like menstrual leave, day care services, pay equality, maternity leave and child care facilities. It thus becomes practice when management discourages or resists women onto bargaining teams.

The author does not imply on presenting only the negative processes when it comes to collective agreement. Unions working in public sector have generated quota system, holding monitoring and review through council meeting, some unions have found success in gaining agreement over education and further training of their women workers, while other unions have special seats as well as gender desks for hearing and representing women worker's concerns.

Women Workers and Trade Union in India

The labour movement in India has come a long way with several rights movements organised prior to Indian independence also. The history of

labour movement and labour unions runs deep with the Madras Labour Union being one of the earliest unions to be formed in 1918.

Constitution of India, 1950, Trade Union Act of 1926 and Industrial Disputes Act, 1947 are the main legislations that provides all the rules, regulations, mechanisms for controlling and functioning of trade unions within a legal ambit in India. However, the guidelines in the lawgiving of the act only provides for the unions in the organised sector. Unionisation in the small and informal sector is non-existent (www.fessrilanka.org). Furthermore, the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (IESOA) also contains certain provisions pertaining to trade unions.

The unionisation in India has been 90 percent in the public sector, surprisingly the number of union is very low in the private informal sector. The union structure in India is well developed even though only 20% of the existing unions have registered themselves with any of the Central Trade Union Organizations (CTUO). India has more than 84,642 trade unions along with an uncalculated number of unions that exist across wide range of industries (mospi.nic.in).At present there are twelve Central Trade Union Organizations (CTUO) in India recognized by the Ministry of Labour (ILO, 2010): All India Trade Union Congress (AITUC),Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS),Centre of Indian Trade Unions (CITU),Hind Mazdoor Kisan Panchayat (HKMP),Hind Mazdoor Sabha (HMS),Indian Federation of Free Trade Unions (IFFTU),Indian National Trade Union Congress (INTUC),National Front of Indian Trade Unions (NFITU),National Labor Organization (NLO),Trade Unions Co-ordination Centre (TUCC),United Trade Union Congress (UTUC).United Trade Union Congress-Lenin Sarani (UTUC-LS).

Sinha (2004) in his work explains that shifts in job opportunities from the formal to the informal sector and the increase in employment opportunities for the educated and skilled workers have called for paradigm shift in the functioning of trade unions. Indian trade unions, however, have been slow in reacting to these changes which has resulted in the loss of membership within these unions. Workers have opted for alternate means of organising than trade unions.

The economic restructuring in 1991 has altered the ways of doing business. The barriers to tariff and non-tariff trade has been softened, industrial licenses have been exempted for many sectors, many public sector ventures have turned to private functioning, privatisation has taken over many sectors and rupee has devalued. These circumstances have led to the strengthened presence of MNC's, new technology and management techniques have been introduced and growth of core/periphery model. Ghatoshkar (2000) and Noronha (1996) in their works have explained that Indian management has now introduced flexible restructuring of companies, permanent category recruitment has been discouraged, jobs being transferred from negotiable. Bargaining to non-negotiable/non-bargaining categories, focus on intensive productive days, employing contract workers and subcontracting production has all been done for increasing maximum output within minimum hassles. Mitter (2000) stresses that the maximum outsourcing of the production is done in order to keep the core company small. The industrial units resort to unit closure, encouraging employees for VRS, reorganising work process and relocating work units has curbed the functioning of even the strongest unions. This resulted in unions to have agreed to participate in re-layout, relocation, process improvement, relocation of work, redeployment of manpower which all makes the company more competitive. Threat of closure has resulted in unions to give up or curb gains and accept profit and job loss (Sivanathiran, 1999). Sundaram (1996) comments that curbing by trade unions has resulted in rearrangement of work, working hours have gone up, holidays, earned leave and workload have been rescheduled. Wage freeze and cuts in minimum wages have been introduced. Krishna and Monappa (1994) in

their study found out that many Indian organisations are now using techniques like quality circles, just-in-time, quality management, empowerment, teamwork, productivity linked wages, profit sharing and performance based rewards to increase productivity which has further challenged unions to gain employee loyalty.

This trend has at the same time affected the working of women. Every organization has two end workers, the high-skilled, high educated, highly trained workers (both men and women) and at the other end are unskilled, uneducated, scattered and prone to exploitation workers. The first category of employees, especially women, tend to remain outside of the ambit of trade union because they consider their work as blue collar job where they are developing careers with high level of security and their work secured by lawsuits. At the same time, the highly vulnerable class of workers are intentionally left out of the trade unions due to various facts stated in the beginning. Until recently, the national trade unions have been not taking up the matters of contractual labours, reason being of the temporariness of the work and have been concentrating on big firms where the concessions and chances of agreements are higher. Women workers form a big part of temporary, contract labour and generally working in small enterprises, therefore loose on their voices being heard. Even where the work is of permanent character, the better educated female workers are oriented towards personal rather than common goals that impedes participation in trade unions. There have been women workers union across the wide spectrum of industries in India, but they fail in getting themselves registered to central unions and occupy a national character. The women workers trade unions also fail to look beyond the local and personal gains and therefore fall into the vicious interests of the company. Another problem is that of leadership. The women workers are often not able to earn the leadership/ influential positions in the unions that only results in continuation of the traditional character of the trade union which is patriarchal, oppressive and exploitative, and politically oriented.

There is a need to organise the industrial women workers with the struggles of home based, rural labourers. One such successful attempts have been Self-Employed Women's Association (SEWA) in Ahmedabad. Women workers working in dying old factories also need to be organised with workers of new industries and sectors. Smith (1999) says that recruiting this vulnerable section of society and defending their interest is not a matter of doing well for those less fortunate. It is also a matterof survival of Indian Trade Union Movement. Jose (2000) remarks union strategies that bridge the gap between the formal and the informal women workers are central to the future of trade unions.In fact the general membership is lost when women workers move into non-unionized workplaces. Further, the non-office based women workers are discriminated from the office based women workers in terms of unions inclined to make demands thatinterests' office based workers for benefits and emoluments, monitoring health and safety conditions and right to organise through unions.

Indian trade unions also lack valuable advisors and representatives to women workers. The small industries lack the employee consultancies helping women workers to maintain their skills and expertise. There is absence of committees that work as windows between the management and the women workers that can provide information on job opportunities, alternative employment, submit proposals for demands, employer-employee policies etc. trade unions also have lacked individual dialogue forums that can maintain and host dialogue with women workers to look into their demands. It is worth noting that unlike trade unions of larger firms and big industries, small trade unions in local areas do not have alliance with developmental institutions like consumer co-operatives, housing societies, health funds, and social security agencies. The hierarchical

model free of equalitarian ideals has led to alienation and disentanglement among female trade union members. The new technologies especially web conferencing, video conferencing, and software are attractive methods of gaining maximum membership but this however has low applicability in Indian context. Unions should take up sexual harassment cases more vigorously. Majority of unions lack diverse membership. They lack inclusion of women from different communities and groups to represent different categories in the union.

Need for Paradigm Shift

Even though women workers have gone a long way from meeting their socio-economic, political challenges such as poverty, inequality, underemployment and unemployment, the speed of their organizational transformation has been much slower than the advancement in economic structuring, technical and social developments. Their adaptation to new organizational changes is low and they lag behind in demanding their dues in the economic processes. Trade unions have also gradually disconnected themselves from the grass root workers and tarnished their image of saviour of individual and collective action and interests. A new paradigm is in demand which is service based along with its protective economic and social role and political agendas with changing times. The new paradigm will be more effective in responding to sudden politico-economic changes. It is required to work towards overcoming the internal misbalance and disunity, low membership rates of women workers, non-representation of females, non-compliance of working women's labour rights and non-investment in their training and education. The new paradigm should focus on trade unions shunning the traditional patriarchal character, working with egalitarian focus with women workers by their side to regain collective bargaining power within the enterprise, reshape their relationship with political parties and instil democratic character in union's decisions and actions.The new paradigm should also focus on encouraging the recruitment of new women members with diverse character- young, migrant, informal workers who are in need of direct economic action from trade unions. A new paradigm can support women leadership within union to give more voice and representation to women workers and gain more from the agreements and negotiations.

A part in these organisations can go long way in protecting rights of working women and thus,instil confidence in them to fight for membership, gain leadership positions in trade unions, educate and empower fellow beings and take up decision making positions in unions and outside.

To conclude, Hyman (1999) states "to resist the hostile forces ranged against them, unions must mobilize countervailing power resources; but such resources consist in the ability to attract women members, to inspire them and sympathise to engage in action, and to win the support of the broader public".

References

1. Bardhan, P. (1997). *Social Justice in the global economy: Governance and policy issues.* ILO Social Policy Lecture, September 1-6. University of the Western Cape, South Africa. Available at http://www.ilo.org/public/english/bureau/inst/papers/sopolecs/bardhan.
2. Cavanagh, J. (1997). *The global resistance to sweatshops in No sweat: fashion, free trade and the rights of garment workers* (ed.) A. Ross. London and New York. Verso.
3. Caiazza, Amy. (2007). *I knew I could do this work. Seven strategies that promote women's activism and leadership in Unions.* Institute for Women's Policy Research, Washington D.C.
4. Edralin, D. (2010). *Para Sa Babae: Gender responsive provisions in collective bargaining agreements.* Professional chair lecture for the Don Rufino Deeunhong chair for business administration. Business Management department, De La Salle University.
5. Ghathoskar, M. (2000). Teleworking and Gender. *Economic and Political Weekly*. XXXV (26).
6. Hyman, R. (1994). Changing Trade union identities and strategies in R. Hyman and A. Ferner, (ed.) new frontiers in *European industrial relations*. Oxford, Blackwell.

7. http://www.fessrilanka.org/fes/links/pdf/ACFU.pdf
8. Hong, S. (1999). World economic order and economic co-operation in the idle east: study on seeking economic co-operation between Korea and the Middle East in the 21st century. Paper presented in 4th world symposium in Libiya. *The crisis of the International community on the threshold of the 21st century,* Tripoli. 28th November- 3 Dcember.
9. http://mospi.nin.in/Mospi_New/upload/SYB2014/CH-14-TRADE%20UNIONS/Trade%20Unions.pdf
10. hyman, R. (1999). *An emerging agenda for trade unions*. ILO. http://www.ilo.org/public/english/bureau/inst/papers/1999/dp98/index.htm
11. ILO. (1998). *Declaration on fundamental principles and rights at work and its follow up* adopted June 18, 1998, 37. I.L.M. 1233. Available at http://www.ilo.org/public/english/standards/decl/declaration/text/index.htm
12. ILO. (1997). *World Labour Report, Industrial Relations, Democracy and Social stability,* ILO, Geneva.
13. ILO (2010). *The growth and decline of political Unionism in India: the need for a paradigm shift.* http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-asia/-ro-bangkok/-sro-bagkok/documents/publications/wcms_143481.pdf
14. Jose, A.V. (2000). The future of labour movement: some observations on developing countries. *The Indian Journal of Labour Economics*, 43(1).
15. Krishna, A and Monappa, A. (1994). Economic restructuring and HRM. *Indian Journal of Industrial Relations.* 29(4).
16. Metcalf, David. (1991). British Unions: Dissolution or resurgence. *Oxford review of economic policy*. 7, 18-31.
17. Metcalf, David. (2001). *British Unions: dissolution or resurgence revisited.* Centre for Economic performance discussion paper 493.
18. Mitter, S. (2000). Teleworking and teletrade in India: combining diverse perspectives and Visions. *Economic and political weekly.* XXXV (26).
19. Noronha, E. (1996). Liberalisation and Industrial relations. *Economic and Political weekly.* XXXI (8).
20. Pencavel, John. (2002). *The surprising retreat of union Britain.* In Richard Blundell, David Card and Richard Freeman (ed.) seeking a premier league economy. National Bureau of Economic Research.
21. Ross, A. (1997). *Introduction. In No sweat: fashion, free trade and the rights of garment workers* (ed.) by A. Ross. New York and London. Verso.
22. Sinha, P. (2004). *Dilemma of organising IT workers: the case of India.* Paper presented to Australian Labour Market research Workshop. The University of western Australia, Perth, 6-7, December.
23. Shivananthiran, A. (1999). Labour relations in South Asia, In A. Sivananthiran and C.S. Venkata Ratnam (ed.) *Globalisation and labour management relations in South Asia*. ILO, New Delhi.
24. Sundaram, S.k.g. (1996). *A study of Indian Trade Unions and Employment: are trade unions proactive.* Maniben Kara Institute, New Delhi.
25. Smith, S. (1999). *Think globally, act locally. Tasks for Indian trade unionists in 21st century.*
26. Wiuame, N. (1998). *Equal opportunities and collective bargaining in the European Union: a case study on the Belgium food industry.* Dublin: European foundation for the improvement in living and working conditions.

Environment Protection and the Personal Responsibility

Harish Kumar

Research Scholar
Department of Political Science, University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Abstract

It would be perfectly alright to say that the environment protection, personal responsibility and survival of the society are all intertwined. Every society is dependent on natural resources for its very survival. Thus not only protection of environment but also its thriving should be the sine qua non. Our surrounding environment or the nature doesn't have unlimited strength to suffer the encroachment of the human society. Before 1950 no one on Earth had lived through a doubling of the human population but now some people have experienced a tripling in their lifetime. So many people now inhabit the planet with so much impact that scientists have coined a new word to describe our time, the Anthropocene Epoch. Unlike previous epochs, where various natural regimes of geological processes defined the time periods, the Anthropocene is named for escalating human influence on the environment. The release of CO2 into the atmosphere is beginning to alter the global climate. Species are going extinct at a rate 100 to 1000 times above the natural rate. The scale of human appropriation of the products of photosynthesis—the most fundamental process of the biosphere—has reached around one-quarter to one-third of all global Net Primary Production (We have become a major "global geophysical force[1]". The clamour for ever greater production and resultantly the ever greater craving to consume is the root cause of the ills from which our environment is suffering. Every government around the world is perpetually fascinated by ever rising industrial indices alone; every government around the world only seems talking about the GDP figures and how to ever prop it up. Is it really possible that we will ever be able to meet our environmental obligations just by addressing the ill effects of climate change, global warming and by overlooking the root cause of the issue in our hearts and minds?It is quite clear that resource utilization has to be prudential and traditional Indian knowledge and practices can show a direction to the world. The valorous example of Amrita Devi Bishnoi, the legacy talked all over India of Chipko Movement and Appiko movement, the love and reverence for all animate and inanimate things in Indian spirituality is unparalleled in the world only exception being secluded and small tribal societies. Indians have been reverencing their water bodies, their trees, their mountains, rocks, pets, pebbles and wildlife since eternity. With the exception of modern era or prior to the gross exploitation unleashed by industrial revolution, Indians had always utilized their natural resources in a sensible manner.

Keywords: *Climate Change, Ethical, Society, Preservation, Responsible, Leadership*

Introduction

Indian civilisation made use of nature even as they took efforts to replenish it. Some of the natural bounty was completely reserved as in case of sacred groves. A traditional means of biodiversity conservation, these groves can be considered the ancient equivalent of natural sanctuaries where all forms of living creatures are given protection by a deity. No one is permitted to cut any tree or plant, kill animals and birds, or harm any form

of life in this area. Ancient Indian texts have many references to sacred groves, for example, Kalidaasa's Vikramorvawsiyam[3]. It should be clear to all the stakeholders that the issue of environment, personal responsibility and human society are congenitally joined. Rather they are congenital twins. If there were to be any human society in future then each and every human being irrespective of her caste, class, region, creed, language or nationality should behave responsibly and thus ethically towards nature and its bounty. How, how much, when and why we utilize our environmental resources will go a long way in tackling the major issues related to our earth and its link with human society. Gauging of our carbon footprint constantly is the key. The content analysis of the secondary data has been done.

The Indian fascination and reverence for all things nature that is all animate and inanimate objects have no parallel around the world. However, the issues of global warming and climate change and resultantly the degradation of global environment and various other ills related to it have affected Indians as much as it has any other nation if not more. Indians have been aggressors and victims at the same time just like everybody else. The question is where have we gone wrong? Traditional Indian values especially the spiritual Indian heritage have always seen man hand in hand with nature. So much and so that traditional Jain philosophy forbids even agriculture lest there be loss of insects and weeds. All major events related to Buddh took place in the lap of nature; his birth in a garden at Lumbini, his attainment of Boddhi under a peepal tree, his first sermon again in a garden and Mahaparinirvan between two Saal trees in a grove. No wonder Buddh instructed all not to harm any living being. His choice of all pathbreaking events in his life led him to nature. Similarly, all the Rigved Dev are related to natural phenomena, Indra, Agni, Marut, Varun, Usha[4] and so on.

The thing is there is leadership void. When all the governments around the world only seem concerned about ever rising GDP, the environment is bound to be affected adversely. Because ever increasing GDP figures require ever increasing production and consumption. Another question arises can't there be ever increasing production without affecting the environment adversely? It is a big research question. However, common sense would say the way artificial demands or tastes are created by marketing and branding experts, the benefits of clean technology would be negligible. As there is no free lunch in nature or elsewhere. If there is a cause, there is bound to be some impact.

In Delhi, it was believed that after Metro roll out, congestion and pollution would decrease but there hasn't been remarkable positive change on these aspects. In spite of the fact that roads are constantly being widened in Delhi. People have continued to ply their private vehicles. The in thing is being American, live like an American and consume like an American. One has iphone 6s but one is still tempted to go for iphone 7plus. All human progress is being measured on the fact whether we have the better, the bigger, more expansive products than before or not irrespective of the utility, cost benefit analysis and more importantly its impact on the environment The concern is not whether it adds up to a good life or good society where citizens are aware of their actions and its impact on environment. That is nobody's business. Heads of the government around the world talk of lofty, noble ideas related to climate catastrophe but on the other hand, in the same breath, adopt policies which will go to create problems for the environment in domestic sphere. Here the traditional Indian way of life where human society and nature have always been two sides of the same coin, where both have sustained and nourished each other can come handy. Here three notable cases are being cited.

First is the sacrifice of Amrita Devi Bishnoi who had laid down her life in 1730-31 in Khejardli village of Jodhpur district of Rajasthan while protesting the felling of very useful Khejri trees. She along with her three daughters and hundreds of villagers hugged trees and died while protecting the trees. It was a party of Maharaja Abhay Singh, Ruler of Marwar state who wanted

to fell green Khejri trees to burn lime for the construction of his new palace. Since there was a lot of greenery in the Bishnoi villages even in the middle of Thar Desert, the king ordered his men to get the woods from Khejri trees. Almost every part of tree is edible and full of benefits to Rajasthani community. Amrita Devi protested against King›s men attempting to fell green trees as it was prohibited in Bishnoi religion. The malevolent feudal party told her that if she wanted the trees to be spared, she should bribe them. She turned down this demand and told them that she would consider it as an act of ignominy and insult to her religious faith. She said that she would rather give away her life to save the green trees. It is at that stage she spoke these words: «Sar sāntey rūkh rahe to bhī sasto jān" that is if a tree is saved even at the cost of one›s head, it›s worth it. Saying these words, she offered her head! The axes, which were brought to cut the trees, severed her head. Her three daughters Asu, Ratni and Bhagu were not daunted and were similarly slain by the sepoys of the raja. This was the exemplary courage and sacrifice of an Indian woman way back in 18th century. It is said 363 people sacrificed their lives in this first chipko movement probably in the world to save the tree! It has no parallel.

Today there is Amrita Devi Bishnoi award for protecting wildlife and showing exemplary courage. This award is given for significant contribution in the field of wildlife protection, which is recognised as having shown exemplary courage or having done exemplary work for the protection of wildlife. Chipko movement in Uttarakhand in 1970s and Appiko movement in Western Ghats in North Karnataka in 1980s were also campaign to save trees by hugging them. These ushered in environmental agitation and activism in modern India in 20th century.

Sociocultural values of India have put nature and its bounty that is all living beings at the heart of human compassion. Jainism forbids even practice of agriculture lest insects, weeds or rodents be killed. All major events related with life of Buddh had natural setting that is where he was born and where he attained mahaparinirvan. All Vedic gods symbolized natural phenomena or forces for instance Indra is the god of rain and thunder and Varun that of water and Agni. All Rigvedic hyms relate to their worship. Indians have been worshipping their rivers, oceans, forests, rocks, mountains, serpents, planets, trees, pebbles and plants since eternity. So Indians have it in them. The issue of climate change, global warming and environmental degradation can't be resolved unless each and every individual keeps a check on her consumption and behaves responsibly and thus ethically. The issue of carbon footprint needs to be popularized. The way artificial needs, tastes, preferences and demands are created by branding and marketing experts should be made aware to public.

This requires an understanding of the target consumer and what we call a "branded proposition" that offered not only functional but also emotional value. Over time, the emotional value would create a buffer against functional parity. As long as the brand was perceived to offer superior value to its competitors, the company offering the brand could charge a little more for its products. If this brand "bonus" was bigger than the cost of building a brand (the additional staff and often advertising costs), the company came out ahead[5]. Thus, the actual differences in quality of products vis-a-vis other products or price differentials are not substantial. In other words, there are no earthshaking functional differences in brands which we pursue and try to acquire, for instance the craze for apple products.

Traditional Indian wisdom would say something like this:

Thoughts become words[6]
Words become actions
Actions become habits
Habits become character
Character becomes destiny

However for the advertising, marketing and branding juggernauts the mantra today could be:

Thoughts become words
Words become actions

Actions become behaviour
Behaviour becomes culture
Culture becomes brand

How companies peddle their products and brand them is important factor in demand creation. And crucially it is linked to environmental degradation. The usual props used by branding experts are emotions, family, family values, happy times, recognition, exclusiveness, love, crafted especially for you, holier than thou approach, relations between the product and you, better than the best quality, trust, all other products or brands are merely thugs, who have no genuine concern for you except interest in your money and so on and so forth. Awareness about such props or gimmicks is not known to general public and it should be the duty of the government to expose branding, marketing or any other strategy employed by the big companies to create ever more demand or taste for their wares. The point is whether consumption we indulge in is the real need or demand or craving created by marketing and branding experts. Conspicuous consumption has become norm it is no longer an elite phenomenon. Everybody does it or at least tries to do. Time has come to ask ourselves whether we are willing to act ethically, responsibly towards environment or not. How the community of research scholars reaches a seminar hall for instance whether through public transport mode say metro or through their private cars goes a long in proving whether we are serious about sustainable development or not. It is regardless of the fact whether the theme of the seminar is related to global warming, climate change or sustainable development or not. Ethical environmental consciousness should now be permanently etched in our mind. And we must act responsibly all the time and keep asking whether we are acting ethically towards the mother earth. Shouldn't our stomach wrench when we see a single person driving a gas guzzling big SUV? Modi government did a good thing by bringing in market determined petroleum prices. Earlier the rich drove their private vehicles on subsidized petroleum. It was a grave travesty of justice.

It is our sense of discrimination alone when it comes to serious environmental issues and how and what natural resources and in which quantity, volume or frequency we use them that alone can save the situation for us humans. For instance if someone's house is naturally well lit and has good ventilation, then, one can afford not to use electric light and fans as much as the person whose house is not similarly well built. Another change in behavior could be for a radius of up to say one or two km, one decides not to use any fossil fuel powered vehicle. Of course use of renewable sources like solar water solar heaters, lights and so on are welcome but their installation burns a hole in one's pockets. They are still not affordable for many. Cheaper or recycled alternatives should be made available. Three Rs are a must that is reducing, recyclying and reusing. The concept of common but differentiated responsibility when it comes to saving the environment at global level, insisted upon by Modi[7] government should be adhered to by all countries. Here Gandhi ji's words which are cliché but still ring true should be able to sum up this paper, there is enough for everybody's needs but not for anybody's greed.

References

1. http://na.unep.net/geas/archive/pdfs/geas_jun_12_carrying_capacity.pdf
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Khejarli
3. http://edugreen.teri.res.in/explore/forestry/groves.htm
4. http://www.sacred-texts.com/hin/hmvp/hmvp06.htm
5. http://www.theatlantic.com/business/archive/2011/10/how-brands-were-born-a-brief-history-of-modern-marketing/246012/
6. https://neilcrofts.wordpress.com/2012/03/05/how-brands-are-created/
7. https://www.ft.com/content/929d0924-968e-11e5-9228-87e603d47bdc

Women's Right to Education

Suman Paliwal

Research Scholar
Department of Law, University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Abstract

Educated women in India can play a vital role in the development of country. Education is a milestone of women empowerment so it enable them to respondsto the challenges, confront their traditional role and change their life.so we can not neglect the importance of education in reference to women empowerment.In India the growth of women education in rural areas is comparatively very slow.This obviously means that still large womenfolkof our country are illiterate. Education of women is the most powerful tool to change the position of women in society and it also will bring a reduction in inequalities and functions as a means of improving their status within the family.

Keywords: *Education, Female Literacy Rate, Women Empowerment*

Introduction

Pt. Jawaharlal Nehru –"If you educate a man you educate an individual, however, if you educate a woman you educate a whole family. Women empowered means mother India empowered".

It is very well known fact that women constitute almost half of the population in the world. But Hegemony masculine ideology made them suffer a lot as they were denied equal opportunity in the every sphere of life. Feminist ideas has led to the tremendous improvement of women's condition through out of world in recent times and education was the most pressing demand of these women's rights movements.

India may be the most developed country by 2020. No doubt, women will play a vital role role in contributing to the country's development. Women power is crucial to the economic growth of any country. In India this is yet to meet the requirements despite reform. Little has been achieved in the area of empowerment. Though India could well become one of the largest economies in the world. It is being hindered due to a lack of women's participation.

In vedic period although women had access to education in India but gradually they had lost this right. However in the British period there was revival of interest in women's education in India. During this time, various socio religious movements led by eminent persons like Ishwar Chandra vidhyasagar, Raja Ram Mohan Ray, Mahatma JyotibaPhule, Baba SahebAmbedker were leaders in India who took various initiatives to make education available to women of India. However women's education got a stimulant after independence and government has taken various measures to provide education to all Indian female. As result women's literacy rate has grown over the decades and it has been seen the growth of female literacy rate is higher than the male literacy rate. Now the growth of female literacy rate is 14. 87% as compared to 11. 72%of the male literacy rate.

Importance of Women Education in India

Women literacy in India plays a very significant role in the development of the country as it not only helps in the development in the half of the human resources, but in improving the quality

of life at home and outside. Educated women promote education of their girl children and they can provide better guidance to all their children. Moreover educated women can also help in the reduction of infant mortilityrate and growth of the population. But in India gender discrimination still persists. The gap in the male-female literacy rate is just a simple indicator. According to 2001 census the male literacy rate is more than 75% according to the 2001 census the female literacy rate is just 54. 16%.

In India more than 2000 years, from about BC 300, there as no practically education for women. Only a few women of the upper class and upper casteswere given some education at home as there was tremendous resistance rest of other. At that time literacy of woman was looked upon as a disgrace. The notion of providing education to girl children never entered into the mind of their parents. Superstitious feeling was alleged to exist in the majority of the hindu families that a girl taught to read and write will soon become a widow after her marriage.

It cannot be denied that general picture of the education of female was the most unsatisfactory and women received practically no formal instruction whatever, except for the little domestic instruction that was available to the doughter of the higher class families.

It was a mission of America which first of all started a school for girls in Bombay in 1824. According to the available figures, by 1829 within five years as many as 400 girls were enrolled in this school. After that, 19^{th} century missionaries as well as the Indian voluntary organizations some girls primary schools were opened particularly in Bombay, Bengal and madras states.

The government also took the responsibility to promote primary education in general and that of the girls in particular. However government efforts could not go a long way due to the Indian war of independence of 1857.

After war, some local bodies and municipal committees were encouraged to open primary schools. During this period training colleges for woman were established for the first time and women were trained to become teachers in girls schools. As a result of all efforts, the great progress was made in girls education in the last quarter of the 19^{th}century.

Inspite of these there was a gap between the education of men and womenat the beginning there was hardly literate woman in the country excepting a few in the aristocratic houses. It astonishes that by the ending of 19^{th} century thousands of girl were enrolled in the newly opened schools and institutions all over the country.

In recent year, though girls and women have made much educational games, but still they have long way to go, before their historic educational disadvantage is eradicated. The indian education system has been discriminatory towards the women. In 1916 SNDT women university at Bombay become the first institution of higher learning to female student. It had a Nos. of school or colleges affiliated to it. It was believed that women should aspire to became good wives and mothers, not intellectuals, lawyers, doctors etc. women use to wash men's clothing, cared for their rooms and served them meals they were forbidden to speak in public and it is noticed that these practices are more or less still continuing.

The proportion of women student Has increased steadily after independence and maximum in the last decade the women's literacy rate have gone up 9% to 54% approx. the main hindrance in the women education is rural residence, low economic standing, low cast combined with traditional attitude towards women education as a hole these reasons tend to deny opportunity of education to a girl. While broadly speaking education of female student has made strides and it is not surprising that today in many faculties and departments of universities and colleges, more girls than boys are seen.

For the betterment of women education in India some programmes have been run; Sarwa siksha abhiyaan, Indira mahila yojana, Balika samridhi yojana, Mahila samridhi yojana, Rashtriya mahila kosh, Employment and income generating training-cum-production centres, Programme of development of women and children in rural areas, and Short stay home For woman and girls.

Sarva shikaha abhiyan; Sarva shiksha abhiyan is a mission of Indian government aiming to offer quality education to all the children coming under age of 6 to 14 years. This programmes was pioneered by Atal Bhihari Vajpayee to achieve some important target of girls education.

Women Empowerment through Education

Empowering women is a global issue and discussion on women political right are at the fore front of many formal and informal campaigns worldwide. First of all the concept of women empowerment was introduced in the international women conference at NAROIBI in 1985. Education is a milestone of women empowerment as it enables them to responds to the challenges, to confront their traditional role and change their life. So that we can not ignore its importance in reference to women empowerment. India is enticing to become a superpower and a developed country by 2025. The year 2025 is fast approaching ;it is just 9 years away. This can become reality only when the women of this nation became empowerment. Literacy rate in India have arisen sharply from 18. 35 % in 1951 to 64. 8% in 2001 in which enrolment of women in education have also been risen sharply 7% to 54. 16%. unfortunately women education only 39%of women are literate among 64% of men. Within the frame work of a democratic plity our laws, development policies, plan and programs have aimed at women advancement in different spheres. From the fifth five year plan (1974-78) onwards has been a marked shift in the approach to women issues from welfare to development. In recent years the empowerment of women has been recognized as the central issue in determining the status of women. The National Commission of women was set up by an Act of parliament in 1990 to safeguard the right and legal entitlements of women. The 73rd and 74th Amendments (1993) to the constitution of India have provided for reservation of seats in the local bodies of panchayats and municipalities for women laying a strong foundation for their participation in decision at the local level.

Women education Sine qua non to Human Rights

The principles and norms of gender equality and non discrimination are at the core of all fundamental human rights treaties. International human rights law prohibits discrimination against women in the area of edication.

- In accordance with articles 26 of the universal declaration of human rights, "(e) everyone has the right to education."
- Article 3 of the international convent on economic, cultural and social rights requires states partiesto undertake "to ensure the equal right of men and women to the enjoyment of all economic, social and cultural rights" set forth in that treaty, cultural right" set forth in that treaty, including the right to education.
- UNESCO convention against discrimination in education also bans discrimination in education on the basis of sex, referring to all types and levels of education, and includes access to education. The standard and equality of education and the condition under which it is given.
- The Beijing platform of action of the UN Fourth World Conference om women in 1995 recognised education as a basic human right and an essential tool for achieving more equal relation between women and men. State committed to ensuring a number of strategic objectives, including equalaccess to education, closing of the gender gap in primary and secondary education, and development of non-discriminatory education and training by developing and using curriculums, textbook and teaching aids free of sex stereotyping.
- Article 10 of the convention on the Elimination of all forms of discrimination against women, details a number of measures which should be taken to eliminate discrimination against women in order to ensure to them equal rights with men in the field education.
- Article 13 of the international covenant on economic social and cultural rights provides "the right of everyone to education." To the end "primary education shall be compulsory and available free to all". Secondary education in its dfferent form, including vocational and technical

secondary education and equally accessible to all and in particular by the progressive introduction of free education.

- Article 28 of the Convention on the rights of the child provides, inter alia, that states parties shall make primary education compulsory education accessible to all on the basis of capacity by every appropriate means". And "take measures to encourage regular attendance at schools and reduction of drop out rates."
- Millenium development goal 2 calls for universal primary education. MDG3 to "promote gender equality and empower women," has one of these targets. "Elemi-nate gender disparity in primary and secondary education, preferably by 2020.

The right to education is the entitlement to access free primary education, and to have equal opportunities to continue with further study. It must be inclusive and accessible to boys and girls men and women in law and in practice.

Education is not only a right in itself but also the surest way to empower individuals to enjoy all of their humanrights. Education paves the way out of poverty and disempowerment and opens up access to participation in society and in political decision making.

Girls and women have historically suffered discrimination in th field of education and continue to do so in many place of the world. Progress has been seen in narrowing gender gaps in education over the past decades, particularly in primary level. However girls secondary school enrolment has increased at a slower rate and is widening in some regions. The largest disparities are found in Sub Saharan Africa, South and West Asia, Central Asia and Arab ststes. In these countries significant inequalities can be found related to ethnicity or social status.

According to UN statistics 72 million children who are not in school, among them girls are in majority. Girls are less likely than boys to be in school and more likely than boys never to enroll. In contrast in term of grade repetition boys are more likely than girls to repeat primary radsin most of the countries where such data is existed. These trends are deepen as children progress through the education system. Cultural social and economics factors interact to weaken the chances of girls completing primary school and making the transition to lower secondary education. One immediate legacy is the high levels of literacy among young and adult women. Among 759 million adults who can not read and write, women are securing 70%. The realization of the right to education is essential to women being able to enjoy the full range of human right.

"We must be mindful of the advantages that educations has given us, and unite to address women's unequal status which persists in all parts of the world, both in their professional and private lives.

- Ms. Navanethem Pillay, United Nations High Commissioner for Human Rights, Keynote speech of Octomber 2010:"2010-a milestone of a milestone in advancing women's participation in research?'

Conclusion

According to the report of government of India, education is the most powerful weapon to change the society. It brings equalityand improve their status. To encourage the education of female at all levels and for dilution of gender biasness, schools colleges and universities were established. Government is providing package of concessions in the form of books, uniform, boarding, lodging, clothing, for the hostilities midday meals, scholarship, free circles and so on. So for the growth of the women, growth of women's education is must as it brings a reduction in inequalities and function as a means of improving their status in the society.

References

1. Agarwal, S.P. (2001) *Women Education in India (1995-98) Present Statistical Indicators with Global View*. Vol II Concept Publication co. New Delhi.
2. Census of India. (2001) Government of India.
3. A search for Aggregate –Level Effect of Education on Fertility.
4. Gupta, N.L. (2003) *Women Education through Ages*. New Delhi: Concept Publication Co.
5. Rao, R.K. (2001) *Women and Education*. Delhi: Kalpaz Publication.

‘काला पहाड़’ उपन्यास और मेवाती समाज : युगीन संदर्भ

डॉ. जगदीश गिरी

सहायक आचार्य

हिन्दी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)

शोध सारांश

‘काला पहाड़’ भगवानदास मोरवाल का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपन्यास है जो शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछडे हुए मेवात क्षेत्र के 'समाज और उसकी संस्कृति का एक जीता-जागता आईना एवं गतिशील चित्र प्रस्तुत करता है। उपन्यास में मेवात का न केवल वर्तमान यथार्थ झाँकता है बल्कि अतीत का काला - सफेद वृतान्त भी भरपूर उजागर हुआ है। लेखक की निगाह यहाँ केवल समय पर नहीं, संवेदना पर भी है। समय और संवेदना मिलकर मेवात की एक मुकम्मल और प्रामाणिक तस्वीर पेश करते हैं। इन उपन्यासों में लेखक ने जिस ‘मेव’ समाज को उठाया है, वह हिन्दी-प्रदेश में संभवत: अकेला समाज है जो इतना संगुम्फित और समेकित चला आया है। लगभग सात-आठ दशक पूर्व हिन्दू से मुसलमान बना यह समाज आज भी हिन्दू-परम्पराओं को छोड़ नहीं पाया है। कुछ मोटी अभिलाक्षणिकताओं जैसे खतना, रोजा, नमाज, निकाह, हज, जकात के अलावा कुछ भी मुसलमानों जैसा नहीं है। मेवात अँचल के एक पिछडे.हुए कस्बे ‘नगीना’ को कथा-सृष्टि का आधार बनाकर अनेक प्रश्नों को राष्ट्रीय परिदृश्य पर उभारा गया है। काले पहाड़ की खोह में बसे सुविधा विहीन जिंदगी जीते मेवात अँचल का सामाजिकार्थिक जीवन इस कृति में अभिव्यक्ति पाता है।

संकेताक्षर : *उपन्यास, मेवात, समाज, स्त्री विमर्श, दलित, चेतना*

पिछले लगभग दो दशकों में उपन्यास विधा ने हिन्दी-साहित्य के क्षितिज पर जो विविधवर्णी और प्रस्थानधर्मी उपस्थिति दर्ज की है उसे किसी एक स्तर पर न समझकर समाज और साहित्य में आ रहे परिवर्तनों तथा उनके परस्पर बहुवचनी संवाद के स्तर पर ही समझा जा सकता है। यह संवाद सर्वाधिक उपन्यास विधा के स्तर पर ही घटित हुआ है। अपने समय को इसी विधाा ने सर्वाधिक आत्मसात किया है इस कालावधि में लिखे गये उपन्यासों के उभार को समझा जाए तो उससे एक तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आता है कि इन दो दशकों में जीवन की जटिलता निश्चित रूप से बढ़ी है, जिसकी अभिव्यक्ति उपन्यास विधा में हो सकी है। कहने की आवश्यकता नहीं कि उसने उपन्यास के शिल्प को भी गहरे स्तर पर प्रभावित किया है। भगवानदास मोरवाल कृत ‘काला पहाड़’ उपन्यास इसी तरह की कलात्मक अभिव्यक्ति का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। वास्तव में यह एक ऐसी रचना है जिसने जाती हुई सदी से उत्पन्न नई सदी की पीढ़ी के लिए अनेक चुनौतियाँ इंगित की हैं। यह ऐसे अनेक प्रश्न उठा रहा है जो स्वतंत्र भारत में पिछले बीस-पच्चीस वर्षो से शिक्षा और विकास से महरूम मेवात जैसे गाँवों के आम आदमी को शान्त नहीं रहने दे रहे। लोक-संस्कृति और भाषा को -प्रेमचंद ओर रेणु के समन्वित रूप को -एक स्थान पर उपलब्ध कराते हुए यह उपन्यास भारतीय राजनीति का बदलता स्वरूप और साम्प्रदायिक ताकतों की बढ़ती हुई राजनीति, भारतीय ग्रामीण जीवन की निश्छल संस्कृति को कैसे नष्ट कर रहे हैं, बड़े ही यथार्थपरक ढंग से अभिव्यक्त करने में समर्थ सिद्ध हुआ है। असल में ‘काला पहाड़ हिन्दी में अब तक ‘अकथित की कथा’ हैं। यहाँ हरियाणा के एक पिछडे. इलाके मेवात की कथा कही गई है। यह हिन्दी कथा के नागर स्वाद को बेमजा करती है। यह निबिड़ स्थानीयतावादी कथा है। हिन्दी के चालू कथा संसार में जो शुभ विकेन्द्रण हो रहा है यह उसका एक अनूठा दावा है। इसमें मेवात का लोकपाठ है। यह मेवात की बात है।[1]

1999 में प्रकाशित यह उपन्यास शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछडे हुए मेवात क्षेत्र के 'समाज और उसकी संस्कृति का एक जीता-जागता आईना एवं गतिशील चित्रकृति जैसे है। इन दोनों उपन्यासों में मेवात का न केवल वर्तमान यथार्थ झाँकता है बल्कि अतीत का काला - सफेद वृतान्त भी भरपूर उजागर हुआ

है। लेखक की निगाह यहाँ केवल समय पर नहीं, संवेदना पर भी है। समय और संवेदना मिलकर मेवात की एक मुकम्मल और प्रामाणिक तस्वीर पेश करते हैं।[2] इन उपन्यासों में लेखक ने जिस 'मेव' समाज को उठाया है, वह हिन्दी-प्रदेश में संभवत: अकेला समाज है जो इतना संगुम्फित और समेकित चला आया है। लगभग सात-आठ दशक पूर्व हिन्दू से मुसलमान बना यह समाज आज भी हिन्दू-परम्पराओं को छोड़ नहीं पाया है। कुछ मोटी अभिलाक्षणिकताओं जैसे खतना, रोजा, नमाज, निकाह, हज, जकात के अलावा कुछ भी मुसलमानों जैसा नहीं है।

मेवात की साझी संस्कृति को आधार बनाकर लेखक ने 'काला पहाड़' उपन्यास में आधुनिक साम्प्रदायिक व राजनीतिक ताकतों के कुत्सित प्रयासों पर व्यंग्य किया है। यह उपन्यास स्वाधीन समाज के पिछले पचास वर्षों के इतिहास को रेखांकित करने की कोशिश तो करता ही है, निचले तबके, दलित समाज के जीवन की मानवीय त्रासदी को भी हमारे सामने रखता है। साम्प्रदायिक, धार्मिक उन्माद, व राजनैतिक परिदृश्य के अन्त:सम्बन्धों की ईमानदारी से व्याख्या करता है। पिछली सदी में प्रकाशित अच्छे उपन्यासों में इसकी गणना होनी ही चाहिए।[3] 'काला पहाड़' के उपन्यासकार मोरवाल की दृष्टि इन्हीं बिन्दुओं से गुजरते हुए इस कृति को रच पाई है। मेवात अँचल के एक पिछडे.हुए कस्बे 'नगीना' को कथा-सृष्टि का आधार बनाकर अनेक प्रश्नों को राष्ट्रीय परिदृश्य पर उभारा गया है। काले पहाड़ की खोह में बसे सुविधा विहीन जिंदगी जीते मेवात अँचल का सामाजिकार्थिक जीवन इस कृति में अभिव्यक्ति पाता है। वहाँ रहने वाले भोले ग्रामीणों की सामाजिक स्थिति, रहन-सहन, रीति-नीति, सुख-दु:ख, हर्ष-विषाद, पर्व-त्योहार, उल्लास आदि के साथ जीवन की अनुभूतियों को धरती की छुअन से बनी अच्छाइयों, बुराइयों को यथार्थ रूप में रखा है, जो उसके समग्र परिवेश को जीवंतता प्रदान करते हैं।

मेवात : एक इकाई

मेवात क्षेत्र के सामाजिक जीवन की सबसे बड़ी खासियत है - यहाँ की बद्धमूल साझी संस्कृति और अत्यन्त परस्परान्वित जीवन। मेवात मेव बहुत क्षेत्र है और यहाँ हिन्दू अल्पसंख्यक है। हिन्दुओं में भी अनेक छोटी-मोटी जातियों के कुछ परिवार यहाँ बसे हुए हैं। लेकिन आज तक यहाँ कोई फिरकाना फसाद नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस इलाके में हिंदू और मेव एक कुनबे की तरह रहते आये हैं। (काला पहाड़, पृ. 16) इस संदर्भ में पर्याप्त प्रामाणिक और तथ्यात्मक सूत्र इस उपन्यास में मिलते हैं। संश्लिष्टता और साझेपन की यह प्रवृति सदियों से चली आ रही है। जो मेवात को एक इकाई का रूप देती है। इस साझी सामाजिकता का कारण है कि मेव धर्म परिवर्तित मुसलमान हैं। ये हिन्दू से मुसलमान बने हैं। मूलभूत रूप से कई हिन्दू जातियों से इनका सम्बन्ध रहा है। मेवों में आज भी हिन्दू-जातियों जैसे रीति-रिवाज और जीवन-शैली पाई जाती है। इससे यही सिद्ध होता है कि धर्म-परिवर्तन मात्र से जातीय परम्पराएँ नहीं बदल जातीं। जातीय संस्कार नहीं बदल जाते। यहाँ यह ध्यान रखने की जरूरत है कि जातीय का अर्थ जातिवादी नहीं है। जातीयता के अन्तर्गत अनेक धर्म और जातियों के लोग एक परम्परा में चले आते रह सकते है। जातीयता का आधार भाषा एवं जीवन-शैली होती है। इस हिसाब से देखा जाए तो मेवात के विभिन्न समुदाय एक ही जातीयता के अन्तर्गत आते हैं।[4]

उपन्यास का प्रमुख पात्र सलेमी इसी परम्परा को बनाए रखने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहता है और उसके खास मित्रों में मनीराम और बुद्धन जैसे हिन्दू हैं। एक-दूसरे के सुख-दु:ख में हिंदू-मेव का विभेद किये बिना सब साझीदार होते हैं। सलेमी की पुत्रवधू तरकीला के प्रसव के दौरान मनीराम की पत्नी रूमाली, छोटेलाल की पत्नी रामदेई आदि निष्ठा से जापा करवाती हैं। (काला पहाड़, पृ. 184) और असलम की शादी में सलेमी कोठियार का मुकद्दम किसी मेव को हरगिज नहीं बनाने की कसम खा चुका है क्योंकि उसका विश्वास है : हिन्दून की काज-करनी में मजाल है थोड़ी-सी भी उन्नीस-बीस जो जाए ..... ई मेव की कौम तो बस खाणा पे मरी डोले है ... ना काई की इज्जत को खियाल है ऽऽ ना आबरू को ... । (पृ. 356) पूरे देश में पाँव पसार रहे धार्मिक तत्ववाद के बढ़ते प्रभाव के बावजूद यह मेवात की साझी संस्कृति की ही ताकत है जो इस विश्वास को बनाए हुए है। पुरानी पीढ़ी में तो यह पारस्परिक निर्भरता और मेल-भाव और अधिक ऊर्जावान था। सलेमी की शादी दरअसल निकाह-का फ्लैशबैक चित्रण इसका उदाहरण है। हिन्दुओं के सभी रीतिरिवाज मसलन बनवारा निकालना, चाक पूजाई, भात आदि की रस्में सलेमी की शादी में निभाई जाती है। सलेमी के मामा ने अपनी बहन को तो भात दिया ही गुलकंदी कुम्हारी को भी पाँच रूपये दिए। यहाँ धार्मिक और सामाजिक-विभेद बौने पड़ जाते है। इसी संस्कृति का प्रभाव है कि बरकत (सलेमी का मामा) के लिए गुलकंदी भी बहन ही है : 'बावली ..... हमन् लू तो या गाँओं की सब बहाण बेटी एक-सी है ....। (पृ. 121) सलेमी तो मरते वक्त भी उस मँगतू को याद करता है जिसने जाने कितनी ही बार नगीना की इज्जत बचाई थी। लेकिन पिछले दो दशकों से साम्प्रदायिकता का जो जलजला हमारे यहाँ गुजरा है उसने सबसे ज्यादा मुसीबत मेव जैसी मध्यवर्ती

जातियों को पैदा की है। उनके सामने एक धर्म संकट पैदा हो गया है कि वे किधर जाएँ, क्या करें? इधर हिन्दुओं में भी उनके प्रति एक दुराग्रह-सा पैदा होता जा रहा है कि ये तो एक दीगर कौम है और उधर मुसलमान इन्हें खुलकर गले लगाने से परहेज करते रहे हैं। इस दुविधापूर्ण स्थिति का यह नतीजा निकला कि ये निरन्तर एक हाशिए-से पर आते चले गए। हालांकि हाशिए जैसी सामाजिक-सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ कभी इनमें नहीं रही।[5] अयोध्या त्रासदी के पश्चात् घटी कुछ हिंसात्मक घटनाएँ मेवात की इस साझी संस्कृति को नुकसान अवश्य पहुँचाती है किन्तु केवल युवा पीढ़ी के बाबू खाँ, सुभान खाँ जैसे कुछ युवक ही साम्प्रदायिक ताकतों से मिलकर इलाके में तनाव पैदा करने का काम करते हैं बुजुर्ग पीढ़ी अभी भी साम्प्रदायिकता, कट्टरता, फासीज्म आदि से अछूती हैं। जनतान्त्रिकता, सामान्य मानवीय संवेद्यता, गति एवं प्रगतिशीलता इनकी रग-रग में बसी है। यह दरअसल परम्परागत भारतीय लोकमानस है जिसकी अपनी विशेषताएँ है। अत: यह कहना गलत नहीं होगा कि तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद भी मेवात की साझी संस्कृति और संश्लिष्टता अभी भी बरकरार है जो मेवात को खण्डित नहीं होने देगी।

दलित चेतना

इस उपन्यास की जितनी भी समीक्षाएँ और अध्ययन हुए हैं उसमें समीक्षकों का ध्यान प्राय: दलित-विमर्श पर नहीं गया है। हालाँकि मोरवाल ने प्रत्यक्षत: ऐसे प्रश्न नहीं उठाये हैं जिनसे इसे दलित - चेतना परक रचना कहा जा सके परन्तु विभिन्न अवसरों पर ऐसी व्यंजना होती रही है। स्वयं मोरवाल की पृष्ठभूमि दलित-समाज से है और उन्होंने इसे सूक्ष्मता से निरखा-परखा है। यही कारण है कि रचनाकार ने समाज के तथाकथित पिछड़े और हाशिए के लोगों को प्रमुख भूमिकाएँ निभाने के लिए खुला छोड़ दिया है। प्राचीन काल में ही नहीं आज भी पिछड़े अँचलों में- जहाँ आधुनिकता अभी पूर्णतया नहीं आ पाई है - गाँव जातिगत आधार पर अलग-अलग मोहल्लों में बँटे होते हैं जिनके नाम भी जाति के आधार पर रखे जाते हैं। नगीना में भी मोहल्ले बँटे हुए हैं, जिसमें ऊपरलीघाँ को छोड़कर शेष मोहल्लों के नाम चमरवाड़ा, खटीकवाड़ा, कुम्हारवाड़ा, चौधरी मोहल्ला आदि हैं।

दलित-विमर्श की गहरी व्यंजना छोटेलाल के चरित्र में दृष्टिगोचर होती है। लेखक जिस प्रकार उसकी शारीरिक विशेषताएँ बताता है वे 'मनु स्मृति' में मानी गई शूद्र की ही विशेषताएँ हैं। मसलन वह मैला-कुचैला रहता है, उसके शरीर से दुर्गन्ध आती है और जो गधे ही पाल सकता है। मोरवाल ने छोटेलाल को बिल्कुल ऐसा ही बताया है - 'पता नहीं क्यों, सलेमी का मन आज इस बिवाई पड़ी एड़ियों वाले ठिगने, मुसे हुए सिर के बालों वाले, महीने में मुश्किल से एकाध बार दाढ़ी बनाने वाले, और जिसकी देह से हमेशा गधों की लीद व उनके मूत की दुर्गन्ध आती रहती है, छोटेलाल को छाती से चिपटाकर जोर-जोर से हूक मारककर रोने को कर रहा है।' (पृ. 328) यह सांकेतिकता पंचायत चुनावों में तो खुलकर सामने आ जाती है। तथाकथित उच्च जाति के धार्मिक नेता लाला अभयचंद आर्य, ज्ञानचंद जैन और बिसंभर सरणार्थी हिन्दू-एकता के नाम पर चमारों, कुम्हारों आदि जातियों के लोगों को समझाते हैं, दिखावे के लिए उनके पास बैठते भी हैं और चाय-पानी भी पीते हैं किन्तु भीतर-ही-भीतर वे इन्हें अत्यन्त निकृष्ट मानते हैं। स्वयं लेखक ने लेखकीय कथन में इस तथ्य को व्यक्त किया है - 'अगर यह चुनावों का मौका नहीं होता, तो जाटव और हरिजन जैसे शब्दों का कहीं पता भी नहीं होता। भला इन ढेड़ों को गाँव में चमार के अलावा कौन कहता है जाटव या हरिजन?' (पृ. 379) इन दलितों को अस्पृश्य माना जाता है और उच्च जाति के लोग इनके घर पर बैठना तक पसंद नहीं करते। हाँ, ये बात अलग है कि चुनावों के समय गधे को भी बाप बनाने से भी गुरेज नहीं है इन उच्च जातियों को। निरन्तर प्रताड़ना और अपमान झेलते इन दलितों की पुरानी पीढ़ी इतनी अभ्यस्त हो गई है कि इसे ही अपनी नियति मान बैठी है और सवर्णवादी मानसिकता से स्वयं को 'ट्रीट' करती है। यही कारण है कि लाला ज्ञानचंद जैन द्वारा पानी माँगने और मूढ़ी पर बैठने पर जगनी चमार को बहुत ही लज्जा-सी महसूस होती है। वह कैम्पा की बोतल मँगवा कर देता है और स्वयं ही खुद को 'नीच' कहता है। उसके भीतर युगों-युगों की गुलामी बोलती है - 'सेठ जी, हम तो आज भी वही हैं .... छोटे-बड़े की इज्जत करना हमारे तो संस्कार में घुला हुआ है............... यह तो हमारा सौभाग्य है कि आप इस गरीब चमार की कुटिया तक चले आए।' (पृ. 383) दलितों द्वारा स्वयं को हीन और सवर्णो को उच्च समझने की, उनके द्वारा स्वयं इसी मानसिकता में ढल जाने की प्रवृति ही सवर्ण जातियों को अत्याचार करने का अवसर प्रदान करती है।

लेखक दलित-चेतना के इस युग में युवा-पीढ़ी में आती आत्मसम्मान की भावना को भी रेखांकित करता है। 'देर आयद, दुरूस्त आयद।' हजार रुपये के बदले नजफगढ़ में आ बसे नगीना के सभी चमारों के 'वोट' खरीदने की कोशिश में लाला ज्ञानचंद जैन सफल तो हो जाता है किन्तु परभाती, किसनलाल आदि दलित युवकों की प्रतिक्रियाएँ एक शुभ संकेत है। युवा-पीढ़ी को इस बात पर अत्यन्त गुस्सा आता है कि 'लाला ज्ञानचंद जैन किराए के

रूप में हजार रूपये क्यों देकर गया है? क्या वह हमें खरीदने आया है?' (पृ. 388)जाहिर सी बात है कि उग्र तेवरों वाली इस पीढ़ी को आत्मसम्मान से समझौता करना कदापि स्वीकार नहीं? इन्हें दबाकर और इनके अधिकारों पर कुंडली मारकर बैठी तथाकथित सवर्ण जातियों की सत्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी? परभाती जैसे दलित इस स्थिति में परिवर्तन चाहते हैं। वह अपनी पीड़ा को, अपनी दुरवस्था को पहचान गया है और जब दर्द पकड़ में आ जाता है तो उसकी दवा भी मुश्किल नहीं- 'हमारा इस्तेमाल ये लोग हमेशा करते आये हैं .... जब इन्हें लगता है कि इनका काम हमारे बिना नहीं चलेगा तभी ये हिन्दुवाद की दुहाई देते हैं, वरना बिना स्वार्थ के तो ये अपने बाप को को भी हाथ नहीं धरने देते हैं .... फिर हम तो ठहरे जात के चिमार।' (पृ. 388) क्या परभाती का आक्रोश जायज नहीं है? वर्षों से दबी-कुचली जाति को आज जब अपने अधिकारों की पहचान हुई है तो सवर्णों का सिंहासन क्यों डोलने लगा है? इन्हें भी मनुष्य की भाँति जीने का अधिकार है। परभाती की बात गलत कहाँ है? खुद लाला ज्ञान चंद जैन हिंदू अस्मिता के नाम पर इनके घर जाता जरूर है परन्तु मन में तो आज भी वही गंदगी खदबदा रही है - 'बेटा, वह तो मेरी मजबूरी थी वरना मैं तेरी खाट पर आकर बैठता और तुझसे पीने के लिए पानी माँगता? कभी नहीं।' (पृ. 387)

लीला चमार के घर हिंदू-एकता के उपदेश देने गए लाला ज्ञानचंद जैन, अभयचंद आर्य और बिसंभर सन्नार्थी को भी मुँह की खानी पड़ती है। लीला इन धर्म के ठेकेदारों और उसे सुरक्षा का आश्वासन देने वालों को खूब छकाता है। वह जानता है कि इन तथाकथित रक्षकों के भीतर क्या-क्या गंदगी भरी है। चाय पीने के लिए मजबूर कर देता है वह इन लोगों को। लाला ज्ञानचंद तो उल्टियां करने लगता है और निश्चय करता है कि, 'चाहे ये हिन्दू अपनी ऐसी-तैसी कराएं, चाहे यह हिंन्दूस्तान। चाहे ये मुसलमान सिर कलम कर दें या जिंदा दफन कर दें लेकिन अपना धर्म वह भविष्य में कदापि भ्रष्ट नहीं करेगा।' (पृ. 406) इसी धर्म की पोल खुलने में दलित-विमर्श अधिक मारक रूप में प्रकट हो जाता है। हाँ, इतना अवश्य है कि मोरवाल दलित-विमर्श को उठाते वक्त उस दलित-ग्रन्थि से मुक्त रहकर ही आगे बढ़ते हैं, जो कुछ दलित लेखकों में पाई जाती है। वर्तमान स्त्री-लेखन और दलित-लेखन का एक धड़ा गलत रास्ते पर चल पड़ा है जो अपनी ग्रन्थियों को साहित्य का नाम देने लगा है। वे अक्सर भूल जाते हैं कि जिस पुरुषवादी और सवर्णवादी सामंती मूल्यों का विरोध कर रहे हैं, कहीं-न-कहीं खुद अपने में उनको संरक्षित पाते हैं। जिन रूढ़ियों का विरोध करते हैं, वे स्वयं में विकसित कर लेते है। भला नंगापन मिटाने के लिए, खुद नंगा हो जाना कहाँ तक उचित है? लीला जैसे दलित अब यह जान गये हैं कि ज्ञानचंद जैसे लोगों ने दूसरों के ही कंधों पर रखकर बंदूक चलानी सीखी है। लीला के पास बैठे दलित युवक की टिप्पणी जो दलित चेतना को अभिव्यक्त कर रही है, काफी आश्वस्त करती है - 'चाचा लीला, ये बणिया-बामण अभी भी यही समझ रा हैं के इनके बदले हम जैसी छोटी - मोटी जात लड़ती फिरें.......... अरे ये कैसे भूल रा हैं के अब पुरानी वाली बात ना रही........... अब कोई काई दाब-धौंस में ना रहवे हैं.......... ये तो अभी भी हमन्ने बावला समझे बैठा हैं।' (पृ. 406)

तथाकथित दलित लेखकों के प्रायोजित लेखन की अपेक्षा मोरवाल की यह संतुलित दृष्टि दलित-चेतना को नया आयाम देती प्रतीत होती है।

स्त्री - विमर्श

दलित विमर्श की भांति स्त्री विमर्श भी गत दो दशकों से चर्चा के केन्द्र में रहा है और प्रायः स्त्री रचनाकारों के साथ साथ पुरुषों ने भी अपनी रचनाओं में इसे पर्याप्त स्थान दिया है। इसके बावजूद स्त्री रचनाकारों द्वारा पुरूषों के द्वारा रचे गए स्त्री विमर्श पर सवाल खड़े किए गए हैं। रोहिणी अग्रवाल लिखती हैं कि 'स्त्री को लेकर पुरुष की दृष्टि में कोई गुणात्मक परिवर्तन पुरूष रचनाकारों के उपन्यासों में नहीं दिखता। पिछले बीस वर्षो में जितने भी नए-पुराने प्रमुख रचनाकार प्रकाश में आए हैं, स्त्री के संघर्ष के मुद्दे को लेकर खामोश हैं।[6] परन्तु 'काला पहाड़' उपन्यास में स्त्री - विमर्श को भी पर्याप्त स्थान मिला है। मेवात के अशिक्षित और पिछड़े माहौल में महिलाओं की स्थिति और उनके भीतर की कुंठाओं को ईमानदारी से अभिव्यक्ति दी गई है। डॉ. शम्भुगुप्त ने तो यहाँ तक कहा है कि, 'संभवत हिन्दी कथा-साहित्य में पहली बार है कि मोरवाल ने अपने दोनों उपन्यासों (दूसरा,बाबल तेरा देस में) में हैदराबाद से ब्याह कर (प्रकारान्तर से खरीद कर) लाई जाने वाली मुस्लिम स्त्रियों के कथानक को उठाया है।'[7] इस उपन्यास में अधेड़ सुलेमान द्वारा हैदराबाद से अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों से शादी और उस लड़की (मेमन) पर टूटने वाले दुखों के पहाड़ से स्त्री-स्वातन्त्र्य के प्रश्न को उठाया गया है। हैदराबाद से ब्याहकर (अथवा खरीदकर) कर लाई गई मेमन को देखने के लिए आई मोहल्ले की स्त्रियों जब देखती हैं 'अभी तो याकी छाती भी पूरी ना आई है।' फिर भी माँ-बाप ने इसे अपने से दूर कर दिया तो स्त्री की नियति पर लोक कवि सादल्ला का यह दोहा उद्धृत किया जाता है -

'बाबल तेरा देस में, एक बेटी एक बैल
हाथ पकड़ के दीनी जामें परदेसी के गैल।' (पृ. 236)

लेखक ने मेवात में हैदराबाद से लाई जाने वाली स्त्रियों की परम्परा और आवश्यकता का विस्तृत खुलासा किया है। गरीब माँ-बाप अपनी लड़की की शादी करने में असमर्थ होने के कारण मनचले अधेड़ पुरूषों के हाथ बेच देते हैं। 'विधुर अधेड़ों के लिए हैदराबाद में अनन्त संभावनाएं हैं। विधुरों के अलावा कुछ शादी-शुदा अधेड़ भी यहां से दूसरा-तीसरा निकाह कर औरतें लाते हैं। धीरे-धीरे अब तो अनेक ऐसे लोग और एजेंसियाँ हो गयी हैं जो बाकायदा एक व्यवसाय की तरह हैदराबाद से लड़कियां लाने और उन्हें विवाह के नाम पर मेवात में बेचने के काम में लिप्त हैं।'[8] इस प्रकार लाई गई लड़कियों की स्थिति पशु से भी बदतर हो जाती है। घर में नौकरानी की तरह काम करने के बाद भी इनको प्रताड़ित किया जाता है। बहुधा इनकी स्थिति 'यूज एंड थ्रो' वाली भी हो जाती है। मेमन के प्रसंग में कहा जा सकता है कि मेवात में आज भी स्त्री को एक वस्तु मात्र समझा जाता है जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है।

सुलेमान की मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्रों - हाकिम और बासित द्वारा मेमन को जमीन में हिस्सा देने से इनकार करना और सलेमी के प्रयासों से वापस हैदराबाद लौटने की उसकी कहानी एक गहरी व्यथा का उद्घाटन करती है। और इसी के साथ जो प्रश्न रचनाकार उठाता है वह भी अपनी गहन अभिव्यंजना रखता है। मेमन को निकालने में फजरी भी (हाकिम की पत्नी) अहम भूमिका निभाती है। वह सदैव उसे गालियां देती रहती हैं - 'रंडी ए सारा हैदराबाद में खसम ना मिलो, ई बूढ़ो लोग ही याहे अच्छो लागो.......... हमारा या सुसरा ए पतो तो तब चलेगी, जब धसड़ी पड़ोसीन के पै सोती फिरेगी.........।' (पृ. 240) इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि पुरुष तो स्त्री पर अत्याचार करे-सो-करे, महिला ही महिला की पीड़ा को नहीं समझती। उल्टे वही सबसे ज्यादा उग्र होकर मेमन को प्रताड़ित करती है। यहाँ वही शाश्वत प्रश्न उठाया गया है कि स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन स्त्री ही है। कभी सास के रूप में, कहीं ननद के रूप में, कहीं माँ के रूप में तों कभी बहू के रूप में। ऐसा क्यों? इसका कारण स्त्री का अधिक समय तक पराधीन रहना ही है। मर्द के आदेशों और इच्छाओं के अनुकूल ढलते-ढलते वह स्वयं भी मर्दवादी मानसिकता की शिकार हो जाती है और प्रत्येक विषय पर स्त्री की दृष्टि से नहीं बल्कि पुरूष की दृष्टि से सोचने लग जाती है। 'स्त्री ही क्या किसी भी व्यक्ति को आप एक कमरे में सालों-साल बंद रखिए, मात्र उसे खाना-पीना देते रहिए। खुली हवा-पानी-प्रकृति से वंचित वह व्यक्ति एक रोज निश्चित ही असंतुलित हो उठेगा.............. उसकी संवेदना कुंद हो जाएगी, उसकी निर्णय क्षमता छीज जाएगी............ वह सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। या उस कमरे में दाना-पानी पहुँचाने वाले के विषय में। उसकी पूरी दुनिया सिमटकर उस कमरे तक ही सीमित हो उठेगी........ वही हाल स्त्री का हुआ है।'[9]

इस मर्दवादी मानसिकता से केवल फजरी ही नहीं, रोबड़ा और बुद्धन के लड़कों की पत्नियाँ भी ग्रस्त हैं। बाबू खाँ द्वारा रामचंदर धोबी की लड़की को छेड़ने पर इन महिलाओं को सारा दोष बाबू खाँ की पत्नी तरकीला का लगता है। वे वही सालों-साल पुराना पुरूषवादी तर्क देती हैं कि 'मरद जभी घर सूँ बाहर मूँ मारेगो, जब वाको अपना घर में पेट ना भरेगो........।' (पृ. 67) और औरत के बच्चा न होने पर भी सारी कमी उसी के सिर मँढ़ दी जाती है, पुरूष तो पाक-साफ बच जाता है। उसमें तो कोई कमी हो ही नहीं सकती। रोबड़ा के छोरा की बहू के इस कथन में यही बात दृष्टिगोचर होती है - 'बीरबाणी में ऐब के बिना मरद काई हालत में वाका पल्ला ए छोड़ के जाई ना सके............ मोहे तो कुछ ऐसो ही लगे है, नहीं तो तेरो चालो हुए एक बरस सू जादा हो गो है और अभी तेरा पेट में कुछ दीखे भी ना है।' (पृ. 67)

निश्चय ही महिला को इस मन:स्थिति पर पार पाने में अभी काफी समय लगेगा। उसे निरन्तर खुले माहौल की आवश्यकता है। और खासकर स्त्री-मुक्ति की वास्तविक अवधारणा तभी चरितार्थ होगी जब वह आर्थिक रूप से पुरूष पर निर्भर नहीं रहेगी।

मोरवाल ने 'खोड़िया' की प्रथा के बहाने भी स्त्री की कुंठा और मुक्ति की चाह को उजागर किया है। सभी पुरूषों के बारात में चले जाने पर पीछे बची महिलाएं अपने गुबार और दबी-छुपी अवचेतन मन की पर्तो को उघाड़कर संतोष पाती हैं। लेखक का संकेत है कि वह दिन दूर नहीं जब स्त्री अपने पति रूपी जीव की प्रताड़नाओं को ज्यादा दिन तक नहीं झेलेगी। वह अपने अधिकारों को समझने लगी है। बाबू की पत्नी तरकीला और सूरज की पत्नी संजा के चरित्र लगभग उस लक्ष्य की ओर अग्रसर होते प्रतीत भी होते हैं। लेकिन यहीं एक विशिष्टता यह भी नजर आती है कि मोरवाल के स्त्री-पात्र कहीं भी अतिवादी नहीं होने पाते। स्त्री-स्वतंत्रता के नाम पर सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ा जाना उन्हें पसंद नहीं। स्त्री-विमर्श पर उन्होंने अपने अगले उपन्यास में अधिक खुलकर लिखा है।

प्रमुख स्त्री-पात्रों में फजरी, तरकीला, रूमाली, रामदेई, बड़ी फूफी, गुलकंदी, अँगूरी, मेमन आदि हैं। इनमें से कोई भी प्रमुख भूमिका में तो नहीं है किन्तु यथावसर उनके व्यक्तित्व को उभारा गया है। नारी का परम्परागत गृहलक्ष्मी रूप ही मुख्यतया उद्घाटित हुआ है। पर्दा-प्रथा का भी प्रचलन है। अधिकतर नारी-पात्र अपने पति की सहधर्मिणी की भूमिका में है। समाज में उसे अधिक

स्वतंत्रता नहीं, तो बंदिशें भी नहीं है। विवाह-शादियों में वे खुलकर भाग लेती हैं। तरकीला अपने पति को गालियाँ निकालकर अपने मन की भड़ास अवश्य निकाल लेती है। कुल मिलाकर लेखक ने एक स्वाभाविक समाज का चित्र प्रस्तुत किया है जिसमें नारी के सभी रूप समाविष्ट हैं। स्पष्ट है कि 'काला पहाड़' दलित लेखन, स्त्री विमर्श या अल्पसंख्यक चिन्ता से प्रस्तावित और प्रायोजित उपन्यास नहीं है। सहज रूप में भारतीय समाज में दलितों, अल्पसंख्यकों और स्त्रियों की स्थिति का एक चित्र है जो दिखाता है कि राजनीतिक परजीवी कैसे इन सबको अपना शिकार और मोहरा बनाते रहते हैं।'[10]

वैसे सामाजिक जीवन की सूक्ष्म व्याख्या करके उसके भीतर के अन्तर्विरोध, विसंगतियों आदि का चित्रण करने में लेखक को अधिक सफल नहीं कहा जा सकता, वह केवल परिस्थितियों को ऊपरी तौर पर ही दिखाकर राजनीति व धर्म की विखण्डनकारी भूमिका पर ही अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहता है। लेखक ने एक समाजशास्त्री की भाँति समस्याओं का लेखा-जोखा प्रस्तुत न करके, मेवात अँचल के जीवन और बहाव को दिखाते हुए उन तत्वों का पर्दाफाश किया है जो सामाजिक व धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ते है और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। सुधीश पचौरी ने उपन्यास में व्यक्त सामाजिकता के बारे में लिखा है - 'यहाँ एक जबर्दस्त सघनता वाली दुनिया है। जहाँ एक घर दूसरे से हमेशा लेन-देन में व्यस्त रहता है। जहाँ किसी का काम अकेले नहीं होता, जहाँ विचित्र सामासिकता है। नेग, छोछक, शादी-ब्याह-सगाई, मौत, उत्सव, सबके हैं। सबके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। कोई निजता (प्राइवेसी) नहीं है, क्योंकि जीवन सामूहिक और सामुदायिक है। मेवात का यह मॉडल हमारे बीच अभी तक बची पुरानी कृषक-सामूहिकता का दुर्लभ नमूना है।'[11] किन्तु उपन्यासकार का संकेत है कि मौजूदा माहौल में यह सामूहिकता धीर-धीरे टूट रही है, विभाजित हो रही है जिसे बचाए रखने की बहुत जरूरत है।

संदर्भ सूची

आधार ग्रंथ - काला पहाड़, भगवानदास मोरवाल, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 1999

1. पचौरी, सुधीश, हंस, सं. - राजेन्द्र यादव, नई दिल्ली, दिसम्बर 1999, पृ.सं. 85
2. गुप्त, शंभु, आलोचना, सहस्राब्दी अंक 19-20, सं. - परमानंद श्रीवास्तव, नई दिल्ली, 2000 पृ.सं. 229
3. गुहा, इलाशंकर, आजकल, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, अप्रेल 2000, पृ.सं. 43
4. गुप्त, शंभु, कथाक्रम, सं. - शैलेन्द्र सागर, लखनऊ, जनवरी-मार्च, 2005, पृ.सं. 49
5. गुप्त, शंभु, पूर्वोक्त, पृ.सं. 229
6. अग्रवाल, रोहिणी, पक्षधर, 20, सं. - विनोद तिवारी, गाजियाबाद, जनवरी-जून, 2016, पृ.सं. 211
7. गुप्त, शंभु, पूर्वोक्त, पृ.सं. 49
8. उपर्युक्त पृं.सं. 50
9. मुद्‌गल, चित्रा, एक जमीन अपनी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2002 पृ.सं. 82
10. शुक्ल, रामदेव, वागर्थ, भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता, जनवरी, 2001, पृ.सं. 107
11. पचौरी, सुधीश, पूर्वोक्त, पृ.सं. 86

प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक परम्पराओं को सरंक्षित रखने में पुराणों का योगदान

डॉ. सुरेश कुमार

सहायक आचार्य, इतिहास विभाग

जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (राज.)

शोध सारांश

वर्तमान समय में भौतिकवादी अंधी प्रतिस्पर्धा के युग में चतुर्दिश व्याप्त नैराश्य, अवसाद, अराजकता एवं अनैतिकता से पीड़ित मानवता का सबसे बड़ा संकट आस्थाहीनता का है। शुष्क तार्किकता एवं अति सूक्ष्म अध्ययन अतिआवश्यक है क्योंकि प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक परम्पराओं को इन्हीं पुराणों ने सरंक्षित रखने का कार्य किया है। प्राचीन भारतीय साहित्य में पुराणों का विशिष्ट स्थान है। इसमें भारतीय संस्कृति और धर्म के मूल तत्वों का लोकोपयोगी संकलन किया गया है। पुराणों की रचना का मूल उद्देश्य धर्म और अध्यात्म के गूढ़ तत्वों को सामान्य जनता के लिए सरल भाषा और सुगम शैली में उपस्थित करना था। पुराण भारतीय संस्कृति के भण्डार हैं। इनमें भारत की सत्य और शाश्वत आत्मा निहित है। इन्हें पढ़े बिना भारत का यथार्थ चित्र सामने नहीं आ सकता, भारतीय जीवन का दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं हो सकता। लोक जीवन के सभी पक्ष इनमें भली प्रकार प्रतिपादित हैं। भारतीय संस्कृति एक आदर्श संस्कृति है। सारे विश्व की सभ्यता को शिष्टाचार की शिक्षा और प्रेरणा देने का श्रेय इसे ही प्राप्त है। इसकी उत्कृष्टता और आदर्शवादिता के उदाहरण हमें पुराणों में देखने को मिलते हैं।

संकेताक्षर : *पुराण, संस्कार, सांस्कृतिक परम्पराएँ, धार्मिक स्वतन्त्रता*

वेदों के रचनाकार आर्य थे। आर्य अत्यन्त सरल प्रकृति के व्यक्ति थे। उन्होंने प्रकृति में परमात्मा को देखा। आर्यो ने भौतिक जगत की उत्पति के लिए विविध देवताओं की कल्पना की थी।[1] विविध देवताओं की कल्पना के परिणामस्वरूप वैदिक काल में बहुदेववाद का विकास हुआ। ऋग्वैदिक काल में इन सभी देवताओं को आकाश, अन्तरिक्ष और पृथ्वी के देवताओं के रूप में वर्गीकरण किया गया।

वैदिक आर्य अपने देवताओं को प्रसन्न करने हेतु यज्ञों को सम्पादित करते थे। यज्ञ सम्पन्न करने हेतु वेदी बनाकर उसमें अग्नि स्थापित की जाती थी। अग्नि के माध्यम से सभी देवताओं को हवी (आहूति) प्रदान की जाती है। यज्ञ के समय वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। इसके साथ ही हव्य (आहूति) भी प्रदान की जाती थी। यज्ञ में घी, दूध, धान्य की आहूति दी जाती थी। पुरोहित यज्ञ सम्पन्न करवाने का कार्य करते थे। यज्ञ पर अत्यधिक धन खर्च होता था। इसलिए प्राचीन काल में राज परिवार के लोग ही यज्ञ करवाते थे। कालान्तर में राजाओं ने साम्राज्य विस्तार हेतु यज्ञ सम्पन्न करने प्रारम्भ कर दिये।[2] सम्राट, एकराट आदि बनने हेतु अब राजा बड़े तथा अत्यधिक खर्चीले यज्ञों का सम्पादन करने लगे। वैदिक धर्म के अनुसार मनुष्य के सभी कर्मो में यज्ञ क्रिया ही श्रेष्ठ है। यज्ञ करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और देवता वश में आ जाते है।[3] वैदिक युग में कई प्रकार के यज्ञ प्रचलित थे-अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास, चातुर्मास, आग्रयण, निरूढ़ पशुबन्ध, सौत्रायणी, पिण्ड, पितृयज्ञ, सोमयज्ञ, अग्निष्टोम, षोडशी, अतिरात्र, पुरुषमेध, पंचमहायज्ञ आदि तत्कालीन समाज में अत्यन्त लोकप्रिय थे। इन यज्ञों के अलावा वाजपेय, राजसूर्य और अश्वमेध जैसे यज्ञों का भी समाज में प्रचलन था।[4]

भागवत पुराण का रचनाकाल सम्भवत प्रारम्भिक गुप्तकाल माना जाता है। प्रारम्भिक गुप्तकाल में भारत में कुछ नवीन धार्मिक प्रवृतियाँ विकसित हो रही थीं। भागवत धर्म ने जैन धर्म व बौद्ध धर्म की भांति वैदिक धर्म का विरोध नहीं किया। अपितु भागवत धर्म ने वैदिक धर्म में भक्ति के नवीन प्राणों का संचार कर उसे संरक्षण प्रदान करने का कार्य किया। इसके अतिरिक्त उस समय वैदिक धर्म में जो दोष उत्पन्न हो गये थे उन्हें दूर करने का प्रयास किया गया। उदाहरणार्थ जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म ने वैदिक यज्ञों

में हिंसा की कटु आलोचना स्पष्ट रूप से की। इन्होंने यज्ञीय कर्म को अर्थहीन बताया। भागवत पुराण में वैदिक यज्ञों में हिंसा का विरोध करते हुए मद्यपान एवं पशु हिंसा का जो वैदिक विधान था उसका वास्तविक अर्थ नये रूप में प्रदान किया जैसे सुरा को सूंघ लेना ही सुरापान को लक्षित करता है। पशु का स्पर्श कर लेना ही पशुबलि है हिंसा नहीं।[5] वैदिक इन्द्रयज्ञ जिसमें कई पशुओं की हिंसा का प्रावधान था, श्री कृष्ण द्वारा इसका बड़े सरल तरीके से विरोध किया गया जिससे इन्द्रयज्ञ के स्वरूप को यथावथ रखते हुए पशुबलि को निषेध माना गया।[6] भागवत पुराण में यज्ञीय हिंसा का बहिष्कार होता है। वैदिक धर्म में इसने पूर्णरूप से संरक्षित रखा गया है[7] भागवत पुराण के अनुसार पाखण्डी लोगों ने यज्ञों में हिंसा का प्रचलन प्रारम्भ किया था।[8]

भागवत पुराण में भक्ति तत्व की प्रधानता है। लेकिन विभिन्न सन्दर्भो में वैदिक यज्ञ परम्परा का महत्व भी स्वीकार किया गया है। उसमें कई यज्ञों के नामों का उल्लेख मिलता है जैसे- अग्निहोत्र, चातुमास्य अग्निवटोम, वाजपेय, अतिराज, आप्तोर्याम, अश्वमेद्य और राजसूय। भागवत पुराण में इन यज्ञों को पापों को नष्ट करने वाले, स्वर्ग में स्थान निश्चित करने वाली नाव के रूप में स्वीकार किया गया है।[9]

पुराणों ने वैदिक यज्ञों के माध्यम से वैदिक धर्म के विभिन्न प्रकार की यज्ञीय क्रियाओं को संरक्षित रखने के कार्य किया है। विभिन्न यज्ञीय क्रियाओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति के तत्व- आत्मज्ञान, आत्मशुद्धि, पर्यावरण शुद्धि, पारलौकिक जीवन में आस्था, तथा विश्व कल्याण आदि को संरक्षित कर भारतीय संस्कृति को संबल प्रदान किया है। भारतीय संस्कृति की उत्कृष्टता और आदर्शवादिता के कुछ उदाहरण विष्णु पुराण में उद्धृत किये गये हैं। कर्त्तव्य निष्ठा पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। प्राचीन वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण देश का नेता, कर्णधार और उन्नायक होता था। क्षत्रिय शासक इनके निर्देशन में ही शासन चलाते थे। वे तपस्वी, त्यागी एवं निस्वार्थी होते थे। राष्ट्र के रोगों का निरीक्षण करके उनका उपचार करना ही उनका कार्य होता था। वे ज्ञान के धनी देश के नैतिक स्तर को ऊँचा उठाए रखते, अपने यजमान को चारित्रिक दोषों से दूर रखना तो वे अपना आवश्यक कर्त्तव्य मानते थे। ताकि राष्ट्र पर किसी तरह का कोई संकट नहीं आये।[10]

विष्णु पुराण के अनुसार मनु के उत्तराधिकारियों में राजा वेन अत्याचारी राजा था। राजा वेन के अत्याचारों से प्रजा को मुक्त कराने के लिए ऋषियों (ब्राह्मणों) ने उसे मार डाला।[11] राज्य में सुशासन, सुधार और सुव्यवस्था स्थापित करने का श्रेय उन ब्राह्मणों को है जिन्होंने शासन में से अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले तत्वों को निकाल फेंका और ऐसे हाथों में सत्ता सौपीं, जो प्रजा के हितों का सच्चे अर्थों में सरंक्षण करने वाले थे। जिससे वैदिक धर्म के आदर्श राज्य की परिकल्पना को संरक्षित किया गया। आज भी ऐसे प्रभावी ब्राह्मणों (बुद्धिजीवियों) की आवश्यकता है, जो अपने उपदेशों एवं निर्देशों के माध्यम से कुशासन सुशासन में परिवर्तित कर सकें। शासन में स्वार्थपरता को समाप्त कर एक राम राज्य की स्थापना कर सकें। विष्णु पुराण ने प्राचीन भारतीय संस्कृति की सुशासन परम्परा की परिकल्पना को संरक्षित रखने का महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित किया है।[12] पुराणों में धार्मिक उदारता की भावना का वर्णन भी मिलता है। विष्णु पुराण में ऊँच-नीच का कोई भेद नहीं है। इसने किसी वर्ग को नीचा समझकर उसकी उपेक्षा नहीं की गई वरन् सभी को समानता का दर्जा दिया। सभी व्यक्तियों के लिए भक्ति के समानता के अधिकार को विष्णु-पुराण समर्थन प्रदान करता है। अर्थात धर्मनिरपेक्षता के संरक्षण में विष्णु पुराण का योगदान अद्वितीय है।[13] अर्थात भक्ति के माध्यम से धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान किया जाना आवश्यक बताया गया है।

बड़ों का सम्मान करना भारतीय संस्कृति की एक महान विशेषता है। माता-पिता, गुरु व वृद्धजनों की आज्ञा पालन भारतीय परम्परा के साधारण नियम थे। जिनका प्रत्येक व्यक्ति पालन करता था। इससे नियमों में इतनी दृढ़ता आ गई थी कि वृद्धजनों की मृत्यु हो जाने पर भी उनके प्रति सम्मान बना रहता था। उस सम्मान के प्रतीक में उन्हें जल से तर्पण आदि किया जाने लगा। जिन पूर्वजों के कारण आज हमारा इतना उत्थान हो पाया है। उनकी उस कृपा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना हमारा परम कर्तव्य हो जाता है। हिन्दू धर्म में आज भी श्राद्ध-पक्ष में अपने पूर्वजों को तर्पण की परम्परा है। जिसे पुराणों द्वारा ही सरंक्षित किया गया है। कृतज्ञता का गुण हिन्दू धर्म को पुराणों के माध्यम से प्राप्त हुआ।

पुराणों में कृतज्ञता, श्रृद्धा और सहयोग की भावना, विश्व के सभी अभाव ग्रस्तों और दुखियों के प्रति सद्भावना शत्रुओं के प्रति दया की भावना, समस्त विश्व के प्राणियों को अपना मानना आदि मानवीय गुणों को प्रदर्शित किया गया है। जिससे माता-पिता, बहन, भाई, पुत्र-पुत्री जैसे सीमित पारिवारिक सम्बन्धों से ऊँचा उठकर हमें अपने दृष्टिकोण को विस्तृत करने की प्रेरणा मिलती है जो ''वसुधैव कुटुम्बकम्'' की भावना को सार्थक करती है। विष्णु-पुराण में वर्णित इस भावना की वर्तमान में आवश्यकता है। जब हम इस भावना में परिपक्व हो जाएगें तब वह अवस्था आत्म-विस्तार, आत्म-कल्याण और आत्मोन्नति कही जाएगी।

इससे विश्व कल्याण संभव है। विष्णु-पुराण, एक आदर्श शासन अर्थात् राम-राज्य का वर्णन करता है। जिसमें सभी वर्णो में कही भी धर्म का क्षय पारस्परिक कलह अथवा मर्यादा का नाश कभी नहीं होता है।[14]

पुराणों में जहाँ कंस, हिरण्यकश्यप जैसे अन्यायी राजाओं के कुशासन का वर्णन है। वहां न्यायपालक, कर्त्तव्यपरायण और अपने को प्रजा का सेवक मानने वाले आदर्श राजा के सुशासन का भी उल्लेख है। जो अपने अहं की पुष्टि के लिए जनता पर अनुचित आदेश लादना आत्म-हनन मानते थे। आदर्श शासक जनता के जान-माल की सुरक्षा करना अपना नैतिक कर्त्तव्य मानता है। पुराणों में वर्णित है कि प्रजा-राजा का अनुकरण करती है। इसलिए राजा का नैतिक व धार्मिक आचरण उच्च होना चाहिए, जिससे जनता प्रेरणा प्राप्त कर सके। यह भारतीय संस्कृति का आदर्श है वर्तमान समय में यदि शासक और जनता इस आदर्श को अपनाएं तो यहां भी राम-राज्य की स्थापना हो सकती है।[15]

पुराणों में प्रत्येक विषय को धर्म, सदाचार, नीति का पुट देकर लोक शिक्षा का माध्यम बनाने की चेष्टा की गई है। मार्कण्डेय पुराण ने मुख्य रूप से धर्म, नीति व सदाचार प्रतिपादन को ही अपना लक्ष्य बनाया है।[16] स्कन्द पुराण में अवगुणों के प्रति सावधान रहने की बात करते हुए पुराणकार कहता है। ''जिसका झुकाव दुराचार की ओर होता है, वह लोक में महान निन्दा का पात्र होता है। दुराचारी व्यक्ति अनेक प्रकार की व्याधियों रोगों से घिरा रहता है। और इस कारण उसका जीवन अल्प हो जाता है। और वह हमेशा दुख ही भोग करता है। इसलिए मनुष्य को सदाचारी कर्म करने चाहिए, जिसके कारण सदाचारी समाज का निर्माण हो सके।[17] सदाचारी समाज राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करने में सहायक है।

पुराणों में वर्णित आर्थिक समाज में वर्णों के कर्त्तव्यों व नियमों का पालन करने पर जोर दिया गया है। वहीं जातियों की संख्या बढ़ाने से आर्थिक स्थिति के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। पुराणों में विभिन्न शिल्पों (हस्तकलाओं) को स्वीकार करते हुए अर्थव्यवस्था में उनके महत्व को स्वीकार किया है। और शिव और विश्वकर्मा को शिल्पियों का देवता मनोनीत किया गया है। जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पुराणों की उपादेयता को सिद्ध करता है। इसी प्रकार पुराणों में जहां यज्ञीय विधान का समर्थन किया है, वहीं पशु-पक्षियों के प्रति उदारता और प्रेम का संदेश दिया है। पशु-पक्षियों को देवताओं के साथ जोड़ कर उनका स्तुति गान और महता की स्थापना पौराणिक काल की देन है। साथ ही वृक्षों को रोपित करने का आह्वान आज के सन्दर्भ में पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य माना जा सकता है। पुराणों में किये गये कृषि, पशु पालन, व्यापार-वाणिज्य, नगर आदि वर्णन से उस समय की आर्थिक स्थिति का ज्ञान तो होता ही है। साथ ही साथ मनुष्य को सुख-समृद्धि से परिपूर्ण होकर आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा प्रदान की गई। आत्मनिर्भरता का गुण भारतीय संस्कृति का मुख्य आधार स्तम्भ के रूप में स्थापित है।[18]

गुरुजनों के प्रति शिष्टाचार का पालन करना एक आदर्श विधार्थी का परम कर्त्तव्य है। पुराणों के अनुसार विधार्थी आज्ञापालक, सेवाभावी, अनुशासित और आवश्यक शिष्टाचार का पालन करने वाला होना चाहिए। प्राचीन काल के विधार्थी जीवन की यही व्यावहारिक रूप रेखा थी जिसे आज भी आदर्श माना जाता है। यदि आज का विधार्थी वर्ग इस शिष्टाचार का पालन करने लगे विधार्थी आज्ञापालक, सेवाभावी, अनुशासित और आवश्यक शिष्टाचार का पालन करने लगे तो विधार्थी समाज से सम्बन्धित कई समस्याओं का समाधान संभव है।[19] पुराणों के माध्यम से विद्यार्थियों के नैतिक चरित्र का निर्माण संभव है। अतिथि सत्कार भारतीय संस्कृति का मूलमंत्र है। प्राचीन काल में अतिथि सत्कार को गृहस्थ का एक आवश्यक गुण माना जाता था। अतिथि की उपेक्षा करने वाले व्यक्ति को हीन दृष्टि से देखा जाता था। उत्तम गृहस्थ अतिथि को भोजन करवाकर ही स्वयं भोजन करते थे। पुराणों में अतिथि सत्कार न करने वाले की निन्दा की गई है। जिसके घर पर आया हुआ अतिथि निराश होकर लौटता है, वह अपने सब पाप कर्म गृहस्थ को देकर उसके सभी पुण्यकर्मो को साथ ले जाता है। अतिथि सत्कार मानव मात्र के प्रति प्रेम के विकास की साधना है, जो मनुष्य के आत्मोत्थान में सहायक सिद्ध होता है।[20]

मनुष्य जीवन संघर्षो से परिपूर्ण है। पुराण मनुष्य को संघर्षो से आगे बढने की प्रेरणा देता है। ध्रुव का जीवन इसके लिए एक मार्गदर्शक है। ध्रुव से पितृ स्नेह का अधिकार छीना जाता हैं तो वे व्यथित हो उठते है और उसे अपने बल पर प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, घोर तप करते हैं। ध्रुव के तप को विफल करने के अनेक प्रत्यन्न किये गये, परन्तु ध्रुव अपने निश्चय पर अटल रहे। हमारा जीवन भी कठिनाइयों से भरा है। यदि हम उनसे डर गये तो जीवन काटना असंभव हो जाएगा। दु:खों को धैयपूर्वक सहन कर जीवन पथ पर अग्रसर होते रहना चाहिए। अवतारी पुरुष राम एवं कृष्ण के सखा पाण्डवों को भी घोर सकंटों का सामना करना पड़ा तो साधारण मनुष्य उनसे कैसे बच सकता है। दुख व्यक्ति के संघर्ष की प्रेरणा

देने आता है। जिससे व्यक्ति क्रियाशील एवं शक्तिशाली बनता है। कठिन परिस्थितियों में संघर्ष कर आगे बढ़ना यही भारतीय संस्कृति है। जो प्राचीन समय से वर्तमान युग तक सार्थक है।[21] पुराण मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में संघर्ष की प्रेरणा देता है। पुराणों के विभिन्न रूपों में एक भविष्य पुराण में संस्कारों का उल्लेख मिलता है। चूंकि संस्कारों का वैदिक काल से ही उदय हो चुका था। किन्तु इसकी स्पष्ट विवेचना सर्वप्रथम पुराणों द्वारा की गई। भारतीय समाज में संस्कारों का सम्बन्ध केवल धर्म से नहीं, अपितु जीवन जीने की विधि है। जो प्रत्येक व्यक्ति को एक विशेष परिस्थिति में अपने कर्त्तव्यों का बोध कराती है और नैतिक मूल्यों के प्रति प्रतिबन्धित करती है। इस दृष्टिकोण से संस्कारों को सामाजिक व आध्यात्मिक जीवन के बीच समन्वय स्थापित करने का सुदृढ़ साधन माना गया है।

संस्कारों की वर्तमान में प्रासंगिकता देखी जाये तो संस्कार वर्तमान में भी अपनाये जा रहे हैं। ये हिन्दू धर्म के अभिन्न अंग माने गये हैं। कुछ संस्कार का महत्व तो जीवन का अंग ही बन चुका है। जो पूर्ण मंत्रोच्चारण वैदकि धार्मिक क्रियाओं द्वारा सम्पन्न करवाये जाते हैं जैसे-नामकरण, मुण्डन, विवाह, अग्नि परिगृह। कुछ संस्कार सामान्यत: ही पूर्ण कर लिये जाते है जैसे- कर्ण-भेदन, विद्या-आरम्भ भारतीय संस्कृति के विशेष तत्व के रूप में संस्कार जीवन की प्रगति मार्ग में सुन्दर सोपान के तुल्य हैं, जो मनुष्य के मनोविचारों व प्रवृतियों को शुद्ध करते हुए निरन्तर उँचा उठाते हैं। इन संस्कारों को पुराणों ने वैदिक काल से लेकर, वर्तमान समय तक संरक्षित रखने का महत्वपूर्ण कार्य किया है।[22] पुराणों में उल्लेखित भारतीय संस्कृति के जिस आदर्श को दर्शाया गया है, उसकी प्रासंगिकता आज भी है और भविष्य में भी बनी रहेगी। यदि आज का मानव इस आदर्श को अपनाएं तो हमारा समाज और राष्ट्र उन्नति और तीव्र गति से अग्रसर हो सकता है। आज बदलते परिवेश में छिन्न-भिन्न होती सामाजिक व्यवस्थाओं में यदि भारत के सांस्कृतिक एकता के वटवृक्ष को सुरक्षित रखना है। तो व्यवहारिक स्तर पर विभिन्न धर्मो और मतों को भले ही स्वीकार कर लें परन्तु अतंतः हम सभी को यही स्वीकार करना होगा कि सभी एक जीवन एक ही भाग्य विधाता के द्वारा प्रेरित एवं संचालित हैं। बीज की भांति अदृश्य, अनादिकाल से बह रही, अद्धम चिन्तन धारा को ही पुन: प्रवाहित करना होगा और यह ध्यान रखना होगा कि हिन्दु, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, पारसी होने से पहले हम भारतीय है और उससे भी पहले हम मनुष्य है जिसमें एक ही आत्मत्व विद्यमान रहता है।

प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक परम्पराएं जैसे-यज्ञीय विधान कर्त्तव्य-पालन, सुशासन की परिकल्पना (राम-राज्य), धर्मनिरेपक्षता, कल्याणकारी राज्य, बड़ों का सम्मान, वसुधैव कटुम्बकम् का सिद्धान्त, शिक्षा में धर्म, सदाचार एवं नीति, पर्यावरण संरक्षण, राज्य का आर्थिक आधार, विद्यार्थियों का कर्त्तव्य, अतिथि सत्कार, संघर्षशील मानवीय जीवन, संस्कारी जीवन आदि को पुराणों द्वारा पूर्णरूप से संरक्षित किया गया है। जिनके अध्ययन से व्यक्ति स्वयं का, पुराणों के अध्ययन से समाज का एवं राष्ट्र का कल्याण कर सकता है। प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक परम्पराओं के सरंक्षण के रूप में पुराणों की उपादेयता सिद्ध होती है।

सन्दर्भ सूची

1. होपकिन्स, इ डब्ल्यू, द रिलिजन्स ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली, 1972, पृ.सं. 11
2. मिश्र, जयशंकर, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना, 1974 पृ.सं. 586,
3. शतपथ ब्राह्म्ण 2.3.1.6, पच्चविश ब्राह्म्ण 1.8.4.1.
4. मिश्र, जयशंकर, पूर्वोक्त
5. भागवत पुराण 11.5.13 शर्मा, जवाहरलाल, श्रीमद्भागवत का सांस्कृतिक अध्ययन, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1984 पृ.सं. 109
6. वही, पृ.सं. 109
7. वही, पृ.सं. 110
8. भागवत पुराण, 10.20.23, गीता प्रेस गोरखपुर
9. शतपथ ब्राह्म्ण, अच्युत ग्रन्थ माला, 1, पृ.सं. 191
10. विष्णु पुराण (1/13/23-24)
11. महाभारत, शान्ति पर्व, 119.16
12. विष्णु पुराण, 1. 16 पृ.स. 45-50 (1/16/46-50)
13. विष्णु पुराण, 214/16.18
14. वही, 2.4. पृ.स. 68-69 (2/4/68-69)
15. वही, पृ.सं. 69 (2/4/69)
16. मार्कण्डेय पुराण, प्रथम खण्डः भूमिका, पृ.सं. 6
17. स्कन्ध पुराण, प्रथम खण्डः भूमिका, पृं.सं.22
18. मिश्र, जयशंकर, पूर्वोक्त
19. विष्णु पुराण, 3.9 पृ.सं. 6,7 (3/9/6,7)
20. वही, 3.1 पृ.सं. 15,16 (3/1/15,16)
21. वही, 1.2 पृ.सं. 14,15 (1/12/14,15)
22. गोयल, प्रीति प्रभा, भारतीय संस्कृति, पृ.सं. 63-104

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रवाद और दक्षेस

रूबी मीना

शोधार्थी

दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)

शोध सारांश

राष्ट्रों में आपसी वैमनस्यता एवं मतभेदों को समाप्त करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को बढावा देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नवीन अवधारणा का जन्म हुआ जिसे क्षेत्रवाद के नाम से जाना जाता है। 19 वीं सदी में क्षेत्रीयता की अवधारणा को लक्षणों को विभिन्न सन्धियों, कान्फ्रेन्सेस, अस्थायी संगठन, समझौता आदि में देखा गया। इस और सर्वप्रथम प्रयास 1815 में कॉंग्रेस ऑफ वियना की बैठक से प्रारम्भ हुआ। क्षेत्रीकरण का दूसरा महत्वपूर्ण चरण 'कन्सर्ट ऑफ यूरोप'की बैठक और हैग पीस कॉन्फ्रेस की महत्वपूर्ण बैठकों से हुआ। सन 1919 में 'लीग ऑफ नेशन्स' की स्थापना के साथ लीग ने अनुच्छेद 21 के तहत क्षेत्रीयता के सिद्धान्त को मान्यता प्रदान की। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् संयुक्त राष्ट्र के कार्य और शैली में बहुत परिवर्तन आया। अमरीका और रूस के मध्य बढते हुए अन्तरों ने इसकी कार्य प्रणाली पर गहरा असर छोडा। इसी कारण यह अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति स्थापित करने में सफल नहीं हो पाया। इसी वजह से स्वतन्त्र एवं सार्वभौमिक राष्ट्रों ने अपनी शान्ति, सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए क्षेत्रीय संगठनों को बढावा दिया।

संकेताक्षर : *क्षेत्रीयता का सिद्धान्त, क्षेत्रीय विकास, पारस्परिक सहयोग, आत्मनिर्भरता*

विश्व का प्रत्येक राष्ट्र सम्पन्न बनने के प्रयासरत रहता है। विश्व के राष्ट्र में कई समानताएँ व असमानताएँ पायी जाती है। परस्पर सहयोग के द्वारा यह राष्ट्र आपसी समानताओं का लाभ उठा सकते हैं और प्रतिस्पर्धा को कम करके सहयोग के क्षेत्र में एक - दूसरे के पूरक बन जाते है। एक क्षेत्र जिसका अपना इतिहास और अपना भूगोल हो और जिसमें एक पास आने और साथ रहने की आकांक्षा हो क्षेत्र कहलाता है। साधारण तौर पर क्षेत्र वह है जिसमें दो से अधिक राष्ट्र अपनी भौगोलिक सीमाओं द्वारा पारस्परिक दृष्टि से जुडे हुए हों एवं राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से समानतायें रखते हों। रसेट के अनुसार एकरूपता, आत्मनिर्भरता, अस्थाई रूप से एक-दूसरे का विरोध भी करते हों, जो सत्ता पर प्रभावी नियंत्रण रखे हुए हैं और जिसमें शक्ति का विकेन्द्रीकरण हो। उनके अनुसार ऐसे क्षेत्र व सामान्य और विकास की योजनाएँ बनाई जाती हों और उनको क्रियान्वित किया जाता हो।[1]

इन्टरनेशल एन्साइक्लोपीडिया में क्षेत्र व क्षेत्रवाद को स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि सामाजिक विज्ञान में दी गई प्रस्तावना के अनुसार क्षेत्र और क्षेत्रवाद समुदाय और राष्ट्र का मध्य बिन्दु है। क्षेत्रवाद की सार्थकता इस दृष्टि में निहित है कि यह विभिन्न समस्याओं का अन्वेषण कर उपायों का विश्लेषण करता है। यह एक सामान्य घारणा है जो क्षेत्रवाद के अध्ययन से विभिन्न तरीकों से प्रचलित है क्षेत्र इस प्रकार से परिभाषित किये जा सकते है, कि वे बडे सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र के निर्माण करने वाले खण्ड है।[2] एक भारतीय स्कोलर ने क्षेत्रवाद की व्याख्या करते हुए कहा है कि क्षेत्रवाद में भौगोलिक सीमाएँ निर्धारित होती हैं। यह आर्थिक विकास, अन्तर-राज्यीय विवाद तथा महाशक्तियों के प्रभुत्व से बचाव करने का प्रयास करता है।[3] उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि क्षेत्रवाद वह है जो राजनीतिक तथा सांस्कृतिक भावनाओं एवं गतिविधियों को उत्साहित कर उनकी सुरक्षा करता है।[4]

19 वीं सदी में क्षेत्रीयता की अवधारणा को लक्षणों को विभिन्न सन्धियों, कान्फ्रेन्सेस, अस्थायी संगठन, समझोता आदि में देखा गया। इस और सर्वप्रथम प्रयास 1815 में कॉंग्रेस ऑफ वियना (Congress of Vienna) की बैठक से प्रारम्भ हुआ।[5] इस कॉंग्रेस ऑफ वियना की बैठक में पहली अन्तर्राष्ट्रीय सलाह की प्रक्रिया

शुरू हुयी। इसके अतिरिक्त दूसरी महत्त्वपूर्ण बैठके जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी गयी वो होली एलाऐन्स (Holly Alliance) और क्वाड्रल एलाऐन्स (Quadruple Alliance) थी। क्षेत्रीकरण का दुसरा महत्वपूर्ण चरण 'कन्सर्ट ऑफ यूरोप' (Concert of Europe)की बैठक और हैग पीस कॉन्फ्रेस(Hague Pease Conference)[6] की महत्वपूर्ण बैठकों से हुआ। इन बैठकों में पहली बार छोटे देशों को बराबरी का दर्जा दिया गया, और इन बैठकों के जरिये आपसी मतभेदों को सुलझाने की नीति अपनायी गयी। धीरे-धीरे इन बैठको का कार्यक्षेत्र बढता गया और आर्थिक तथा सामाजिक स्तर पर आपस में सहयोग की बात की गयी।[7] सन 1919 में 'लीग ऑफ नेशन्स' की स्थापना के साथ लीग ने अनुच्छेद 21[8] के तहत क्षेत्रीयता के सिद्धान्त को मान्यता प्रदान की। इस अनुच्छेद के तहत लीग ने क्षेत्रीय संगठनों के द्वारा शान्ति और सुरक्षा की व्यवस्था के औचित्य को स्वीकारा। लगभग दो दशक तक लीग ने अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में महत्वपूर्ण कार्य किये और क्षेत्रीयता की अवधारणा को ठोस आधार प्रदान किया।[9]

सन 1945 में लीग के पदचिह्नों पर एक नयी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना हुयी जिसे हम यूनाइटेड नेशन्स (United Nations) के नाम से जानते है। विन्सटन चर्चित ने सर्वप्रथम यहाँ पर क्षेत्रीय सभाओं की बात की और उसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति स्थापित करने की बात की। यूनाइटेड नेशन्स (संयुक्त राष्ट्र) के चार्टर में पूर्णतया अनुच्छेद 52-54[10] तक क्षेत्रीय प्रबन्ध की बात की गयी है और उनकी स्थापना को मान्यता प्रदान की गयी है।

दक्षिण एशिया एक पृथक क्षेत्रीय प्रणाली के रूप में

दक्षिण एशिया में सात प्रमुख राष्ट्र भारत-पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका तथा मालदीप है। दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में नेपाल को छोड़कर सम्पूर्ण दक्षिण एशियाई राष्ट्र अंग्रेजों के नियंत्रण में थे। इन सभी राष्ट्रों ने पराधीनता से मुक्ति हेतु संघर्ष कर स्वाधीनता प्राप्त की। दक्षिण एशिया ने एक क्षेत्र के रूप में नवीन पहचान हासिल की है। कुछ विचारकों के अनुसार दक्षिण एशिया का क्षेत्र सीमित है तथा यह सिर्फ भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव व बांग्लादेश तक ही सीमित है जबकि कुछ अन्य विचारकों के अनुसार दक्षिणी एशिया क्षेत्र अफगानिस्तान तथा बर्मा दोनों ही राष्ट्र एशियाई क्षेत्र से पृथकता रखते है इसलिए कि इन दोनों ही राष्ट्रों की उच्च पर्वत श्रृंखलाएँ व गहरी घाटियाँ या खाईयाँ इन राष्ट्रों को दक्षिण एशियाई क्षेत्र से पृथक रखती है। अत: दक्षिण एशिया केवल सात राष्ट्रों तक ही सीमित है। दक्षिण एशिया क्षेत्र में कई समानताएँ एवं विविघताएँ पायी गयी है। इस क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टि से कई समानताएँ है लेकिन राजनीतिक दृष्टि से कई मतभेद पाये गये है।

माईकेल ब्रेकर ने निम्न आधारों पर एक क्षेत्र की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि दक्षिण एशिया निश्चित रुप से एक पृथक क्षेत्र है:-

1. इसका क्षेत्र भौगोलिक होता है।
2. इस भौगोलिक क्षेत्र में कम से कम तीन कर्त्ता या राज्य होने चाहिए।
3. अन्य राज्य इनको एक विश्व प्रणाली में एक निश्चित समुदाय मानते है।
4. इसके सदस्य अपने को इस क्षेत्र का सदस्य स्वीकार करते है।
5. इसके सदस्य राज्य विश्व सदस्य राज्य से कम शक्ति रखते है।[11]
6. प्रमुख प्रणाली (विश्व) में परिवर्तन से क्षेत्रीय प्रणाली बहुत अधिक प्रभावित होती है किन्तु क्षेत्रीय प्रणाली में परिवर्तन से विश्व प्रणाली इतनी प्रभावित नहीं होती।

दक्षिण एशिया के राज्य आपस में सामान्य इतिहास, वंश,जाति, भाषा, संस्कृति आदि के द्वारा आपस में जुडे हुये है। यदि यह पूरा क्षेत्र अपने सुरक्षा संगठन को एक विशेष स्वरूप न दे तो यह क्षेत्र आक्रमणकारियों का शिकार हो सकता है।

दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की संभावनायें एवं अभिकल्पना

दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की स्थापना हेतु सबसे पहले व्यक्तिगत रूप में 1977 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति जनरल जिया-उर-रहमान ने विभिन्न दक्षिण एशियाई राष्ट्रों की यात्राएँ करते हुये विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया। राष्ट्रपति जिया-उर-रहमान ने 18 दिसम्बर 1977 को नेपाल की दो दिन की यात्रा के दौरान सर्वप्रथम घोषित किया कि सिंचाई, ऊर्जा एवं शक्ति, नदी, परिवहन तथा बाढ नियंत्रण के क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग की स्थापना करके आपसी लाभ उठाया जा सकता है तथा विकास को नई दिशा प्रदान की जा सकती है।[12]

राष्ट्रपति जिया-उर-रहमान ने इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये 1979 में भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका की यात्राएँ की। इससे पहले सिडनी राष्ट्रमण्डल सम्मेलन, लुसाका राष्ट्रमण्डल सम्मेलन और हवाना निर्गुट सम्मेलन में अनौपचारिक रूप से दक्षिण एशिया सहयोग की स्थापना हेतु आवाज बुलन्द कीं। बांग्लादेश के तत्कालीन विदेशमंत्री श्री शमशुलहक ने भी दक्षिण एशियाई देशों की यात्रायें इसी परिप्रेक्ष्य में विचार-विमर्श हेतु की।[13]

हालांकि 1978 तक दक्षिण एशिया में राजनीतिक मतभेदों के कारण क्षेत्रीय सहयोग हेतु सरकारी स्तर पर कोई सार्थक पहल नहीं हो पाई थी लेकिन सितम्बर 1978 में गैर सरकारी स्तर पर श्रीलंका की राजधानी कोलम्बो में शोध संस्थान मागो इन्स्ट्रीट्यूट खोला गया, जिसको कमेटी ऑन स्टडीज फॉर कॉआपरेशन एण्ड डवलमेन्ट इन साउथ एशिया नाम दिया गया। इसकी परामर्शदात्री समिति ने निम्न बातों पर निश्चय प्रकट किया :-

1. सहयोगी शोध द्वारा सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों की खोज की जाये।
2. इसका रुप आर्थिक हो जिसमें व्यापार वृद्धि, पूरक उत्पादन का दृढता से विकास तथा पर्यटन, बीमा, शिपिंग और वित्तीय मामलों में आर्थिक आदान-प्रदान की व्यवस्था की जाये।
3. क्षेत्र में सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढावा दिया जाये।

इसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव दक्षिण राष्ट्रों के विद्वानों ने भाग लिया तथा 12 क्षेत्र विकास योजनाओं व शोधों के लिये चुने गये।[14]

मई 1979 में इसी तरह संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास (अंकटाड) की मनीला में आयोजित पाँचवी बैठक में विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिये क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता महसुस की गयी, जिसमें राज्य प्रशिक्षण संस्थानों के मध्य सहयोग, बहुराष्ट्रीय बाजार व्यवस्था, क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग, क्षेत्रीय साख की व्यवस्था, तकनीकी के आदान-प्रदान, बीमा योजना तथा विकासशील राष्ट्रों के मध्य व्यापार को वरीयता इत्यादि महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये गये।[15]

कमेटी ऑन स्टडीज फॉर कोऑपरेशन एण्ड डवलमेन्ट इन साउथ एशिया (सी.एस.सी.डी.) ने शोध के लिये निम्न विषयों पर आपसी सहमति प्रकट की। क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग, आयात-निर्यात व्यवस्था, व्यापार वृद्धि, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, आपसी समझ में वृद्धि, भुगतान व्यवस्था, वित्तीय प्रबन्ध, व्यापार वृद्धि, वितरण एवं बाजार प्रणाली, साख सुविधा, विभिन्न सरकारों के मध्य वार्तायें, सामूहिक आत्म-निर्भरता, यातायात एवं संचार सुविधा, ग्रामीण औद्योगीकरण, मानवीय शक्ति एवं रोजगार नीतियाँ, पर्यटन, जनसंख्या समस्यायें और तकनीकी आदान-प्रदान इत्यादि।[16]

2 मई 1980 को बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिया-उर-रहमान द्वारा उठाये गये ठोस महत्तवपूर्ण एवं औपचारिक कदम से पूर्व भी गैर-सरकारी स्तर पर क्षेत्रीय सहयोग की ओर कई कदम उठाये जा चुके थे, लेकिन राष्ट्रपति जिया के सक्रिय रूख अपनाये जाने के कारण ही दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की स्थापना का श्रेय उन्होने अपने सिर बांधकर ऐतिहासिक स्थान प्राप्त किया। 1981 का वर्ष दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। इस वर्ष सर्वप्रथम कोलम्बों में सातों राष्ट्रों के विदेश सचिवों ने एक मंच पर एकत्र होकर क्षेत्रीय सहयोग की स्थापना हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए इस दिशा में विशिष्ट कदम उठाये।[17]

दक्षेस के लिए किये गये प्रारम्भिक प्रयास

कोलम्बो में दक्षिण एशिया के देशों के विदेश सचिवों का 21-23 अप्रेल 1981 ई. को एक सम्मेलन हुआ। इसमें सात देश सम्मिलित थे। यह सम्मेलन बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिया-उर-रहमान के प्रयास पर हुआ था। श्रीलंका के विदेश मंत्री ए.सी.एस. हमीद ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होने इन सात देशों के बीच क्षेत्रीय संगठन पर बल दिया। उन्होनें कहा कि श्रीलंका इस क्षेत्र के राष्ट्रों के बीच समान आदर्शो, समान समस्याओं के निराकरण के लिए समान दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने श्री जिया-उर-रहमान को धन्यवाद दिया कि उनके प्रयास पर यह सम्मेलन हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्रीय विकास की कुंजी है।[18]

विदेश सचिवों ने कहा कि क्षेत्रीय सहयोग से जो पारस्परिक विश्वास बढ़ेगा, उससे बहुत सी राजनैतिक समस्याएँ और तनाव स्वत: दूर हो जाएगे। उन्होने यह स्वीकार किया कि क्षेत्रीय सहयोग, द्विपक्षीय सहयोग या बहुपक्षीय सहयोग का स्थान नहीं लेगा वरन वह इनके पूरक कार्य करेगा। 31 अगस्त से 2 सितम्बर 1981 ई. सम्पूर्ण समिति की बैठक हुई। समिति ने सम्भावित क्षेत्रीय सहयोग के लगभग 13 विषय गिनाये-शिक्षा-प्रशिक्षण, सांस्कृतिक विनियम, वैज्ञानिक और टैक्नॉलोजी सहयोग, पयर्टन समुद्र यात्रा, मौद्रिक सहयोग, अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन-देन और बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ, सूचना जनसंचार, पोस्टल सेवा, दूरसंचार, मानव श्रम का निर्यात, शोध संस्थान, क्षेत्रीय योजनाकार, गैर सरकारी और वैद्रिक संगठन। इन सहयोग क्षेत्रों पर बड़े विस्तार से वाद-विवाद हुए और ग्रुफ स्टड़ी करके लेख प्रस्तुत किये गये। काठमाण्डू में 24 नवम्बर 1981 ई. को विदेश सचिवों की दूसरी बैठक हुई। इस्लामाबाद में तीसरी बैठक 7-9 अगस्त 1981 ई. को हुई। 10-13 जनवरी 1983 ई. को सम्पूर्ण समिति ने कोलम्बों में अपनी रिपोर्ट पेश की। 29-30 मार्च 1983 ई. को ढाका में विदेश सचिवों की चौथी बैठक हुईं। नई दिल्ली में 1-2 अगस्त 1983 ई. को विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। 2 अगस्त 1983 ई. को दक्षेस के उद्देश्यों आदि की

धोषणा की गई। नई दिल्ली में 27-29 फरवरी 1984 ई. को दक्षेस की स्थाई समिति की बैठक हुई। माले में विदेश मंत्रियों की बैठके हुई 10-11 जुलाई 1984 ।श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने नई दिल्ली में 1 अगस्त 1983 ई. को भाषण देते हुए कहा था कि विश्व में यूरोपीय समुदाय जैसे कई विकसित समुदाय है। वे भी कठिनाईयों से जूझ रहे है, अतएव दक्षिणी एशिया में सहयोग के मार्ग पर हमें बढना चाहिए, कठिनाइयाँ और बाधाएँ आएगी। उनसे हमें जूझने का प्रयास करना चाहिए।

दक्षेस की स्थापना

2 मई 1980 को राष्ट्रपति जिया-उर-रहमान द्धारा उठाये गये ठोस कदमों के परिणाम स्वरूप 7-8 दिसम्बर 1985 को दक्षेस का निर्माण हुआ। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्रथम शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में सातों राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों ने इस दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन का नाम देकर विधिवत एवं संस्थागत रुप प्रदान किया तथा चार्टर को स्वीकृति प्रदान करके एक नये युग का सूत्रपात किया।

दक्षेस की स्थापना से पहले दक्षिण एशिया के देशों की संस्कृति एवं सामाजिक रूप से नजदीक होने के बावजूद् आपसी मतभेदों के द्धारा दूर होते जा रहे थे तथा द्धिपक्षीय मुदों पर असहमति थी। अर्थव्यवस्थों में आपसी तालमेल न होने के कारण दक्षिण एशियाई देशों को नुकसान उठाना पड रहा था। बेरोजगारी जनसंख्या एवं खाद्य समस्या आदि समस्याएँ मुँह खोले खड़ी थी कोई भी देश खाद्य पदार्थो मे आत्मनिर्भर नहीं था अत: ऐसी परिस्थिति में क्षेत्रीय सहयोग द्धारा अर्थव्यवस्था को सुधारने की जरूरत महसूस हुई। विश्व बाजार में दक्षिण एशियाई देशों का भाग 2 प्रतिशत से भी कम था तथा महाशक्तियों दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बनाने की कोशिश कर रही थी ऐसी परिस्थितियों के बीच में बांग्लादेश के राष्ट्रपति जनरल जिया-उर-रहमान के अथक प्रयासों से दक्षेस की स्थापना हुई।

दक्षेस की स्थापना के बाद

विभिन्न सम्मेलनों की गतिविधियों के आधार पर दक्षेस की स्थापना 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इस आशा के साथ हुई थी कि इसके सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रींलका, भूटान और मालदीव अपनी अपनी बहुपक्षीय समस्याओं को एक संयुक्त महा पंचायत के माध्यम से सुलझायेगें। इस दृष्टि से यह संगठन एक सकारात्मक प्रयास का श्री गणेश किया लेकिन अब तक हुए 18 शिखर सम्मेलनों की कार्य प्रणाली पर प्रकाश डाले तो अनेक मोर्चो पर समस्यायें यथावत बनी हुई है।

संगठन दक्षिण एशिया के वासियों के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु बनाया गया था तथा इस गुट के माध्यम से इस क्षेत्र में आंतकवाद और कानूनी हस्तक्षेप पर रोक, महिलाओं पर अत्याचारों पर रोक, बालश्रम पर रोक आदि सामाजिक उद्देश्यों से लेकर तकनीकी हस्तान्तरण संयुक्त उपक्रम, वैज्ञानिक शोध पर आपसी सहयोग बढाने के प्रयास किये जाने के कई महत्वकांशी कार्यक्रम बनाये भी गये है। परिवहन बन्दरगाहों, विद्युत आदि क्षेत्रों में कई परियोजनाएँ प्रारम्भ भी हुई। किन्तु अधिकाशंत: जबानी जमा खर्चा ही ज्यादा रहा है कार्य बहुत कम हुआ है।

पाकिस्तान में आज तक भारत को सर्वप्रथम राष्ट्र का दर्जा तक नहीं दिया है। दक्षिण एशिया में भारत-पाक विवाद तो सबके सामने प्रदत्त है, साथ ही दक्षिण एशिया के सभी देश आन्तरिक व द्धिपक्षीय विवादों से ग्रसित हैं इस प्रकार स्पष्ट है कि देशों में आपसी सद्भाव एवं विश्वास का पूर्णतया अभाव है। अब तक दक्षेस के 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। कई आकर्षक कार्यक्रम बने है किन्तु इनका क्रियान्वयन नहीं हो पाया है आज तक दक्षेस के प्रयासों से न तो आतंकवाद रूका है और न ही नशीली दवाओं का उपयोग, न ही महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है और न ही युवाओं की स्थिति में समस्याओं में आतंकवाद को रोकने की दिशा में पहल न तो पाक ने की और न ही बांग्लादेश ने। गरीबी और अशिक्षा के कार्यक्रम कागजों तक ही सीमित रह गये है।

आर्थिक उदारीकरण के कारण दक्षेस देशों में आपसी व्यापार बढा है श्रींलका और बांग्लादेश का भारत के साथ व्यापार तीन चार गुना बढा है। भले ही व्यापार सन्तुलन भारत के पक्ष में अधिक रहा है भारत के पास क्षेत्रीय औद्योगिक शक्ति होने के कारण ऐसा तो होगा ही साथ ही इन देशों को भी अत्यधिक आर्थिक लाभ होगा। साफ्टा के उदय से दक्षेस में नव प्राण संचार की आशा बंधी है।

यूरोपीय संध से साझा व्यापार का प्रस्ताव भी अत्यधिक प्रभावशाली है, क्योंकि इस क्षेत्र का आयात-निर्यात का दायरा लगभग समान है और व्यापार के लिए अन्य देशों पर इस क्षेत्र को निर्भर रहना ही पडेगा इसलिये ऐसे समझौते अन्य क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों के साथ भी किये जाने चाहिए। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र और दक्षिण एशिया विकास संचय का गठन भी साप्टा की प्रगति में महत्त्वपूर्ण पहल है साफ्टा के अन्तर्गन्त सदस्य देशों को अधिक से अधिक वस्तुओं की सीमा शुल्क से मुक्त कर देना चाहिए। आपसी व्यापार में विदेशी मुद्रा के व्यवधान को दूर करने के लिए पहल की जानी चाहिए यदि सम्भव न हो तो वस्तु विनियम को प्रश्रय दिया जाना चाहिये अन्यथा विदेशी मुद्रा की अपेक्षा स्थानीय मुद्रा में ही व्यापार होना चाहिए।

दक्षेस के माध्यम से जनता का जनता से सम्पर्क विकसित किया जाना चाहिए यदि पूर्ण समर्पण और तीव्र इच्छा शक्ति के साथ दक्षेस की प्रगति के लिए कार्य किया जाता है तो वह दिन दूर नहीं होगा, जबकि यह क्षेत्र महत्त्वपूर्ण आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगा।

संदर्भ सूची

1. रसेट, ब्रुस.एन., इन्टरनेशनल रीजन्स एण्ड इंटरनेशनल सिस्टम, शिकागो, 1967, पृ.स. 2
2. डेविड, एल.सिल्स (सम्पा) इन्टरनेशनल इन्साइस्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइन्सेज, द मेकमिलन कम्पनी, न्यूयार्क , 1968, बोल्यू 13, पृ.सं. 379
3. गुप्ता, भभानी सेना, गुप्ता, अमित एवं नन्दा, प्रकाश, रिजनलिज्म इन साउथ एशिया रोल्स एण्ड बीटेविर्यस, इन भभानी सेन गुप्ता (सम्पा), रीजनल कॉपरेशन एण्ड डवलमेन्ट इन साउथ एशिया, साउथ एशियान पब्लिशर्स, न्यू देहली, 1986, पृ.सं. 12
4. बर्मन, डी.सी., रीजनलिज्म इन बांग्लादेश : द स्ट्डी ऑफ चितगन्ग हिल ट्रेक्टस्ट,इन रमाकान्त (सम्पा), रीजनलिज्म इन साउथ एशिया, आलेख पब्लिशर्स, जयपुर, 1983, पृ.सं. 116
5. पेडल फोर्ड, नॉर्मन जे. एवं लिंकन, जॉर्ज ए,, इन्टरनेशल पॉलिटिक्स फाउन्डेशन ऑफ इन्टरनेशल रिलेशन्स, द मेकमिलन कम्पनी, न्यूयार्क, 1954, पृ.सं. 547-48
6. इनीस एवं क्लोड, स्वॉर्डस इन्टु प्लाउशर : द प्रोबलम्स एण्ड प्रोगरेस ऑफ इन्टरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रेनडम हाऊस, न्यूयार्क, पृ.सं. 28-34
7. हिल, नार्मन, इन्टरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हार्पर एण्ड ब्रदर्स, न्यूयार्क, 1952, पृ.सं. 33
8. मॉर्गेन्थाऊ, सी हेन्स जे., पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन्स : द स्ट्रगल फॉर पावर एण्ड पीस, ऐलफ्रेड ए नॉफ आई.एन.सी. न्यूयार्क 1961, पृ.सं. 470-77
9. उपर्युक्त
10. सी.फार. डिटेल्स चार्टर ऑफ द यूनाटेड नेशन्स, यूनाइटेस नेशन्स : न्यूयार्क
11. ब्रेकर, मइकेल, दि न्यू स्टेट्स ऑफ एशियान ए पोलिटिकल एनालिसिस, लंदन, 1963, पृ.सं. 95
12. आशीर्वादम, एस.आर., ए रिन्यू ऑफ सम ऑफ श्रीलकाज, प्रोग्राम फोर साउथ एशियान इकनोमिक कॉआपरेशन इन साउथ एशियान रीजनल कॉआपरेश्सन के सत्यमूर्ति सं. (इन्स्टीट्यूट ऑफ एशियान स्टडीज, हैदराबाद) 1982, पृ.सं. 62-63
13. राजू, वी.बी., सर्च फोर रीजनल कॉआपरेशन कॉमर्स वो. 143 सं. 3681 एन्युअल, नवम्बर 1961, पृ.सं. 15-19
14. आशीर्वादम, एस.आर., पूर्वोक्त, पृ.सं. 63-67
15. राजू, वी.बी., पूर्वोक्त, पृ.सं. 20-21
16. शाह, कु. पूर्णिमा, सार्क देशों के बीच सहयोग और संघर्ष आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, 2001, पृ.सं. 81
17. उपर्युक्त
18. उपर्युक्त

जयपुर रियासत की राजनीति में रनिवास की महिलाओं का हस्तक्षेप और उनका राज्य पर प्रभाव

श्रीमती सुनीता मीना

व्याख्याता, इतिहास, शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर (राज.)

शोध सारांश

जयपुर रियासत की राजनीति में 1767 ई. के पश्चात् लगभग एक शताब्दी का समय रनिवास की महिलाओं के नाम रहा, क्योंकि इस अवधि में शासन करने वाले लगभग सभी शासक या तो अल्पव्यस्क थे अथवा शासन कार्य में उनकी रूचि नहीं थी। इन वर्षो में शासन की बागडोर रनिवास की महिलाओं के हाथों में रही। जयपुर की रानियों ने इस काल में अल्पव्यस्क शासको की संरक्षिका बन कर प्रशासन को संचालन किया, और शासन कार्य को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूपों में प्रभावित किया। उन्होंने अपनी विश्वासपात्र दासियों, पक्षधर सामंतों एवं अन्य राजकर्मचारियों की सहायता से अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु नैतिक और अनैतिक सभी प्रकार के उपक्रम किये। रानी चूड़ावतजी, रानी भटियाणीजी और रानी चन्द्रावतजी ने इस काल में संरक्षिका के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही नहीं रनिवास में रहने वाली पासवानों, पड़दायतो, बडारणों व दासियों इत्यादि महिलाओं ने भी प्रशासन में जम कर हस्तक्षेप किया, इनमें रसकपूर और रूपा बड़ारण के नाम प्रमुख है। इस प्रकार रनिवास की महिलाओं ने संरक्षिका और परामर्शदात्री के रूप में अपनी योग्यता का परिचय दिया। उनके कार्यों से शासक को तो सुरक्षा मिली पर राज्य असुरक्षित हो गया। वे राज्य में उस स्थिति को पैदा नहीं कर सकीं जो राज्य को एकता के सूत्र में बाँधने के लिये आवश्यक होती है। इन महिलाओं द्वारा राज्य में हस्तक्षेप किये जाने पर अनेक षड़यन्त्र हुये जिसके अनेक दुष्परिणाम निकले। संरक्षिका रानी के विश्वस्त सामंतो, रिश्तेदारों तथा अन्य समर्थको द्वारा अपने हित साधने के लिये राज्य के कार्यो में अनुचित हस्तक्षेप किया, उनकी महत्वाकांक्षाओं ने आपसी तनाव, विद्रोह और बाहरी आक्रमणों को प्रश्रय दिया। मराठों तथा अंग्रेजों ने इसी समय जयपुर रियासत की कमजोर स्थिति का फायदा उठाया और यहां पर अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रयत्न करने लगे।

संकेताक्षर : *जनानी ड्योढ़ी, संरक्षिका, प्रशासनिक हस्तक्षेप, षड़यन्त्र, बाहरी आक्रमण*

रियासत कालीन राजपूताना के शासन तंत्र का संचालन राजमहलों से होता था और जनानी ड्योढ़ी' राजमहल का वह भाग होता था जिसमें राजघराने की महिलाएं निवास करती थीं। राजतंत्रात्मक व्यवस्था में यह भाग अन्त:पुर, ड्योढ़ी, रनिवास'' और राजलोक के नाम से भी जाना जाता था। चूँकी बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन था अत: राजा के अन्त:पुर में बड़ी संख्या में राजमाताओं, महारानियों, रानियों, पासवानों, पड़दायतों, बड़ारणों, खवासों व दासियों आदि महिलाओं के रहने की व्यवस्था होती थी। अपने रनिवास में अनेक स्त्रियों को रखना तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था में सम्मानजनक व गौरवपूर्ण माना जाता था।[1] जब-जब शासक तलवार के धनी न रहकर रास-रंग के प्रेमी बन गए तब तब इन शाही महिलाओं ने जम कर प्रशासन में हस्तक्षेप किया। राजा की विभिन्न पत्नियों, उपपत्नियों में परस्पर षड्यंत्र, प्रतिषड्यंत्र चलते रहते थे जिसका राज्य के प्रशासन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता था। राज्य के विभिन्न सामंतों और जागीरदारों द्वारा अपनी पुत्रियों का विवाह राज परिवार में करने का प्रयास किया जाता ताकि वे राज्य की राजनीति में अपना प्रभाव बड़ा सकें और सही समय आने पर उस रानी को राजनीतिक रूप से प्रयोग कर सकें।

जनानी ड्योढ़ी का सर्वोच्च पद महारानी या पटरानी का होता था जिसे प्राय: प्रथम पत्नी को प्रदान किया जाता था।[2] महारानी को अन्य रानियों से दुगुनी रकम की जागीर व अन्य कई सुविधायें प्राप्त होती थीं।[3] किन्तु विशेष परिस्थितियों में इस पद को लेकर भी रानियों में विरोध भाव देखा गया।' जनानी ड्योढ़ी - महल का वह भाग जहाँ रानियाँ निवास करती थीं।'' रनिवास - रानियों

का निवास स्थान। शासक की माता को राजमाता या मांजी कहा जाता था। जनानी ड्योढ़ी में राजमाता को भी विशेष सम्मान प्राप्त था। शासक के अल्पव्यस्क होने पर प्राय: राजमाता संरक्षिका के रूप में राज्य की राजनीति और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी। जयपुर के शासक माधोसिंह की मृत्यु 1768 ई. में होने के पश्चात् रानी चूण्डावतजी ने अपने अल्पव्यस्क पुत्र पृथ्वीसिंह की संरक्षिका के रूप में कार्य किया।[4] इसी तरह महाराजा जगतसिंह की मृत्यु के बाद 1819 में रानी भटियाणी ने जयसिंह तृतीय की संरक्षिका के रूप में राज्य की बागडोर सम्भाली। जनानी ड्योढ़ी में विभिन्न प्रकार की विवाहित स्त्रियों के अतिरिक्त, पासवानें, खवास पड़दायतन, दासियाँ, सेविकाएँ, धाएँ, बडारिने होती थी। पड़दायतें' वे स्त्रियां होती थी जो अपने रूप सौन्दर्य और गुणों के कारण राजा को लुभाती थीं। इनको बिना विवाह किये ही राजा अन्त:पुर में रख लेता था, इन्हें पर्दे में रहना पड़ता था। इसलिये इन्हें पड़दायतें कहा जाता था। सेविकाओं में नियुक्त कुछ विश्वसनीय स्त्रियां अपने व्यक्तित्व के कारण राजा की नजर में चढ़ जाती थीं। ये दासियां, पासवान'' कहलाती थी। उनके नाम के आगे 'राय' और 'सुख' जैसे शब्द जोड़ दिये जाते थे। जैसे ''नयनसुख' कस्तूरीराय' आदि। इनकी आजीविका के लिये राजा की ओर से जागीरें प्रदान की जाती थीं। इसके अतिरिक्त विशेष अवसरों पर शिरोपाव और नगद रूपया दिया जाता था।[5] इस धन को वे अपनी इच्छानुसार व्यय करने के लिये स्वतंत्र थीं। दान पुण्य, मंदिरों और बाग-बगीचों का निर्माण भी इनके द्वारा करवाया जाता था। लेकिन विशेष परिस्थितियों में अन्त:पुर की पड़दायतों और पासवानों के द्वारा शासन में भी हस्तक्षेप किया जाता था, जिसके कारण राजसत्ता में परिवर्तन की स्थिति भी आ जाती थी। रानियों के बच्चों को दूध पिलाने तथा पालन-पोषण करने के लिये धाय माँ होती थीं जिसकी अन्त:पुर की राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। इस सब के अतिरिक्त जनानी ड्योढ़ी में बड़ारण''' का भी प्रमुख स्थान था। बड़ारण का तात्पर्य बड़ी उम्र की अनुभवी महिला, यह जनानी ड्योढ़ी की प्रबंधक होती थी। यह ड्योढ़ी की रानियों व अन्य महिलाओं की आय-व्यय का हिसाब रखती थी।[6] पड़दायत - सुन्दर स्त्री जिसे राजा अपने महल में रखता था। ये पर्दे में रहती थी।'' पासवान- राजा की सेवा में नियुक्त विश्वसनीय दासी।''' बड़ारण - बड़ी उम्र की अनुभवी स्त्री जिसे रनिवास की प्रबंधक नियुक्त किया जाता था।

मुगल बादशाहों के समान जयपुर के शासकों के रनिवास भी विशाल रूप धारण करने लगे थे। महाराजा माधोसिंह ने तो अपनी जनानी ड्योढ़ी को रानियों पर्दायतों, पासवानों, खवासों बाइयों और बावलियों, से भरकर सुंदर महिलाओं की एक अलग पर्दानशीन नगरी बना दिया था। जनानी ड्योढ़ी का रिकॉर्ड इसका प्रमाण है।[7] 1767 ई. के पश्चात् का जयपुर रियासत का लगभग सौ वर्ष का समय जनानी ड्योढ़ी की महिलाओं द्वारा रियासत की राजनीति में हस्तक्षेप का काल रहा।[8] क्योंकि इस अवधि में शासन करने वाले लगभग सभी शासक या तो अव्यस्क थे अथवा शासन कार्य में उनकी रूचि नहीं थी। राजमहल में आये दिन षड्यंत्र और प्रतिषड्यंत्र चलते रहते थे। जनानी ड्योढ़ी इसका प्रमुख केन्द्र होती थी। इन वर्षों में शासन की बागडोर रनिवास की महिलाओं के हाथों में ही थी जिसके कारण रानियों और उसके समर्थकों तथा विरोधी गुटों में षड्यंत्र व कुचक्र चलते रहते थे।

रानी चूड़ावतजी- 1767 ई. में महाराजा माधोसिंह की मृत्यु के पश्चात् उनकी छोटी रानी[9] से उत्पन्न पुत्र पृथ्वीसिंह जयपुर के शासक बने।[10] क्योंकि वे बड़ी रानी चूड़ावतजी के पुत्र प्रतापसिंह से बड़े थे। किन्तु रजवाड़ों की प्रथा के अनुसार बड़ी रानी जो उदयपुर के जसवंतसिंह चूड़ावत की पुत्री थी उनको अवयस्क राजा की संरक्षिका बनाया गया।[11] रानी चूड़ावतजी महत्वाकांक्षी स्त्री थी। रानी ने फिरोज नामक व्यक्ति को राज्य का प्रधानमंत्री बनाया।[12] फिरोज और रानी की बढ़ती नजदीकियों के कारण राज्य के सामन्त नाराज हो गये।[13] रानी चूड़ावतजी के शासनकाल में जयपुर के सामंतों के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। इस प्रकार एक तरफ रानी चूड़ावतजी और दूसरी तरफ नाथावत् राजावत, माचेड़ी के राव राजा नरूका खुशालीराम बोहरा थे। इन दोनों गुटों द्वारा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशे होती रही। रानी के काल में ही राव राजा प्रतापसिंह ने स्वतंत्र अलवर राज्य की नींव रखी।[14] वहीं माचेड़ी की जागीर भी हमेशा के लिये जयपुर के हाथ से निकल गई। जयपुर राज्य का इस समय का इतिहास अव्यवस्था, अराजकता, उपद्रव्यों और षड्यंत्रों से परिपूर्ण था।[15] अल्पव्यस्क शासक पृथ्वीसिंह आजीवन चूड़ावतजी के प्रभाव में रहे। 1778 ई. को 15 वर्ष की आयु में शिकार खेलते हुये घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गयी।[16] किन्तु ऐसा माना जाता है कि रानी चूडावती अपने पुत्र प्रतापसिंह को गद्दी पर बैठाना चाहती थीं। अत: रानी ने ही राजा पृथ्वीसिंह को विष देकर मरवा डाला।[17] पृथ्वीसिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र मानसिंह को गद्दी पर न बिठाकर रानी चूड़ावतजी ने अपने पुत्र प्रतापसिंह को गद्दी पर बिठाया। अत: स्पष्ट है कि राजा की हत्या षड्यंत्र पूर्वक की गई थी। 1778ई. में 13 वर्ष की अल्पायु में प्रतापसिंह जयपुर रियासत के शासक बने।[18] रानी चूड़ावतजी ही नये शासक की भी संरक्षिका बनी और राजनीति में अपना हस्तक्षेप आगे भी जारी रखा।[19]

रसकपूर- प्रतापसिंह की मृत्यु के बाद उनका एकमात्र पुत्र जगतसिंह 1830 ई. में गद्‌दी पर बैठा।[20] जगतसिंह विलासी प्रवृति का अयोग्य शासक था। जगतसिंह अनिंद्य सुंदरी नृतकी 'रसकपूर' पर पूरी तरह आसक्त था। इसी का फायदा उठाते हुए रसकपुर ने रियासत की राजनीति और प्रशासन में जम कर हस्तक्षेप किया। राज्य का आधा हिस्सा देकर जगतसिंह ने रसकपूर को आमेर की रानी बना दिया। साथ ही उसके नाम का सिक्का भी जारी किया।[21] जगतसिंह, रसकपूर को अपने साथ हाथी पर बैठाता था। तथा चाहता था कि सामंत उसे रानियों के समान सम्मान दें।[22] सामंतगण महाराजा के इस कार्य से नाराज हो गये। दरबारीगणों में इससे भय व्याप्त हो गया। प्रताप सिंह की रानी भटियाणी रियासत में रसकपूर का प्रभाव समाप्त करने के लिये अन्य सामंतो के साथ षड्‌यंत्र करने लगी। जनानी ड्‌योढ़ी की रानियां, गुणीजन खाने की अन्य गायिकायें रसकपुर से ईर्ष्या करने लगी। महाराजा जगतसिंह के रसकपूर के साथ बढ़ते रासरंग के कारण जयपुर राज्य हिल उठा। बाद में रसकपूर से नाराज सामंतो ने नाहरगढ के किले में कैद करके उसकी हत्या करवा दी।[23] 1818 ई. में महाराजा जगतसिंह का देहांत हो गया। ऐसा माना जाता है कि रावला के रक्षक द्वारा विष देने के कारण इनकी मृत्यु हुई। इसके पीछे भी रनिवास का ही कोई षड्‌यंत्र था।[24]

रानी भटियाणीजी- महाराजा जगतसिंह की 22 रानियों में से एक रानी भटियाणी ने उनकी मृत्यु के बाद पुत्र को जन्म दिया। इस बालक को जयसिंह तृतीय के नाम से 1819 ई. में जयपुर का शासक बनाया गया। महाराजा जयसिंह भी अल्पव्यस्क शासक थे अत: रानी भटियाणी को संरक्षिका बनाया गया। क्योंकि रानी राठौड़जी बड़ी थीं। फिर भी उनको संरक्षक नहीं बनाया गया। अत: वे रुष्ट होकर जोधपुर चली गयीं। नवयुवती मांजी भटियांणी ने झूंथाराम को दीवान बनाया तथा रूपा बड़ारण को प्रधान सलाहकार नियुक्त किया। यद्यपि रानी भटियाणी दृढ़ आत्मविश्वास से युक्त, एक योग्य महिला थी तथापि वह दूरदर्शी नहीं थी अत: निर्णय करने में जल्दबाजी करती थीं। रानी ने रूपा बड़ारण पर अधिक विश्वास किया जिसके कारण जनाना ड्‌योढ़ी में गुटबंदी हुई और अधिक षड्‌यंत्र होने लगे। झूंथाराम के साथ संपर्क के कारण अंग्रेज भी रानी के विरोधी हो गए। अन्त में 9 फरवरी 1834 ई. में उनकी मृत्यु हो गयी। आजीवन रानी ने रूपा बड़ारण व झूंथाराम पर विश्वास किया किन्तु उनके मरते ही इन दोनों ने उनके पुत्र और तत्कालीन शासक महाराजा जयसिंह की षडयंत्र पूर्वक हत्या कर दी। क्योंकि महाराजा राजनीति में रूचि लेने लगे थे और झूंथाराम व रूपा बड़ारण के राज्य पर प्रभाव को खत्म करना चाहते थे।[25]

रानी चन्द्रावतजी- महाराजा जयसिंह की मृत्यु के बाद उनकी रानी चन्द्रावत से उत्पन्न पुत्र रामसिंह को 6 फरवरी, 1835 ई. में लगभग डेढ़ वर्ष की अल्पायु में गद्‌दी पर बिठाया गया। अत: पूर्व की भांति नाबालिग शासक की संरक्षिका रानी चन्द्रावतजी को बनाया गया। इस रानी को भी प्रधानमंत्री बैरीसाल पर कम और झूंथाराम तथा रूपा बड़ारण पर अधिक विश्वास था। अत: जनाना ड्‌योढ़ी का राजनीति में हस्तक्षेप पहले की तरह की बना रहा। रानी चन्द्रावतजी ने संरक्षिका के रूप में अपने अधिकार प्राप्त करने हेतु बार-बार प्रशासन में अनुचित हस्तक्षेप किये कितु इससे अंग्रेजों और रानी के मध्य वैमनस्यता बढती गई। जयपुर राज्य में शासकों की हत्या और षड्‌यत्रों की यह राजनीति तब तक चलीं जब तक 1851 ई. में महाराजा रामसिंह ने शासन की बागडोर नहीं सम्भाल ली।

रूपा बड़ारण-बड़ारण, जनानी ड्‌योढ़ी के प्रबंधक का पद था। महाराजा प्रतापसिंह के समय एक माजी ने एक दासी को (राज बड़ारण) की उपाधि प्रदान की थी।[26] जनानी ड्‌योढ़ी में यह पहला अवसर था कि किसी दासी को इतना सम्मान दिया गया। इस कारण बाद में कई दासियां बड़ारण का पद पाकर इतनी शक्तिशाली हुई कि उन्होंने राजकार्य में भी हस्तक्षेप किया। इन्हीं दासियों में से एक रूपा बड़ारण थी। वह साहसी बुद्धिमान और कुटनीतिज्ञ महिला थी। इसके अधिकार और शक्ति के विषय में स्वयं महारानी भी एक तरह से सावधान रहती थी। रूपा बड़ारण शिक्षित महिला थी वह रानी भटियाणी और सरदारों के बीच कड़ी का कार्य करती थी। रानी का सम्पूर्ण पत्र व्यवहार रूपा बड़ारण की तरफ से होता था। रानी की और से चार-पांच पंक्तियों का रूक्का लिखा जाता था। और उसमें आगे लिखा होता था कि आगे-समाचार रूपा बाई के लिखे जाने में। कामदार संघी झूंथाराम, रूपा बड़ारण के कारण दीवान के पद पर नियुक्त हुआ। रूपा बडारण ने झूंथाराम के साथ मिलकर समस्त प्रशासनिक कार्य अपनी इच्छानुसार करवाए। रानी भटियाणी की मृत्यु के बाद तो रूपा बड़ारण जनानी ड्‌योढ़ी की सर्वेसर्वा बन गई। रानी भटियाणी की ही तरह रानी चन्द्रावतजी को भी रूपा बड़ारण पर अधिक विश्वास था। लगभग दो दशकों तक महारानियों से भी अधिक अधिकार और प्रभाव का उपयोग किया। अनेक सांमत और सरदार रूपा बड़ारण की कृपा के आकांक्षी होते थे। जिससे वह राजमाता की कृपा प्राप्त कर सकें। इस तरह जयपुर रियासत की राजनीति में लगभग दो दशकों तक रूपा बड़ारण सर्वेसर्वा बनी रही।

इस प्रकार जयपुर राज्य की राजनीति में जनाना ड्‌योढ़ी की महत्वपूर्ण भूमिका रही राजमाताओं, रानियों पर्दायतों, खवासों

और बड़ारणों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार राज्य की राजनीति व प्रशासन को चलाने का प्रयत्न किया। रानियों ने संरक्षिका के रूप में अपनी योग्यता का परिचय तो अवश्य दिया। किंतु वे योग्य, कुटनीतिज्ञ, साहसी व शासक बुद्धिमान बन कर राज्य को एकता के सूत्र में बाँधने में विफल रहीं। जनानी ड्योढ़ी की महिलाओं द्वारा राज्य में हस्तक्षेप किये जाने के कारण अनेक षड़यंत्र हुए जिसके अनेक दुष्परिणाम निकले ड्योढ़ी की महिलाओं ने अपने रिश्तेदारों विश्वासपात्रों और समर्थक सामंतों को बड़े-बड़े पद देकर अपनी महत्वाकाक्षांओं को पूर्ण करने का प्रयत्न किया। जिसके कारण आपसी तनाव, विद्रोह तथा बाह्य आक्रमणों का राज्य को सामना करना पड़ा।

संदर्भ सूची

1. जयपुर रिकॉर्ड, तोजी जमा खर्च राणीजी श्री हाड़ाजी वि.स. 1807/1750ई. रा.रा.अ. बीकानेर।
2. अरोड़ा, राशि, राजस्थान में नारी की स्थिति, पृ.सं. 79
3. पूनिया, प्रमिला, राजस्थान के इतिहास में रानियों की भूमिका, जयपुर, 2002, पृ.सं. 106
4. बस्ता न.62, 175, क्रमांक 403, 1260, 1 रा.रा.अ., बीकानेर, पृ.सं. 11
5. जयपुर रिकॉर्ड, दस्तूर कौमवार, वि.स. 1809/1752ई. भाग 25 रा.रा.अ. बीकानेर
6. शेखावत, सौभाग्य सिंह, राजस्थानी निंबध संग्रह, जयपुर, 1995, पृ.सं. 167
7. जयपुर रिकॉर्ड, जनानी ड्योढ़ी, तोजी रोजनामा, राणीजी श्री खींचणीजी वि.स. 1794/1737 ई. रा.रा.अ.बीकानेर
8. सरकार, जे.एन., फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, कलकत्ता, 1950, 1952, भाग 3, पृ.सं. 230
9. टॉड, जेम्स, राजस्थान का इतिहास, भाग 2, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लंदन, 1920, पृ.सं. 594
10. बस्ता न. 52,196 क्रमांक 364, 1589 बण्डल 10 पृ.सं. 67
11. बस्ता न. 62, 175 क्रमांक 403, 1260, रा.रा.अ. बीकानेर, पृ.सं. 11, 1
12. बस्ता न. 62, 196, क्रमांक 364, 1589 बण्डल 10, रा.रा.अ. बीकानेर, पृ.सं. 67
13. ब्रुक, जे.सी.
14. पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द स्टेट ऑफ जयपुर, लंदन, 1868, पृ.सं. 16
15. थॉरटन-गजेटियर ऑफ टेरिटरीज अण्डर ईस्ट इण्डिया कम्पनी, भाग 1, पृ.सं. 101
16. सरकार, जे.एन., जयपुर का इतिहास, कलकत्ता, 1954, पृ.सं. 260
17. बस्ता 175, क्रमांक 1260 रा.रा.अ. बीकानेर
18. चम्पावत, फतह सिंह, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जयपुर, 1960, पृ. सं. 8
19. बस्ता न0 175 क्रमांक 1260 बण्डल अ, रा.रा.अ.बीकानेर, पृ.सं. 1
20. उपर्युक्त
21. गहलोत, जे.एस., जयपुर एवं अलवर राज्य का इतिहास,जयपुर, 1966, पृ.सं. 127
22. गहलोत, जे.एस., कछवाहों का इतिहास, जयपुर, पृ.सं. 136
23. टॉड, जेम्स, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, भाग 3, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लंदन, 1686, पृ.सं. 1365
24. मेल्कम, जॉन, हिस्ट्री ऑफ सेन्ट्रल इण्डिया, भाग 1, लंदन, 1826, पृ.सं. 267
25. जयुपर के वकील राव लक्ष्मणराव के पत्र
26. 14 फरवरी 1819 नं. 44, 20 फरवरी 1819 फो.पो. रा.अ. दिल्ली।
27. शर्मा, हनुमान, नाथावतों का इतिहास, पृ.सं. 216
28. पूर्वोक्त, पृ.सं. 45

बस्सी तहसील जयपुर जिले में भूमि की उपलब्धता तथा भूमि उपयोग का भौगोलिक अध्ययन

राहुल मीना

शोधार्थी, भूगोल विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)

शोध सारांश

भारत प्राचीनकाल से कृषि प्रधान देश रहा है। भारत में मुख्यत: भूमि उपयोग कृषि के क्षेत्र में होता है। भूमि उपयोग का सीधा सम्बन्ध उस क्षेत्र की जनसंख्या में आये व्यापक बदलाव से होता है चूँकि भारत का कृषि भूमि विस्तार अत्यन्त सीमित है और जनसंख्या का विषम दबाव होने के कारण कृषि भूमि उपयोग की गहनता से जाँच करना अनिवार्य है। भारत में भूमि उपयोग में कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा लागत के अनुपात में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए भारत वर्ष में हरित क्रान्ति का उदय वर्ष 1969 में हुआ था। इसमें आज सरसों के उत्पादन में वृद्धि का कार्यक्रम पीली क्रान्ति के नाम से जाना जाता है। मानव भूमि को कृषि योग्य बनाता है। जब भू-भाग का प्राकृतिक स्वरूप लुप्त हो जाता है और मानवीय क्रियाओं के योगदान से एक नया भूदृश्य जन्म लेता है, कृषि पारिस्थितिकी कहलाता है। कृषि भूमि का उपयोग भूमि की विशेषता व गुण-दोष के आधार पर विभिन्न रूप में किया जाता है, जिसके प्राकृतिक सामाजिक, आर्थिक आदि आधार हो सकते हैं। भारत में भूमि, जल तथा मानव संसाधन पर्याप्त हैं, लेकिन इनका उचित उपयोग एवं प्रबन्धन नहीं हो पाया है। वर्तमान समय में मानव एवं भूमि के अनुपात में अन्तर तीव्र गति से बढ़ रहा है जिसका कारण जनसंख्या वृद्धि दर है। आर्थिक विकास की प्रगति ने मानव अर्थव्यवस्था में तीव्र गति से परिवर्तन किया है। इसने राष्ट्र, प्रदेश एवं क्षेत्र तक को प्रभावित किया है। यही कारण है कि वर्तमान में भूमि भूगोल का ही नहीं अपितु प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से अधिकांश विषय एवं संकायों के अध्ययन का मुख्य आधार है।

संकेताक्षर : *भूमि आकार, कृषि गणना, भूमि उपयोग, सामाजिक वर्ग*

बस्सी तहसील मुख्य रूप से जयपुर शहर से राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच. 11 पर लगभग 28 कि.मी. दूर स्थित है। बस्सी तहसील का भौगोलिक क्षेत्रफल 654.69 वर्ग कि.मी. है। इसका अक्षांशीय विस्तार 26040' से 26058' उत्तरी और देशांतरीय विस्तार 26054' से 76013' दक्षिणी के मध्य स्थित है। यह चार गिरदावरी चक्रों में विभाजित है तथा इसमें 44 पटवार क्षेत्र 39 ग्राम पंचायत और 210 राजस्व गाँवों में बंटा हुआ है। यह राजस्थान राज्य में जयपुर जिले के पूर्वी भाग में स्थित है। अरावली की पहाड़ियाँ बस्सी तहसील के मध्य में स्थित हैं। यहाँ की मुख्य बरसाती नदियाँ ढुंड व बाणगंगा हैं। यहाँ का भूजल स्तर वर्तमान में 14 मीटर है यहाँ की वर्तमान जनसंख्या 2,83,594 है। (जनगणना 2011)

उद्देश्य

1. तहसील में भूमि की उपलब्धता एवं फसल प्रारूप को पंचायत स्तर पर प्रदर्शित करना।
2. जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि की उपलब्धता तथा भूमि उपयोग में परिवर्तन की प्रवृति का अध्ययन करना है।
3. भूमि उपयोग का कृषि भूमि से तुलनात्मक अध्ययन करना है।

परिकल्पना

1. तहसील में जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि उपयोग में परिवर्तन प्रमुख कारण रहा है।
2. भू- भाग के आकार में कमी आने से कृषि के आधुनिकीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

जनसंख्या

बस्सी तहसील का भौगोलिक क्षेत्रफल 654.69 वर्ग कि.मी. है। क्षेत्र की कुल जनसंख्या 2,83,594 है। तहसील में कुल गाँवों की संख्या 206 है। 44 परिवार क्षेत्र तथा 39 ग्राम पंचायत में

बंटा हुआ है। उनके बीच तूंगा 6886 की जनसंख्या के साथ सबसे अधिक आबादी वाला गाँव है तथा भजनपुरा की आबादी के साथ सबसे कम आबादी वाला गाँव है। तहसील में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा गाँव झर 15 कि.मी. है। तथा सबसे छोटा गाँव चक देवरी है। तहसील की कुल आबादी 52 प्रतिशत पुरुष तथा 48 प्रतिशत महिला निवास करती हैं। पूरी आबादी में सामान्य जाति 47 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 21 प्रतिशत, तथा अनुसूचित जनजाति 32 प्रतिशत है। 6 वर्ष कम आयु वर्ग के बच्चों की आबादी 16 प्रतिशत है। उनमें 53 प्रतिशत लडके तथा 47 प्रतिशत लडकियाँ हैं। तहसील में कुल 45 हजार परिवार निवास करते हैं। कुल जनसंख्या का 83 प्रतिशत भाग (लगभग 2.4 लाख) ग्रामीण भाग में रहते हैं तथा 17 प्रतिशत (लगभग 48 हजार) जनसंख्या बस्सी शहरी भाग में निवास करती है।

जलवायु

तहसील की जलवायु वर्षा मौसम को छोड़कर शुष्क है। बस्सी तहसील क्षेत्र को कोपेन-गीजर के अनुसार जलवायु BSh के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दिसम्बर से फरवरी तक सर्दी का मौसम रहता है। गर्मी मार्च से जून के तीसरे सप्ताह तक रहती है, इसके बाद में सितम्बर के तीसरे सप्ताह तक वर्षा का मौसम रहता है। सितम्बर के तीसरे सप्ताह से नवम्बर के अन्त तक ना अधिक सर्दी रहती है और ना ही अधिक गर्मी रहती है।

तापमान

बस्सी तहसील में ऋतु परिवर्तन के साथ-साथ तापमान में भी परिवर्तन होता है। बस्सी तहसील में मार्च माह में सूर्य के उत्तरायण के साथ-साथ तापमान बढ़ना प्रारम्भ हो जाता है। बस्सी तहसील का दैनिक अधिकतम तापमान का औसत मई माह में 34 डिग्री सेल्सियस रहता है तथा न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस जनवरी में रहता है। क्षेत्र का सबसे गर्म माह जून रहता है। इस माह में यहाँ धूल-भरी आँधिया चलती है।

वर्षा

बस्सी तहसील क्षेत्र स्थानीय मैदान जलवायु से प्रभावित है। क्षेत्र में लम्बे समय तक वर्षा नहीं होती है। बस्सी तहसील की औसत वार्षिक वर्षा 3.9 इंच है और वर्ष में औसतन वर्षा 30.9 दिन रहती है, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान परिवर्तित होती रहती है। अधिकांश वर्षा मई से दिसम्बर के महिनों में होती है तथा सबसे कम वर्षा दिसम्बर व जनवरी महिनों में होती है एवं सर्वाधिक वर्षा बस्सी तहसील में अगस्त महिने में होती है। बस्सी तहसील क्षेत्र का औसत वार्षिक तापमान 25.4 सेल्सियस है। क्षेत्र की वार्षिक औसत वर्षा 55.6 किमी हैं।

भूमि उपलब्धता का अध्ययन

बस्सी तहसील क्षेत्र उपर्युक्त भूमि आकार का वर्गो एवं श्रेणियों के आकार के आधार पर कृषि गणना वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत संकलित किये गये प्रचलनात्मक भूमि की संख्या एवं उनके क्षेत्रफल से संबंधित समंकों का विश्लेषण भूमि की श्रेणीवार, सामाजिक वर्ग के आधार पर अध्ययन क्षेत्र के भूमि के आकार का विस्तृत अध्ययन समस्त सामाजिक वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का अलग-अलग अध्ययन कर उनका प्रतिशत ज्ञात किया गया है।

सारणी : बस्सी तहसील में भूमि उपलब्धता की संख्या (कृषि गणना 2010-11)

आकारों के प्रकार	समस्त सामाजिक वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	संस्थागत	अन्य
सीमान्त (1.0 से कम)	10870 (43.29%)	1816 (56.01%)	3948 (42.22%)	13 (33.33%)	5093 (40.82%)
लघु (1.00 से 1.99)	6733 (26.82%)	839 (25.87%)	2449 (26.19%)	8 (20.51%)	3437 (27.55%)
अर्द्ध मध्यम (2.00 से 3.99)	4869 (19.39%)	428 (13.20%)	1843 (19.17%)	8 (20.51%)	2590 (20.76%)
मध्यम (4.00 से 9.99)	2360 (9.40%)	149 (4.59%)	988 (10.56%)	6 (15.38%)	1217 (9.75%)
बड़े (10.00 से अधिक)	272 (1.08%)	10 (0.30%)	121 (1.29%)	4 (10.25%)	137 (1.09%)
योग	25104 (100%)	3242 (100%)	9349 (100%)	39 (100%)	12474 (100%)

सारणी : बस्सी तहसील में भूमि उपलब्धता का क्षेत्रफल (हैक्टेयर) (कृषि गणना 2010-11)

आकारों के प्रकार	समस्त सामाजिक वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	संस्थागत	अन्य
सीमान्त (1.0 से कम)	5661 (12.15%)	931 (22.00%)	2041 (11.26%)	6 (1.13%)	2683 (11.32%)
लघु (1.00 से 1.99)	9539 (20.48%)	1139 (26.92%)	3383 (18.66%)	11 (2.08%)	5005 (21.12%)
अर्द्ध मध्यम (2.00 से 3.99)	13492 (28.96%)	1174 (27.75%)	5179 (28.57%)	21 (3.98%)	7118 (30.04%)
मध्यम (4.00 से 9.99)	13678 (29.36%)	853 (20.16%)	5745 (31.69%)	31 (5.88%)	7049 (29.75%)
बड़े (10.00 से अधिक)	4206 (9.03%)	133 (3.14%)	1777 (9.80%)	458 (86.90%)	1837 (7.75%)
योग	46576 (100%)	4230 (100%)	18125 (100%)	527 (100%)	23693 (100%)

उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति को समस्त सामाजिक वर्ग के कुल लघु भूमि की संख्या (3288) का 48.83 प्रतिशत भाग प्राप्त है तथा क्षेत्रफल कुल लघु भूमि का 47.40 प्रतिशत है। तथा कुल सीमान्त भूमि की संख्या (10870) का 53.02 प्रतिशत भाग प्राप्त है। तथा क्षेत्रफल में अनुसूचित जाति तथा जनजाति को कुल भूमि (5661) का 52.49 प्रतिशत प्राप्त है तथा सबसे कम संख्या तथा क्षेत्रफल बड़े भूमि में प्राप्त है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति को समस्त सामाजिक वर्ग के कुल बड़े भूमि की संख्या (272) का 48.16 प्रतिशत भाग प्राप्त है तथा क्षेत्रफल कुल लघु भूमि का 45.42 प्रतिशत है।

सीमान्त भू- भाग (1.00 हैक्टेयर से कम)

अध्ययन क्षेत्र में सीमान्त भूमि के अन्तर्गत भूमि की संख्या 10870 (43.29 प्रतिशत) है जिनके अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल 5661 हैक्टेयर है जो कि कुल क्षेत्रफल का 12.15 प्रतिशत है। सीमान्त भूमि में अनुसूचित जाति के पास भूमि की कुल संख्या 1816 है जो कि अनुसूचित जाति के पास समस्त प्रकार के भूमि (सीमान्त, लघु, अर्द्ध मध्यम, मध्यम, बड़े) का 56.01 प्रतिशत है। तथा क्षेत्रफल 931 हैक्टेयर (22.00 प्रतिशत) है। अध्ययन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के पास सीमान्त भूमि की संख्या 3948 है जो अनुसूचित जनजाति के पास समस्त भूमि का 42.22 प्रतिशत है तथा अनुसूचित जनजाति के पास सीमान्त के अन्तर्गत 2041 हैक्टेयर (11.26 प्रतिशत) क्षेत्रफल है। क्षेत्र में संस्थागत के अन्तर्गत सीमान्त भूमि की संख्या 13 है जो कि समस्त भूमि का 33.33 प्रतिशत है तथा संस्थागत के पास सीमान्त के अन्तर्गत 6 हैक्टेयर (1.13 प्रतिशत) क्षेत्रफल है। इसी प्रकार क्षेत्र में अन्य के पास सीमान्त भूमि की संख्या 5093 है जो अन्य के पास समस्त भूमि का 40.82 प्रतिशत है तथा अन्य के पास सीमान्त के अन्तर्गत 2683 हैक्टेयर (11.32 प्रतिशत) क्षेत्रफल है। इस प्रकार से स्पष्ट है क्षेत्र के पिछडे. वर्ग अनुसूचित जाति व जनजाति के पास सीमान्त भूमि की संख्या समस्त सामाजिक वर्ग के सीमान्त भूमि का 50.15 प्रतिशत है तथा क्षेत्रफल 47.99 प्रतिशत है।

लघु भू- भाग (1.00 से 1.99 हैक्टेयर)

अध्ययन क्षेत्र में लघु भूमि आकार में समस्त सामाजिक वर्ग के अन्तर्गत लघु भूमि की संख्या 6733 समस्त प्रकार के भूमि के कुल योग का (26.82 प्रतिशत) है जिनके अन्तर्गत 9539 हैक्टेयर (20.48 प्रतिशत) क्षेत्रफल सम्मिलित है। अनुसूचित जाति के पास लघु भूमि की कुल संख्या 839 (25.87 प्रतिशत) है जिनके अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल 1139 हैक्टेयर (26.92 प्रतिशत) है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के पास लघु भूमि की संख्या 2449 है जो कि अनुसूचित जाति के पास समस्त भूमि का 26.19 प्रतिशत है तथा जिनके अन्तर्गत क्षेत्रफल 3383 हैक्टेयर है जो कि समस्त भूमि का 18.66 प्रतिशत है। क्षेत्र में संस्थागत के अन्तर्गत लघु भूमि की संख्या 8 है जो कि समस्त भूमि का 20.51 प्रतिशत है तथा संस्थागत के पास लघु भूमि के अन्तर्गत 11 हैक्टेयर (2.08 प्रतिशत) क्षेत्रफल है। इसी प्रकार क्षेत्र में अन्य के पास लघु भूमि

की संख्या 3437 है जो अन्य के पास समस्त भूमि का 27.55 प्रतिशत है तथा अन्य के पास लघु भूमि के अन्तर्गत 5005 हैक्टेयर (21.12 प्रतिशत) क्षेत्रफल है।

लघु भू- भाग (1.00 से 1.99 हैक्टेयर)

अध्ययन क्षेत्र में लघु भूमि आकार में समस्त सामाजिक वर्ग के अन्तर्गत लघु भूमि की संख्या 6733 समस्त प्रकार के भूमि के कुल योग का (26.82 प्रतिशत) है जिनके अन्तर्गत 9539 हैक्टेयर (20.48 प्रतिशत) क्षेत्रफल सम्मिलित है। अनुसूचित जाति के पास लघु भूमि की कुल संख्या 839 (25.87 प्रतिशत) है जिनके अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल 1139 हैक्टेयर (26.92 प्रतिशत) है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के पास लघु भूमि की संख्या 2449 है जो कि अनुसूचित जाति के पास समस्त भूमि का 26.19 प्रतिशत है तथा जिनके अन्तर्गत क्षेत्रफल 3383 हैक्टेयर है जो कि समस्त भूमि का 18.66 प्रतिशत है। क्षेत्र में संस्थागत के अन्तर्गत लघु भूमि की संख्या 8 है जो कि समस्त भूमि का 20.51 प्रतिशत है तथा संस्थागत के पास लघु भूमि के अन्तर्गत 11 हैक्टेयर (2.08 प्रतिशत) क्षेत्रफल है। इसी प्रकार क्षेत्र में अन्य के पास लघु भूमि की संख्या 3437 है जो अन्य के पास समस्त भूमि का 27.55 प्रतिशत है तथा अन्य के पास लघु भूमि के अन्तर्गत 5005 हैक्टेयर (21.12 प्रतिशत) क्षेत्रफल है।

समस्त सामाजिक वर्गों में भू-भाग की कुल संख्या
बस्सी तहसील 2010-2011

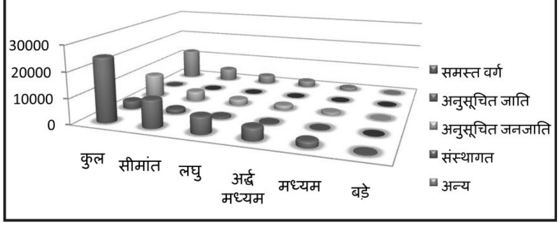

अर्द्धमध्यम भू- भाग (2.00 से 3.99 हैक्टेयर)

अध्ययन क्षेत्र में समस्त सामाजिक वर्ग के पास अर्द्ध मध्यम भूमि की संख्या 4869 है जो कि समस्त प्रकार की भूमि का 19.40 प्रतिशत है तथा क्षेत्रफल समस्त भूमि के क्षेत्रफल का 28.96 प्रतिशत (13492 हैक्टेयर) है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति वर्ग के पास अर्द्ध मध्यम भूमि की संख्या 428 है जो कि समस्त भूमि का 13.20 प्रतिशत है। तथा क्षेत्रफल 27.75 प्रतिशत (1179 हैक्टेयर) है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के पास अर्द्ध मध्यम भूमि की संख्या 1843 है जो कि समस्त भूमि श्रेणियों का 19.17 प्रतिशत है तथा क्षेत्रफल 28.57 प्रतिशत (5179 हैक्टेयर) है। क्षेत्र में संस्थागत के अन्तर्गत अर्द्ध मध्यम भूमि की संख्या 8 है जो कि समस्त भूमि का 20.51 प्रतिशत है तथा संस्थागत के पास अर्द्ध मध्यम भूमि के अन्तर्गत 21 हैक्टेयर (3.98 प्रतिशत) क्षेत्रफल है। इसी प्रकार क्षेत्र में अन्य के पास अर्द्ध मध्यम भूमि की संख्या 2590 है जो अन्य के पास समस्त भूमि का 20.76 प्रतिशत है तथा अन्य के पास अर्द्ध मध्यम भूमि के अन्तर्गत 7118 हैक्टेयर (30.04 प्रतिशत) क्षेत्रफल है।

मध्यम भू- भाग (4.00 से 9.99 हैक्टेयर)

अध्ययन क्षेत्र में समस्त सामाजिक वर्ग के पास मध्यम भूमि की संख्या 2360 है जो कि समस्त भूमि का 9.40 प्रतिशत है तथा क्षेत्रफल 29.36 प्रतिशत (13678 हैक्टेयर) है। अनुसूचित जाति वर्ग के पास मध्यम भूमि की संख्या 149 (4.59 प्रतिशत) है तथा क्षेत्रफल 853 हैक्टेयर (20.16 प्रतिशत) है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के पास मध्यम भूमि की संख्या 988 (10.56 प्रतिशत) है तथा क्षेत्रफल 5745 हैक्टेयर (31.69 प्रतिशत) है। क्षेत्र में संस्थागत के अन्तर्गत मध्यम भूमि की संख्या 6 है जो कि समस्त भूमि का 15.38 प्रतिशत है तथा संस्थागत के पास मध्यम भूमि के अन्तर्गत 31 हैक्टेयर (5.88 प्रतिशत) क्षेत्रफल है। इसी प्रकार क्षेत्र में अन्य के पास मध्यम भूमि की संख्या 1217 है जो अन्य के पास समस्त भूमि का 9.75 प्रतिशत है तथा अन्य के पास मध्यम भूमि के अन्तर्गत 7049 हैक्टेयर (29.75 प्रतिशत) क्षेत्रफल है।

समस्त सामाजिक वर्गों में भू-भाग का कुल क्षेत्रफल
बस्सी तहसील 2010-2011

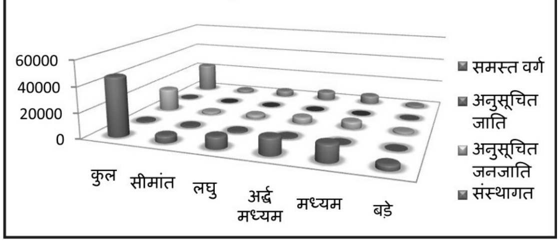

बड़े भू- भाग (10.00 एवं अधिक)

क्षेत्र में समस्त सामाजिक वर्गों में बड़ी भूमि आकार के भूमि की संख्या 272 है जो कि समस्त प्रकार के भूमि का 1.08 प्रतिशत है तथा क्षेत्रफल 4205 हैक्टेयर है जो कि समस्त भूमि आकार क्षेत्रफल का 9.03 प्रतिशत है। बड़े भूमि आकार में अनुसूचित जाति वर्ग के पास मध्यम भूमि की संख्या 10 (0.30 प्रतिशत) है तथा क्षेत्रफल 133 हैक्टेयर (3.14 प्रतिशत) है। अनुसूचित

जनजाति वर्ग के पास मध्यम भूमि की संख्या 121 (1.29 प्रतिशत) है तथा क्षेत्रफल 1777 हैक्टेयर (9.80 प्रतिशत) है। क्षेत्र में संस्थागत के अन्तर्गत बड़ी भूमि की संख्या 4 है जो कि समस्त भूमि का 10.25 प्रतिशत है तथा संस्थागत के पास बड़ी भूमि के अन्तर्गत 458 हैक्टेयर (86.90 प्रतिशत) क्षेत्रफल है। इसी प्रकार क्षेत्र में अन्य के पास बड़ी भूमि की संख्या 137 है जो अन्य के पास समस्त भूमि का 1.09 प्रतिशत है तथा अन्य के पास बड़ी भूमि के अन्तर्गत 1837 हैक्टेयर (7.75 प्रतिशत) क्षेत्रफल है।

बस्सी तहसील क्षेत्र में भूमि उपयोग

भूमि का उपयोग भूमि की विशेषता व गुण-दोष के आधार पर विभिन्न रूप से किया जाता है, जिसके प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक इत्यादि आधार हो सकते हैं। जब भू-भाग का प्राकृतिक स्वरूप लुप्त हो जाता है और मानवीय क्रियाओं के योगदान से एक नया भूदृश्य जन्म लेता है तो इसे भूमि उपयोग कहते हैं। अर्थात् एक निश्चित प्रयोजन व उद्देश्य से भूमि का किसी भी रूप में उपयोग ही भूमि उपयोग कहा जा सकता है।

सारणी : समस्त सामाजिक वर्गों में कुल भूमि उपयोग - बस्सी तहसील 2010 - 2011

आकारों के प्रकार	समस्त सामाजिक वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	संस्थागत	अन्य
कुल बुवाई क्षेत्र	39022	3436	15162	515	19909
कुल खेती क्षेत्र	42179	3914	16154	523	21589
परती भूमि	3158	478	993	8	1679
बेजुती भूमि	3801	285	1667	4	1845
अयोग्य भूमि	594	31	304	0	259

कुल बुवाई क्षेत्र

बस्सी तहसील क्षेत्र में समस्त सामाजिक वर्ग के कुल बुवाई क्षेत्रफल 39022 हैक्टेयर है तथा अनुसूचित जाति के पास कुल बुवाई क्षेत्रफल 3436 हैक्टेयर, अनुसूचित जनजाति के पास कुल बुवाई क्षेत्रफल 15162 हैक्टेयर, संस्थागत के पास कुल बुवाई क्षेत्रफल 515 हैक्टेयर है तथा अन्य के पास कुल बुवाई क्षेत्रफल 19909 हैक्टेयर है। कुल बुवाई क्षेत्र के अन्तर्गत सीमान्त भू- भाग 4347 हैक्टेयर है, लघु भू- भाग के अन्तर्गत क्षेत्रफल 7830 हैक्टेयर, अर्द्धमध्यम भू- भाग के अन्तर्गत क्षेत्रफल 11429 हैक्टेयर, मध्यम भू- भाग के अन्तर्गत क्षेत्रफल 11765 हैक्टेयर तथा बड़े भू- भाग के अन्तर्गत क्षेत्रफल 3651 हैक्टेयर है। अध्ययन क्षेत्र के समस्त सामाजिक वर्ग में कुल बुवाई क्षेत्र के बड़े भू- भाग कम है।

कुल खेती क्षेत्र

अध्ययन क्षेत्र में समस्त सामाजिक वर्ग के कुल खेती क्षेत्रफल 42179 हैक्टेयर है तथा अनुसूचित जाति के पास कुल खेती क्षेत्रफल 3914 हैक्टेयर, अनुसूचित जनजाति के पास कुल खेती क्षेत्रफल 16154 हैक्टेयर, संस्थागत के पास कुल खेती क्षेत्रफल 523 हैक्टेयर है तथा अन्य के पास कुल खेती क्षेत्रफल 21589 हैक्टेयर है।

परती भूमि

अध्ययन क्षेत्र में समस्त सामाजिक वर्ग के कुल परती भूमि की संख्या 3158 है तथा अनुसूचित जाति के पास कुल परती भूमि की संख्या 478, अनुसूचित जनजाति के पास कुल परती भूमि की संख्या 993, संस्थागत के पास कुल परती भूमि की संख्या 8 है तथा अन्य के पास कुल परती भूमि की संख्या 1679 है।

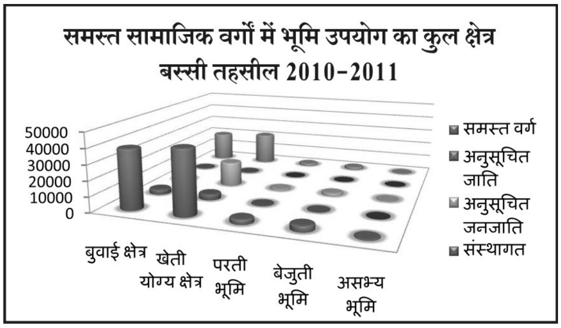

बेजुती भूमि

अध्ययन क्षेत्र में समस्त सामाजिक वर्ग के कुल बेजुती भूमि की संख्या 3801 है तथा अनुसूचित जाति के पास कुल बेजुती भूमि की संख्या 285, अनुसूचित जनजाति के पास कुल बेजुती भूमि की संख्या 1667, संस्थागत के पास कुल बेजुती भूमि की संख्या 4 है तथा अन्य के पास कुल बेजुती भूमि की संख्या 1845 है

अयोग्य भूमि

अध्ययन क्षेत्र में समस्त सामाजिक वर्ग के कुल अयोग्य भूमि की संख्या 594 है तथा अनुसूचित जाति के पास कुल अयोग्य

भूमि की संख्या 31, अनुसूचित जनजाति के पास कुल अयोग्य भूमि की संख्या 304, संस्थागत के पास कुल अयोग्य भूमि की संख्या 0 है तथा अन्य के पास कुल अयोग्य भूमि की संख्या 259 है। अध्ययन क्षेत्र में समस्त प्रकार के भूमि आकार वर्गो में समस्त सामाजिक वर्ग के पास समस्त भूमि की संख्या 25104 है तथा इनके अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल 3242 हैक्टेयर है जिसमें से अनुसूचित जाति के पास भूमि की कुल संख्या 9349 तथा इनके अन्तर्गत क्षेत्रफल 18125 हैक्टेयर है और अनुसूचित जनजाति के पास समस्त जातों की कुल संख्या 3242 व इनके अन्तर्गत क्षेत्रफल 4230 हैक्टेयर है।

निष्कर्ष

बस्सी तहसील क्षेत्र में अधिकांश किसानों के खेतों का आकार बहुत ही छोटा है। धीरे-धीरे अधिकांश जमीन औसत दर्जे के और छोटे किसानों में बट रही है। अधिकांश छोटे किसान गरीबी रेखा के नीचे आते हैं और सामाजिक रूप से वंचित समूहों के होते हैं, अगर छोटे किसानों की उपेक्षा की गई तो इससे ग्रामीण क्षेत्र में विभाजन आ सकता है। अत: छोटे होते कृषि भूमि की समस्या के निराकरण हेतु इस क्षेत्र की छोटी भूमि के सुदृढ़ीकरण का प्रयास किया जाना चाहिए। उद्देश्य होना चाहिए कि हम छोटे किसानों को आर्थिक रूप से सम्भाव्य बनायें ताकि वे लाभ कमा सकें। बस्सी तहसील क्षेत्र में उपर्युक्त भूमि सुधारों से संबंधित वर्तमान हदबंदी कानूनों को ठीक से लागू कर भूमि भूमि आकार के छोटे होने की समस्या तथा गरीब किसानों को कृषि उत्पादन में आने वाली समस्याओं को दूर किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. चौहान, डी.एस., स्टडीज इन यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैण्ड, एजुकेशन पब्लिशर्स, आगरा, 1996 पी.पी. 16-29
2. शिजम, एम., रूरल सैटलमेंट एण्ड लैण्ड यूज, हचिंसन, 1962, पी.पी. 195-196, 207
3. धर्मा, नारायण, ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिविटी इन इण्डियन एग्रीकल्चर, इण्डियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर इकॉनोमिक्स, 1977 पी.पी. 32(1)
4. चौहान, टी.एस., एग्रीकल्चर जिओग्राफी, ए स्टडी ऑफ राजस्थान स्टेट, एकेडमिक पब्लिशर्स, जयपुर, 1987
5. दास गुप्ता, ए.के., स्टडीज इन यूटेलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैण्ड एण्ड इकॉनोमिक्स डेवेलपमेन्ट इन इण्डिया, न्यू देहली, 1973
6. बसन्त, मोघे, राजस्थान में कृषि उत्पादन, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1985
7. हुसैन, माजिद, कृषि भूगोल, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2009
8. मीणा, एस.आर., मालपुरा तहसील में परती भूमि समस्याएं एवं समाधान, शोध प्रबंध, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, 2006
9. जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान, भारत की जनगणना, 2011
10. भारत सरकार द्वारा प्रकाशित योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय रिपोर्ट, नई दिल्ली, 2009
11. कृषि सांख्यिकीय, जिला सांख्यिकीय रूपरेखा, आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, राजस्थान, जयपुर, 2014

राजकीय एवं निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों का संगठनात्मक वातावरण एवं प्राध्यापकों की व्यावसायिक प्रतिबद्धता का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. निरुपमा जैन

व्याख्याता, राजस्थान महिला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, उदयपुर (राज.)

शोध सारांश

भारत का शिक्षा परिदृश्य वर्तमान में अत्यन्त संक्रमणशील है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य गत दस वर्षो में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की संख्या में आई अप्रत्याशित वृद्धि है। राजस्थान में इस अल्पावधि में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की संख्या 50 से बढ़कर 800 से अधिक हो गई है। इनमें से मात्र 7 राजकीय क्षेत्र में हैं, शेष निजी क्षेत्र में। शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अल्पावधि में आई यह अभूतपूर्व संख्यात्मक वृद्धि जहाँ एक ओर शिक्षा सुविधाओं में विस्तार का आभास देती है, वहीं दूसरी ओर अनेक गुणात्मक सुधार-विषयक दुश्चिन्ताओं को जन्म देती है। शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़ा देश का शीर्ष स्तरीय विधिक निकाय ''राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्'' द्वारा अध्यापक शिक्षा प्रणाली के नियोजित व समन्वित विकास के नाम पर मानदण्डों व मानकों में बार-बार परिवर्तन इसी गुणात्मक सुधार-विषयक दुश्चिन्ता का प्रतीक है।

संकेताक्षर : *संगठनात्मक वातावरण, व्यावसायिक प्रतिबद्धता, समानुकूलन*

समस्या कथन

प्रस्तुत शोध अध्ययन का औपचारिक कथन इस प्रकार है : **'राजकीय एवं निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों का संगठनात्मक वातावरण एवं प्राध्यापकों की व्यावसायिक प्रतिबद्धता का तुलनात्मक अध्ययन'**

समस्या का औचित्य

प्रस्तुत शोधकार्य के लिए चुनी गई समस्या की प्रासंगिकता यह है कि राजस्थान राज्य में गत मात्र दस वर्षो में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि (50 से 800) हुई है। तदनुरूप प्राध्यापकों की संख्या में तो निरन्तर वृद्धि हुई है, परन्तु शिक्षण की गुणवत्ता दिन-प्रतिदिन ह्रासमान है। इसका कारण प्राध्यापकों का स्वयं का कार्य व्यवहार हो सकता है। प्राध्यापकों का सीधा प्रभाव उनकी कक्षा के छात्रों पर पड़ता है। प्राध्यापक यदि उन्हें प्रभावी ढंग से प्रशिक्षण नहीं देता है तो छात्र भी अध्ययन में रुचि नहीं लेते और उचित मार्गदर्शन के अभाव में उनका समुचित विकास नहीं हो पाता है। आज के प्राध्यापकों में अध्यापन कार्य के प्रति रुचि व व्यावसायिक प्रतिबद्धता दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है, जबकि उनकी वेतनवृद्धि व अन्य सुविधाएँ पहले की अपेक्षा आज बेहतर स्थिति में हैं। आज प्राध्यापक आदर्श प्रशिक्षक के रूप में अपने को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। पहले-जैसी कर्तव्यनिष्ठा के अभाव के क्या कारण हैं? प्राध्यापक समूह पर आज नियमित रूप से लगने वाले आरोप कहाँ तक सत्य हैं ? इसका वास्तविक आंकलन अभी तक सम्भव नहीं हो पाया है, किन्तु बिना किसी सुदृढ़ प्रमाण एवं आधार के हम इन आक्षेपों को स्वीकार भी तो नहीं कर सकते। प्राध्यापकों को समाज ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसके प्रति वे कितने प्रतिबद्ध हैं? इस सन्दर्भ में इस समस्या का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन आवश्यक हो गया है। अत: इन प्रश्नों का तथ्यपरक एवं वस्तुनिष्ठ उत्तर प्राप्त करने के लिए प्राध्यापकों में व्यावसायिक प्रतिबद्धता एवं उस पर संगठनात्मक वातावरण के प्रभाव का अध्ययन आवश्यक समझा गया है। इस शोधलेख द्वारा उपलब्ध परिणाम और निष्कर्ष शिक्षा जगत में बहुत बड़ा सकारात्मक योगदान कर सकेंगे, ऐसा शोधकर्त्री का विश्वास है।

समस्या के उद्देश्य

1. राजकीय एवं निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के संगठनात्मक वातावरण का आकलन करना।

2. राजकीय एवं निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राध्यापकों की व्यावसायिक प्रतिबद्धता पर संगठनात्मक वातावरण के प्रभाव का मापन करना।

3. राजकीय एवं निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राध्यापकों की व्यावसायिक प्रतिबद्धता पर संगठनात्मक वातावरण के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध परिकल्पनाएँ

1. राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला प्राध्यापकों के संगठनात्मक वातावरण में कोई अन्तर नहीं पाया जाता है।

2. निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला प्राध्यापकों के संगठनात्मक वातावरण में कोई अन्तर नहीं पाया जाता है।

3. राजकीय एवं निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में कार्यरत महिला व पुरुष प्राध्यापकों की व्यावसायिक प्रतिबद्धता पर संगठनात्मक वातावरण के प्रभाव में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता।

समस्या का परिसीमन

शोध प्रविधि की अभिकल्पना, न्यायदर्श की प्रकृति एवं अन्य व्यावहारिक कारकों के अधीन वर्तमान शोधाध्ययन का परिसीमन इस प्रकार किया गया है – 1. भौगोलिक दृष्टि से यह शोधाध्ययन राजस्थान राज्य तक सीमित है। 2. संचालन व प्रशासन की दृष्टि से यह शोधाध्ययन राजकीय एवं निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों तक सीमित है। 3. न्यादर्श की दृष्टि से यह शोधाध्ययन राज्य के चार नगरों – अजमेर, बीकानेर, जोधपुर व उदयपुर के 10 महाविद्यालयों (2 राजकीय व 8 निजी) के 80 कार्यरत प्राध्यापकों (प्रत्येक श्रेणी के महाविद्यालयों से 40) तक सीमित है। 4. चरों की दृष्टि से यह शोधाध्ययन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के संगठनात्मक वातावरण एवं प्राध्यापकों की व्यावसायिक प्रतिबद्धता के तुलनात्मक अध्ययन तक सीमित है।

न्यादर्श एवं न्यादर्श चयन

प्रस्तुत शोधाध्ययन में न्यादर्श का चयन अर्द्ध-प्रसंभाव्यता तथा सांयोगिक विधि से किया गया है। इसी के आधार पर प्रस्तुत शोधाध्ययन में सर्वप्रथम राजस्थान राज्य के समस्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को संगठनानुसार विभाजित किया गया यथा – राजकीय एवं निजी। निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों का चयन सांयोगिक विधि (लॉटरी) से किया गया है।

सारणी 1 : शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के न्यादर्श का वितरण

शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय	**नगर**	**महाविद्यालयों की संख्या**	**न्यादर्श**	
(क) राजकीय	अजमेर	1	20	40
	बीकानेर	1	20	
(ख) निजी	अजमेर	2	10	40
	बीकानेर	2	10	
	जोधपुर	2	10	
	उदयपुर	2	10	
योग	**4**	**10**	**80**	

अध्ययन विधि – सर्वेक्षण

प्रस्तुत शोध वर्तमान परिस्थितियों से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है तथा इसमें अपेक्षाकृत बड़े समूह से शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों के संगठनात्मक वातावरण व व्यावसायिक प्रतिबद्धता के मापन हेतु एकत्रित तथ्यों का विश्लेषण करना है, अत: इस शोधाध्ययन के लिए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग सभी दृष्टियों से उपादेय समझा गया है।

उपकरण

प्रस्तुत शोध में निम्नलिखित प्रमापीकृत उपकरणों का प्रयोग किया गया है –

1. **विद्यालयीय संगठनात्मक वातावरण सूचक प्रश्नावली** – मोतीलाल शर्मा

2. **प्राध्यापक व्यावसायिक प्रतिबद्धता मापनी** – मीना बुद्धिसागर राठौड़ तथा मधुलिका वर्मा

सांख्यिकी

प्रस्तुत शोधकार्य में पूर्व-निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर सर्वेक्षण विधि का प्रयोग कर न्यादर्श का चयन किया गया तथा परीक्षणों के माध्यम से सम्बन्धित आँकड़ों का संकलन किया गया है। इनके विश्लेषण हेतु निम्नलिखित सांख्यिकी का प्रयोग किया गया है –

(क) मध्यमान (ख) मानक विचलन (ग) 'टी'-परीक्षण

शोधकर्त्री ने संग्रहित दत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या कर सामान्यीकरण के निरूपण द्वारा अर्थपूर्ण निष्कर्ष अग्रानुसार प्राप्त किए हैं।

सारणी 2 : राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला प्राध्यापकों के संगठनात्मक वातावरण का तुलनात्मक अध्ययन

प्राध्यापक	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	'टी' परीक्षण का मान	परिणाम (0.05 स्तर पर)
पुरुष प्राध्यापक	20	82.67	10.60	2.09	सार्थक
महिला प्राध्यापक	20	77.87	08.91		

इस सारणी से स्पष्ट होता है कि राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला प्राध्यापकों के संगठनात्मक वातावरण के मध्यमानों में सार्थक अन्तर है। मध्यमानों के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट होता है कि राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के पुरुष प्राध्यापकों में संगठनात्मक वातावरण का स्तर उच्च है। इसका कारण समाज में शिक्षा की बढ़ती माँग और उससे बढ़ने वाली सामाजिक प्रतिष्ठा व आर्थिक स्थिति भी हो सकता है। पुरुष प्राध्यापकों में संगठनात्मक वातावरण का स्तर महिला प्राध्यापकों की अपेक्षा उच्च है।

सारणी 3 : निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला प्राध्यापकों के संगठनात्मक वातावरण का तुलनात्मक अध्ययन

प्राध्यापक	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	'टी' परीक्षण का मान	परिणाम (0.05 स्तर पर)
पुरुष प्राध्यापक	20	85.75	09.25	2.84	सार्थक
महिला प्राध्यापक	20	88.36	11.05		

उक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला प्राध्यापकों के संगठनात्मक वातावरण के मध्यमानों में सार्थक अन्तर है। निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में पुरुष प्राध्यापकों की अपेक्षा महिला प्राध्यापकों में संगठनात्मक वातावरण का स्तर उच्च पाया गया। अत: यह कहा जा सकता है कि निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में कार्यरत महिला प्राध्यापकों ने संगठनात्मक वातावरण से समानुकूलन कर लिया है। यहाँ मिलने वाले वेतन, कार्यभार आदि से वे सन्तुष्ट प्रतीत होती हैं, जबकि पुरुष प्राध्यापकों में ऐसी स्थिति नहीं दिखाई देती। इसका सम्भावित कारण पारिवारिक एवं सामाजिक जिम्मेदारी भी हो सकता है।

सारणी 4 : राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राध्यापकों की व्यावसायिक प्रतिबद्धता पर संगठनात्मक वातावरण के प्रभाव का मापन करना

चर	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	'टी' परीक्षण का मान	परिणाम (0.05 स्तर पर)
संगठनात्मक वातावरण	40	80.27	10.12	1.84	असार्थक
व्यावसायिक प्रतिबद्धता	40	81.76	08.56		

प्रस्तुत सारणी में संगठनात्मक वातावरण तथा व्यावसायिक प्रतिबद्धता के मध्यमान दोनों चरों के अन्तर की सार्थकता को अभिव्यक्त नहीं करते। निहितार्थ यह है कि राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों की व्यावसायिक प्रतिबद्धता पर संगठनात्मक वातावरण का प्रभाव अधिक नहीं पड़ता। प्रभाव की मात्रा का एक निश्चित स्तर रहता है, क्योंकि प्राध्यापक सदैव संगठन में रहते हैं और अपने कार्य परस्पर सहयोग से करते हैं। परिणामस्वरूप राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राध्यापक अपने व्यवसाय से प्रतिबद्ध रहते हैं और संगठनात्मक वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ने देते।

सारणी 5 : निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राध्यापकों की व्यावसायिक प्रतिबद्धता पर संगठनात्मक वातावरण के प्रभाव का मापन करना

चर	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	'टी'परीक्षण का मान	परिणाम (0.05 स्तर पर)
संगठनात्मक वातावरण	40	87.05	11.05	2.16	सार्थक
व्यावसायिक प्रतिबद्धता	40	79.25	08.34		

उपर्युक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है कि निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राध्यापकों में संगठनात्मक वातावरण का स्तर उच्च है, जबकि व्यावसायिक प्रतिबद्धता का स्तर अत्यन्त निम्न है। इनके संगठनात्मक वातावरण एवं व्यावसायिक प्रतिबद्धता के मध्यमानों में सार्थक अन्तर है। उपर्युक्त निहितार्थ यह दर्शाता है कि निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों की व्यावसायिक प्रतिबद्धता पर संगठनात्मक वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। प्रशासन व संगठन के हस्तक्षेप के कारण प्राध्यापक न तो अध्यापन सुचारु रूप से कर पाते हैं और न ही उन्हें अपने कार्य से पूर्ण सन्तुष्टि प्राप्त होती है। अत: प्रशासन व संगठन की ओर से सीमित हस्तक्षेप ही वांछनीय है।

सारणी 6 : राजकीय एवं निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राध्यापकों की व्यावसायिक प्रतिबद्धता पर संगठनात्मक वातावरण के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन

शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय	चर	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	'टी' परीक्षण का मान	परिणाम (0.05 स्तर पर)
राजकीय	संगठनात्मक वातावरण	40	80.27	10.12	2.46	सार्थक
	व्यावसायिक प्रतिबद्धता	40	81.48	09.11		
निजी	संगठनात्मक वातावरण	40	87.05	11.05		
	व्यावसायिक प्रतिबद्धता	40	84.71	04.03		

उपर्यक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है कि तुलनात्मक रूप से राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राध्यापकों की अपेक्षा निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राध्यापकों की व्यावसायिक प्रतिबद्धता पर संगठनात्मक वातावरण का गहन प्रभाव पड़ता है। इसके कई सम्भावित कारण हो सकते हैं यथा - निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में मिलने वाला अल्प वेतन, अतिरिक्त कार्यभार, प्रशासक व संचालकों का अवांछनीय हस्तक्षेप आदि। ये सभी कारक प्राध्यापकों के व्यावसाय के प्रति प्रतिबद्ध रहने में व्यवधान उत्पन्न करते हैं।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोधाध्ययन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के गुणात्मक सुधार हेतु मार्गदर्शी प्रयास है जिससे महाविद्यालयों का संगठनात्मक ढाँचा व प्राध्यापकों की कार्यशैली निश्चित रूप से सुधारोन्मुख हो सकेगी। वर्तमान में अनेक शिक्षाविदों व शिक्षा-विश्लेषकों द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के सम्बन्ध में आ रही टिप्पणियाँ तथा समाचारपत्रों व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित समाचार हमें इस समस्या की तह तक जाने के लिए बाध्य करते हैं। प्राध्यापक प्रशिक्षण में संलग्न इन संस्थानों की भूमिका कहीं-न-कहीं संदिग्ध प्रतीत होती है। संख्यात्मक दृष्टि से बिना आवश्यकता के शिक्षकों को प्रशिक्षण देना व शिक्षक प्रशिक्षण को व्यावसायिक रूप देना कहाँ तक न्यायसंगत है? प्रशिक्षित प्राध्यापकों की कार्यसन्तुष्टि व व्यावसायिक प्रतिबद्धता का स्तर तेजी से गिर रहा है, जो अनवरत रूप से उन्हें कुंठित व भ्रमित कर रहा है। यह निश्चित अवधारणा है कि एक कुंठित प्राध्यापक अपने दायित्वों के निर्वहन में समुचित योगदान नहीं कर सकता। अतएव पठन-पाठन जैसे पवित्र, बौद्धिक, चारित्रिक अनुष्ठान में कार्यरत प्राध्यापक अपने स्तर का विशिष्ट, उच्चतर योगदान कर सकें, इस दिशा में यह परमावश्यक है कि उनकी सेवा शर्तें उन्हें उत्प्रेरित, उत्साहित एवं प्रफुल्लित रखें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. ऐडेयेमो, डी. ए., 'ए टेस्ट ऑफ द मल्टीप्लीकेटिव इफेक्ट ऑफ जॉब एंड लाइफ सेटिस्फेक्शन ऑन द केरियर कमिटमेंट ऑफ सेकण्डरी स्कूल टीचर्स इन ओयो स्टेट', अफ्रीकन जर्नल ऑफ एजुकेशनल मेनेजमेंट, 2001, पृ. 9.
2. बुच, एम. बी., फोर्थ सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन (1983-89), नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, न्यू देहली, 1991, पृ. 105-109.
3. हेल्पिन, एंड्रयू डब्ल्यू. एंड क्रोफ्ट डॉन बी., द आर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट ऑफ स्कूल्स, मिडवेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, शिकागो, 1963, पृ. 202-208.
4. जॉस, एल. आर., ग्लूइक, डब्ल्यू. एफ. एंड आस्बोर्न, आर. एन., आर्गेनाइजेशनल लायल्टी, प्रोफेशनल कमिटमेंट एंड ऐकेडमिक रिसर्च प्रोडेक्टिविटी, ऐकेडमी ऑफ मेनेजमेंट जर्नल, 1978, पृ. 21.
5. माउडे, आर. टी., पोटर, एल. डब्ल्यू. एंड स्टीयर्स, आर. एम., एम्प्लोइ-आर्गेनाइजेशन लिंकेज़ेज़ : द साइकोलॉजी ऑफ कमिटमेंट, ऐब्सेंटिजम एंड टर्नओवर, ऐकेडमिक प्रेस, न्यूयार्क, 1982, पृ. 79-82.
6. नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, कोड ऑफ प्रोफशनल एथिक्स फॉर टीचर्स, न्यू देहली, 1997, पृ. 59.

भारत और आसियान : लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट तक का सफर

चन्द्रकला शर्मा

व्याख्याता, राजनीति विज्ञान

राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर (राज.)

शोध सारांश

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से दक्षिण-पूर्वी एशिया आज महाशक्तियों की रूचि का महत्वपूर्ण केन्द्र है। दक्षिण पूर्वी एशिया में आज एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली आर्थिक संगठन के रूप में आसियान अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। आसियान की स्थापना का उद्देश्य, दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक प्रगति को त्वरित करना और उसके आर्थिक स्थायित्व को बनाये रखना है एवं सदस्य राष्ट्रों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, तकनीकी आदि क्षेत्रों में परस्पर सहायता करना, दक्षिण - पूर्वी एशिया में शान्ति स्थापना और समन्वय के साथ व्यापारिक गतिविधियों का संचालन करना हैं। 2014 में भारत के केन्द्रीय नेतृत्व परिवर्तन के साथ ही 1991 की ईस्ट पॉलिसी की नीति एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल दी गई। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आसियान से संबंध सही अर्थो में ऐतिहासिक है तथा हमारे जुडाव और पहल को एक शब्द में व्यक्त किया जा सकता है- 'कनेक्टिविटी' । भारत व आसियान के बीच में 14 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। 14वाँ शिखर सम्मेलन 6-8 सितम्बर, 2016 को लाओस में हुआ। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने यह स्वीकर किया की पूर्वोत्तर भारत के विकास की कुंजी दक्षिणी पूर्वी एशिया में छिपी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी को बदलकर एक्ट ईस्ट पालिसी कर दिया। इस शिखर सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय हितों आंतकवाद, परमाणु अप्रसार और पलायन जैसे विषयों को शामिल किया गया। इस प्रकार एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत विश्व राजनीति के रंगमंच पर आसियान - भारत संबंधो की नई नींव रखी जा रही है। भारत- आसियान आज एशिया के पुनर्जागरण की नई कहानी लिखने के लिये कृत- संकल्प दिख रहे हैं।

संकेताक्षर : *आसियान रीजन फोरम, एक्ट ईस्ट, बौद्ध कॉनक्लेव*

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् अनेक क्षेत्रीय व आर्थिक संगठनो की स्थापना हुई। इन क्षेत्रीय संगठनो की स्थापना का उद्धेश्य आर्थिक और सामाजिक समस्याओ का समाधान करना तथा आर्थिक आत्मनिर्भता प्राप्त कर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना था। ये सभी संगठन सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक उद्धेश्यों में समानता रखने वाले थे तथा शान्ति व सुरक्षा की स्थापना हेतु परस्पर सहयोग भी चाहते थे। ऐसे संगठनों में अरब लीग, आसियान, हिमतक्षेस व सार्क प्रमुख हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से दक्षिण-पूर्वी एशिया आज महाशक्तियों की रूचि का महत्वपूर्ण केन्द्र है। यह संसार के विस्फोटक व महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। दक्षिण पूर्वी एशिया में आज एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली आर्थिक संगठन के रूप में आसियान अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। जहाँ यह पूर्व में मात्र पूर्वी एशिया से जुड़ा हुआ था, वहीं आज महाशक्तियाँ (अमेरिका व रूस) इसके पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप इससे जुड़े हुये हैं । जिससे यह अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी अलग ही छवि बना रहा है। आसियान की शक्तिशाली स्थिति एवं बढ़ते प्रभाव के कारण ही आज न केवल चीन, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे राष्ट्रों के साथ संबध प्रगाढ हो रहे हैं, बल्कि विश्व के अन्य अनेक राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों व गैर-सरकारी संगठनों ने भी आसियान के साथ संबंध स्थापित किए हैं। विश्व के लगभग 44 गैर-आसियान राष्ट्रों/संगठनों ने आसियान के सचिवालय में अपने राजदूतों की नियुक्ति की है।

आसियान : एक उभरता संगठन

दक्षिण पूर्वी एशिया में आसियान क्षेत्रीय सहयोग के लिये कार्यरत संगठन है। आसियान अर्थात एसोसिएशन ऑफ - साउथ-ईस्ट एशियन नेशंस 10 दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों (इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपिंस, वियतनाम, सिंगापुर, कंबोडिया, म्यांमार,

थाइलेंड, बुनेई व लाओस) का क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकाक में एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करके हुई। आसियान का केन्द्रीय सचिवालय जकार्ता (इण्डोनेशिया) में है और उसका अध्यक्ष महासचिव होता है। महासचिव का पद प्रति दो वर्ष के लिये इसके सदस्य देशों के पास जाता है। 10 सदस्य राष्ट्रों के अतिरिक्त इसमें भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेण्ड, अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ, कनाडा, संयुक्त राष्ट्र इसके 11 वार्ताकार राष्ट्र हैं। इस तरह यह संगठन 10 + 11 का संगठन हो गया है।

आसियान रीजनल फोरम (ARF) की स्थापना वर्ष 1994 में हुई है। इसके सदस्य है-10 आसियान राष्ट्र + 11 वार्ताकार राष्ट्र + बाग्लादेश, उतर कोरिया, मंगोलिया, पाकिस्तान, पापुओ न्यूगिनी तथा तिमोर लेस्ते । आसियान चार्टर पर 20 नवम्बर 2007 को सिंगापुर में हस्ताक्षर हुये थे। यह चार्टर 15 दिसम्बर 2008 से लागू हो गया है तथा वर्तमान में इसके 29 सम्मेलन हो चुके हैं।

आसियान की स्थापना के उद्देश्य

(1) दक्षिण पूर्वी एशिया में आर्थिक प्रगति को त्वारित करना और उसके आर्थिक स्थायित्व को बनाये रखना।

(2) सदस्य राष्ट्रों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, तकनीकी प्रशासनिक, आदि क्षेत्रों में परस्पर सहायता करना

(3) एक साझा बाजार तैयार करना और सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढावा देना है।

(4) दक्षिण-पूर्वी एशिया में शान्ति स्थापना और समन्वय के साथ व्यापारिक गतिविधियों का संचालन करना।

आसियान के कार्य व भूमिका

आसियान के कार्य क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। यह क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग पर बल देने वाला संगठन है। यह सदस्य देशों की समस्त राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक वैज्ञानिक, तकनीकी आदि क्षेत्रों में कार्य का संचालन कर आपसी समस्याओं का समाधान कर महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनाता है। आज यह संगठन जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक खेल-कूद, समाज कल्याण, गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण, आदि से सम्बन्धित कार्य कर रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में आसियान ने अपना एक सामूहिक संगठन आसियण्टा को स्थापित किया है जो बिना वीजा के सदस्य राष्ट्रों में पर्यटन की सुविधा प्रदान करता है। आसियान के देश सीमित वस्तुओं के स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र को स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील हैं। आसियान के शिखर सम्मेलन के अन्तर्गत सदस्य देशों ने बौद्धिक सम्पदा से संबन्धित समझौता किया है जिसमें तकनीक के हस्तान्तरण पर विशेष जोर दिया गया। आसियान समुदाय ने सन् 2020 तक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के लिये एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं जिसे ''कोनकोर्ड समझौता'' कहा गया है जिसमें एक आसियान सामाजिक व सांस्कृतिक समुदाय की संकल्पना की गई है।

आसियान का 25वाँ शिखर सम्मेलन 13 नवम्बर 2014 को सम्पन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन का केन्द्रीय विषय था एक शांतिपूर्ण एवं समृद्ध समुदाय के लिए एकबद्ध आगे बढ़ना। इस शिखर सम्मेलन में आसियान देशों के आपसी संपर्क एवं सहयोग संवर्द्धन तथा आसियान के बाह्म सम्बन्धों तथा क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर चर्चा की गई।

आसियान का 26वाँ शिखर सम्मेलन 26 से 28 अप्रेल 2015 में मलेशिया में सम्पन्न हुआ । इस सम्मेलन में आसियान सचिवालय और आसियान के अंगो की समीक्षा एवं उन्हें मजबूत बनाने की घोषणा की गई।

27वाँ शिखर सम्मेलन 18 से 22 नवम्बर 2015 को मलेशिया में हुआ। इस शिखर सम्मेलन का केन्द्रीय विषय "Our People, Our Community. Our Vision" था। इसमें आतंकवाद से निपटने के लिये घोषणा पत्र पर सहमति बनाई गई तथा आसियान कम्यूनिटी, आसियान विजन 2015 से शुरूआत करने की घोषणा की गई तथा आसियान को यूरोपीय संघ की तरह आर्थिक समुदाय बनाने की सोच तथा परस्पर सहयोग के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिये सहमति बनाई गई ।

आसियान का 28/29वाँ शिखर सम्मेलन लाओस में 6-8 सितम्बर 2016 को सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन का केन्द्रीय विषय Turning Vision into Reality for Dynamic ASEAN Community था। इस सम्मेलन में आसियान समुदाय विजन 2025 के कार्यान्वयन विकास के अंतराल के संकुचन, ट्रेड फैसिलिटेशन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के विकास, पर्यटन विकास, आसियान में औपचारिक अर्थव्यवस्था के लिये संक्रमण और आसियान में सांस्कृतिक विरासत सहयोग मजबूत करने की दिशा में कार्य करने की पहल की गई।

इस प्रकार सन् 1967 से 2016 तक आसियान ने अर्न्तराष्ट्रीय राजनीति में उभरते संगठन के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है।

भारत-आसियान संबंधों की पृष्ठभूमि

दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र विशेषत: म्यांमार, थाईलैण्ड, मलेशिया, लाओस व कम्बोडिया आदि ऐतिहासिक रूप से भारतीय विचारों, धर्म, कला व संस्कृति से प्रभावित रहे हैं। वर्ष 1991 में घोषित लुक ईस्ट पॉलिसी तथा वर्ष 1997 में आसियान द्वारा बाहरी रिश्तों के संबंध में घोषित आसियान विजन 2020 की नीति ने भारत-आसियान रिश्तों का मजबूत करने हेतु नया आयाम प्रदान किया है।

भारत को वर्ष 1992 में आसियान का क्षेत्रीय वार्ता साझेदार बनाया गया तथा वर्ष 1995 में इसे पूर्ण वार्ता साझेदार का दर्जा दिया गया। वर्ष 1998 में भारत को आसियान के अनुषंगी संगठन-आसियान रीजन फोरम की सदस्यता प्रदान की गई तथा वर्ष 2002 से भारत एंव आसियान के बीच वार्षिक शिखर बैठकों का आयोजन प्रारंभ हुआ। आसियान 2012 से भारत का राजनीतिक साझेदार है तथा भारत पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य देश भी है।

वर्ष 2009 में भारत ने 10 सदस्यीय आसियान देशो के साथ बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के मध्य वार्षिक व्यापार 40 अरब डॉलर से बढ़कर 60 अरब डॉलर का हो गया। मुक्त व्यापार समझौते के साथ भारत ने सिंगापुर, दक्षिण कोरिया के साथ-साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं और जापान, थाइलैण्ड, मलेशिया सहित अन्य देशों के साथ भी इसी तरह के समझौते करने के लिय भारत प्रयासरत है। भारत आसियान का सातवॉ सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार एवं अभियान में छठा सबसे बड़ा निवेशक देश है। वर्ष 2016 के अंत तक दोनों पक्ष आपसी व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिये लक्ष्य बद्ध है।

आसियान से नजदीकी बढ़ाता भारत

आसियान मूलत: दक्षिण पूर्व एशियायी देशों का संगठन है और इस क्षेत्र के बढते प्रभाव के कारण ही अमेरिका सहित कई ताकतवर देश इसे समर्थन दे रहे है। वर्ष 2002 से भारत-आसियान सबंधों में निरंतर प्रगाठता आई है और भारत ने आसियान राष्ट्रों के महत्व को पहचान लिया है। अब इन्हें कोका कोला कंट्रीज मात्र नहीं माना जाता है। आज भारत व आसियान के बीच द्विपक्षीय व्यापार में भी उतरोत्तर वृद्धि हुई है तथा अब तक भारत व आसियान के 14 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। इनमें से निम्नलिखित खास महत्व रखते हैं -

12वाँ भारत- आसियान शिखर सम्मेलन: यह शिखर सम्मेलन 12 नवम्बर 2014 को नाय् पी ताव (म्यांमार) में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में क्षेत्रीय शांति, स्थिरता, सुरक्षा, खाद्य एवं सामुदायिक सुरक्षा, आपसी व्यापार और अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय सहयोग को सुदढ़ करने के लिये प्रतिबद्धता को दोहराया गया। वर्ष 2014 से भारत व म्यांमार के बीच पोत परिवहन की सीधी सेवा प्रारम्भ करने के लिए भारत का विशेष स्वागत किया।

13वाँ भारत असियान शिखर सम्मेलन: यह शिखर सम्मेलन 21 नवम्बर 2015 को मलेशिया में सम्पन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन में भारत की पूरब में काम कर की नीति (एक्ट ईस्ट) तथा मेक इन इंडिया कार्यक्रमों का स्वागत किया गया तथा आसियान नेताओं द्वारा जकार्ता स्थित आसियान के मुख्यालय में भारतीय मिशन की स्थापना का भी स्वागत किया गया।

इस शिखर वार्ता में भारत-असियान शांति, प्रगति तथा सहभागी समृद्धि (2010-2015) हेतु कार्य योजना को स्वीकर कर विभिन्न कार्यक्रमों तथा गतिविधियों के क्रियान्वयन के साथ भारत-आसियान वार्ता तंत्र की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया। इसके साथ ही आसियान - भारत सामरिक साझेदारी के अन्तर्गत संयोजनकर्त्ता संबंधित योजना के क्रियान्वयन के लिये भारत द्वारा आसियान देशो के लिये 1 बिलियन अमेरिकी डालर की ऋण सहायता की घोषणा का स्वागत भी किया गया।

14वाँ भारत आसियान शिखर सम्मेलन: यह शिखर वार्त्ता 6-8 सितम्बर 2016 को लाओस में सम्पन्न हुई। भारत के प्रधानमंत्री ने यह स्वीकार किया कि पूर्वोतर भारत के विकास की कुंजी दक्षिणी पूर्वी एशिया में छिपी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की 'लुक ईस्ट' पॉलिसी को बदलकर 'एक्ट ईस्ट' पॉलिसी कर दिया हैं। तभी से भारत दक्षिण एशिया के देशों के साथ संबंध मजबूत बनाने में लगा है, जिसमें भारत- म्यांमार - थाइलैण्ड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना और म्यांमार में सिट्वे से पूर्वोतर भारत के मिजोरम को जोड़ने वाली कालाडान मल्टी मॉडल परिवहन योजना अहम पहल साबित हुई है। इस शिखर सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय हितों से जुडे विषयों पर चर्चा की गई जिसमें नौवहन सुरक्षा, आंतकवाद, परमाणु अप्रसार और पलायन जैसे विषय शामिल किये गये।

लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट तक भारत

सन् 1991 की 'लुक ईस्ट' पॉलिसी की नीति को 2014 में भारत के केन्द्रीय नेतृत्व परिवर्तन के साथ ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक्ट ईस्ट नीति में परिवर्तित कर दिया। लाओस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान देशों के साथ महत्व को इंगित करते हुये कहा कि ''हमारी एक्ट-ईस्ट नीति के संदर्भ में आसियान महत्वपूर्ण साझेदार है और यह हमारे उतर - पूर्वी क्षेत्र

के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि आसियान के संबंध सही अर्थो में ऐतिहासिक हैं तथा हमारे जुड़ाव व पहल को एक शब्द से व्यक्त किया जा सकता है और वह शब्द 'कनेक्टिविटी' है।

एक्ट ईस्ट की नीति के तहत तथा प्रधानमंत्री की पहल का ही परिणाम है कि सिंगापुर हाल ही के वर्षो में भारत में सबसे ज्यादा निवेश करने वाले देश के तौर पर स्थापित हुआ है तथा भारत को उम्मीद है कि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रमों में भी इन देशो की कंपनियों की तरफ से काफी निवेश होगा। 14वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ''बौद्ध कान्क्लेव'' के लिये आसियान के सदस्यों देशो को विशेष अतिथि के तौर यह आमंत्रित भी किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस मौके पर आसियान यूथ समिट कराने का भी सुझाव सदस्य देशों को दिया। इसके साथ ही उन्होंने आसियान में भारत की तरफ से दिये जाने वाले फंड को बढाकर 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर करने की भी घोषणा की। इसके साथ-साथ भारत और दक्षिण एशिया के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी को बढावा देने के साथ-साथ इसके लिए मास्टर प्लान लागू करने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने भारत- म्यांमार - थाईलैंड हाईवे के लिये ज्वांइट टास्क फोर्स का गठन करने का भी सुझाव दिया हैं। यह हाईवे कंबोडिया, लाओस से होकर गुजरेगा। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत ही भारत ने जल्द ही सभी आसियान देशों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा की सुविधा की घोषणा भी की है, ताकि निवेश व पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। इस प्रकार भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत विश्व राजनीति के रंगमंच पर आसियान - भारत संबंधो की नई नीवं रखी है।

सारांशत: भारत और आसियान के बहुरंगी संबंध इस शताब्दी को एशियाई शताब्दी बनाने के स्वप्न को साकार करने के मार्ग पर अग्रसर है। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की 'पूरब की और देखो नीति', 'पूरब में काम करो' की अग्र- सक्रिय नीति में परिवर्तित हो गई है। भारत और आसियान का खिला रिश्ता दक्षिण एशियाई राजनीति का प्रमुख केन्द्र बिन्दु बन गया है। जिसके तहत भारत जकार्ता में आसियान के लिये एक भारतीय मिशन का गठन कर रहा है, तो आसियान भारत-आसियान केन्द्र की स्थापना दिल्ली में कर रहा है। अत: भारत-आसियान इस पूरे क्षेत्र में शांति और समृद्धि का विस्तार करते हुए एशिया के पुनर्जागरण की नई कहानी लिखने के लिये कृत- संकल्प दिख रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. जैन, दीक्षित, भारत की विदेश नीति, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 2013
2. वैश्य, हरीश कुमार, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, आर्य पब्लिकेशन, दिल्ली, 2013
3. फड़िया, कुलदीप, संयुक्त राष्ट्र संघ व अन्य प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, साहित्य भवन, पब्लिकेशन, आगरा, 2012
4. ओझा, एन.एन., राजनीति विज्ञान व अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, कॉनिक्रल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2016
5. पंत, पुष्पेश, 21वीं शताब्दी में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, टाटा मैकग्रॉहिल पब्लिकेशन, द्वितीय संस्करण, 2014
6. जौहरी, जे.सी., अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध व राजनीति, स्टर्लिंग पब्लिकेशन, नोयडा, 2014
7. बिस्वाल, तपन, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, ओरियन्ट ब्लैक स्वॉन पब्लिकेशन, नई दिल्ली, द्वितीय संस्करण, 2016
8. मिश्रा, महेन्द्र कुमार, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, कल्पना प्रकाशन, दिल्ली, 2010
9. खन्ना, वी.एन., इन्टरनेशनल रिलेशन, एस.चाँद एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली, 2013
10. फड़िया, बी.एल., अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्धान्त व समकालीन राजनीतिक मुद्दे, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2010

समसामयिक वैश्विक सन्दर्भ में महात्मा गांधी के अहिंसा सिद्धान्त की प्रासंगिकता

गुरुदत्त स्वामी

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)

शोध सारांश

अहिंसा को भारत में एक नीति के रूप में मान्यता की गई है। अहिंसा का विचार भारत ने विश्व के अनेक देशों में फैलाया। भारत में संत, महात्माओं व शासकों ने भी अहिंसा की नीति को अपनाया। महात्मा गांधी ने अहिंसा को व्यक्तिगत व सामूहिक जीवन में उतारने का प्रयास किया। महात्मा गांधी ने अहिंसा के नकारात्मक व सकारात्मक अर्थ को परिभाषित किया। उन्होने बताया कि मानवीय संबंधों में सभी समस्याओं का हल अहिंसा है। अहिंसा निषेधात्मक न होकर विधेयात्मक शक्ति है। अहिंसा को सत्याग्रह का मूलमंत्र बताया। गांधी जी की अहिंसा मन, वचन व कर्म से संबंधित है। गांधी जी ने जाग्रत अहिंसा को अहिंसा का सबसे प्रबल रूप माना। अहिंसा कर्मठता व गतिशीलता का दर्शन है। समसामयिक वैश्विक परिदृश्य अशान्त अस्थिर विवादग्रस्त व घृणास्पद है। विश्व में शान्ति व सहयोग स्थापित करने के लिये लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाना जरूरी है। अहिंसा के द्वारा ही लोगों का मन परिवर्तित किया जा सकता है। अहिंसा ही इस समस्या का इलाज है। अहिंसा के विचार में मानव कल्याण की भावना है उसी के द्वारा लोग आपसी द्वेष को भुलाकर सौहार्दपूर्ण पूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे। अत: गांधीजी का सिद्धांत समसामयिक विश्व में ही प्रासंगिक नहीं है बल्कि आने वाले समय में भी प्रासंगिक बना रहेगा।

संकेताक्षर : *शाश्वत मूल्य, विधेयात्मक शक्ति, व्यावहारिक अवधारणा, वैश्विक प्रासंगिकता*

भारत में हजारों वर्षो से अहिंसा जीवन का एक शाश्वत नियम रहा है। इसे सिद्धान्त व व्यवहार में अपनाया जाता रहा है। शुरू में यह व्यक्ति के आचरण तक सीमित रही, बाद में इसे एक नीति के रूप में मान्यता दी गयी। अहिंसा का विचार भारत से विश्व के अन्य देशों में फैलता गया व एक व्यापक अवधारणा बन गया। अहिंसा की अवधारणा के चिह्न न केवल भारतीय संस्कृति में अपितु वैश्विक स्तर पर भी प्राचीन समय से ही देखे जा सकते हैं। चीन में कन्फ्युशियस (551-478 बी.सी) लाओत्से की शिक्षाओं में, प्राचीन यूनान में प्लेटो, स्टोइक, एपीक्टेरयूस दार्शनिकों, यहूदी व ईसाई धर्म के पवित्र ग्रन्थों में अहिंसा, सत्याग्रह व निष्क्रिय प्रतिरोध के मूल्य स्थापित थे।

भारत में सन्त महात्माओं ने हमेशा, अहिंसा का सन्देश सर्वत्र फैलाया। महाभारत में अहिंसा परमो धर्म की शिक्षा दी गयी है।[1] बुद्ध व महावीर स्वामी ने अहिंसा को लोक नियम बना दिया। सम्राट अशोक ने अहिंसा को राज्य की नीति का भाग बनाया। भारतीय संस्कृति अहिंसात्मक विचारों से ओत-प्रोत है। ऋग्वेद में वर्णाश्रम व्यवस्था के रूप में; उपनिषद् में नैतिक गुणों के रूप में; पतंजलि के योगसूत्र में सभी जीवों के प्रति सद्भावना के रूप में; रामायण, महाभारत, भगवद्गीता में कर्म के रूप में व्यावहारिक स्तर पर; जैन दर्शन में 'त्रिरत्न' के माध्यम से अहिंसा के अतिरेक स्वरूप पर तथा अशोक के 'धम्म विजय' के आह्वान द्वारा अहिंसक मूल्यों को समुचित स्थान प्रदान किया गया है। अहिंसा की ऐतिहासिक यात्रा में गाँधीजी 'मील का पत्थर' हैं जिनके अनुसार 'भगवद्गीता' में जिस 'स्थितिप्रज्ञ' मानव का उल्लेख किया गया है वह सत्य व अहिंसा के बिना प्राप्त नहीं हो सकती है।

गाँधीजी ने अमेरिकन अराजकतावादी थोरों के 'सविनय अवज्ञा' को सकारात्मक स्वरूप प्रदान कर 'सविनय प्रतिरोध' का व्यावहारिक प्रयोग किया। जॉन रस्किन के ग्रन्थ 'अन टू द लास्ट' से गाँधीजी ने तीन सिद्धान्तों को ग्रहण किया - प्रथम, सबकी भलाई में व्यक्तिगत भलाई अन्तर्निहित हैं, द्वितीय, सभी लोगों को आजीविका प्राप्त करने का समान अधिकार प्राप्त है तथा तृतीय, साधारण मेहनत मजदूरी से युक्त किसान का जीवन सच्चा जीवन

है। गाँधीजी लियो टॉलस्टॉस से सर्वाधिक प्रभावित थे। अपने ग्रन्थ 'द किंगडम ऑफ गॉड इज विद् इन यू' में आधुनिक समाज की सभी सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं का हल 'प्रेम' बताया जो निष्क्रिय प्रतिरोध, असहयोग व अहिंसा पर आधारित है। लेखक गाँधी व टॉलस्टॉय के चिंतन में कतिपय समानता के तत्वों यथा आधुनिक सभ्यता को शक्ति व शोषण पर आधारित व अनैतिक मानना, शत्रु का प्रतिकार करने हेतु हिंसक साधनों का विरोध, व्यक्तिगत शुद्धता व नैतिकता में विश्वास, का उल्लेख करते हैं वहीं गाँधीजी द्वारा अहिंसा को अधिक व्यवहारिक मानते हुए अपवाद स्वरूप हिंसा को स्वीकारना उन्हें टॉलस्टॉय से पृथक करता है। गांधीजी ने शताब्दियों पुरानी अहिंसा के दर्शन को नवीन संदर्भ में परिभाषित किया और सम्भाव्य रूप में प्रस्तुत कर बडे पैमाने पर उन्हें जन आन्दोलनों में प्रयुक्त किया है।

महात्मा गांधी ने अहिंसा की नई व्याख्या की व इसे व्यक्तिगत व सामूहिक जीवन में व्यवहार में उतारने का प्रयास किया। अहिंसा का व्यापक अर्थ है। उत्पत्ति की दृष्टि से अहिंसा शब्द निषेधात्मक है, अ हिंसा-हिंसा का अथाव।[2] महात्मा गांधी ने अहिंसा के नकारात्मक अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा था मनुष्य का ऐसा व्यवहार हो, जिसमें हिंसा का सहारा न लिया जाय, अर्थात् किसी जीव को पीड़ा न पहुंचायी जाये। इसमें यह बताया जाता है कि क्या नहीं किया जाय। गांधी ने अहिंसा के सकारात्मक अर्थ या भाव पर अधिक बल दिया जिसमें यह निर्देश दिया जाता है कि मनुष्य को क्या करना है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाया जाय, गांधी ने उससे आगे बढ़ते हुए कहा कि विश्व के समस्त जीवों से प्रेम करो। अहिंसा का सकारात्क पक्ष है-मानव प्रेम। अहिंसा वह सिद्धान्त या नीति है जिसमें अपने विरोधी को प्रेम से जीता जाता है, घृणा या लडाई से नहीं।[3] मानवीय संबंधों की सभी समस्याओं का हल अहिंसा में है। अहिंसा हिंसा से अधिक शक्तिशाली है। अहिंसा एक दूसरे के प्रति प्रेम और आदर को जन्म देती है तथा सभी मनुष्यों को समान समझने की प्रेरणा देती है। गांधीजी की अहिंसा निषेधात्मक न होकर विधेयात्मक शक्ति है। वह बुराई को अच्छाई से जीतने का सिद्धान्त है जिसमें कोई बदले की भावना नहीं है, कोई षड़यन्त्र नहीं है, कोई प्रतिकार नहीं है, कोई संगठित युद्ध या गुप्त हत्या नहीं है। अहिंसा सत्याग्रह का मूलमन्त्र है। सत्य सर्वोच्च कानून और अहिंसा सर्वोच्च कर्त्तव्य है। सत्य की तरह अहिंसा की शक्ति असीम है। किसी को नहीं मरना अहिंसा का आंशिक अर्थ हैं। गांधी की अहिंसा मन, वचन व कर्म से संबंधित है। कुविचार हिंसा है, उतावलापन हिंसा है, मिथ्या भाषण हिंसा है, किसी का बुरा चाहना हिंसा है, जगत को जिस चीज की आवश्यकता है, उस पर कब्जा रखना भी हिंसा है। अहिंसा सर्वोच्च नैतिक व आध्यात्मिक शक्ति की प्रतीक है।

गांधी की अहिंसा के तीन रूप हैं- प्रथम जागृत अहिंसा। अहिंसा व्यक्ति की अन्तर्रात्मा की पुकार पर स्वाभाविक रूप से जन्म लेती है, इस अहिंसा में असम्भव को भी संभव में बदल देने की अपार शक्ति निहित है। दूसरी, औचित्व पूर्ण अहिंसा। जीवन के किसी क्षेत्र में विशेष आवश्यकता पड़ने पर औचित्यानुसार एक नीति के रूप में अपनायी जाय। यद्यपि यह अहिंसा दुर्बल व्यक्तियों की है पर इसका पालन ईमानदारी व दृढ़ता से किया जाय तो काफी शक्तिशाली और लाभदायक सिद्ध हो सकती है। तीसरी भीरूओं की अहिसां डरपोक व कायरों की अहिंसा है। यह निष्क्रिय अहिंसा है। कायरता व अहिंसा एक साथ नहीं रह सकते। गांधी ने कायरता को हिंसा से भी बुरा मानते हुए कहा कि यदि मुझे दोनों में से एक को चुनना हुआ, तो मैं निश्चित ही हिंसा को चुनूंगा।[4] अहिंसा कार्य करने की प्रवृत्ति है, हृदय परिवर्तन का साधन है। अहिंसा जीवन के प्रत्येक पहलू में पायी जाती है। यह मानव हृदय की दिव्य ज्योति है। गांधी की अहिंसा की अवधारणा प्रगतिशील व परिस्थितियों पर निर्भर है। यह अकर्मण्यता का दर्शन नहीं है बल्कि कर्मठता व गतिशीलता का दर्शन है। अहिंसा में अनन्त प्रेम है। नेहरू ने अहिंसा को सकारात्मक व गतिशील पद्धति माना। गांधी की अहिंसा सर्वाधिक विषय परिस्थितियों में भी सामाजिक परिवर्तन व राजनीतिक गतिविधि के लिए मौलिक व रचनात्मक पद्धति है।[5] अहिंसा, प्रत्येक समस्या के व्यावहारिक समाधान के लिए नैतिक आधार तैयार करती है।

समसामयिक वैश्विक परिदृश्य अशान्त, अस्थिर, विवादग्रस्त व घृणास्पद है। विवाद व समस्याऐं दिन प्रति दिन बढ़ रही हैं। तनावपूर्ण वातावरण उत्पन्न हो रहा है। राज्यों में अस्थिरता बढ़ती जा रही है। राज्यों में भौगोलिक सीमाओं के साथ धर्म, संस्कृति व नैतिकता के आधार पर भी वैमनस्य बढ़ता जा रहा है। इन सब पक्षों का हिंसा व संगठित हिंसा अर्थात् आतंकवाद अपने पक्ष में प्रयोग करने का प्रयास कर रहा है। आज विश्व के समक्ष हिंसा या आतंकवाद एक प्रमुख समस्या बन गयी है। व्यक्तियों के समूह व राष्ट्र अपने स्वार्थो की पूर्ति के लिए हिंसा को एक हथियार के रूप में प्रयोग करने लगे हैं। हिंसा के लिए लोगों को उकसाने व हिंसा को वैधानिक ठहराने के लिए धर्म, नैतिकता, विचारधारा, आर्थिक व सामाजिक असमानताओं को मुद्दा बना कर इनका प्रयोग किया जाता है व व्यक्तियों तथा राष्ट्रों में हिंसा के पक्ष में उन्माद पैदा किया जा रहा है। इससे विश्व में अशान्ति उत्पन्न हो रही है व अराजकतापूर्ण माहौल बन रहा है। राज्यों के समानान्तर अन्य संगठन पनप रहे हैं जो सम्पूर्ण व्यवस्था को चुनौती देकर विश्व में अशान्ति, अव्यवस्था व अराजकता को बढ़ावा दिया जा रहा है,

तथा हिंसा व आतंकवाद सब जगहों पर सर्वोच्चता की स्थिति प्राप्त कर रहा है। विश्व आज हिंसा व आतंकवाद से मुक्ति का उपाय खोजने में लगा हुआ है। हिंसा व आतंकवाद विविध आयामी हो गया है। जिसे रोकने के उपाय भी विविध आयामी ही हो सकते हैं।

भारत के महान मनीषी और कर्मयोगी महात्मा गांधी ने भारत में सदियों से प्रचलित अहिंसा के सिद्धान्त को व्यावहारिक बनाया व इसके माध्यम से विश्वशान्ति का सन्देश दिया। आज जब विश्व हिंसा से त्रस्त है। संगठित हिंसा यानि आंतकवाद आज जब विश्व के निर्दोष लोगों को लील रहा हैं तब गांधी का अहिंसा का सिद्धान्त अधिक सार्थक होता जा रहा है। अहिंसा का सिद्धान्त न्यूटन की खोज से भी अधिक महत्वपूर्ण है।[6] गांधी का अहिंसा का विचार राष्ट्रों की सीमाओं को पार करके अन्तर्राष्ट्रीय हो गया है। इसकी उपयोगिता व महत्व भी अन्तर्राष्ट्रीय हो गये हैं। अहिंसा की जरूरत जितनी आज के व्यक्ति समाज और राष्ट्र को जरूरी है उतनी पहले कभी नहीं थी। आज हमारी संरचना व्यक्ति से लेकर समाज तक और राष्ट्र से लेकर सम्पूर्ण विश्व तक संरचनात्मक हिंसा पर आधारित है।[7] गांधीजी मानव को मूल रूप से हिंसक मानते हैं। राज्य मानव निर्मित संस्था है, अत: राज्य भी हिंसक है, इस कारण गांधीजी राज्य का विरोध करते हैं। हिंसा राज्य की प्रकृति है, राज्य का स्वभाव है। गांधीजी के अनुसार हिंसा से मुक्ति के लिए, राज्य से भी मुक्ति अनिवार्य है। इस प्रकार अहिंसा मात्र एकल सिद्धान्त नहीं है बल्कि बहुआयामी सिद्धान्त है। एक राज्य द्वारा अहिंसा को स्वीकार कर लेने पर भी, यदि दूसरा राज्य हिंसा का प्रयोग करता है तो हिंसा अपरिहार्य हो जाती है। ऐसी स्थिति में अहिंसा तभी सफल है जब इसे सभी राज्य अपनायें, अत: अहिंसा वैश्विक है। विश्व की सुख शान्ति व समृद्धि के लिए गांधीजी द्वारा वर्णित अहिंसा ही समस्त समस्याओं का समाधान कर सकती है। इसलिए भारत के लोग ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व के लोग गांधी के अहिंसा के सिद्धान्त को प्रासंगिक मानते हैं। गांधीजी सम्पूर्ण विश्व को परिवार मानते हुऐ अहिंसा को वैश्विक शान्ति व एकता को सुनिश्चित करने वाली एक अनिवार्य व अपरिहार्य ताकत मानते थे। यह सिद्धान्त देश काल व परिस्थितियों से ऊपर सम्पूर्ण विश्व के कल्याण व उन्नति की कामना करने वाला सिद्धान्त है जो सभी युगों में सार्थक व प्रासंगिक है। इसके महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। महात्मा गांधी के विचार सम्पूर्णता लिये हुऐ है। गांधीजी वैश्विक, सार्वभौमिक सत्यता से पूर्ण, श्रेष्ठ, पूर्ण व सावयव सिद्धान्त को सिद्धान्त व व्यवहार में अपनाये हुऐ थे। गांधीजी के विचारों की एक स्वयं सत्ता है, उनमें पूर्णता व सत्यता है उनमें मानव कल्याण की भावना निहित है। गांधी के विचार अपने आप में पर्याप्त हैं किसी दूसरे पर निर्भर नहीं हैं।

विश्व के विभिन्न देशों में जब भी गांधी जी के किसी सिद्धान्त को व्यवहार में अपनाने की जरूरत पड़ी, बहुत सारे प्रश्न स्वयं ही उपस्थित होने लगे, उनका मूल्यांकन किया जाने लगा। गांधीजी के सम्पूर्ण दर्शन का आधार है-अहिंसा का पालन करके ही सम्पूर्ण गांधी दर्शन को अपनाया जा सकता है। अहिंसा अन्य पक्षों का मूल आधार है। गांधी के अन्य विचार जैसे सत्य स्वदेशी, स्वशासन ट्रस्टीशिप, श्रम साधना आदि को महत्वपूर्ण है तथा विश्व की सम्पूर्ण व्यवस्था को सम्पूर्णता में देख कर, सारे विचारों की सार्थकता में ही अहिंसा की सार्थकता दिखती है।

गांधीजी वैश्विक हैं व उनके विचारों की प्रासंगिकता भी वैश्विक है। गांधी न केवल परम्परा तथा आधुनिकता, बल्कि पूर्व तथा पश्चिम के बीच एक ऐसे सेतु के रूप में उभरे जिसने असत्य व अन्याय को अहिंसा की रणनीति का सहारा लेकर सदा के लिए धराशायी कर दिया। गांधीजी तो ऐसे विशाल समुद्र की तरह थे जिसमें विभिन्न सभ्यताओं, संस्कृतियों, धर्मो, व्यवस्थाओं, परम्पराओं तथा विचारधाराओं का सहज ही सम्मिश्रण हो जाता है।[8] गांधी का अहिंसा का सिद्धान्त समसामयिक विश्व में ही प्रासंगिक नहीं है बल्कि आने वाले समय में भी यह प्रासंगिक बना रहेगा।

सन्दर्भ सूची

1. गाबा, ओ.पी., भारतीय राजनीति विचारक, मयूर पेपर बैक्स, नोएड़ा, 2011, पृ.सं. 182
2. कश्यप, सुभाष, राजनीति कोष, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, अगस्त 2011, पृ.सं. 326
3. गाबा, ओ.बी., पूर्वोक्त, पृ.सं. 183
4. अवस्थी और अवस्थी, भारतीय राजनीतिक चिन्तन, रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2003, पृ.सं. 290
5. चक्रवर्ती, विद्युत, आधुनिक भारतीय राज. चिन्तन, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2012, पृ.सं. 63
6. सुजाता, गांधी की नैतिकता, सर्वसेवा संघ प्रकाशन, राजघाट वाराणसी, 2013, पृ.सं. 13
7. मिश्र, अनिल दत्त, गांधी एक अध्ययन, पीयर्सन, दिल्ली, 2012, पृ.सं. 185
8. गर्ग, पूनम, गांधी की विचारधारा पर पश्चिम का प्रभाव, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 1995, पृ.सं. 103

दौसा जिले में भूमि उपयोग परिवर्तन एवं पर्यावरण का एक भौगोलिक अध्ययन

अभिषेक वशिष्ठ

व्याख्याता, भूगोल

राजकीय स्नातकोत्तर कला महाविद्यालय, दौसा (राज.)

शोध सारांश

भूमि उपयोग परिवर्तन द्वारा पर्यावरणीय स्वरूप में भी परिवर्तन होता है भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए भौतिक एवं आर्थिक स्वरूप का भी योगदान रहा है। भारत में अखिल भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन ने इस दिशा में प्रयास किया है, ग्रामीण भूमि उपयोग वहाँ की जलवायु, उच्चावच, मृदा तथा जनसंख्या घनत्व से प्रभावित एवं नियन्त्रित होता है। भूमि उपयोग सम्बन्धित अभिलेख के आँकडे. जो कि तहसील और जिले पर आधारित होते हैं, भूमि उपयोग सम्बन्धी आंकडों का वर्गीकरण पांच श्रेणियों में कर सकते हैं। जिले में वनों के अन्तर्गत क्षेत्रफल बहुत कम है। वर्ष 2001 में 24465 हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र था जो 2011 में बढ़कर 26183 हेक्टेयर हो गया। विगत 10 वर्षों में 0.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2011 में कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि 9.53 प्रतिशत रही है, वर्ष 2011 में सर्वाधिक भूमि 35.90 प्रतिशत दौसा तहसील में रही है। जबकि सबसे कम 6.82 प्रतिशत महवा तहसील में रही है। अकृषि योग्य भूमि है जिस पर फसलें उत्पादित नहीं होती इसके अन्तर्गत जिले के कुल क्षेत्रफल में से 36948 हेक्टेयर कृषि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग में आने वाले क्षेत्र है, जैसे- आवास, सड़कें, कारखाने स्थापित किये जाते हैं। वर्ष 2001 में पड़त भूमि का कुल क्षेत्रफल 48400 हैक्टेयर एवं 14.21 प्रतिशत था जो वर्ष 2011 में कम होकर केवल 16256 हेक्टेयर (4.76 प्रतिशत) रह गया। पड़त भूमि दो प्रकार की होती है। चालू पड़त भूमि तथा अन्य पड़त भूमि। वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल वर्ष 2001 में 57.12 प्रतिशत था जो बढ़कर वर्ष 2011 में 67.22 प्रतिशत हो गया। कुल कृषित भूमि में शुद्ध बोये गये एवं दो फसल क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। दो फसली क्षेत्र में शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल के उस भाग को सम्मिलित किया जाता है जिसको फसली वर्ष में दो बार फसल बोने के काम लिया जाता है। भूमि उपयोग पर्यावरणीय दृष्टि से दौसा जिला उपयुक्त नहीं है क्योंकि यहां वन क्षेत्र में दस वर्षीय वृद्धि मात्र 0.48 प्रतिशत रही है, जो पर्यावरणीय दशा के अनुकूल नहीं है, इसी प्रकार कृषि अयोग्य भूमि में 0.07 प्रतिशत की कमी हुई है यह भी पर्यावरणीय प्रतिकूलता का प्रतिक है। इसी प्रकार समस्त बोया गया क्षेत्र 32.22 प्रतिशत बढ़ा है यह भी पर्यावरण एवं कृषि की गुणवत्ता के लिए उपयुक्त नहीं है। अत: भूमिउपयोग के उपयोग को सन्तुलित कर पर्यावरणीय सन्तुलन कायम करना बहुत आवश्यक है।

संकेताक्षर : *भूमि उपयोग प्रतिरूप, भूमि उपयोग व पर्यावरणीय सम्बन्ध, पर्यावरणीय सन्तुलन।*

भूमि उपयोग परिवर्तन द्वारा पर्यावरणीय स्वरूप में भी परिवर्तन होता है भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए भौतिक एवं आर्थिक स्वरूप का भी योगदान रहा है इसी उद्देश्य की पूर्णता के लिए दौसा जिले का अध्ययन किया गया है।

शोध उद्देश्य

1. दौसा जिले में भूमि उपयोग के स्वरूप का अभिज्ञान।
2. तहसील वार एवं 2001-2011 के आनुपातिक परिवर्तन का आंकलन करना।

शोध परिकल्पना

1. जनसंख्या वृद्धि का दबाव सर्वाधिक भूमि संसाधन पर रहा है।
2. बढ़ती तकनीकी के द्वारा भूमि उपयोग परिवर्तनशील रहा है।

विधि तन्त्र

प्रकाशित द्वितीय ऑकड़ों को व्यवस्थित कर उद्देश्य हेतु सारणीय द्वारा प्रतिशत मान में कमी व वृद्धि का स्तर प्राप्त कर भौगोलिक अध्ययन में शामिल किया है।

अध्ययन क्षेत्र

दौसा जिले की अक्षांशीय स्थिति 260 22‘ से 270 14‘ तक तथा देशांतरीय स्थिति 760 8‘ से 770 4‘ पूर्वी देशान्तर के मध्य है। 5 तहसीलों से युक्त इस जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 11, 11A व बाणगंगा नदी की उपस्थिति उल्लेखनीय है। दौसा जिले के बसवा, दौसा, लालसोट, सिकराय व महुवा को मानचित्र में दर्शाया गया है। दौसा जिले का कुल क्षेत्रफल 3400 वर्ग किलोमीटर है। यहां की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 16,34,409 व्यक्ति है।

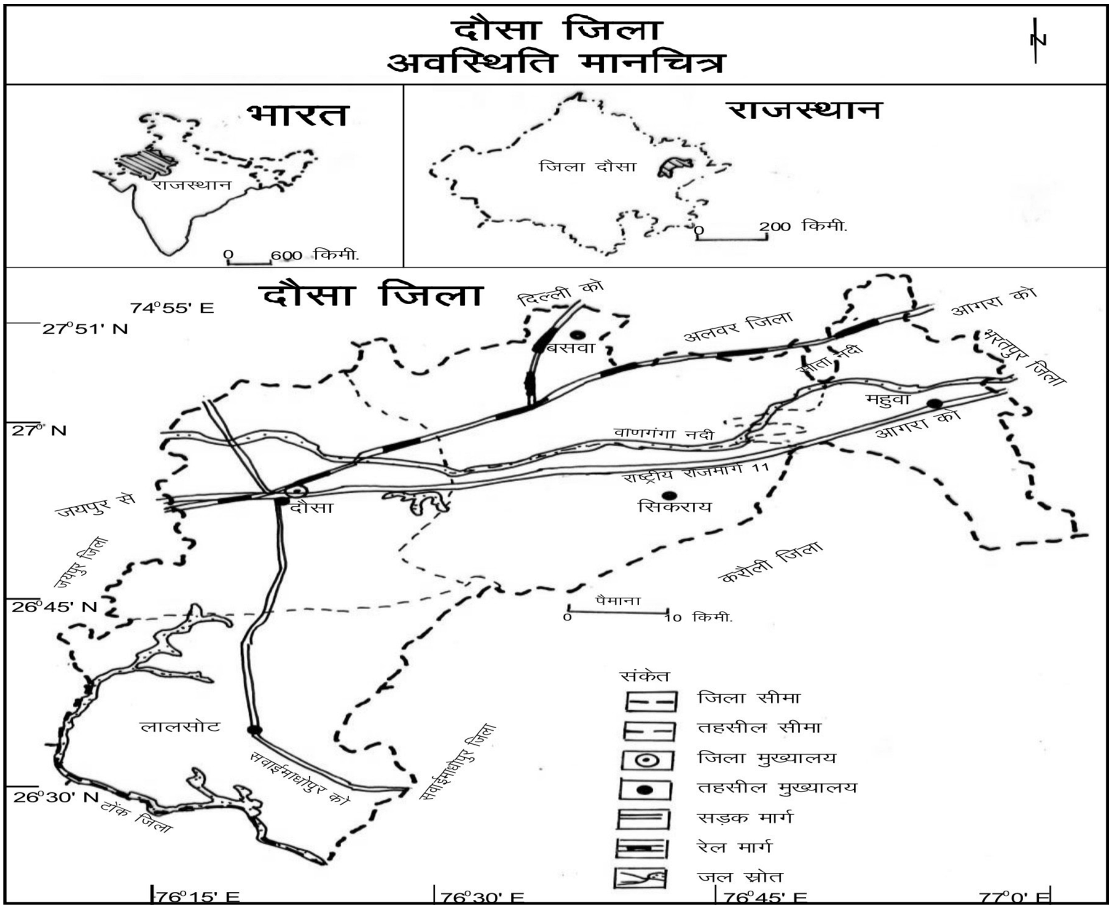

भूमि उपयोग का वर्गीकरण

भारत में अखिल भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन ने इस दिशा में प्रयास किया है, ग्रामीण भूमि उपयोग वहाँ की जलवायु, उच्चावच, मृदा तथा जनसंख्या घनत्व से प्रभावित एवं नियन्त्रित होता है। भूमि उपयोग सम्बन्धित अभिलेख के आँकडे. जो कि तहसील और जिले पर आधारित होते हैं, भूमि उपयोग सम्बन्धी आंकडों का वर्गीकरण पांच श्रेणियों में कर सकते हैं:-

1. वन
2. कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि
3. जोत रहित भूमि, स्थाई चारगाह, अन्य गोचर भूमि, वृक्षों के झुण्ड या बाग बंजर कृषि योग्य भूमि
4. पड़त भूमि, अन्य पड़त भूमि तथा चालू पड़त भूमि
5. कृषि योग्य भूमि

जिले के भूमि उपयोग का अध्ययन इस प्रकार है:-

वन क्षेत्र

जिले में वनों के अन्तर्गत क्षेत्रफल बहुत कम है। तालिका संख्या-1 से स्पष्ट है कि वर्ष 2001 में 24465 हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र था जो 2011 में बढ़कर 26183 हेक्टेयर हो गया। विगत 10 वर्षों में 0.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

तालिका संख्या 1 : दौसा जिला भूमि उपयोग

भूमि उपयोग वर्गीकरण	वर्ष 2001		वर्ष 2011		दस वर्षीय परिवर्तन -/+
	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	प्रतिशत	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	प्रतिशत	
वन	24465	7.19	26183	7.67	0.48
कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि	36061	10.49	32526	9.53	1.06
कृषि अयोग्य भूमि	37082	10.89	36948	10.82	-0.07
पड़ती भूमि	48400	14.21	1626	4.76	9.45
वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल	194468	57.12	229493	67.22	10.10
समस्त बोया गया क्षेत्रफल	26631	82.72	322415	114.94	32.22
दो फसली क्षेत्रफल	87172	44.83	162922	47.72	2.8

स्रोत : कार्यालय जिला कलेक्टर, दौसा-2015

वर्ष 2011 में सबसे अधिक वन क्षेत्र 35.57 प्रतिशत लालसोट तहसील में है, जबकि सबसे कम 8.78 प्रतिशत महवा तहसील में है।

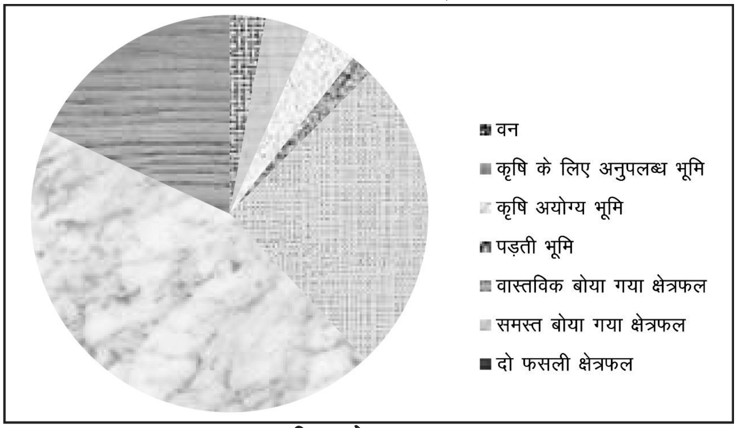

भूमि उपयोग (2011)

कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि:- इस वर्ग के अन्तर्गत वह भूमि है जो कृषि फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके तहत जिले में वर्ष 2001 में 36061 हैक्टेयर भूमि थी जो वर्ष 2011 में घटकर 32526 हैक्टेयर रह गई क्योंकि भूमि पर अतिक्रमण एवं अन्य गैर कृषि कार्यो में ली जाने की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है।

2001में कुल क्षेत्रफल का 10.49 प्रतिशत भाग कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि के अन्तर्गत था। इसी प्रकार वर्ष 2011 में कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि 9.53 प्रतिशत रही है, वर्ष 2011 में सर्वाधिक भूमि 35.90 प्रतिशत दौसा तहसील में रही है। जबकि सबसे कम 6.82 प्रतिशत महवा तहसील में रही है।

विगत दस वर्षो के अध्ययन से स्पष्ट है कि कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि में 1.06 प्रतिशत की कमी हुई है।

अकृषि योग्य भूमि : यह वह अकृषि योग्य भूमि है जिस पर फसलें उत्पादित नहीं होतीं इसके अन्तर्गत जिले के कुल क्षेत्रफल में से 36948 हैक्टेयर कृषि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग में आने वाले क्षेत्र है, जैसे- आवास, सड़कें, कारखाने स्थापित किये जाते हैं जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.82 प्रतिशत है।

वर्ष 2001 में जिले में कृषि के अतिरिक्त अन्य भूमि उपयोग 10.89 प्रतिशत था। जिलें में ऊसर तथा कृषि अयोग्य इस भूमि में फसल का बीज अंकुरित नहीं होता है और पैदावार भी बहुत कम होती है। वर्ष 2001 में जिले में कृषि अयोग्य भूमि सबसे अधिक 26.30 प्रतिशत दौसा तहसील में थी, जबकि सबसे कम 11.90 प्रतिशत महवा में थी।

वर्ष 2011 में सबसे अधिक कृषि अयोग्य भूमि भी 28.55 प्रतिशत दौसा तहसील में थी, जबकि सबसे कम 12.42 प्रतिशत महवा तहसील में थी।

पड़त भूमि

अध्ययन क्षेत्र दौसा जिलें में वर्ष 2001 में पड़त भूमि का कुल क्षेत्रफल 48400 हेक्टेयर एवं 14.21 प्रतिशत था जो वर्ष 2011 में कम होकर केवल 16256 हेक्टेयर (4.76 प्रतिशत) रह गया। पड़त भूमि दो प्रकार की होती है। चालू पड़त भूमि तथा अन्य पड़त भूमि।

वास्तविक बोया गया क्षेत्र

सरकारी आँकड़ों के अनुसार जिले में 322415 हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल वर्ष 2001 में 57.12 प्रतिशत था जो बढ़क़र वर्ष 2011 में 67.22 प्रतिशत हो गया। जिले में वर्ष 2001 में 19448 हेक्टेयर भूमि में कार्य कृषि किया गया है, जिसमें सिंचित व असिंचित दोनों प्रकार के कृषि क्षेत्र सम्मिलित हैं।

वर्ष 2001 में सबसे अधिक बोया गया क्षेत्र 24.45 प्रतिशत लालसोट में था, जबकि सबसे कम 16.23 प्रतिशत सिकराय तहसील में था। वर्ष 2011 में सबसे अधिक वास्तविक बोया गया क्षेत्र 25.92 दौसा तहसील में ही था जबकि सबसे कम 14.58 प्रतिशत सिकराय तहसील में था।

समस्त बोया गया क्षेत्र

कुल कृषित भूमि में शुद्ध बोये गये एवं दो फसल क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। दौसा जिले के समस्त बोये गये क्षेत्र का प्रतिशत वर्ष 2001 के अनुसार 82.70 प्रतिशत था। यह प्रतिशत 114.94 रहा। विगत 10 वर्षो के अध्ययन में इसमें 32.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि सिंचाई एवं कृषि सुविधाओं में वृद्धि होने से हुई है।

तहसीलवार अध्ययन के अन्तर्गत वर्ष 2001 में सर्वाधिक क्षेत्र 75667 हेक्टेयर लालसोट तहसील में था जो कुल जिले का 26.86 प्रतिशत था तथा सबसे कम क्षेत्र 48489 हेक्टेयर भूमि दौसा तहसील में थी, यह कुल क्षेत्र का 17.22 प्रतिशत था।

दो फसली क्षेत्र- इस श्रेणी में शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल के उस भाग को सम्मिलित किया जाता है जिसको फसली वर्ष में दो बार फसल बोने के काम लिया जाता है।

अध्ययन क्षेत्र में दो फसली क्षेत्र वर्ष 2001 में 87172 हेक्टेयर था जो मात्र 44.83 प्रतिशत था, जबकि यह वर्ष 2011 में बढ़कर 162922 हेक्टेयर हो गया जो 47.72 प्रतिशत था। विगत 10 वर्षो में इसमें 2.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अत: अध्ययन से स्पष्ट है कि भूमि उपयोग पर्यावरणीय दृष्टि से दौसा जिला उपयुक्त नहीं है क्योंकि यहां वन क्षेत्र में दस वर्षीय वृद्धि मात्र 0.48 प्रतिशत रही है, जो पर्यावरणीय दशा के अनुकूल नहीं है, इसी प्रकार कृषि अयोग्य भूमि में 0.07 प्रतिशत की कमी हुई है यह भी पर्यावरणीय प्रतिकूलता का प्रतीक है। इसी प्रकार समस्त बोया गया क्षेत्र 32.22 प्रतिशत बढ़ा है यह भी पर्यावरण एवं कृषि की गुणवत्ता के लिए उपयुक्त नहीं है। अत: भूमि उपयोग के उपयोग को सन्तुलित कर पर्यावरणीय सन्तुलन कायम करना बहुत आवश्यक है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. शर्मा, एच.एस., एवं शर्मा एम.एल., राजस्थान का भूगोल, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2006
2. महावर, गोपीलाल एवं प्रसाद, रामा, राजस्थान में भूमि उपयोग का भौगोलिक विश्लेषण ऑनाल्स राजस्थान ज्योग्राफीकल एसोशियशन अंक XXVII 2010 पृ.सं. 210-217
3. जिला सांख्यिकीय रूपरेखा (2001-2011)
4. गुर्जर, आर.के. एवं जाट, बी.सी., मानव भूगोल, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2014
5. कौशिक, एस.डी. एवं गर्ग, कुलदीप, संसाधन एवं पर्यावरण रस्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ, 2006
6. गुप्ता, पी.एल., जयपुर जिले में कृषि का आधुनिकीकरण अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, भूगोल विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, 1991
7. महावर, गोपीलाल, दौसा जिला राजस्थान में नगरीकरण की प्रवृत्ति, अनॉल्स दी राजस्थान ग्राफीकल एसोसिएशन, अंक-33, पृ.सं. 154-158

तेलंगाना के निर्माण का घटनाक्रम

पूनम अग्रवाल

शोधार्थी

राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)

शोध सारांश

इस शोधपत्र में तेलंगाना राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का विशद् विवरण दिया गया है। तेलंगाना राज्य की माँग के लिए अनेक वर्षो से आंदोलन चला परंतु राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना यह माँग सिर्फ माँग ही बनी रही। 2013 में तत्कालीन राजनीतिक समीकरणों और अनुमानों के कारण लगभग सभी संबंधित राजनीतिक दल जिनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रमुख राष्ट्रीय दल सम्मिलित थे, सहमत हुए और तेलंगाना राज्य के निर्माण के लिए अनुकूल राजनीतिक परिस्थितियाँ बनीं। कांग्रेस कार्यकारी समिति के प्रथम कदम के साथ ही राजनीतिक दलों में श्रेय की होड़ मच गई और शेष आंध्र प्रदेश में विरोध की प्रबल लहरें उठीं जिनको संबंधित सांसदों और विधायकों का समर्थन भी मिला। मंत्री समूह का गठन कर प्रतिक्रियाओं का समाधान करने का प्रयास किया। केंद्रीय केबिनेट के विधेयक को प्रदेश विधानमंडल की विधायिका कार्यवाही में पारित कर दिया गया। संसदीय सदनों में विधेयक पारित कर माननीय राष्ट्रपति को अनुमोदन के लिए भिजवाया गया और अंत में गजट प्रकाशन के साथ ही भारत का 29वाँ राज्य तेलंगाना अस्तित्व में आ गया।

संकेताक्षर : *ऐतिहासिक, स्थानीय मुद्दे, सीमान्ध्र आन्दोलन, मन्त्री समूह, विधिवत घोषणा*

भारत संघ में नवीन राज्यों का निर्माण एक संवेदनशील प्रकरण रहा है। विभिन्न राज्य पुनर्गठन आयोगों के गठन से कतिपय नवीन राज्य अस्तित्व में आए परंतु नवीन राज्यों की माँगें अनवरत बनी रहीं। 2013 में तत्कालीन राजनीतिक समीकरणों और अनुमानों के कारण लगभग सभी संबंधित राजनीतिक दल जिनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रमुख राष्ट्रीय दल सम्मिलित थे, सहमत हुए और तेलंगाना राज्य के निर्माण के लिए अनुकूल राजनीतिक परिस्थितियाँ बनी। कांग्रेस कार्यकारी समिति ने 30 जुलाई 2013 को पृथक तेलंगाना राज्य की स्थापना के लिए एक निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया। समिति ने यह भी आश्वासन दिया कि शेष क्षेत्रों के लोगों से जुड़े हुए पानी और बिजली संसाधनों के वितरण से संबंधित मसलों पर भी पूरा विचार किया जाएगा। विभाजन के निर्णय के बाद सीमान्ध्र आंदोलन के तहत नवीन विरोध प्रदर्शन प्रारंभ हो गए। टीआरएस ने इस निर्णय का स्वागत किया और इसके मुखिया के चंद्रशेखर राव ने कहा कि उनके दल को हैदराबाद के संयुक्त राजधानी होने के बिन्दु पर कोई आपत्ति नहीं है। इस कदम को आईएनसी के ऐसे प्रयास को तौर पर देखा गया जिसमें रायलसीमा और तटीय क्षेत्रों में वाईएसआर कांग्रेस द्वारा सीमान्त कर दिए जाने के कारण आम और प्रांतीय चुनावों के लिए कांग्रेस में टीआरएस का विलय किया जा सके। एक भाजपा राज्य इकाई के नेता ने तो इस कदम का पूरा श्रेय ही गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को दे दिया क्यों कि उनकी नजर में कांग्रेस ने यह कदम 11 अगस्त को मोदी की हैदराबाद में यात्रा को देखते हुए लिया था। भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने इसे दबाव में लिया गया फैसला करार दिया और उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी तेलंगाना और विदर्भ राज्यों के गठन का समर्थन करती है। उन्होंने माँग की कि गोरखालैंड और बोड़ोलैंड जैसे नवीन राज्यों की माँग को देखते हुए द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना शीघ्र की जाए। हम अब माँग करते हैं कि सरकार को इसकी नियुक्ति करनी चाहिए और विशेष समयसीमा में इसका प्रतिवेदन माँगा जाना चाहिए। अनेक दलों और राजनीतिज्ञों जिनमें रायलसीमा क्षेत्र से संबद्ध मुख्यमंत्री ने भी विधेयक का विरोध किया। कुछ ने इसे अलोकतांत्रिक बताया। फिर भी अगले चुनावों में कांग्रेस और वाईएसआरसीपी पूर्व आंध्र प्रदेश के सभी तीनों क्षेत्रों में साफ हो गई।

इस निर्णय के बाद गोरखालैंड की माँग के साथ गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने अनिश्चित कालीन हड़ताल कर विरोध व्यक्त किया। जीजेएम के अध्यक्ष बिमल गुरुंग ने पश्चिमी बंगाल सरकार पर इस स्वायत्तता में दखल देने का आरोप लगाते हुए और गोरखालैंड की माँग करते हुए गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन से इस्तीफा दे दिया। मीडिया के माध्यम से भी ऐसे अनुमान सामने आए कि इस प्रकार के अन्य आंदोलन भी जोर पकड़ सकते हैं, जैसे कि बुंदेलखंड के लिए बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा। इसी बीच राष्ट्र के गृहमंत्री ने विचार व्यक्त किये कि प्रस्तावित क्षेत्रों में विकास की कमी और छत्तीसगढ़ के बस्तर एवं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली क्षेत्रों में आतंकवाद प्रभावी इलाकों से तेलंगाना की नजदीकियों के कारण तेलंगाना में और भारतीय साम्यवादी पार्टी (माओवादी) में नक्सलवाद बढ़ सकता है यदि सरकार के जरूरी कदम नहीं उठाए।

तेलंगाना के निर्माण में प्रारंभिक 2014 तक अपेक्षित अगले कदम निम्न थे – राष्ट्रीय केबिनेट अपनी योजना भारत के राष्ट्रपति और आंध्र प्रदेश विधानमंडल से साझा करे। प्रधानमंत्री वित्त और जल वितरण संबंधी मामलों के लिए तीनों क्षेत्रों से नेताओं के बीच सर्वसम्मति के लिए एक समिति का गठन करे। इसके बाद दोनों संसदीय सदन तेलंगाना के गठन के लिए प्रस्ताव पारित करें।[1]

तेलंगाना राज्य के लिए केबिनेट की स्वीकृति

3 अक्टूबर 2013 को केंद्रीय केबिनेट ने नवीन राज्य तेलंगाना के निर्माण पर मोहर लगा दी। नवीन राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के मध्य मुद्दों के समाधान के लिए एक मंत्री समूह बनाया गया। हैदराबाद 10 वर्षो तक साझा राजधानी रहेगा, उसके बाद इस पर केवल तेलंगाना का दावा रह जाएगा, गृह मंत्री ने कहा।

8 अक्टूबर को हाल ही में सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक दिनेश रेड्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने उन पर दबाव बनाया कि वे एक सार्वजनिक बयान जारी करें कि तेलंगाना राज्य के निर्माण से माओवादी गतिविधियों में इजाफा होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें जुलाई के अंत में तेलंगाना प्रस्ताव के लिए कांग्रेस कार्यकारी समिति के गठन से पूर्व सीमान्ध्र में अपेक्षित आंदोलन को देखते हुए अतिरिक्त केंद्रीय बल बुलाने के लिए प्रताड़ित किया।

मंत्रीसमूह का गठन

भारत सरकार ने तेलंगाना राज्य के निर्माण के दौरान आने वाली सभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार स्तर की समस्याओं के समाधान के लिए केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे के अगुवाई में मंत्री समूह का गठन किया। जीओएम की प्रथम बैठक 11 अक्टूबर को हुई और 16 अक्टूबर को इसने इसकी संदर्भ शर्तो से संबंधी दस्तावेज जारी किए। जीओएम की दूसरी बैठक 19 अक्टूबर को हुई जिसमें विभाजन के संबंधित भिन्न-भिन्न मुद्दों के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा तैयार पृष्ठभूमि टिप्पणियों पर विचार किया गया। इसने 5 नवंबर से पूर्व संदर्भ की विशिष्ट शर्तो पर जनता से सुझाव भेजने को कहा। 29 अक्टूबर को जीओएम के लिए गृह मंत्रालय द्वारा तैयार पृष्ठभूमि टिप्पणियाँ मीडिया में आ गईं। 30 अक्टूबर को केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने विभाजन से जुड़े मुद्दों पर बहस के लिए राज्य की राष्ट्रीय और प्रांतीय पार्टियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया और एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। राज्य की मुख्य 8 पार्टियों को लिखे गए एक पत्र में गृह मंत्रालय द्वारा कहा गया कि 5 नवंबर तक सभी दल अपने सुझाव जीओएम को प्रस्तुत करदें, उसके पश्चात सर्वदलीय बैठक आयोजित होगी। 13-14 नवंबर को जीओएम विभाजन से जुड़े मुद्दों के बारे में बहस के लिए राज्य की सभी पार्टियों (टीडीपी ने बैठक का बहिष्कार किया) के प्रतिनिधियों से मिला। जीओएम ने तेलंगाना ड्राफ्ट विधेयक को अंतिम रूप देने से पूर्व मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्य के केबिनेट मंत्री और अन्य प्रांतीय नेताओं से बातचीत की।

3 दिसंबर को जीओएम द्वारा रायलसीमा के दो जिलों अनंथपुर और कुरनूल को तेलंगाना राज्य में शामिल करने की चर्चा की तेलंगाना समर्थक समूहों ने आलोचना की। टीआरएस और जेएसी ने 5 दिसंबर 2013 को तेलंगाना वृहत बंद की घोषणा की जिसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली।

5 दिसंबर 2013 की शाम केबिनेट ने जीओएम द्वारा निर्मित तेलंगाना ड्राफ्ट विधेयक को मंजूरी दे दी। अब संघ के 29वें राज्य बनने से पूर्व केवल संसद की स्वीकृति ही शेष रही।[2]

विधायिका कार्यवाही

6 दिसंबर 2013 : भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रपति को तेलंगाना ड्राफ्ट विधेयक भेजा।

11 दिसंबर 2013 : भारत के राष्ट्रपति ने विधेयक पर विचार किया और इसे आंध्र प्रदेश विधानसभा को भेज दिया ताकि उनके विचार जाने जा सके। इसके लिए 23 जनवरी तक की अवधि दी गई। केंद्रीय गृहमंत्रालय के संयुक्त सचिव ने अगले ही दिन स्वयं जाकर विधानसभा सचिवालय को विधेयक सौंपा।[3]

16 दिसंबर 2013 : विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने तेलंगाना विधानसभा में तेलंगाना ड्राफ्ट विधेयक पेश किया। इसका सीमान्ध्र के विधायकों ने जबरदस्त विरोध किया।

17 दिसंबर 2013 : विधानसभा की कार्यवाही में बाधा आई। राज्य विधानसभा की व्यापार सलाहकार समिति ने आगामी दिन

इस विधेयक पर विचार करने का फैसला लिया। इसके कारण मिश्रित प्रतिक्रियाएँ आई और ऐसे आरोप भी लगे कि इस प्रक्रम को विलंबित कर सीमान्ध्र के नेता इसे विफल करने की राजनीति कर रहे हैं।

18-19 दिसंबर 2013 : विधानसभा की कार्यवाही बाधित रही जिसके कारण परिस्थितिजन्य आधार पर नदेन्दला मनोहर, विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 3 जनवरी तक स्थगित कर दी। इसका तेलंगाना के विधायकों ने विरोध किया। तेलंगाना और सीमान्ध्र के नेता राष्ट्रपति से मिले और एक दूसरे के विरुद्ध शिकायत की कि किस प्रकार तेलंगाना विधेयक के साथ व्यवहार किया जा रहा है।[4]

1 जनवरी 2014 : अगले विधानसभा सत्र के प्रारंभ होने से दो दिन पूर्व, मुख्यमंत्री ने डी श्रीधरबाबू के स्थान पर एस शैलजानाथ की नियुक्ति कर दी। इसकी कड़ी आलोचना की गई क्यों कि श्रीधरबाबू तेलंगाना के थे जबकि शैलजानाथ सीमान्ध्र आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। इसके विरोध में श्रीधर बाबू ने केबिनेट से इस्तीफा दे दिया।

3-4 जनवरी 2014 : परिस्थितियाँ विफल हो गई क्यों कि विधानसभा सत्र बाधित ही रहे।

6 जनवरी 2014 : कोलाहल के बीच विधानसभा सत्र जारी रखने में नाकामयाब रहने के बाद विधानसभाध्यक्ष ने सदस्यों से 10 जनवरी तक विधेयक के उपच्छेदों हेतु, यदि कोई है तो, लिखित सुधार प्रस्तुत करने का निवेदन किया।

8 जनवरी 2014 : आखिरकार विधेयक को चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया गया। फिर भी, कुछ मिनटों के बाद ही वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने फिर से विरोध प्रारंभ कर दिया।

9 जनवरी 2014 : वाईएसआर के विधायकों के निलंबन के बाद ही चर्चा शुरु हो पाई। जहाँ क्षेत्रीय सीमाओं पर ध्रुवीकरण की स्थिति थी, बहस जल्दी ही राज्य विभाजन के मसले पर आरोप-प्रत्यारोप में बदल गई क्यों कि प्रत्येक दल ने दूसरे दल पर हावी होने के प्रयास के आरोप जड़ दिए। सीमान्ध्र के कांग्रेस नेता और मंत्री वट्टी वसंत कुमार ने तेलंगाना विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि राज्य का विभाजन सीमान्ध्र के हितों के खिलाफ है। 10 जनवरी को, जब वाईएसआरसीपी के सदस्यों ने पलायन किया उसके बाद ही बहस प्रारंभ हुई। टीआरएस के नेता ई राजेन्द्र ने तेलंगाना विधेयक का समर्थन करते हुए लंबा भाषण दिया तथा बताया कि तेलंगाना के लोग किस प्रकार पीड़ित हैं और आंदोलन का इतिहास क्या है। सीपीआई के सदन के नेता जी मल्लेश, तेलंगाना के कांग्रेस नेता और सरकारी मुख्य व्हिप गंद्र वेंकरमन्ना रेड्डी ने तेलंगाना विधेयक का समर्थन किया। सदन की कार्यवाही 17 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई। 17 जनवरी के बाद बहस के दौरान कम बाधाएँ आईं। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति से एक सप्ताह का अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया जिसका तेलंगाना के नेताओं ने विरोध किया। 23 जनवरी को राष्ट्रपति ने एक सप्ताह की अवधि बढ़ा दी ताकि विधानसभा 30 जनवरी तक तेलंगाना ड्राफ्ट विधेयक पर अपने विचार प्रस्तुत कर सके।

23-25 जनवरी 2014 : मुख्यमंत्री ने विश्लेषणात्मक रूप से बताया कि कैसे विभाजन दोनों ही क्षेत्रों के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने तेलंगाना में वर्तमान सिंचाई परियोजनाओं और तेलंगाना के किसानों को बेहतर छूट वाली बिजली के मुद्दे भी गिनाए। तेलंगाना के विधायकों ने मुख्यमंत्री की खिल्ली उड़ाई और प्रति तर्क का अवसर न दिए जाने का आरोप लगाते हुए कार्यवाही में बाधा पैदा की। बाद में मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि उनके विचार में आन्ध्र पुनर्गठन विधेयक-2013 में खामियाँ हैं। अन्य सदस्यों ने इसे बेवजह देर करने के लिए उठाया हुआ कदम करार दिया।[5]

27 जनवरी 2014 : मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने विधानसभाध्यक्ष को सूचना दी और तेलंगाना विधेयक को निरस्त करने के लिए प्रस्ताव लाया जाने का अनुरोध किया। इस कदम का मंत्रियों और उप मुख्यमंत्री सहित तेलंगाना के विधायकों ने यह कहते हुए विरोध किया कि इस विषय पर केबिनेट को विश्वास में नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि यह केंद्रीय मंत्रिमंडल और भारतीय संविधान की अवज्ञा करने के समकक्ष है। इसके बाद विधानसभा में कोई बहस संभव नहीं हो सकी क्यों कि तेलंगाना के सदस्यों ने अध्यक्ष पर जोर डाला कि मुख्यमंत्री के नोटिस को रद्द किया जाये।

30 जनवरी 2014 को आंध्र प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने घोषणा की कि विधानसभा ने बहस पूरी कर ली है और सभी सदस्यों ने अपने विचार रख दिए हैं। उन्होंने कहा कि वे उन तमाम 9072 सुझावों और सुधारों के संग्रह को भारत के राष्ट्रपति के पास भिजवायेंगे जो उन्हें सदस्यों से लिखित में प्राप्त हुए हैं। इसमें वे 87 सदस्य भी शामिल हैं जो सदन में इस विधेयक पर बोले थे। उसके बाद उन्होंने आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को निरस्त करने के प्रस्ताव के मुख्यमंत्री के नोटिस को स्वीकार कर लिया और तेलंगाना विधायकों के विरोध और शोर-शराबे के बीच सदन में विधायकों की सहमति माँगे बगैर ही प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित हो जाने की घोषणा कर दी। दिन की शुरुआत में सीमान्ध्र के सदस्य सदन के वेल तक पहुँच गए और उन्होंने माँग की कि मुख्यमंत्री द्वारा रखा गया प्रस्ताव केबिनेट की सहमति के बिना ही मतदान के लिए स्वीकार कर लिया जावे जबकि तेलंगाना क्षेत्र के विधायकों, मंत्रियों और उप मुख्यमंत्री ने वेल में पहुँचकर माँग

की कि कोई मत विभाजन नहीं होना चाहिए। 11.30 बजे सायं, एक सोची समझी रणनीति के तहत विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और सीमान्ध्र के विधायकों ने वेल में जाकर अध्यक्ष के चारों ओर एक मानव दीवार बनाली फिर मनोहर ने प्रस्ताव को पढ़ा, ध्वनिमत के लिए रखा और इसे पारित हुआ घोषित कर दिया। विधेयक पुन: राष्ट्रपति को भिजवाना था ताकि इसे संसद में सदन पटल पर रखा जा सके। प्रस्ताव सदन में रखा गया और केवल 15 सेकण्ड में ही पारित हो गया। विश्लेषकों ने कहा कि तेलंगाना विधेयक का निरसन वैध नहीं था और केवल राजनीतिक लाभ के लिए उठाया गया कदम था। केंद्रीय केबिनेट मंत्री जयपाल रेड्डी ने कहा कि विधानसभा में तेलंगाना विधेयक को निरस्त करने का प्रस्ताव बेईमानी से पारित किया गया था अत: इसकी कोई वैधानिक अथवा राजनीतिक पवित्रता नहीं है। कांग्रेस दल के महामंत्री और पार्टी के आंध्र प्रदेश के लिए प्रभारी दिग्विजय सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति ने विधानसभा में विधेयक मत विभाजन की मनसा से नहीं भिजवाया था और कहा कि कांग्रेस आलाकमान और केंद्र आने वाले सत्र में संसद में तेलंगाना विधेयक को पेश करने और पारित करने की अपनी योजना पर अमल करेंगे।

4 फरवरी को, जीओएम ने राज्य विधानसभा से मिले कुछ सुझावों के आधार पर कुछ सुधार कर तेलंगाना विधेयक को पारित कर दिया।[6]

7 फरवरी को केंद्रीय केबिनेट ने तेलंगाना विधेयक पारित किया और 32 सुधारों के साथ संसद के उच्च सदन में इस विधेयक को पेश करने की योजना रखी। सुधारों में सीमान्ध्र की समस्याओं के समाधान के लिए वित्तीय पैकेज का विवरण भी शामिल था।

13 फरवरी को, तेलंगाना विधेयक लोकसभा, संसद के निम्न सदन में केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सीमान्ध्र के सांसदों के विरोध और बाधाओं के बावजूद पेश किया। अप्रत्याशित घटनाक्रम में, सीमान्ध्र सांसद लगदपति राजगोपाल ने लोकसभा में विधेयक को पेश करने के दौरान काली मिर्च के स्प्रे का प्रयोग कर दिया जिसके कारण सभी सदस्यों को सदन छोड़ना पड़ा और कुछ सदस्य अस्पताल में भी भर्ती हुए।

18 फरवरी 2014 : कांग्रेस और भाजपा के सहयोग से लोकसभा में तेलंगाना विधेयक पारित हो गया। सदन की कार्यवाही के प्रसारण में ध्वनिमत के दौरान गतिरोध आया। इसके कारण जिस तरीके से विधेयक पारित किया गया, उसकी चारों ओर आलोचना हुई।

20 फरवरी 2014 : भाजपा के समर्थन से तेलंगाना विधेयक राज्यसभा में भी पारित हो गया। विधेयक को राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल गया और 1 मार्च 2014 को इसे गजट में प्रकाशित कर दिया गया। 4 मार्च 2014 को भारत सरकार ने घोषणा की कि 2 जून तेलंगाना गठन दिवस होगा। तेलंगाना भारत संघ का 29 वाँ राज्य होगा और हैदराबाद इसकी राजधानी होगी। दोनों राज्य दस वर्ष तक साझा राजधानी रखेंगे उसके बाद सीमान्ध्र की पृथक राजधानी होगी। फिर भी हैदराबाद से अर्जित राजस्व पर केवल तेलंगाना का अधिकार होगा। हालांकि तेलंगाना विधेयक में इसका जिक्र किया गया था परंतु सीमान्ध्र को कोई विशेष दर्जा नहीं दिया गया।[7]

निष्कर्ष

भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् भाषा और संस्कृति के आधार पर अनिच्छा के बावजूद कुछ राज्यों का निर्माण हुआ। सही अर्थों में विशाल राजनीतिक सोच और आर्थिक विकास के पैमाने को नजरअंदाज ही किया गया। ऐतिहासिक और स्थानीय मुद्दों के कारण तेलंगाना के निर्माण का राजनीतिक प्रयास बड़े राष्ट्रीय दलों के लिए जहाँ साँप-छछूँदर की गति की स्थिति पैदा कर रहा था वही स्थानीय राज्य दल तेलंगाना की माँग का समर्थन और विरोध स्वयं के अस्तित्व की लड़ाई के लिए कर रहे थे। टीआरएस इस परिस्थिति का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है। 3 अक्टूबर 2013 में केंद्रीय केबिनेट के द्वारा लाए गए तेलंगाना विधेयक के बाद 1 मार्च 2014 तक तेलंगाना राज्य की विधिवत् घोषणा तक सभी विधायी प्रक्रियाओं का इतने कम समय में संपन्न हो जाना और राजनीतिक लाभ के लिए सभी दलों का समवेत होना कई शंकाओं को जन्म देता है और अवाँछित परंतु अपरिहार्य नवीन चुनौतियों की संभावना को प्रबल बनाता है।

संदर्भ सूची

1. भूषण, एम. भारत एवं वेनुगोपाल, एन., तेलंगाना : ए स्टेट ऑव अफेयर्ज, श्रीधरन मार्ट हाऊस हैदराबाद, 2014, पृ.सं. 223
2. दक्कन क्रोनिकल, 6 दिसंबर 2013, सिक्रेट टी-रिपोर्ट इन सील्ट कवर
3. द हंस इंडिया, 16 दिसंबर 2013
4. दक्कन क्रोनिकल, 20 दिसंबर 2013, सीमान्ध्र क्लैशिज विद तेलंगाना: द इनसाइड स्टोरी
5. नाग, किंगशुक, बैटलग्राउंड तेलंगाना: क्रोनिकल ऑव एन एजिटेशन, दक्खन पब्लिशर्स हैदराबाद, 2014, पृ.सं. 132
6. द हिन्दू, 4 फरवरी 2014, तेलंगाना बिल : फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्ज
7. रेड्डी, इन्नैय्या एन., राजाकीयालु इन प्रसरिथा संख्या 913 जनवरी-मार्च 2014 पृ.सं. 240

भारतीय दर्शन परम्परा में मोक्ष की अवधारणा

अपेक्षा मीणा

व्याख्याता संस्कृत

बा.भ.दा.राजकीय महाविद्यालय, चिमनपुरा (शाहपुरा), जयपुर (राज.)

शोध सारांश

वेद भारतीय संस्कृति का मूल स्त्रोत एवं प्राणिमात्र की सबसे प्राचीन ज्ञान की निर्झरणी है। वेदों में ज्ञान भरा पड़ा है। ये मन्त्रों का संकलन संस्कृति के संवर्धन, संरक्षण का अनुपम ग्रन्थ है। भारतीय संस्कृति के संवाहन, अलौकिक क्रियाओं की महिमा का प्रतिपादन है। भारतीय दर्शन में चार पुरुषार्थ की अवधारणा का विशिष्ट महत्त्व है, जिसमें मोक्ष का विशिष्ट स्थान है। मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा गया है। आनन्दवाद की स्थिति एवं परमसत्ता के साथ एकाकार की स्थिति आत्मा-परमात्मा के मिलन की चरम अवस्था मोक्ष की पहली सीढ़ी है। वेद, षड्दर्शन, रामायण, महाभारत, उपनिषद्, ब्राह्मण ग्रन्थों में मोक्ष की अवधारणा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से व्याप्त है। इस प्रकार कर्मवाद एवं अध्यात्मवाद मोक्ष के उत्तमशिखर ध्वजा तक पहुंचने का एक अभिनव मार्ग है।

संकेताक्षर : *परम पुरुषार्थ, निर्वाण, अपवर्ग, आत्मज्ञान, कर्म योग*

वेद इस पृथ्वी पर प्राणिमात्र की सबसे प्राचीन उपलब्ध रचना है। वेद भारतीय दर्शन के प्राचीनतम प्रमाण हैं। भारतीय संस्कृति के मूलस्रोत होने के नाते वेदों का सर्वाधिक महत्त्व है। वेद ज्ञान के बहुमूल्य भण्डार हैं और हमारे विश्वास और विचारों के प्रमुख आधार हैं, क्योंकि यह अनादिकाल से गुरु-शिष्य की परम्परा में अलिखित रूप में सुरक्षित रहा है। वेदों में मन्त्रों का संकलन है। आज भी हिन्दुओं के प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान का प्रारम्भ वेद-मन्त्रों के उच्चारण से किया जाता है। ''वेद ज्ञान के श्रेष्ठ भण्डार हैं पाश्चात्य विद्वान् विल्सन के शब्दों में ''प्राचीन विचारधारा में जो कुछ महत्त्वपूर्ण है, वेद हमें उन सबके विषय में पर्याप्त सूचना देते हैं।'' वस्तुत: वेददर्शन, धर्म, कर्मकाण्ड एवं विज्ञान आदि विषयों के आदि स्रोत हैं। वेदों में लौकिक-अलौकिक सभी विषयों का ज्ञान उपलब्ध है। वेद मानव ज्ञान के प्राचीनतम अभिलेख हैं। वेदों के विषय में स्वामी दयानन्द ने कहा ''जिसके द्वारा अथवा जिसमें सब मनुष्य समग्र, सत्य विधाओं को जानते हैं, प्राप्त करते हैं और विद्वान् होते हैं, वह वेद है।''

भारतीय दार्शनिक चिन्तन प्रक्रिया को उसकी विशिष्टता एवं मौलिकता की प्राप्ति कुछ मूल प्रत्ययों से प्राप्त होती है, जिनका मूल स्रोत वेद रहे हैं। वेदों को भारतीय दर्शन में जो प्राधान्य प्राप्त है वह अतर्कनिष्ठ नहीं है। वेदों को प्रमाण मानना ऋषियों यानि तत्त्वविदों की तर्कातीत अपरोक्षानुभूति को प्रमाण मानना है। अपरोक्षानुभूति का स्थान तर्क से ऊँचा है। इस प्रकार भारतीय दर्शन का आधार अपरोक्षानुभूति के अनुसार चलने वाला तर्क है और उसका लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना है।

वेदों के प्रामाण्य एवं अप्रमाण्य के आधार पर भारतीय दर्शन आस्तिक एवं नास्तिक दो रूपों में विभाजित किया जाता है। आस्तिक दर्शनों के अन्तर्गत सांख्य, योग, न्याय-वैशेषिक, वेदान्त एवं कर्म मीमांसा आते हैं। उसी प्रकार नास्तिक दर्शनों में जैन, बौद्ध एवं चार्वाक दर्शन सम्मिलित हो जाते हैं।

मोक्ष की अवधारणा प्राय: सभी भारतीय दर्शनों में पायी जाती है। मनुष्य के लौकिक और व्यावहारिक उभयत: जीवन जीवन की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए प्राचीन भारतीय मनीषियों ने पुरुषार्थ-चतुष्टय अर्थात् चार पुरुषार्थो के सिद्धान्त को जन्म दिया है। धर्म, अर्थ,काम एवं मोक्ष में से मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा गया है। सब प्रकार के माया एवं अज्ञानजनित बन्धनों से मुक्ति या छुटकारा पाना मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। आत्मा जिसे स्वरूपत: नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त एवं आनन्दस्वरूप माना गया है व इसके स्वरूप को जानना परमावश्यक है। दु:खों से निवृत्ति तथा शाश्वत आनन्द की प्राप्ति को ही मोक्ष कहते हैं।

व्युत्पत्ति की दृष्टि से मोक्ष शब्द मोक्ष धातु से भाव और करण अर्थ में घञ् प्रत्यय लगाकर निष्पन्न होता है।

शब्दकल्पद्रुम के अनुसार मोक्ष शब्द का निर्वचन है- ''मोक्ष्यते दु:खमनेन'' अर्थात् जिसके द्वारा दु:ख से छुटकारा पाया जाता है। मोक्ष के विभिन्न शब्दों का प्रयोग मिलता है। यथा- मुक्ति, कैवल्य, निर्वाण, नि:श्रेयस्, अमृत, अपवर्ग, अपुनर्भव।

वैदिक संहिताओं में मोक्ष सम्बन्धी धारणा सर्वप्रथम उपलब्ध होती है। वेदों में अमृत एवं अमृतत्व शब्द का बहुधा प्रयोग मिलता है जो मोक्ष के ही अर्थ में प्रयुक्त हैं। मोक्ष को परम पद नाम भी दिया गया है, यहीं विष्णु का परम धाम है, जिस विष्णु के परम पद में मधु अर्थात् अलौकिक आनन्द का स्रोत है। वेद में ऋषियों द्वारा मृत्यु एवं दु:ख बन्धनों से मुक्ति की प्रार्थना की गई है।

सायण ने ऋग्वेद में विष्णु के प्रिय पाथ: को 'अहिनश्वर ब्रह्मलोकम्' कहा व उस परम पद के लिए बताया कि वह केवल सुखात्मक है, जहाँ भूख-प्यास जरामरण एवं पुनरावृत्ति आदि का भय नहीं है तथा जहाँ संकल्प मात्र से ही अमृत भोग प्राप्त हो जाते हैं।''

ब्राह्मण ग्रन्थों में भी अमरत्व के अनेक विचारों का उल्लेख दिखाई देता है। शतपथ-ब्राह्मण में भी कहा गया है कि संसार मृत्युग्रस्त है और यह मृत्यु ही दिन-रात मनुष्यों की आयु को क्षीण करती है। इसलिए इससे छूटने का उपाय मनुष्य को करना चाहिए, मुक्त पुरुष के लिए अमरत्व की कल्पना भी की गई है।

उपनिषदों में मोक्ष की प्राप्ति ही मनुष्य के जीवन का मुख्य ध्येय माना गया है व मोक्ष को परम पुरुषार्थ माना है। बन्धन का विनाश ही मोक्ष है जिसका साधन है ज्ञान। आत्मा और परमात्मा में भेद दृष्टि ही बन्धन का कारण है तथा दोनों में अभेद दृष्टि ही मोख है। श्वेताश्वतर उपनिषद् में कहा गया है कि जीव अपने को और सर्वनियन्ता परमात्मा को अलग-अलग मानकर ही इस महान चक्र में भ्रमण करता रहता है, परन्तु जब उसे जीव और परमात्मा के अभिन्न स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तब वह अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है।

मोक्ष के लिए ब्रह्मात्मतत्व का ज्ञान ही अपेक्षित है। मुण्डकोपनिषद् में बताया गया है कि उस परात्पर परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने पर ह्रदय की ग्रन्थि टूट जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं तथा समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं।

अत: उपनिषदों में अज्ञान को बन्धन का कारण तथा ज्ञान को मोक्ष का साधन कहा गया है व आत्मा-परमात्मा के ऐक्यभाव को ही मोक्ष माना गया है। उपनिषदों के विषय में रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखा है कि ''उपनिषदों में सच्चे सुख की जो कल्पना की गई है, वह मोक्ष का सुख था। वह जीवन और मृत्यु से छुटकारा पाने का सुख था। इस सुख के सामने स्वर्ग सुख को उपनिषदों ने हीन बताया और इस प्रकार लोग स्वर्ग के सामने लौकिक जीवन को भी हीन मानने लगे।

उपनिषदों में स्वर्ग सुख की अपेक्षा मोक्ष के सुख पर अधिक बल दिया गया है। सूत्र ग्रन्थों में भी आत्मज्ञान के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है। आपस्तम्ब धर्मसूत्र में कहा गया है कि आत्मज्ञान के लाभ से बढ़कर कोई अन्य लाभ नहीं है।''

सूत्र ग्रन्थों में भी आत्मा के साक्षात्कार को ही मोक्ष माना गया है किन्तु साथ ही मानव के अपने दोषों के नाश तथा योग द्वारा चित्तशुद्धिपूर्वक आत्मगुणों के विकास पर भी बल दिया गया है जो ब्रह्मलोक की प्राप्ति में सहायक होते हैं।

लौकिक संस्कृत की प्रथम रचना रामायण में भी मोक्ष सम्बन्धी धारणा उपलब्ध होती है। यहाँ मोक्ष के लिए ब्रह्मलोक, निर्वाण, अमृत, नि:श्रेयस आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है। रामायण के अनुसार मोक्ष हो जाने पर सनातन ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। यहाँ मोक्ष को परम गति, उत्तम गति, परम सुख रूप, परमपद तथा क्षय रहित बतलाया गया है।

महाभारत के शान्तिपर्व में मोक्ष एवं मोक्षधर्म सम्बन्धी चर्चा मिलती है। इसमें शुभाशुभ कर्मो के परिणाम, संसार-चक्र, जीवात्मा एवं मुक्ति के साधनों का वर्णन किया गया है। महाभारत में धर्म के पहलुओं के साथ-साथ मोक्ष धर्म को अत्यधिक महत्त्व प्रदान किया गया है। महाभारत में बन्धन के विभिन्न कारण तथा उनके छुटकारा प्राप्त करने के विभिन्न उपायों का वर्णन किया गया है।

श्रीमद्भागवत में इन पुरुषार्थो के सम्बन्ध में युक्तिसंगत दृष्टिकोण दिया गया है, उसका तात्पर्य है कि ''धर्म का उद्देश्य अर्थ या द्रव्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, अपितु अपवर्ग है। अर्थ का लाभ काम की सिद्धि नहीं, अपितु धर्म है। इसी प्रकार काम का उद्देश्य इन्द्रियों की तुष्टि नहीं, अपितु जीवनयापन है और जीवन का प्रयोजन भी तत्वजिज्ञासा है, कर्मो द्वारा अर्थोपार्जन नहीं।'' गीता में सभी जातियों के व्यक्तियों को (स्त्रियों सहित) मोक्ष प्राप्त हो सकता है, यहाँ सभी जाति के व्यक्तियों के लिए मोक्ष द्वार खोल दिये। मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यासी बनना आवश्यक नहीं है। मनुष्य गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बिना फल की इच्छा किये हुए शुभ कर्म करें तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए गीता में सभी मार्गो को स्वीकार किया गया है। गीता के अनुसार कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्ति योग इन तीनों मार्गो पर चलकर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। गीता में किसी भी मार्ग की आलोचना नहीं की गई है।

मनुष्य को कर्म त्याग करने से मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, बल्कि कर्मफल के त्याग करने पर मोक्ष प्राप्त हो सकता है। गीता में कर्मयोग को मोक्ष प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन माना गया है।

जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को अपने पूर्व जन्म के कर्मो का नाश करना चाहिए तथा इस जन्म में कोई नये कर्म नहीं करने चाहिए। इस प्रकार वह मोक्ष प्राप्त कर जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त हो सकता है। जैन नित्य आत्मा में विश्वास करते हैं।

बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने निर्वाण को मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य माना है, जो अष्टांगिक मार्ग को अपनाने से ही संभव है। निर्वाण शब्द का तात्पर्य है 'बुझना'। बौद्ध धर्म के अनुसार व्यक्ति अपनी तृष्णा की अग्नि बुझाकर निर्वाण प्राप्त कर सकता है तथा जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार व्यक्ति इसी जीवन में निर्वाण प्राप्त कर सकता है। बौद्ध आत्मा को विज्ञान प्रवाह के रूप में देखते हैं, अत: आत्मा की नित्यता को तो स्वीकार नहीं करते किन्तु विज्ञान संतान की अविच्छन्नता को अवश्य स्वीकार करते हैं। बौद्ध दर्शन की प्रवृत्ति भी दु:ख की निवृत्ति के लिए हुई है। आचार्य चन्द्रकीर्ति माध्यमिक-कारिका की अपने व्याख्या प्रसन्नपदा में कहते हैं कि ''निर्वाण ही शास्त्र का परम प्रयोजन है, जो सभी प्रपंचों के उपशम रूप शिवस्वरूप है।''

नैयायिक मोक्ष को अपवर्ग कहते हैं। दु:ख से अत्यन्त विमोक्ष अपवर्ग कहलाता है। इस प्रकार मोक्ष दु:ख के पूर्ण निरोध की अवस्था है। इसमें आत्मा और शरीर इन्द्रियों के बन्धन से मुक्त होता है। मोक्ष की दशा में सुख नहीं रहता है और न ही दु:ख। 'न्याय-दर्शन के आचार्य भी शास्त्र का प्रयोजन तत्त्व ज्ञान और तत्त्वज्ञान से अपवर्ग की प्राप्ति प्रतिपादित करते हैं। तत्त्व ज्ञान से ही मिथ्या ज्ञान का नाश होकर मोक्ष की सिद्धि होती है।

वैशेषिकों के अनुसार तत्त्वज्ञान तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला धर्म होता है। निष्काम कर्म का आचरण तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति करता हुआ मोक्ष को प्राप्त करवाता है। वैशेषिकों ने नैयायिकों के समान ही मोक्ष की प्राप्ति के उपाय की व्यवस्था की है।

वैशेषिकों का भी अंतिम लक्ष्य अपवर्ग प्राप्ति है, किन्तु वह मध्य में साधन के रूप में तत्त्वज्ञान के पूर्व धर्म को स्वीकार करता है। उसका मन्तव्य है ''कि धर्म-विशेष से प्रसूत द्रव्य गुण आदि के तत्त्वज्ञान से नि:श्रेयस की प्राप्ति होती है।'' ''अदृष्ट का अभाव होने पर, कर्म चक्र की गति का अन्त होने पर आत्मा का शरीर से सम्बन्ध टूट जाने पर जन्म मरण की परम्परा बन्द हो जाती है व इसके साथ ही सब दु:खों का नाश हो जाता है, यही मुक्ति या मोक्ष है, जो तत्त्वज्ञान से ही प्राप्त होता है।

प्राचीन दार्शनिक ईश्वरकृष्ण सांख्यकारिका में कहते हैं कि ''तीन दु:खों के संयोग से उद्वेलित व्यक्ति उनके नाशक हेतुओं की जिज्ञासा करता है। यों तो कुछ लौकिक उपाय भी हैं, जो इन दु:खों को दूर कर सकते हैं, किन्तु ''इस प्रकार की दु:ख की निवृत्ति न तो अवश्यंभावी होती है और न ही सार्वकालिक। अत: जिज्ञासु की दर्शन की ओर उन्मुखता होती है, जिससे होने वाली दु:ख निवृत्ति अवश्यंभावी और सार्वकालिक होती है।''

अंतिम और पूर्ण मोक्ष शरीर के विनाश होने पर मृत्यु के पश्चात् ही प्राप्त होता है, यह विदेह मुक्ति है। विज्ञान भिक्षु के अनुसार विदेह मुक्ति ही एकमात्र मुक्ति है। सांख्य सूत्र भी तीन प्रकार के दु:ख की अत्यन्त निवृत्ति को पुरुषार्थ प्रतिपादित करता है।''

योगदर्शन सांसारिक जीवन को दु:ख से ओतप्रोत मानता है। दु:ख या क्लेश तीन प्रकार के होते हैं- आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक। मानव का लक्ष्य इन दु:खों से बचना व छुटकारा पाना है। दु:खों से मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय तत्त्व ज्ञान है। अज्ञान दु:ख का मूल है। वस्तुओं के यथार्थ रूप को न जानने के कारण ही दु:ख उत्पन्न होता है। जब जीव अपने यथार्थ स्वरूप आत्मा को जान लेता है, तब समस्त दु:खों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, यही अपवर्ग अथवा पुरुषार्थ है। मोक्ष आनन्द और परम शांति की अवस्था है। इसकी प्राप्ति पर मनुष्य को सुख-दु:ख और जन्म-मरण से छुटकारा मिल जाता है।''

मीमांसादर्शन में कर्मकाण्ड को पर्याप्त महत्त्व दिया गया है, परन्तु देवताओं का स्थान गौण है। मीमांसा दर्शन में बाद में मोक्ष को अंतिम लक्ष्य के रूप में माना है, उससे पहले इनका आग्रह धर्म के प्रति था जिसके चलते हमें स्वर्ग प्राप्त होता है। इस जगत के साथ आत्मा के सम्बन्ध में विनाश का नाम मोक्ष है। प्रकरणपंचिका के अनुसार मोक्ष में आत्मा, शरीर इन्द्रिय, मन, सभी बन्धनों से मुक्त हो जाता है। मोक्ष हेतु काम्य निषिद्ध कर्मो से निवृत्ति, किन्तु नित्य कर्मो में प्रवृत्ति रखनी चाहिए।'' प्रभाकर एवं कुमारिल दोनों ने अपवर्ग को चरम पुरुषार्थ माना है तथा इसके स्वरूप की कल्पना अपने ज्ञानमीमांसीय दृष्टिकोण से की है जहाँ ये न्याय वैशेषिक से साम्य रखते हैं। इनके अनुसार ज्ञान आत्मा का स्वरूप गुण नहीं है। अत: मोक्ष अवस्था में देहेन्द्रिय विषय संयोग के विलय के कारण आत्मा में ज्ञान और आनंद उत्पन्न नहीं हो सकते। इसके विपरीत अद्वैत वेदान्त में मोक्ष की अवस्था में आत्मा या ब्रह्मा नित्य शुद्ध चैतन्य एवं अखण्ड आनंद स्वरूप है। जीव अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण ही इस संसार में अनन्त क्लेशों को भोगता हुआ अपना जीवनयापन करता है। वह अविद्या के कारण अपने शुद्ध स्वरूप को

भूला हुआ है। आत्मा तथा ब्रह्म में नितान्त ऐक्य है। नानात्मक ज्ञान से ही संसार है तथा एकत्व ज्ञान से मुक्ति है।

मीमांसा एवं वेदान्त के मध्य मोक्ष के सम्बन्ध में जो मुख्य मतभेद हैं, वह यह है कि जहाँ कुमारिल श्लोक वार्तिक में कहते हैं कि ''ज्ञानजन्य मोक्ष नहीं हो सकता है, वहीं शंकराचार्य कहते हैं 'ज्ञान में क्रिया की गन्धमात्रा भी नहीं है।'' कर्म से अभ्युदय की प्राप्ति होती है तथा ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है व आत्म ज्ञानोत्पत्ति में सहायक होने से निम्य कर्म मोक्ष साधक है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है और मोक्ष आत्मा का स्वरूप ज्ञान है। मोक्ष किसी अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति नहीं है बल्कि यह आत्मभाव है।

मीमांसा जहाँ कर्म आधारित मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है, वहीं शंकर वेदान्त ज्ञान पर आधारित मोक्ष प्राप्ति की बात करते हैं। ये दोनों ही दार्शनिक प्रणालियां वेदों पर आधारित हैं। आत्मा चूंकि ज्ञाता, कर्ता एवं भोक्ता है, अत: उसके पास मोक्ष प्राप्ति के तीन मार्ग प्रस्तुत होते हैं- ज्ञान, कर्म तथा भक्ति- ये तीनों ही मोक्ष का मार्ग बताते हैं।

विशिष्टाद्वैत, गीता आदि आत्मा के भोक्ता पक्ष के आधार पर भक्ति का मार्ग प्रस्तुत करते हैं। न्याय एवं मीमांसा दोनों ही चेतना को आत्मा का आगन्तुक धर्म मानते हैं। तब मोक्ष की अवस्था में आत्मा अचेतन चेतना विहीन होगी, इसलिए ये दर्शन आत्मा की विदेह मुक्ति को स्वीकारते हैं।

नास्तिक दर्शनों में चार्वाक आत्मा की सत्ता नहीं कानते हैं। वे इस जगत् के अतिरिक्त अन्य किसी भी तत्त्व को स्वीकार नहीं करते हैं। चार्वाक मत केवल अर्थ और काम के अस्तित्व में ही विश्वास करता है। चार्वाकों की मोक्ष सम्बन्धी कल्पना नितांत विलक्षण है। चैतन्य आत्मा का धर्म है किन्तु आत्मा का शरीर से संबंध होने के कारण शरीर को ही आत्मा मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है, अर्थात् चार्वाक ने ''चैतन्य विशिष्ट देह को ही आत्मा माना है।'' चार्वाक के अनुसार शरीर दु:ख काघर है जब तक शरीर है, तब तक जीव नाना प्रकार के संकटों को झेलता हुआ जीवनयापन में प्रवृत्त रहता है। शरीर के मृत हो जाने पर उसे दु:खों की अनुभूति नहीं होती व इस देह के पतन के साथ ही दु:खों की आत्यन्तिक निवृत्ति सिद्ध हो जाती है। अत: चार्वाक के अनुसार मृत्यु को ही अपवर्ग या मोक्ष मानना युक्तिसंगत है। देहपात के अनन्तर किसी स्थायी नित्य पदार्थ को न मानने के कारण चार्वाकों की मुक्ति या मोक्ष की कल्पना न्यायोचित रहती है।

अत: चार्वाक लौकिक सुख को ही जीवन का परम लक्ष्य स्वीकार करते हैं। अर्थ और काम ये दो ही पुरुषार्थ मानते हैं। अत: सांसारिक सुखवाद चार्वाक अनुसार प्राणिमात्र के जीवन का परम लक्ष्य है।

मोक्ष की अवधारणा के लिए जिस प्रकार हमें एक नित्य आत्मा की आवश्यकता है उसी प्रकार कर्म फल भोगने के लिए दूसरा जन्म आवश्यक है। संसार जन्म और मृत्यु की अनादि शृंखला है, इसका कारण अज्ञान और मिथ्या ज्ञान है। तत्त्वज्ञान से अज्ञान का नाश हो जाता है, तब संसार का अंत हो जाता है। संसार बंध है और बंध का नाश होने से मोक्ष प्राप्त होता है।

इस प्रकार मोक्ष की अवधारणा अपने साथ कर्मवाद एवं जन्मान्तरवाद की अवधारणा को मानकर चलती है, क्योंकि आत्मा को अपने सभी कर्मो का फल इस जीवन में मिलना संभव नहीं है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. स्वामी दयानन्द सरस्वती, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, पृ.सं. 5
2. आप्टे, संस्कृत हिन्दी कोश, पृ.सं. 816
3. हलायुध कोश, पृ.सं. 545
4. हलायुध कोश, प्रथम काण्ड, श्लोक-124, अमरकोष, 1.5.6
5. ऋग्वेद 7.59.12, यजुर्वेद, 3.60
6. ऋग्वेद, 1.145.5 पर सायण भाष्य
7. शतपथ ब्राह्मण 10.4.3.1
8. शतपथ ब्राह्मण 10.4.3.10
9. उपनिषद् 1.6
0. मुण्डकोपनिषद्, 2.28
11. दिनकर, रामधारी सिंह, संस्कृति के चार अध्याय, पृ.सं. 91
12. आत्मलाभान्न परं विधते। आपस्तम्ब धर्मसूत्र 1.8.2
13. वाल्मीकि-रामायण, 34.4
14. शास्त्री, शुकदेव, श्रीमद्भागवत गीता, 1.2.6, भारतीय नीतिदर्शन, पृ.सं. 165
15. माध्यमिक कारिका प्रसन्नपदा, 1.1; भारतीय नीतिदर्शन, पृ.सं. 167
16. न्यायसूत्र 1.1.1
17. नागौरी, एस.एल. एवं नागौरी, कान्ता, भारतीय धर्म एवं दर्शन, राज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 2004, पृ.सं. 84-85
18. ईश्वरकृष्ण, सांख्यकारिका, श्लोक-1
19. सांख्य सूत्र 1.1
20. नागौरी, एस.एल. एवं नागौरी, कान्ता, पूर्वोक्त, पृ.सं. 100
21. उपर्युक्त, पृ.सं. 106

राजस्थान में बांग्लादेशी प्रवासियों की समस्या

डॉ. श्रवण कुमार सैनी

व्याख्याता

राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय, नवलगढ़ (राज.)

शोध सारांश

भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है भारत की पड़ौसियों से साझी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के कारण पड़ौसी देशों के नागरिक वैध और अवैध तरीकों से भारत में निरन्तर आते रहे हैं। भारत में आने वाले प्रवासियों में सबसे अधिक संख्या बांग्लादेशी प्रवासियों की है, भारत में करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशियों के प्रवास के अनुमान लगाये जा रहे हैं। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है इसलिए राजस्थान भी अवैध प्रवास की समस्या से प्रभावित है। देश में जहां अवैध बांग्लादेशियों की संख्या दो करोड़ से अधिक बताई जा रही है वहीं राजस्थान में इनकी संख्या 4 से 5 लाख बताई जा रही है। राजस्थान के लगभग सभी महानगरों जैसे- जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा व भरतपुर आदि में इनकी उपस्थिति के स्पष्ट प्रमाण हैं। जयपुर, जोधपुर व कोटा में तो इनकी बस्तीयां बसी हुई हैं। जयपुर की नगराना बस्ती बंग्लादेशियों की एक वैध बस्ती मानी जाती है। पहले ये राज्य के महानगरों तक सीमित थे लेकिन अब ये प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल गई है। पिछले कुछ वर्षो में बीकानेर, गंगानगर, भरतपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अवैध बंग्लादेशियों को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। राजस्थान में ये मुख्यत: रोजगार की तलाश और अच्छी जीवन परिस्थितियों के लिए आते हैं तो कुछ अजमेर में जियारत कि लिए तो कुछ पाकिस्तान में जाने के लिए आते हैं। ये मुख्यत: महानगरों में रिक्सा चलाने व असंगठित क्षेत्र में श्रमिक का काम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये क्रेसरों, ईंट भट्टों पर काम करते भी इन्हें पकड़ा गया है। बांग्लादेशी महिलाएं शहरों में घरेलू नौकरानियों का कार्य करती हैं, और सिंदूर और बिन्दी जैसे हिन्दू महिलाओं के प्रतीक लगाकर अपनी पहचान छिपाने का प्रयास करती हैं। भारत में बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ एक मूक आक्रमण के समान है। इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय भी कह चुका है कि अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ भारत पर एक आक्रमण के समान है, यह जनसांख्यिकीय समस्या असम और पश्चिम बंगाल से शुरू होकर एक बड़ी सामाजिक समस्या बनकर देश के सभी राज्यों में फैल गई है। इस जनसांख्यिकीय आक्रमण के परिणामस्वरूप न केवल सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सद्‌भाव को खतरा है, बल्कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है। प्रदेश के कोने-कोने में फैल चुके बांग्लादेशियों के कारण कानून व्यवस्था को गम्भीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

संकेताक्षर : *अवैध प्रवास, आपराधिक कृत्य, जनसांख्यिकीय असंतुलन*

बांग्लादेशियों का अवैध प्रवास एक राष्ट्रीय समस्या है। देश में काफी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी प्रवासी अवैध रूप से रह रहे हैं। 1998 में असम के तात्कालीन राज्यपाल एस. के. सिन्हा ने असम में अवैध प्रवास पर राष्ट्रपति को भेजी एक रिपोर्ट में बताया कि देश में 10.83 मीलियन बांग्लादेशी अवैध रूप से प्रवास कर रहे हैं।[1] वर्ष 2003 में तात्कालिक गृहमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने बताया की देश में 2 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे है। तथा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भी देश में अवैध बांग्लादेशियों की संख्या 2 करोड़ से अधिक बतायी जा रही है।[2] यद्यपि सरकारों के पास इनकी संख्या का कोई प्रमाणित आंकड़ा नहीं है।

देश के लगभग सभी राज्य बांग्लादेशी प्रवासियों की समस्या से प्रभावित है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसलिए राजस्थान भी देश में हो रही हलचलों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। राजस्थान में भी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी वैध और अवैध रूप से रह रहे हैं। साउथ एशिया एनालिसिस ग्रुप एवं भारतीय खुफिया एजेन्सियों के अध्ययन पर आधारित आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में बांग्लादेशियों की अनुमानित संख्या 5 लाख से अधिक है। एस. के सिन्हा रिपोर्ट में भी राजस्थान में बांग्लादेशियों की संख्या 5 बताई है।[3] राजस्थान सरकार के पास राज्य में रहने वाले अवैध बांग्लादेशियों की संख्या

का कोई प्रमाणित आंकड़ा नहीं है, लेकिन अनुमानों के आधार पर बताया जा रहा है कि राज्य में करीब 10 लाख विदेशी नागरिक रह रहे हैं, जिनमें 4 से 5 लाख बांग्लादेशी प्रवासी हैं।[4]

राजस्थान में 1971 के बाद से ही बांग्लादेशियों के आने का सिलसिला प्रारम्भ हुआ था। प्रारम्भ में ये जयपुर में ही रहते थे बाद में राज्य के अन्य महानगरों में फैल गये। वर्तमान में जयपुर के अलावा अजमेर, जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बीकानेर, भरतपुर, अलवर आदि शहरों में इनकी उपस्थिति के स्पष्ट प्रमाण हैं, जयपुर में इनकी संख्या 40 से 25 हजार बताई जा रही है। राज्य के पूर्व गृहमंत्री गुलाबचन्द कटारिय ने दावा किया है कि जयपुर में 50 हजार बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं।[5] जयपुर में पहले ये रेल्वे-स्टेशन, सिविल लाईन्स और सीताबाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में रहते थे, लेकिन 2003 में एक प्रशासनिक आदेश के बाद 104 बांग्लादेशी परिवारों को बगराना में बसाया गया तब से बगराना बांग्लादेशियों की एक वैध बस्ती बन गई, बगराना के अलावा ये नाहरी का नाका, शास्त्री नगर की कच्ची बस्ती, राजीव नगर की कच्ची बस्ती आदि में ये अवैध रूप से रह रहे हैं। जयपुर में ये रिक्शा चलाने, भवन निर्माण क्षेत्र में मजदूरी और अन्य असंगठित क्षेत्र में श्रमिक के रूप में काम करते है। बांग्लादेशी महिलाएं घरेलू नौकरानी के रूप में कार्य करती हैं। और ये हिन्दू नाम रख लेती है तथा हिन्दू महिलाओं की तरह माथे पर बिन्दी और सिन्दूर आदि लगाकर अपनी मूल पहचान छुपाती हैं। जयपुर के बाद अजमेर में इनकी संख्या सर्वाधिक बताई जाती है। अजमेर में ये ख्वाजा साहब की दरगाह में जियारत के लिए वैध और अवैध दोनों तरीकों से आते हैं और यही बसने का प्रयास करते हैं। दरगाह क्षेत्र की घनी बसावट का लाभ उठा कर ये यहाँ आसानी से घुलमिल जाते है। अजमेर में बांग्लादेशियों के द्वारा राशन कार्ड, मतदाता पहचान -पत्र आदि हासिल करने की खबरें भी आती रहीं है।

जोधपुर में भी काफी संख्या में बांग्लादेशी रहते हैं। यहाँ अनेक कच्ची बस्तियों में इनके रहने के प्रमाण हैं, जोधपुर का कोलकाता से रेल सेवा से जुड़ने से बांग्लादेशियों का यहाँ आना और आसान हो गया हैं, जिसके कारण यहाँ बांग्लादेशियों की संख्या में वृद्धि हुई है। जोधपुर में वर्ष 2011 में एक बांग्लादेशी मुनीर खान उर्फ मुन्ना का प्रकरण काफी चर्चित रहा जिसने यहाँ स्थाई बस कर शादी कर ली, जमीनें खरीद कर अपने नाम उनकी रजिस्ट्री बनवा ली, राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण-पत्र, विवाह प्रमाण पत्र बनवा लिया तथा भारतीय पासपोर्ट के लिए भी आवेदन कर दिया।[6]

कोटा शहर राजस्थान का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर है। जिसमें भी हजारों की संख्या में बांग्लादेशियों की उपस्थिति के अनुमान लगाये जा रहे हैं। यहाँ रामपुरा बंगाली बस्ती, कुन्हाडी और रेल्वे स्टेशन क्षेत्र में काफी संख्या में अवैध बांग्लादेशी रहते हैं। भीलवाड़ा में भी अवैध बांग्लादेशियों की उपस्थिति देखी गई है। यहाँ अनेक बार पुलिस के द्वारा अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा भी गया है। बीकानेर में भी बांग्लादेशियों के प्रवास की खबरें आती रही है। बीकानेर में बड़ी संख्या में बंगाली लोग घरेलू नौकरों का काम करते हैं, इनकी आड़ में यहाँ बांग्लादेशी भी रह रहे हैं जो अपनी पहचान छिपाने के लिए स्वयं को कूचबिहार का निवासी बताते हैं।

भरतपुर में भी काफी संख्या में अवैध बांग्लादेशी पकड़े गये हैं, ये यहाँ ईट भट्टों व क्रेशरों पर श्रमिकों के रूप में कार्य करते हैं। जुलाई 2014 में भरतपुर के बयाना में 37 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया।[7] इसके अलावा सीमावृति जिलों जैसे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, व बाड़मेर में अवैध बांग्लादेशी पुलिस के द्वारा निरन्तर पकड़े जाते रहे हैं। यहाँ वे अवैध रूप से सीमापार कर पाकिस्तान जाने के प्रयास में पकड़े जाते हैं। दिसम्बर 2015 में गंगानगर में पाकिस्तान की सीमा में 7 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया।[8] सितम्बर 2016 में बीकानेर के खाजू वाला के सीमाक्षेत्र में एक बांग्लादेशी पकड़ा गया।[9]

राजस्थान की कानून व्यवस्था सुरक्षा का माहौल, रोजगार की संभावनाएं बांग्लादेशियों को राजस्थान आने के लिए प्रेरित करती हैं। बांग्लादेशियों का राजस्थान आने का सबसे बड़ा कारण आर्थिक है। अधिकांश बांग्लादेशी राजस्थान में रोजगार और अच्छी जीवन परिस्थितियों के लिए आते हैं। बंग्लादेश में भीषण गरीबी और बेरोजगारी व्याप्त है इसलिए भारत में अवैध घुषपैठ का बड़ा कारण भूख, गरीबी और बेरोजगारी है।[10] कोलकाता और गोवाहाटी का राजस्थान से रेल सम्पर्क स्थापित होने से बांग्लादेशियों का राजस्थान आना और सुगम हुआ है, असम और पूर्वोतर राज्यों में सबसे अधिक बांग्लादेशी रहते हैं, लेकिन विगत कुछ वर्षो से वहाँ अवैध बांग्लादेशियों के विरूद्ध निरन्तर हिंसा हो रही है, इसलिए वे अब वहाँ अपने लिए सुरक्षित नहीं मानते और वे अपने लिए सुरक्षित और शान्त जगह की तलास में राजस्थान की प्रवास कर रहे है। इसके अलावा बांग्लादेशी अजमेर में दरगाह में जियारत के लिए आते है और यहाँ आने के बाद यही बसने का प्रयास करते हैं, बांग्लादेश में लाखों बिहारी मुसलमान रहते है, बिहारी मुसलमानों ने पूर्वी पाकिस्तान में 1971 के संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की सेना का साथ दिया था। इसलिए मूल बंगाली बिहारी मुसलमानों से घृणा करते है, और उन पर हमले करते हैं, जिसके कारण बिहारी मुसलमान बांग्लादेश में सुरक्षित महसूम नहीं करते और वे पाकिस्तान जाना चाहते है, और अवैध तरीकों से सीमा पार कर पाकिस्तान जाने के लिए वे राजस्थान आते है, कुछ सीमापार करने में सफल हो जाते है, और कुछ मौका पाकर यहीं बस जाते है, सीमा पार करते समय सीमा सुरक्षा बल के द्वारा बांग्लादेशियों को

निरन्तर पकड़ा जाता रहा है, वर्ष 2011 से 2014 तक अवैध रूप से सीमा पार करते 55 से अधिक बांग्लादेशियों को पकड़ा गया।[11] संसाधनों पर भार बढ़ा रहे हैं तथा राज्य की जनता के रोजगार के अवसर छीन रहे हैं, और राज्य की जनता का हक मार रहे हैं। अवैध प्रवासी शहरों में कच्ची और गंदी बस्तियां बसा रहे हैं और ये बस्तियां वैश्यावृति जैसे अनैतिक गतिविधियों का अड्डा बनती जा रही हैं, ये अनचाहे मेहमान छोटे-मोटे अपराधों, चोरी, डकैती नशीले पदार्थों की तस्करी आदि में लिप्त पाये गये हैं। आई.एस. आई. अवैध बांग्लादेशियों की मदद से भारत में नकली नोटों का व्यापार कर देश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने का काम कर रहे है। महानगरों में अवैध बांग्लादेशियों ने गिरोह बना लिए है। जो लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे है, यहाँ तक की पुलिस पर भी हमले कर रहे हैं, इस प्रकार अवैध बांग्लादेशी राज्य में कानून व्यवस्था को गम्भीर चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं तथा राज्य में अशान्ति फैला रहे हैं, बांग्लादेशी प्रवासी बांग्लादेश में स्थित कट्टरपंथी धार्मिक समूहों के प्रभाव में आकर यहाँ धार्मिक कट्टरपंथ को फैलाते है, जिससे राज्य में सामाजिक और धार्मिक सदभाव को खतरा उत्पन्न हो रहा है। अवैध बांग्लादेशी महानगरों में चारी, लूटपाट, वैश्यावृति व नशीले पदार्थो के अवैध व्यापार की गतिविधियों में लिप्त पाये गये हैं। इनकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में सलंग्नता रहती है इसके अलावा ये स्थानीय लोगों के रोजगारों के अवसरों को छीन रहे है। अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की समस्या के प्रति सरकारें कभी भी गम्भीर नहीं रहीं। यही कारण है कि सरकारों के पास न तो भारत में रहने वाले बांग्लादेशियों की संख्या के सही आंकड़े हैं और न ही अब तक निर्वासित किये जा चुके बांग्लादेशियों की संख्या के आंकड़े है। जब भी देश में अवैध बांग्लादेशियों के विरूद्ध कोई आन्दोलन होता है तब अवैध प्रवासियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जाता है, कुछ को पकड़ा जाता है और कुछ को बांग्लादेश निर्वासित किया जाता है लेकिन सरकारों ने इस समस्या के समाधान के लिए कोई नियमित और समयबद्ध कार्यक्रम नहीं चलाया। सरकार जितनी संख्या में अवैध प्रवासियों को बाहर निकालती हैं उससे अधिक संख्या में नये अवैध प्रवासी देश में आ जाते हैं एक तो इनकी पहचान कठिन होती है और पहचान होने के बाद उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन है और कई बार बांग्लादेश उन्हें स्वीकार करने से ही इन्कार कर देते है और जिन्हें वापस भेज भी दिया जाता है तो सीमा पर कमजोर सुरक्षा का फायदा उठा कर वे वापस आ जाते है। इसलिए अनेक प्रयासों के बावजूद भी समस्या जस की तस बनी हुई है।

अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजने की मांगे निरन्तर उठती रही हैं, अगस्त 2001 में राजस्थान सरकार ने जयपुर और अजमेर में रह रहे 3500 बांग्लादेशियों को वापस भेजने का निर्णय लिया। इस के बाद 2004 में राज्य सरकार ने बांग्लादेशियों की पहचान का कार्य प्रारम्भ किया गया इस अभियान में पूरे प्रदेश में 2500 बांग्लादेशियों की पहचान हो सकी।[12] वर्ष 2005 में जयपुर बम धमाकों के बाद बांग्लादेशियों को बाहर निकालने के लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाया गया। सामाजिक संगठनों के द्वारा 'बांग्लादेशी भगाओ- राजस्थान बचाओ' का अभियान चलाया गया। राजस्थान में वर्तमान में बांग्लादेशियों का पकड़ा जाना एक सामान्य घटना हो गयी है, समाचार पत्र भी इस प्रकार की घटना अथवा समाचार के लिए गम्भीरता नहीं दिखाते हैं, जब प्रदेश में कोई बड़ी आतंकी घटना घटती है, तब अवश्य अनेक सामाजिक और संगठनों के द्वारा बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए हल्ला मचाया जाता हैं, कुछ समय के लिए पुलिस धरपकड़ती है उसके बाद सब भूल जाते है और स्थिति वैसी की वैसी बनी रहती है, समस्या जितनी प्रशासनिक नहीं है उससे कहीं अधिक राजनीतिक है। जब भी अवैध बंग्लादेशियों को बाहर निकालने की मांग उठती है तब सरकरों के द्वारा वोट बैंक की राजनीति के कारण इस कार्य में कोई रूची नहीं दिखाती। 1992 में भारत के गृहमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्रियों की एक बैठक में अवैध प्रवास की समस्या के समाधान के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत की जिसका पश्चिम बंगाल और बिहार की सरकारों ने अपने मुस्लिम वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए इसका विरोध किया।[13] सरकारों के ऐसे रवैये के कारण आज तक प्रदेश को बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्ति नहीं मिल पाई है जब तक केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर गम्भीर प्रयास नहीं करेगी तब तक इस समस्या का समाधान सम्भव नहीं है।

संदर्भ सूची

1. 'असम में अवैध प्रवासियों पर एस. के. सिन्हा रिपोर्ट 1998
2. राजस्थान पत्रिका - 15 फरवरी, 2015
3. 'असम में अवैध प्रवासियों पर एस. के. सिन्हा रिपोर्ट, 1998
4. राजस्थान पत्रिका- 15 मई, 2008
5. राजस्थान पत्रिका - 14 मई, 2008
6. भास्कर न्यूज - 3 मार्च, 2013
7. राजस्थान पत्रिका - 28 मार्च, 2016
8. राजस्थान पत्रिका - 13 दिसम्बर, 2015
9. राजस्थान पत्रिका - 13 सितम्बर, 2016
10. रामचन्द्रन, सुजाता, ऑफ बाउन्ड्रीज एण्ड बोर्डर क्रोसिंग, 1999
11. इण्डिया टूडे - जुलाई 2014
12. राजस्थान पत्रिका - 23 मई 2008
13. कुमार बी.बी., इल्लिगल माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश, आस्था भारती प्रकाशन, 2000

राग खमाज

नीरा जैन

व्याख्याता

इंडिया इन्टरनेशनल स्कूल, मानसरोवर, जयपुर (राज.)

शोध सारांश

प्रस्तुल लेख में राग खमाज की उत्पत्ति एवं विकास का वर्णन किया गया है। राग खमाज, खमाज थाट का आश्रय राग है। खमाज थाट का नामकरण भी इसी राग के नाम से हुआ पं. भातखण्डे ने ''श्रीमल्ल लक्ष्य संगीत ग्रन्थ'' तथा ''भातखण्डे संगीत शास्त्र'' में इस राग का आश्रय राग झिंझोटी को माना है जो इन्हीं स्वरों पर चलने वाले आधुनिक रागों मे से एक हैं। संगीत सरामृत' में इस राग का थाट 'कांभोजी' कहा गया है। इस राग में ठुमरी और टप्पा की सैकड़ों बन्दिशें भरी पडी है अस्तु खमाज राग को कई बार एक क्षुद्र अथवा छोटा राग बता कर कुछ कलाकार इस राग की महिमा को कम करके आँकते हैं। भले ही इस राग में बड़े ख्याल की बंदिशे ज्यादा उपलब्ध नहीं है पर यह वाद्य वादन में वादकों का प्रिय राग रहा है। इसमें जो सामग्री बजाई जाती है उसमें सम्पूर्ण आलाप विलम्बित और द्रुत गतों की सैकड़ों बंदिशे है जो सितार वादक बड़े आकर्षक तरीके से बजाते आये हैं। वास्तव में यह उन रागों मे से है जिसके अंदर हर प्रकार की मानवीय सवेंदनाओं को प्रकट करने की क्षमता है। इसके अत्यंत आकर्षक और मधुर स्वर संवादों के द्वारा श्रोता घण्टों मुग्ध होकर बैठा रह सकता है। जिस राग में इतनी व्यापकता और विस्तार हो वह क्षुद्र नहीं हो सकता।

संकेताक्षर : *खमाज, ख्याल, ठुमरी, टप्पा, ध्रुवपद, थाट, धमार*

राग खमाज, खमाज थाट का आश्रय राग है। इस राग में दोनों निषाद और बाकी के सभी स्वर शुद्ध लगते हैं इसके आरोह में रिषभ स्वर वर्जित है। अस्तु इसकी जाति षाड़व-सम्पूर्ण मानी जायेगी। इस राग का वादी स्वर गंधार और सम्वादी स्वर निषाद है।[1] खमाज थाट का नामकरण भी इसी राग के नाम से हुआ है। पं. भातखण्डे ने ''श्रीमल्ल लक्ष्य संगीत ग्रन्थ'' तथा ''भातखण्डे संगीत शास्त्र'' में इस राग का आश्रय राग झिंझोटी को माना है जो इन्हीं स्वरों पर चलने वाले आधुनिक रागों मे से एक हैं।[2] किंतु खमाज एक प्राचीन तथा परम्परागत राग है अस्तु अन्ततोगत्वा इसी राग को खमाज ठाठ का आश्रय राग स्वीकारना उन्हें ज्यादा उचित लगा। दूसरी बात यह है कि पं. भातखण्डे जी के ग्रंथ (लक्ष्य संगीत) लिखने के बहुत पहले से ही सितार पर लिखी गयी कुछ पुस्तकों में खमाज थाट का नाम मिलता है इसीलिए खमाज थाट का आश्रय राग खमाज ही माना जाना चाहिए।[3]

इस राग में ठुमरी और टप्पा की सैकड़ों बन्दिशें भरी पडी है अस्तु खमाज राग को कई बार एक क्षुद्र अथवा छोटा राग बता कर कुछ कलाकार इस राग की महिमा को कम करके आँकते हैं। वास्तव में यह उन रागों मे से है जिसके अंदर हर प्रकार की मानवीय सवेंदनाओं को प्रकट करने की क्षमता है यह सच हे कि इस राग में बहुत बड़ी तादाद में ठुमरी, ठप्पा, दादरा गजल और भजन गाएँ जाते हैं। वादन में भी मध्य अथवा द्रुत गते ज्यादा प्रचलित है पर इसमें प्रचुर मात्राा मे ध्रुपद की रचनाएं भी मिलती हैं। खमाज राग के बारे में श्री मल्लक्ष्य संगीत में इस प्रकार की जानकारी मिलती है।

खम्माजमेलोत्पन्नो राग: खम्माजनामक:।

आरोहे रिस्वरव्यक्त: सम्पूर्णश्चावरोहणे।।

खमाज राग खमाज मेल से उत्पन्न हुआ है इसके आरोह में रिषभ वर्ज्य है तथा इसका अवरोह सम्पूर्ण है।

गान्धार: सम्मतो वादी निषादो मन्त्रिसन्निभ:

गानमस्य समीचीनं रान्त्र्यां द्वितीययामके।।

इस राग का वादी स्वर गन्धार और संवादी स्वर निषाद है। गान समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है।

संगतिर्धमयोरत्र नित्यं रक्तिप्रदायिनी।

निधमपधम गै: स्यात खम्माजाड.ग परिस्फुटम।।[4]

'ध म' संगति इस राग में अत्यन्त सुन्दर लगती है। 'नि ध, मपध, मग' इन स्वरों से खमाज अंग स्पष्ट होता है। विद्वानों ने इसके आरोह मे पंचम का अल्पत्व बताया है। गान्धार पर स्वर समूहों की समाप्ति अथवा न्यास से राग का विशिष्ट रूप प्रदर्शित होता है।

खम्माजमेलजन्येषु रागेषु गानकोविदै:।

प्रयोगस्तीवनेर्लक्ष्येऽनुमतो रक्तिलब्धये।।

रंजकता षुद्धी के लिए खमाज मेल जन्य रागों मे तीव्र निषाद के प्रयोग को आधुनिक संगीत में मान्य किया गया है।[5] खमाज राग में आरोह में रिषभ स्वर वर्ज्य किया जाता है पूर्वाग में इस स्वर के वर्ज्य होने से इसके संवादी स्वर धैवत के प्रयोग में भी थोडें नियम पाये जाते हैं। आरोह में यद्यपि धैवत वर्ज्य नहीं किया जाता फिर भी गायकों के द्वारा 'गमप' निसां। या 'गमध, निसां' इस प्रकार उत्तरांग में आरोह किया जाता है। इस राग में अन्तरे प्राय: उपर्युक्त दोनों प्रकार में से किसी एक प्रकार में होते हैं। ये प्रकार भी बहुत सुन्दर लगते हैं। अवरोह में यद्यपि यह राग संपूर्ण है, परन्तु गायकों द्वारा धैवत से पंचम पर न आकर मध्यम मे जाने का विचार अधिक है जैसे- 'सां निट्ट ध ममग' अथवा 'सां निट्ट ध प म ग' यह अवरोह गलत नहीं है परन्तु विलम्बित रूप से गाने में उत्तम नहीं दिखाइ देता। इस प्रकार गाने से झिझोंटी का भाग अधिक उत्पन्न हो जाता है। खमाज का यह आरोह -अवरोह 'सा ग म प नि सां' 'सां निट्ट ध, ममग ऐसा' बुरा नही दिखाई देता। अन्तरा इस प्रकार लिया जाता है-'गम, धानिसा, निसां' । कुछ के मतानुसार खमाज के आरोह में धैवत और अवरोह में पंचम को महत्व नहीं दिया जाता।[6] खमाज के अन्तरे प्राय: 'गम धनिसां' निसां, नि नि सां रे, 'सां निट्ट ध इस प्रकार शुरू होते है। खमाज के समान दिखाई देने वाला राग तिलंग है। यह राग खमाज के बिल्कुल निकट का राग है। तिलंग का अंतरा, 'गमप' निनिसां, निसां' इस प्रकार प्रारम्भ होता है। और खमाज का अन्तरा 'मध, निसां, निसां' इस प्रकार शुरू होता है अवरोह में खमाज का अंश ''सां निट्ट प, गमग' आता है। दोनों रागों में 'ऩिसा, गमप' ये भाग लिए जाते हैं क्योंकि दोनों में ऋषभ स्वर वर्ज्य हैं।[7] खमाजराग के लक्षण इस प्रकार हैं-

कांभोजीमेलसंजातो राग: खंमाजनामक:।

आरोहे तु रि वर्ज स्यादवरोहे समग्रकम।।

यदा हि धैवतो दीर्घस्तदा मध्यमसंगति:।

आरोहे पंचमाल्पत्वं निषादो रक्तिंव्यंजक:।।

प्रयोगस्तीव्रनेरेव मारोहे सर्वसंमत:।

दृश्यते नियमोप्येष लक्ष्य ज्ञानां विपश्चिताम्।।

गांधार: संमतोवादी निषादोऽमात्यसंज्ञित:।

गानमेतस्य रागस्य रात्रयां यामे द्वितीयके।।

संगतिधर्मयोरत्र विशेषण सुखप्रदा।

अवसानं गेस्वरेतद्धदेद्रांग परिस्फुटम।।[8]

'चत्वारिंशच्छत रागनिरूपमणम' ग्रंथ में नटनारायण राग का परिवार बताते हुए 'कांभोजी' को नटनारायण की भार्या ओर त्रैलंगी को नटनारायण की पुत्र -वधु बताया गया है। **संगीत सरामृत'** में इस राग का थाट खमाज बताया गया है। वहां इसके ठाठ का नाम 'कांभोजी' कहा गया है। 'राग लक्षण' में इस प्रकार का स्पष्ट लक्षण बताया गया है'

हरिकांबोधिमेलाच्च संजातश्चसुनामक:।

खमाचराग इत्युक्त: सन्यासं सां"ाकं ध्रुवम्

सपूर्ण वक्रमारोहेऽप्यवरोहे तथैव च।। [9]

यहाँ पर आरोह में ऋषभ वर्ज्य करना नहीं बताया गया, कोई -कोई काम्भोजी को ही खमाज मानने को तैयार हो जाते हैं परन्तु कोई-कोई तो एक अलग स्वतंत्र राग मानते हैं। ग्रंथों में उसका वर्णन इस प्रकार किया गया है:-

मंजर्याम् - कांबोजी मनहीनावा सत्रि: सांतरकाकली।।

राग चन्द्रोदये - सांशग्रहा सांतवती मनिभ्यां।

समुज्झिता बांतरकाकलीष्टा।।

कांबोजिका सातुविगीयमाना।

विभातकाले नितरां विभाति।।

नृत्यनिर्णये - कांबोजी मोहनीया द्विगतिगनिरिधा सत्रिकाद्यानिमावा

कोई-कोई ऐसा भी मानते हैं कि जब कांभोजी सम्पूर्ण और म-नि-वर्जित ऐसे दो प्रकार का कहा गया है तब संपूर्ण प्रकार अपना खमाज राग मानना चाहिए और म-नि-हीन प्रकार को भी एक स्वतंत्र राग मान लेना चाहिए।[10]

1924-1945 में कई ध्रुवपद ऐसे थे जिनका उल्लेख भातखण्डे जी ने नही किया परन्तु जो उस काल में गाए जा रहे थे। खमाज राग के क्षुद्र होने की बात उस समय नहीं कही गई। इतना जरूर है कि उस राग में दोनो निषाद के प्रयोग से इसकी प्रकृति कुछ चंचल मालूम होती है। वस्तुत: इस राग के स्वर संवादों का विलम्बित प्रयोग गम्भीरता तथा मध्य और द्रुत प्रयोग चंचलता का भाव उत्पन्न करता है। पर इस राग में आलाप का क्षेत्र अत्यंत विशाल होने के

फलस्वरूप इसमें बड़ा ही सघन और विस्तृत काम किया जा सकता है। इसके अत्यंत आकर्षक और मधुर स्वर संवादों के द्वारा श्रोता घण्टों मुग्ध होकर बैठा रह सकता है। जिस राग में इतनी व्यापकता और विस्तार हो वह निश्चित ही क्षुद्र नहीं हो सकता। भले ही इस राग में बड़े ख्याल की बंदिशे ज्यादा उपलब्ध नहीं है पर यह वाद्य वादन में वादकों का प्रिय राग रहा है। इसमें जो सामग्री बजाई जाती है उसमें सम्पूर्ण आलाप विलम्बित और द्रुत गतों की सैकड़ों बंदिशे है जो सितार वादक बड़े आकर्षक तरीके से बजाते आये हैं।

थाट - खमाज

अंग - खमाज

वादी - गंधार

संवादी - निषाद

जति - षाड़व सम्पूर्ण

प्रकृति - श्रृंगारिक शांत, करूण

समय - संध्याबेला (सात से दस बजे तक),

आरोह - ऩि सा ग म प ध नी सां,

अवरोह - सां नि ध प म ग रे सा

पकड़ - ऩि सा ग म ग, ग म नी ध प , ध म ग, रे सा।

भारतीय संगीत में यह एक नियम जैसा रहा है कि जब भी किसी राग के आरोह में ऋषभ वर्जित किया जाता है तो ऐसे में उन सभी रागों का प्रारम्भ षड्ज से न होकर निषाद से करते हैं। इसलिए इस राग का आरोह भी नी. सा-म करके ही प्रारम्भ किया जायेगा। निम्नलिखित प्रकारों से षड्ज से आरोहण किया जा सकता है-[11]

ऩि सा ग म । सा रे सा गम। गमप, सागमप, पमगमप

निम्नलिखित तरीके से आरोह में ऋषभ का प्रयोग करते हैं किन्तु ऋषभ स्वर के बाद वापस षड्ज पर लौटने के कारण ऋषभ से अवरोह की शुरूआत हो जाने से इस प्रकार के प्रयोग क्षम्य हैं। ऩिसा रे सा, मप़ध़ऩि सा रे, सा, सा रे ऩि सा रे, सा खमाज राग का वादी स्वर गंधार होने के कारण मध्यम स्वर में न्यास कभी नहीं करना चाहिए। न्यास के लिए या तो गांधार या फिर पंचम स्वर का प्रयोग होता है। निम्न टुकडे. इस राग में बहुलता से लिए जाते हैं। ग म ध नी ध प, ग म नी ध प, ग म ध प , ग म प ध प , म प ध म ग, प ध म ग, ध-म संगति इसकी प्रमुख विशेषता है अस्तु कभी सरल ओर कभी कण मुर्की या खटके के साथ इस स्वर संवाद को लिया जाता है तार सप्तक की तरफ जाते समय निम्नलिखित प्रकार से आरोह किया जाता है। ग म नी ध नी सां, म प नी सां। ग म प नी, सां, गम प ध नी सां । यह तीनों तरीके समय-समय पर प्रयोग किये जाते हैं। एक बार तार सप्तक में षड्ज को छू लेने के बाद दो तरह से वापस आया जाता है:-सां नी ध प, सां रें नि ध प। पंचम तक लौटने के बाद यदि स्वर विलम्बित हो तो निम्नलिखित प्रकार से अवरोह करना चाहिए-प ध, म ग ।म प ध, म ग। यदि द्रुत गति हो तो सीधे, 'प म ग रे सा' कर लिया जाता है। उपर्युक्त विवरण के फलस्वररूप तीन-तीन प्रकार के आरोह और अवरोह बनेंगे जो निम्नलिखित हैं:-

आरोह

ऩि सा ग म प , ग म प ध नी ध प , ग म प ध नी सां।

ऩि सा ग म प , ग म नी ध नी सां ।

ऩि सा ग म प , ग म प नी, सां।

अवरोह

सां नी ध, म प ध, म ग, प म ग रे सा।

सां नी ध प, ध, म ग, पमगरेसा।

सां नी ध प म ग, रे सा।

रागांग तान 1- गरे सानि रेसा नीसा़, नीध़ पध मप नीसा़, गम पध नीनी धप, मग रेसा नी.सा

रागांग तान 2- गम पम गरे सानि़, रेसा नीसा़ गम पम, गम पध नीनी धम, मप नीसां रेसां नीसां

गंगं रेंसां नीसां रेंरें, सांनि धप नीनी धप, गम पध नीनी धप, मग रेसा नी.सा[12]

खमाज राग अत्यंत लोकप्रिय राग है। शास्त्रीय गायन के ध्रुवपद, धमार, ख्याल, ठुमरी, दादरा, टप्पा इन सभी शैलियों के अतिरिक्त भजन, लोकगीत इत्यादि खमाज राग में गाया जाता है। परन्तु राग का स्वरूप कुछ ऐसा बना हुआ है जो ख्याल और ठुमरी, दादरा के गायन में शैली भेद को स्पष्ट रूप से बरतने के लिए कोई ठोस आधार प्राप्त नहीं है। इसलिए खमाज राग मे ख्याल गाने का प्रचलन कम है। संगीत मर्मज्ञ पं. भातखण्डे जी ने अपने संगीत शास्त्र के प्रथम भाग में खमाज राग के वर्णन में लिखा है कि - ''इस राग में गायक लोग सदैव ग़ज़ल, टप्पे, ठुमरी आदि लोक-प्रिय गीत गाते हैं। इसमें कभी-कभी ध्रुवपद भी दिखाई पड़ जाते हैं परन्तु ख्याल तो शायद ही कहीं दिखाई दे।''

''**अभिनव गीतांजली**'' के अन्तर्गत रामाश्रय झा के अनुसार इस खमाज राग के सम्बन्ध में एक मार्मिक बात और कही है वह यह कि -''इस राग में (खमाज) यदि गीत सावकाश (विलम्बित) में गाया जाए तो ध्रुपद जैसा दिखाई देता है ओर द्रुत लय में गाये

जाने पर ठुमरी जैसा दिखाई देने लगता है।'' यह विचार संगीत के महान पंडित के हैं। खमाज राग के पूर्वांग में आरोही क्रम मे रिषभ वर्जित होने के कारण पंचम की ओर जाने के लिए हमेशा ही सा ग म प, ग म प स्वर समूह का प्रयोग होता है। परन्तु ठुमरी शैली में गायक आरोह में भी रिषभ का प्रयोग कर लेतें है जैसे- ग म रे ग, रे ग म प जो ठुमरी गायन मे ंखप जाता है। पंचम से मध्य षड़ज की ओर आने के लिये मगरेसा इस प्रकार स्वर प्रयोग किया जाता है। उत्तरांग में तार षड़ज की ओर जाने के लिए म नि ध नि प ध निसां या गमपध निसां अथवा कभी-कभी ग म प नि सां इस भाँति का स्वर समूह भी प्रयोग कर लिया जाता है। पूर्वांग में मग रेसा की भाँति उत्तरांग में भी अवरोही क्रम में, सां नि ध प स्वर समूह का प्रयोग होता है। चूंकि यह एक रागांग राग है इस हेतु इसमें किसी अन्य राग का मिश्रण नहीं है अर्थात इसका स्वतंत्र स्वरूप है।[13]

स्वरों का प्रयोग तथा स्थान

प्रस्तुत राग खमाज में षड़ज के अतिरिक्त रिषभ का अनभ्यास अल्पत्व है। यथा- सा ग म प, म ग रे सा, में रिषभ अल्पत्व के रूप में प्रयोग होता है। गंधार स्वर राग का वादी होने के कारण न्यास युक्त है तथा साग, रेसा, नि ध.नि सा ग, सा ग म प मग, गमपध मंग, नि ध प ध म ग, इस भाँति गंधार स्वर न्यास बहुत्व के रूप में प्रयोग होता है।

मध्यम स्वर का गमप, धप मग मप नि ध प धमग इत्यादि प्रयोग में अनाभ्यास अल्पत्व का स्थान है। पंचम स्वर राग का संपूर्ण न्यास बहुत्व का स्वर है, क्योकि आरोही-अवरोही दोनों ही क्रम के स्वर प्रयोग में यह स्वर न्यास युक्त है यथा- गमप, सा ग म प , गम पध नि ध प , इत्यादि । परन्तु अवरोही क्रम में धम की संगति होने के कारण यथा नि ध म प ध म ग पंचम स्वर का क्षणिक लंघन अल्पत्व भी दृष्टिगोचर होता है। धैवत स्वर गम प ध नि ध प, धानि सां नि ध, ग रे सां नि सां नि ध, इस प्रकार अवरोही क्रम में न्यास युक्त परन्तु आरोही क्रम में अनाभ्यास अल्पत्व है। कोमल निषाद नि सां नि ध प, रें सां नि सां नि ध प इस भाँति के स्वर समूह में अनाभ्यास अल्पत्व के रूप में परन्तु शुद्ध निषाद आरोही क्रम में ही नि ध नि, पधनिनिसां रे निध पध मग, मपगमपधनि इत्यादि प्रयोग में न्यास बहुत्व स्थान ग्रहण किए हुए है। परन्तु नि सां ध नि प ध सां नि ध प प्रकार के स्वर प्रयोग में प ध सां ओर सां ध संगति के कारण इस स्वर का लघंन अल्पत्व भी दिखायी पड़ता है।[14]

इस प्रकार संगीत जगत का यह मशहूर राग हर वर्ग के संगीत श्रोता के ऊपर प्रभाव डालता है तथा अधिक से अधिक गाया बजाया जाता है।

संदर्भ सूची

1. मिश्र, रागिनी, राग विबोध: मिश्र बानी
2. भातखण्डे, पण्डित, भातखण्डे संगीत शास्त्र प्रथम भाग, पृ.सं. 223
3. उपर्युक्त, पृ.सं. 224
4. भातखण्डे, पण्डित, श्री मल्लक्ष्य संगीतम्, पृ.सं. 261
5. उपर्युक्त, पृ.सं. 262
6. भातखण्डे, पण्डित, भातखण्डे संगीत शास्त्र प्रथम भाग, पृ.सं. 228
7. उपर्युक्त, पृ.सं. 229
8. उपर्युक्त, पृ.सं. 230
9. उपर्युक्त, पृ.सं. 231
10. उपर्युक्त, पृ.सं. 232
11. मिश्र, रागिनी, पूर्वोक्त
12. उपर्युक्त
13. झा, पं. रामाश्रय, अभिनव गीतांजली भाग-5, पृ.सं. 24
14. उपर्युक्त, पृ.सं. 25

राजस्थान के संदर्भ में सिंचाई साधनों का महत्व

डॉ. मीनाक्षी शर्मा

भूगोल विभाग

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)

शोध सारांश

राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल 342 लाख हैक्टेयर है जो देश के क्षेत्रफल का 10.4 प्रतिशत है परन्तु राज्य में देश के कुल जल का 1 प्रतिशत ही उपलब्ध है। राज्य का लगभग 60 प्रतिशत भाग शुष्क या रेगिस्तानी है। शेष खेती योग्य भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा मानसून की कृपा पर निर्भर रहता है। राजस्थान में सिंचाई जल की उपलब्धता पड़ौसी राज्यों जैसे - पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तरप्रदेश आदि की तुलना में बहुत कम है। बारह महीने बहने वाली नदियां चम्बल, माही हैं जो कोटा, और बांसवाड़ा के छोटे से भू-भाग में से होकर दूसरे राज्यों में चली जाती हैं। राज्य के पर्वतीय अंचलों से निकलने वाली नदियां वर्षा पर निर्भर करती हैं। अनियमित एवं अपर्याप्त वर्षा के कारण निरन्तर अकाल की स्थिति राज्य के किसी न किसी क्षेत्र में बनी रहती है तथा सिंचाई हेतु जल सीमित मात्रा में उपलब्ध हो पाता है। अत: राजस्थान में वर्षा जल को अधिक से अधिक मात्रा में संग्रहीत करना अति-आवश्यक हो गया है, जिससे सतही जल की उपलब्धता बढ़ने के साथ-साथ भू-जल स्तर भी बढ़ सके। इस प्रकार राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य होते हुये भी जलाभाव वाला प्रदेश है तथा जलाभाव मरूस्थलीय एवं अर्द्धमरूस्थलीय दशाओं को जन्म देता है, मरूस्थलीय एवं अर्द्ध-मरूस्थलीय प्रदेशों में भूमि उपजाऊ होते हुए भी जल के अभाव में बेकार पड़ी रहती है, परन्तु इन क्षेत्रों में सिंचाई जल की आपूर्ति की जाए तो ये क्षेत्र मानव जीवन के लिए अमूल्य निधि के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं।

संकेताक्षर : *जल संसाधन, परियोजना, जल-संरक्षण*

राजस्थान एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला राज्य हैं इसकी अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यो में सलंग्न है। कृषि ही इस राज्य की आधारशिला है। यहां की कृषि व्यवस्था मुख्यत: मानसून पर निर्भर है जिसका अनिश्चित वितरण होने के कारण कृषि उत्पादन में भी अनिश्चितता रहती है। राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों जैसे-शुष्कता, वर्षा की अनिश्चितता, वर्षा का असमान वितरण आदि के परिणामस्वरूप सूखा व अकाल की पुनरावृति होती रहती है। वर्षा के अभाव में भूमि को कृत्रिम तरीकों से जल पिलाने की क्रिया को सिंचाई करना कहा जाता है। सिंचाई के द्वारा फसल को उस समय जल पहुँचाया जाता है। जब पौधों को जल की आवश्यकता होती हैं। जल के बिना पौधों की वृद्धि रूक जाती है। तथा उत्पादन कम होता है कृषि का स्थापित्व प्रदान करने के लिए सिंचाई आवश्यक हैं। राजस्थान जलाभाव वाला राज्य है तथा जलाभाव मरूस्थलीय एवं अर्द्ध मरूस्थलीय दशाओं को जन्म देता है। मरूस्थलीय एवं अर्द्धमरूस्थलीय प्रदेशें में भूमि उपाजाऊ होते हुए भी जल के अभाव में बेकार पड़ी रहती है।[1]

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही राज्य सरकार का निरन्तर यह प्रयास रहा है कि जल संसाधनों का उचित रूप से विकास कर अधिकाधिक जल का उपयोग किया जा सके।

भाखड़ा बांध - यह बांध सतलज नदी पर होशियारपुर जिले में भाखड़ा स्थान पर 578 मी. एवं 226 मी. ऊँचा बनाया गया है। इसके जलाशय को गोविन्द्र सागर झील का नाम दिया है इसकी जल क्षमता एक करोड़ क्यूबिक मीटर हैं। इसकी लम्बाई 96 किमी है।

नांगल बांध - भाखड़ा बांध से 12 किमी नीचे की ओर इस बांध का निर्माण किया गया जिसकी लम्बाई 305 मीटर व ऊचाई 29 मीटर तथा तल भराव क्षमता 26000 एकड़ फुट है।

माही बजाज सागर परियोजना, बांसवाड़ा- राजस्थान प्रान्त सुदूर दक्षिण में स्थित बांसवाड़ा जिला व डूंगरपुर जिले की आसपुर, सागवाड़ा एवं सीमलवाड़ा तहसील की समृद्धि के द्वारा खोलने वाली माही बजाज सागर परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है।

माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान राज्य के सहयोग में निर्माणाधीन है। माही बांध की उपयोगी जल भराव क्षमता 60.45 टी.एम. सी पानी का बटवारा 40:65 एवं लागत 55:45 के अनुपात में निर्धारित है।

चम्बल परियोजना- चंबल परियोजना, मध्यप्रदेश तथा राजस्थान का एक संयुक्त उपक्रम है यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है दोनों राज्यों में सिंचाई एवं विद्युत के लाभ प्राप्त हो रहे हैं।[2]

गांधी सागर बांध- यह बांध वर्ष 1960 में बनाया गया यह 510 मीटर लम्बा और 62 मीटर ऊँचा है। बांध से जो जलाशय बनकर तैयार हुआ है। इसमें 75460 लाख हैक्टेयर मीटर जल रखने की क्षमता है।

राणा प्रताप सागर बांध - इस योजना के अंतर्गत राज्य के कोटा जिले के पास रावटभाटा नामक स्थान पर 110 मीटर लम्बा और 36 मीटर ऊँचा राणा प्रताप सागर बांध व विद्युत ग्रह का निर्माण किया गया है।

जवाहर सागर बांध-चम्बल तृतीय चरण में कोटा जिले के 16 मील दक्षिण में जवाहर सागर बांध एवं विधुत ग्रह का निर्माण किया गया है। इस बांध की जल धारण क्षमता 18000 हैक्टेयर मीटर है।

कोटा बैराज- कोटा बांध से आगे कोटा नगर के पास एक सिंचित अवरोधक का निर्माण वर्ष 1954 में शुरू किया गया था यह बांध 600 मीटर लम्बा और 36 मीटर ऊँचा है इसकी जल संग्रहण की क्षमता 76.460 लाख घन मीटर है। इस बांध से दो नहरे निकली गई है जो 120 किमी राजस्थान में और 305 किमी मध्यप्रदेश में बहती है।

चम्बल लिफ्ट परियोजनाएँ - चम्बल नदी के बहाव क्षेत्र में न आने वाले क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु चम्बल नदी पर 8 लिफ्ट योजना बनाई गई हैं। इनमें से जालीपुरा लिफ्ट माइनर व दीगोद लिफ्ट स्मीम माइनर, पचेल लिफ्ट स्कीम, गजेशगंज लिफ्ट स्कीम, सैरखण्ड लिफ्ट स्कीम व कचारी लिफ्ट स्कीम बांध जिले में बनाई गई है। इसमें राजस्थान के कोटा व बूंद्री जिलों में सिंचाई की जाती है।

नर्मदा नहर परियोजना : नर्मदा नदी के जल में राजस्थान राज्य का हिस्सा 0.50 मिलियन एकड़ फीट नर्मदा जल विकास प्रधिकरण (N.W.D.T.) द्वारा 1979 में निर्धारित किया गया था नर्मदा जल सरदार सरोवर बांध से 450 किमी चलता हुआ राजस्थान में गांव सीलू, तहसील सांचोर जिला जालौर में प्रदेश करेगा। सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नहर गुजरात में 458 किमी मीटर बनने के बाद राजस्थान में 74 कि.मी. लम्बाई में मुख्य नहर का बाड़मेर जिले के कुल 1107 गांव एवं जालौर जिल के दो कस्बों की आवादी को पेयजल सुविधा भी उपलब्ध करवायी गई है। यह राज्य की पहली परियोजना है जिसमें स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति द्वारा ही सिंचाई करने का प्रावधान रखा गया है।

बीसलपुर परियोजना - इस परियोजना के अंतर्गत टोडारायसिंह कस्बे से 13 कि.मी दूर बनास नदी पर एक बांध पारित कर दिया गया। स्वीकृति परियोजना रिपोर्ट के अनुसार बनास नदी पर बीसलपुर ग्राम के समीप 574 मीटर लम्बा व 39.5 मीटर ऊँचा कंकरीट/चिनाई का बांध बनाकर 38.70 करोड़ धन फीट पानी का संग्रहण किया गया है। बांध में 33.15 करोड़ घनफीट वार्षिक जल की उपलब्धता रहेगी इस जल से 16.20 करोड़ घनफीट जल पेयजल हेतु एवं 800 करोड़ घन फीट जल सिंचाई हेतु उपयोग में लाया जाता है।[3]

व्यास परियोजना व पोंग बांध - रावी और व्यास नदियों के जल उपयोग करके के लिए पंजाब, हरियाण और राजस्थान द्वारा सम्मिलित रूप से बहुउद्देशीय परियोजना प्रारम्भ की गई यह परियोजना दो चरणों में पूरी की गई प्रथम चरण में व्यास सतजल लिंक का निर्माण कार्य पंजाब राज्य के द्वारा द्वितीय चरण व्यास नदी पर पोंग नामक स्थान पर बांध तथ इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को स्थाई रूप से जल आपूर्ति नियमित बनाये, इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है।

यमुना जल सिंचाई परियोजना - दिनांक 15/5/1994 को यमुना जल बंटवारे हेतु हरियाणा, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एवं दिल्ली के मध्य हुए समझौते में 1.119 बी.सी एम पानी राजस्था को आंवटित हुआ है। इस पानी के उपयोग हेतु भरतपुर, झुंझुनुं व चुरू जिलें में सिंचाई हेतु यह परियोजना बनाई गई है। यह परियोजना केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत कर दी गई है। भरतपुर जिले यमुना जल सिंचाई परियोजना जिला भरतपुर बनाई है चूरू तथा झुंझुनु जिलों के लिए हैडवर्स्स से यमुना जल हरियाणा राज्य की नहर प्रणालियों तथा पश्चिमी यमुना नहर, देहली मुख्य नहर पुरानी जवाहर लाल नेहरू पीडर द्वार प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

जवाई बांध योजना - इस बांध का निर्माण कार्य 1956 में पूरा कर लिया गया यह बांध 923 मीटर तथा 34 मीटर ऊँचा हैं। इसमें 740 वर्ग कि.मी क्षेत्र 21.5 लाख घनमीटर जल एकत्रित होता है। इस बांध से 22 कि.मी लम्बी मुख्य नहर निकलती है पश्चिम की ओर पाली जिले दूसरी नहर पूर्वी भाग से निकाली गई है।

जाखम परियोजना - जाखम नदी के पानी का उपयोग सिंचाई करने के लिए राज्य सरकार ने 1962 में इस परियोजना को

स्वीकति प्रदान की थी। इस परियोजना का 4 मई 1968 को शिलान्यास किया गया तथा 30 अक्टूबर 1986 को जाखम सिंचाई, परियोजना से जल प्रवाहित किया गया। परियोजना के अंतर्गत निर्मित किये जा रहे 81 मीटर ऊँचे और 253 मीटर लम्बे बांध का निर्माण केन्द्रीय जल आयोग द्वारा यहाँ की विशिष्ट भौगोलिक दशा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह परियोजना रबी में 60 प्रतिशत तक सिंचाई उपलब्ध करवाती है।

इन्दिरा गांधी नहर (मरू गंगा) - इन्दिरा गांधी नहर परियोजना प्रकृति की विषमताओं से मनुष्य के साहसपूर्ण संघर्ष का उत्कृष्ट उदाहरण है इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान की सदियों से प्यासी मरुभूमि को दूरस्थ हिमालय के जल से सिंचित करना तथा यहाँ के करोड़ों निवासियों को पेयजल प्रदान करना है। इस नहर का उद्‌गम पंजाब से स्थित हरिके बैराज से है। यह नहर पंजाब, हरियाणा, हनुमानगढ़ तथा राजस्थान में प्रवेश करती है। तथा गंगानगर व बीकानेर जिले से निकलती हुई जैसलमेर में मोहनगढ़ के पास समाप्त होती है। इस परियोजना दो चरणों में विभाजित किया गया है।

प्रथम चरण - हरिके बैराज से (बीकानेर जिला) तक कुल 393 (फीडर 204, मुख्य नहर तथा तत्संबंधी वितरण प्रणाली साहवा लिफ्ट प्रणाली के अतिरिक्त) को प्रथम चरण कहा जाता है।

द्वितीय चरण- इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण का कार्य इस समय निर्माणाधीन है इस चरण में मुख्य नहर की लम्बाई 250 कि.मी है जो पूगल से मोहनगढ़ जैसलमेर तक है।

गंगा नहर - यह नहर सन् 1927 में सतलज नदी से फरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई इस नहर का पेटा सीमेन्ट से बना हुआ है। जिससे जल नीचे की ओर भूमि में रिस नहीं पाता। यह नहर पंजाब राज्य में बहती हुए खक्खां के पास बीकानेर डिवीजन में प्रवेश करती है। फिर यह नहर शिवपुर, गंगानहर, जोरावरपुर, पदमपुर, रामसिंहनगर और सरूपसर के पास होती हुई अनपगढ़ तक आई है। तथ वर्ष भर की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने के कारण क्षेत्रों में गन्ना कपास, गेहूँ, मालटा व चरी आदि पैदा किये जाते है।[4]

गंगनहर लिंक चैनल - सन् 1980 में एकलिंक चैनल जो 50 किलामीटर लम्बी है,का निर्माण किया गया इसे गंग नहर लिंक चैनल कहते है। इसका उद्‌गम स्थल हरियाणा में लोहगढ़ नामक स्थान पर है यह चैनल इन्दिरा गांधी मुख्य नहर से जोड़ी गई है। चैनल की भराव क्षमता 3200 क्यूसेक पानी की है।

भरतपुर नहर- इस नहर का उद्‌घाटन सन् 1960 में हुआ। यह नहर पश्चिम यमुना से निकलने वाली आगरा नहर 111 किलोमीटर के पत्थर से निकाली गई है। यह 28 कि.मी लम्बी है जिसमें 16 कि.मी उत्तरप्रदेश में है। यह नहर राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र को सींचती है।

गुड़गांवा नहर - यह नहर यमुना नदी से ओखला के निकट से निकलकर भरतुपर जिले की कामां तहसील में जुरेश गांव के पास यह नहर राज्य में प्रवेश करती है। इस नहर की भराव क्षमता 2100 क्यूसेक है।

बांध - किसी नदी के जल प्रवाह को रोकने और नियंत्रित करने को उद्देश्य से नदी मार्ग के आर-पार बनाने गए अवरोध को बांध कहते है। बांध बनाने का मुख्य उद्देश्य बाढ़ के खतरे को कम करना, शुष्क महीनों में सिंचाई करना और पेयजल के लिए जल उपलब्ध कराना है। बांध का आकार तालाबों से बड़ा होता है तथा इनके निर्माण में व्यय भी अधिक होता है किन्तु इनमें जल रोककर वर्षभर नहरों द्वारा निकटवर्ती क्षेत्रों की सिंचाई की जा सकती है।

राजस्थान में सिचांई प्रमुख साधन

कुएं/नलकूप - राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन कुएँ एवं नलकूप है इनके द्वारा सकल सिंचित क्षेत्र के लगभग 68.74 प्रतिशत भाग पर सिंचाई होती है। इनके द्वारा सिंचाई उन्ही भागों में की जाती है जहाँ इनके निर्माण के लिए भौगोलिक दशाएं अनुकूल होती है। अधिकतर कुएं वही बनाये जाते है जहाँ जलस्तर रेखा भूमि के निकट ही पायी जाती है नलकूपों का निर्माण उन क्षेत्रों में पाया जाता है। राजस्थान के बाड़मेर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, सीकर आदि जिलों में एकमात्र सिंचाई के साधन कुएं एव नलकूप है। इन जिलों के सकल सिंचित क्षेत्र के 99 प्रतिशत भाग कुओं एवं नलकूप द्वारा सिंचित है। इसके अतिरिक्त जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, अजमेर आदि जिले भी कुएं एवं नलकूप द्वारा सिंचाई की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

तालाब - तालाब से आशय उन गड्डों से है जो या तो मानव द्वारा कृत्रिम तरीके से बनाये गए है या प्रकृति के द्वारा ही उनको गड्डो का रूप प्रदान किया गया है जिसमें वर्षा मौसम में वर्षा का पानी भर जाता है। तालाबों का निर्माण प्राय: उन स्थानों पर किया जाता है जहाँ दो या तीन ओर भूमि अपने आप ऊँची होती है। राज्य के दक्षिणी तथ दक्षिणी-पूर्वी भागों में ही मुख्यत: तालाब पाये जाते है इनका मुख्य कारण यह है कि राज्य के दक्षिण-दक्षिण पूर्व में बहने वाली नदियां वर्षा के जल पर निर्भर करती है नदियों की अस्थायी प्रकृति तथा दशा एव पठारी व पथरीली भूमि होने

से नहरों के निर्माण में बाधा पडती है। इसके अतिरिक्त पठार की कठोर चट्टानें तथा पहाड़ी धरातल जल को सौख नही सकते, इसलिए कुओं का निर्माण करना सरल नहीं है तालाब का आकार छोटे नालों या पोखरों से लेकर बडी झीलो तक विभिन्न प्रकार का होता है। उदाहरण के लिए उदयपुर में बांध के रूप में कृत्रिम झीले विख्यात है। पेयजल उपलब्ध कराने में इन तालाबों और झीलों का महत्वपूर्ण योगदान हुआ करता था साथ ही इनका उपयोग सिंचाई और अन्य कार्यो में भी किया जाता था। तालाबों के कारण भूजल स्तर भी ठीक बना रहता था।

गांव विकास की बुनियाद खेती पर टिकी है और खेती की बुनियाद पानी पर पानी का परिदृश्य यह है कि कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि और कभी बेमौसम बरसात के कारण भारतीय खेती संकट के नये दौर से गुजर रही है दूसरी तरफ हमारी नहर, कुएं, तालाब और भूजल निकायी की सारी मशीनें मिलकर भी हमें हमारी खेती को स्वस्थ पानी पिलाने में नाकाम साबित हो रही है।[5]

सरदार सरोवर परियोजन – सरोवर परियोजना सिंचाई, विधुत एवं पेयजल के लाभों हेतु एक बहुउद्देश्यीय परियोजना है जो गुजरात के साथही मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान को पानी उपलब्ध कराती है। इस परियोजना के अंतर्गत गुजरात में नर्मदा नदी पर 1,210 मीटर लम्बे एवं 163 मीटर ऊँचे बांध का निर्माण किया गया है। भंडारण क्षमता 5,800 मिलियन घन मीटर है गुजरात में 17.92 लाख हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि पर वार्षिक सिंचाई करने का प्रावधान है। इसके साथ ही राजस्थान को आंवटित 616 मिलियन घनमीटर नर्मदा जल का संवहन, राजस्थान के बाडमेर, जालौर जिलों की कृषि योग्य आंवटित क्षेत्र की 246 लाख हैक्टेयर वर्तमान संशोधन के अनुसार पर वार्षिक सिंचाई करने का प्रावधान है गुजरात राज्य को आंवटित व मिलियन एकड मे पेयजल, नगरीय औघोगिक क्षेत्रों के उपयोग में लाने हेतु प्रावधान किया गया है।

शुरू में प्रधानमंत्री राहत योजना के तहत ऊपर वर्धा सिंचाई प्रोजेक्टर बना है इसमें कोई संदेह नहीं कि अकाल का सीधा संबंध अर्थव्यवस्था से व्यापक शहरीकरण के बावजूद कृषि ही अर्थव्यवस्था का पूरक आधार है। सरकार की ओर से राज्य में ढेरों सिचांई परियोजना चलाने के लिए साथ ही बंद परियोजनाओं को चालू कराया जा रहा है।

चम्बल परियोजना – राजस्थान से चम्बल नहर प्राणाली के लिए 3900क्यूसेक पानी प्राप्त किया गया प्रदेश में 27 परियोजनाओं में से 12 परियोजनाएं पूर्ण की चुकी है। 7 परियोजनाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के कार्य प्रगति पर इन बड़ी परियोजनाओं में चम्बल, सुस्ता, सम्राट अशोक (हताली) रनगवा, बारना, भांडेर नहर, उर्मिल, अपर, बैनगंगा, थांव, कोलार एवं राजधाट श्यामिल है। इसी तरह 145 मध्यम योजनाओं में से 110 पूर्ण की चुकी है। शेष 35 विभिन्न चरणों में प्रगति पर है लघु योजनाओं में स्वीकृत 58.21 योजनाओं में से 4,337 योजनाएं पूर्ण है और 1520 योजनाएं बजट में शमिल है।[6]

जल, संभरण, (रेनवाटर हॉर्वेस्टिंग) – यह तकनीकी सतही जल व वर्षा जल के अनुकूलतम उपयोग पर आधारित है इसमें सतह पर प्रवाहित जल (वर्षा और भूमिगत) को वाष्पीकरण एवं रिसाव की बांधाओं से बचाते हुए संरक्षित किया जाता है। एवं इसका उपयोग शुष्क मौसम में पीने के पानी, सिचांई एवं अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

वर्षा जल संचयन मुख्य रूप से दो विधियों पर आधारित है पहली विधि में धरातल पर वर्षा जल को रोककर संचयित किया जाता है यह एक परम्परागत विधि है। जिसके तहत भूमिगत कुएं, तालाब आदि का प्रयोग किया जाता है। दूसरी विधि में, भूमिगत जल को रिचार्ज करने की तकनीकी सम्मिलित है, जो रेनवाटर हार्वेस्टिंग की कई अवधार का है इस तकनीक में खाईयों खोदना, कुएं खोदना, रिचार्ज कुएं बनाना आदि सम्मिलित है रिचार्ज कुओं को गहराई में स्थित जल संभरण केन्द्रों तक वर्षाजल रिसाव को पहुँचाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है।[7]

राजस्थान में पर्याप्त पानी – यह सुनने में अजीब लगता है लेकिन सच है यहां सरकार की ओर से निर्मित तमाम बांधों के जरिए बस्तियों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत राजस्थान में न सिर्फ शुद्ध पानी मिल रहा है। बल्कि खेत भी लहलहा रहे है। चम्बल सवाई माधोपुर, नादौती परियोजना चम्बल नदी मे इनटेक बैल बनाने तथा भीलवाड़ा जिले को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु परियोजना जोधपुर जिल की तहसील औसियां की पांचला घेवरा, चिराई क्षेत्रीय योजना लाभान्वित है।

जलमणि कार्यक्रम – नीति निर्धारण सीमिति द्वारा भारत सरकार का जलमणि कार्यक्रम जिसके तहत ग्रमीण विद्यालयों में बच्चों को स्वच्छ एवं जीवाणुरहित पेयजल उपलब्ण करवाना है।

आपणी योजना – राज्य सरकार की ओर से ग्रामीणों को शुद्ध एवं प्रचुर मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आपणी योजना शुरू की गई चूरू जिले में आपणी योजना जल रही है।

ग्रामीण विकास विज्ञान समिति – सतही जल की कमी के कारण राजस्थान को बहुत हद तक भूजल संसाधन पर निर्भर रहना पड़ता

है। बड़ी संख्या में हुए, बावड़िया और झालरे प्रमुख परम्परांगत जल, साधन है। भूजल, विकास राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान की तुलना में पूर्वी भागों में अधिक है पश्चिमी राजस्थान में भूजल पुनर्भरण अपेक्षाकृत कम है जल संग्रह करने के साधन जैसे बांधों टंकिया, तालाबों, खडीनों और टंको का निर्माण आवश्यक है। जिससे पूरे वर्ष सिंचाई के पानी की आवश्यकता पूरी हो सके।

राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जल संसाधनों के रख-रखाव एवं संरक्षण के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही है एवं आमजन को जल संरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। 27 जनवरी 2016 को मुख्यमंत्री वसुंधराराजे सिंधिया द्वारा जल स्वावलम्बन अभियान की शुरूआत गर्दन खेड़ी गांव झालावाड़ से की गई इसके तहत प्रदेश के 3529 गांवों को शामिल किया गया।

27 जनवरी 2016 को सर्वधर्म प्रार्थनाओं के बीच झालावाड़ के चेची तालाब के सुदृढ़ीकरण व जीर्णोद्धार कार्यक्रम शुरू किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा 50 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया तथा समयबद्ध कार्यक्रम की उचित रूपरेखा के द्वारा रिकॉर्ड समय में कार्यक्रम के पूर्ण करने का प्रावधान किया गया।

अंतर प्रदेशीय नदी जल का आवंटन - स्वयं के सतही जल ससांधनों के अतिरिक्त राजस्थान को अंतर-प्रदेशी नदी जल संग्रहण क्षेत्रों में काफी मात्रा में जल आंवटित किया जा रहा है। राजस्थान विभिन्न समझौतों के अंतर्गत अंतर प्रदेशी नदियों व संग्रहण क्षेत्रा में 14.50 एम.ए.एक आवंटित है अधिकांश उच्च दोहन एव संकटपूर्ण स्थिति वाले मंडल, अलवर, बाड़मेर, चूरू, धौलपूर, जयपुर, जालौर, जोधपुर, झुंझुनु, नागौर पाली, सीकर तथा सिरोह जिलों में स्थित है। राज्य के विकास की कुंजी के रूप में जल संसाधनों का महत्वपूर्ण स्थान है। तथा सिंचाई के लिए उपयोगी भी है।

निष्कर्ष

राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल 342 लाख हैक्टेयर है जो देश के क्षेत्रफल का 10.4 प्रतिशत है परन्तु राज्य में देश के कुल जल का 1 प्रतिशत ही उपलब्ध है। राज्य का लगभग 60 प्रतिशत भाग शुष्क या रेगिस्तानी हैं। शेष खेती योग्य भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा मानसून की कृपा पर निर्भर रहता है।

अत: राजस्थान में वर्षा जल का अधिक से अधिक मात्रा में संग्रहीत करना अति-आवश्यक हो गया है, जिससे सतही जल की उपलब्धता बढ़ने के साथ-साथ भू-जल स्तर भी बढ़ सके। इस प्रकार राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य होते हुये भी जलाभाव वाला प्रदेश है तथा जलाभाव मरूस्थलीय एवं अर्द्धमरूस्थलीय दशाओं को जन्म देता हैं, मरूस्थलीय एवं अर्द्ध-मरूस्थलीय प्रदेशों में भूमि उपजाऊ होते हुए भी जल के अभाव में बेकार पड़ी रहती हैं, परन्तु इन क्षेत्रों में सिंचाई जल की आपूर्ति की जाए तो ये क्षेत्र मानव जीवन के लिए अमूल्य निधि के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं।

संदर्भ सूची

1. शर्मा, बी.एल., प्रोब्लम्स एन पर्सपेक्टिव ऑफ वाटरिंग क्रॉप्स, जियोग्राफिकल एनालिसिस ऑफ राजस्थान कन्सैप्ट, न्यू देहली, 1987
2. कालवाड़, एस.सी., वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट, 1990 पी.पी. 69-70
3. गुर्जर, आर.के., इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन, साइंटिफिक पब्लिशर्स, जोधपुर, 1987
4. झा, यू.एम., इरिगेशन एण्ड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, पी.पी. 106.
5. उपाध्याय, एल.एन., भौतिक भूगोल राजस्थान, हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2008
6. वार्षिकांक राजस्थान सुजस, सूचना और प्रसारण विभाग, जयपुर, 2009
7. राजस्थान जल संसाधन विभाग, जयपुर

निर्धनता रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) परिवारों का सशक्तीकरण : बाराँ जिले के विशेष संदर्भ में एक अनुभवमूलक अध्ययन

राकेश वर्मा

राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय, बारां (राज.)

शोध सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र बारां जिले की सात पंचायत समितियों अटरू, अन्ता, शाहबाद, किशनगंज, छीपाबड़ौद, छबड़ा और बारां की प्रत्येक से दो ग्राम पंचायतों से प्रत्येक ग्राम पंचायत के 10 निर्धनता रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) परिवारों का चयन करते हुए कुल 140 परिवारों का व्यावहारिक अध्ययन किया गया है। इसमें बी.पी.एल. परिवारों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि के अध्ययन के साथ-साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी, योजनाओं से प्राप्त लाभ, प्रशासन का उनके प्रति रवैया, निर्धनता के मापदण्ड, शौचालयों की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त की गई है। बी.पी.एल. परिवारों की समस्याएँ, भ्रष्टाचार एवं समाधान भी जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं स्वयं बी.पी.एल. परिवारों से प्राप्त कर निष्कर्ष दिये गये हैं। प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी को सारणियों के माध्यम से विश्लेषित किया गया है। शोधार्थी का यह शोध बारां जिले के बी.पी.एल. परिवारों की समस्याओं, प्रशासन की स्थिति एवं प्राकृतिक बाधाओं को समझने, उनका निराकरण करने में प्राप्त सुझावों के रूप में जिले के विकास में महत्वपूर्ण अभिदाय सिद्ध होगा।

संकेताक्षर : *निर्धनता, सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक प्रस्थिति, भ्रष्टाचार, समाधान*

निर्धनता : एक अवधारणा

निर्धनता का अर्थ सामान्यत: उस सामाजिक क्रिया से लिया जाता है, जिसमें समाज का एक भाग अपने जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत को पूरा नहीं कर पाता है। जब समाज का एक बहुत बड़ा भाग न्यूनतम जीवन स्तर से वंचित रहता है और केवल निर्वाह स्तर से नीचे गुजारा करता है तो कहा जाता है कि समाज में व्यापक निर्धनता विद्यमान है। तीसरी दुनिया के विकासशील राष्ट्रों में व्यापक स्तर पर निर्धनता पायी जाती है। वहीं विकसित राष्ट्रों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, एवं यूरोप में कुछ कम मात्रा में निर्धनता पायी जाती है। विश्व के प्रत्येक देश में निर्धनता की समस्या विद्यमान है। इसका आंकलन प्रत्येक देश अपनी तत्कालीन परिस्थिति के आधार पर करता है। जिसमें कोई व्यक्ति इतनी आय अर्जित न कर सके जो उसकी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि के कारण साधन उपलब्ध न होना या उचित रोजगार प्राप्त न होना या बेरोजगारी के कारण परिवार का मुखिया परिवार के सदस्यों को मूलभूत आवश्यकताओं का प्रबंध करने में असमर्थता महसूस होती है जिससे रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत ही पूरी नहीं हो पाती है। भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में आज भी जनसंख्या का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करता है। गाँवों में रहने वाले व्यक्तियों का आर्थिक स्तर प्राय: अत्यधिक कमजोर रहता है। गरीबी या निर्धनता एक ऐसे जिराफ की तरह से है जिसे देखने पर पहचाना तो जा सकता है किन्तु जिसका ठीक से शब्दों में वर्णन करना कतिपय कठिन जान पडता है। निर्धनता की यदि सही झलक देखनी हो तो ग्रामीण क्षेत्रों एवं गंदी बस्तियों में देखी जा सकती है। यहाँ पर रहने वाले लोगों को पूरी तरह से न तो भर-पेट भोजन मिल पाता है और न ही तन ढकने के लिए कपड़ा मिल पाता है। इन वर्गो के लिए आवास की समस्या स्थायी समस्या के रूप में विद्यमान है।[1]

गरीबी में निर्वाह दुखद हो सकता है किंतु उसके कारण यदि अन्य लोगों को, जो गरीब नही हैं, गरीबी का मजाक उडाये या घृणा व अस्पृश्यता की नजर से देखें तो इससे बुरी बात क्या होगी ! मानव को मात्र संसाधन बना डालने का प्रयास इससे बढ़कर क्या होगा! गरीबी की किसी अवधारणा में सबसे पहली विशिष्टता तो यही

होगी कि अपने सरोकार को स्पष्ट करें। उपभोग के मापदण्डों या गरीबी की रेखा के निर्धारण से इस प्रश्न का निदान किसी सीमा तक तो हो ही जाता है। इसके अनुसार जो व्यक्ति इस गरीबी रेखा से नीचे हो या जिनका उपभोग 'मानक' स्तर से नीचे रह जाए, उन्हें गरीब कहा जाएगा। पर यहाँ गरीबी की अवधारणा को लेकर कुछ प्रश्न उठते हैं -

(1) क्या यह अवधारणा केवल गरीबों के हितों से सम्बन्धित है?

(2) क्या इसका सम्बन्ध केवल गैर-गरीबों से है?

(3) क्या इस अवधारणा में गरीबों और गैर-गरीबों दोनों ही वर्गो के हितों का ध्यान रखा गया है?

यह बहुत ही अजीब सी बात होगी कि गरीबी की अवधारणा में केवल गैर-गरीबों के प्रति जागरूकता की झलक हो। अत: उपर्युक्त प्रश्न (2) को तो पूरी तरह से नकार देना ही उचित होगा। प्रश्न (3) काफी व्यापक और निर्बन्ध लगता है। यही इसका आकर्षण भी है। विषय में कोई सन्देह नही कि गरीबों की गरीबी अमीरों की खुशहाली पर अवश्य प्रभाव डालती है पर क्या इन प्रभावों को गरीबी की अवधारणा में प्रमुखता मिलनी चाहिए? या उन्हें गरीबी के अन्य सम्भव प्रभावों में सम्मिलित किया जाना चाहिए? इसका मतलब है कि इन्हें अन्य प्रभावों का ही अंग मानना चाहिए क्योंकि गरीबी तो गरीबों का ही स्वाभाविक लक्षण है, न कि अमीरों का। कुछ इस तरह की दलील भी दी जा सकती है, अगर वास्तविक आय में कमी हो और सभी गरीबों की दुर्दशा में वृद्धि हो तो इसे हम गरीबी की 'संवृद्धि' कहेंगे, भले ही इसके साथ अमीरों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव कुछ कम हुए हों। गरीबी की अवधारणा का आग्रह तो मात्र यही है कि इसका ध्यान-केन्द्र केवल गरीबों की अवस्था होनी चाहिए। इस पर पड़ने वाले प्रभाव चाहे जिस भी स्त्रोत से आए हों गरीबी के कारणों और उसके प्रभावों का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। गरीबों की ही दशा के रूप में गरीबी की अवधारणा का निरूपण इन प्रश्नों-कारणों और प्रभावों के विवेचन के महत्त्व को कम नहीं करता।[2]

भारत एक गरीब देश है, जिसमें बहुत से धनी लोग रहते है। गरीबी मानव शरीर तथा आत्मा को किन अनेक तरीकों से नुकसान पहुँचा सकती है। गरीबी व्यवहारिक दृष्टि से एक तुलनात्मक विचार है। भारत की 80 प्रतिशत जनता अत्यधिक धनी होने से लेकर नियत गरीबी अलग-अलग मात्रा में होती है। इस प्रकार अनेक मात्राओं और किस्मों में काफी समय से हमारे देश में गरीबी बनी हुई है।[3] धरती समृद्ध है और लोग गरीब हैं। निर्धनता यानी एक विशेष अवस्था जब समाज की एक इकाई के पास कोई धन-सम्पदा न हो और आय एवं आय के साधन अल्प हों तो वह व्यक्ति निर्धनता की श्रेणी में आएगा। निर्धनता एक सापेक्षिक धारणा है। भारतीय गरीबी को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक व्यवस्थाओं एवं कारणों से समझा जा सकता है।[4] दादा भाई नौरोजी प्रथम व्यक्ति थे। जिन्होंने 'पॉवर्टी ऑफ इण्डिया' लिखकर भारत की निर्धनता की ओर ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित किया। भोला नाथ चन्द, महादेव गोविन्द रानाडे, पी.बी. जोशी, आर.सी दत्त तथा विपिन चन्द्र पाल ने भी भारत में व्यापक निर्धनता के सम्बंध में अपने विचार व्यक्त करके जनमानस को जगाया और विदेशी शासन को भारत के लिए अनुपयोगी और निरर्थक बतलाया। जी.बी.जोशी, श्री आर.सी दत्त, विपिन चन्द्रपाल ने गरीबी को सर्वाधिक सम्पीड़क आर्थिक समस्या बताया।''[5]

बारां जिले का परिचय

बाराँ 14-15वीं शताब्दी में सोलंकी राजपूतों के अधीन था। उस समय इसके अन्तर्गत 12 गांव आते थे, इसलिए यह नगर बारां कहलाया था। बारां समुद्र तल से 262 मीटर की ऊंचाई पर कालीसिंध, पार्वती व परवन नदियों के बीच स्थित है। 1948 में संयुक्त राजस्थान में बारां जिले के रूप में शामिल था। 1949 में राजस्थान के पुनर्गठन होने पर बारां जिला मुख्यालय को तोड़कर कोटा जिले के उपखण्ड में बदल दिया गया। आगे चलकर 10 अप्रैल 1991 को पुन: जिला बना दिया गया।[6] बाराँ जिला राजस्थान के मानचित्र में दक्षिण पूर्वी भू-भाग पर 24025' से 25055' उत्तरी अक्षांश तथा 76012' से 76026' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थिति है। मध्यप्रदेश के श्योपुर, शिवपुरी व गुना जिलों की सीमाएं, पूर्व में कोटा जिले की सीमाएं उत्तर-पश्चिम तथा झालावाड़ जिले की सीमाएं दक्षिण में स्पर्श करती है। पार्वती नदी राजस्थान को बाराँ जिले में मध्यप्रदेश की सीमा से पृथक करती है तथा बाराँ से कोटा जिले को कालीसिंध नदी पृथक कारती है।[7]

बारां जिले में निर्धनता की स्थिति : एक यर्थाथ

बाराँ जिले में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बी.पी.एल. परिवारों की संख्या पंचायत समितिवार निम्न सारणी द्वारा आसानी से समझी जा सकती है।

सारणी संख्या 1 में बारां जिले की प्रत्येक पंचायत समिति चयनित बी.पी.एल. परिवारों तथा गैर बी.पी.एल. परिवारों की संख्या दर्शायी गई हैं। सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि किशनगंज में सबसे अधिक बी.पी.एल. परिवार 12920 हैं, इसके बाद

छीपाबड़ौद में 10726, शाहबाद में 8497, छबड़ा में 7496, अन्ता में 7063, अटरू में 6446 तथा बारां में सबसे कम 3872 बी.पी.एल. परिवार है। इससे स्पष्ट है कि शहरी परिवेश में ग्रामीण परिवेश की अपेक्षा बी.पी.एल. परिवार कम है।

सारणी संख्या 1 : बारां जिले में बी.पी.एल. परिवारों की स्थिति

क्र.सं.	पंचायत समिति	बी.पी.एल. परिवार सं.	गैर बी.पी.एल. परिवार सं.	कुल योग
1	अंता	7063	23182	30245
2	बारां	3872	16462	20334
3	अटरू	6446	22174	28620
4	किशनगंज	12920	18048	30968
5	शाहाबाद	8497	15638	24135
6	छबड़ा	7496	13927	21423
7	छीपाबड़ौद	10726	21125	31851
कुल योग		57020	130556	187576

Source :www.bplcensus.gov.raj.in <http://www.bplcensus.gov.raj.in> date18.9.2015

नीचे अवलोकित सारणी संख्या 2 के तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि जाति आधार पर चयनित बारां जिले के बी.पी.एल. परिवारों अनुसूचित जाति के 138, जनजाति के 146, अन्य पिछड़ा वर्ग के 188 तथा सामान्य वर्ग के 24 परिवार शामिल है। अर्थात जिले में अन्य पिछड़े वर्ग के लोग सबसे अधिक गरीब हैं।

सारणी संख्या 2 : बारां जिले की पंचायत समितियों के चयनित ग्रामों के बी.पी.एल. परिवार

क्र. सं.	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	चयनित ग्राम	बी.पी.एल. परिवार				
				अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य	कुल
1	अंता	बमोरीकलां	बमोरीकलां	18	-	21	3	42
		शाहपुरा	पाकलखेड़ा	25	-	15	-	40
2	बारां	फतेहपुर	फतेहपुर	7	-	31	4	42
		बैंगना	बैंगना	5	5	4	-	14
3	अटरू	मोठपुर	मोठपुर	7	7	26	2	42
		कटावर	कटावर	27	5	8	2	42
4	किशनगंज	रामगढ़	ब्रह्मपुरा	2	39	1	-	42
		पीपलदाकलां	पीपलदाकलां	1	17	8	2	28
5	शाहाबाद	केलवाड़ा	केलवाड़ा	13	12	11	6	42
		बाल्दा	पैनावदा	2	36	4	-	42
6	छबड़ा	खोपर	रीझां	7	1	4	-	12
		मण्डला	उमरथाना	5	18		1	24
7	छीपाबड़ौद	सारथल	सारथल	1	-	41	-	42
		गोरधनपुरा	गोरधनपुरा	18	6	14	4	42
कुल योग		-	-	138	146	188	24	496

Source :www.bplcensus.gov.raj.in <http://www.bplcensus.gov.raj.in> date18.9.2015

सारणी संख्या 3 : बारां जिले के चयनित ग्रामों के चयनित बी.पी.एल. परिवारों की वर्गवार स्थिति

क्र. सं.	चयनित ग्राम	अनु.जाति			अनु.ज.जाति			अ.पि.वर्ग			अन्य			कुल		
		M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
1	बमोरीकलां	3	1	4				4	1	5	1		1	8	2	10
	पाकलखेड़ा	6		6				3	1	4				9	1	10
2	फतेहपुर	2		2				7		7	1		1	10		10
	बैंगना	4		4	3		3	3		3				10		10
3	मोठपुर	2	1	3	2		2	4	1	5				8	2	10
	कटावर	6		6	1	1	2	1		1	1		1	9	1	10
4	ब्रह्मपुरा	1		1	7	1	8	1		1				9	1	10
	पीपलदाकलां	1		1	6		6	2		2	1		1	10		10
5	केलवाड़ा	2	1	3	2	1	3	2	1	3	1		1	7	3	10
	पैनावदा	1		1	7	1	8	1		1				9	1	10
6	रीझां	6		6	1		1	3		3				10		10
	उमरथाना	2		2	7		7				1		1	10		10
7	सारथल	1		1				9		9				10		10
	गोरधनपुरा	4		4	2		2	3		3		1	1	9	1	10
कुल 14 ग्राम		41	3	44	38	4	42	43	4	47	6	1	7	128	12	140

Source :www.bplcensus.gov.raj.in <http://www.bplcensus.gov.raj.in> date18.9.2015

सारणी संख्या 3 में शोध में चयनित ग्रामों में चयनित बी.पी. एल. परिवारों को जातिवार देखा जा सकता है। सारणी से साफ हो जाता है कि चयनित 140 बी.पी.एल. परिवारों में केवल 12 महिला ही परिवारों की मुखिया हैं जो पुरुष प्रधान समाज का द्योतक है। जातिवार बी.पी.एल. परिवारों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति के सबसे अधिक बमोरी कलां, कटावर और रीझां में सबसे अधिक (प्रत्येक में 6) संख्या में हैं। इसी प्रकार ब्रह्मपुरा, पैनावदा, उमरथाना, और पीपलदाकलां में जनजाति के सर्वाधिक चयनित बी.पी.एल. परिवार हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग में सारथल में 9, फतेहपुर में 7, मोठपुर व बमोरीकलां मे 5-5 चयनित बी.पी.एल. परिवार हैं। सामान्य वर्ग की जनसंख्या सम्पूर्ण जिले में कम होने तथा साधनों एवं सम्पत्ति के आधिक्य के कारण इस वर्ग में बी.पी.एल. कम चयनित हुए हैं।

सारणी संख्या 4 : योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के संदर्भ में उत्तरदाताओं की राय

रायशुमारी/ सुझाव	चयनित उत्तरदाता वर्ग					
	बी.पी.एल. वर्ग	प्रतिशत	जन प्रतिनिधि	प्रतिशत	प्रशासनिक वर्ग	प्रतिशत
सही जानकारी मिले	12	8.57	2	10	4	20
नियम सरल हो	8	5.72	1	5	1	5
नेता स्वच्छ छवीं रखे	10	7.14	4	20	4	20
भ्रष्टाचार से मुक्त हो	40	28.57	5	25	5	25
निर्धन ही चयतिन हो	65	46.43	8	40	6	30
काई जवाब नहीं	5	03.57	-	-	-	-
कुल	140	100	20	100	20	100

Source: survay data by researcher

सारणी संख्या 4 के अनुसार प्राप्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि निर्धनता उन्मूलन की सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अनेक बाधाएं आती हैं। 8.57 प्रतिशत बी.पी. एल., 10 प्रतिशत जनप्रतिनिधि और 20 प्रतिशत प्रशासनिक वर्ग के उत्तरदाता चाहते हैं कि सरकारी योजनाओं की सही एवं पूर्ण जानकारी लोगों को मिलनी चाहिए। केवल निर्धनों का ही चयन होने के सम्बन्ध में राय रखने वालों में 46.43 प्रतिशत बी.पी. एल., 40 प्रतिशत जनप्रतिनिधि और 30 प्रतिशत प्रशासनिक वर्ग के अत्तरदाता शामिल हैं। भ्रष्टाचार के उन्मूलन के बारे में सभी वर्ग के उत्तरदाताओं के लगभग एक जैसे विचार हैं।

सारणी संख्या 5 : राज्य प्रशासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं से उत्तरदाताओं के जीवन में परिवर्तन की स्थिति

क्र. सं.	उत्तरदाता	बी.पी.एल. परिवार		जनप्रतिनिधि		प्रशासनिक वर्ग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	96	68.57	19	95	15	75
2	नहीं	34	24.29	1	5	2	10
3	पता नहीं	10	7.14	-	-	3	15
	योग	140	100	20	100	20	100

Source: survay data by rsearcher

उपर्युक्त सारणी संख्या 5 में दिखाये गये तथ्य शोधार्थी द्वारा सर्वे के दौरान प्राप्त किये हैं। प्रदर्शित आंकड़ों से स्पष्ट है कि बी.पी.एल. श्रेणी के 68.57 प्रतिशत, 95 प्रतिशत जनप्रतिनिधि तथा 75 प्रतिशत प्रशासनिक वर्ग के उत्तरदाताओं का मानना है कि बी.पी. एल. परिवारों की स्थिति निश्चित रूप से परिवर्तित हुई है तथा आगामी वर्षों में और अधिक सुधार देखा जा सकेगा।

सुझाव

राजस्थान के बारां जिले में बढ़ती निर्धनता को देखते हुए इसके निराकरण के लिए कुछ सुझावों पर अमल किया जा सकता है।

1. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पशुपालन, वानिकी व सहायक उद्योगों की स्थापना करके अधिक विविधीकृत किया जाये तथा लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए।
2. गरीबों को दो वर्गो में बांटा जाए, एक वर्ग में वे गरीब हो जिनके पास कोई कौशल हो तथा वे स्वरोजगार कर सकते हैं। दूसरे वर्ग में वे गरीब हो जिनके पास कोई कौशल या प्रशिक्षण नहीं हो और वे जो केवल मजदूरी पर ही आश्रित हैं। प्रत्येक वर्ग की उन्नति के लिए अलग नीति बनाई जाये।
3. स्वरोजगार व मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों में समन्वय होना चाहिए।
4. ऐसे परिवार जिनके पास न कोई कौशल है, न कोई परिसम्पत्ति है और न कोई काम करने वाला वयस्क है, ऐसे परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाई जाये।
5. परिवार कल्याण, पौष्टिक आहार, सामाजिक सुरक्षा तथा न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति पर ध्यान दिया जाये।
6. गरीबों के लिए पर्याप्त भूमि, जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, ईंधन व परिवहन सुविधाओं का विस्तार हो।
7. गांवों में बड़े किसानों और सामंतों द्वारा गरीबों के शोषण को रोका जाए।
8. गरीबी निवारण कार्यक्रमों की प्रतिवर्ष समीक्षा व मूल्यांकन किया जाए। साधनों के निजी स्वामित्व, आय व साधनों के असमान वितरण व प्रयोग पर नियंत्रण किया जाए।
9. गरीबी निवारण कार्यक्रमों का अधिकतम लाभ अमीरों की बजाय गरीबों को ही प्राप्त हो।
10. सरकार गरीबों के कल्याण के लिए आर्थिक नीति बनाये तथा अमीरों व पूँजीवाद को बढ़ावा देने वाली नीतियों में बदलाव किया जाए।

निष्कर्ष

राजस्थान के बारां जिले में गरीबी के कई कारण रहे हैं जिसमें ग्रामीण गरीबी का मूल कारण कृषि में अर्द्ध सामंती उत्पादन सम्बन्धों का होना है। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधारों के लिए उठाए गये कदम अपर्याप्त हैं। भूमि पर बड़े किसानों का अधिकार होने से भूमिहीनों की संख्या बढ़ती जा रही है। लगभग सभी खेतीहर मजदूरों के परिवार, छोटे व सीमांत किसान तथा भूमिहीन गैर कृषि क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिक परिवार गरीब है। जनसंख्या लगातार बढ़ रही है परन्तु भूमि उतनी ही रहती है जिससे श्रम उत्पादकता और वास्तविक प्रतिव्यक्ति आय कम होती जाती है। कृषि में तकनीकी परिवर्तनों व खाद्यानों के समर्थन मूल्यों में वृद्धि

का लाभ बड़े किसानों को ही हुआ है। इससे आय की असमानता भी बढ़ी है। उत्पादन लागत में कमी से खाद्यानों की कीमतें घटती है जिससे छोटे किसानों को हानि होती है। पिछले 20-25 वर्षो में देश में हुए भ्रष्टाचार और करोड़ों रुपये के घोटालों ने गरीबों की गरीबी को और अधिक बढ़ा दिया। देश में बढ़ते पूँजीवाद के कारण नव उदारवादी नीतियां तथा खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश की नीतियां गरीबों के लिए अहितकर सिद्ध हुई है। नेताओं और अधिकारियों के बढ़ते वेतन और सुविधाएं तथा उनके द्वारा एकत्रित अरबों की सम्पत्ति से अमीरी और गरीबी की खाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सरकार की आर्थिक नीतियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। आज देश में 20 प्रतिशत लोगों के पास देश की 80 प्रतिशत सम्पत्ति केन्द्रित है। देश में 400 करोड़पति सांसद हैं ये लोग अपने हितों और स्वार्थों का ध्यान में रखकर बनाते बिगाड़ते रहते हैं, इसलिए देश में आर्थिक विषमता गहराती जा रही है जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। गरीबों की कीमत पर बढ़ती अमीरी गरीबी निवारण के मार्ग में बड़ी बाधा बन गई है। यद्यपि सरकार द्वारा गरीबी निवारण हेतु अनेक कार्यक्रम चलाये गये हैं तथा इस पर अरबों रूपये खर्च किये जा रहे हैं किन्तु इनका पूरा लाभ गरीबों तक नहीं पहँच पाता है। जरूरत केवल इन योजनाओं के लाभों को गरीबों तक पहुँचाया जाए इसके लिए सरकार को कठोर कदम उठाने होंगें साथ ही सरकार को उधोगों की स्थपना तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएं और अकुशल कारीगरों को प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये।

संदर्भ सूची

1 कानवा, योगेश एवं कटारिया, सुरेन्द्र,भारत में निर्धनता आर्थिक विकास एवं मीडिया,आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर, 2006 पृ.सं. 2

2 सेन, अमर्त्य, गरीबी और अकाल, राजपाल एण्ड सन्स मदरसा रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली, वर्ष 2013, पृ.सं. 23, 24

3 दीक्षित, आर. के., आर्थिक चुनौतिया एवं चितंन, आर.बी. एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर, 2002, पृ.सं. 9

4 कानवा, योगेश एवं कटारिया, सुरेन्द्र, भारत में निर्धनता आर्थिक विकास एवं मीडिया, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर, 2006 पृ.सं. 81

5 पाण्डेय, धनपति, आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास,मोतीलाल बनारसी दास प्रा.लि. नई दिल्ली, 2006 पृ.सं. 15

6 नाटाणी, प्रकाश नारायण,अपना राजस्थान, शिव बुक डिपो, जयपुर, 2010, पृ.सं. डी-66

7 प्रकाशक, सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, जिला दर्शन बाराँ, 2012, पृ.सं. 5

जनजाति विकास अवधारणा की दशा एवम् दिशाएँ

महेश कुमार मीणा

व्याख्याता, भूगोल विभाग

बी.बी.डी. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चिमनपुरा, जयपुर (राज.)

शोध सारांश

जनजातीय समाज, आदिम समाज का प्रतिनिधित्व करता है। भौगोलिक विलगता, अन्तर्मुखी स्वभाव, स्वयं के सामाजिक, सांस्कृतिक स्वरूप के कारण, जनजातीय समूह विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया। इनका जीवन पूर्णतया प्रकृति पर निर्भर है। अशिक्षा, गरीबी, कुपोषण, अस्वस्थता, अन्धविश्वास, पारम्परिक आदिम जीवन आदि समस्याएँ जनजातीय समाज में प्रमुखता से देखी जाती हैं। जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए संवैधानिक व नीतिगत प्रयास किये गये हैं। लेकिन फिर भी जनजातियाँ स्वयं को विकास की मुख्य धारा से नहीं जोड़ पाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मानवधिकार जैसे विषय जनजातीय समूह की पंहुच से अभी भी बाहर हैं, यदि शेष सामाजिक समूहों से तुलना की जाये। बहुउद्देशीय योजनाओं, खनन आदि विकासात्मक गतिविधियों ने जनजातीय समाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। विकास की इस प्रक्रिया ने जनजातीयों को प्रकृति प्रेम व जल, जंगल, जमीन की अवधारणा से दूर कर दिया है। आज आवश्यकता सतत् विकास के दृष्टिकोण से इन्हें स्वयं के व्यवसाय तथा आर्थिक क्रियाकलापों में दक्षता लाने की है। जनजातीय समूह को पुन: जल, जंगल, जमीन से जोड़ना होगा ताकि इनके पारम्परिक ज्ञान, संस्कृति का संरक्षण करते हुए मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।

संकेताक्षर : *जनजातीय समुदाय, सामाजिक स्वरूप, सामाजिक-सांस्कृतिक संघर्ष, सतत् विकास, जनजातीय अधिकार*

समाज के सभी वर्ग समान रूप से विकास की मुख्यधारा से जुड़े नहीं होते हैं। भौगोलिक विलगता, अन्तर्मुखी स्वभाव, स्वयं का सामाजिक-सांस्कृतिक स्वरूप आदि कारक इस जुड़ाव को सीमित या बाधित करते हैं। इनका जीवन पूर्णत: प्रकृति पर निर्भर करता है। प्राथमिक कार्यो (जैसे- वनीय उत्पाद, शिकार, आदिम प्रकार की कृषि) द्वारा अपना जीविकोपार्जन करते हैं। अनेक मानवशास्त्री इन्हें जनजाति या वनवासी भी कहते हैं। मानवशास्त्र के शब्दकोष में ''जनजाति'' को एक सामाजिक समूह माना गया है। जो प्राय: निश्चित भू-भाग में रहते हैं जिनकी अपनी भाषा सभ्यता तथा सामाजिक-संगठन है। ए.आर.देसाई ने जनजातियों के निम्न लक्षण बताये हैं-[1]

1. ये सभ्य जगत से दूर पर्वतों तथा जंगलो में दुर्गम स्थान पर निवास करते हैं।
2. ये नीग्रोटोज, कॉकेसाइड अथवा मंगोलाइड प्रजातीय समूह से सम्बद्ध हैं।
3. ये जनजातीय ''भाषा'' एवम् ''बोली'' को प्रयोग करते हैं।
4. ये आदिम धर्म को मानते हैं जो कि सर्वजीववाद के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता है जिसमें भूतों तथा आत्माओं की पूजा का महत्वपूर्ण स्थान है।
5. ये विशेष जनजातीय व्यवसायों को अपनाते हैं, जैसे- प्राकृतिक वस्तुओं का संग्रह करना, शिकार करना, मछली पालन, झूम-खेती आदि।
6. ये अधिकांश मांस भक्षी होते हैं।
7. इनमें खानाबदोशी आदतें हैं। एवम् नृत्य के प्रति इनकी विशेष रुचि होती है।[1]

भारत में संविधान के प्रावधानों के तहत ''अनुसूचित-जनजातियो'' की श्रेणी में आने वाले जनजातीय लोगों की संख्या 8.43 करोड़ है। यह देश की कुल जनसंख्या का (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार) 8.2% है। आदिवासी देश के लगभग 19% भाग में निवास कर रहे हैं। देश में भारत के संविधान के अनुच्छेद

342 के अन्तर्गत 600 से अधिक जनजातियों को अधिसूचित किया गया है। जिनकी अपनी भाषा, सभ्यता, संस्कृति एवम् आर्थिक नियमन है।

सन् 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में निवास करने वाली जनजातियों की कुल जनसंख्या 96,94,462 है। इनमें 50,67,679 पुरुष एवम् 46,26,783 स्त्रियां हैं। जनजातियों की इस जनसंख्या में से ग्रामीण इलाकों में निवास करने वाली जनजातीय जनसंख्या- 77,39,926 है शेष 19,54,536 नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है।

देश की 8.43 करोड़ जनजातियाँ देश के विशाल 19% भू भाग पर निवास करती हैं। अधिकांश जनजातियाँ अधिवास विलग व जंगलों में होते हैं। अपनी विलग स्थिति के कारण जनजातीय समुदाय विकास की दौड़ में मुख्य समाज से पीछे रह गया। अशिक्षा, गरीबी, कुपोषण, अस्वस्थता, अंधविश्वास पारम्परिक आदिम जीवन आदि समस्याएं जनजातीय समुदाय में प्रमुखता से पाई जाती हैं। इन्हीं समस्याओं का निदान व विकास पथ में जनजातियों की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्रता के पश्चात् अनेक संवैधानिक व संविधानेत्तर प्रावधान किए गए। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों अनच्छेद- 244, अनु. 366, अनु. 342, अनु. 275 आदि में जनजातीय विकास व पहचान के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों व विकास योजनाओं के बाद भी जनजातियाँ स्वयं को विकास की मुख्य धारा से नही जोड़ पाई है। आदिवासी क्षेत्रों में जो आधुनिक विकास के कार्यक्रम जैसे- बहुउद्देश्यीय योजनाएॅ, खनन उद्योग, सड़क आदि से अनेक नयी समस्याएँ जन्म ले रही हैं। तकनीकी विकास के कारण बाहरी तत्वों की घुसपैठ आसान हो गयी है। ये तत्व आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक तीनों शक्तियों से लैस होते हैं। इसलिए कानून की गिरफ्त से बचे रहते हैं या यह कहना भी गलत न होगा कि इन्हें राजनीतिज्ञों व प्रशासको का प्रत्यक्षा व परोक्ष आश्रम प्राप्त है। ढेवर आयोग का निष्कर्ष था कि आदिवासी इन संगठित तत्वों के समक्ष शक्तिहीन होते हैं और कोर्ट-कचहरी में अपना पक्ष मजबूती के साथ रखने में असमर्थ होते हैं। चतुर बाहरी तत्व आदिवासियों के उत्पादन के सभी साधनों पर धीरे-धीरे हावी हो जाते हैं। इस प्रकार आदिवासी परिवार अपने ही देश में पराया हो जाता है।[2]

जनजातीय समुदाय की स्वास्थ्य व शिक्षा संबंधी समस्याएॅ

स्वतंत्रता के 65 वर्षो के बाद भी जनजातियों की स्वास्थ्य एवम् शिक्षा की दृष्टि से बहुत बेहतर स्थिति है। भौगोलिक व सामाजिक पर्यावरण की विलगता की स्थिति इन्हें स्वास्थ्य व शिक्षा से दूर कर देती है। यदि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के जनजातियों के स्वास्थ्य संबंधी सर्वेक्षण का विश्लेषण किया जाए तो इनकी स्वास्थ्य की बेहद कमजोर स्थिति दृष्टिगत होती है। (राजस्थान के विशेष संदर्भ में):-

तालिका : राजस्थान की जनजातियों में स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सूचक

क्र. सं.	सूचक	प्रतिशत
1.	शिशु जन्म पूर्व देखभाल प्राप्त करने वाली महिलाएँ	42.0
2.	टिटनेस टॉक्साइड के दो इंजेक्शन प्राप्त करने वाली महिलाएँ	42.0
3.	100 आई.एफ.ए. गोलियॉ प्राप्त करने वाली महिलाएँ	35.8
4.	घर पर हुए शिशु जन्म	86
5.	दाई अथवा अन्य द्वारा सम्पन्न प्रसव	76
6.	बच्चों का टीकाकरण प्रतिरोधीकरण	15.7
7.	D.P.T. की तीन खुराक व पोलियों की तीन खुराक व पोलियों की तीन खुराक	31.5
8.	चेचक	19
9.	B.C.G. की एक खुराक	39.7
10.	विटामीन A की एक खुराक	12.9
11.	पूर्ण टीकाकरण	10.3
12.	स्तनों से प्रथम दुग्ध निकाल देने वाली महिलाएँ	73.8

स्रोत :- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)-2, भारत एवम् राजस्थान 1998-993

उपरोक्त स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े या तथ्य जनजातीय समुदाय के स्वास्थ्य की बर्बर व भयावह तस्वीर पेश करते हैं। अभी भी 86% शिशुओं का प्रसव, बिना किसी प्रशिक्षित दाई के द्वारा घर पर करवाया जा रहा है। टीकाकरण की दृष्टि से, अभी भी जनजातीय महिलाएँ व शिशु 90% अछूते रहे है। अज्ञान, अशिक्षा व गरीबी जनजातीय समुदाय की स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच को सीमित कर देती है।

इसी प्रकार राजस्थान की जनजातियो की जनन क्षमता सूचक भी इनकी विपरीत व चिन्तनीय स्थिति को दृष्टिपात करते है:-

तालिका

क्र. सं.	सूचक	प्रतिशत
1.	वर्तमान गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत (%)	12.4
2.	45-49 वर्ष की कभी भी विवाहित हुई महिलाओं द्वारा कभी भी जन्म दिए गए बच्चों की माध्य संख्या	5.72
3.	क्रम में तीसरे अथवा इसके बाद जन्म लिए बच्चों का प्रतिशत	55
4.	20-49 वर्ष के आयु वर्ग की महिलाओं की प्रथम शिशु-जन्म के समय माध्यिका आयु	19.4
5.	कुल प्रजनन दर	4.3
6.	इच्छित/अभिलाषित प्रजनन	2.7
7.	आदर्श मानी गई बच्चो की संख्या	2.9
8.	कम से कम एक पुत्र की इच्छा करने वाली महिलाओं का प्रतिशत	97
9.	पिछले शिशु जन्म से अगले के मध्य का औसत अन्तराल	29.5

स्रोत :- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)-2, भारत एवम् राजस्थान 1998-994

स्वतंत्रता के 65 वर्ष के पश्चात् भी 2001 के ऑकड़ों के अनुसार राजस्थान में जनजातियों की शिक्षा का प्रतिशत 44.15 ही है। जिसमें महिलाओं में शिक्षा का स्तर पुरुषों की तुलना में काफी कम है। जनजातीय शिक्षा का प्रादेशिक विश्लेषण करने पर पाया गया कि दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में शिक्षा का स्तर उत्तरी राजस्थान की जनजातियों (विशेषकर मीणा जनजाति) से लगभग आधा ही है। इनकी भौगोलिक विलगता, नवाचारों के प्रसार में बहुत बड़ी बाधा रही है। परिणामत: जनजातीय समुदाय शिक्षा में काफी पिछड़ा रह गया है।

संसाधन, विकास व जनजातिय समुदाय

इसे विडम्बना ही कहा जा सकता है कि देश के 70% खनिज संसाधन उन क्षेत्रों में पाए जाते है जहाँ जनजातिय समुदाय निवास करते हैं। विकास के नाम पर इन जनजातियों का अनियोजित विस्थापन किया जा रहा है। यह विस्थापन जनजातियों को न केवल उनके अधिवासो से दूर कर रहा है बल्कि पर्यावरण के साथ उनके सौहार्द्रपूर्ण- आत्मीय संबंधों को भी तोड़ रहा है। जनजातियों के पर्यावरण, सांस्कृतिक सम्पर्क एवं अर्थ सम्बन्धी समस्याओं के कारण अनेक सामाजिक एवम् सांस्कृतिक समस्याएॅ उत्पन्न हुई हैं और अन्य कारणों यथा-शिक्षा, राजनीति एवम् धार्मिक स्वरूपों में व्याप्त समस्याओं के कारण ओर जटिल हो गयी है। जहाँ तक संस्कृति का प्रश्न है, बहुत सी अल्पसंख्यक जनजातियाँ लुप्त होती जा रही हैं या उनका स्वरूप बदलता जा रहा है। विस्थापन के साथ-साथ अन्य सामाजिक वर्गो के साथ विकास के नाम पर किया गया अन्तर्सम्बन्ध- सामाजिक परिवर्तन को एक नई दिशा देता है। जनजातियों के धार्मिक विश्वास पर हिन्दुत्त्व का प्रभाव बढ़ रहा है। जनजातियों के हिन्दूकरण की प्रक्रिया ने उन्हें प्रकृति प्रेम व जल जंगल जमीन की अवधारण से दूर कर दिया है। उनके स्वयं के सांस्कृतिक व धार्मिक मूल्यों के प्रति उदासीनता का भाव तथा आस्था में कमी आयी है जो उनके लिए समस्या बन गयी है।

विकास के नाम पर जनजातीय अधिवासों के नष्ट करने की प्रवृति ने जनजातियों के शोषणा को बढ़ा दिया है। जिससे देश में आन्तरिक राजनीतिक-सामाजिक-सास्कृतिक संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई है। नक्सली, माओवादी आदि समस्याएॅ इस संघर्ष की चरम परिणीति है। राजस्थान में भी विकास के नाम अनुसूचित जाति/जनजाति पर निरन्तर अत्याचार बढ़ रहे हैं।

तालिका : राजस्थान में अनुसूचित जाति/जनजाति के साथ हुए दर्ज हत्याचारों की स्थिति[5]

क्र.स.	हत्याचार का प्रकार	वर्षवार अभियोग			
		2001	2002	2003	2004
1.	हत्या	45	56	63	78
2.	गम्भीर चोट	106	204	196	235
3.	बलात्कार	138	151	212	196
4.	गम्भीर क्षति	61	68	96	113
5.	पी.सी.आर. एक्ट	2	1	-	-
6.	अन्य भारतीय दण्ड संहिताएँ	4027	3951	2628	4008
7.	अनुसूचित जाति/जनजाति एक्ट	912	1033	2046	2211
	कुल	**5295**	**5464**	**5241**	**6842**

जनजातीय समुदाय विकास का आदर्श स्वरूप क्या हो?

जनजाति समुदाय के विकास के लिए संवैधानिक प्रावधानों व विकास के नाम पर अपार धनराशि पानी की तरह बहाए जाने के बाद भी, जनजातीय विकास के आशानुसार परिणाम नहीं मिले है। आज सबसे अधिक आवश्यकता इन आदिवासी समुदाय के सतत् विकास एवम् विकास योजनाओं में सकारात्मक भागीदारी की है।

जल, जंगल, जमीन का विषय आदिवासियों के जमीर से जुड़ा हुआ हैं इनका पर्यावरण के सम्बन्ध पारिस्तिकी तंत्र के एक कारक के रूप में महत्वपूर्ण है जो जल, जंगल व जमीन को बांधे रखने में सकारात्मक भूमिका निभाता है। अत: आवश्यकता बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाने की है। जो न केवल इनकी आर्थिक स्थिति को समृद्ध बनाए बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक स्वरूप को भी बनाए रखें।

कृषि और आदिवासी विकास

आज भी देश का 80 प्रतिशत जनजातीय समुदाय भौगोलिक व सामजिक दृष्टिकोण से विलग ही रहता हैं जिनमें अधिकांश जनजातियों का जीविकोपार्जन जंगल के उत्पादों व कृषि पर प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से निर्भर है। विकास के नाम पर जंगलों के काटे जाने, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं आदि के कारण इन आदिवासी समुदाय को अपने ही घर में बेघर होना पड़ रहा है। आज आवश्यकता सतत् विकास के दृष्टिकोण से इन्हें स्वयं के व्यवसाय या आर्थिक क्रिया कलापों में दक्षता लाने की है। इनके पारम्परिक ज्ञान व कौशल के व्यवसायीकरण की है। यह पारम्परिक ज्ञान चाहे कृषि से संबंधित हो या औषधीय उत्पादों से। कृषि में सिंचाई के लिए प्रयुक्त पारम्परिक प्रविधियाँ, जैसे-कुएँ, तालाब, डाबरा प्रणाली, हारण प्रणाली, वेरो, टांका, कुंडी प्रणाली आदि पर्यावरण से अधिक साम्या रखती हैं। अत: इन्हें संरक्षित कर, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दक्षिण राजस्थान में सिंचाई की ये प्रविधियॉ पर्यावरण को फलीभूत करने मे ंमहत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साथ ही तथाकथित विकसित समाज को वर्षा जल संचित करने का संदेश भी देती है। हारण इसी प्रकार सिंचाई प्रणाली है।

तालिका : दक्षिण राजस्थान में ंहारण प्रणाली से सिंचाई (प्रतिशत)[6]

तहसील/जिला	डूंगरपुर	डूंगरपुर	सीमलवाडा	सागवाड़ा	आसपुर
हारण से सिंचाई (प्रतिशत)	6.45	1.58	0.80	0.20	67.91

रेशम कीट पालन, शहद व्यवसाय, पशु उत्पाद आदि व्यवसायों व आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहित करके भी आदिवासियों का विकास किया जाना चाहिए जिससे कि प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित रखा जा सके।

आदिवासी चित्रकला व विकास

जनजातीय चित्रकला न केवल मौलिक है बल्कि पर्यावरण के अधिक नजदीक है या इनके विकास को समझने का मौलिक व महत्वपूर्ण आधार भी है आज आवश्यकता इनके मौलिक रूप के

व्यवसायिकरण व प्रोत्साहित करने की है। जिससे आर्थिक स्रोंतो को विकसित कर, इनका विकास किया जा सके। भित्ति चित्र, व्यक्ति चित्र, लकड़ी व पत्थर पर नक्काशी आदि आदिवासी कला की महत्वपूर्ण विद्याएँ है।

संसाधन दोहन व आदिवासी विकास

आज आवश्यकता आदिवासी विस्थापन की कीमत पर किए जा रहे विकास की नीति से पीछे हटने की है। संसाधन दोहन, विकास के लिए आवश्यक है। लेकिन आवश्यकता जनजातीय समुदाय के अधिवास व पर्यावरण को ह्रास पहुँचाए बिना नियोजित विकास किये जाने की है। आदिवासी समुदाय की सरकारी विकास योजनाओं व कार्यक्रमों में भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जब तक इनमें ये भावनाएॅ पैदा नहीं होंगी कि विकास योजनाएँ उनके कल्याण के लिए हैं, तब तक वे इन योजनाओं का पूरा लाभ उठाने से वंचित ही रहेंगे। वनवासी बाहुल्य क्षेत्र की विकास योजनाओं हेतु आवंटित राशि तथा अन्य साधन स्रोत का पूर्ण पारदर्शिता के साथ इतना व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए कि भ्रष्ट नौकरशाही अथवा किसी अन्य एर्जेंसी द्वारा उनके दुरुपयोग की भनक लगते ही क्षेत्र का वनवासी समुदाय तत्काल उस पर अकुंश लगाने हेतु समर्थ हो सके। इसके लिए आदिवासियों की परम्परागत पंचायतों को भी अधिक सशक्त किया जाना चाहिए। जिससे न केवल इनके आपसी विवादो बल्कि शेष समाज व सरकारी विवादों का स्थायी स्तर पर ही निपटारा किया जा सके जैसे- राजस्थान के दक्षिण में स्थित आदिवासी बहुल जिले डूंगरपुर में रहने वाले आदिवासियों में आज भी न्याय की ''भांजगडिया प्रथा'' विद्यमान है।

जनजातीय विकास व जनसंचार

जर्मन समाज शास्त्री -जुगैन हेबरमास ने अपनी पुस्तक :: स्ट्रक्चरल ट्रांसफोरमेशन ऑफ द पब्लिक स्फेयर'' कहा है कि वर्तमान में यह समाज उतना ही विकसित एवम् सशक्त है जिस समाज की सूचना प्रौद्योगिकी सुदृढ़ एवम् विकसित है।

ज्ञान का निर्माण समाज द्वारा होता है। और इसीलिए जनजातीय समाज की दशा का विश्लेषण ज्ञान के माध्यम से ही होना चाहिए। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो स्वतंत्र और अभिव्यक्ति परक हो तथा जहॉ व्यक्ति का सम्प्रेषण पूर्ण तथा बन्धनों से मुक्त हो।

अत: आदिवासियों का समग्र व समावेशी विकास आवश्यक है। सरकारी द्वारा भी जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएँ चल भी रही हैं।

1. सांस्कृतिक संरक्षण एवम् पोषण योजनाएँ:-
   (क) गवरी नृत्य पुनरूत्थान सहायता ।
   (ख) सांस्कृतिक भ्रमण आयोजन कार्यक्रम।
   (ग) प्रमुख मेलो में सांस्कृतिक प्रदर्शन।
2. औषधीय पादप कृषि, संग्रहण, प्रसस्करण व प्रशिक्षण योजनाएँ।
3. वन विभागीय योजनाएँ- सतत् रोजगार कार्यक्रम, वन मालिक योजना, वन-विस्तार कार्यक्रम।
4. जल संरक्षण कार्यक्रम।
5. सेरी कल्चर, मशरूम व मधुमक्खी पालन।
6. जनजाति पर्यटन क्षेत्र विकास।

जनजाति विकास की सैकड़ों योजनाओं के बावजूद समुचित विकास हेतु प्रभावी कार्यवाही अभी शेष है। उनकी आधारभूत सेवाओं के साथ-2 सामाजिक बदलाव के लिए शिक्षा और साक्षरता का व्यापक प्रचार-प्रसार होना नितान्त आवश्यक है। कृषि का आधुनिकीकरण व वनीय उत्पादो के प्रसंस्करण तकनीकों का प्रसार आदिवासी क्षेत्रों मे ंकिया जाना चाहिए। आज आवश्यकता जनजाति विकास योजनाओं व कार्यक्रमों का विश्लेषण कर सुधार करने की है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. उद्धत लवानिया, एम.एम. एवम् जैन, शशि के., भारत में जनजातियों का समाज शास्त्र, जयपुर रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृ.सं. 1-2
2. मीना, डॉ. मनोज कुमार, (संयुक्त विशेषांक वर्ष 2007-2009) अनुसूचित जनजातियाँ: समस्याएँ, उपलब्धियाँ एवम् सुझाव, ''ट्राइब'' माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवम् प्रशिक्षण संस्थान,उदयपुर, खण्ड 39-41, पृ.सं. 98-100
3. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, भारत एवम् राजस्थान, 1998-99
4. उपर्युक्त
5. मीना, डॉ. मनोज कुमार, पूर्वोक्त पृ.सं. 98-110
6. पुरोहित, डॉ. प्रदीप, (संयुक्त विशेषांक वर्ष 2007-2009) : जल संरक्षण में जनजातियों का योगदान, ''ट्राइब'' माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवम् प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर, खण्ड - 39-41, पृ.सं. 145-157

वृद्धावस्था एक समायोजन (एक अध्ययन)

डॉ. रीना चतुर्वेदी

मनोविज्ञान विभाग

महात्मा ज्योति राव फूले विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)

शोध सारांश

वृद्धावस्था वह आयु है, जिसमें व्यक्ति में अनेक शारीरिक, मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तन तीव्रता से होते हैं और इन परिवर्तनों के साथ उसे समायोजन करना होता है। जीवन के प्रारम्भिक वर्षों में होने वाले परिवर्तन विकासात्मक होते हैं, जबकि जीवन के अंतिम वर्षो में होने वाले परिवर्तन जटिल होते हैं, जो प्रतिगमन (Regreasien) प्रदर्शित करते हैं। अध्ययन का उद्देश्य वृद्धावस्था में विभिन्न समायोजन का विश्लेषण करना है, जिसके लिए पुरुष व महिलाओं की आयु लगभग 60–70 के मध्य से जानकारी एकत्र की गयी। जोसेफ कैम्पवेल ने वृद्ध व्यक्ति के सम्मान में लिखा है –"As a white candle, in a holy place, So is the beauty of an aged face."

संकेताक्षर : *वृद्धावस्था, समायोजन, समस्यायें*

वृद्धावस्था अथवा 'जरण' जीवन की अन्तिम अवस्था कही जाती है। मनोवैज्ञानकों ने वृद्धावस्था 60 – 70 से प्रारम्भ होकर मृत्युपर्यंत मानी जाती है। अमेरिका में कुछ विकासात्मक मनौवैज्ञानिकों ने वृद्धावस्था का प्रसार 120 वर्ष तक मान लिया है। इस अवस्था में व्यक्ति में अनेक शारीरिक, मानसिक व मनौवैज्ञानिक परिवर्तन बहुत तीव्रता से होते हैं, कोई भी व्यक्ति स्थिर नहीं है, उसमें निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। जीवन के प्रारम्भिक वर्षो में होने वाले परिवर्तन विकासात्मक होते हैं, जबकि जीवन के अंतिम वर्षो में होने वाले परिवर्तन जटिल होते हैं, जो प्रतिगमन (Regreasien) प्रदर्शित करते हैं। सामान्यत: अनेक वृद्धजन अनुभवी, सहिष्णु, विवेकशील, उदार और धैर्यवान होते हैं। कुछ तो उत्साह से भरे सीमित शारीरिक क्षमता के बावजूद अभूतपूर्व मानसिक दृढ़ता, सृजनात्मकता, कौशल इच्छाशक्ति का प्रदर्शन करते हैं। वृद्धावस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं को नकारा नहीं जा सकता। ह्रांस का कारण कोई व्याधि न होकर वृद्धावस्था की प्रक्रिया होती है। ह्रास में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। प्रमुख कारण अभिप्रेरणा (Motivation) की कमी को माना जाता है। इस अवस्था में शारीरिक ह्रास मानसिक से पहले होता है। जब व्यक्ति में वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई देना प्रारम्भ हो जाते हैं व मानसिक रूप से स्वयं ही निष्क्रिय हो जाते हैं और उनके व्यवहार में शिथिलता आ जाती है।

वृद्धावस्था की मुख्य समस्याएँ

शारीरिक क्षति व स्वास्थ्य – आयु वृद्धि के साथ साथ अनेक शारीरिक परिवर्तन घटित होते रहते हैं। व्यक्ति के शरीर में झुर्रिया पड़ जाती हैं, चेहरा सिकुड़ जाता है, दाँत गिर जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं। मांसपेशियों में तनाव, देखने सुनने की क्षमता में कमी, अनेक प्रकार के दर्द, उच्च रक्तचाप, गठिया, मधुमेह, कोशिका वृद्धि, कुपोषण, निष्क्रियता, अतिभोजन, दोषपूर्ण भोजन, आलस्य, चोट, मानसिक तनाव, अंत:स्त्रावी ग्रंथियों की विकृति, गर्मी सर्दी का प्रभाव, कंधे व कमर झुक जाती है। हाथ पैरो में लचक नहीं रहती जिससे चाल धीमी पड़ जाती है। हाथ-पैर काँपने लगते हैं, हड्डियाँ सख्त हो जाती है। जिससे उनके टूटने का डर बना रहता है। सहनशीलता कम हो जाती है। बौद्धिक शक्ति व स्मरण शक्ति कम हो जाती है। वृद्धावस्था में विभिन्न प्रकार के रोग लग जाते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य गिरता जाता है। वृद्धावस्था में कब्ज, पाचन सम्बन्धी रोग, हृदय रोग, जोड़ों का दर्द, कैंसर आदि का भय बना रहता है।

मानसिक योग्यताओं में कमी – वृद्धावस्था तक व्यक्ति की मानसिक क्षमता में कमी आने लगती है। चिंतन, मनन अधिक नहीं कर सकते हैं। भूलने की आदत पड़ जाती है। जिससे वह कोई नया काम या नई बात अधिक लम्बे समय तक याद नहीं रख पाता। अनेक मानसिक रोग भी हो जाते हैं। जिसका दिनचर्या पर

अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। नाम याद नहीं रख पाते सृजनात्मक, तर्क, शब्द भण्डार, सिनाइक डिमेन्शिया (याददास्त में कमी) अल्जाइमर नामक रोग हो जाते हैं।

सामाजिक समस्याएँ – वृद्धावस्था में एक प्रमुख समस्या वृद्धों के सामने सामाजिक परिवेश से सम्बन्धित होती है। यह सामाजिक परिवेश परिवार के सदस्यों, आसपड़ोस के व्यक्तियों, व्यवसाय के साथियों, मित्रमण्डली, नाते रिश्तेदारों से मिलकर बनता है। पारिवारिक समस्याओं का वृद्धों को सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है, जैसे सन्तान से सम्बन्ध, बच्चों पर आश्रितता, जीवन साथी की मृत्यु, नाती पोतों से सम्बन्ध, विवाह न करना। अध्ययन से ज्ञात होता है, कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में अधिक समायोजित हैं। संवेग व स्वास्थ्य के प्रति महिलाऐं अधिक जागरूक नहीं हैं। गृह में अधिक समायोजित हैं। आर्थिक रूप से भी बहुत स्वतंत्र नहीं हैं। वृद्ध अपनी परम्पराओं को नहीं छोड़ते, जिससे वो कोई भी परिवर्तन शीघ्र स्वीकार नहीं कर पाते। वर्तमान में भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बहुत तेजी से पड़ रहा है, जिससे परिणामस्वरूप माता-पिता के प्रति आदरभाव में कमी आ रही है और वृद्धों की स्थिति खराब हो रही है, वृद्ध लोगों को व्यर्थ और सामाजिक भार समझते हैं और उनके प्रति वैसा ही व्यवहार किया जाता है।

संवेदनशीलता में कमी – जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है। संवेदनशीलता कम होने लगती है। अधिकांश वृद्ध दूर दृष्टि रोग से पीड़ित हो जाते हैं, रंगों की पहचान करने में कठिनाई अनुभव होने लगती है। सूंघने की शक्ति एवं स्वाद ग्रन्थि शक्ति पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए वृद्ध लोग अकेले रहना पसन्द करते हैं। उनमें अधीरता आ जाती है। वे एकाग्रचित्त नहीं हो पाते हैं।

गत्यात्मक क्षमताओं में कमी – वृद्धावस्था में व्यक्ति की गत्यात्मक क्षमता में कमी हो जाती है। व्यक्ति के चलने की शक्ति एक बच्चे के समान हो जाती है। आयु बढ़ने के साथ साथ गति सम्बन्धी अनुक्रियाओं में धीमापन आ जाता है और उसके हाथ से वस्तुऐं गिर जाती हैं। यही कारण है, कि उन्हें काम करने में अधिक समय लगता है।

रुचियों का ह्रास – उम्र बढ़ने के साथ साथ रुचियों का भी ह्रास होने लगता है, परन्तु कुछ लोग इस अवस्था में केवल उन्हीं रूचियों का चयन करते हैं, जिससे उन्हें संतुष्टि मिलती है या जिसके माध्यम से समाज के सम्पर्क में आते है। इस अवस्था में व्यक्ति की सबसे अधिक रुचि स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति होती है, उन्हें छोटा सा रोग होने पर या थोड़ी से पीड़ा होने पर उसे बढ़ाचढ़ा कर प्रस्तुत करते हैं। उनकी रुचि शरीर की बनावट या कपड़ो की अपेक्षा धन में अधिक हो जाती है। सामाजिक कार्यो में रूचि कम हो जाती है और सामाजिक जीवन परिवार तक सीमित रहता है।

पारिवारिक सम्बन्धों की समस्या – पाश्चात्य देशों में अधिकांश वृद्ध अपने परिवार पर आश्रित न रहकर सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के माध्यम से अपनी जीविका चलाना चाहते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति में माता-पिता अपने बच्चों के साथ रहना अधिक पसंद करते हैं। चाहें उनके बच्चे उन्हें कष्ट क्यूँ न दें। कुछ समय पहले भारतीय संस्कृति में संयुक्त परिवारों में वृद्ध लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, परन्तु वर्तमान में परिवार संयुक्त से एकल की ओर अग्रसर हो रहे हैं। पति/ पत्नि की पहले या बाद में मृत्यु से भी वृद्धों को समायोजन करना होता है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को इस संदर्भ में अधिक कठिनाई होती है। आय के साथ साथ अकेले रहने में भी उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। प्राचीन समय में यह धारणा थी कि वृद्ध लोगों से स्थिरता आती है, परन्तु वर्तमान में व्यवसायिक गतिशीलता, पाश्चात्य प्रभाव, माता पिता के प्रति सम्मान में कमी से संयुक्त परिवार प्रथा दूर हो रही है। परिवार बिखरने लगे हैं। जिससे वृद्ध व्यक्ति दादा दादी नाना नानी की भूमिका उचित प्रकार से निभा नहीं पा रहे हैं।

व्यावसायिक समस्याएँ – वृद्धावस्था में व्यवसायिक समस्या भी एक महत्वपूर्ण समस्या है, आयु में वृद्धि के साथ साथ व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाती है। व्यक्ति प्रत्येक कार्य में व्यक्ति को सक्रिय रहना पड़ता है और वृद्ध व्यक्ति युवा लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। गति सम्बन्धी कार्यो में वृद्ध व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गतियों का सम्बन्ध पहले जैसा नहीं रहता, हाथ से चीजे गिर जाती है, वे लड़खड़ा जाते हैं, नये कौशल सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं।

लैंगिक समस्याएँ – वृद्धावस्था में लैंगिक व्यवहार भी एक प्रमुख समस्या है। सामान्यता इस अवस्था में काम सम्बन्धी रूचि पहले की अपेक्षा कम तो हो जाती है, परन्तु इतनी भी नहीं कि जैसी लोगों ने धारणा बना रखी है। सामाजिक प्रतिबन्ध स्त्री पुरुष में यह भावना पैदा करता है, कि काम सम्बन्धी बातों में रूचि रखना गलत है, ये युवक युवतियों तक सीमित रहना चाहिए। जो गलत धारणा है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि वृद्धावस्था में अनेक समस्याऐं होती है। व्यक्ति को इन समस्याओं से समायोजन में कठिनाई होती है, क्योंकि शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों का ह्रास हो जाता है। यह कहा जाता है, कि वृद्धावस्था स्वयं एक समस्या है। 70 के बाद व्यक्ति अशक्त हो जाता है। वृद्धावस्था में कुपोषण मनोवैज्ञानिक कारणों से होता है। व्यक्ति अपने को अवांछित महसूस करने लगता है। अवसाद से घिर जाता है। यह आवश्यक है, कि वृद्धों को किसी व्यवसाय से जोड़े रखना चाहिए जहाँ उनके अनुभवों का पर्याप्त

उपयोग हो। क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञ के रूप में उनकी नियुक्ति करें, उन्हें बेरोजगार नहीं रहने दें। ये उन्हें जीने के लिए अभिप्रेरित करेगा और उत्साह बनाये रखेगा।

उनके अन्दर हीनता, तनाव, अकेलापन, बेकार के भावों को न पनपने दें। अपने समय का सदुपयोग करें, समाज सेवा करें, आसपास के गरीब बच्चों को अपना ज्ञान बांटें। अपनी रूचि के कामों में समय का सदुपयोग करें। परिवार में सुखद सम्बन्ध बनाये रखें। अपने आपको समय अनुसार थोड़ा परिवर्तन करने की कोशिश करें। अपनी अभिवृत्तियों में परिवर्तन से समायोजन में कठिनाई नहीं आयेगी। सामाजिक सम्पर्क बनाये रखें।

मेनिंग का मत है कि वृद्धावस्था में उपयुक्त समायोजन के लिए आवश्यक है, कि बाल्यावस्था में ही उन्हें यथार्थ का सामना करना सीखना चाहिए। सही निर्णय लेना, धैर्य बनाये रखना, आत्मनिर्भर बनना सामाजिक सम्बन्ध बनाना, परिवार में प्रेम बनाये रखना, सांवेगिक रूप से परिपक्व बनाना चाहिए। अपने बारे में सकारात्मक सोच रखें, खानपान पर ध्यान रखें, नवयुवकों की हर समय कमी न निकालें वरन् अपने अनुभवों से अवगत कराते हुए उनकी रूचियों, इच्छाओं को सम्मान दें, तो समायोजन आसान होगा। सम्बन्धियों व मित्रों से सम्पर्क बनाये रखें जिससे जीवन में स्फूर्ति बनी रहती है। क्लब, गोष्ठी, सत्संग, धार्मिक सभाएँ, पारिवारिक गोष्ठियों में उत्साह से सम्मलित हों, तो जीवन में उत्साह बना रहता है। अपने स्वास्थ्य, अपने श्रृंगार पर ध्यान देना चाहिए, पुरानी बातों को दोहराना नहीं चाहिए। युवाओं को आपकी जरूरत और आपके अनुभवों की बहुत आवश्यकता है, यह ध्यान में रखना चाहिए।

रॉवर्ट ब्राउनिंग ने वृद्धावस्था का महत्व बनाया है -

"Grow old Along with me
The best is yet to be the last of
life for which the first was made"

निष्कर्ष

अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है, पुरुष स्त्रियों की तुलना में कई क्षेत्रों में अधिक समायोजित हैं। गृह क्षेत्र, वैवाहिक में महिलाओं का समायोजन अधिक जाता है। उम्र बढने के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में अधिक समायोजित होते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ महिलाओं पर ज्यादा प्रभाव देखा गया। सम्भवता सामाजिक परिवेश जिसमें भारत में महिलाऐं आर्थिक रूप से बहुत स्वतंत्र नहीं हैं ओर अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक नहीं है, जबकि पुरुष इन दोनों क्षेत्रों में अधिक सजग हैं। वृद्धावस्था में परिवार के लोगों के बीच रहना चाहते हैं।

फ्रायड ने मान लिया था कि पचास के बाद की अवस्था में व्यक्ति संरचना में इतनी दृढता आ जाती है, कि उसमें परिवर्तन या आधुनिकीकरण सम्भव नहीं है, किन्तु परामर्श व मनोचिकित्सा से अनेक प्रयासों का विकास किया गया है।

दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याओं के लिए विषाद के लिए संज्ञात्मक व्यवहार चिकित्सा का उपयोग किया जा सकता है और वृद्ध लोगों को आत्मनिर्भर, नयी दक्षतायें सीखने के लिए उत्साहित किया जाता है। नकारात्मक या दुखद गतिविधियों की पहचान की है। सुखद गतिविधियों में वृद्धि की जाती है। हिल्डर ब्रान्ड ने पापा कि अपनी समस्याओं को दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में देखता है। टेरी (1997) ने मनोचिकित्सकों एवं सहायक कर्मियों के लिए सुझाव दिया कि उन्हें स्वयं अपने एवं माता-पिता की अनुभूतियों को ध्यान में रखना चाहिए। परिवार चिकित्सा, वास्तविक उन्मुखीकरण संस्कृति एवं जीवन मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग करके उनके जीवन को उत्तम बनाया जा सकता है। वृद्धों जो स्मृति लोप से पीड़ित होते हैं उन्हें बचपन या आरम्भिक जीवन की स्मृतियाँ अपेक्षाकृत बेहतर संरक्षित होते हैं, उन्हें ही आधार बनाकर उनके आत्म विश्वास अर्जित करके वर्तमान जीवन

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. लाल, डॉ. जे.एन. एवं श्रीवास्तव, अनीता, आधुनिक विकासात्मक अवधारणा, प्रथम संस्करण, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा
2. श्रीवास्तव, डॉ. डी.एन. एवं वर्मा, प्रीति, बाल मनोविज्ञान बाल विकास, ग्यारहवां संस्करण, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, 1996
3. ठक्कर, आशिया अहुन्द, एजेस्टमेन्ट प्रॉब्लम ऑफ रिटायर्ड वर्किंग एण्ड नॉन-वर्किंग वूमेन ऑन रूरल एण्ड अरबन बैकग्राउण्ड, इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ करन्ट रिसर्च 5(2), 2013, 388-394
4. काटीवाल, निधि एवं प्रभाकर भारती, फिजिकल नीड्स एण्ड एडजेस्टमेन्ट मेड बाई दि एलडर्ली, जर्नल ऑफ कॉमर्स, साइंस 3(2), 2009, 115-121
5. दासगुप्ता, बिष्णुप्रिया एवं मल्होत्रा, शिल्पी, एडजेस्टमेन्ट क्वाटान्ट ऑफ दि एलडर, ए कम्पेरेटिव स्टडीज ऑफ एलडर्ली रेजीडिंग इन हाउस विजिटिंग डे अर्ली एण्ड रेजीडिंग इन ओल्ड एज होम, द इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ इन्टरडिस्प्लेनरी सोशल साईंस, 3(10), 2012 45-115
6. भार्गव, डॉ. महेश एवं अग्रवाल, अरूणा, मानव विकास का मनोविज्ञान प्रथम संस्करण हर प्रसाद भार्गव, आगरा, 1991

भारत में महिलाओं के अधिकार

डॉ. अशोक कुमार छाछिया

व्याख्याता, राजनीति विज्ञान

एस.एन.के.पी. राजकीय महाविद्यालय, नीमकाथाना, सीकर (राज.)

शोध सारांश

मानवाधिकारों विशेषकर महिलाओं के अधिकारों की प्राप्ति के क्षेत्र में भारत में भी लंबे संघर्ष की कहानी है। सदियों से भारत में सती प्रथा, पर्दा-दहेज प्रर्था, अधिकार विहीनता, रूढ़िवादिता समाज का अंग थी। किंतु आजादी से पहले से ही पश्चिमी शिक्षा के आगमन से संस्कृतियों में टकराव हुआ। फलस्वरूप महिला के अधिकारों की और कार्य किया गया। लोग परम्परगत ढांचे से बाहर निकलकर सोचने लगे और महिला शिक्षा को बढावा मिला। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के मुद्दों पर विचार किया गया व भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों को लागू करने के लिए 1950 में संवैधानिक उपाय किये गये। संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के 1/3 स्थान आरक्षित किये गये एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा भी 1/3 सीटें नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षित की गईं। सैन्य सेवाओं में स्थायी कमीशन दिया गया। घरेलू कामगारों के लिए कानून बनाये गये भरण पोषण अधिकार, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण रोकने हेतु विधेयक, कन्या भ्रूण हत्या रोकने सम्बन्धित प्रावधान तथा महिलाओं के विधिक अधिकारों द्वारा उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर महिला आयोग गठित किये गये फिर भी आज समाज में महिलाओं पर हिंसा व अत्याचार की घटना बढ़ती जा रही है इस विषय पर सरकार को गम्भीरता से सोचना होगा एवं जरूरी कठोर कदम उठाने होंगे।

संकेताक्षर : *संवैधानिक-वैधानिक अधिकार, निम्न प्रास्थिति, अधिकारों का हनन*

इतिहास के पन्नों को पलटने पर ज्ञात होता है कि महिलाओं की समाज में स्थिति में समय व काल के अनुसार परिवर्तन हुआ है। नि:संदेह वैदिक युगीन समाज महिला सम्मान व सशक्तिकरण का स्वर्ण युग था। घोषा, गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, अपाला जैसी विदुषी स्त्रियों की श्रृंखला इसका प्रमाण है कि नारी को समाज में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त था। स्वयंवर से लेकर उपनयन व अंतिम संस्कार तक महिलाओं की सहभागिताओं के पर्याप्त प्रमाण प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध हैं। समय के साथ उसकी स्थिति दोयम दर्जे की होने लगी, वह मात्र घरेलू कार्यो व पिता, पति तथा पुत्र की अधीनता में सिमटती चली गई। मध्यकाल में हुए बाह्य आक्रमणों ने उसकी दशा को समाज में और अधिक दयनीय बना दिया। आक्रमणजन्य असुरक्षा के नाम पर समाज में बाल विवाह, सती प्रथा, जौहर, पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियाँ जन्मीं व उत्तरोत्तर समाज में फैलती गयीं। महिला अधिकारों, समानता व सुरक्षा की बात इस असुरक्षा व अनिश्चितता की धुंध में कहीं खो गई। ब्रिटिश शासन से संपूर्ण भारतीय समाज प्रभावित हुआ। पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से प्रबुद्ध भारतीयों का एक नया वर्ग तैयार हुआ जिसने समाज की कुरीतियों, अंधविश्वासों, आडंबरों व कुप्रथाओं का विरोध किया। यूरोपीय पुनर्जागरण के प्रभाव से भारतीय समाज अछूता नहीं रहा। महिलाओं को समाज में गरिमापूर्ण स्थान दिलवाने हेतु व उनकी स्थिति में सुधार हेतु राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, स्वामी दयांनद सरस्वती, लार्ड विलियम बैटिंक ने गंभीर प्रयास किये जिसके परिणामस्वरूप बाल विवाह जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सामाजिक व विधिक रूप से बल दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय संविधान निर्माताओं ने एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का स्वप्न देखा जो हर आँख के आँसू पौंछे। लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को साकार करने हेतु व महिलाओं, बालकों, नि:शक्तजनों तथा अन्य कमजोर एवं शोषित वर्गो के अधिकारों के सरंक्षण हेतु महत्वपूर्ण उपबंध भारतीय संविधान में किये गये।

महिलाओं के कुछ प्रमुख अधिकार

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् महिलाओं की अन्याय व शोषण से सुरक्षा हेतु तथा उन्हें समानता का दर्जा प्रदान करने हेतु कई कानून बनाये गये हैं व समय-समय पर उनमे संशोधन भी किया गया है। महिलाओं के हित सरंक्षण की दृष्टि से उन्हें प्रदान किये गये कुछ प्रमुख अधिकार व कानून निम्नलिखित हैं :-

महिलाओं को आरक्षण-संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित हैं व 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1/3 सीटें नगरीय निकायों मे महिलाओं हेतु आरक्षित की गई हैं। विभिन्न सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं। विभिन्न आयोगों व समितियों में भी नियमानुसार महिलाओं को स्थान दिया जाता है। संसद व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक विचाराधीन है। इस विधेयक के पारित हो जाने पर संविधान में 330(क) तथा 332(क) नये अनुच्छेद जुड़ जाएँगे तथा महिलाओं की स्थिति नि:संदेह सुधरेगी। अर्जेटीना, बेल्जियम, ब्राजील, फिलीपींस तथा नेपाल में यह कानूनी प्रावधान लागू हैं।

सैन्य सेवा में स्थायी कमीशन- दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले के अनुसार वर्ष 2006 से पहले सेना में भर्ती महिलाओं को स्थाई कमीशन दिया जाएगा और भविष्य में सैन्य सेवाओं की भर्ती नौकरियों मे महिलाओं के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा, साथ ही मौलिक अधिकारों के तहत् पुरुष और महिलाओं को समान कार्यो के लिए समान वेतन की व्यवस्था है।

घरेलू कामगारों के लिए कानून- इस अधिनियम के तहत घरेलू कामकाज करने वाली महिलाओं को भी अन्य कार्यरत महिलाओं के समान अवकाश और अन्य अधिकार दिए गए हैं जिसमें उनके रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल भत्ते मातृत्व लाभ, न्यूनतम पगार आदि का वर्णन है। किंतु जानकारी के अभाव में यह कानून अधिक प्रभावी नहीं हो पाया है।

भरण-पोषण का अधिकार- धारा 125 के अनुसार कोई भी ऐसी महिला, जिसके पास अपनी आय के साधन नहीं है तथा जिसका पति उसके भरण-पोषण के प्रति लापरवाह है, अपने पति से खुद के लिए तथा अपने छोटे बच्चों में से प्रत्येक के लिए 500 रूपये तक मासिक के हिसाब से भरण-पोषण भत्ता प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार के दावों का क्षेत्राधिकार अब परिवार न्यायालय के पास है।

महिलाओं का अश्लील चित्रण अधिनियम- यह अधिनियम सन् 1986 में बना व इसके अंतर्गत विज्ञापन, पोस्टर, सूचनापत्र, लेबल, ध्वनि या दृश्यरूपेण द्वारा स्त्री के रूप, शरीर या उसकी आकृति को ऐसे ढंग से प्रकट करना निषेध है जो कि महिला वर्ग के चरित्र को कलंकित करने का नैतिकता को हानि पहुंचाने वाला है। इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन प्रमाणित होने पर कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया जा सकता है।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956- इस अधिनियम के अंतर्गत अपने माता-पिता की संपति में लडका व लड़की दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। परंतु लड़का-लड़की को हिस्सा उसी स्थिति में मिलेगा, जब पिता ने अपनी वसीयत न बनाई हो या फिर पिता की संपति में पुश्तैनी जायदाद हो। 1 जुलाई 2005 से नए कानून के तहत बेटियों को संपति में बेटो के बराबर हक प्रदान किया गया है। संयुक्त परिवार की संपति में वह अपना हक माँग सकती है। वे संपत्ति में हिस्सा पिता के जीवनकाल में भी मांग सकती है। यह अधिकार सिर्फ हिन्दू स्त्रियों को ही दिया गया है।

विवाह के संबंध में कुछ अधिकार- विवाहिता को अपने पति के घर में रहने का पूर्ण अधिकार है ओर अगर उसे घर छोडने के लिए बाध्य किया जा रहा है तो वह न्यायालय की शरण ले सकती है। किसी हिन्दू विवाहित महिला को ससुराल वाले घर से नहीं निकाल सकते न ही किराया ले सकते है। कई राज्यों मे विवाह का पंजीकरण आवश्यक कर दिया गया है। विवाह पंजीयन कराने से महिलाओं को वैवाहिक अधिकार, बीमा क्लेम, संपति में हिस्सा और अन्य विधिक कार्यवाहियाँ आसान होंगी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि सम्मान व परंपरा के नाम पर खाप पंचायतों द्वारा मंजूर तलाक कानूनन मान्य नहीं होगा।

लिव इन रिलेशनशिप में अधिकार- लिव इन रिलेशनशिप में रिश्ता तोड़ने पर पति मुआवजा भुगतान की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। इन संबंधो मे जन्मी संतान को माता-पिता द्वारा अर्जित संपति पर हक होगा, बशर्ते वे दोनों समाज के समक्ष पति-पत्नी की तरह रह रहे हों, व दोनो की उम्र कानून के अनुसार विवाह योग्य हो।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम- इस अधिनियम द्वारा महिला को पति तथा ससुराल वालों की क्रूरता व हिंसा से बचाया जा सकता है। कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा महिला के पति से शांति बनाए रखने का बंध पत्र या अच्छे व्यवहार का बंधपत्र भरवाया जा सकता है और उसे प्रतिभूति के आदेश दिए जा सकते हैं, जिसे उसके गलत आचरण करने पर जब्त किया जा सकता है। यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए घरेलू 'हिंसा शब्द' का व्यापक अर्थ लिया गया

है इसमें प्रत्यर्थी का कोई भी ऐसा कार्य, लोप या आचरण घरेलू हिंसा कहलाएगा, यदि वह व्यथित व्यक्ति (पीड़िता) के स्वास्थ्य की सुरक्षा, जीवन, उसके शारीरिक अंगों या उसके कल्याण को नुकसान पहुँचाता है या क्षतिग्रस्त करता है या ऐसा करने का प्रयास करता है। इसमें व्यथित व्यक्ति का शारीरिक दुरूपयोग, यौन दुरूपयोग, शाब्दिक या भावनात्मक दुरूपयोग और आर्थिक दुरूपयोग शामिल है। महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने और कानूनी सरंक्षण प्रदान करने की दिशा में यह एक प्रभावी कदम है।

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961- यह अधिनियम सरकारी व गैर-सरकारी संस्थाओं में कार्यरत महिलाओं को प्रसूति से पूर्व एवं पश्चात् कई प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करता है। महिला कर्मचारी को प्रसवकाल में कुल 135 दिन का प्रसूति अवकाश दिया जाता है यदि इसके पश्चात भी आवश्यक हो तो एक माह का सवेतन अवकाश दिया जाता है। इस अवकाश पर जाने से 6 सप्ताह पूर्व से नियोजक महिला से कोई कठोर कार्य नहीं करवायेगा। गर्भपात के मामले में भी 6 सप्ताह का सवैतनिक अवकाश मिलेगा। महिला को प्रसूति सुविधाएँ प्राप्त करने हेतु अपने नियोजक को नोटिस दिया जाना आवश्यक है। पुरुष को अपनी पत्नी की प्रसूति के समय 15 दिन का विशेष पैतृत्व अवकाश देय होगा। वर्तमान में महिलाओं को 180 दिन का प्रसूति अवकाश दिया जाता है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण रोकने हेतु विधेयक- यह विधेयक निजी एवं सार्वजनिक कार्यस्थलों पर महिलाओं को यौन शोषण से बचाने के लिए संसद में लाया गया। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न में सरंक्षण विधेयक 2010 (प्रोटेक्शन ऑफ अगेन्स्ट सेक्सुअल हारसमेंट एट वर्क प्लेस बिल) लोकसभा में 3 सितम्बर, 2012 को पारित कर दिया गया। इस विधेयक में कार्यालयों में कार्यरत महिला ग्राहकों, उपभोक्ताओं, प्रशिक्षुओं व दिहाड़ी श्रमिकोंको भी यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान अग्रलिखित हैं-

1. प्रस्तावित अधिनियम घरेलू नौकरानी के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं पर भी लागू होगा।
2. इस कानून के अंतर्गत कार्यस्थल पर लैंगिक टिप्पणी या किसी भी तरह से शारीरिक लाभ उठाने अथवा गलत तरीके से छूने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
3. 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले संगठन में आंतरिक शिकायत समिति बनाए जाने का प्रावधान है अन्यथा नियोक्ता पर 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा।
4. यदि बार-बार नियोक्ता द्वारा समिति के गठित करने के प्रावधान का उल्लघंन किया जाता है तो जुर्माने की राशि बढाई जाएगी तथा संगठन का लाईसेंस या पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

कन्या भ्रूण हत्या रोकने संबंधी प्रावधान- पी.एन.डी.टी. (प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक) एक्ट 1994 में प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण को प्रतिबंधित करने व देश में बढ रही कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का एक कानूनी प्रावधान है। इसे 20 सितम्बर 1994 को जम्मू कश्मीर को छोडकर पूरे देश में लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत कुछ शर्तो के अधीन किसी गर्भवती महिला के भ्रूण के प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण की अनुमति प्रदान की गई है। इन शर्तो के उल्लंघन पर दंड के प्रावधान किये गए हैं। किसी व्यक्ति द्वारा गर्भवती महिला के भ्रूण की प्रसव जांच करवाने पर 3 साल की कैद तथा 10 हजार रूपये का जुर्माना या दोनों आरोपित किये जा सकते हैं। पुन: ऐसी गलती करने पर 5 साल की सजा, 50 हजार रूपये जुर्माना या दोनों दण्ड लगाए जा सकते है। किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिश्नर द्वारा इस अधिनियम के उल्लघंन पर राज्य चिकित्सा परिषद् द्वारा उसका रजिस्ट्रेशन तब तक के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा जब तक कि कोर्ट में मामले समाप्त न हो जाएँ। इसके अलावा परिषद् द्वारा अपने रजिस्टर से उसका नाम पहली बार उल्लघंन पर 5 वर्ष के लिए तथा दूसरी बार उल्लघंन पर हमेशा के लिए हटा लिया जायेगा। सन् 2005 में इसमें संशोधन किया गया व इसके तहत् पहली बार गर्भवती महिलाओं को फॉर्म एफ भरने, नर्सिंग होम व क्लीनिक के पंजीकरण आदि को शामिल किया गया व इसको नया नाम पीसीपीएनडीटी एक्ट दिया गया।

महिलाओं के विधिक अधिकार- भारत में महिलाओं को निम्नंकित विधिक अधिकार प्रदान किये गये हैं ताकि उनको न्याय प्राप्ति व उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके -

1. नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार।
2. बयान दर्ज करवाते समय प्राइवेसी का अधिकार (राइट टू प्राइवेसी-क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 164 के तहत)।
3. बलात्कार अथवा दुष्कर्म के मामलों की एफ.आई.आर दर्ज करने के लिए समय को आधार बनाकर इनकार नहीं किया जा सकता।
4. महिलाओं को रजिस्टर्ड डाक अथवा ई-मेल द्वारा लिखित शिकायत दर्ज करवाने का अधिकार प्राप्त है।
5. बलात्कार जैसे मामलों की रिपोर्ट क्षेत्र के किसी भी थाने में जीनो एफआईआर रूलिंग के अंतर्गत लिखाई जा सकती है।

6. महिलाओं को पूछताछ के लिए थाने में नहीं बुलवाया जा सकता। उससे पूछताछ उसी के निवास पर महिला कांस्टेबल की उपस्थिति में उसके मित्रों अथवा परिवारजनों के बीच की जायेगी(क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 160 के अंतर्गत)।
7. महिलाओं को सूर्यास्त के बाद तथा सूर्योदय से पूर्व गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
8. बलात्कार व यौन अपराधों के मामलों में पुलिस, मीडिया या अन्य किसी भी माध्यम द्वारा पीड़िता का नाम उजागार करना दण्डनीय अपराध है (आईपीसी की धारा 228। के अंतर्गत) ऐसा प्रावधान उस महिला को सामाजिक बदनामी व सामाजिक बहिष्कार से बचाने हेतु किया गया है।
9. किसी बलात्कार के मामले को केवल डॉक्टर के यह कहने के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि बलात्कार नहीं हुआ है
10. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने हेतु प्रत्येक निजी अथवा सरकारी संगठन में अनिवार्यत: आंतरिक शिकायत निवारण कमेटी बनाये जाने का प्रावधान है।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम संबंधी प्रावधान- इस विधेयक में महिला सशक्तिकरण हेतु यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक पात्र गृहस्थी में, वरिष्ठ स्त्री, जिसकी आयु अठारह वर्ष से कम की न हो, राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए गृहस्थी की मुखिया होगी। गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान करवाने वाली माताओं को पोषाहार सहायता उपलब्ध करवाने हेतु प्रावधान है कि गर्भावस्था व शिशु जन्म के पश्चात के हर माह के दौरान स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से नि:शुल्क भोजन (अध्यादेश की अनुसूची 2 मे विर्निदिष्ट मानको के अनुसार) व कम से कम छ: हजार रूपये ऐसी किश्तो में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, प्रसूति फायदे के रूप में उपलब्ध करवाया जाये।

इसके अतिरिक्त स्त्रियों ओर कन्याओं का अनैनिक व्यापार निरोधक अधिनियम 'सीटा' 1956, दहेज प्रतिबंध अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 व विवाह तथा उत्तराधिकार से संबंधित अन्य अनेक विधान बनाए गए है। साइबर क्राईम तथा अश्लील एसएमएस भेजने को भी कानून की परिधि में लाया जा रहा है।

विश्लेषण एवं सुझाव

समाज में किसी भी समस्या के कई पहलू होते हैं, महिलाओं की समस्याओं के संदर्भ में भी इसके ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक पहलुओं पर विचार किया जाना आवश्यक है। ऐतिहासिक संदर्भो की बात की जाये तो कहा जा सकता है कि जो कुप्रथाएँ समय के साथ समाज में आयीं उस समय उनके कारण तात्कालिक स्थितियाँ व अशिक्षा तथा अंधविश्वास रहे। आज हम साइबर स्पेस के युग में रहते हैं जहाँ स्त्रियां पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की योग्यता व जज्बा दोनों रखती हैं। शिक्षा का प्रसार भी ढाणियों-गाँवों तक हो रहा है वहां हम यदि विकास चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम महिलाओं को शिक्षित व जागरूक करना होगा व उन सभी सामाजिक परंपराओं व कुप्रथाओं का त्याग करना होगा जो कि महिलाओं के सम्मान के विरूद्ध हैं। हमारी सामाजिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक है। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि हमारे ही समाज के व्यक्तियों द्वारा किये जाते है। परिवार जो कि समाज की इकाई है, उसका कर्त्तव्य है कि वह सदस्यों में महिला सदस्यों के प्रति सम्मान की भावना का बीजारोपण करे। प्रत्येक परिवार में माँ, पत्नी बहन, बेटी प्रत्येक रिश्ते को सम्मान दिया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी में भी वही संस्कार पनपें। जहाँ परिवारों में महिलाओं का सम्मान व आदर नहीं होगा वहाँ के लोग बाहरी महिलाओं को भी सम्मान नहीं देंगे। महिला व पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, परिवारों में महिलाओं की आर्थिक निर्भरता ने भी उनकी स्थिति को कमजोर बनाया है। महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन पर भी बल दिया जाना चाहिए जैसा कि सरकार द्वारा किया भी जा रहा है तथा कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत भी बढा है। किंतु कार्यस्थल पर यौन शोषण की समस्याएँ बढ़ी है। दिल्ली जैसे स्थान पर निर्भया बलात्कार कांड हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आधुनिकता की अंधी दौड़ में मीड़िया व विज्ञापनों द्वारा नारी को उपभोग की वस्तु की तरह परोसा जा रहा है, जिसके कारण यौन अपराध बढ़े हैं।

स्थानीय निकायों में महिलाओं का 33 प्रतिशत तक होना हमारे लोकतंत्र के लिए गर्व की बात है किंतु अशिक्षा व दबावों के चलते आज भी कई स्थानों पर महिलाओं के स्थान पर वास्तविक शक्तियों का प्रयोग उनके पतियों द्वारा किया जा रहा है तथा सरपंच पति व प्रधान पति जैसे शब्द इसके प्रमाण हैं। पूर्व में संसद द्वारा जो कानून बनाये गये हैं वे भी अधिक प्रभावोत्पादक नहीं रहे हैं क्योंकि वे बहुत सतही व तात्कालिक हैं, कई कानूनों में संशोधन की भी मांग उठ रही है समय के साथ अपराधों की प्रकृति व गंभीरता में बदलाव हुआ है। महिलाओं से जुड़े नवीन कानूनों को पारित करने में जहां कुल मिलाकर संसदीय सुस्ती रही है वहीं महिलाओं के मुददों पर विधायी कदम सक्रिय होने के बजाय

दबाब में उठाए जाने वाले रहे हैं। अगर कोई कानून बना भी है तो जनता की भारी मांग या न्यायपालिका के दबाब देने के बाद ही बनाया गया है। जैसा कि दिल्ली के बहुचर्चित गैंग रेप के बाद, भारी दबाब पड़ा। आखिरकार संसद ने इस ओर ध्यान दिया और मार्च 2013 में जाकर पारित किया। इसके प्रावधानों को प्रभावी बनाने वाले कानून और नियम पिछले साल दिसम्बर में बनाए गए, वह भी तब जब यौन उत्पीड़न की लगातार बढ़ती घटनाओं को मीडिया ने सबके सामने रखा। आज भी महिलाओं से जुड़े कई विधेयक व संशोधन अधिनियम संसद में लंबित है जो कि 15 वीं लोकसभा के भंग होनके साथ बेकार हो जाएंगे। प्रश्न यह है कि देश की आधी आबादी जिन्होनें सांसदों को चुना है उनके कानों में महिला उत्पीड़न से जुड़े मुददे नहीं गुंज रहे ? क्यों वे पूर्व में निर्मित कानूनों को प्रभावी बनाने हेतु प्रावधानों, नियमों, संशोधनों व नये कानूनों के निर्माण में एकजुटता व शीघ्रता नहीं दिखाते। यह अत्यंत चिंता का विषय है कि संसद में महिलाओं से जुड़े मुददों को चालू तरीके से हल किया है न कि पूरे मन से। आज हमारे सांसदों को राजनैतिक इच्छा शक्ति का परिचय देना होगा व उन्हें किसी दबाब में नहीं बल्कि पूरी तरह से विचार करके सच्चे मन से कानून बनाने के मौलिक प्रयास करने होगें।

निष्कर्ष

कहा जा सकता है कि केवल अनमने ढंग से कानून बना देने से ही महिलाओं का उद्धार संभव नहीं है। आज महिलाओं को अनेक अधिकार प्राप्त है किंतु जानकारी के अभाव व समयानुसार सामाजिक परिवर्तन के कारण कानूनों व तात्कालिक आवश्यकताओं में आये रिक्त स्थान के कारण कानून पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं। समय आ गया है इस प्रश्न पर विचार करने का कि इतने कानून व अधिकार होते हुए भी क्यों कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब अखवारों में महिला उत्पीड़न की खबरें न हों? क्यों कन्या को संसार मे आने से पूर्व ही उसकी हत्या कर दी जाती है? क्यों शक्ति स्वरूपा नारी शारीरिक, मानसिक भावात्मक व आर्थिक प्रताड़ना का शिकार है? क्यों दामिनी जैसी बेटियाँ सिरफिरों की गंदी मानसिकता की बलि चढ़ रही है? क्यों आज भी महिलाएं घर से निकलने में असुरक्षित महसूस करती हैं? क्यों तेजाब कांड रूकने का नाम नहीं लेते हैं? क्यों आज भी दहेज के लिए प्रताड़ना व हत्याएँ होती हैं? क्यों संसद व विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षाण देने के लिए कानून बनाने के प्रयास असफल रहे हैं ?

क्या यही है हमारा लोकतंत्र, हमारा सभ्य समाज? कहाँ हैं वे अधिकार, वे आश्वासन, वे कानून जो हमने महिलाओं के लिए बनाये हैं? केवल कानून बनाकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना पर्याप्त नहीं है। दोषियों को अविलंब व कठोरतम दण्ड दिलवाने हेतु हमारे प्रशासन व न्यायपालिका को आगे आना होगा। अपराधियों का सामाजिक वहिष्कार किया जाना चाहिए व कानूनों में आवश्यकतानुसार संशोधन किये जाने चाहिए। राजनैतिक इच्छा शक्ति को भी अपना सहयोग देना होगा। समाज को भी अपनी मानसिकता बदलनी होगी। हर व्यक्ति को यह संकल्प लेना होगा कि जो व्यवहार आदर वह अपनी माँ, बहन, पत्नी या बेटी के लिए अन्य व्यक्तियों से चाहता है वही आदर उसे समाज की प्रत्येक स्त्री को देना होगा तभी उस समाज व राष्ट्र का निर्माण हो सकेगा जिसमें महिलाएँ सुरक्षित हो व सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. कटारिया, सुरेन्द्र, सामाजिक प्रशासन, आरबीएसए पब्लिशर्स, जयपुर, 2005, पृ.सं. 219
2. मेहता, पूनम, अधिकार पाकर रहेंगे, परिवार, राजस्थान पत्रिका, 25 जनवरी 2012, पृ.सं. 4-5
3. कुमार, हेमंत, घरेलू हिंसा से महिलाओं को सरंक्षण अधिनियम 2005 एंव घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण नियम 2006, वाधवा एण्ड वाधवा पब्लिकेशन, जोधपुर, पृ.सं. 4
4. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा जनहित में जारी विज्ञापन
5. पैंसिया, एस.आर., समसामयिक राजस्थान, भारत एवं विश्व, च्यवन प्रकाशन जयपुर, पृ.सं. 103-104
6. खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013, भारत का राजपत्र, असाधरण, भाग-II, खण्ड-1, प्राधिकार से प्रकाशित से, सं 25, नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई, 2013, आषाढ़, 14, 1935(शक)
7. त्रिपाठी, गोपाल कृष्ण, महिला सामख्या, वैदिक युग से अब तक, प्रतियोगिता दर्पण, आगरा, फरवरी 2013 पृ.सं. 1073
8. काला, मंदिरा, महिलाओं को कब मिलेगा हक, इंडिया टुडे, इंडिया टुडे ग्रप नोएडा, 12 फरवरी 2014, पृ.सं. 11

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का सामाजिक चिन्तन

मुकेश कुमार खोड़ा

शोधार्थी, इतिहास एवं भारतीय संस्कृति विभाग

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)

शोध सारांश

डॉ. भीमराव अम्बेडकर आधुनिक भारत के असाधारण विद्वान, जननायक, विधिवेत्ता, धार्मिक चिन्तक, समाज सुधारक, लेखक, शिक्षाविद्, राजनेता, अर्थशास्त्री और वक्ता थे। भारतीय इतिहास पर अपनी रचनाओं द्वारा भारतीय राष्ट्र अथवा भारतीय जनों के इतिहास की पुनर्रचना प्रारम्भ की, जो भारतीय इतिहास के क्षेत्र में हुए अभी तक के अभिजातीय विश्लेषण से भिन्न थीं। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान इतिहास के विषय में यह धारणा बनाने की कोशिश की गयी कि भारत एक हिन्दू राष्ट्र है। अम्बेडकर चाहते थे कि समाज के सभी वर्गों का धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक सभी क्षेत्रों में समान स्थान हो तथा उन्हें जीवन में ऊपर उठने के अवसर दिए जाए और उनकी प्रगति के मार्ग प्रशस्त किए जाएं। उनके अनुसार समता के बिना स्वतंत्रता अधूरा लोकतंत्र है और स्वतंत्रता के बिना समता निरी तानाशाही में परिवर्तित हो जाती है। इसलिये वे समता और स्वतंत्रता दोनों का आश्वासन देने वाली समाज व्यवस्था चाहते थे।

संकेताक्षर : *समाज, दलित, शिक्षा, नारी, अस्पृश्यता, मानवाधिकार*

डॉ. भीमराव अम्बेडकर आधुनिक भारत के असाधारण विद्वान, जननायक, विधिवेत्ता, धार्मिक चिन्तक, समाज सुधारक, लेखक, शिक्षाविद्, राजनेता, अर्थशास्त्री और वक्ता थे। राष्ट्र जीवन के इन सभी क्षेत्रों में उनकी देन महत्वपूर्ण है। दलितों के तो वे मसीहा थे। अम्बेडकर के जीवन के ये सभी पक्ष थे पर सच पूछा जाए तो वे आधुनिक कर्ण थे। विधाता ने उन्हें दलित परिवार में जन्म दिया पर उन्होंने अपने पौरुष से अपनी उन्नति तो की ही, अपनी जाति के लोगों को भी सदियों की तंद्रा से जगा दिया। इस दृष्टि से वे युग पुरुष थे। उन्होंने भारतीय समाज का तीखा विश्लेषण किया है। धर्म, दर्शन, शिक्षा, अर्थनीति, समाज तंत्र और राजनीति के क्षेत्र में उनके अपने विचार हैं। चूंकि उन्होंने दलित परिवार में जन्म लिया था इसलिए ऊपर उठने के लिए उन्हें पग-पग पर संघर्ष करना पड़ा, अपमान और लांछन सहना पड़ा। फिर भी इतना सब कुछ होते हुए भी सामाजिक प्रताड़नाओं के विष को उन्होंने आशुतोष शंकर के समान अपने कंठ में धारण किया और समाज को अमृत दान किया। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरु ने अम्बेडकर के कृतित्व व व्यक्तित्व को निम्न शब्दों में उकेरा है, ''..... इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारे संविधान की रचना में डॉ. अम्बेडकर ने सबसे अधिक सतर्कता बरती और कष्ट उठाए .... उन्होंने हिन्दू विधि के सुधार में भी बेहद रुचि ली और इसके लिए भगीरथ श्रम किया ..... लेकिन मेरा विचार है कि उन्हें सबसे अधिक एक प्रतीक के रुप में याद किया जायेगा - हिन्दु समाज की दमनकारी प्रवृत्तियों के विरूद्ध विद्रोह के प्रतीक के रूप में''

अम्बेडकर का सामाजिक चिन्तन

डॉ. अम्बेडकर का विचार था कि मनुष्य के जीवन में धर्म अथवा राजनीति की अपेक्षा समाज की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज मनुष्य के लिए आवश्यक है। समाज के बिना मनुष्य के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। समाज को एकता के सूत्र में बांधे रखने वाले तत्व दो ही हैं - विधि या नैतिकता। समाज की उन्नति के लिए आवश्यक है कि सामाजिक बुराईयों को सबसे पहले दूर किया जाए। जहां सामाजिक बुराईयां होती हैं वहां लोगों का राजनीतिक जीवन संतोषजनक रीति से संचालित नहीं हो सकता। डॉ. अम्बेडकर ने अपनी रचनाओं में आदर्श, समाज का चित्र खींचा है।

मई, 1913 में अपने आलेख 'भारतीय जाति : उत्पत्ति, विकास और कार्यपद्धति' में डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय समाज व्यवस्था का ऐतिहासिक विश्लेषण किया है। उनके अनुसार भारतीय समाज आर्य-द्रविड़, मंगोलियन, शीथियन इन वंशों के मिश्रण से बना है। इनमें से प्रत्येक वंश आक्रामक बनकर आया और यहीं का होकर रह गया। इन चारों वंशों में एकजीवता नहीं आ सकी। परन्तु उनमें सांस्कृतिक एकता आ सकी और इसी सांस्कृतिक एकता के कारण भारतीय जाति व्यवस्था का विश्लेषण अत्यधिक कठिन है ऐसा डॉ. अम्बेडकर का मानना था। उनके अनुसार जाति एक स्वयं मर्यादित संस्था है उसमें भोजनादि समाजिक व्यवहार पर बन्धन डाले जाते हैं। जाति अंतर्गत विवाह बन्धन के कारण ही जाति व्यवस्था सुरक्षित रह सकी है। ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया। जाति के अन्तर्गत विवाह का यह बन्धन भूतकाल में भी कठोर था और आज भी है। विवाह का यह बन्धन तब तक पाला जा सकता है जब तक उस जाति में स्त्री पुरुषों की संख्या में बहुत बड़ी खाई नहीं होती। पुरुषों की तुलना में अगर स्त्रियों की संख्या अधिक हो तो जाति अंतर्गत विवाह का नियम निभाया नहीं जा सकता। डॉ. अम्बेडकर ने बहुत विस्तार के साथ हिन्दू समाज रचना का विश्लेषण किया गया है। इस समाज-रचना में स्थित विषमता को समाप्त कर उसकी पुनर्रचना के सम्बन्ध में मौलिक सुझाव दिये गये हैं। अब तक के समाज सुधारकों के प्रयत्नों का मूल्यांकन भी इसमें किया गया है। श्री मधु लिमये ने इस आलेख को 'समतावादी समाज व्यवस्था का एक मौलिक घोषणा पत्र कहा है।'

डॉ. अम्बेडकर के चिन्तन के दो प्रमुख केन्द्र बिन्दु '*दलित और स्त्री*' थे। दलितों के लिए संवैधानिक व्यवस्था करने के बाद वे स्त्रियों के लिए वैसी ही व्यवस्था करना चाह रहे थे। '*हिन्दु कोड बिल*' की चर्चा में उन्होंने जो विचार व्यक्त किए हैं उससे उनके स्त्री विषयक विचार स्पष्ट हो जाते हैं। 'हिन्दु कोड बिल' मुख्यत: स्त्री मुक्ति के लिए ही था। '*हिन्दु कोड बिल*' के अन्तर्गत स्त्री को विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और दत्तक-विधान की स्वतंत्रता वे देना चाह रहे थे। अंतर्जातीय विवाह को कानूनी संरक्षण देने की उनकी इच्छा थी। जो परिवार अन्य जाति के लड़के को दत्तक लेना चाह रहे हैं उन्हें वे वैसी स्वतंत्रता देना चाह रहे थे। अर्थात् इस प्रकार की व्यवस्था से वे स्त्री को पुरुष के बराबर लाना चाह रहे थे और ठीक इसी समय जाति-प्रथा को नष्ट करने की कोशिश भी कर रहे थे। संसद में उन्होंने कहा - ''समान नागरिक कानून होना ही चाहिए। हिन्दू, मुसलमान और ईसाई धर्म पर आधारित कानूनों में जहां मतभेद के मुद्दे हैं, उन्हें विचारपूर्वक हल करना चाहिए। सबमें कुछ समानता के मुद्दे भी हैं। केवल मतभेदों के मुद्दों से बात नहीं बन सकती। समान नागरिक कानून हमारा अन्तिम उद्देश्य है।''

शिक्षा समबन्धी उनके विचार बहुत ही स्पष्ट और सरकार की जिम्मेदारी की ओर संकेत करने वाले हैं। समाज के सबसे सामान्य शोषित और उपेक्षित व्यक्ति तक शिक्षा की सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, ऐसा उनका विचार था। परम्परा से नकारे गये वर्ग को उच्च शिक्षा हेतु अधिक खर्च करना न पड़े ऐसी व्यवस्था हो ऐसा उनका आग्रह था। विश्वविद्यालय की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा - ''स्नातक और छात्रों के पाठ्यक्रम द्वारा सांस्कृतिक प्रगति करने के लिए महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों का एकत्र होना जरुरी है।'' शिक्षा को वे द्विधारी शस्त्र मानते थे। ''चरित्रहीन और विनयहीन शिक्षित व्यक्ति पशु से भी अधिक भयंकर होता है। सुशिक्षित मनुष्य का ज्ञान और उसकी शिक्षा जनहित के विरोध में जा रही हो तो ऐसा व्यक्ति समाज के लिए शाप साबित होता है।''

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के सामाजिक चिन्तन एवं सामाजिक विचारों को जानने के लिए उनके द्वारा स्थापित और संशोधित सिद्धान्तों को जान लेना जरुरी है। उनके ग्रन्थों के मूल अध्ययन से ही इस पर अधिक अधिकार से बात की जा सकी है। अन्य समाज सुधारकों की तुलना में अम्बेडकर की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। चिन्तन के स्तर पर सामाजिक पुनर्रचना सम्बन्धी विचारों को स्पष्ट करना उन्हें सिद्ध करना और उसी समय उन विचारों के आधार पर सामाजिक आंदोलनों की मोर्चाबन्दी करना। यह अम्बेडकर के समाज सुधारक व्यक्तितव की विशेषता है। बाबा साहेब अम्बेडकर के सामाजिक चिन्तन का केन्द्र बिन्दु 'मनुष्य' है। वे किसी विशिष्ट जाति या वर्ण के विरोध में नहीं थे। वे समग्र वर्ण और जाति व्यवस्था के विरोध में थे। वे ब्राह्मण या सवर्ण के विरोध में नहीं थे। वे एक ऐसी समाज व्यवस्था के लिए प्रयत्नशील थे जहां मनुष्य मनुष्य के प्रति आदर रखता हो, जहां मनुष्य मनुष्य के प्रति बन्धुता और मानवीयता से जुड़ा हो, जहां मनुष्य मनुष्य का शोषण नहीं करता हो। मनुष्य को मनुष्य होने के नाते न्याय दिलाने के लिए वे संघर्षरत थे।

अम्बेडकर के सामाजिक चिन्तन में दलित एवं दलितोद्धार

1919 ई. में भारत के राजनीतिक पटल पर डॉ. अम्बेडकर का दलित नेता के रुप में उभरना एक महत्वपूर्ण घटना थी। 1917 ई. तक सत्ता की राजनीति के आसपास डॉ. अम्बेडकर की स्थिति एक आम आदमी की थी लेकिन देश में अछूतों के सामाजिक तथा राजनीतिक इतिहास में 1917 ई. एक महत्वपूर्ण वर्ष था क्योंकि यहीं से दलित वर्ग के बीच राजनीतिक चेतना प्रारंभ हुई।

डॉ. अम्बेडकर तथा कर्मवीर शिन्दे को समिति के समक्ष बयान देने को कहा गया। डॉ. अम्बेडकर ने सदियों से मानवाधिकार से वंचित दलितों के जनतांत्रिक अधिकार के लिए आयोग के समक्ष प्रथम बार लिखित बयान में कहा, ''भारत में लोकप्रिय सरकार के लिए मताधिकार और निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था करते समय मताधिकार समिति को यह ध्यान में रखना चाहिए कि वह दोनों अर्थात् विचारों के प्रतिनिधित्व और व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करे।'' 1920 में डॉ. अम्बेडकर ने एक मराठी पत्रिका 'मूकनायक' आरम्भ की थी। इस तरह स्वयं डॉ. अम्बेडकर सामाजिक आंदोलन से जुड़े। हिन्दू धर्म के व्यवहार ने उन्हें राजनीति के और भी करीब ला दिया। वे यह भलीभांति समझने लगे थे कि राजनीति पर पकड़ होने से सामाजिक विषमताओं को बहुत कुछ समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने माना कि राजनीतिक सत्ता सामाजिक प्रगति का द्वार है। अनुसूचित जातियां अपने आपको एक तीसरी पार्टी के रूप में संगठित कर ले और कांग्रेस तथा सोशलिस्ट दोनों विरोधी पार्टियों के बीच में एक तीसरी ताकत बन जायें तो वे इस राजनीतिक सत्ता को प्राप्त कर अपनी मुक्ति का द्वार खोल सकती है। सन 1917 से 1935 के बीच डॉ. अम्बेडकर ने दलितों को राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए जोरदार संघर्ष किये। इसी दौरान यानि 3 फरवरी, 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन के सामने दलित समाज की कुल मिलाकर 19 संस्थाओं ने दलित समाज के लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी। सार्वजनिक मंदिरों में अन्य हिन्दुओं की भांति अछूतों को भी प्रवेश मिले, इसके लिए डॉ. अम्बेडकर द्वारा दलितों के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व किया गया। इन आंदोलनों में अमरावती में अंबादेवी मंदिर प्रवेश (1927), ठाकुर द्वारा मंदिर प्रथवेश आंदोलन (1927), मुम्बई में गणपति प्रांगण प्रदेश आंदोलन (1928), नासिक में कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन (1930) मुख्य थे।

अम्बेडकर के सामाजिक चिन्तन में नारी

डॉ. अम्बेडकर ने स्वतंत्र भारत की महिलाओं को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने का प्रयास किया। उन्होंने अस्थायी संसद में 'हिन्दू कोड बिल' पास कराने की कोशिश की। यह बिल आधुनिक भारत का एक महत्वपूर्ण कानून था। इस बिल का उद्देश्य स्त्रियों और पुरुषों को बराबर के अधिकार देना था। अम्बेडकर ने संसद में विधेयक को प्रस्तावित करते समय कहा था, ''मैं इस सदन से केवल यही अनुरोध कर रहा हूं : यदि आप हिन्दू व्यवस्था, हिन्दू संस्कृति, हिन्दु समाज की रक्षा करना चाहते हैं तो जहां मरम्मत की आवश्यकता है वहां मरम्मत कीजिए। इस विधेयक का उद्देश्य हिन्दू धर्म के उन सब भागों की मरम्मत करना है जो टूट-फूट गए हैं।'' डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने हिन्दू विधि को समेकित करने का जो प्रयास किया था, उसकी अनेक नेतओं - एच.वी. कामथ, न्यायमूर्ति पी.वी. गजेन्द्र गड़कर, एन.वी. गाडगिल और पण्डित हृदयनाथ कुंजरु ने सराहना की।

डॉ. अम्बेडकर के विचारों में नारी अधिक सहनशील, अधिक त्यागवृत्ति वाली, अधिक स्नेह और अधिक बुद्धि कौशलपूर्ण है। किनु उसके साथ आदर्शो के मकड़जाल को बुन कर उसे मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान परिस्थिति में भारतीय नारी की गरिमा में वृद्धि केवल नारी समानता द्वारा सम्भव नहीं है। प्रकृति से ही नर-नारी भिन्न हैं। डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने तथा उन्हें सक्षम बनाने में शिक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। नारी उत्थान की पहली शर्त शिक्षा ही है। एक बात विशेष तौर पर उल्लेखनीय और विचारणीय है कि डॉ. अम्बेडकर ने हिन्दू कोड बिल जैसा इतना बड़ा कदम अछूतों के लिए नहीं उठाया। किसी एक जाति के लिए नहीं उठाया, किसी वोट बैंक को पक्का करने के लिए नहीं उठाया, बल्कि सम्पूर्ण हिन्दू नारी के लिए उठाया। यह नारी केवल अछूत नारी नहीं थी, केवल शूद्र नारी नहीं थी बल्कि यह ब्राह्मण नारी थी, क्षत्रिय नारी थी और वैश्य नारी भी थी।

डॉ. अम्बेडकर की दृष्टि से स्त्री समाज की आधारशिला है। वह शिक्षा की प्रथम पाठशाला है। स्त्री के साथ रहकर ही पुरुष के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। मां, बहिन, बेटी और पत्नी के रुप में वह समाज को अपना सहयोग और लाभ देती रही है। अपनी कार्यकुशलता, बुद्धिचातुर्य, सहजज्ञान, त्याग, तपस्या, कर्म, धर्म के साथ उसने समाज को व्यवस्था और सुविधा दी है। डॉ. अम्बेडकर ने अपने लेख 'द वुमेन एण्ड द काउण्टर' में नारी वर्ग के प्रति मनुवादी सोच के खोखलेपन को उजागर करते हुए नारी को सशक्त और शिक्षित बनने का आह्वान किया है।

अम्बेडकर के सामाजिक चिन्तन में मानवाधिकार की अवधारणा

अम्बेडकर मानव इतिहास से बहुत भलीभांति परिचित थे। उन्होंने मानव इतिहास और मानव विकृतियों का गहराई से अध्ययन किया था। वे जानते थे कि जब तक भारत के शासकों को मौलिक मानवाधिकारों से बांध न दिया जाए तब तक आसानी से वे अपना शोषण समाप्त करने वाले नहीं है। अत: उनके विशेष प्रयत्न करने और बल देने के बाद ही भारत के संविधान में 'मौलिक अधिकारों' की स्थापना व अन्तर्राष्ट्रीय मान्यताओं को स्थान मिला। हमारे संविधान में *'यूनिवर्सल डिक्लेयरेशन ऑफ ह्यूमैन राइटस्'* में दिये गये अधिकांश मौलिक अधिकारों को संवैधानिक मान्यता दे दी

गई है। 'राज्य के नीति-निर्देशक तत्व' संविधान की विशेषता है। जिन्हें डॉ. भीमराव ने मानवाधिकारों के रुप में मान्यता दिलाई। 'नीति निर्देशक तत्वों' में प्राय: उन सभी मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं को सम्मिलित कर लिया गया है जिन्हें संवैधानिक मौलिक अधिकारों का स्तर प्रदान नहीं किया जा सकता है। काम का अधिकार, लोगों को रोजी रोटी का अधिकार, समान विधि संहिता, शिक्षा का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, बच्चों के लिए स्वतंत्रता एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आदि सभी ऐसे महत्वपूर्ण अधिकारों को इन सिद्धान्तों में सम्मिलित करने का प्रयत्न किया गया जो एक सुखी समृद्ध और सुसंस्कृत समाज के लिए आवश्यक है। डॉ. अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए संविधान में तो व्यवस्था कही ही थी, उन्होंने इन सिद्धान्तों की स्थापना के लिए जीवन भर संघर्ष किया। मराड़ सत्याग्रह, कालाराम मंदिर सत्याग्रह, मनुस्मृति दहन आदि उनके इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक संघर्ष के उदाहरण हैं। शूद्र और महिला वर्ग को मानवाधिकार दिलाने के लिए डॉ. अम्बेडकर ने जीवन भर संघर्ष किया और अन्त में जब विधि मंत्री के रुप में महिलाओं को उनके मौलिक अधिकार दिलाने वाला कानून पास कराने में सफल नहीं हो सके तो उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया।

वास्तव में डॉ. अम्बेडकर के दर्शन एवं विचारों में आत्मसम्मान और मानव गरिमा का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्थान था। उन्होंने कहा था कि ''हमारा युद्ध धन और शक्ति के लिए नहीं है। यह स्वतंत्रता के लिए युद्ध है। यह मनुष्य के व्यक्तित्व के पुनरूद्धार का युद्ध है।'' उनका विश्वास था कि जनतंत्र एवं स्वतंत्रता एक ही वस्तु नहीं है। यदि सामान्यत: उनके मूल अधिकारों को सुरक्षित नहीं किया गया तो जनतंत्र में हमें केवल अपने शासकों का चयन करने का ही अधिकार रह जाता है।

अम्बेडकर का अस्पृश्यता संबंधी सामाजिक चिन्तन

हिन्दु धर्म की सबसे भीषण सामाजिक बुराईयों में से एक है - अस्पृश्यता। गांधीजी कहा करते थे यदि मेरा दुबारा जन्म हो तो एक शूद्र के घर में जन्म हो जिससे मैं शूद्रों के कष्टों और संकटों को स्वयं भी सह सकूं और उनकी सेवा कर सकूं।

20 जुलाई, 1924 को डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने अस्पृश्यों, दलितों की उन्नति के लिए 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' की स्थापना की। सभा का लक्ष्य दलित वर्गो के बीच शिक्षा और संस्कृति का विकास करना था। सभा दलितों की आर्थिक उन्नति भी करना चाहती थी। अम्बेडकर ने अपनी रचनाओं और भाषणों द्वारा दलित वर्गो का संगठन किया। उनके व्याख्यानों का मूल मंत्र था - स्वावलम्बन तथा एकता। अम्बेडकर ने अछूतों के हित में सामाजिक एकता एवं समता प्राप्त करने के लिए अनेक सत्याग्रह किए। इनमें 'महाड़ सत्याग्रह' और नासिक सत्याग्रह विशेष रुप से उल्लेखनीय हैं। महाड़ सत्याग्रह का उद्देश्य यह प्रमाणित करना था कि अछूतों को भी सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार है। नासिक सत्याग्रह ने यह सिद्ध किया कि अछूत भी मंदिरों में प्रवेश कर सकते हैं।

अन्त में यह कहना उचित होगा कि डॉ. अम्बेडकर ने कितनी लम्बी कठिन जीवन यात्रा की और यह पहचाना कि हिन्दू समाज छुआछूत तथा जातिवाद में इतना जकड़ा हुआ है कि उसे सामाजिक असमानता व अन्याय से मुक्त करना आसान बात नहीं है। महात्मा बुद्ध, कबीर, महात्मा ज्योतिबा राव फूले, सन्त रविदास, स्वामी अछूतानंद और अनेक सन्तों से प्रभावित होकर सामाजिक समता एवं न्यास का डॉ. अम्बेडकर ने जो बिगुल बजाया था वह आज भी अपनी आवाज बुलन्द किये हुए है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. नेहरू, जवाहर लाल, लोकसभा डिबेट्स, 6 दिसम्बर, 1956
2. लिमये, मधु, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर
3. फड़के, भालचन्द्र, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर, पृ.सं. 249
4. दीधे, प्रभाकर, महामानव डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर, पृ.सं. 144
5. विजयी, आर.एम.एस., डॉ. अम्बेडकर का कारवां : स्थिति और समीक्षा, पृ.सं. 108
6. जाटव, डी.आर., राष्ट्रीय आंदोलन में डॉ. अम्बेडकर की भूमिका, पृ.सं. 20
7. सिंह, शशि श्याम, बाबा साहेब वांड्मय, खण्ड 2, पृ.सं. 19-20
8. रणसुमे, सूर्यनारायण, डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर, पृ.सं. 52
9. अहीर, डी.सी., दी लेगिसी ऑफ डॉ. अम्बेडकर, पृ.सं. 131
10. गांधी, आर.सी., मेरे सपनों का भारत, पृ.सं. 122
11. जाटव, डी.आर., डॉ. अम्बेडकर एक प्रखर विद्रोही, पृ.सं. 116
12. कीर, धनंजय, डॉ. अम्बेडकर - लाइफ एण्ड मिशन, पृ.सं. 414
13. अम्बेडकर, बी.आर., राईटिंग्स एण्ड स्पीचेज, खण्ड 13, पृ.सं. 1214

वर्तमान में महिला एवं मानवाधिकार

डॉ. भरत लाल मीना
व्याख्याता, राजनीति विज्ञान
राजकीय लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय, कोटपूतली, जयपुर (राज.)

शोध सारांश

आजादी से पहले हमारे समाज मे अनेक कुरीतियों, सामंतवादी तथा पिछडेपन की मानसिकता बनी हुई है। किन्तु आजादी के बाद महिलाओं की सुरक्षा व अधिकारों की व्यवस्था संविधान में की गई। भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकारों से सम्बन्धित अनुच्छेद 14 से 18 तक एवं अनुच्छेद 39ए, अनु. 21, अनु. 15, अनु. 15(3), अनुच्छेद 42, अनु. 51ए (ई) का प्रावधान किया गया है। जो महिलाओं के लिए एक वरदान से कम नहीं है। भारतीय महिलाओं को कानूनी अधिकार दिये गये है जैसे दहेज निषेध अधिनियम 1961, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 आदि। कामकाजी महिलाओं के लिए अनेक कानूनी प्रावधान किये गये हैं। संपति में महिलाओं को अधिकार प्रदान किया गया है। जैसे- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925, विवाहित महिला सम्पति अधिनियम 1874, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, मुस्लिम पर्सनल लॉ ऐप्लीकेशन एक्ट 1936 आदि के द्वारा महिलाओं का सम्पति में अधिकार संरक्षित किया गया है। भारतीय सरकार द्वारा स्त्रियों के अधिकारों के लिए एवं उनको सामाजिक सरंक्षण प्रदान करने हेतु विधि में महिलाओं से सम्बन्धित प्रमुख अपराधों में सजा का अधिकतम प्रावधान किया गया है, एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 में विभिन्न धाराओं में महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा एवं अपराध से सुरक्षा प्रदान की गई है। 1947 के बाद से ही संवैधानिक प्रावधानों द्वारा महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किये गये हैं। वर्तमान में उपरोक्त कानूनों, अधिकारों के माध्यम से भी महिलाऐं सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रो में नई उंचाईयाँ प्राप्त कर रही है।

संकेताक्षर : *संवैधानिक व विधिक प्रावधान, मानवाधिकार हनन, संरक्षण, प्रोन्नयन*

जिस राष्ट्र में महिलायें जितनी अधिक शिक्षित होती हैं, वह राष्ट्र उतना ही प्रगतिशील होता है। भारत में आज महिलायें चिकित्सक, इंजीनियर, वैज्ञानिक, खिलाड़ी आदि स्थानों पर अपनी गरिमामयी स्थिति बना चुकी हैं। एसोचैम की रिपोर्ट के अनुसार ''भारतीय महिलायें घर और दफ्तर में दोनों जगह भेदभाव का शिकार हैं काम के बढ़िया अवसर तो दूर रहे उन्हें पदोन्नति के समान अवसर तक नहीं मिलते, जिससे वे शीर्ष पदों तक नही पहुंच पाती हैं। महज 33 प्रतिशत महिलायें ही शीर्ष पदों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाती हैं।'' वर्तमान में महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य यह है कि सामाजिक सुविधा की उपलब्धता, आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन आदि अधिकारों का सुनिश्चित होना है, भारतीय संविधान ने महिलाओं को अनेक अधिकार दिये हैं- समानता का अधिकार (अनु. 14-18), महिला पुरुष को समान रूप से आजीविका का अधिकार (अनु. 39 ए.), जीवन का अधिकार (अनु. 21), विधि के समक्ष समानता और सरंक्षण का अधिकार (अनु. 15), महिलाओं की बेहतरी के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए राज्य को अधिकार (अनु. 15 (3)), काम की न्यायसंगत व मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध (अनु 42), मूल कर्त्तव्य में ऐसा प्रावधान है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग किया जाये जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध है (अनु. 51 ए (ई))।

भारतीय संस्कृति और जीवन पद्धति में मानव अधिकारों की प्रतिष्ठा प्राचीन काल से ही स्थापित रही है। महाभारतकालीन साहित्य तथा कौटिल्य आदि के समय में नारियों पर प्रहार करना, निरपराधों को सताना, राजपूत या राज्य प्रतिनिधि को अपमानित करना वर्जित माना गया था। समाज और परिवार में मानव अधिकारों का आदर करना भारतीय परम्पराओं और आस्था का एक स्वभाविक अंग रहा है। आज के वर्तमान भारतीय परिवेश में महिलाओं को कानूनी अधिकार दिये हैं :- दहेज निषेध अधिनियम 1961,विदेशी विवाह अधिनियम 1961,विशेष विवाह अधिनियम

1969,भारतीय तलाक अधिनियम 1869,हिन्दू विवाह अधिनियम 1955,धर्मान्तरण विवाह विच्छेद अधिनियम 1866,बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, कन्वर्ट्स मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट।

अत्यंत प्राचीन काल में महिलायें समाज का एक अभिन्न अंग थीं। उच्च शिक्षा प्राप्ति के अवसर, पुरुषों से बराबरी की स्थिति, फैसला लेने में पुरुष के समान हिस्सेदारी तथा पर्दा प्रथा का रिवाज न होने आदि के कारण महिलाओं को समाज में सर्वोच्च स्थान था। भारत में महिलाओं को पूजनीय मानते हुऐ इतना तक कहा गया कि जहाँ महिलाओं की पूजा हाती है वहाँ देवताओं का भी वास होता है। ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'' हमारा आदर्श माना जाता है। ''भारत हमेशा से महिलाओं के निर्मित अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय मंच पर हिमायती रहा है। स्वतंत्रता की प्राप्ति से ही भारत ने लिंग पर आधारित पूर्वाग्रहों को मिटाने के लिए संगठित प्रयास किये हैं ताकि महिलायें सही अर्थो में पुरुषों के आमने-सामने होकर हैसियत का उपयोग कर सकें''।

आज के परिवेश में महिलायें घर के बाहर जाकर कामकाज करती हैं इसलिये महिलाओं को सरंक्षण प्रदान करने के लिए विधिक व्यवस्था के अंतर्गत उनके सरंक्षण के लिए अनेक एक्ट बनाये गये हैं- बीड़ी एक्ट सिगार वर्कर्स एक्ट 1966,बोंडेड लेबर सिस्टम (अबोलिशन) एक्ट 1976,सिने वर्कस एण्ड सिनेमा थियेटर वर्कर्स एक्ट 1981, कांटैक्ट लेबर (रेगुलेशन एण्ड ओलिशन एक्ट) 1970, इम्प्लाई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, इक्वल स्टेट माइग्रेशन एक्ट 1976, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इण्टर स्टेट माइग्रेशन एक्ट 1979, लीगल प्रैक्टीशनर्स (वुमेन) एक्ट 1923, मैटरनिटी बेनीफिट एक्ट 1961, मिनिमम वेज एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, वर्कमेन कंपेंसेसन एक्ट 1923, माइंस एक्ट 1952।

आज हमें समाज में एक ऐसी स्वस्थ मानसिक सोच की आवश्यकता है जो ईश्वर निर्मित सृष्टि की सुंदर कृति स्त्री-पुरुष के मध्य समान आदर एवं सम्मान का भाव जागृत करा सके। महिलायें महिलाओं के प्रति संवेदनशील हों। महिला सशक्तिकरण मात्र एक नारा नहीं बने अपितु एक ऐसी स्वस्थ मानसिक सोच बने जिससे स्त्री-पुरुष के मध्य एक दूसरे के प्रति सम्मान एवं स्त्री और स्त्री का जातिगत वर्गीय भेद भी मिट सके।'' महिलाओं को समानता का अधिकार मिले इसीलिए उसे संपति में अधिकार प्राप्त हो। इसी क्रम मे भारतीय कानून ने कतिपय अधिनियम बनाये- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925, विवाहित महिला संपति अधिनियम 1874, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) एप्लीकेशन एक्ट 1936।

भारतीय सरकार द्वारा स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिए एवं उनको सामाजिक सरंक्षण प्रदान करने के हेतु भारतीय अपराध विधि में महिलाओं से संबंधित प्रमुख अपराधों में सजा का अधिकतम प्रावधान किया गया है। भारतीय दण्ड संहिता 1860 की निम्नलिखित धारायें महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा एवं अपराध से सुरक्षा प्रदान करती है-

धारा 304(ख) के अंतर्गत विवाह से सात वर्ष के अंदर प्रताड़ित करते हुए दहेज हत्या होने की स्थिति में कम से कम 7 वर्ष के लिए कारावास किंतु बढकर आजीवन कारावास का प्रावधान करती है। धारा 321 से 316 तक की धाराओं के अंतर्गत स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कराने का शिशु की मृत्यु होने पर दस वर्ष की सजा का आजीवन कारावास एवं जुर्माना का प्रावधान करती है।

धारा 323 के अंतर्गत स्त्री के साथ मारपीट करने तथा गंभीर चोटें पहुंचाने पर एक वर्ष का कारावास या 1000रू. का जुर्माना या दोनों का प्रावधान करती है। धारा 342 के अंतर्गत साधारण रूप से नजरबंद रखने पर एक वर्ष का कारावास या 1000 रू. से जुर्माना या दोनों का प्रावधान करती है।

धारा 344 के अंतर्गत दस या दस दिन से अधिक नजरबंद रखने पर तीन वर्ष का कारावास या जुर्माना का प्रावधान करती है। धारा 354 के अंतर्गत स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग की स्थिति में दो वर्ष के लिये कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रवधान करती है।

धारा 363 के अंतर्गत व्यवहारण जिसके लिये 7 वर्ष के लिये कारावास और जुर्माना, प्रावधान करती है। धारा 363 क अप्राप्यव्य व्यय इसलिये व्यवपहरण या अप्राप्यव्य की अभिरक्षा इसलिये अभिप्राप्त करना कि ऐसा अप्राप्त्य भीख मांगने के प्रयोजन के लिये नियोजित किया प्रयुक्त किया जाये। अप्राप्यव्य को इसलिये विकांग करना कि ऐसा आप्राप्यव्य भीख मांगने के प्रयोजनों के लिये नियोजित या प्रयुक्त किया जाये। ऐसा घृणित कार्य करने के लिए 10 वर्ष के लिए कारावास या आजीवन कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जायेगा।

धारा 364 के अंतर्गत हत्या के उद्देश्य से अपहरण या व्यपहरण की स्थिति में आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिये कठिन कारावास या आजीवन कारावास प्रावधान है। धारा 366 के अंतर्गत किसी स्त्री को विवाह करने के लिये विवश करने या भ्रष्ट करने आदि के लिये उसे व्यवहृत करने के उद्देश्य को पूर्ण कने के लिये 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना का प्रावधान किया गया।

धारा 366 के अंतर्गत अप्राप्तव्य लडकी का उपापन यानि अवयस्क लड़की का अपहरण करना और उसको संभोग के लिये विवश करने के लिए 10 वर्ष का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 366 ख के अंतर्गत विदेश से लड़कियों को आयात करने के लिये 10 वर्ष का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।

धारा 372, 373 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिये अप्राप्तव्य (अवयस्क) को बेचना या भाडे पर देना उन्हीं प्रयोजन के लिये

अप्राप्तव्य को खरीदना या उसका कब्जा अभिप्राप्त होना, इसी अपराध के लिये 10 वर्ष का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 376 के अंतर्गत किसी स्त्री के साथ बलात्कार करने पर आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग जिसकी आयु 12 वर्ष से कम है ऐसे अपराध के लिये दो वर्ष के लिये कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है।

धारा 376क के अन्तर्गत पृथक रहने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग करने की स्थिति में 2 वर्ष का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 376 ख के अन्तर्गत लोक सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में किसी स्त्री के साथ संभोग जैसे अपराध करने के लिए 5 वर्ष का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 37-ग के अन्तर्गत जेल, प्रतिप्रेषण गृह आदि के अधीक्षक द्वारा संभोग करने के लिये 5 वर्ष का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।

धारा 376घ के अन्तर्गत किसी अस्पताल के प्रबन्धक आदि द्वारा उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ संभोग करने की स्थिति में 5 वर्ष का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 377 के अन्तर्गत अप्राकृतिक संभोग(प्रकृति के विरूद्ध अपराध) करने के लिए आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।

धारा 494 के अन्तर्गत पति या पत्नी के जीवन काल में पुन: विवाह करने के लिए 7 वर्ष का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 495 के अन्तर्गत वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति से छिपाकर जिसके साथ पच्छयावर्ती विवाह करने के लिए 10 वर्ष का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।

धारा 497 के अन्तर्गत जारकर्म जैसे अपराध के लिए 5 वर्ष का कारावास या जुर्माने या दोनों का प्रावधान किया गया है। धारा 498 के अन्तर्गत विवाहिता स्त्री को आपराधिक आशय से फुसला कर ले जाना या निरूद्ध रखना जैसे जैसे अपराध के लिए 2 वर्ष का कारावास या जुर्माने या दोनो का प्रावधान किया गया है।

धारा 498ए के अन्तर्गत किसी विवाहिता स्त्री के प्रति क्रूरता करने की स्थिति में एवं दहेज सम्बन्धी उत्पीड़न करने की करने की स्थिति में 3 वर्ष कारावास या जुर्माने का प्रावधान किया गया है। धारा 499 के अन्तर्गत किसी स्त्री की बेइज्जती करना तथा उस पर झूठे आरोप लगाकर समाज में उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने जैसे अपराध के लिए 2 वर्ष का कारावास या जुर्माने या दोनो का प्रावधान किया गया है। धारा 509 के अन्तर्गत स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहना या कोई अंग विक्षेप करने जैसे अपराध के लिए 1 वर्ष का सादा कारावास या जुर्माने या दोनों का प्रावधान किया गया है।

किसी भी समाज में शक्ति का महत्व स्पष्ट देखा जा सकता है। स्त्री और पुरुष प्रकृति से ही एक दूसरे के पूरक रहे हैं। किन्तु शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण स्त्री को सदैव पुरुष की अनुगामी होना पडा है। शिक्षा के विकास के साथ ही विभिन्न समाजों में स्त्रियों को पुरुषो के बराबर अधिकार दिये जाने लगे। भारत भी पाश्चात्य देशो की उन्नति की अनदेखी नहीं कर सका ओर 1947 के बाद से ही संवैधानिक प्रावधान द्वारा महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिये गये हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की तृतीय समिति के समक्ष मानव अधिकारों के अभिवृद्ध एवं संरक्षण के लिए एक राष्ट्र संस्था को स्थापित करने अथवा मजबूत करने के संबंध में अपनी उत्सुकता पूर्ण रूचि प्रदर्शित की थी। नारी समाज का एक प्रमुख अंग है। किंतु समयानुक्रम में मनुष्य ने स्वार्थवश नारी को मात्र भोग विलास की वस्तु मान लिया है। सरकार ने महिला शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी है। पूरी शिक्षा प्रणाली महिलाओं को अधिक से अधिक शिक्षा और अधिकार देने में लगी है। इसके लिए बालिकाओं को औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा देने के लिए दाखिला करवाने, शिक्षिकाओं के रूप में ग्रामीण महिलाओं को भर्ती करने तथा लिंग भेद समाप्त करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में भारत द्वारा बनाया गया शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है।

मानव अधिकारों के पद का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने जनवरी 1941 में कांग्रेस को संबोधित अपने प्रसिद्ध संदेश में किया था, जिसमें उन्होंने चार मर्मभूत स्वंतत्रताओं वाक् स्वातंत्र्य, गरीबी से मुक्ति और भय से स्वातंत्र्य पर आधारित विश्व की घोषणा की थी। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं घोषणाओं का योगदान है। मानवाधिकार के विकास में वैधानिक प्रावधान, प्रशासनिक आदेश तथा स्थानीय स्तर पर न्यायिक घोषणाओं की महती भूमिका रही है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार की यदि हम बात करें तो मानव अधिकार की विभिन्न समस्याएं नस्लीय भेदभाव, भाषायी अधिकार, धार्मिक अधिकार स्वतंत्रता, लैगिंग भेदभाव (लिंग भेद) मृत्युदण्ड, पुलिस अत्याचार (नृशंसता) मौलिक अधिकार के उल्लंघन से जुड़ी हुई है। मानवाधिकार से जुड़ी ये समस्याएँ अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माताओं, शिक्षकों, समाज सेवियों एवं छात्रों का ध्यान आकर्षित करने लगी हैं।''

आज हमारा देश जितना तरक्की कर रहा है उससे कही ज्यादा मानव अपनी तरक्की के लिए गलत कदम उठा रहा है। वह अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अनजाने पथ पर भी जाने के लिये तैयार है। जहां हमारे आधुनिक देश की महिला हर क्षेत्र में अपने कदमों को आगे बढा रही है। वहीं दूसरी और उन्हीं महिलाओं के साथ दुराचारी व्यवहार हो रहा है। भारत के राज्यो में मानवाधिकार सरंक्षण अधिनियम 1993 की धारा 4 में राज्य में मानवाधिकार

आयोग गठन का प्रावधान है और राज्यों में इसके गठन की प्रक्रिया तेजी से बढ रही है। इन आयोगो के वित्तीय भार का वहन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। संबंधित राज्य का राज्यपाल, अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है। आयोग का मुख्यालय राज्य में कहीं भी हो सकता है अधिनियम की धारा 21(5) के तहत राज्य मानव अधिकारो के हनन से संबंधित उन सभी मामलों की जाँच कर सकता है, जिनका उल्लेख भारतीय संविधान की सूची II तथा III एवं IV में किया गया, वहीं धारा 36(9) के अनुसार आयोग ऐसे किसी विषय की जाँच नहीं करेगा, जो किसी राज्य आयोग अथवा अन्य आयोग के समक्ष विचाराधीन है। व्यक्ति के व्यक्तिव के विकास के लिए सामाजिक वातावरण का स्वस्थ्य होना आवश्यक है। समाज में मनुष्य का विकास तभी संभव है जब उसको पूर्णतया मानवाधिकार प्राप्त हो। अत: वह किसी भी कार्य के लिए पूर्णरूपेण स्वतंत्र होगा तभी वह सही ढंग से अपना विकास कर सकेगा। विगत पन्द्रह-सोलह वर्षो में भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में नया दौर शुरू हुआ है। यह दिलचस्प बात है कि एक तरफ लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का मामला खटाई में पडा है। वहीं दूसरी तरफ पंचायतों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू होने से जमीनी स्तर पर काफी परिवर्तन हुए हैं और एक नया राजनीतिक परिदृश्य सामने आया है। आज हमारे देश में लगभग 12 लाख से अधिक महिला निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। इतनी संख्या विश्व के किसी भी देश में नहीं है। इतना ही नहीं, अगर पूरी दुनिया की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या जोड़ी जाए फिर भी वह संख्या भारतीय निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों से कम ही है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा महिला सशक्तिकरण से समाज में आमूलचूल परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगे हैं। चाहे वह दोपहर का भोजन कार्यक्रम हो या सर्वशिक्षा अभियान के सफलता की बात ग्रामीण महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठाने की हिम्मत बढी है। उनमें आत्म विश्वास बढ़ा है। वे अपने आस-पास घटने वाली घटनाओं के प्रति सजग हुई हैं। ग्रामीण इलाके में होने से उनमें रचनात्मक कार्यक्रमों में भागीदारी बढी है। उनमें राष्ट्र और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना का विकास हुआ है।

केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने 16 दिसंबर 2013 को विभिन्न मंत्रालयों के स्रोतों को महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित निर्भय कोष में इस्तेमाल किये जाने के तीन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। 'निर्भय कोष' से संबंधित तीन प्रस्ताव निम्नवत् है-

1. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया प्रस्ताव: पुलिस प्रशासन का मोबाईल फोन नेटवर्क के साथ एकीकरण, ताकि विपदा फोन कॉलों पर कम से कम समय में पता लगया जा सके और कार्यवाही की जा सके। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सभी मोबाईल फोन विनिर्माताओं को निर्देश जारी करेगा कि वे सभी हैंडसेटों में अनिवार्य रूप से एक एसओएस अलर्ट बटन लगाएं।

2. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का प्रस्ताव: देश में सड़क वाहनों में महिलाओं की सुरक्षा की एक योजना तैयार की गई है, जिसे 10 लाख से अधिक की आबादी वाले 32 शहरों में अगले दो वर्षो में लागू किया जायेगा। सार्वजनिक परिवहन के वाहनों मे अनिवार्य रूप से जीपीएस (ग्लोबर पोजिशन सिस्टम), सार्वजनिक परिवहन की बसों में सीसीटीवी, स्मार्ट फोन के माध्यम से यात्री सूचना प्रणाली, बस स्टॉप पर सूचना प्रदर्शन की व्यवस्था होनी चाहिए।

3. रेल मंत्रालय का प्रस्ताव: कुछ विशेष क्षेत्रों में रेल गाड़ियों में एसओएस अलर्ट प्रणाली की स्थापना के लिए एक प्रायोगिक योजना; इस व्यवस्था के अंतर्गत मोबाइल और लैंडलाइन नेटवर्को के सभी दूरसंचार सर्किलों के मोबाइल सेवा प्रदाता होंगे, कॉल रिकॉर्ड करने यानि यात्रियों ओर कॉल सेंटर के एजेंटो के बीच बातचीत को रिकार्ड करने की व्यवस्था, एसएमएस सेवा के लिए उपकरणों में उन्नयन/अनुकूलन की व्यवस्था, शुरू में प्रस्तावित कॉल सेंटर अंग्रेजी और हिन्दी भाषाओं में कार्य करेगा, लेकिन प्रणाली का उन्नयन करके इसमें केंद्रीकृत कॉल सेन्टर से प्राप्त कॉलों को क्षेत्रीय कॉल सेंटरों को हस्ताक्षरित करने की व्यवस्था होगी।

उपर्युक्त तीन योजनाओं के लिए अलावा महिला एंव बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि वह संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने, कार्यवाही केंद्रों की स्थापना करने और 10 लाख से अधिक आबादी वाले उपर्युक्त 32 शहरों में महिलाओं की सलामती और सुरक्षा को बढावा देने के लिए जागरूकता पैदा करने की एक योजना तैयार कर रहा है।

जहां एक ओर महिलाओं के उत्पीड़न पर चर्चा हो रही है वहीं दूसरी ओर उनके द्वारा किये गये कार्यो की प्रशंसा भी हो रही है। ऐसी ही एक भारतीय महिला कल्पना चावला थी जिनकी याद में 'पिकोबा' (पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ ओल्ड बॉयज एसोसियेशन) ने एक अवार्ड देना प्रारम्भ किया है- 'पिकोबा' (पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ ओल्ड बॉयज एसोसियेशन) की ओर से वर्ष 2009 के कल्पना चावला एक्सीलेंस अवार्ड के लिए 9 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। सम्मानित महिलाओं में 400 मी. स्पर्द्धा में राष्ट्रीय, एशियाई एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 16 गोल्ड मेडल जीत चुकी मंजीत कौर, आठ बार राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन व दो बार राष्ट्र मण्डल खेलों में कुश्ती चैपिंयन गीतिका जाखड़, पंजाबी साहित्यकार तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित डॉ. दलीप कौर तिबाना, जूडोका रंजीत कौर तथा गायिका गुरमीत बावा शामिल है।

इस प्रकार जहाँ महिलाओं को लेकर सरकारी गैर-सरकारी संगठन उनके उत्थान के लिये कार्यक्रम तैयार कर उन्हे लागू करने में लगे हैं वहीं उनके द्वारा किये गये कार्यों को प्रोत्साहन भी दे रही है। फिर भी यह विडम्बना ही है कि आज भी नारी असुरक्षित है। इसका कारण कहीं हद तक नारी स्वंय भी है। ''भारत वर्ष में नारी को ब्रह्म के समान गौरवमयी स्थान प्राप्त हैं। किंतु भौतिकवादी विचारधारा ने इसे एक वस्तु के रूप में स्थापित कर केवल भोग्यवादी वस्तु के रूप में मान लिया है। वैदिक काल से आज तक नारी के रूप में अनेक परिवर्तन आये हैं। उसने काल, समय के साथ, गति के साथ अपने आप में अमूल्य परिवर्तन किये है। घर की चारदीवारी को छोडकर चूल्हा चौका को तोड़कर आज वह आर्थिक स्थिति पर अपने आपको मजबूती के साथ जमाये हुए है। शायद यही कारण है कि पुरुष वर्ग उस पर और अधिक अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार ओर बलात्कार जैसे घृणित कार्य करता चला आ रहा है। आज इसका कारण यह भी हो सकता है कि बढती बेरोजगारी ने पुरुष वर्ग के मस्तिष्क को दूषित कर दिया हो। भारत में महिलाओं के लिए अनेक कानून बने है किंतु उनका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। इसके चलते कुछ कानून से बच निकलते हैं और समाज में अपनी शेखी बघारते हैं। हमें स्त्रियों को उनका हक सम्मानपूर्वक देने में क्या हर्ज है। किंतु ऐसा हम नहीं करते है और नारी पर अत्याचार करना हम अपना धर्म मानते चले आ रहे है आज भी उसी के अनुयायी बने बैठे हैं। यही कारण है कि उनकी जीवन शैली प्रभावित हुई और उनका समाज में स्थान भी कुछ धूमिल हुआ है। आज की बिगड़ती परिस्थितियों ने नारी को कहीं भी सुरक्षित स्थान नहीं दिया है। जहाँ तक घरेलू हिंसा की बात कहें तो इसमें तो नारी ही नारी की शत्रु बन बैठी है।

निष्कर्ष

हम यह कह सकते है कि महिला उस मुकाम पर पहुँचेगी तो जरूर जहाँ उसे पहुँचना है। यदि वह सामाजिक, आर्थिक आधार प्राप्त कर ले तो यह प्रक्रिया काफी तेज हो सकती है। अत: यह आवश्यक है उन्हें उपयुक्त वातावरण मिले जिससे वह अपनी छवि को बेहतर बना सके। महिला अगर महिला की शत्रु न बने तो यह गति अत्यंत तीव्र हो सकती है। यकीनन हमारे देश में अस्मिता व महिला उत्पीड़न को लेकर समाज और व्यवस्था में अनेक विसंगतियां हैं। इसी वजह से महिला अस्मिता अथवा उत्पीड़न का मुद्दा बेहद जटिल होता जा रहा है। इस स्थिति में अचानक किसी प्रकार के सुधार की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। सूरत तभी बदल सकती है, जब प्रत्येक स्तर पर बदलाव की पहल हो। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में महिला मानवाधिकारों की दुर्बल स्थिति विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में है। जहां पर विशेष ध्यान देन की आवश्यकता हैं, ऐसे क्षेत्रों में महिलाएँ स्वंय को पुरुषों के प्रति समर्पित करके उनकी अधीनता स्वीकर कर लेती हैं। इन क्षेत्रों में महिलाओं को अनेक समस्याओं से गुजरना पडता है। जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता तथा निर्णय लेने की स्वतंत्रता शामिल है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारत में महिला सशक्तिकरण और यौन शोषण व घरेलू हिंसा के विविध परिदृश्य, (लघु शोध प्रबंध) प्रवीण कुमार सक्सेना, मध्य प्रदेश भोज (मुक्त), विश्वविद्यालय भोपाल, 2012, पृ.सं. 54
2. सक्सेना, डॉ. प्रवीण कुमार, शोधायन : भाग एक, पवनपुत्र पब्लिकेशन, लखनऊ, 2010, पृ.सं. 54
3. मिश्र, सूर्य नारायण, भारतीय दण्ड संहिता
4. चतुर्वेदी, सतीश, मानवाधिकार और संयुक्त राष्ट्र संघ, 2002, पृ.सं. 1
5. यादव, डॉ. वीरेन्द्र सिंह, बदलते परिदृश्य में नई सहस्त्राब्दी का भारत संपादक- राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2010 पृ.सं. 331
6. उपर्युक्त, पृ.सं. 355
7. इक्कीसवीं सदी में भारत : दशा और दिशा (शोध सेमिनार पत्रिका) 26-27 सितम्बर 2009, दयानन्द वैदिक स्नातकोतर महाविद्यालय, पृ.सं. 96
8. क्रॉनिकल, फरवरी 2014, पृ.सं. 7, 8
9. क्रॉनिकल, अप्रैल 2009 पृ.सं. 26
10. भारत में महिला सशक्तिकरण और यौन शोषण व घरेलू हिंसा के विविध परिदृश्य, (लघु शोध प्रबंध) प्रवीण कुमार सक्सेना, मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय भोपाल, 2012, पृ.सं. 10-11

क्या हर्ष बौद्ध धर्म का अनुयायी था?

डॉ. देवाराम

व्याख्याता इतिहास

राजकीय बागड़ स्नातकोतर महाविद्यालय, पाली (राज.)

शोध सारांश

हर्ष अपने पूर्वजों की मान्यता का ही अनुगामी था। वह भी शिव और सूर्य का उपासक था। वर्तमान इतिहास में चीनी यात्री ह्वेनसांग की दी गई जानकारी के आधार पर ही हम हर्ष के बारे में लिखते आए है। परन्तु हर्ष के विषय में महाकवि बाणभट्ट ने, महाकवि मयूर ने भी जानकारी दी है। परन्तु उसकी जानकारी, ह्वेनसांग को अधिक महत्त देने के कारण, काफी अंशों में उपेक्षित ही रही। ह्वेनसांग जो एक विद्वान विदेशी यात्री था जो भारत में बौद्ध धर्म की अपनी जिज्ञासाएँ शान्त करने आया था। उसका स्वागत सत्कार करना एक योग्य राजा का परम कर्तव्य था, उसी की पालना हेतु हर्ष ने कन्नौज में धर्मसभा का आयोजन किया था। इसका यह अर्थ नहीं कि उसने अपने पूर्वजों से प्राप्त परम्परागत धर्म-मान्यताएँ छोड़ दी, क्योंकि उसके साम्राज्य की अधिकांश विजयें एवं युद्ध तो उसके जीवन के उत्तरार्ध में ही हुए थे। जैसे वल्लभी, सिन्ध, नेपाल, कश्मीर एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध ह्वेनसांग की यात्रा के बाद के है। मौय सम्राट अशोक अवश्य बौद्ध अनुयायी हो गया था जिसने बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए प्रचार किया तथा कलिंग युद्ध के पश्चात् कोई युद्ध नहीं किया। परन्तु हर्ष ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। प्रयाग महामोक्ष परिषद् का आयोजन भी 643 ई. में हुआ था इसमें जहाँ ह्वेनसांग के कारण बुद्ध की प्रतिमा का पूजन हुआ, शिव की विशाल प्रतिमाओं का भी पूजन अभिषेक हुआ था।

संकेताक्षर : *शिवोपासक, महामोक्ष परिषद्, सर्वधर्म समभाव*

डॉ. पाण्डेय के अनुसार, बाण के वर्णन से विदित होता है कि ज्योतिषियों से शुभ मुहूर्त निकलने के बाद ही हर्ष की सेना विजय यात्रा के लिए निकली थी। विजय यात्रा से पूर्व शिव का अभिषेक एवं ब्रह्मकुण्ड में सूर्य आराधना की थी।[1] विजययात्रा के दूसरे दिन कामरूम नरेश भास्कर वर्मा का दूत हंसवेग असंख्य उपहारों के साथ हर्ष के पास आया। ह्वेनसांग ने लिखा है - ''प्रारम्भिक छ: वर्षो तक हर्ष ने युद्ध किया बाद में 30 वर्ष तक शान्ति से राज्य किया।''[2] यह कथन सत्य नहीं है। केवल यह दिखाने के लिए कि हर्ष बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया तथा युद्धों में होने वाली हिंसा से उसे विरक्ति हो गई। परन्तु सत्य यह है कि हर्ष ने बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया। बाण के अनुसार हर्ष से उसकी विजय यात्रा के दूसरे दिन कामरूप के राजा भास्कर वर्मा का दूत हंसवेग पहुँचा तथा हर्ष के समक्ष संधि प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव रखते हुए उसने निवेदन किया कि ''हमारे स्वामी (भास्कर वर्मा) ने यह द्वढ़ संकल्प लिया है कि शिव के चरणों के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र किसी के सामने मस्तक नहीं झुकाएँगें इस पर हर्ष ने संन्धि को स्वीकार करते हुए कहा- कुमार स्वयं पराक्रमी है और मेरे साथ मैत्री पर शिव के अतिरिक्त कौन ऐसा है जिसके सामने उसे सिर झुकाना पड़े।''[3] उपरोक्त वर्णन करते हुए हर्षचरितम् लिखता है-

''स्वयं बाहुशालीनपि च समालम्बितशरासेन सुहदि हराद्रते कमन्यं नमस्यति।''

उक्त प्रसंग से यह स्पष्ट भाव उभरता है कि भास्कर वर्मा एवं हर्ष दोनों ही शिव के उपासक थे।[4] चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार भास्कर वर्मा विद्या प्रेमी तथा बौद्यो का आदर करने वाला था।

कन्नौज की धार्मिक सभा के कारण यह माना जाता है कि हर्ष बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अत: एक बार इस धार्मिक सभा का विश्लेषण करें।

ह्वेनसांग चीनी यात्री था तथा बौद्ध धर्म गुरू था। चीन में भी उसके प्रति बहुत आदर-सत्कार था। हर्ष का साम्राज्य नेपाल तक पहुँच जाने के कारण चीन से सीधी सीमा लगती थी। हर्ष एक योग्य कूटनीतिज्ञ था। वह चीन के शक्तिशाली सम्राट के मन में सह्रदयता

का भाव जगाना चाहता था। यह एक अच्छा अवसर था जब ह्नेनसांग भारत भ्रमण कर पुन: चीन जाने की तैयारी में था, अत: हर्ष के प्रति अच्छा भाव लेकर आये हर्ष इस बात को भली-भांति जानता था कि भारत में बौद्ध धर्म पतन की ओर अग्रसर है। फिर भी उसने कन्नौज में जो कि शिव उपासकों का प्रमुख केन्द्र था। विशाल धार्मिक सभा का आयोजन किया जिसमें बौद्ध धर्म की महायान शाखा के धार्मिक दृष्टिकोण पर विचार किया जाना और उसे प्रतिष्ठित करना मात्र उद्देश्य था। ह्नेनसान महायान शाखा का ही धर्मगुरू था। अत: उसके सम्मान में तथा उसी की अध्यक्षता में यह धार्मिक सभा करना चाहता था। यह धर्म सभा 643 ई. में हुई थी। उसके बाद ह्नेनसांग चीन के लिए प्रस्थान करना चाहता था। अत: जाते-जाते एक अच्छा प्रभाव भारत एवं हर्ष के विषय में लेकर जाये, यह भी एक उद्देश्य इस धर्म सभा का था। इससे सहज ही यह बात ध्यान में आती है कि हर्ष राजनीति में कितना दूरदर्शी व पारंगत था।

दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह सामने आती है कि इस सम्मेलन में जहां तीन हजार महायान एवं हीनयान के भिक्षुओं को आमंत्रित किया था, वहीं तीन हजार ब्राह्मण एवं जैन आचार्य भी आमंत्रित थे। प्रतिदिन जो जुलूस निकलता था उसमें हर्ष इन्द्र के वेश में तथा भास्करवर्मा ब्रह्मा के वेश में, अनेक भिक्षु और पण्डित हाथी पर सवार होकर निकलते थे। इन्द्र और ब्रह्मा सनातन मान्यता है बौद्धो की नही। इससे कही भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि हर्ष ने बौद्ध अनुयायी होने के कारण यह सम्मेलन बुलवाया। जितना और जैसा स्थान एवं प्रतिनिधित्व बौद्धों को दिया, उतना ही महत्त एवं प्रतिनिधित्व ब्राह्मणों को दिया चूँकि इस धार्मिक सभा का उद्देश्य ही महायान मत को प्रतिष्ठित करना तथा ह्नेनसांग को प्रभावित करना था। अत: स्वाभाविक ही बुद्ध की प्रतिमा, उसका स्वागत-सम्मान एवं जुलूस निकलना ही था।

यहां एक बात और सामने आती है वह है हर्ष की घोषणा। हर्ष ने पहले ही यह घोषणा करवा दी थी कि ''जो कोई चीनी यात्री ह्नेनसांग के विरूद्ध बोलेगा, उसकी जीभ काट ली जाएगी।'' इससे ब्राह्मण समाज में रोष होना स्वाभाविक था। हर्ष की इस घोषणा की सभी इतिहासकारों ने असहिष्णु कहकर आलोचना की हे। परन्तु हर्षकालीन परिस्थितियों का विचार करेंगे तो यह बात सहज ही समझ में आ जाएगी कि हर्ष ने ऐसी असहिष्णु और अपने स्वभाव के प्रतिकूल यह घोषणा क्यों की? मात्र हर्ष की इच्छा महायान को प्रतिष्ठित करने की होती तो वह यह सम्मेलन नालन्दा विश्वविद्यालय में करवाता जो कि उस समय बौद्ध धर्म का प्रमुख केन्द्र था अथवा सारनाथ में करवाता। ये दोनों ही क्षेत्र उसके साम्राज्य में थे। परन्तु ऐसा नहीं करके उसने कन्नौज में सम्मेलन करने का निर्णय किया जहाँ बौद्ध धर्म का प्रभाव नहीं था। ब्राह्मण समाज के विरोध के कारण कही कोई अप्रिय घटित न हो जाये तथा ह्नेनसांग का अपमान न हो जाए, जिसकी कि उसे आशंका थी, अत: ऐसी कठोर असहिष्णु एवं अपने स्वभाव के प्रतिकूल घोषण करवायी। इतना होने पर भी उन्होनें ब्राह्मणो को पूर्ण सम्मान दिलवाया। कन्नौज की धर्मसभा की सुरक्षा की भी कड़ी व्यवस्था की गई थी फिर भी एक छोटा सा कांड हो गया। इस कठोर घोषणा के कारण भी हर्ष को बौद्धधर्म का अनुयायी माना गया। यह प्रभाव भी ह्नेनसांग के यात्रा विवरण का ही परिणाम है।

ह्नेनसांग कन्नौज की धार्मिक सभा की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् चीन लौटना चाहता था। परन्तु हर्ष चाहता था कि चीनी यात्री भारत का पूर्ण प्रभाव अपने साथ लेकर जाये। अत: हर्ष ने नीची यात्राी से आग्रह किया कि कुछ समय पश्चात् प्रयाग त्रिवेणी संगम पर होने वाले महामोक्ष परिषद् के आयोजन को देखकर जाये। ह्नेनसांग ने हर्ष के आग्रह को स्वीकार कर लिया। हर्ष ने इस आग्रह को इतिहासकारों ने इस दृष्टि से लिया कि हर्ष बौद्ध भिक्षु चीनी यात्री ह्नेनसांग से एवं उसकी विद्वत्ता से बहुत प्रभावित था। हमारा विचार है कि वस्तुत: ह्नेनसांग को रोकने के पीछे दो कारण थे। एक, कन्नौज के धार्मिक सभा के अन्तिम में ब्राह्मणा द्वारा पैदा की गई घटना का यदि थोड़ा बहुत प्रभाव भी ह्नेनसांग के मन पर पड़ा हो तो वह धुल जाये। दूसरा कारण अधिक महत्त्वपूर्ण था कि हर्ष प्रति पाँच वर्ष में एक बार प्रयाग में महामोक्ष परिषद् बुलाता था जिसमें अपना सर्वस्व दान कर देता था। सम्भवतया संसार के इतिहास में अन्य कोई उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा। अत: भारत का वास्तविक स्वरूप, आध्यात्मिक दृष्टि, उच्च मानसिक स्तर का दिग्दर्शन ह्नेनसांग को मिल सके जिससे भारत की महिमा की प्रतिष्ठा संसार में हो। इसमें हमें स्पष्ट रूप से हर्ष की दूरदर्शिता, राजनीतिक दृष्टिकोण एवं राष्ट्रीय स्वाभिमान के स्पष्ट दर्शन होते है और हुआ भी ऐसा ही। आज ह्नेनसांग के यात्रा विवरण में ही हमें हर्ष के इस महान कार्य की जानकारी मिलती है।

उपरोक्त विवरण ह्नेनसांग के यात्रा विवरण से प्राप्त हुआ है। इस विवरण को देखकर कही भी यह प्रभाव नहीं बनता कि हर्ष का बौद्ध अनुयायियों, भिक्षुओं की ओर विशेष झुकाव रहा हो अथवा अन्य धर्म सम्प्रदायों की उपेक्षा की हो। बल्कि बौद्ध भिक्षुओं को 75 दिनों के दान में केवल एक दिन ही दान मिला था। इन दोनों विशेष आयोजना में हर्ष निश्चित रूप से अपने उद्देश्य मे सफल रहा, जैसा कि ह्नेनसांग के यात्रा वर्णन से स्पष्ट होता है। स्वयं ह्नेनसांग बौद्ध धर्मगुरू था। उसके स्वागत कि ह्नेनसांग के यात्रा वर्णन से स्पष्ट

होता है। स्वयं ह्वेनसांग बौद्ध धर्मगुरू था। उसके स्वागत सत्कार में हर्ष ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अत: हर्ष ह्वेनसांग से कितना प्रभावित था, यह तो नहीं कहा जा सकता। परन्तु यह अवश्य कहा जा सकता है कि हर्ष से ह्वेनसांग अवश्य प्रभावित हुआ था।

सत्यकेतु विद्यालंकार ने अपने ग्रंथ भारत का प्राचीन इतिहास के उल्लेखानुसार -''ह्वेनसांग ने हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज का वर्णन करते हुए लिखा है कि इस नगर में हीनयान और महायान दोनों बौद्ध सम्प्रदायों के एक सौ विहार थे, जिनमें दस हजार भिक्षु निवास करते थे। बौद्ध धर्म के साथ-साथ पौराणिक हिन्दु धर्म का भी कन्नौज में एक साथ निवास करते थे और उनमें विरोध भावना नहीं थी।'' हर्षवर्द्धन दोनों धर्मो का आदर करता था और दोनों के भिक्षुओं व पण्डितों को और विहारों व मंन्दिरों को दान द्वारा सन्तुष्ट रखता था।[5] ''ह्वेनसांग के अनुसार कन्नौज नगर पाँच मील लम्बे और सवा मील चौड़े क्षेत्र में बसा हुआ था और उसके भवन स्वच्छ एवं सुन्दर थे। नागरिक लोग चिकने एवं रेशमी वस्त्र धारण करते थे और उसकी भाषा परिमार्जित व मधुर थी।'' ह्वेनसांग के विवरणों को दृष्टि में रखकर यही माना जाता है कि हर्ष बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पर 'हर्षचरितम्' के अनुशीलन से यह प्रतीत नहीं होता कि हर्ष बौद्ध था। बंसखेड़ा और मधुवन के उत्कीर्ण लेखों में उसके नाम के साथ 'परम माहेश्वर' विशेषण का प्रयोग किया गया है, जो इस युग में शैव धर्म के अनुयायियो के लिए ही प्रयुक्त होता था।[6]

आर.सी. अग्रवाल ने अपने ग्रंथ प्राचीन भारत का इतिहास में लिखा है - '' ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष ने 643 ई. के आसपास काँगोद (उड़ीसा) प्रदेश पर आक्रमण कर सफलता प्राप्त की थी। इसी समय हर्ष को बहुत से हीनया सम्प्रदाय के विद्वान मिले तथा उन्होंने अपने धार्मिक सिद्धान्तों की एक पुस्तक भेंट की। साथ ही प्रार्थना की कि यदि आपको हीनयान सम्प्रदाय के सिद्धान्तों में आस्था नहीं है तो आप सत्य की खोज करने के लिए दोनों ही हीनयान और महायान धर्म के विद्वानों को इकट्ठा करके वाद-विवाद करा लीजिए। हर्ष ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और शीलभद्र कुलपति नालन्दा विश्वविद्यालय से कन्नौज की सभा के लिए अत्यन्त उच्च कोटि के चार विद्वानों को भेजने के लिए कहा। शीलभद्र ने चार में से एक ह्वेनसांग को चुना।''[7] ह्वेनसांग ने लिखा- ''हर्ष के काल में बौद्ध धर्म की अवनति तथा वैदिक धर्म की उन्नति हो रही थी।''

डॉ. आर. के मुकर्जी ने लिखा है - ''सम्राट हर्ष शुरू में बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था और न ही बाद में उसने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अन्य धर्मो की उपेक्षा करके केवल बौद्ध धर्म का संरक्षण प्रदान किया। ऐसे सम्राट के लिए जिसने अपने साम्राज्य के विभिन्न सम्प्रदायों और मतमतान्तरों से व्यवहार करना था, केवल एक विशेष मत को संरक्षता प्रदान करना तंग दिल्ली होती।''[8] आगे लिखा है - '' ह्वेनसांग ने हर्ष को पूरी तरह से महायान धर्म में दीक्षित किया।'' मुकर्जी के अनुसार, ''हर्ष के चरित्र का सच्चा अनुमान यह होगा कि वह न केवल बौद्ध बल्कि अन्य सम्प्रदायों का भी समान रूप से सेवक था।'' डॉ. मजूमदार भी उरोक्त कथन से सहमत है।[9]

यहाँ एक बात और स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि महाकवि बाण के मतानुसार हर्ष ने बहिन राज्यश्री को ढूँढ़ने के पश्चात! दिवाकर मित्र जो मौखरी नरेश ग्रहवर्मा का बालसखा था, के समक्ष यह प्रतिज्ञा की थी-''भाई के वध का बदला लेने के लिए शत्रु दल के नाश की प्रति मैं सब लोगों के सामने कर चुका हूँ........ अपने उस कार्य से निवृत्त होने पर मैं और राज्यश्री एक साथ काषाय वस्त्र (भगवा वस्त्र) ग्रहण करेंगें।'' ह्वेनसांग प्रथम बार 636 ई में हर्ष की राजधानी कन्नौज पहुँचा। वहां से वह अयोध्या, प्रयाग, कौशाम्बी, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वाराणसी तथा वैशाली होता हुआ नेपाल पहुँचा। नेपाल से मगध, गया होता हुआ 637 ई. में नालन्दा विश्वविद्यालय पहुँचा। दूसरी बार कन्नौज धार्मिक सभा 643 ई. में हर्ष का ह्वेनसांग के सार्थक सम्पर्क हुआ। अत: यह कहना तो सत्य है कि हर्ष उससे प्रभावित था, परन्तु यह प्रभाव ऐसा नहीं था कि वह महायान का अनुयायी बन जाये। राज्य श्री को आत्महत्या करने की मानसिकता से उबारने का कार्य बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र ने अपने उपदेशों से किया। हर्ष उससे प्रभावित हुआ और उसे कन्नौज ले आया तथा उसका मार्गदर्शन लेता रहा तथा प्रजाहित के कार्यो में उसके कथनों का अनुगमन करता रहा। परन्तु इससे भी यह सिद्ध नहीं होता कि हर्ष बौद्ध अनुयायी बन गया। वह राजा के कर्त्तव्यों से कभी विमुख नहीं हुआ और न सम्राट अशोक की तरह एकांगी हुआ। उसने जहाँ प्रजाहित के कार्या किए वहीं उसने जीवन के अन्तिम क्षण तक दिग्विजय करते हुए सम्पूर्ण उत्तरी भारत को संगठित बनाए रखा। कन्नौज की धार्मिक सभा 643 ई के पूर्व तक उसने कांगोद की विजय की थी। 630 ई. में वल्लभी से युद्ध, उसके बाद सिंध विजय, उसके पश्चात् लगभग 630 ई. के बाद एवं 634 ई. के पूर्व चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के साथ हुआ था।

ह्वेनसांग लिखते हैं कि प्रारम्भिक छ: वर्षो अर्थात 606 से 612 ई. तक हर्ष लगातार युद्ध करते रहै। इस काल में हर्ष ने पंच भारत

अर्थात सारस्वत (पंजाब), कान्यकुब्ज (कन्नौज), गौड़, मिथिला एवं उत्कल पर अधिकार कर लिया। कामरूप ने मित्रता कर ली। हर्ष का बालसखा मगध का माधवगुप्त पहले से ही एक सामन्त राजा के रूप में उसके साथ था।

इस प्रकार हम देखते है कि हर्ष ने लगभग सम्पूर्ण जीवन युद्ध किया। बीच के कालखण्ड में लिए चीनी इतिहासकार मा-त्वान-लिन का कथन है कि 618 ई. से लेकर 627 ई. तक अर्थात लगभग 10 वर्ष के काल में टंग वंश के वू-तो के शासन में भारत में अनेक विद्रोह हुए। इस समय शिलादित्य (हर्ष) राजा के लिए महान् संकट का काल था। परन्तु राजा ने अपने पराक्रम से भारत के चारों भागो के राजाओं को दण्ड दिया, जिसके कारण उन्होंनें अपना मुख उत्तर की ओर घुमा लिया और शिलादित्य की अधीनता स्वीकार कर ली।[10] यदि हर्ष ने बौद्ध धर्म अपना लिया होता तो वह युद्धों से विरक्त हो जाता जैसा कि सम्राट अशोक ने किया। परन्तु जहाँ हर्ष ने दिग्विजय की वहीं जनता के सार्वजनिक हितों के कार्य भी किये। ह्नेनसांग हर्ष की सेना का वर्णन करते हुए लिखते हैं - हर्ष की विशाल सेना में 60 हजार गजारोही तथा एक लाख अश्वारोही सैनिक हो गये थे। इसके बाद (612 ई. के बाद) वे 30 वर्षो तक शान्तिपूर्वक शासन करते रहे। इस बीच पुन: शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वल्लभी, सिन्ध, कश्मीर, नेपाल, गंजाम एवं पुलकेशिन द्वितीय के सभी युद्ध एवं आन्तरिक विद्रोह का दमन 612 ई.के. बाद ही हुए। इसी से स्पष्ट है कि बौद्ध धर्म का हर्ष पर कितना प्रभाव था। मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात् बौद्ध धर्म ग्रहण किया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार संघ में उत्पन्न फूट, अनुशासनाहीनता एवं अस्त-व्यवस्ता को दूर करने के लिए अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति आहूत हुई थी। मौग्गलिपुत्त तिस्स (दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त) के सभापतित्व में बौद्ध संगीति पाटलीपुत्र में हुई। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति बुलायी गई थी, उसका उद्देश्य विवादास्पद सिद्धान्तों का हल निकालना था। बौद्ध भिक्षु पार्श्व की मंत्रणा से चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन काश्मीर के कुण्डलायन विहार में किया।

आर.सी. अग्रवाल के अनुसार, सम्राट हर्ष के समय बौद्ध धर्म की अवनति तथा वैदिक धर्म की उन्नति हो रही थी ऐसा ह्नेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में लिखा है।

डॉ. के.आर. वर्मा एवं पी.व्यास ने लिखा है- ह्नेनसांग के अनुसार, भारत में सबसे व्यापक धर्म वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म था। ह्नेनसांग ने भारत को 'ब्राह्मण देश' कहा है।

डॉ. वी.के. पाण्डेय के अनुसार, बौद्ध धर्म जो पतन की ओर अग्रसर हो रहा था, उसकी रक्षा का श्रेय हर्ष को ही है। ऐसी स्थिति में भी बौद्ध संगीति का आयोजन हर्ष के काल में नहीं हुआ। यदि हर्ष बौद्ध धर्म का अनुयायी होता तो अवश्य सम्राट अशोक व कनिष्क की तरह बौद्ध संगीति आयोजित करता।

इस प्रकार निष्कर्षत: यह कहां जा सकता है कि ह्नेनसांग बौद्ध भिक्षु था। उसने उन्हीं स्थानों का भ्रमण किया जहाँ-जहाँ बौद्ध धर्म का प्रभाव था, उन्हीं स्थानों व संस्थानों को देखा जहाँ बौद्ध प्रभाव था, जैसे नालन्दा, सारनाथ वल्लभी आदि, बौद्ध विहार, स्तूप एवं मठ। अन्य धर्मो से सम्बन्धित मन्दिरों आदि की कलाओं से वह अनभिज्ञ रहा। इसलिए उसके वर्णन एकांगी ही कहे जा सकते है। इसलिये हर्ष को बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं कहा जा सकता हैं।

संदर्भ सूची

1. पाण्डेय, डॉ. वी.के., प्राचीन भारत का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास
2. ''ह्नेनसांग का यात्रा विवरण''
3. बाणभट्ट, ''हर्षचरितम्
4. ''ह्नेनसांग का यात्रा विवरण''
5. विद्यालंकार, सत्यकेतु, भारत का प्राचीन इतिहास
6. ''बंसखेड़ा एवं मधुवन ताम्रपत्र अभिलेख''
7. अग्रवाल, डॉ. आर.सी., प्राचीन व मध्यकालीन भारत का सांस्कृतिक व राजनैतिक इतिहास
8. मुखर्जी, आर.के., हर्ष
9. मा-त्वान-लिन-चीनी इतिहासकार
10. शर्मा, कालूराम एवं व्यास, प्रकाश, प्राचीन भारत का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास

संविधान निर्माण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका

अनीता गुप्ता

शोधार्थी

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)

शोध सारांश

संविधान निर्माण में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव ही संविधान सभा में स्वीकृत हो संविधान का आधार बना। किन्तु ना तो प्रस्तावना में और ना ही भाग-3 में शब्द रूप में समाजवाद का उल्लेख किया गया। जिसके प्रति कांग्रेस दल की अनन्य निष्ठा व वचनबद्धता थी। 1936 का समाजवादी नेहरू 1946 में ही समझौतावादी बन गया। यह स्वतंत्र भारत की विडम्बना ही थी काँग्रेस, जिसने सदैव श्रम की महत्ता एवं नैतिकता का यशोगान किया था, ने संविधान में 'सम्पत्ति के अधिकार' को तो जनता का मौलिक अधिकार घोषित किया, कार्य करने के अधिकार को नहीं जो सम्पत्ति विहीन बहुमत भारतीय जनता के जिंदा रहने की प्रथम दशा था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कांग्रेस में संविधान में समाजवाद की किसी निश्चित रूपरेखा अथवा मार्ग के स्थान पर अस्पष्टता व विभ्रम बनाये रखा जिससे समाजवाद का मौलिक रूप नष्ट हो गया।

संकेताक्षर : *उद्देश्य प्रस्ताव, समाजवादी तत्व, फेबियनवाद, समाजवाद का लोप*

संविधान सभा के लिए निर्वाचन पूर्ण होने से पूर्व ही 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस कार्य समिति ने संविधान सभा के लिए विषय सामग्री तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की। समिति के सदस्य थे सर्वश्री जवाहर लाल नेहरू (सभापति), आसफ अली, के.एस. मुंशी, एन.गोपाल आयंगर, के.टी. शाह,.डी.आर. गाडगिल, हुमायू कबीर एवं के. सन्थानम्। समिति ने संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में प्रस्तुत करने के लिए एक उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 20 नवम्बर 1946 को स्वीकार किया। यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में 13 दिसम्बर 1946 को श्री नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया। प्रस्ताव के अन्दर कहा गया कि यह संविधान सभा अपने इस दृढ़ और गम्भीर संकल्प की घोषणा करती है कि वह भारत को एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता-सम्पन्न गणराज्य घोषित करेगी और उसके भावी शासन के लिए एक ऐसे संविधान की रचना करेगी। जिसके अन्तर्गत प्रभुत्व-सम्पन्न और स्वतंत्र भारत की, उसके अंगभूत मार्गों और शासन के अंगों की समस्त शक्ति और सत्ता जनता से प्राप्त हुई हो, (पैरा 4) जिसके अन्तर्गत विधि तथा सार्वजनिक नैतिकता के अधीन रहते हुए भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थिति और अवसर की तथा विधि के सम्मुख समानता की विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय और कर्म स्वतंत्रता की प्रत्याभूति (गारण्टी) दी जायेगी और उन्हें प्राप्त किया जायेगा। (पैरा 5) जिसके अन्तर्गत अल्पसंख्यकों, पिछड़े हुए और कबाइली क्षेत्रों तथा दलित और अन्य पिछड़े हुए वर्गों के लिए उपयुक्त परिणामों की व्यवस्था की जायेगी। (पैरा 6)

यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा विधिवत् स्वीकार किया गया। 1936 का समाजवादी नेहरू 10 वर्ष के अन्दर 1946 में ही समझौतावादी बन गया। उद्देश्य प्रस्ताव में भारतीय राजा-महाराजाओं की अप्रसन्नता की उपेक्षा कर उसे गणतंत्र तो घोषित किया गया था परन्तु विधानसभा समाजवादी गणतंत्र की घोषणा को श्री नेहरू ने अपने प्रस्तावना भाषण में यह कह कर टाल दिया कि हम ऐसे मामलों पर इस उद्देश्य प्रस्ताव को विवादास्पद नहीं बनाना चाहते हैं इसलिए हमने सैद्धान्तिक शब्दों और नियमों के प्रयोग के स्थान पर अपनी इच्छित वस्तु (समाजवाद) के सार का समावेश किया है।[1]

निश्चय ही उद्देश्य प्रस्ताव में समाजवाद शब्द के स्थान पर उसके सार तत्व के उल्लेख में कांग्रेस पर भारत छोड़ो आन्दोलन के मध्य पूँजीपतियों द्वारा दिया गया पैसा बोल रहा था, क्योंकि पूँजीपतियों

को उस समय भी जवाहर लाल के समाजवाद से चिन्ता नहीं थी और यदि उनके अनुसार जवाहर लाल समाजवाद का तमाशा करेंगे भी तो उसे समझदारी से करेंगे।[2] निश्चय ही कांग्रेस नेतृत्व ने समाजवाद का तमाशा समझदारी से किया था क्योंकि संविधान सभा का बहिष्कार करने वाले समूह तो मुख्यत: प्रशासनिक ढांचे से असहमत थे।

बाद की राजनीतिक घटनाओं के विकास के कारण 3 जून 1947 की माउन्ट बेटन योजना जन्मी, जिसके कारण इस उपमहाद्वीप का विभाजन हुआ। इसके पश्चात् फरवरी 1948 में इस उद्देश्य प्रस्ताव के स्थान पर संविधान सभा के समक्ष वर्तमान प्रस्ताव को रखा गया, जो इस प्रकार है :

हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाले बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1946 को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित्य करते हैं।[3]

इस प्रस्तावना में भी काँग्रेस ने अन्तर्निहित भावों से ही काम चलाया। संविधान सभा में जब भारत को जनवादी गणतंत्र घोषित करने की मांग की गयी तो डॉ. अम्बेडकर का उत्तर था कि यह तो 'हम भारत के लोग' शब्दावली में निहित है। तुरन्त ही दूसरे सदस्य ने कहा कि जब यह भावना अन्तर्निहित ही है तो स्पष्ट घोषणा करने में क्या संकोच है? प्रारूप समिति के एक सदस्य का उत्तर था कि इस प्रकार की घोषणा से राजाओं का विरोध उठ खड़ा हो सकता था।[4]

इससे स्पष्ट है कि भारत छोड़ो आन्दोलन में 'सत्ता को कारखानों के श्रमिक तथा खेतों को कृषक को देने की बात कही गयी थी' की भावना से समझौता कर लिया गया। साथ ही अभी तक अनुभव था कि अब तक क्रांतियाँ स्वतंत्रता (औद्योगिक क्रान्ति) समता (रूसी क्रान्ति) एवं बन्धुत्व (फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, समता के साथ बन्धुत्व का भी नारा था) के नारों के आधार पर हुई थीं। आगे की सम्भावित क्रान्ति न्याय के नारे पर हो सकती थी। अभी तक मानव को न्याय नहीं मिला था। न्यायिक व्यवस्था में अविश्वास सुदृढ़ से सुदृढ़ साम्राज्य को ढहाने के लिए पर्याप्त होता है अत: संविधान निर्माताओं ने भारतीय जनता को न्याय देने का आश्वासन देकर संभावित क्रान्ति के मार्ग में बाधा खड़ी कर दी।

संविधान में तथाकथित समाजवादी तत्वों का उल्लेख करने से पूर्व संविधान सभा की रचना पर विचार करना अभीष्ट होगा। संविधान सभा में काँग्रेस एक मात्र विशाल बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल था। एकमात्र गाँधी के अपवाद को छोड़कर उसके सभी प्रथम कोटि के नेता एवं कार्यसमिति के सदस्य संविधान सभा के सदस्य थे। 1946 में ब्रिटिश भारत के लिए निर्धारित 296 स्थानों में से काँग्रेस ने 208 स्थान प्राप्त किए थे। मुस्लिम लीग (73 स्थान) एवं राजाओं द्वारा बहिष्कार के कारण काँग्रेस को संविधान सभा का एकमात्र दल कहना अतिश्योक्ति न होगी। स्वाधीनता के पश्चात् तो स्थिति और भी काँग्रेस के पक्ष में हो गयी थी, परन्तु एक बात उल्लेखनीय है कि संविधान सभा में ऐसे राजनीतिक दल का स्पष्ट प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व न था जो समाजवाद के लिए वचनबद्ध हो।[5]

संविधान सभा के लिए निर्वाचन भी 1935 के अधिनियम में प्राप्त सीमित मताधिकार के आधार पर हुए थे, इसलिए उसके अधिकतम सदस्य समाज के सर्वोच्च स्तर वाले वर्ग के थे और वे वही सोच सकते थे जो उनके मनोविज्ञान और समाज में उनके वर्ग के हितों के अनुकूल हों,[6] परन्तु इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि इनमें लगभग सभी काँग्रेस के टिकट पर विजयी हुए थे और उसकी नीति निर्धारण में उनका विशेष स्थान था, इसलिए वर्तमान संविधान के निर्माण के लिए काँग्रेस पूर्णरूपेण उत्तरदायी है। 'सम्पूर्ण चिन्तन काँग्रेस दल द्वारा किया गया, प्रारूप समिति ने तो तदनुसार प्रारूप बना दिया।'[7] अम्बेडकर की लेखनी, मस्तिष्क के पीछे नेहरू, पटेल का निर्देशन कार्य करता था।

जब भी वर्तमान संविधान में समाजवादी तत्व का उल्लेख होता है तो 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' उसमें प्रमुखता पाते हैं। संविधान की 'प्रस्तावना' को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है। वर्तमान संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य की ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थानों को अनुप्राणित करें, भरसक कार्यसाधक रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा।[8] अनुच्छेद 39 (ख) के अनुसार 'राज्य अपनी नीति का विशेषत: संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से संविधान की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सर्वोत्तम रूप में सामूहिक हित साधन हो। अनुच्छेद 39 (ग) के अनुसार राज्य की आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन-साधनों का सर्व साधारण के लिए अहितकारी केन्द्रीयकरण न हो। अनुच्छेद 39 (ड) के अनुसार राज्य ऐसी नीति का संचालन करेगा जिससे आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो।[9] अनुच्छेद 40 के अनुसार ग्राम-पंचायतों का संगठन कर उन्हें ऐसे अधिकार प्रदान करने के विषय में कहा गया, जिससे वे स्वायत्त

इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें। अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम (रोजगार) और शिक्षा पाने के तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंग हानि या किसी अन्य अनर्थकारी अभाव की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का कार्यसाधक उपबन्ध करेगा। अनुच्छेद 42 में राज्य द्वारा काम की न्यायोचित और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के उपबन्ध करने के लिए कहा गया। अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा अथवा और किसी दूसरे प्रकार से कृषि के उद्योगों के या अन्य प्रकार के सब श्रमिकों को काम निर्वाह-मजूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा अवकाश का सम्पूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करेगा तथा विशेष रूप से ग्रामों में कुटीर-उद्योगों को वैयक्तिक अथवा सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य जनता के दुर्बलतर विभागों के विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य अपने लोगों के आहार पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से मानेगा। अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा।[10]

संविधान की प्रस्तावना, नागरिक स्वतंत्रताएं एवं नीति निदेशक तत्व समाजवादी प्रेरणा में आते है। प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 30 और वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 38 पर बोलते हुए श्री के. हनुमन्तैया ने कहा कि इस अनुच्छेद की शब्दावली इतनी बुद्धिमत्तापूर्वक निर्धारित की गयी है कि यदि साम्यवादी दल सत्ता में आ जाये तो वह भी अनुच्छेद 30, 31 (वर्तमान 38, 39) के अनुभाग 1-2 के अनुसार अपनी विचारधारा का क्रियान्वयन कर सकता है।[11] एक दूसरे सदस्य श्री हुसैन इमाम (बिहार) संविधान में समाजवाद के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था का होना अनिवार्य मानते थे तथा अनुच्छेद 30 को इस व्यवस्था का सहायक मानते थे।[12] डॉ. के.एन. काटजू अनुच्छेद 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47 एवं 48 को स्पष्ट एवं प्रभावपूर्ण भाषा समाजवाद के मूल सिद्धान्तों की घोषणा मानते हैं। उनके विचार से संविधान समाजवाद का सर्वोत्तम प्रतिपादक है।[13] श्री एम. भक्तवत्सलम् संविधान में नीति निदेशक तत्त्वों की व्यवस्था को समाजवाद की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम मानते हैं।[14] श्री के.के. शाह संविधान की प्रस्तावना एवं नीति निदेशक तत्वों, काँग्रेस द्वारा निर्धारित अपनायी गयी, प्रचारित समाजवादी नीतियों की ठोस अभिव्यक्ति मानते हैं।[15] एक समय के काँग्रेसी संसद सदस्य और बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री के.एस. हेगड़े के अनुसार संविधान के भाग 4 का उद्देश्य उस सामाजिक तथा आर्थिक क्रांति को लाना है जो स्वाधीनता के पश्चात अधूरी रह गयी।[16]

परन्तु उपर्युक्त समस्त घोषणाएं काँग्रेसियों की हैं अगर उन सदस्यों के विचारों को देखें जिन्होंने काँग्रेस नियमावली रूपी गीता पर शपथ न खाई हो तो प्रसिद्ध विद्वान आइवर जेनिंग्स के अनुसार, भारत के 'संविधान के भाग 4 की शब्दावली में 'सिडनी' और 'वेब' का भूत बोलता है। संविधान के भाग 4 समाजवाद रहित फेबियन समाजवाद की घोषणा करता है।[17] मद्रास उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री पी.वी. राजमन्नार के अनुसार 'संविधान' में समाजवाद का कोई स्वर नहीं है और इसका कारण वह संविधान का भाग तीन मानते हैं। उनके अनुसार संविधान में 'समाजवाद' या 'समाजवादी ढांचे का समाज' जैसे शब्द कहीं भी उद्धृत नहीं हैं।[18]

यह स्वतंत्र भारत की विडम्बना ही थी काँग्रेस, जिसने सदैव श्रम की महत्ता एवं नैतिकता का यशोगान किया था, ने संविधान में 'सम्पत्ति के अधिकार' को तो जनता का मौलिक अधिकार घोषित किया, कार्य करने के अधिकार को नहीं जो सम्पत्ति विहीन बहुमत भारतीय जनता के जिंदा रहने की प्रथम दशा था। काँग्रेस ने सम्पत्तिवान अल्पमत भारतीय जनता का हित संवर्द्धन तो किया, सम्पत्तिहीन बहुमत जनता का नहीं। इससे भी अधिक विडम्बना यह थी कि सम्पत्ति के अधिकार को जीवित रहने के अधिकार पर भी वरीयता दी गयी। एक नागरिक को 5 मन अनाज रखने का अधिकार प्रत्याभूत किया गया, एक बार भोजन करने का नहीं। यद्यपि ये दोनों अधिकार नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित किये गये परन्तु इन नीति निर्देशक तत्वों का कोई वैधानिक महत्व स्वीकार न कर उन्हें निष्क्रिय बना दिया गया और ये नीति निर्देशक तत्व 'पवित्र घोषणाएं'[19] या ऐसा चेक बन कर रह गये जिसका भुगतान बैंक की देय क्षमता के समय पर छोड़ दिया गया था।[20] यद्यपि संविधान सभा के सांविधानिक सलाहकार श्री बी.एन. राव ने नीति निर्देशकों को प्रभावशाली बनाने के लिए 11 नवम्बर 1947 को अमेरिका से प्रारूप-समिति को एक नोट भेजा था।[21] अगर काँग्रेस के नेता उस समय श्री बी.एन. राव के सुझाव को स्वीकार कर लेते तो वर्तमान संविधान के 25वें संशोधन की आवश्यकता न पड़ती।

इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता के अधिकार के साथ व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार को जोड़कर (अनुच्छेद 19, पैरा 5) काँग्रेस ने दूसरी

बड़ी भूल की थी। सम्पत्ति के अधिकार की व्यवस्था अन्यत्र भी की जा सकती थी, तब शायद न्यायालय के अधिकार में वह इतना पवित्र न रहता। इसके अतिरिक्त यदि अनुच्छेद 39 के अन्तर्गत कुछ भी किया जा सकता था तो अनुच्छेद 13 के रूप में एक ऐसी बाधा खड़ी कर दी गयी, जिसने समस्त नीति निर्देशक तत्वों को क्रियाहीन बना दिया।

अनुच्छेद 31 (क) के अन्तर्गत व्यक्तिगत सम्पत्ति अधिग्रहण के निमित्त प्रतिकर अनिवार्यता के रूप में भी समाजवादी सिद्धान्तों से समझौता किया गया। काँग्रेस ने जो 1931 में मौलिक अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया था उसमें तो प्रतिकर का उल्लेख भी नहीं था और इस प्रकार काँग्रेस ने अपनी पूर्व घोषित नीतियों के साथ भी समझौता कर लिया। न्यायालय द्वारा बाद में प्रतिकर और बाजार मूल्य को समान बताकर स्थिति को और भी विकट बना दिया गया। काँग्रेस ने संविधान में विधि द्वारा समाजवाद की स्थापना न कर उसे विधि द्वारा खरीदने की व्यवस्था की है। यदि कभी जनता सरकार पर समाजवाद की स्थापना पर जोर डाले तो वह पूँजीपतियों को मुँह मांगा मूल्य देकर जनता के धन से ही उसे खरीद कर बहला सकती है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काँग्रेस ने संविधान में समाजवाद के लिए किसी पक्की सड़क पर निर्माण न कर उसके लिए पगडण्डी की व्यवस्था की है, साथ ही उस पर इतनी झाड़ियां लगा दीं जिनमें वह भी लुप्त हो गयी। संविधान में गाँधीवाद की भी उपेक्षा की गयी है। यदि काँग्रेस ने दक्षिणपंथियों के दबाव में समाजवाद के साथ विषमता का व्यवहार तो किया लेकिन गाँधीवाद के ग्राम-गणतंत्र को भी उद्देश्य घोषित कर दिया जाता (जैसा कि जनवादी चीन के कम्यून के रूप और इजराइल ने स्वावलम्बी ग्रामों के रूप में किया) तो स्थिति भिन्न होती। काँग्रेस के वामपंथी नेताओं को गाँधी अर्थशास्त्र में विश्वास न था और दक्षिणपंथी अपनी समस्त शक्ति के साथ समाजवाद में बाधा बनकर खड़े थे। अतएव काँग्रेस संविधान सभा में समाजवाद और गाँधीवाद के मध्य त्रिशंकु बनकर लटकी रह गयी। 1947 तक कल्याणकारी राज्य का सिद्धान्त यद्भाव्यम अर्थनीति और समाजवाद के रूप में कामचलाऊ समझौते के रूप में प्राय: स्वीकृत हो चुका था, साथ ही इसे साम्यवादी तानाशाही के संकट के विरुद्ध प्रतिरोधी शक्ति के रूप में मान्यता मिल चुकी थी। वास्तव में संविधान के भाग 4 में संविधान सभा की इन्हीं दो विचारधाराओं की संयुक्त गूंज है।[22] परन्तु कल्याणकारी राज्य की कल्पना गाँधी के 'राम-राज्य की कल्पना' के अधिक निकट होने के कारण काँग्रेस का नेतृत्व गाँधीवाद और समाजवाद पर अधिक विभाजित था। अत: संविधान सभा में इन दोनों का ऐसा समझौता हुआ, जिससे दोनों का ही मौलिक रूप नष्ट हो गया। काँग्रेस ने संविधान सभा में जो कुछ दिया न तो वह शुद्ध गाँधीवाद ही था और न ही समाजवाद। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात् उठाये गये अपने पहले कदम पर ही काँग्रेस ने जनजीवन को निराश किया। न वह अपने लक्ष्य को ही स्पष्ट रूप से परिभाषित कर पायी और न वह अपने सांस्थिक प्रारूप को ही उपस्थित कर सकी और जिसके अनुसार उसकी प्रतिज्ञाएं एक अर्थपूर्ण वास्तविकता में परिणित हो पातीं।

सन्दर्भ सूची

1. नेहरू स्पीच आन रिजोल्यूशन : सी.ए.डी. वोल्यूम पृ.सं. 52-67
2. इण्डियन एनुअल रजिस्टर, वोल्यूम II, 1942. पी.पी. 95 एण्ड 102
3. भारत का संविधान, रजत जयंती संस्करण 'प्रस्तावना'
4. राव, के.वी., पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी आफ इण्डिया, पृ.सं. 306-07
5. उपर्युक्त, पृ.सं. 5-6
6. हनुमन्तया, के., के.ए.डी. वोल्यूम IX पृ.सं. 755
7. त्यागी, महावीर, के.ए.डी. वोल्यूम IX पृ.सं. 1659
8. भारत का संविधान, रजत जयंती संस्करण 'प्रस्तावना' पृ.सं. 22
9. उपर्युक्त, पृ.सं. 23
10. उपर्युक्त, पृ.सं. 24-25
11. के.ए.डी., वोल्यूम VII पृ.सं. 490
12. उपर्युक्त, पृ.सं. 491
13. ए.आई.सी.सी. इकोनोमिक रिव्यू, जनवरी 9, 1964, पृ.सं. 73
14. उपर्युक्त, पृ.सं. 62
15. उपर्युक्त, पृ.सं. 49
16. जर्नल ऑफ कान्सिटीट्यूशनल एण्ड पार्लियामेन्ट्री स्टडीज, वोल्यूम V नं. 2 अप्रैल-जून 1971, पृ.सं. 132
17. क्वोटेड बाइ श्री भयाम नन्दन सिन्हा इन ए.आई.सी.सी. इकोनोमिक रिव्यू, जनवरी 9, 1964, पृ.सं. 110
18. नेशनल हेराल्ड : देहली एडीशन, 17 फरवरी 1969
19. अहमद, नजरूद्दीन (वेस्ट बंगाल), सी.ए.डी. वोल्यूम VII नं. 2, 5 नवम्बर 1948, पृ.सं. 255
20. शाह, के.टी., सी.ए.डी. वोल्यूम VII नं. 9, 19 नवम्बर 1948, पृ.सं. 479-80
21. हरिरामचन्द्र गोखले द्वारा 'भारत का संविधान' : रजत जयंती संस्करण के प्राक्कथन में उद्घृत
22. सेहलत, जे.एम., दि स्प्रिट आफ दि कान्सिटीट्यूशन, पृ.सं. 22-23

भारत एवं बांग्लादेश की निर्वाचकीय व्यवस्था : चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ

नवल किशोर

शोधार्थी

राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)

शोध सारांश

निर्वाचन भावनात्मक और अध:चेतसिक राजनीतिकीकरण की एकाग्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् औपनिवेशिक साम्राज्य से स्वतंत्र हुए अधिकांश देशों ने सांविधानिक लोकतंत्र की स्थापना की और एक ऐसी शासन व्यवस्था की कल्पना की, जो अपने देश में सुदृढ़ लोकतंत्र स्थापित करके एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण कर सके, जो लोकतंत्र के मूलभूत ध्येयों को स्थिरता एवं स्थायित्व प्रदान कर सके किन्तु संविधान में उल्लेख मात्र से लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता है। उसे नियतकालिक निर्वाचन रूपी प्राणतत्व की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए भारत का बांग्लादेश दोनों देशों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाते हुए निरन्तर निर्वाचनों पर जोर दिया। यद्यपि बांग्लादेश में 1975-90 तक सैन्य शासन रहा, तथापि उस व्यवस्था ने भी निर्वाचन की औपचारिकताएँ पूर्ण की। भारत में 16 महानिर्वाचन तथा अनेक प्रान्तीय निर्वाचन इसी निर्वाचकीय प्रक्रिया में संसदीय लोकतंत्र की सुदृढ़ता का प्रतीक है। भारत तथा बांग्लादेश (पूर्वी पाकिस्तान) मूलत: ब्रिटिश उपनिवेश रहे तथा दोनों ही देशों में लोकतंत्र की स्थापना यद्यपि स्वतंत्रता के उपरान्त ही हुई तथापि लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास स्वतंत्रता पहले ही प्रारंभ हो चुका था। भले ही इन संस्थाओं का स्वरूप औपनिवेशिक था, परन्तु निर्वाचकीय प्रक्रिया की दृष्टि इनका अपना विशिष्ट महत्व रहा है।

संकेताक्षर : *संसदीय लोकतन्त्र, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अपराधीकरण, सुधार*

बांग्लादेश पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा रहा है। इस क्षेत्र पर पूर्व में अंग्रेज शासकों का आधिपत्य रहा है। जब भारत से पाकिस्तान एक अलग देश के रूप में 14 अगस्त, 1947 को बना था, तब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान का भाग था, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान की प्रत्येक मामलों में लगातार उपेक्षा, बांग्ला भाषा व लोगों को हीनता की दृष्टि से देखने के परिणामस्वरूप धीरे-धीरे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के मन में भय एवं एक प्रकार की घृणा उत्पन्न हो गई, जिसका परिणाम 16 दिसम्बर, 1971 को बांग्लादेश नामक एक नये देश के उदय के रूप में हुआ। इस देश का संविधान एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया, जो 4 नवम्बर, 1972 को अंतिम रूप से लागू हुआ। जिसमें अध्याय-VII के अनुच्छेद 118-126 के बीच निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई हैं तथा भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 में लागू हुआ, जिसमें अध्याय ग्ट के अनुच्छेद 324-329 के मध्य स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है।[1]

भारत निर्वाचन आयोग की संरचना एवं प्रकार्य

भारतीय संविधान के भाग XV में अनुच्छेद 324 से 329 के अन्तर्गत 'निर्वाचन' का पृथक् से उल्लेख किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 324 में यह उपबंधित किया गया है कि निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण का अधिकार एक निर्वाचन आयोग में निहित होगा, इस अनुच्छेद के अनुसार[2]-

(1) इस संविधान के अन्तर्गत संसद और प्रत्येक राज्य विधानमण्डल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा।[2]

(2) निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों जो कि यदि कोई हो, जितने राष्ट्रपति समय-समय पर नियत करे, मिलकर बनेगा तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, संसद द्वारा

इसके लिए बनाई गई विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।

(3) जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है, तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

(4) राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण तथा नजर भी निर्वाचन आयोग ही रखता है।

(5) निर्वाचन आयोग ही विभिन्न राजनीतिक दलों को आकाशवाणी पर चुनाव प्रचार के लिए सुविधा प्रदान करता है।

(6) निर्वाचन आयोग ही समयानुसार उम्मीदवारों द्वारा चुनाव में किए जाने वाले व्यय को निश्चित करता है।

(7) चुनाव याचिकाओं के संदर्भ में सरकार को परामर्श देता है।

(8) यह मतदाओं को राजनीति प्रशिक्षण देता है।

(9) राज्यसभा के प्रति दो वर्ष बाद होने वाले चुनावों की व्यवस्था करता है।

निर्वाचन आयोग : कार्य तथा अधिकार

निर्वाचन आयोग के महत्वपूर्ण कार्यो एवं अधिकारों को निम्नलिखित रूप में वर्णित किया जा सकता है[3]-

(1) निर्वाचन आयोग को संसद तथा विधानमण्डल के दोनों सदनों के वर्तमान के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों को निपटाने का अधिकार है।

(2) निर्वाचन आयोग लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए संविधान के तहत आरक्षित, निर्वाचित क्षेत्रों का निर्धारण भी करता है।

(3) जैसा कि देखते भी है, निर्वाचन आयोग, प्रत्येक राज्य में निर्वाचन विभाग के शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में राज्य सरकार के ही किसी वरिष्ठ अधिकारी को, राज्य सरकार से परामर्श के पश्चात् मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर नियुक्त करता है। इन अधिकारियों के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण का कार्य निर्वाचन आयोग के अधीन ही होता है।

(4) जैसा कि विदित ही है कि चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा के प्रत्येक सामान्य चुनाव अथवा मध्यावधि चुनाव से पूर्व निर्वाचक नामावली तैयार कराई जाती है और इसी आधार पर निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराया जाता है।

बांग्लादेश का निर्वाचन आयोग (भाग-VII अनुच्छेद 118-126)

निर्वाचन आयोग की स्थापना

(1) बांग्लादेश का एक निर्वाचन आयोग होगा, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा कुछ अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनेगा। तथा राष्ट्रपति समय-समय पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करेगा, जो कि निर्धारित कानूनों के तहत् करेगा।

(2) जब निर्वाचन आयोग में एक से अधिक आयुक्त होंगे, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रधान (चैयमेन) की भाँति कार्य करेगा।

(3) संविधान के उपबंधों के अधीन निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल पदभार ग्रहण से 5 वर्ष तक होगा।

- यदि कोई व्यक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हो गया हो, तो वह गणतंत्र की अन्य नियुक्तियों हेतु योग्य नहीं रहेगा।
- तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त, ऐसी स्थिति में पद छोड़कर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त हो सकेगा, लेकिन गणतंत्र की अन्य सेवाओं में नियुक्ति योग्य नहीं होगा।

(4) निर्वाचन आयोग अपने .त्यों के निष्पादन में स्वतंत्र होगा तथा संविधान तथा अन्य कानूनों के अनुसार इनका प्रयोग करेगा।

(5) जब तक संसद द्वारा अन्यथा कोई कानून नहीं बना दिया जाता, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित कर सकेगा।

(6) कोई भी निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा।[4]

निर्वाचन आयोग के कृत्य/कार्य

(1) राष्ट्रपति, संसद तथा अन्य प्रकार के निर्वाचन हेतु निर्वाचन नामावालियों का अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण करना, जो कि संविधान तथा अन्य कानूनों के अनुसार होगा-

- राष्ट्रपति पद के चुनाव संपन्न करवाना,
- संसद सदस्यों के चुनाव संपन्न करवाना
- संसदीय चुनावों हेतु निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करना
- राष्ट्रपति और संसद के निर्वाचनों हेतु निर्वाचन नामावली तैयार करना

(2) निर्वाचन आयोग ऐसे अन्य कार्य भी करेगा, जो कि संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा निर्धारित कर दिए हो।[5]

भारत एवं बांग्लादेश के निर्वाचन व्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ

भारत ने पिछले 65 वर्षो से तथा बांग्लादेश ने लगभग 45 वर्षो में निर्वाचन तंत्र के अनेक निर्वाचनों का सशक्त आयोजन किया है, परन्तु इसी दौरान इस प्रक्रिया में अनेक कम-अधिक विकृतियाँ

भी परिलक्षित हुई है, आज तथ्य यह है कि वर्तमान में विश्व में धनशक्ति की उपयोगिता को प्रत्येक क्षेत्र में स्वीकार कर लिया गया है। भारत के साथ ही बांग्लादेश में चुनावों में भी विजय प्राप्त करने के लिए केवल सर्वाधिक वोट प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रत्याशियों को अपने चुनाव अभियानों पर अपार धन खर्च करना पड़ता है, अपने चुनाव पूर्ण हो जाने के पश्चात् प्रत्येक उम्मीदवार को अपने खर्च का हिसाब-किताब निर्वाचन आयोग को सौंपना पड़ता है तथा ऐसा नहीं करने पर इसे भ्रष्टाचार पूर्ण कृत्य माना जाता है तथा इसे दण्डनीय अपराध माना जाता है। परन्तु सामान्यतया इस सीमा का उल्लंघन ही किया जाता है।[6] भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष एक बड़ी चुनौती दागी प्रत्याशियों को निर्वाचन-प्रक्रिया से दूर रखना है। जैसाकि 2014 में भारत में हुए 16वीं लोकसभा के संपन्न चुनावों ने भी इस दृष्टि से निराश ही किया। चुनाव में सभी पार्टियों के 889 (लगभग 11 प्रतिशत) प्रत्याशियों के खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज थे।[7] तथा इनमें से तो कुछ के खिलाफ हत्या जैसे अति गंभीर मामले दर्ज थे। दूसरी ओर राजनीतिक दल भी अपने-अपने तर्क देते हुए कहते हैं कि जब तक अपराध प्रमाणित नहीं हो जाता है, तब तक किसी को अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है।[8] यह समस्या बांग्लादेश में व्यापक पैमाने पर व्याप्त है। भारत में शासक दल तथा मंत्रियों द्वारा 'दलीय लाभों' के लिए प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग की निर्वाचन तंत्र के समक्ष मुख्य समस्या है। हम देखते हैं कि जैसे ही निर्वाचनों की घोषणा की जाती है, तो केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों का ध्यान विभिन्न संगठित वर्गो को अनेक प्रकार की रियायतें तथा सुविधाएँ देने की ओर चला जाता है। चुनावों के अवसर पर राजनीतिक दल लाभ प्राप्त करने के लिए अनेक विकास योजनाओं की घोषणा करते हैं। उदाहरण के तौर पर मार्च, 1997 के लोकसभा चुनाव के पूर्व उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र के 5 बड़े राज्यों (पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल) द्वारा मतदाताओं को 90 करोड़ रूपये की रियायतें दी गई।[9] ऐसी ही समस्या बांग्लादेश के निर्वाचन आयोग के समक्ष विद्यमान है। सेलेब्रेटी प्रत्याशी की समस्या भी मुख्य समस्या बनती जा रही हैं।[10]

बांग्लादेश के निर्वाचन व्यवस्था के समक्ष कुछ विशेष चुनौतियाँ

जब बांग्लादेश में 4 नवम्बर, 1972 को संविधान बना, तब उसमें एक संसदीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया, तथा लोकतांत्रिक सरकार, जिसमें बहुदलीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया। लेकिन तीन साल के भीतर 1975 में ही बांग्लादेश में विधि के शासन को नकार कर सैन्य तानाशाही का शासन स्थापित हो गया, जो कि आगामी 15 वर्षो तक जारी रहा। इन वर्षो के दौरान संविधान का निषेध कर दिया गया, मूल अधिकारों की समाप्ति कर दी गई, न्यायपालिका पर सैन्य नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। 1991 के चुनावों के पश्चात् पुन: लोकतांत्रिक, संसदीय व्यवस्था अपनाई गई तथापि यह पूर्ण रूप में लागू नहीं हो पा रही है। कई वैश्विक सर्वे क्षणों में बांग्लादेश में विधि के शासन की स्थिति बहुत खराब बताई गई है।[11] यद्यपि 1991 में बांग्लादेश में विधि का शासन, लोकतंत्र, संसदीय व्यवस्था पुन: लागू हुई तथापि राजनीति, नौकरशाही तथा निम्न न्यायपालिका में भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पर व्याप्त है। इसी का नतीजा यह रहा कि बांग्लादेश 2001 ईस्वी से लगातार चार वर्षो तक ट्रांसपेरेंन्सी इण्टरनेशनल की रिपोर्ट में पहले स्थान पर बना रहा।[12] उच्चतर न्यायालय यथा उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष है तथापि पिछले कुछ वर्षो से उच्चतर न्यायालयों में नियुक्तियाँ राजनीतिक दखलंदाजी बढ़ी है तथा विवादास्पद स्थिति बनी है। उदाहरण के लिए 2004 में सरकार में उच्च न्यायालय में 19 न्यायाधीशों की राजनीतिक रूप से नियुक्ति कर दी। जबकि न्यायपालिका के निचले स्तरों पर पहले से ही न्यायाधीशों की नियुक्तियों में सरकारी हस्तक्षेप विवाद का विषय रहा हैं।[13] बांग्लादेश की दलीय राजनीति क्षुद्र स्वार्थो को लेकर निरन्तर टकरावपूर्ण रही है। अवामी लीग तथा बी.एन.पी. दोनों मुख्य राजनीतिक दल एक-दूसरे को सत्ता प्राप्ति के लिए सारे हथकण्डे अपनाते है, बजाय विकासात्मक मुद्दों की राजनीतिक के। एक सर्वेक्षण में पता चला कि 56 प्रतिशत ग्रामीण तथा 54 प्रतिशत शहरी जनसंख्या इस राजनीति व सरकार तथा विपक्ष की भूमिका को लेकर असहमत है।[14] बांग्लादेश में सरकारों द्वारा उपयुक्त रूप से राजनीतिक वातावरण की स्थापना नहीं की जा सकी है। दोनों बड़े दल तथा कुछ छोटे कट्टरपंथी दल अपने संकीर्ण हितों के लिए जनता में परस्पर अविश्वास पैदा करते रहते हैं। इसलिए चुनाव एक संग्राम अथवा युद्ध का रूप ले लेते हैं। जिसके परिणामस्वरूप देश की जनता का ध्यान आर्थिक व सामाजिक विकास जैसे मुद्दों से ही भटक जाता है।[15]

भारत एवं बांग्लादेश की निर्वाचकीय व्यवस्थाएँ की संभावनाएँ

- सर्वप्रथम भारत एवं बांग्लादेश में निर्वाचन व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप देने के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है
- भारत में एवं बांग्लादेश दोनों में ही मतदाताओं हेतु मतदाता पहचान-पत्र जारी किए गए हैं।
- 1996 के पश्चात बांग्लादेश में गैर-सरकारी कार्यकारी सरकार का प्रावधान किया गया है, जो अन्तिम सेवानिवृत

मुख्य न्यायाधीश (उच्चतम न्यायालय) के अधीन आम चनुावों को स्वच्छ, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष रूप से संपन्न करवाने की जिम्मेदार होती है।[16]

- दोनों ही देशों में संसदीय लोकतंत्र अपनाते हुए 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम' को अपनाया गया है।
- भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से निर्वाचन प्रक्रिया सुलभ हो पाई है, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया सरल बनी है।
- भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया में 16वीं लोकसभा में उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार निर्वाचन आयोग को ई.वी.एम. के उम्मीदवारों की सूची के आखिर में नोटा (None of the above) 'उक्त में से कोई नहीं' का विकल्प दिया गया।
- बांग्लादेश में भी 2008 में राजनीतिक दलों के पंजीकरण के नियम थोड़े आसान बनाए गए।
- बांग्लादेश में निर्वाचन प्रक्रिया में आंतरिक व अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को जगह दी गई है, ताकि निर्वाचन व्यवस्था पर भरोसा कायम रखा जा सके।
- दोनों ही देशों में राजनीति के अपराधीकरण को निरन्तर कम करने पर हेतु कानूनी प्रावधान किए गए है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र की निर्वाचन की व्यवस्था काफी सुदृढ़ व सुव्यवस्थित है, जो भारत जैसे विशाल प्रजातंत्र को निरन्तर पुष्ट कर रही है, हालांकि इसमें समय के साथ कुछ खामियां नजर आई हैं, तथापि समयानुरूप वांछित सुधार व परिवर्द्धन किया जाता रहा है। जैसे-प्रतिवर्ष 25 जनवरी को **राष्ट्रीय मतदाता दिवस** के रूप में मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में निर्वाचन आयोग द्वारा **SWEEP प्रोग्राम** चलाया जा रहा है। दूसरी ओर बांग्लादेश की निर्वाचन की व्यवस्था में कुछ बाधाएँ आयी हैं यथा-1975 से 1990 तक सैन्य तानाशाही, तथापि 1991 के चुनाव वैश्विक स्तर पर काफी सही रूप में सराहे गये तथा 1996 में 13वें संविधान संशोधन द्वारा एक गैर-राजनीतिक कार्यकारी सरकार की व्यवस्था करके बांग्लादेश की निर्वाचन व्यवस्था को काफी विश्वसनीय बनाया गया है तथा 1991 के पश्चात् बांग्लादेश में निरन्तर रूप से संसदीय लोकतंत्र सुव्यवस्थित रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। कुछ खामियाँ जरूर है जिन पर लोकतंत्र की व्यवस्था के तहत निरन्तर रूप से परिवर्द्धन किया जा रहा है। इसमें निर्वाचन आयोग के विभिन्न महत्वपूर्ण प्रयास भी शामिल है।

संदर्भ सूची

1. बांग्लादेश के निर्वाचन विभाग की वेबसाइट
2. भारत का संविधान, अनुच्छेद-324
3. भारत का संविधान, अनुच्छेद-324(1)
4. कॉन्स्टीट्यूशन ऑफ बांग्लादेश, आर्टिकल-118
5. कॉन्स्टीट्यूशन ऑफ बांग्लादेश, आर्टिकल-119
6. मंगलानी, रूपा, भारतीय शासन एवं राजनीति, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, पृ.सं. 549
7. दैनिक भास्कर, 17 मई, 2014, पृ.सं. 12
8. चतुर्वेदी, गीता, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2015, पृ.सं. 375
9. आढ़ा, आर.एस., भारत में निर्वाचन व्यवस्था : चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ, ए.बी.डी. पब्लिशर्स, जयपुर, 2008, पृ.सं. 174-175
10. मंगलानी, रूपा, भारतीय शासन एवं राजनीति, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2015, पृ.सं. 559
11. इन्स्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज, वर्किंग पेपर, नं. 39 दिनांक 6 मार्च, 2008, द चैलेन्जेज ऑफ इन्स्टीट्यूशनलाईजिंग डेमोक्रेसी इन, बांग्लादेश, पृ. 19
12. इन्स्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज, वर्किंग पेपर, नं. 39 दिनांक 6 मार्च, 2008, द चैलेन्जेज ऑफ इन्स्टीट्यूशनलाईजिंग डेमोक्रेसी इन, बांग्लादेश, पृ. 20
13. रूनाक, जहाँ, बांग्लादेश, इन कन्ट्रीज ऐज क्रॉस रोड, 2005
14. इश्यूज एण्ड प्राअर्राइटीज फॉर बांग्लादेश : द 2000 आई.एफ. ई.एस. नेशनल सर्वे, थॉमस कॉर्डसन, पृ.सं. 14
15. रूनाक, जहाँ, बांग्लादेश पॉलिटिक्स : प्रोबलम्स एण्ड इश्यूज, यूनिवर्सिटी प्रेस लिमिटेड ढाका, वर्ष, 1987, पृ.सं. 173
16. बांग्लादेश, 13वाँ संविधान संशोधन, 1996

वर्तमान में सांस्कृतिक अवमूल्यन : दशा और दिशा

डॉ. संजय कुमार
समाजशास्त्र विभाग, लोहिया पी. जी. महाविद्यालय, चूरू (राज.)

शोध सारांश

संस्कृति एक अमूर्त संकल्पना है जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है न तो इनका कोई आकार होता है न कोई संरचना न ही आ.ति और न ही इन्हें स्पर्श किया जा सकता है। ऐसे सांस.ति तत्व हैं धर्म, भाषा, रीति-रिवाज, परम्परायें, मान्यतायें आदि। वहीं अवमूल्यन का अर्थ होता है घिसावट अर्थात ऋणात्मक परिवर्तन। स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय संस्कृति में तीव्र गति से जो परिवर्तन हो रहे हैं वे अत्यन्त गम्भीर हैं। पिछले लगभग 200 वर्षो में भी जो प्रवाह न बन सका था, वह इन 20 वर्षो में बन चुका हैं। डॉ. एल. पी. शर्मा ने अपनी पुस्तक आधुनिक भारतीय संस्कृति की प्रस्तावना में लिखा है कि वह सभी कुछ इतना अधिक है, इतना विभिन्न है और उससे भी अधिक इतना विवादपूर्ण है तथा उसके साथ जो यह प्रश्न सम्मिलित है कि यह जो कुछ हम अपनी संस्कृति से प्राप्त कर रहे हैं वह गलत है या ठीक- हममें से कोई भी सरलता से उसका उत्तर नहीं दे सकता। जब तक नूतन सभ्यता के ठोस कण हमारे समाज में स्थिर नहीं हो जाते तब तक उन्हें सभ्यता का अंश स्वीकार करें या न करें, यह प्रश्न है।

संकेताक्षर : *वातावरणीय परिस्थितियां, औपनिवेशिक संस्कृति, अवमूल्यित संस्कृति, अधिवासित*

प्रत्येक संस्कृति की अपनी मान्यतायें हैं अपने विचार हैं और उसकी अपनी भावना है जो दूसरी संस्कृति से भिन्न हो सकती है और संस्कृति का निर्माण इन्हीं मान्यताओं, विचारों और भावनाओं के अन्तर्गत होता है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है तात्पर्य है कि प्रत्येक संस्कृति स्वयं में अच्छी होती है। प्रत्येक संस्कृति का विकास स्वतन्त्र वातावरणीय परिस्थितियों की देन होती है। ऐसी स्थिति में जब वातावरणीय परिस्थितियों में व्यापक भिन्नता पाई जाती है तो भिन्न संस्कृतियों का मिलना एक स्वाभाविक सी घटना है।[1] इसे एक उदाहरण से भी समझा जा सकता है अगर मसाई जनजाति के लोग अथिति का स्वागत एक-दूसरे के मूंह पर थूककर करते हैं तो हमारी सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुरूप पर असम्मान का प्रतीक होता है।

संस्कृति के तत्व	मूल्य, परम्परायें, रीति-रिवाज[2] क्षरण
समय के अनुसार बदलते रहते हैं अत: वास्तव में सांस्कृतिक अवमूल्यन न होकर सांस्कृतिक विकास है।	सांस्कृतिक अवमूल्यन

अपनेपन के स्वरूप में बदलाव

- पहले रिश्तेदारों में अपनापन खोजते थे क्योंकि वे साथ रहते थे वर्तमान में मित्रों के साथ अपनापन खोजते हैं क्योंकि मित्र साथ रहते हैं। एकाकीपन नहीं बढ़ा बल्कि मित्रों के साथ अपनापन बढ़ा है।
- रक्तदान का बढ़ता प्रचलन भी समाज के साथ अपनापन दर्शाता है।
- व्यक्ति समाज के प्रति संवेदनशील हुआ है।
- वर्तमान में महिलाओं, बच्चों, वृद्धों तथा विकलांगों की स्थिति ऐतिहासिक काल की अपेक्षाकृत बेहतर है।

संस्कृति एक गतिशील अवधारणा है। काल के सन्दर्भ में सांस्कृतिक तत्वों में परिवर्तन के साथ संस्कृति भी परिवर्तित होती रहती है जैसे वैदिक संस्कृति, मौर्य संस्कृति, मुगल संस्कृति, औपनिवेशिक संस्कृति आदि। वास्तविकता यह है कि परिवर्तन के साथ चलने वाली संस्कृतियों को ही अवमूल्यित संस्कृति का दर्जा दे दिया जाता है।[3] परन्तु यह विचारधारा एकपक्षीय दृष्टिकोण को बताती है क्योंकि परिवर्तित संस्कृति के दृष्टिकोण से पूर्व की संस्कृति सांस्कृतिक पिछड़ेपन की शिकार है।

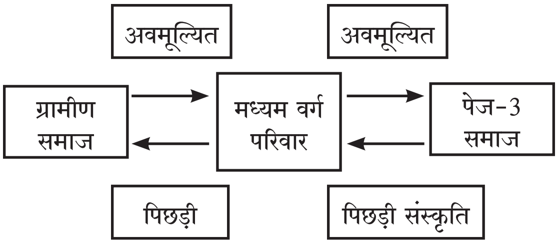

पुनः अगर हम किसी संस्कृति के स्तर को अवमूल्यित बताते हैं तो तुरंत ही इसके लिए एक आदर्श की संकल्पना बनानी होगी एवं हिन्दूवादी व्यक्ति वैदिक या गुप्तकाल की संस्कृति को आदर्श मान सकता है तो इस्लाम धर्म के समर्थक मुगल संस्कृति को आदर्श मान सकते हैं। ऐसी स्थिति में किसी एक संस्कृति के आदर्श की कल्पना नहीं बताई जा सकती है। पुनः अगर वैदिक संस्कृति को आदर्श मान लिया जाये तो स्वतः प्रश्न उठते हैं क्या गुप्त काल की संस्कृति अवमूल्यित संस्कृति थी और अगर गुप्त काल को आदर्श माना जाये तो यही प्रश्न वैदिक संस्कृति के सन्दर्भ में उठते हैं। जबकि वास्तव में दोनों संस्कृतियों में काफी भिन्नतायें मौजूद थी। दोनों ही संस्कृतियाँ अपने-अपने कालों के सर्वोत्तम विचारों से प्रेरित थीं। इन संस्कृतियों में जो भिन्नतायें देखी जाती हैं वह दरअसल समय के सन्दर्भ में विचार एवं मान्यताओं का परिवर्तन मात्र है।[4] यह सांस्कृतिक परिवर्तन स्थानिक भी दृष्टिगत होता है। जैसे- ब्रिटेन की सांस्कृतिक मान्यतायें भारतीय सांस्कृतिक मान्यताओं से मेल नहीं खातीं, ब्राजील की सांस्कृतिक मान्यतायें बांग्लादेश की सांस्कृतिक मान्यताओं से मेल नहीं खातीं तो ऐसी स्थिति में किसे श्रेष्ठ कहा जाये और किसे अवमूल्यित, क्योंकि इन सभी सांस्कृतिक मान्यताओं का विकास वहाँ की सांस्कृतिक परिस्थितियों की देन है ऐसी स्थिति में हम जिसे अवमूल्यन मान रहे हैं वह मात्र सांस्कृतिक परिवर्तन दिख रहा है। सांस्कृतिक परिवर्तन को प्रेरित करने वाले कारकों[5] में तकनीकी विकास, आर्थिक विकास, पीढ़ी अन्तराल, सामाजिक परिवर्तन, बाह्य विचारों का प्रभाव, राजनैतिक कारक, ऐतिहासिक आत्मसात्मीकरण, भौगोलिक कारण, परिवहन एवं संचार, मीडिया एवं साहित्य की भूमिका, इत्यादि प्रमुख हैं।

तकनीकी विकास- मान्यताओं व जीवन शैली में परिवर्तन, फ्रिज, रात का खाना सुबह, गाँव- ताजा खाना।

अर्थव्यवस्था- (खान-पान, वेषभूषा, रहन-सहन में परिवर्तन)- समाज के वर्गीय चरित्र में बदलाव, श्रम की गतिविधि एक ग्रामीण युवा के शहर आकर कार्य करने पर संस्कृति में परिवर्तन।

पीढ़ी अन्तराल- नवीन व्यवहार एवं परिवर्तन युवाओं के द्वारा स्वीकृत- सांस्कृतिक परिवर्तन। वृद्ध- स्वीकार नहीं करते- इसकी नजर में युवाओं में सांस्कृतिक अवमूल्यन हो रहा है।

सामाजिक परिवर्तन- सामाजिक विकास- सामाजिक चेतना जागरूकता

पहले बाल विवाह सती प्रथा को मान्यता

↓ समाज में परिवर्तन

बाल विवाह का प्रतिरोध

पहले दहेज प्रथा नहीं- वर्तमान में हैं- भविष्य में समाप्त होने की संभावना

बाह्य विचारों का प्रभाव- मोबाइल- पत्र लेखन की कला का समापन।

राजनीतिक कारक- जैसे आरक्षण की व्यवस्था- संस्कृति में बदलाव, पंचायत में महिलाओं की भागीदारी- सांस्कृतिक परिवर्तन, कानून द्वारा भ्रूण हत्या अपराध घोषित।

ऐतिहासिक आत्मसात्मीकरण- ऐतिहासिक आत्मसात्मीकरण का तात्पर्य पूर्व ऐतिहासिक काल के सांस्कृतिक तत्वों का वर्तमान के सांस्कृतिक तत्वों में विलय से लिया जाता है। इसे उदाहरण से समझा जा सकता है। सिन्धु सभ्यता का आत्मसात्मीकरण वैदिक संस्कृति में हो गया कालान्तर में वैदिक का आत्मसातीकरण प्राचीन भारत की संस्कृति में देखा गया। प्राचीन भारत की संस्कृति मध्य काल में भारत की संस्कृति के साथ आत्मसातीकरण की प्रक्रिया से जुड़ गई और मध्यकाल औपनिवैशिक काल में आत्मसात कर लिया गया। समय-समय पर विभिन्न संस्कृतियों एवं मान्यताओं के सांस्कृतिक तत्वों का विलय बाद में संस्कृतियों में होता चला गया। वास्तव में इस प्रक्रिया के अन्तर्गत समाज का सांस्कृतिक विकास देखा गया ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि यह सांस्कृतिक परिवर्तनों के दौर से गुजर रही थी।

परिवहन एवं संचार- परिवहन एवं संचार सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाते हैं। यह सामाजिक गतिशीलता विभिन्न संस्कृतियों से आपसी संपर्क स्थापित कराती है समाज के लोगों को नवाचारों को सीखने का मौका प्राप्त होता है और ये नवाचार ही सांस्कृतिक परिवर्तन के उत्तरदायी होते हैं।

भौगोलिक कारक- भौगोलिक कारकों पर भी वातावरणीय परिस्थितियां निर्भर होती हैं जो प्रथम संस्कृति के विकास में मदद देती है। वातावरणीय परिस्थितियों में परिवर्तन एक सामान्य घटना है जो संस्कृति में परिवर्तन ला देती है जैसे भारत के जिस क्षेत्र में सैन्धव सभ्यता फल-फूल रही थी उस क्षेत्र में ही एक भाग में थार मरूस्थल का विकास हुआ। निश्चित तौर पर इससे सांस्कृतिक तत्वों में परिवर्तन दृष्टिगत हुए पुनः यह भी देखा गया कि सैन्धव सभ्यता के निवासी ताम्रपामान कालीन क्षेत्र में अधिवासित हो गये और वे भी सांस्कृतिक परिवर्तन के दौर से गुजरने लगे। वर्तमान

दौर में भूमंडलीय तापन की घटना से जिस जलवायु परिवर्तन की आशंका व्यक्त की जा रही है। निश्चित तौर पर अगर ऐसा होता है तो हमारे सांस्कृतिक तत्वों में परिवर्तन दृष्टिगत होंगे।

मीडिया एवं साहित्य की भूमिका- इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर फोकस करना है।

दृश्य संचार- मनोवृतियों में तीव्रता के साथ परिवर्तन

- नाटकों ने सास-बहू के सम्बन्धों को नया आयाम प्रदान किया है।
- आई.पी.एल. ने विश्व के खेलों को प्रभावित किया- विश्व के टॉप-10 खेलों में शामिल।
- आम दर्शक- मीडिया की भूमिका
- बालिका वधु- बाल विवाह के रोक पाने के प्रति जागरूकता[6]

यह तो सच है कि सांस्कृतिक अवमूल्यन दरअसल सांस्कृतिक परिवर्तन है परन्तु वास्तव में सांस्कृतिक अवमूल्यन दृष्टिकोणों का परिवर्तन है। भारत के मध्यम वर्गीय समाज के लिए पेज-3 समाज की संस्कृति अवमूल्यित संस्कृति है परन्तु अगर पेज-3 समाज के दृष्टिकोण से देखा जाये तो मध्यम वर्गीय समाज पिछड़ेपन का शिकार है। फिर भी समाज में जिस सांस्कृतिक अवमूल्यन की चर्चा की जाती है उनके कुछ तथाकथित चिन्हों को ही प्रदर्शित किया जाता है। यह चिन्ह है-

(1) शिष्टाचार की बदलती मान्यता

- अभिवादन का तरीका- पांव छूने की जगह घुटने छूकर अभिवादन करना।
- हाथ जोड़कर अभिवादन- हाथ मिलाना
- हाथ मिलाने की जगह- गले लगाकर मिलना

(2) रहन-सहन की बदलती मान्यता

- रात्रि में कार्य करना- सुबह लेट से उठना

(3) खान-पान की बदलती मान्यता

- नये-नये प्रकार के व्यंजनों को स्वीकार करना

(4) वेश-भूषा की बदलती मान्यता

- पुरुष- धोती कुर्ता, पैंट शर्ट, जींस टी-शर्ट
- महिलायें- सलवार सूट, जींस, साड़ी[7]

(5) पश्चिम का अन्धानुकरण

वास्तविकता यह है कि हम बार-बार जिसे अवमूल्यन का दर्जा देते हैं वह परिवर्तन है और सच यही है कि मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ परिवर्तन होते हैं और यह परिवर्तन अच्छे के लिए होता है। जैसे- पूर्व समाज की अपेक्षा अब मानव मूल्य ज्यादा मुशकिल समझे जाते हैं। स्त्रियों के संग मतभेद कम दिखायी देते हैं। बालकों के हित ज्यादा सुरक्षित है। कई समाज में तो मानवतावाद का मूल्य इतना स्थापित हो चुका है कि वे फासी देने के तरीकों पर भी बहस करते हैं। कई यूरोपीय समाज मृत्यु की सजा प्राप्त अपराधियों को जहर की सुई से मृत्यु का प्रावधान स्थापित कर रहे हैं। वास्तव में ये सभी सांस्कृतिक मान्यताओं में परिवर्तन को ला रहे होते हैं। यूरोपीय समाज में एक वृद्ध जनसंख्या के दबाव में लोगों ने बच्चों के जन्म लेने की प्रक्रिया पर पाबंदी ला दी अब वही यूरोपीय समाज ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जन्म देने को बढ़ावा देता है। चीन का समाज अपनी बढ़ती जनसंख्या पर काबू पाने के लिए एक बच्चों की नीति को अपना लिया वर्ष 2009 में सिर्फ इस नीति को छोड़ने पर विचार किया जा रहा है।

निष्कर्ष

समाज सदैव परिवर्तनों के दौर से गुजरता रहा है और वास्तविकता यह है कि परिवर्तन आने वाले समाज में भी जारी रहेगा। सांस्कृतिक अवमूल्यन एवं सांस्कृतिक पिछड़ेपन के शब्द आने वाले समाज में भी जीवित रहेंगे परंतु तब भी यह मात्र सांस्कृतिक परिवर्तन ही रहेगा।

संदर्भ सूची

1. सोरोकिन, पी., सोशल एण्ड कल्चरल डायनेमिक्स : ए स्टडी ऑफ चेन्ज इन मेजर सिस्टम ऑफ आर्ट्स, ट्रूथ, एथिक्स, लॉ एण्ड सोशल रिलेशनसिप्स, पहिलसड बाई ट्रान्जेक्शन ऑन पब्लिशर्स, लन्दन
2. फूकोयामा, वाई. फ्रांसिस, द ग्रेट डिस्ट्रुपेशन : ह्युमन नेचर एण्ड द रिकन्सट्रक्शन ऑफ सोशल आर्डर, 2000
3. हेफनर, रोबर्ट डब्ल्यू., मार्केट कल्चर्स : सोसायटी एण्ड मोरालिटी इन द न्यू एशियन कैपिटेलिज्म, 2001
4. डेफ्लम, मैथ्यू, सोशियोलोजी ऑफ लॉ, केम्बरीन यूनिवर्सिटी प्रेस
5. सिन्हा, राकेश के., सोशल एण्ड कल्चरल डवलपमेन्ट ऑफ इण्डियन दलित, मोहित पब्लिकेशन, दिल्ली
6. शाह, गिरिराज, ग्लोरी ऑफ इण्डियन कल्चरल, डायमण्ड बुक, दिल्ली
7. विद्या, राजाराम एवं कल्पना, फैक्ट्स ऑफ इण्डियन कल्चर, जवाहर बुक, दिल्ली

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था और उभरता आतंकवाद एक विश्लेषण

लालचन्द कुम्हार

शोधार्थी

राजनीति विज्ञान विभाग,कोटा विश्वविद्यालय कोटा (राज.)

शोध सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में विश्व के विभिन्न देशों की लोकंतात्रिक व्यवस्थाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण करके लोकंतात्रिक व्यवस्था के अभिप्राय को स्पष्ट किया गया है तथा साथ ही साथ आतंकवाद के अर्थ एंव परिभाषाओं पर प्रकाश डाला गया है तथा भारत में आतंकवाद के उद्भव एवं विकास को स्पष्ट करते हुए आतंकवाद के कारणों एवं आतंक प्रभावित क्षेत्रों विशेषकर जम्मू कश्मीर, पंजाब और पूर्वोत्तर के सात राज्यों में आंतक की जो स्थिति थी और वर्तमान में जो स्थिति विद्यमान है उसके उपर प्रकाश डालते हुए भारत से ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व से आतंकवाद को किस प्रकार दूर करके एक दूसरे देशों से शत्रुता के माहौल और रोज-रोज की कलह को समाप्त करके सभी देशों के द्वारा किस प्रकार सुख-शान्ति एवं आर्थिक विकास के नवीन आयामों को प्राप्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध मे नवीन और शान्ति जनक सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं।

संकेताक्षर : *मनोवैज्ञानिकता, संगठित हिंसा, व्यापक प्रभाव, सामूहिक प्रयास*

लोकतंत्र का अर्थ

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में अंग्रेजी शासन विद्यमान था। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की दासता से मुक्त हुआ और भारतीय शासन को संचालित करने के लिए लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू करके भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था।[1] जब से अब तक भारतीय लोकतंत्र को अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। जिनमें जातिवाद, भाषावाद, राजनीतिक अपराधीकरण, साम्प्रदायिकता, भ्रष्टाचार आदि समस्याओं को सुलझा लिया गया है। परन्तु आतंकवाद भारत के लिए मुख्य समस्या बनी हुई है यह भारत को अन्दर से दीमक की तरह कमजोर कर रही है हालाँकि सरकार के द्वारा समय समय पर इसके समाधान के लिये अनेकों उपाय किये हैं परन्तु कोई भी उपाय कारगर सिद्ध नहीं हो पाया है। इसके विपरित भारत में आतंकवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा हैं।

आतंकवाद का अर्थ

राजनीतिक अवधारणा के रूप में आतंकवाद का तात्पर्य आतंक के बल पर लक्ष्य प्राप्त करना अर्थात् अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिये आंतक को साधन बनाना है। आतंकवाद प्राय: हिंसात्मक होता है परन्तु वह हिंसा मात्र नहीं होता है। इसके द्वारा अनेकों बार धमकी के द्वारा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। फिर अपहरण और बन्धक बनाने की कार्यवाहियाँ भी स्थगित कर दी जाती हैं। आतंकवाद की परिणति भले ही हिसांत्मक न भी हो परन्तु प्रवृति सदैव हिसांत्मक ही रहती है। आतंकवाद के लिये आतंक एक साधन है, साध्य नही। इसका लक्ष्य एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करना भी हो सकता है, किसी माँग, आदर्श या अधिकारों की पूर्ति भी हो सकता है।[2] आधुनिक सन्दर्भ में आतंकवाद एक ऐसी हिंसा का प्रयोग है जो कि सैनिक दृष्टि से नहीं बल्कि लक्ष्य को मनौवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करता है और जीवित मानवता के प्रति यथार्थ धमकी उत्पन्न करता है। इसको निर्मित करने में निहित भावना यह है कि मानव जाति को शान्ति से वंचित कर दिया जाये। इसलिए यह सामाजिक-आर्थिक विकास और प्रजातंत्र के समक्ष सीधा खतरा है। भारत के अनुसार आतंकवाद असामाजिक, असांस्कृतिक, अनैतिक, अंवाछनीय कार्य पद्धति है। जिसका उदेश्य निरपराधिक लोगों की हत्या करके, सामान्य जनता में आतंक फैलाकर सरकार के कानूनों को असफल बनाकर अपने राजनीति लक्ष्यों की पूर्ति के लिये सरकार को विवश करना और सामान्य जनता में भय फैलाना है।[3] अमेरिका के अनुसार आतंकवाद से तात्पर्य धमकी से सम्बधित उन सभी कार्यों से है

जिनका उदेश्य किसी राज्य संगठन या समाज को क्षति पहुँचाना होता हैं या किसी भी प्रकार रियायत पाना होता है।[4] संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 17 सितम्बर 1996 को रिजोल्यूशन 51/210 के अनु. 2 में आतंकवाद को परिभाषित करते हुए कहा कि गैर कानूनी तरीके से किये गये कार्य, जिसमें अनेकों व्यक्तियों की मौत या गम्भीर शारीरिक प्रताड़ना, निजी और सरकारी सम्पति को हानि पहुँचाना ताकि अधिक से अधिक आर्थिक हानि की जा सके, इस प्रकार की प्रकिया को आतंकवाद कहते हैं।[5] इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि आतंकवाद मानवता के समक्ष एक गम्भीर खतरा है जिसका लक्ष्य नागरिकों के हितों को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक द्रष्टि से हानि पहुँचाना हैं।

भारत में आतंकवाद का उद्भव

मानव सभ्यता के जन्म काल से ही आतंक मानव जाति का सहचर रहा है किन्तु आज आतंक का जो रूप देखने को मिल रहा है वैसा कभी भी नहीं देखा गया है। पहले आतंक का प्रयोग सुधार, दण्ड, अनुशासन, सुरक्षा आदि के सन्दर्भ में मनोवैज्ञानिक उपक्रम के रूप में किया जाता था किन्तु आज स्थिति बिलकुल अलग है क्योंकि संगठनों के द्वारा आतंक को शैलीबद्ध तकनीकी के रूप में अपनाया गया है जिसका शिकार सरकारी व्यवस्था तो है ही परन्तु आम लोग भी बुरी तरह से प्रभावित हैं।[6] भारत में आतंकवाद का इतिहास भारत-पाक विभाजन से जुडा हुआ है परन्तु वर्तमान समय में उन्होंने गहरी जड़ें जमा ली हैं। सर्वप्रथम भारत में आजाद हिन्द फौज के एक अधिकारी ने सन् 1946 में नागा नेशनल काउसिंल की स्थापना करके आतंकवाद का बीजारोपण किया था और वर्तमान में इसकी शाखायें पूरे भारत में फैल चुकी हैं।[7] भारत आतंकवाद से पीडित विश्व के समस्त देशों में से एक प्रमुख देश है। न्यूयार्क से प्रकाशित ग्लोबल टेरेरिज्म इंडेक्स.....2015 रिपोर्ट के अनुसार आतंक से प्रभावित 162 देशों की सूची में भारत का छठा स्थान है।[8] भारत में आतंकवाद का सबसे खतरनाक रूप स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही उभरकर सामने आया है। जिसमें हमारे पडौसी देश पाकिस्तान का सर्वाधिक योगदान रहा है। जिस दिन से भारत पाक विभाजन हुआ उसी दिन से पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकी गतिविधियों का बढावा दिया जा रहा है और भारत में आतंकवाद पिछले कुछ वर्षों से अपनी जड़ें काफी मजबूत कर चुका है और इस आंतक ने भारत के 80 हजार नागरिकों और 20 हजार सैनिकों को काल के मुँह में धकेल दिया है। अब तक भारत-पाक के मध्य 1948, 1965, 1971, 1999 में चार बार युद्ध लड़ा जा चुका है और चारों युद्धों में पाकिस्तान को पराजय का मुँह देखना पड़ा है। जब युद्ध के माध्यम से पाकिस्तान सफल नहीं हो पाया तो अब छद्म युद्ध का सहारा लेना प्रारम्भ कर दिया है और पाकिस्तान का यह छद्म युद्ध भारत के खिलाफ सन् 1990 से चला आ रहा है।[9] इस प्रकार वर्तमान समय में आतंकवाद का काला साया पूरे भारत में फैल चुका है।

भारत में आतंकवाद के कारण

भारत में आतंकवाद के कारणों को आराम से पहचाना जा सकता है। यह हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हमें पडौसी देशों के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही अनेक प्रकार की चुनौतियाँ दी जा रही हैं। परन्तु हमारे देश में न केवल बाहरी बल्कि आन्तरिक चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं। कभी खालिस्तान तो कभी माओवाद और अब यह नये रूप इस्लाम के रूप में सामने आया है। चाहे दंगे कलकत्ता (1946), भागलपुर (1989), हैदराबाद (1990), दिल्ली (1984), अयोध्या (1992), गुजरात (2002) के रहे हों या फिर कोई बाहरी व्यक्तियों के द्वारा किये गये हमले, जो कि मुम्बई, दिल्ली, बैंगलोर, अहमदाबाद, तमिलनाडु, बिहार में घटित हुये हैं। इन सभी में भारत में आतंकवाद का विस्तार नजर आता है। इनके अनेकों कारण रहे हैं। वर्तमान में पाकिस्तान की इस्लामिक कटट्रपंथी संस्था, आई.एस.आई. ने भारत के समीपवर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाली मुस्लिम आबादी को भड़काकर भारत में गृह युद्ध जैसी स्थिति को पक्का करके आंतरिक अशान्ति को पैदा करके आतंकवाद को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है डाइरेक्टर जनरल फोर्सन इन्टेलीजेसी ने आई.एस.आई. के साथ मिलकर पूर्वोत्तर भारत के विशेषकर नागालैण्ड, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मणिपुर के चरमपंथियों के निवास के लिये स्थान प्रशिक्षण केन्द्र और दक्षिण एशियाई देशों से हथियार खरीदकर भारत में सुरक्षित पहुँचाने की व्यवस्था की है। पश्चिमी पाकिस्तान, उत्तरप्रदेश, बिहार के अल्पसंख्यक मौलवी और धर्म प्रचारक बांग्लादेश की मस्जिदों और मदरसों में सक्रिय हो रहे हैं। पश्चिमी त्रिपुरा, सीमान्त क्षेत्रों में भव्य मस्जिदों का निर्माण दोनों और किया जा रहा है जिनका प्रयोग अवैध रूप से सीमा पार के आतंकवादी करते हैं।[10] भूमण्डलीकरण नई विश्व व्यवस्था के उत्पाद की तरह आधुनिकीकरण का विकास, संचार के साधनों में आई कान्ति, उत्पादन का वैश्विक ढाँचा, व्यापार तकनीकी ने तीव्र कान्तिकारी परिवर्तन विश्व व्यवस्था में किया हैं। इसी व्यवस्था ने राज्य प्रेरित या समूह द्वारा, प्रेरित आतंकवाद को जन्म दिया हैं, क्योंकि उन्हे जीवित रहने के लिये विदेशी सहायता निरन्तर मिलती रहती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लम्बे समय सें इस्लामिक समूह जैसे लश्कर-ए-तैयबा, हरकत-उल-मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्म्द, अल-बदर-मुजाहिदीन जैसे विदेशी संघठनो की दिल्ली, मुम्बई, कोलकत्ता, चेन्नई, इन्दौर, बैंगलोर, हैदराबाद, पटना, पुणे, नागपुर, कश्मीर, बिहार में सक्रियता में प्रमुख योगदान पड़ौसी राष्ट्रों का ही रहा हैं।[11] भारत में समेकित और तीव्र विकास करने एवं मूलभूत सुविधाओं रोटी, कपडा, मकान आदि प्रदान करने में असफल रहे हैं तथा आर्थिक सहायता की सभी योजनायें प्रशासन

की लापरवाही की वजह से आम जनता तक नहीं पहुँच पाती हैं। इसी कारण सरकार के प्रति यहाँ के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया हो गया हैं। परिणाम स्वरूप अलगावाद एंव आतंकवाद की चिंगारी सुलग गई और धीरे धीरे सम्पूर्ण भारत में फैल चुकी हैं।[12] हम यह नहीं भूल सकते हैं कि भारत में हिंसा को बढ़ावा देने में विज्ञान तकनीकी एवं सूचना प्राद्यौगिकी का भी योगदान रहा है। साईबर क्राईम का अर्थ होता है कि किसी भी पहलू से खिलवाड़ करना साईबर क्राईम हैं और यह एक प्रकार का आतंकवाद है जिसके आधार पर आतंकवादी सूचना प्राप्त करते है और घटनाओं का अंजाम देते हैं।[13] राजनीतिक सत्ता प्राप्ति का स्वार्थ और राजनीति दलों की तुष्टीकरण की नीति का सर्वोत्तम उदाहरण असम और त्रिपुरा में दिखाई पडता है। परन्तु यह हमारी सरकार की कमजोरी है कि वह अवैध आव्रजन बांग्लादेश के मुस्लिमों का हो रहा हो या पाकिस्तान शरणार्थियों का हो रहा है परन्तु 1950 के साम्प्रदायिक दंगों, पूर्वी पाकिस्तान के साम्प्रदायिक दंगों, 1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान असम शरणार्थिया के बसने की प्रकिया बनी रही थी। किन्तु शरणार्थियों की बडी संख्या का संकट, 1971 के भारत-पाक युद्ध एवं बांग्लादेश के उदय के दौरान जब नब्बे लाख शरणार्थी भारत आये, तब आयी थी।[14] हमारे देश के राजनीति दलों ने इन शरणार्थियों को वोट बैंक के रूप में देखा और यही जम्मूकश्मीर लिबरेशन फ्रन्ट, हिजबुल मुजाहिदीन, स्टूडेन्ट ईस्लामिक मूवमेन्ट ऑफ इण्डिया, अलकायदा, तालिबान आदि के साथ भारत विरोधी गतिविधियों में जुडे हुए हैं।

भारत में आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र

वर्तमान समय में भारत के अन्दर आतंकवाद के केन्द्र में जम्मू कश्मीर राज्य है। जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त पंजाब और पूर्वोत्तर भारत के अन्य राज्यों में भी आतंकवाद तेज गति से बढ़ता जा रहा है। परन्तु जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के बढ़ते चरण सभी सीमाओं को पार कर चुके हैं। आतंकियों के फरमान सुने और माने जाते हैं। कश्यप ऋषि का तपस्या स्थल और जहाँगीर का जन्नत धॉय-धॉय जल रहा है। सरकारी इमारतें बन्द पड़ी हैं। उनके ऊपर हिन्दुस्थानी कुत्तों भाग जाओ लिखा हुआ नजर आता है। जिन्दा रहने के लिये हिन्दू स्त्रियों ने अपने अपनी सुहाग बिन्दिया हटा ली हैं और बुरका पहनकर बहार जाना प्रारम्भ कर दिया है। 1.95 हजार कश्मीरी पण्डित और करीब 70 हजार अन्य लोग कश्मीर छोड़कर अन्य राज्यों में पलायन कर चुके हैं। शरणार्थी कहते हैं कि उनकी हिम्मत उस समय ही खत्म हो गई थी जब आकाशवाणी और दूरदर्शन ने आतंकियों की भाषा बोलना आरम्भ कर दिया था।[15] जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएँ दिन प्रतिदिन घटित हो रही हैं। अब तक जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में लगभग 14732 नागरिक 6231 सुरक्षा कर्मी 23072 आतंकी मौत के मुँह में चले गये हैं। वर्तमान में पंजाब के अन्दर अमन एंव शान्ति का माहौल है। लेकिन एक दशक था जब पंजाब राज्य आंतक का दर्द झेल रहा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भाषा के आधार पर पंजाब तथा हिन्दी भाषी अलग राज्य की माँग की गई, तथा 1960-1964 के मध्य इस माँग ने आन्दोलन का रूप ग्रहण कर लिया था। नवम्बर 1966 में पंजाब और हरियाणा दो अलग राज्य बनाये गये तथा दोनों की राजधानी चण्डीगढ़ को बनाया गया। परन्तु सरकार और सिक्ख समुदाय के मध्य मतभेद बना रहा और 1980 के दशक में पृथक खालिस्तान राज्य की माँग को लेकर जनरैल सिंह भिण्डरवाला के नेतृत्व में कतिपय सिक्ख संगठनों ने आतंकवादी गतिविधियों का संचालन करना प्रारम्भ कर दिया था। जून 1982 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के द्धारा सैनिक कार्यवाही से सिक्खों के स्वर्ण मंदिर को आंतकियों से मुक्त करवाया गया परन्तु इसका सिक्ख राजनीतिक नेतृत्व द्धारा विरोध किया गया और तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी की उसके अंग रक्षकों द्धारा हत्या करने के बाद दिल्ली सहित पूरे देश में हिन्दू सिक्ख दंग हुए जिनमें जान-माल की भारी क्षति हुई थी।[16] सन् 1985 से 1992 तक पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता बनी रही इसलिये आतंक और भी अधिक बढ़ गया था। फरवरी 1992 में बेअंत सिंह पंजाब में अशान्ति बनाने में लगे हुए थे। इन्होंने पंचायतों और स्थानीय संस्थाओं के चुनाव करवाये तथा बन्द व्यापार उद्योग पुन: चालू करवाये और लोगों को अश्वासन दिया की वह अब आतंकियों के खेल को सफल नहीं होने देगा। परन्तु पंजाब एक बार फिर आतंक के मार्ग पर चला गया और 31 मार्च 1995 को आतंकियों द्धारा मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या करके पूरे राष्ट्र को डरा दिया था और पंजाब एक बार फिर आतंकी मार्ग पर चला गया था।[17] अब तक पंजाब में आतंकी हिंसा में 1787 नागरिक 1761 सुरक्षाकर्मी 8112 आतंकी मारे जा चुके हैं। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र देश की स्वतंत्रता से ही काफी संवेदनशील रहा है। स्वतंत्रता उपरान्त एकजातीय असम के सात टुकड़े करने के बाद भी क्षेत्रिय कबीलों को सन्तुष्ट करने और इन्हें देश की मुख्य धारा में लाने का सपना आज तक पूर्ण नहीं हुआ हैं। भारत के उत्तर पूर्व में स्थित सात राज्यों असम, नागालैण्ड, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा को पूर्वोत्तर भारत के नाम से जाना जाता है। इन सात राज्यों में एक दुर्भाग्यशाली समानता यह है कि यह जाने अनजाने में उग्रवाद के मार्ग पर निकल पड़े थे। इनमें कुछ राज्यों में अभी भी आतंक की अग्नि समाप्त नहीं हुई है। कुछ राज्य शान्तिपूर्ण जीवन यापन कर रहे हैं। वैसे इन राज्यों की आतंकी हिंसा को क्षेत्रीय असन्तोष कहना अधिक उचित है क्योकि यहाँ के लोग जातीयता और भाषा के आधार पर बटे हुए हैं और वह अपने लिये सुविधाओं की माँग कर रहे हैं।[18] इन राज्यों की 99% सीमा रेखा भूटान, चीन, तिब्बत, म्यांमार एंव बाग्लादेश से मिलती है। इनमें पांच राज्यों में अलग राज्य की माँग को लेकर संघर्ष चल रहा हैं इस

संघर्ष को पहले चीन और म्यांमार और अब बांग्लादेश के सहारे पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी आई.एस.आई. नक्सली आन्दोलन के रूप में बढ़ाने के लिये सहायता दे रही है।[19] इन राज्यों में सन् 2005 से लेकर 16 सितम्बर 2016 तक नक्सली हिंसा में 2912 नागरिक 1840 सुरक्षाकर्मी तथा 2427 नक्सली मारे जा चुके हैं।

भारत में आतंकवाद की समाप्ति के सुझाव

भारत में आतंकवाद एक गम्भीर समस्या है। इसका निदान किसी एक उपाय के द्वारा नहीं किया जा सकता है। अत: इसके लिये विभिन्न उपायो पर दृष्टि डालना आवश्यक है, क्योकि आतंकवाद निश्चित रूप से हमारी सुरक्षा, विदेशी नीति एवं आर्थिक नीतियो को प्रभावित कर रहा है। अत: इन नीतियों में समसामायिक बदलाव और नई दृष्टिगोचरता, चिन्तनशीलता, प्रभावशाली व्यवस्था का होना आवश्यक है और इसके लिये राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है क्योंकि कुछ देश की कमजोरियाँ और अव्यवस्थाएँ होती हैं जिनके कारण आतंकवाद पनपता है। इन कमजोरियों के रहते आतंकवाद की समाप्ति बिलकुल सम्भव नहीं है। इसके लिए जनता सरकार के मध्य नवीन चेतना, त्याग और आत्मविश्वास की आवश्यकता है। इस प्रकार के सुधारों से ही आतंकवाद की मौलिक समस्या में सुधार लाया जा सकता है जब ही आतंक के मुकाबले एक सशक्त व्यवस्था का उद्‌भव होगी। जिसके सामने आतंकवाद को झुकना ही पड़ेगा। पंजाब के अन्दर आतंकवाद इसी का ही उदाहरण है। भारतीय उपमहाद्वीप में आतंकवाद की समाप्ति के लिये सरकार का दायित्व है कि वह जनता में आत्मविश्वास को बडाने के साथ-साथ आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक कर्मियों को दूर करे तभी स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मानसिकता वाले लोग देश पर आये संकट का सामना कर सकते हैं। आतंकियों का अनुसंधान एवं विश्लेषण करने से पता चलता है, कि कश्मीर पंजाब, असाम के आतंकी गुटों में ऐसे व्यक्तियों की संख्या अधिक है, जो कि धन और आराम के लिये रायफलें उठाये बैठे हैं और इस कार्य से वह स्वयं के साथ परिवार की भी सहायता करते हैं।[20] भारत के भ्रमित नौजवानों को विश्वास में लेकर उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा जाये और उनके प्रति सम्मान की भावना को प्रदर्शित किया जाये तथा देश के प्रति विश्वासघात करने वालों को कठोर दण्ड दिया जाये और जो देश वर्तमान में आतंकवाद की जन्म स्थली बने हुए हैं, वे यदि उन्हें शरण एवं सहायता न दे तो निश्चय ही आतंकी गतिविधियाँ कम हो जायेंगी। इसलिए विश्व के सभी देशों को प्रतिज्ञा एवं संकल्प लेना होगा कि वह विश्व के किसी भी देश में आतंक पनपने में सहायता नहीं करेंगे। ऐसे सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की स्थापना की जाये जो कि आतंक को पनपने से पूर्व ही उसका पता लगाये तथा हमारे देश के गुप्तचर विभाग को चुस्त दुरस्त बनाया जाये ताकि आतंकियों के सही ठिकानों का पता लगाया जा सके तथा देश के अन्दर विद्यमान सभी वर्गों एवं धर्मों के बीच पारस्परिक कट्टरता को खत्म किया जाये ताकि आतंकियों के सही ठिकानों का पता लगाया जा सके, और सभी वर्गों के द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद की निन्दा कि जाये।[21] पूर्वोतर और जम्मूकश्मीर में स्थानीय प्रशासन इतना लचर हो गया है कि लोगों का विश्वास अब उसके ऊपर से उखड़ गया है। स्थिति यह है कि स्थानीय शासन सरकार के प्रशासन को चलाने में सक्षम नहीं है। ऐसी स्थति में यह जरूरी है कि क्षेत्र के विकास में स्थानीय नेताओं की सहभागिता को बढाया जाये तथा शिक्षा स्वास्थ्य, जल निकासी आदि समस्याओं के निपटारे में भागीदारी सुनिश्चित की जाये। परन्तु इसके अलावा अन्य कदम उठाने की भी आवश्यकता है ताकि आतंकवादियों के विरूद्ध लडाई में हमारे सुरक्षा सैनिक सफल हो सके। इसके लिए यह जरूरी है कि स्थानीय लोग आतंकियों को शरण एवं सहायता देना बन्द कर दें और इसकी बजाये सुरक्षा सैनिकों को आंतकियों की जानकारी देना प्रारम्भ कर दें परन्तु स्थानीय जनता ऐसा तब ही करेगी जब उसे आतंकियों से सुरक्षा की गारन्टी दी जायेगी। इस प्रकार की व्यवस्था करने से हमारे सुरक्षा सैनिक आतंकियो को उनके इरादों में विफल कर देंगे और देश की सुरक्षा व्यवस्था अपने आप ही सशक्त हो जायेगी।[22] यदि भारत आतंकवाद के निदान के लिये पूरी शक्ति लगाकर कार्य करे तो महाशक्ति बनने का सपना छोड दे तब ही उचित होगा कि जिस आर्थिक प्रगति पर हम इतना गर्व करते हैं उसका गुब्बारा फूटते देर ही नहीं लगेगा। गत् वर्षों की तरह हर बार विजयदशमी का त्यौहार मनाया जायेगा और बुराई के प्रतीक रावण को भी जलाया जायेगा क्योंकि यह राम की रावण पर, सत्य की असत्य पर, अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है क्या यह नहीं हो सकता कि इस सुअवसर पर राष्ट्र के कर्णधार और आम जनता आतंकवाद से लडने का संकल्प करें और ठोस कदम उठाये। ऐसा करने से ही आतंकवाद को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता हैं।[23] भारत में सीमा पार आतंकवाद पर रोक लगाने के लिऐ अच्छे आर्थिक व सैन्य सम्बन्ध ही श्रेष्ठ विकल्प हो सकते हैं क्योंकि भारत का लगभग सभी पडोसी देशों विशेषकर पाक, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार आदि से सीमा विवाद है। लेकिन इन पर नियंत्रण की तुरन्त आवश्यकता यह है कि इन देशों से क्षेत्रीय विवादों पर अन्तराष्ट्रीय मंचों पर विचार-विमर्श किया जाये। और हमारे ध्यान समस्या पर ही केन्द्रित होना चाहिये क्योंकि बढ़ते तनावों से कट्टरपंथियों की शक्ति बढ़ती है और आतंकी गुट कट्टरपंथी चाहते हैं कि पड़ौसियों से तनाव और संवादहीनता बनी रहे किन्तु प्रत्येक देश का उदारवादी और प्रगतिशील दृष्टिकोण सदभाव रखने का ही बना रहता है। आज हम ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर आतंकवाद ऐसी समस्या है जिसमें अल्पदृष्टि और तत्कालीन हितों के आधार पर तय रूख लम्बे समय में भारत के लिये गम्भीर हो सकता है। भारत के इस ओर अमेरिका, रूस, इजराइल तथा

फ्रांस के साथ किये गये समझौते निश्चित रूप से लाभदायक हो सकते हैं और फिर भी हमें अपने पड़ौसियों पर निगरानी रखनी होगी, ताकि भारत के पड़ौसी देशों से विवादों को खत्म किया जा सके और कट्टरपंथी उग्रवाद को उभरने से रोका जा सके।[24] इक्तालीस साल के बाद भारत-बांग्लादेश भूमि समझौता सम्पन्न हुआ यह दोनों देशों के लिए खुशी की बात है तथा पड़ोसी देशों के लिये एक सबक है बांग्लादेश का जन्म भारत के प्रयासों से ही हुआ था। आज दोनों अलग-अलग हैं, परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व दोनों देश सैकड़ों सालों तक एक ही देश थे। इसलिये हमारी सभ्यता, संस्कृति, परम्पराएँ एक ही है। समझौते के तहत् भारत 500 एकड़ भूमि, 51 बस्तियाँ और 37 हजार लोगों को लेकर बांग्लादेश को 10, एकड़ भूमि, 111बस्तियाँ, और 14 हजार लोगों को देगा। समझौता शुरूआत में अच्छा रहा है। भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद लम्बे समय से चल रहा है इसे लेकर हम आतंक और युद्धों की विभिषिका भी कई बार झेल चुके हैं तथा सैकड़ों सैनिक मारे गये और अरबों-खरबों रुपये खर्च हो चुके हैं। अगर हम चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर सीमा विवाद सुलझाये तो यह हमारी बड़ी उपलब्धि मानी जायेगी और दोनों देशों के साथ समस्त पूर्वाग्रह को त्यागकर आगे बढ़े तो आतंकवाद को भी समाप्त किया जा सकता है। अत: भारत-चीन-पाकिस्तान ही नहीं बल्कि प्रत्येक राष्ट्र और संगठनों को समझना होगा कि शत्रुता का वातावरण बनाने से किसी को भी लाभ नहीं होगा, बल्कि युद्ध एवं आतंक की स्थिति उभरकर सामने आयेगी, परन्तु मिलजुलकर साथ चलने से विकास की ओर आगे बढ़ा जा सकता है, आवश्यता इस बात की है कि हम सब को मिलकर समझना होगा कि आखिर हम सब क्या चाहते हैं। सुख-शान्ति या रोज -रोज का विवाद। इस प्रकार का प्रयास करने से भारत से ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व से आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है।[25]

सन्दर्भ सूची

1. बशु, दुर्गादास, भारत का संविधान, बाधवा एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली, 2007, पृ.सं.23
2. पाठक, कृष्णाकान्त, समाज एंव राजनीति दर्शन, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2011, पृ.सं.306
3. प्रतियोगिता दर्पण, 12 फरवरी, 2012, पृ.सं. 10
4. उपर्युक्त
5. संयुक्त राष्ट्र महासभा, रिजोल्यूसन, 17 सितम्बर, 1996, 51/210, अनु. 2
6. शुक्ल, कृष्णानन्द, अन्तराष्ट्रीय आतंकवाद और भारत, अकिंत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2012, पृ.सं. 9
7. उपर्युक्त, पृ.सं. 163
8. पंजाब केसरी पत्रिका, 20 नवम्बर 2015 पृ.सं. 3
9. यादव, वीरेन्द्र सिंह, नई सहस्त्रावदी का आतंकवाद, संघर्ष के बदलते प्रतिभान, औमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2010, पृ.सं. 90
10. मिश्र, विपिन कुमार एवं पाण्डेय, आशुतोष, भारत में आतंकवाद, विश्व भारती पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2012, पृ.सं. 121
11. शर्मा, संजीव कुमार, कम्यूनिकेशन मीडिया ग्लाबलाइजेशन एण्ड टेर्ररिज्म इन इण्डिया, 2006, पृ.सं. 273-281
12. शुक्ल, कृष्णानन्द, अन्तराष्ट्रीय आतंकवाद और भारत, अकिंत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2012, पृ.सं. 163
13. साईबर क्राईम, हिन्दुस्थान 10 दिसम्बर 2006, पृ.सं. 1
14. चन्द्र, विपिन चन्द्र, आजादी के बाद भारत, हिन्दी माध्यम क्रियान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, पृ.सं. 442
15. सिंह, वीरेन्द्र, पूर्वोक्त, पृ.सं. 94
16. भसीना, कमला, अमन आशा में इन्सानियत की आवाजें, बुक्स फॉर चेज, नई दिल्ली, 2001, पृ.सं. 09
17. फड़िया, बी.एल. एवं जैन, पुखराज, भारत शासन एवं राजनीति, साहित्य भवन, आगरा, 2014, पृ.सं. 780
18. शर्मा, नरेन्द्र कुमार, भारत में नक्सलवाद, महेन्द्र बुक कम्पनी, गुडगाँव, हरियाणा, 2012, पृ.सं. 231
19. सिंह, वीरेन्द्र, पूर्वोक्त, पृ.सं. 94
20. सिंह, आर.बी., आतंक के साये में सुरक्षा समस्याएँ, अकिंत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2013, पृ.सं. 402
21. सिंह, वीरेन्द्र, पूर्वोक्त, पृ.सं. 126
22. मिश्र, विपिन कुमार एवं पाण्डेय, आशुतोष, पूर्वोक्त, पृ.सं. 23
23. सिंह, प्रकाश, दैनिक जागरण, 25 अक्टूबर 2007, पृ.सं. 1
24. नैयर, कुलदीप, चीन की पड़ौस में हठधर्मी, दैनिक नवज्योति, सितम्बर, 2010
25. राजस्थान पत्रिका, सम्पादकीय, 8 जून 2015, पृ.सं. 1